पंचदश माला, खंड 19, अंक 22

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2011
11 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 20 May 2014

(खण्ड 19 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निज़ी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 19, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 22, शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
एसजीपीसी के चुनावों के संबंध में न्यायालय में चल रहे मामले	
श्री पी. चिदम्बरम	2-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 424	3-43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 425 से 440	43-114
अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060	114-512
सभा पटल पर रखे गए पत्र	512-519
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक	520
सभा के कार्य	520-525
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	525
खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे गए खाद्यान्नों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण तथा स्टॉक-धारिता संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति	
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	526
प्रो. के.वी. थॉमस	526-532
श्री गोपीनाथ मुंडे	532-534
डॉ. के.एस. राव	534-541
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011	541
श्री वीरेन्द्र कश्यप	541-545
कुमारी मीनाक्षी नटराजन	545-548

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री शैलेन्द्र कुमार	548-550
श्री विजय बहादुर सिंह	550-552
श्रीमती मीना सिंह	552-553
शेख सैदुल हक	553-555
श्री भर्तृहरि महताब	556-557
श्री कपिल सिब्बल	557-558
खंड 2 से 7 और 1	558
पारित करने के लिए प्रस्ताव	559
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव	559
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरः स्थापित	559
(एक) बालिका (नि:शुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2010	
श्रीमती सुप्रिया सुले	559-560
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 21ख, 21ग और 21घ का अंत:स्थापन)	
श्री सी.आर. पाटिल	560
(तीन) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 126 का संशोधन)	
श्री मनीष तिवारी	560-561
(चार) वृहद परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2011	
श्री पन्ना लाल पुनिया	561
(पांच) गुजरात राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2011	
श्री सी.आर. पाटिल	561-562
(छह) कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2011	
श्री भक्त चरण दास	562
(सात) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011	
श्री अर्जुन राम मेघवाल	562-563
(आठ) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2011 (अध्याय 4 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन)	
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	563
(नौ) कृषक (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण तथा कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2011	
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	564

विषय	कॉलम
(दस) सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 3, आदि का संशोधन)	
श्री मोहन जेना	564-565
(ग्यारह) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 28 का लोप)	
श्री मोहन जेना	565
(बारह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 376ङ का अंत:स्थापन)	
श्री एम.के. राघवन	565
(तेरह) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011 (धारा 26, आदि का संशोधन)	
श्री एम.के. राघवन	566
(चौदह) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011	
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	566
(पंद्रह) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 6 से 8 का संशोधन)	
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	567
(सोलह) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011	
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	567
(सत्रह) विस्थापित व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2011	
श्री एस. सेम्मलई	568
(अठारह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची 2 का संशोधन)	
श्री एस. सेम्मलई	568
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	569
श्री सतपाल महाराज	569-578
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	578-583
श्री शैलेन्द्र कुमार	583-587
श्री गोरख नाथ पाण्डेय	587-588
श्री मंगनी लाल मंडल	588-597
श्री भर्तृहरि महताब	597-600
श्री अधीर चौधरी	600-606
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	606-614
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	614-616
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	633
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	634-642
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	643-644
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	643-644

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2011/11 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल प्रश्न संख्या-421

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल चलने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एसजीपीसी के चुनाव के संबंध में दिलाना चाहती हूं। इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है, वह माननीय गृह मंत्री द्वारा विदड्रा करने के बारे में ...*(व्यवधान)*

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोजपुर): मैडम, पंजाब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री कुछ बोलने के लिए खड़े हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: हरसिमरत जी, बैठ जाइए। गुलशन जी, आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदया, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

पूर्वाह्न 11.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

एसजीपीसी के चुनावों के संबंध में न्यायालय में चल रहे मामले

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, कल शाम गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट मिली थी कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरभगवान सिंह सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों से संबंधित मामलों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पेश हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह दावा किया कि वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने यह बताया कि दिनांक 8.10.2003 की अधिसूचना को भारत सरकार द्वारा वापस लिया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके इस बयान पर उच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किए हैं।

इस सुझाव पर कि उक्त मामले में एक उपयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जाये, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष तीन में से दो मामलों में श्री हरभगवान सिंह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करते हुए दिनांक 1.9.2011 को एक पत्र लिखा था। उक्त आदेश की प्रति अभी गृह मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। न तो विधि मंत्रालय ने और न ही गृह मंत्रालय ने श्री हरभगवान सिंह को कोई वकालतनामा सौंपा था। सरकार की ओर से उन्हें किसी ने कोई जनकारी नहीं दी थी। विशेष रूप से, उनको यह बयान देने का कोई अधिकार नहीं था कि दिनांक 8.10.2003 की अधिसूचना को वापस लिया जायेगा।

सरकार यह भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि 8.10.2003 की अधिसूचना रद्द करने अथवा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चुनाव प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न होंगे

सरकार उपर्युक्त तथ्यों को आज माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में लाएगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को बंद किया जाए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 421

श्री अशोक कुमार रावत-उपस्थित नहीं।

श्री अन्नू टण्डन।

पर्यटन उद्यमों में विविधीकरण

***421. श्रीमती अन्नू टन्डन:**[+]
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन उत्पाद के विविधीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कैम्पिंग स्थलों सहित 'साहसिक पर्यटन' की पर्यटन क्षमता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) साहसिक पर्यटन और कैम्पिंग स्थलों को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्य/वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई तथा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(छ) सरकार द्वारा देश में ऐसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पर्यटन को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के एक प्रमुख इंजन के रूप में अवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002 भारत में पर्यटन उत्पादों को विविध बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। पर्यटन मंत्रालय ने विशेष अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन उद्योग के विभिन्न उदीयमान और आगामी विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने, विविधीकरण करने, विकास करने एवं उनका संवर्धन करने हेतु पहल की है। पहचान किये गये प्रमुख विशिष्ट पर्यटन उत्पादों में अन्य बातों के साथ-साथ साहसिक, ग्रामीण, पारिस्थितिकी (इको), चिकित्सा, निरोगता, गोल्फ, पोलो, क्रूज, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (माइस) एवं आध्यात्मिक यात्रा शामिल हैं।

(ग) और (घ) एक साहसिक पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की गंतव्यता को स्वीकार करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक टूर ऑपरेटर्स के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये हैं। पर्यटक गंतव्यों, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों, जहां स्थायी निर्माण या तो अनुज्ञेय नहीं हैं या व्यवहार्य नहीं हैं, में पर्यटक गंतव्यों में आवास की समग्र कमी पर विचार करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने जुलाई, 2008 में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से गुणवत्ता मानदंडों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए (1) कैम्प स्थलों की स्थापना करने एवं (2) तंबू आवास की परियोजना का

[+]चूकि श्री अशोक कुमार रावत उपस्थित नहीं थे, अत: माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्रीमती अन्नू टन्डन के अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

अनुमोदन तथा उसके वर्गीकरण हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये हैं। 'कैम्प स्थलों के विकास' के लिए ये दिशा-निर्देश कैम्प स्थलों की स्थापना का संवर्धन करने और इसे सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रोत्साहित करते हैं।

(ङ) और (च) साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं का विकास, संवर्धन और मॉनीटरिंग मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रस्तावों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई प्राथमिक निर्धारण बैठकों में चर्चा के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले जारी की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर, सभी अनुमोदित परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं की प्रगति को आवधिक समीक्षा बैठकों और स्थल दौरों के माध्यम से जारी कार्यकलाप के रूप में मॉनीटर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.06.2011 तक) के दौरान मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साहसिक पर्यटन के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

(छ) सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन के संवर्धन के लिए और किये गये उपाय निम्निलिखित हैं:-

(1) भारत का संवर्धन करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों दोनों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन मीडिया में साहसिक कार्यकलापों सहित अतुल्य भारत अभियान चलाना।

(2) देश में साहसिक पर्यटन के विकास से संबंधित चिंता के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गृह, रक्षा, विदेश, दूर संचार जैसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय किया जाता है।

(3) पर्यटन मंत्रालय ने कारवां पार्कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में 30.06.2011 तक) के दौरान मुख्यत: साहसिक पर्यटन के लिए स्वीकृत एवं जारी की गई निधियों के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (30.06.2011 तक)			कुल,		
		परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	1	387.05	309.64	0	0	0	0	0	0	1	387.05	309.64
2.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	451.82	361.46	0	0	0	1	451.82	361.46
3.	हरियाणा	0	0	0	2	681.87	545.50	0	0	0	0	0	0	2	681.87	545.50
4.	मणिपुर	2	380.13	305.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	380.13	305.24
5.	मिजोरम	1	298.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	298.38	298.38
6.	नागालैंड	2	907.58	907.58	1	383.06	306.45	3	1719.40	1375.52	0	0	0	6	3010.04	2589.55
7.	सिक्किम	0	0	0	1	490.54	392.43	1	398.01	318.40	0	0	0	2	888.55	710.83
8.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	1	250.00	200.00	0	0	0	1	250.00	200.00
	कुल	5	1586.09	1511.20	5	1942.52	1554.02	6	2819.23	2255.38	0	0	0	16	6347.84	5320.60

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन: मैडम, मैं सबसे पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री और खासकर जो मंत्री महोदय यहां बैठे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अन्नू टण्डन: उनको रूरल सेक्टर में पर्यटन के नए-नए स्थान और मौके ढूंढने के लिए ...*(व्यवधान)* इन जगहों को प्रमोट करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती अन्नू टन्डन के प्रश्न के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन: खासकर उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आती हूं ...*(व्यवधान)* वहां पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स ...*(व्यवधान)* को यूपी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट, 2011-12 में शामिल किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अन्नू टण्डन: इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के, उन्नाव सर्किट के भी कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान शामिल हैं, जैसे कि बाल्मिकी आश्रम, शफीपुर मॉस्क, चंद्रशेखर आजाद की जन्म भूमि, राजा रावराम बख्श का स्मारक, नवाबगंज का पक्षी विहार और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गांव है। मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ने हाल में ही यूपी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट, 2011-12 को इंप्लीमेंट करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है? इस कार्यक्रम व योजना के अंतर्गत क्या राज्य सरकार को कोई धन आबंटित किया गया है?

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदया, हमने सर्किट, जानकीकुंड, शफीपुर और चंद्रशेखर आजाद बर्थ-प्लेस, बदाकर बर्ड सैंक्चुरी और नवाबगंज जगहों को लिया है। इनको रूरल टूरिज्म की पूरे स्कीम के साथ जोड़ा है। यह हमारी प्राथमिकता में है।

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सवाल ऐडवेंचर टूरिज्म से संबंधित है। जिस प्रदेश से मंत्री महोदय आते हैं उसी प्रदेश से मैं भी आता हूं यानी कि झारखंड, वहां पर ऐडवेंचर टूरिज्म, राफ्टिंग, रॉक्स क्लाइम्बिंग, सफारी, इन सब की गुंजाइश है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या झारखंड के लिए उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म की कोई विशेष योजना बनाई है? अगर कोई योजना बनाई है तो उसको विस्तार से यहां बताएं।

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि एडवेंचर टूरिज्म और खासकर वाटर स्पोर्ट्स और माउंटेनिंग से रिलेटेड संभावनाएं वहां बहुत हैं। हमने खासकर तिलैया डैम, चान्दिल डैम और इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमें प्रोजेक्ट दें और एक-दो जगहों के प्रोजेक्ट को हमने प्राइओरीटाइज भी किया है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वहां ऐडवेंचर टूरिज्म की संभावना है हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जब इसके प्रोजेक्ट आएंगे तो हम उसको प्राथमिकता में रखेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद बहुत सारे टूरिज्म प्लेस दूसरे प्रदेश उत्तरांचल में चले गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया हूं वह रूरल एरिया है। भदोही कालीन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह काशी और प्रयाग के मध्य में है। एक तरफ ऐतिहासिक नगरी काशी और दूसरे तरफ तीर्थराज प्रयाग है जिनके बीच में सीता समाहित स्थल है। पौराणिक दृष्टि से वहां सीता पृथ्वी में समाहित हुई थी, जो सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। विदेशों से हजारों पर्यटक हर महीने वहां आते हैं। उसी से जुड़ा हुआ विंध्याचल धाम है जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो लक्षागृह नाम से प्रसिद्ध है जहां वनवास के समय में पांडव निवास करते थे। काशी, प्रयाग, सीता समाहित स्थल विंध्याचल धाम और लक्षागृह को कॉरिडोर बना दिया जाए तो पर्यटन की दृष्टि से और कुटीर उद्योग की दृष्टि से, रूरल एरियाज को विकसित करने की जो व्यवस्था है उनमें यह पर्याप्त सहायक होगा। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वांचल में रूरल एरियाज के टूरिज्म को विकसित करने के लिए काशी, प्रयाग, विंध्याचल, सीता समाहित स्थल और लक्षागृह को एक कॉरिडोर बना कर, टूरिज्म प्लेस घोषित करने की वह कोई योजना बना रहे हैं? क्या इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदया, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल इलाका जिसके बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके साथ-साथ वह बुद्धिस्ट सर्किट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारनाथ से लेकर उस पूरे इलाके को बुद्धिस्ट सर्किट के पार्ट से जोड़ कर और रूरल टूरिज्म के साथ, कारपेट उद्योग का जो इलाका है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। राज्य सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं उनमें से हमने अभी बुद्धिस्ट सर्किट को लिया है लेकिन पूर्वांचल का यह रूरल टूरिज्म और वहां का जो एथनिक इण्डस्ट्रीज है उनको जोड़ कर काम किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री इज्यराज सिंह: अध्यक्ष महोदया, किसी भी क्षेत्र में पर्यटन का विकास उस क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास का बड़ा अवसर लेकर आता है। इसलिए विभिन्न उत्पादों और मॉडल का विकास, खासकर मेरे क्षेत्र चम्बल नदी क्षेत्र में जहां जलक्रीड़ा और नौका चालन की संभावना काफी है, बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चम्बल नदी के हादोती क्षेत्र में जलक्रीड़ा और नौका चालन के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। जहां कहीं जरूरत हो, वहां सुविधाओं को विकसित करने तथा कचरा और फेंके गए सामानों को एकत्रित करने और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने, पर कितना जोर दिया जा रहा है।

श्री सुबोध कांत सहाय: विशेषकर स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में तथा जैव अपघट्य शौचालय कैसे बनाएं जाएं, इसके बारे में दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये सब हमारी योजनाओं के हिस्से हैं। जहां तक इस क्षेत्र के विकास का संबंध है प्राथमिकता तय करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य की ओर से आना चाहिए क्योंकि जिस किसी योजना को हम अंतिम रूप देते हैं वह राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। वे प्राथमिकता तय करते हैं और हम उस पर कार्य करते हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आयेगा तो हम उस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, ए डायवर्सीफिकेशन इन टूरिज्म वेंचर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो मोटो है, स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग और संरचना, इसमें आपने मेगा टूरिस्ट डैस्टीनेशन के लिए 46 शहर मार्क किए हैं और डायवर्सीफिकेशन में आपका कल्चरल और हैरिटेज सेंटर भी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और मंत्री जी, आप जहां से हैं- देवघर, महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस क्षेत्र का जिक्र किया है कि देवघर में वे अपना सेंटर बनाना चाहते थे, आजादी का आंदोलन वहीं से चलाना चाहते थे। महर्षि अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में आने से पहले वहीं था। पहला बम विस्फोट देवघर में हुआ और रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर इतना बड़ा मंदिर है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने मेगा टूरिज्म डैस्टीनेशन के नाम पर जो कमेटी बनाई है, क्या देवघर में इन छ: मोटो के साथ आपने कोई मीटिंग की है या उसके विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के पास क्या संरचना है?

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदया, देवघर हम लोगों के लिए शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलीजियस स्थान है। हमने देवघर को मेगा टूरिज़्म सर्किट के तौर पर डैवलप किया है और करीब 24 करोड़ रुपये उसके लिए सैंक्शन किए है। जब पूरी चीजों की संरचना शुरू होगी, फिर हाइजीन और अतिथि देवो भव: का जो लक्ष्य है स्वागत, सम्मान, इन सब चीजों के बारे में भी बैठकर कार्य करेंगे। अभी हमने राज्य सरकार को इस दिशा में काम शुरू करने के लिए प्राथमिक तौर पर पैसा तय किया है। दुर्भाग्य यह है कि वर्ष 2006 से लेकर अभी तक के बहुत सारे प्रोजैक्ट्स वहां पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे पड़े हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि देवघर मेगा सर्किट के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, कालबद्ध योजना के तहत काम पूरा हो जाए, हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज नीति

*422. **+श्री नरहरि महतो:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 खनन क्षेत्र से संबंधित कतिपय गंभीर चिंताओं का समाधान करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुछ खनन इकाइयों में ऐसी खनन इकाइयों के आस-पास पर्यावरणीय खतरों के दृष्टिगत न्यायालयों के निदेशों पर खनन कार्यों को रोक दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खनन इकाइयों के बंद होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित गंभीर चिंताओं का समाधान किया जा रहा है:

(1) खनिज रियायतों के आबंटन में बेहतर पारदर्शिता रियायतों की प्रक्रियाओं में निर्बाधता और टेन्योर की सुरक्षा सुनिश्चित करके विनियामक तंत्र को प्रौद्योगिकी और निवेश प्राप्ति के अनुकूल बनाना।

(2) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, राज्य खनन और भूविज्ञान निदेशालय की भूमिका को और सुदृढ़ करना।

(3) सुस्थिर विकास फ्रेमवर्क (ढांचा) तैयार करना और उसे लागू करना, स्थानिक आबादी के प्रति स्टेकहोल्डरों के अधिकार और पर्यावरणीय संतुलन की बहाली के लिए उपयुक्त उपायों के साथ खनन कार्यकलाप सुनिश्चित करना।

(4) जीरो वेस्ट खनन को प्रोत्साहित करके उप-इष्टतम और अवैज्ञानिक खनन को हतोत्साहित करना और उसकी रोकथाम करना।

(5) व्यापक क्षेत्रों के गवेषणों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी आमंत्रित करने हेतु नए नियामक उपाय करना और;

(6) छोटे निक्षेपों में वैज्ञानिक और कुशल तरीके के खनन के लिए समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण विकसित करना।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कुल खानों की संख्या जहां पर्यावरणीय खतरों के कारण न्यायालय आदेश द्वारा खनन कार्य बंद कर दिया गया था और इस प्रकार कार्य बंद कर दिए जाने से प्रभावी कामगारों की संख्या निम्नलिखितनुसार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	खानों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या*
1.	मध्य प्रदेश	64	698
2.	गोवा	10	161
3.	कर्नाटक	133	10304 (अनंतिम)
4.	राजस्थान	157	600
5.	हरियाणा	87	3595 (अनंतिम)
6.	तमिलनाडु	2	16

*आंकड़े केवल मुख्य खनिज खानों में नियोजित कामगारों की संख्या दर्शाते हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 के नीति निर्देशों के अनुसार भारत के खनन सेक्टर (गैर-कोयला और गैर-ईंधन खनिज) के लिए एक सुस्थिर विकास ढांचे का मसौदा तैयार किया है ताकि खनन सेक्टर में मार्गदर्शी उपायों, स्पष्ट मापनीय परिणामों और रिपोर्टिंग एवं आश्वासनों की सहायता से ज्यादा सुस्थिर विकास को सरल बनाया जा सके। सुस्थिर विकास ढांचा मसौदा हेतु निम्नलिखित सात सिद्धान्त होंगे:-

* पट्टों पर निर्णय लेने में पर्यावरणीय और सामाजिक संवेदनशीलता को शामिल करना।
* मुख्य खनन क्षेत्रों में कार्यनीतिक आकलन करना।
* मजबूत प्रबंधन पद्धतियों के द्वारा खान स्तरीय प्रभाव पर प्रभावों का प्रबंधन करना।
* भूमि, पुनर्स्थापन और अन्य सामाजिक प्रभावों का समाधान करना।
* सामुदायिक सहभागिता, लाभों की हिस्सेदारी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अंशदान।
* खान का बंद होना एवं खान बंद होने के उपरांत व्यवस्था करना।
* आश्वासन एवं रिपोर्टिंग कार्य।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 जिसे वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है, में सुस्थिर विकास ढांचे के लिए कानूनी आधार को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

श्री नरहरि महतो: महोदया, खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार की स्वीकृत खान योजना के अनुसार पट्टे पर

किया जाता है। खनन कार्य का संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और देश के अन्य कानूनों से भी संचालित होता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों में खनन कार्य करने वाली कंपनियों को पट्टे पर खान देने के मामले में लौह अयस्क समृद्ध राज्यों द्वारा कोई आपत्ति की गई है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदया: आपने कितने प्रश्न पूछ लिये हैं?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: मैडम, माननीय सदस्य द्वारा बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे जो खनन पट्टे दिए जाते हैं, वे पूरी तरह चौकसी के बाद ही दिए जाते हैं। कुछ केस में पहले दो परमिट दिए जाते हैं - आरपी, फिर पीएल यानी पुनरक्षण लाइसेंस दिया जाता है, फिर खनन पट्टा दिया जाता है। मगर पर्यावरण मंजूरी की भी इतनी ही जरूरत है और वन विभाग की मंजूरी की भी इतनी ही जरूरत है। उस वजह से तय किया जाता है कि उन्हें खनन का पट्टा दिया जाये या नहीं दिया जाये। मगर बहुत सी दिक्कतों के बाद मैंने यह विवरण भी दिया है कि बहुत से स्टेट्स में बहुत सी जगहों में न्यायालयों के जरिए काफी खानों को प्रभावित और बंद भी किया गया है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु आदि में जो खानें हैं, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर बंद किया गया है। मैं मानता हूं कि इसमें पर्यावरण को बचाने की भी जरूरत है और साथ-साथ वन्य जीव प्राणियों को भी बचाने की भी जरूरत है। वन्य जीव प्राणियों के साथ-साथ अन्य जीवों के जीवन को भी जोड़ा गया है जोकि जीने के अधिकार के साथ जोड़ा गया है। इसलिए में सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि जिन खानों में अवैध खनन से जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उन्हें कम करने में हमें माननीय सांसदों का सहयोग मिलेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दिनशा पटेल: मैं मानता हूं कि भारत की जीडीपी में खनन क्षेत्र का कुल योगदान 2.62 परसेंट है जिसमें धात्विक खनिजों का लगभग 0.50 प्रतिशत है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर वर्ष 2011 के लिए खनिज क्षेत्र की विकास दर 7.43 प्रतिशत है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनन उद्योग को बढ़ावा देते हुए हमें पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखना है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें पट्टाधारकों द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गयी स्वीकृति की शर्तों का पालन करने के लिए अधिक ध्यान दें, ताकि खनन की शर्तों के उल्लंघन के क्रम में माननीय न्यायालयों के आदेश द्वारा बंद हो जायें। इसीलिए मैं माननीय सदस्य को यही कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस बारे में अपनी ओर से पूरा सोचती है। हम राज्यों के साथ सैक्रेट्री लैवल पर मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा अवैध खनन कम हो और ज्यादा से ज्यादा खानें चलती रहें और देश के विकास में खान विभाग का जो सहयोग है, वह चलता रहे, ऐसी कोशिश केन्द्र सरकार हर राज्य के साथ बैठकर कर रही है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को आंकड़े चाहिए कि कितनी खानें बंद हुई हैं और किस कारण हुई हैं, उस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 64 खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 698 है। गोवा में 10 खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 161 है। कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में 93 खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 8186 है। साथ ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 18 खानें बंद हुई हैं और कर्नाटक के तुमकुर जिले में 21 खानें बंद हुई हैं। कर्नाटक में ऐसी कुल 132 खानें बंद हुई हैं। और कर्नाटक में एक कुद्रेमुख अयस्क खान में करीब 2118 करीगर प्रभावित हुए हैं राजस्थान में 157 खानें, जिनमें 52 प्रमुख और 105 गौण खनिज की खानें बंद हुई हैं। 600 कारीगर प्रमुख खानों में इफैक्ट हुए हैं। हरियाणा में 87 खानों में 3595 कारीगरों को इफैक्ट हुआ है। तमिलनाडु में 2 खानें बंद हुई हैं और 16 लोग प्रभावित हुए हैं। मगर वह न्यायालय और पर्यावरण विभाग की सूचना की वजह से हुआ है। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। . ..*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। मैं मानता हूं कि जो खानें कर्नाटक में बंद हुई हैं, उनके लिए उच्च न्यायालय ने वन विभाग और पर्यावरण विभाग की कमेटी बनायी है। वह कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट को देखकर फिर उसमें क्या कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा हमारी भावी पीढ़ी के लिए खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार लौह अयस्क के निर्यात को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: मैंने वही बताया है कि न्यायालयों के आदेश के कारण खान बन्दी मामलों में मंत्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं। अधिकांश मामले पर्यावरण संबंधित हैं, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय न्यायालय मामलों में प्रतिवादी है क्योंकि प्रतिवादी सीधा खनन विभाग नहीं होता है, तथापि बेल्लारी में लौह अयस्क खानों की बन्दी के मामले में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार देश में अपेक्षित लौह अयस्क से संबंधित सूचनाएं दी जिनमें विकास ढांचे से संबंधित सूचनाएं भी शामिल की गयी हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि तीन मास में वन विभाग और पर्यावरण विभाग ने जो कमेटी बनाई गयी है, वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के बाद आगे जो कार्यवाही करनी होगी, की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया: श्री नृपेन्द्र नाथ राय - उपस्थित नहीं।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, हम सभी को जानकारी है कि मिनरल एक फिनिट चीज है और नॉन-रिन्यूएबल भी है। हमारी जितनी छोटी बड़ी और मझली इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इसका इस्तेमाल एक रॉ मैटेरियल के रूप में होता है। हिन्दुस्तान में 87 किस्म के मिनरल्स मिलते हैं। मैं थोड़ा हटकर आपको सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे बगल वाला देश अफगानिस्तान है जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं और जिस अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए हम काफी मदद भी दे रहे हैं अभी हमें यह देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान में चीनी कंपनियां आकर एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री बना रही हैं। हमारे देश में भी ओएनजीसी-विदेश जैसी कंपनियां हैं जो बाहर जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो क्यों नहीं हम अफगानिस्तान जैसे देश, जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जाकर मिनरल्स एक्ट्रैक्शन की कोई कोशिश करें? इस दिशा में क्या आप कुछ सोच रहे हैं? चूंकि आज मिनरल पॉलिसी से संबंधित प्रश्न आया है, इसलिए मैं यहां मालूमात लेना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आपकी मिनिस्ट्री रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करती है? रिसर्च एक बड़ा मुद्दा है। रिसर्च पर हम क्या धनराशि खर्च करते हैं?

श्री दिनशा पटेल: महोदया, अफगानिस्तान के लौह भण्डारों को लेने के लिए भारत प्रयत्न कर रहा है। जो लौह अयस्क की बात है, जो निर्यात का निर्णय है, वह निर्णय वाणिज्य विभाग के जरिए किया जाता है और खनिजों के साथ माइनिंग का पार्ट है। अधिनियम में हम इसको अधिक सरल रखने का सोचेंगे। आपका जो सुझाव है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उमाशंकर सिंह जी, इधर सामने देखिए। उनको उठा दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार: महोदया, झारखंड में धनबाद के नजदीक कुछ ऐसी कोयला खानें हैं जहां जमीन पर ऊपर ही वे इतनी ज्यादा गर्म हो गयी हैं कि वहां जो बसावट है, अधिकांश लोग वहां दूसरे स्थानों पर जाकर सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ परिवार वहां पर बड़ी संख्या में रह रहे हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, मकानों की दीवारें फट रही हैं और जमीन गर्म हो रही है। उस क्षेत्र में ऐसी कितनी खदानें हैं जहां पर पर्यावरण के कारण इस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं और जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में जनजीवन प्रभावित हो रहा है? ऐसे क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? दूसरे आपने जो सत्तर दिया कि खानों के बंद होने से श्रमिक प्रभावित हुए हैं, तो जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं, क्या उनको दूसरी खानों में लगाए जाने की कोई योजना है?

श्री दिनशा पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो प्रश्न पूछा गया है, उसका इस विभाग से सम्बन्ध न होकर कोयला विभाग से सम्बन्ध हैं, मगर मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एमएमडीआर एक्ट में 1957 संशोधन कर अब 2011 में जो नया अधिनियम आएगा, तब ही इस तरह से जो प्रभावी लोग हैं, उनके बारे में सोचा जाएगा। इस बारे में सोच चल रही है।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, अभी देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी बहस हुई। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। एक प्रकार से यह इलाका भ्रष्टाचार की खान है, खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। कानून में इतनी बाधाएं हैं, उसे इतना काम्प्लीकेटेड बनाया हुआ है कि उसका पालन ठीक से नहीं हो पाता है। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, जबलपुर, वहां सिहोरा, कटनी आदि क्षेत्र खनिजों से भरे हुए हैं। लेकिन उस इलाके में इतनी लूट मची हुई है। उस इलाके में मार्बल भी है और लोहा भी है। यह भी ठीक है कि यह राज्य का विषय है। भविष्य में और आने वाली पीढ़ी के लिए भी देश की हजारों-लाखों साल की जो सम्पदा, दौलत हमें मिली है, उसकी रक्षा करने के लिए काफी विसंगतियां हैं, क्योंकि आपके पास तो खान मंत्रालय ही है, जबकि यह कोयला मंत्रालय से भी सम्बन्धित बात है। इसलिए सरकार और सदन को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे आइरन ओर जो बाहर जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, रेत को निकाला जा रहा है और नदियों की धारा को बदला जा रहा है, उस पर रोक लगे। इस मुद्दे से सम्बन्धित कई विभाग हैं, जिनमें आपस में समन्वय न होने के कारण देश की खनिज सम्पदा को लुटेरे लूट रहे हैं। मेरा मंत्री जी से पूछना है कि क्या इसके लिए सरकार एक समग्र कानून बनाने की पहल करेगी या नहीं?

श्री दिनशा पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन कई राज्यों में हो रहा है। उसे रोकने में राज्य सरकारों की भी सहमति और सहयोग चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि यहां बैठे हुए तमाम सांसदों का सहयोग भी चाहिए हम सभी मिलकर काम कर सकें, तो मैं मानता हूं कि आपका जो आशय है, वह पूरा हो सकता है। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकरों का सहयोग बहुत जरूरी है। खानों को लीज पर देने की पावर भी राज्य सरकारों के पास है उसे सम्भालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसके अलावा रायल्टी भी राज्य सरकारों को मिलती है। इस तरह से उसे सम्भालना और अवैध खनन को रोकना, इस प्रकार की सारी पावर्स राज्य सरकरों को दी गई हैं। माननीय सदस्य ने जो अवैध खनन को नियंत्रित करने की बात कही है, तो राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम का धारा 23 (ग) के अनुसार नियम बनाने के लिए कहा गया है कि यह नियम जल्दी बनाया जाए। वर्ष 2005 से राज्य सरकारों से अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यालय गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को नियमित सलाह भी दी गई है। रेलवे, कस्टम और पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय करने हेतु समन्वय एवम् अधिकार प्राप्त समिति गठित करना भी कहा गया है। खनन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आदर्श खनन नीति के आधार पर राज्य खनन नीति तैयार करना और अवैध खनन की गुंजाइश को कम करने के लिए अधिकार प्रदान करने हुतु पारदर्शी नीतियां बनाने के सम्बन्ध में भी कहा गया है। खान मंत्रालय ने विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा खनन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकरों के साथ 3.8.2009, 27.11.2009, 22.2.2010 और 16.4.2010 को चार बैठकें की हैं। अंतिम समीक्षा बैठक भी 21.9.2010 को की गयी। इसके पश्चात समीक्षा बैठक केन्द्रीय समन्वय तथा अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के भाग के रूप में भी की गयी है। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांजिट पास जारी करने के ऑटोमेशन में, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि रॉयल्टी संग्रहण और ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करने के लिए प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, उसी आधार पर करें, जिस आधार पर गुजरात महत्ता वाली फर्टिलाइजर कंपनी ने एनकोड समाधान द्वारा ऑन-लाइन रॉयल्टी पास-प्रणाली कार्यान्वित की गयी है। एनकोड प्रणाली का उद्देश्य पट्टा-कार्य-कलापों की निगरानी हेतु इंटरनेट के उपयोग से स्वत: समाधान, रायल्टी के भुगतान के लिए कुशल प्रक्रिया, 24x7 आधार पर पारदर्शी ढंग से यूनिट रॉयल्टी परमिट जारी किया जाना, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क को कम करना, केन्द्रीयकृत टाटा संग्रह और राज्य में उत्पादित तथा लाए गये खनिजों के ऑन-लाइन लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार की प्रणाली से निश्चित रूप से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और राज्य को अपनी खनिज नीतियों को ज्यादा सशक्त बनाने का मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैंने क्या पूछा है और क्या बताया जा रहा है। आप हमें प्रोटैक्ट नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? मैंने पूछा है कि भारत की सारी जो खनिज सम्पदा है उसके लिए क्या योजनाएं हैं और सरकार उसके लिए क्या पहल कर रही है? कोई पहल करके कोई नया कानून लाइये, यह मैंने पूछा है। इस पर सारा सदन आपके साथ है। यह हमें बताइये।

श्री दिनशा पटेल: मैंने माननीय सदस्य को वही अपील की है कि राज्य सरकारों के साथ बैठकर जो नया एमएमडीआर एक्ट 2011 बन रहा है, उसमें राज्य सरकरों के साथ बैठकर इसे कैसे रोका जाए, इस पर पूरी कोशिश की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 423

श्री रामकिशुन - अनुपस्थित।

श्री हरीश चौधरी

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए धनराशि

***423. श्री हरीश चौधरी:**[+]
श्री रामकिशुन:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने प्रदत्त धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया है;

[+]चूंकि श्री रामकिशुन उपस्थित नहीं थे, अत: माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्री हरीश चौधरी को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न अध्यक्ष ऊर्जा स्रोतों से विद्युत परियोजनाओं को अधिकांशत: निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश के साथ संस्थापित किया जा रहा है जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते है। परियोजना विकासकर्ताओं को पात्र केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी का वितरण सीधे तौर पर अथवा नामित राज्य नोडल एजेंसियों/विभागों के माध्यम से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (दिनांक 31.07.2011) की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निधियों का उपयोग किया जाना एक गतिशील प्रक्रिया है। पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विकासकर्ताओं को ये निधियां ज्यादातर परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही जारी की जाती हैं। कुछ निधियों को राज्य नोडल एजेंसियों को/के माध्यम से किश्तों में जारी किया जाता है जो परियोजनाओं की प्रगति से जुड़ी होती हैं जिनमें बाद की निधियों को तभी जारी किया जाता है जब पहले जारी की गई निधियों का उपयोग कर लिया जाता है। मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने तथा निधियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक रूप से बैठकें की जाती हैं।

(घ) से (च) जी हां। सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को संस्थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे-पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क;

* त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं प्राप्त करने वाले स्वतंत्र विद्युत विनिर्माताओं द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पवन विद्युत और सौर विद्युत के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।

* विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी राज्यों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं;

* राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 और राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति 2006 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसरण में सर्वाधिक संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर, ऐसी अधिमान्य शुल्क-दरों के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा प्रत्येक वर्ष एक समान दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

* सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को समर्थ बनाने के लिए जनवरी, 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई, मिशन के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र।

इनके परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में लगभग 20,800 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता (14,723 मेगावाट पवन विद्युत, 3133 मेगावाट लघु पनबिजली, 2898 मेगावाट बायोमास विद्युत और 46 मेगावाट सौर विद्युत) की संस्थापना की गई है जिसमें से उत्तर प्रदेश में 638 मेगावाट (25 मेगावाट लघु पनबिजली, 608 मेगावाट बायोमास विद्युत, 5 मेगावाट अपशिष्ट-से-विद्युत तथा 0.4 मेगावाट सौर विद्युत) क्षमता की संस्थापना की गई है जिनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र में हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और 2011-12 (दिनांक 31.07.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3.88	1.91	9.02	2.07	16.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.47	51.39	65.70	10.00	146.56
3.	असम	–	3.60			3.60
4.	बिहार	1.19	2.56	4.87	1.23	9.85
5.	छत्तीसगढ़		1.50			1.50
6.	गोवा					
7.	गुजरात					
8.	हरियाणा		0.77	2.00	1.15	3.92
9.	हिमाचल प्रदेश	28.59	4.51	11.87	0.43	45.50
10.	जम्मू एवं कश्मीर		0.58	0.06	8.72	9.36
11.	झारखंड			0.11		0.11
12.	कर्नाटक	13.32	7.93	15.19	5.70	42.14
13.	केरल	0.53	2.73	8.19	3.52	14.97
14.	मध्य प्रदेश	0.42				0.42
15.	महाराष्ट्र	8.01	19.91	33.37	12.09	73.38
16.	मणिपुर	0.28				0.28
17.	मेघालय	0.80	1.35			2.15
19.	नागालैंड	2020		0.41	1.20	3.81
20.	ओडिशा					
21.	पंजाब	4.35	1.41	3.13	4.45	13.34

1	2	3	4	5	6	7
22.	राजस्थान		1.85			1.85
23.	सिक्किम	2.18	2.32	3.00		7.50
24.	तमिलनाडु		3.10	4.41	1.52	9.02
25.	त्रिपुरा					
26.	उत्तर प्रदेश			0.43		
27.	उत्तराखंड		10.08	5.15	1.57	16.80
28.	पश्चिम बंगाल		0.66	0.50		1.16
29.	अंडमान एवं निकोबार					
30.	चंडीगढ़		7.70	7.21	5.50	20.41
31.	दादरा एवं नगर हवेली					
32.	दमन एवं दीव					
33.	दिल्ली		1.61	13.08	16.00	30.69
34.	लक्षद्वीप					
35.	पुडुचेरी					
36.	अन्य *		15.71	47.43	28.02	91.16
	कुल	85.99	144.89	236.03	103.17	570.08

*इरेडा को देश में विभिन्न गिड विद्युत परियोजनाओं के लिए जारी ब्याज सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रिन्यूवल एनर्जी के लिए आप सेंट्रल फानेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उसके अंदर यह प्रावधान रखा गया है और एक स्टडी ने बताया है कि आबादी के दो किलोमीटर के दायरे के अंदर विंड-मिल्स नहीं लग रही है। क्या इस चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इसके अलावा भी ओरंग-गोचर के इलाके हैं उसमें भी ऐसी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में, टूरिज्म के बारे में बात हो रही थी, जैसलमेर से सटे इलाके में जहां आज के समय में सबसे ज्यादा टूरिज्म हो रहा है, उस इलाके के अंदर भी ये विंड-मिल्स लगनी है। तो क्या ऐसे प्रावधान हैं कि सेंट्रल फाइनेंस देते समय, ऐसी जमीनों के ऊपर ऐसी विंड-मिल्स न लगें?

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: मैडम, जहां तक विंड-मिल्स का सवाल है, मैं माननीय सांसद से कहना चाहता हूं कि विंड-मिल्स का एक एटलस बनाया गया है, सी-वैट और डेनमार्क के दरम्यान, उसमें जहां-जहां भी बेहतरीन इलाके विंड के लिए हैं, वहां पर विंड-मिल्स लगाई जाएंगी। जहां तक जैसलमेर का सवाल है, मैं खुद वहां गया था, वहां जो नयी मशीनें आई हैं, जो दो मेगावाट पैदा करती हैं, उन्हें वहां लगाया गया है। मुझे लोगों ने कहा कि

कई हमारे सेंड-ड्यूल्स हैं उन्हें खतरा पहुंचता है। मैंने कहा कि वहां इतनी सेंड का इलाका है कि कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो बिजली पैदा होगी, वह उन्हें भी फायदा देगी और मुल्क के लिए एक बेहतरीन चीज होगी। हमारी कोशिश है कि विंड-मिल्स हर जगह लगें, लेकिन जहां पर अनाज पैदा होता है उस जमीन पर असर न डालें। इस बात की तरफ हमारी तवज्जोह है और इनके सामने अगर कोई ऐसी जगह है, जहां ये चाहते हैं कि हम विंड-मिल्स लगाएं, तो मेरा मंत्रालय इनके सामने स्टडी करके उसे रखेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी और सम्मिलित नहीं किया जाएगा

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी कृपया उनके प्रश्न का उत्तर दें।

...(व्यवधान)

डॉ. फारुख अब्दुला: मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपके प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से भाग नहीं रहा हूं।

हम यहां पर किसी भी स्थिति में पर्यटन क्षेत्र का विनाश करने के लिए नहीं हैं। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए हमें बिजली का उत्पादन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मांग अभी बढ़ती जा रही है। हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं। हम इस पुन: प्रयोज्य स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन भी करना चाहते हैं आप देख चुके हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण उत्पादित होने वाले अन्य प्रकार की ऊर्जाओं से प्रभावित हो रहा है। इसलिए पुन: प्रयोज्य ऊर्जा को प्रोत्साहन मिला है मैं विश्वस्तरीय तौर पर इस सभा को यह बता सकता हूं कि हमें यह ऊर्जा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा से जुड़ा एक बहुत अच्छा फार्म है जो पर्यटन के लिए भी आकर्षण का केन्द्र बना गया है।

इस प्रकार, हालांकि वे ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, बावजूद उसके लोग इस प्रकार की चीजें भी चाहते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदया, सौर ऊर्जा से देश को बहुत उम्मीद है। देश में ऊर्जा का बहुत संकट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसदों की कोठी पर और मंत्री जी के निवास स्थान पर सौर ऊर्जा का पूरा सैट लगा है, लेकिन इससे एक गिलास पानी भी गर्म नहीं होता है। कई बार ऐसी अजब-गजब तरीके से आवाज करता है तो लगता है कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है।

इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पंचायतों में सौर ऊर्जा की नकली प्लेट बिक रही हैं और बहुत कालाबाजारी हो रही है। ऐसी-ऐसी कम्पनियां हैं, जो नकली प्लेट देती हैं पंचायतों में भी एक गिलास पानी गर्म नहीं होता है।

मेरा आपके जरिए मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या इसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है? *...(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): عزت مآب اسپیکر صاحب، شمسی توانائی سے ملک کو بہت امید ہے۔ ملک میں توانائی کی بہت کمی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سانسدوں کی کوٹھی پر اور منتری جی کی رہائش گاہ پر شمسی توانائی کا پورا سیٹ لگا ہے، لیکن اس سے ایک گلاس پانی بھی گرم نہیں ہوتا ہے۔ کئی بار ایسی عجیب و غریب طرح کی آواز آتی ہے کہ لگتا ہے کہ اوپر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔

اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پنچایتوں میں شمسی توانائی کی نقلی پلیٹ بک رہی ہیں اور بہت کالا بازاری ہو رہی ہے۔ ایسی ایسی کمپنیاں ہیں، جو نقلی پلیٹ دیتی ہیں اور پنچایتوں میں بھی ایک گلاس پانی بھی گرم نہیں ہوتا۔

میرا آپ کے ذریعہ منتری جی سے گزارش ہے کہ کیا اس کی کوالٹی پر دھیان دیا جائے گا۔ (مداخلت)---

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: अध्यक्ष महोदया, मेरे आगे एक सदस्य बैठे हैं उन्हें भी गर्म पानी प्राप्त हो जाता है। मुझे मेरे घर में भी उसी संयंत्र से गर्म पानी प्राप्त हो रहा है *...(व्यवधान)* किसी भी सदस्य को अगर यह शिकायत है कि उनके यहां पानी गर्म नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गए हैं। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: अगर मेरा उत्तर आपको संतुष्ट नहीं करता है, तो आप उठ जाइए।

अध्यक्ष महोदया: कैसे उठ जाइए?

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: महोदया, सवाल इस बात का है कि जहां इस प्रकार की शिकायत है कि सौर ऊर्जा से पानी गर्म नहीं होता है, आप मुझे मेहरबानी करके लिखें।

[अनुवाद]

मैं इसकी सीपीडब्ल्यूडी से जांच कराऊंगा।

[हिन्दी]

मेरी मिनिस्टरी इसे नहीं लगाती है।

[अनुवाद]

यह सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। वही लोग ये संयंत्र लगाते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उनका प्रबंधन करता है। ...*(व्यवधान)* इसका प्रबंधन करना उनका काम है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: यह फिजूलखर्ची है यह पिछले दो सालों से कार्य नहीं कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बालूजी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: कार्य मेरे मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है के.लो.स.स. यह कार्य किया है। लेकिन हम इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* मैं हर माननीय सदस्य के संयंत्र की अपने मंत्रालय से जांच कराऊंगा। मैं यह देखूंगा कि यह कार्य हो।

[हिन्दी]

आपने जो कहा है कि पंचायतों में ऐसा माल दिया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि यह स्टेट्स की रिस्पोन्सिबिलिटी है। ...*(व्यवधान)* यहां सीपीडब्ल्यूडी है, राज्यों में पीडब्ल्यूडी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, कृपया यह चर्चा न करें। हम इस तरह की चर्चा में न उलझें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: मैंने किसी को रोका नहीं है। आप मुझे लिखें कि आपके घर में यह शिकायत है। ...*(व्यवधान)* मुझे कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री जयंत चौधरी: महोदया, उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। पीक डिमांड में तकरीबन आठ हजार मेगावाट की शार्टफाल होती है। जहां देश में हर साल बिजली की औसत खपत 672 यूनिट है, हमारे यहां 340 यूनिट है। यह स्थिति तब है, जबकि करोड़ों घर तो विद्युत व्यवस्था से जोड़े भी नहीं गए हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि छोटे मिनी ग्रिड को और वैकल्पिक ऊर्जा को हमें बहुत महत्व देना होगा।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सौर्य मिशन में उत्तर प्रदेश में पहले फेज की बिडिंग में मात्र पांच मेगावाट का बिड मिला। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां इतने सम्भावनाएं हैं, सोलर इन्सुलेशन लेवल्स हाई हैं, वहां निवेश नहीं हो रहा है। आप जो इन्सेन्टिव स्कीम बनाएंगे?

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: महोदया, मैं इस बात का उत्तर जरूर दूंगा। जब यह स्कीम आई, हम लोगों ने इसे पूरा एडवरटाइज किया। उसके बाद हमने लोगों को कहा, क्योंकि

[अनुवाद]

इसकी देख-भाल पूरी तरह निजी तौर पर की जाती है। हम केवल सुगमकर्ता हैं।

[हिन्दी]

हम लोगों ने इसकी बिडिंग कर दी। जितनी डिमांड स्टेट्स की तरफ से आई, हमने पूरी की। हमने 100 मेगावाट रखा था इंडिविजुअली एक या दो मेगावाट का। जिन राज्यों ने हमें भेजा, उन लोगों को मिल गया। अगर इसमें इनकी स्टेट पीछे रह गई, तो मेरा कसूर नहीं है। अगर राज्य की तरफ यह चीज आ गई होती, तो हम रोकते नहीं। आज भी हमारे पास आपके राज्य के छह यूनिट्स सोलर एनर्जी के ऐसे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जो तैयार हो रहे हैं। उसमें मेरा कसूर नहीं है, राज्य जितने प्रोजेक्ट्स भेजेगा, उतनी हम दे देंगे। आपके राज्य को तीन साल में सबसे ज्यादा रकम 114 करोड़ रुपए रिन्यूवल एनर्जी के लिए दिए गए हैं।

श्री जसवंत सिंह: महोदया, मैं तब सवाल पूछना चाहता था, जब जैसलमेर से सिलसिला शुरू हुआ था। वहां मेरा कुछ पैरोक्यिअल इन्टरेस्ट लगता है, इसलिए संकोच से पूछ रहा हूं। जैसलमेर मेरा घर है। जैसलमेर की बात होते-होते मंत्री जी गर्म हो गए।...*(व्यवधान)* हम तो आपको नरम करने के लिए अर्ज कर रहे हैं।

मैं आपसे बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर में हवा की चक्कियां लगा कर, जैसलमेर का जो असली रूप है, वह आपने बरबादी के रास्ते पर डाल दिया है। मैं तहेदिल आपसे अर्ज करूंगा कि आप इसे गम्भीरता से लें। जगह-जगह पर मकड़ी के हाथ की तरह ये दानव खड़े हो गाए हैं। हमें ये जैसलमेर में नहीं चाहिए। जैसलमेर वैसे ही अपने आप में जिले के रूप में एनर्जी सरप्लस हो गया है। रामपुर का जो प्लांट है और जो पहले लगे प्लांट हैं, उनकी गिनती कर लें, तो जैसलमेर एनर्जी को एक्सपोर्ट का रहा है। आप मेहरबानी करके वहां और मकड़ियां खड़ी न करें।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: मैं इसकी तरफ नजर रखूंगा कि आप जैसा फरमाते हैं कि हवा चक्कियों ने आपके इलाके को बरबाद किया है। मैं स्वयं वहां देखने के लिए गया था। मैं कोशिश करूंगा कि इलाके में ये और न लगें।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदया, कृषि क्षेत्र हमारे देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं।

जहां तक कृषि पंप सेटों के लिए विद्युत आपूर्ति का प्रश्न है, वास्तव में तमिलनाडु राज्य सरकार, पंजाब राज्य सरकार और अन्य राज्य सरकारें इसे निःशुल्क बनाने के लिए आगे आई हैं। उन्होंने इसे निःशुल्क बनाया है

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: किस तरह?

श्री टी. आर. बालू: कृषि क्षेत्र को पंपसेट हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के संबंध में मैं अपने जिन माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार पवन ऊर्जा जैसी पुनः प्रयोज्य ऊर्जा पाने के लिए धनराशि प्रदान करेगी ताकि कम से कम छोटे मोटे किसान 3 और 5 अश्व शक्ति वाले मोटरों आदि का लाभ उठा सकें।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री टी.आर. बालू: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार कम से कम अंतिम बजट में इसे वित्तपोषित करेगी।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: निःसन्देह यह एक वही चीज है। अधिकतम डीजल अब इन पम्प सेटों के लिए भी, भू-जल को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहले एक स्कीम थी, जिसमें शत-प्रतिशत इन पम्पों के लिए दिया जाता था। तत्पश्चात यह कम होकर 30 प्रतिशत रह गया। अब हम अनुरोध कर रहे हैं कि 12वीं योजना में अधिक धनराशि दी जाए ताकि जहां कहीं भी संभव हो, अधिक बिजली पैदा की जा सके। आजकल हम लोग उस जल को निकालने के लिए बिजली पैदा करने हेतु सौर उर्जा पर भी कार्य कर रहे हैं। हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि और अनुदान दिए जाएं ताकि राज्यों को न तो अपनी बिजली का और न ही डीजल का इस्तेमाल करना पड़े, और हम महसूस करते हैं कि और ऊर्जा पवन ऊर्जा और कई स्थानों पर इन वाटर पम्पों को बायोमास ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है।

हमे विश्वास है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे लिए उदार होगी ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक कार्य कर सकेंगे।

श्री पी.सी. चाको: महोदया, परम्परिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं। इसलिए गैर-पारम्परिक क्षेत्र को गति दिए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताए गए कदम सराहनीय हैं। पंप पवन उर्जा और सौर उर्जा दो संभावना वाले क्षेत्र हैं। पवन उर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी है जिसे इस प्रश्न में भी स्पष्ट किया गया है।

पवन टरबाईन और सौर उर्जा पैनलों को संस्थापित करने के लिए भी भारत सरकार, गैर-पारम्परिक उर्जा मंत्रालय द्वारा एक निवेश राजसहायता दी जा रही थी। परंतु अब बाद में पिछले दो वर्षों में पवन टरबाईनों के लिए भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा दी जा रही निवेश राजसहायता बंद कर दी गयी है। माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा तैयार पवन उर्जा मानचित्र पर विचार करने से पता चलता है कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। निजी क्षेत्र भी निवेश करने के लिए तैयार है। इसलिए, निवेश राजसहायता जो परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत है, विभाग द्वारा दिया जाता था। यह एक ऐसी चीज थी, जिसमें निजी क्षेत्र को इस फील्ड में आने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिल रहा था। इस निवेश राजसहायता को बंद करने का कोई कारण नहीं है।

इसलिए क्या मंत्रीजी इस सदन को आह्वान करेंगे कि पवन उर्जा क्षेत्र में गैर-पारम्परिक उर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना जारी रखने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाली पवन चक्कियों के लिए निवेश राजसहायता जारी रहेगी।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: महोदया, जहां तक पवन उर्जा क्षेत्र का संबंध है, 11वीं योजना में मूल्य ह्रास की राशि दी जा रही थी। तत्पश्चात हम उर्जा सृजन पर आधारित प्रोत्साहन देने लगे, कि जितनी बिजली आप बनाओगे उतना प्रोत्साहन दिया जाएगा। पवन उर्जा चक्की से जुड़े लोगों चूंकि यह एक निजी उद्योग है, जो लोगों का यह मत था 11वीं योजना के अंत तक मूल्यह्रास आधारित प्रोत्साहन जारी रखना चाहिए और तत्पश्चात् वे लोग विद्युत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन लेना चाहते थे जिसका वे लाभ उठा सकें परंतु बाद में अब वे यह कह रहे हैं कि उन्हें दोनों मिलने चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। 12वीं योजना से हम उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दे रहे हैं। परंतु 11वीं योजना में हम मूल्यह्रास आधारित प्रोत्साहन जारी रखे हुए हैं जो हम दे रहे हैं। हम आशावान हैं। मैं माननीय सदस्य के सुझाव के संबंध में मंत्रालय से बात करूंगा कि हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। . ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न 424-श्री सुरेश अंगड़ी।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन: महोदया, मूल प्रश्न मेरे नाम से था। लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। मैं क्षमा चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः यह प्रश्न हो गया है।

...(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए। हम अगले प्रश्न पर चर्चा शुरू कर चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

***424. +श्री सुरेश अंगड़ीः**
श्री रामसिंह राठवाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में विशेषकर पिछड़े/दुर्गम/जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या/चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी उपाय किए हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(घ) क्या झारखंड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र सहित देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण जनसंख्या विशेषतया कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया था। इसके अलावा पिछड़ी/जनजातीय/अगम्य क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या/मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. ध्यान फोकस किए जाने के लिए 264 पिछड़े जिलों की पहचान कर ली गई है। राज्यों को इन जिलों को और अधिक धन प्रदान करने के लिए सलाह दी गई है।

2. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिए कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों में प्रसव के लिए सरकारी संस्थानों में पहुंचने वाली महिलाओं को और अधिक नकद प्रोत्साहन मुहैया कराए जाते हैं।

3. कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं को ठहराने के लिए जन्म प्रतीक्षा गृहों की सुविधा उपलब्ध कराई है।

4. असेवित/अल्प सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं मुहैया करवाने के लिए 462 जिलों को 1,787 मोबाइल मेडिकल यूनिटों से सज्जित किया गया है।

5. राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अनुमोदित अनुसार प्राप्त पिछड़े अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को आर्थिक और गैर-आर्थिक लाभ प्रोत्साहन के रूप में मुहैया कराए जाते हैं।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के नव निर्माण/उन्नयन के जरिये हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया गया है।

7. राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों में वृद्धि की गई है।

8. समुदाय और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के बीच अंतर को दूर करने और स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए 8.05 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की नियुक्ति की गई है।

9. 4.83 लाख ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियों और 33,149 रोगी कल्याण समितियों का गठन कर स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया है।

10. इन जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन पर निगरानी करने और जिला अधिकारियों को मदद तथा सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त निगरानी टीमों का गठन किया गया है। इनमें मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र के अधिकारी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विगत वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निधि के आबंटन सहित निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न अनुबंध-1 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में योजनाओं/कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। अत्यावश्यक स्वास्थ्य संकेतकों यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और संस्थागत प्रसवों में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई द्वारा 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 187 जिलों में किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समवर्ती मूल्यांकन से यह मालूम हुआ है कि मरीजों के संतुष्टि स्तर और अंतरंग रोगी और बहिरंग रोगियों के मामलों में पर्याप्त सुधार हुआ है। झारखण्ड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित महत्वपूर्ण संकेतकों का राज्यवार आंकड़ा संलग्न अनुबंध -2 में दिया गया है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परिणामों में और सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में निम्नलिखित नई पहलें शुरू की गई हैं:-

* सरकारी संस्थानों में सामान्य प्रसवों और सीजेरियन आपरेशनों और बीमार नवजात शिशुओं (जन्म के बाद 30 दिन तक) सहित गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और नकद रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** प्रारंभ किया गया है।
* आशाओं के जरिए **गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या** और उन्हें कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहनों की अदायगी।
* सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पंजीकरण और महिलाओं के प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर जांच पर निगरानी रखने और बच्चों के लिए रोग-प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए **नाम आधारित माता तथा बाल ट्रैकिंग** प्रणाली।
* आशा द्वारा घर पर गर्भवती को कंडोम और ओरल पिल्स की सुपुर्दगी।

अनुबंध I

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए निधियों का राज्यवार विवरण और उनकी निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-2011		2011-12	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.71	12.56	16.82	8.23	20.28	15.84	22.64	3.09
2.	आन्ध्र प्रदेश	663.37	638.73	717.30	708.32	816.11	810.23	931.81	242.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	36.51	51.14	57.32	66.67	73.76	56.02	20.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	असम	638.94	606.89	906.72	813.93	894.01	736.45	851.35	304.63
5.	बिहार	777.70	821.18	860.29	649.71	977.40	1035.18	1122.10	226.67
6.	चंडीगढ़	8.04	5.31	9.86	7.59	11.20	6.91	11.72	0.61
7.	छत्तीसगढ़	259.35	249.72	292.01	261.65	345.76	327.24	392.54	111.17
8.	दादरा और नगर हवेली	3.45	3.28	4.27	3.27	4.77	6.30	5.92	0.99
9.	दमन और दीव	3.07	2.60	3.51	2.33	3.92	3.06	4.98	0.50
10.	दिल्ली	100.37	99.62	121.25	83.03	136.74	108.48	145.27	8.10
11.	गोवा	13.52	14.09	12.90	12.43	16.68	17.21	20.47	5.84
12.	गुजरात	414.07	342.81	464.90	500.55	528.69	556.79	600.61	164.86
13.	हरियाणा	166.20	165.02	179.72	206.17	203.94	219.69	233.52	62.27
14.	हिमाचल प्रदेश	77.74	64.21	97.07	115.41	110.68	113.22	123.89	31.21
15.	जम्मू और कश्मीर	102.24	76.48	134.94	130.34	153.87	173.80	175.54	47.69
16.	झारखण्ड	294.00	247.27	349.39	179.34	398.78	356.90	458.88	106.56
17.	कर्नाटक	461.83	437.84	505.17	436.86	551.80	586.38	612.69	246.31
18.	केरल	253.61	222.88	284.34	237.62	308.59	253.41	345.37	160.90
19.	लक्षद्वीप	2.13	1.22	2.09	1.09	2.28	2.54	3.99	0.39
20.	मध्य प्रदेश	609.02	707.88	705.88	604.79	766.66	784.40	870.83	203.00
21.	महाराष्ट्र	779.15	587.43	860.39	959.72	981.28	903.36	1078.51	289.28
22.	मणिपुर	66.34	56.58	90.09	81.45	98.67	67.98	88.49	6.94
23.	मेघालय	65.48	44.76	85.75	79.78	88.95	52.50	94.25	3.59
24.	मिजोरम	40.24	37.44	50.72	49.87	62.15	70.49	63.46	18.79
25.	नागालैण्ड	57.96	56.23	78.30	73.87	82.47	66.40	83.31	46.86
26.	ओडिशा	392.88	388.05	457.57	470.18	494.09	549.44	568.53	210.09
27.	पुदुचेरी	11.31	5.12	11.32	12.04	13.94	16.32	15.17	4.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पंजाब	185.89	183.03	209.58	359.53	246.77	252.81	276.56	69.52
29.	राजस्थान	596.53	798.15	633.19	748.96	743.41	863.97	824.17	327.34
30.	सिक्किम	21.44	19.88	26.73	25.80	35.54	32.94	34.01	4.25
31.	तमिलनाडु	515.70	501.60	568.68	639.10	659.92	702.09	765.42	286.62
32.	त्रिपुरा	88.32	77.58	125.20	111.98	116.91	85.47	117.46	6.27
33.	उत्तर प्रदेश	1727.59	1474.91	1867.65	1965.82	2079.73	2191.36	2224.00	554.39
34.	उत्तराखण्ड	100.16	98.44	117.75	130.85	129.18	147.39	169.95	62.98
35.	पश्चिम बंगाल	639.93	539.79	678.81	741.25	771.41	680.79	870.31	254.97
	कुल	10192.23	9625.1	11581.30	11470.18	12923.25	12871	14263.72	4094

टिप्पणी: 1. 2009-10 और 2010-11 के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं हैं।
3. विवरण आंकड़ों सामग्रियों, आई ई सी एच औषधों तथा उपस्करों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं है।
4. रिलीज आंकड़ों में 15 प्रतिशत राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

अनुबंध II

आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर, संस्थागत प्रसव की राज्य-वार प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएमआर (प्रति 1000 जीवित जन्म)		एमएमआर (प्रति 1 लाख जीवित जन्म)		टीएफआर		संस्थागत प्रसव (लाख में)	
	एसआरएस 2005	एसआरएस 2009	एसआरएस 2004-06	एसआरएस 2007-09	एसआरएस 2005	एसआरएस 2009	2005-06	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत	58	50	254	212	2.9	2.6	109.22	167.79
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	27	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.05	0.05
आन्ध्र प्रदेश	57	49	154	134	2	1.9	12.55	14.06
अरुणाचल प्रदेश	37	32	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.09	0.11
असम	68	61	480	390	2.9	2.6	1.49	4.18
बिहार	61	52	312	261	4.3	3.9	2.37	13.83
चंडीगढ़	19	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.15	0.20
छत्तीसगढ़	63	54	335	269	3.4	3	1.03	3.25
दादरा और नगर हवेली	42	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.03	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन और दीव	28	24	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.04	0.02
दिल्ली	35	33	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.1	1.9	2.14	2.16
गोवा	16	11	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.02	0.20
गुजरात	54	48	160	148	2.8	2.5	7.53	10.99
हरियाणा	60	51	186	153	2.8	2.5	1.68	4.02
हिमाचल प्रदेश	49	45	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.2	1.9	0.52	0.65
जम्मू और कश्मीर	50	45	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.4	2.2	0.91	1.42
झारखण्ड	50	44	312	261	3.5	3.2	0.52	3.45
कर्नाटक	50	41	213	178	2.2	2	5.75	7.18
केरल	14	12	95	81	1.7	1.7	5.79	5.01
लक्षद्वीप	22	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0.01
मध्य प्रदेश	76	67	335	269	3.6	3.3	5.99	13.31
महाराष्ट्र	36	31	130	104	2.2	1.9	11.03	16.23
मणिपुर	13	16	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.12	0.26
मेघालय	49	59	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.20	0.33
मिजोरम	20	36	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.13	0.18
नागालैण्ड	18	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.13	0.11
ओडिशा	75	65	303	258	2.6	2.4	2.55	5.07
पुदुचेरी	28	22	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.26	0.40
पंजाब	44	38	192	172	2.1	1.9	2.11	2.73
राजस्थान	68	59	388	318	3.7	3.3	5.37	11.00
सिक्किम	30	34	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.06	0.06
तमिलनाडु	37	28	111	97	1.7	1.7	10.78	10.80
त्रिपुरा	31	31	4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.29	0.37
उत्तर प्रदेश	73	63	440	359	4.2	3.7	19.22	25.93
उत्तराखण्ड	42	41	440	359	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.2	1.03
पश्चिम बंगाल	38	33	141	145	2.1	1.9	7.31	9.51

श्री सुरेश अंगड़ी: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में न तो चिकित्सक उपलब्ध हैं और न ही मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है। देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की घोर कमी है। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो गया है।

साथ ही, विभिन्न राज्यों में हम योजना के कार्यान्वयन में कोई समानता नहीं है। नैमेत्तिक आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति और गैर-सरकारी संगठनों, न्याय या सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल के पास उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग कुछ हद तक सहायक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में कई आयुष चिकित्सक हैं। यदि वे उनकी सेवाएं लें तो ग्रामीण लोग ये सुविधाएं पा सकते हैं और उसी प्रकार उनका इलाज हो सकेगा आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार पर आयुष चिकित्सकों को यह अवसर देकर किया गया है। इसी प्रकार, यदि हम देश भर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अवसर दें तो यह और अधिक सिद्ध होगा यह मेरा प्रथम पूरक प्रश्न है।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, यह एक वास्तविकता है कि चिकित्सकों की काफी कमी है। मैं यह बार-बार इस सदन में और दूसरे सदन में कह रहा हूं और यही कारण है कि हमने कई कदम उठाए हैं विशेष रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है और इससे आयुर्विज्ञान कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही, उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए हमने कई प्रोत्साहन दिए हैं और हमने भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों में बदलाव किया है।

भूमि, अवसंरचना, उपस्कर-ये सभी चीजें औचित्यपूर्ण बंना दी गयी हैं ताकि पूंजी निवेश काफी कम हो अथवा आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना तर्क संगत हो हमने प्रवेश के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप केवल दो वर्ष की अवधि में एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 9,000 हो गयी है। और एम.डी. सीटों की संख्या 8000 हो गई है और यह कभी पहले नहीं हुआ था कि एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों में प्रवेश में इतनी वृद्धि हुई हो।

परंतु इसके अतिरिक्त केवल आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि यह भारत सरकार की योजना भी है और भारत सरकार द्वारा एनआरएचएम के अंतर्गत धनराशि का भुगतान किया जाता है। क्या सभी सरकारी डॉक्टरों, नर्सों, विशेषज्ञों, ए.एन.एम, परा-चिकित्सकों और आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए। विशेषकर यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों, कठिन क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों, अगम्य क्षेत्रों में डॉक्टरों को भेजते हैं तो राज्य सरकार जो उन्हें दे रही है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार भी एन आर एच एम के अंतर्गत धनराशि प्रदान करेगी।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि गत 5-6 वर्षों के दौरान जब से एनआरएचएम को आरंभ किया गया है तब से 31 मार्च, 2011 तक एनआरएचएम के अंतर्गत ठेका आधार पर 184,000 व्यक्तियों को कार्य में लगाया गया है। इनमें 7063 विशेषज्ञ, 9432 डॉक्टर, 11575 आयुष चिकित्सक, 33667 स्टाफ नर्से, 60,268 एएनएम, 21,740 परा-चिकित्सक और 4,616 परा-चिकित्सक हैं।

श्री सुरेश अंगड़ी: महोदया, वहां अवसंरचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं परंतु डॉक्टर नहीं हैं और कुछ क्षेत्रों में डॉक्टर हैं परंतु वहां आसंरचना नहीं है। क्या वहां कुछ अच्छे एनजीओ अच्छी सोसाइटियों और अच्छे डॉक्टरों का प्रबंध करेंगे? जहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो क्या वहां पर उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को डॉक्टरों को ठेका आधार पर दे सकते हैं? वे अवसंरचना का इस्तेमाल करके इस देश के लोगों को बेहतर सेवा दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न दो भागों में है, पहला भाग है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और दूसरा भाग है कि डॉक्टर्स नहीं हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर कम था, माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि हैल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, यह केन्द्र में नहीं आता है। फिर भी यूपीए सरकार ने महसूस किया कि राज्य सरकारों के लिए बड़ी मुश्किल है, 60 सालों से इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वे अपने रिसोर्सिस से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना सकें। इसलिए एनआरएचएम बनाया गया। इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का इसी पांच साल का बजट तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए है जो राज्य सरकरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है जिससे तमाम सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, प्राइमरी हैल्थ सैंटर और सब सैंटर बना सकें। 70,000 करोड़ रुपया पांच साल में दिया गया है, जो दवाइयां बच्चों के लिए दी जाती हैं, वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, नॉन-कम्युनिकेबल डिसीजिज के लिए दी जाती हैं, ये इसके अलावा हैं। एक बहुत बड़ी राशि केन्द्र सरकार की तरफ से पिछले छह-सात साल से राज्य सरकरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दी जा रही है। जहां तक प्राइवेट देने का सवाल है, हमारे देश में डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं, राज्य सरकरों को बता ही दिया गया है कि आप कान्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एपांइट करो, पैसे हम देंगे। प्राइवेट वाले कहां से लाएंगे? जितना देश में उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग तो राज्य सरकार कर रही है, किसी जगह तो नहीं आने वाला है।

श्री रामसिंह राठवा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गुजरात की ट्राइबल बैल्ट, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बार्डर से लगे ग्रामीण विस्तार में आम जनता के स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

श्री गुलाम नबी आजाद: अध्यक्ष महोदया, हमने बैकवर्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज की तरफ विशेष रूप से एक-डेढ़ साल से ध्यान दिया है और पूरे देश की 264 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सूची बनाई है, जिनमें ट्राइबल एरियाज और दूसरे एरियाज पड़ते हैं। सब स्टेट्स से लिए गए हैं। 264 जिलों को चुनने का आधार है, जिनमें बड़े पुअर हैल्थ इंडीकेटर्स हों। जहां एससी और एसटी 35 परसेंट से ज्यादा हैं, वहां 35 परसेंट तो बिल्कुल ले लिए हैं। 33 वाम चरमवंश प्रभावित जिले भी ले लिए हैं। इसमें देश की 40 परसेंट पापुलेशन कवर की है। इन 264 जिलों में शिशु मृत्यु दर 60 परसेंट और आम मार्टेलिटी मैटर्नल रेट, प्रेगनेंट वूमेन मृत्यु दर 75 परसेंट है। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए, इसमें बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और तकरीबन 18 ऐसे राज्य हैं, जिनमें हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

जैसा मैंने पहले बताया कि कांट्रैक्चुअल अपाइंटमैंट करना है। इसलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स और इलाकों में देते हैं, जो बैकवर्ड्स और ट्राइबल एरियाज हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

फोरेक्स डेरिवेटिव्स करोबार में अनियमितताएं

***425 श्री यशवीर सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डेरिवेटिव उत्पादों से संबंधित विभिन्न अनुदेशों के उल्लंघन के लिए दंडित किए गए वाणिज्यिक बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में फोरेक्स डेरिवेटिव्स करोबार में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुपए की मूल्यवृद्धि होकर इसके 35 रुपए प्रति डालर होने की अफवाह के कारण आयात/निर्यात कंपनियों ने सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों से फोरेक्स डेरिवेटिव इन्स्ट्रूमेन्ट्स की खरीद की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन वर्षों के दौरान हुए फोरेक्स डेरिवेटिव्स करोबार की जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 26 अप्रैल, 2011 को 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए थे। अधिरोपित दण्डों और संलिप्त बैंकों के बयौरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 अप्रैल, 2011 को जारी प्रेस रिलीज में दिए गए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह रुपए का मूल्य बढ़ने के बारे में फैलाई जा रही किसी भी प्रकर की अफवाह से अवगत नहीं है।

(ङ) और (च) जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में सूचित किया गया है, बैंकिंग क्षेत्र का विनियामक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के विरुद्ध कर्रवाई की है। इसके आलवा, पिछले चार वर्षों में व्युत्पन्नों संबंधी व्यापक दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन से मिले अनुभव के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया और दिनांक 02 अगस्त, 2011 के अपने परिपत्र संख्या बीपी. बीसी. 27/21.04 157/2011-12 के जरिए दिशानिर्देश जारी किए गए। यह परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

भेषज उद्योग में कृतिक बल

***426. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय भेषज उद्योग के समक्ष मुद्दों के समाधान हेतु कोई दीर्घावधिक रणनीति तैयार करने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके माध्यम से कौन-कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं;

(ग) उक्त कृतिक बल के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो भारत को औषध खोज, अनुसंधान और विकास का केन्द्र बनाने के लिए सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च). सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी हां, देश में औषध क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु दीर्घावधि नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 31 मार्च, 2011 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक कार्यदल गठित किया गया था। इस कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(1) भारत को औषधि खोज, अनुसंधान और विकास का केन्द्र बनाने के लिए लघु, मध्यम एवं दीर्घावधि नीति एवं कार्यनीति बनाना।

(2) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के मद्देनजर भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योग के हितों को और बढ़ाने के लिए कार्यनातियां बनाना एवं उनकी सिफारिश करना और अगले 5 वर्षों में पेटेन्ट-रहित होने वाली 60-80 बिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली औषधियों के अवसर का लाभ उठाने की कार्यनीतियां बनाना।

(3) राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति विकल्प/उपाय सृजित करना एवं सुझाना अर्थात:-

- बड़ी मात्रा वाली औषधियों के देशीय उत्पादन को बढ़ावा देना।
- बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय फार्मा कम्पनियों के अधिग्रहण को रोकना।
- औषधियों का मूल्य निर्धारण करना।
- जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देना और वहनीय मूल्यों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता को बढ़ाना।

(4) नकली और मिलावटी औषधियों की समस्या को सुलझाने के उपायों की सिफारिश करना।

(5) अनुशंसित सभी कार्यनीतियों एवं उपायों के क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

(6) उपर्युक्त के संबंध में किसी अन्य विषय पर विचार करना और सुझाव देना।

(घ) से (च) कार्यदल की पहली बैठक 6 जून, 2011 को आयोजित हुई थी जिसमें कार्यदल द्वारा विभिन्न विचारार्थ विषयों पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित 6 उप-समूहों का गठन करने का निर्णय लिया था:-

(1) औषधि खोज, अनुसंधान और विकास

(2) बौद्धिक सम्पदा अधिकार

(3) बड़ी मात्रा वाली औषधियों के देशीय उत्पादन को बढ़ावा देना

(4) बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय फार्मा कम्पनियों का अधिग्रहण

(5) औषधियों एवं जेनेरिक औषधियों का मूल्य निर्धारण

(6) नकली और मिलावटी औषधियां

इन उप समूहों ने अभी तक कार्यदल को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की है। सरकार को रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कार्यदल के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है।

कुष्ठ रोग के नए मामले

***427. श्री सी. राजेन्द्रन:**
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 2005 तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की एक रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अप्रैल, 2010 और मार्च, 2011 के बीच पूरे विश्व में कुष्ठ रोग के सभी नए मामलों में से 65 प्रतिशत मामले भारत में थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुष्ठ-रोग के कितने नए मामलों का पता चला है;

(घ) देश में इस रोग के अधिक मामले होने और इसकी पुनरावृत्ति की दर अधिक होने के क्या करण हैं और उक्त अवधि के दौरान इस रोग के उन्मूलन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी व्यय की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान विशेष कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान चलाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में कुष्ठ रोग के उन्मूलन (अर्थात प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम रोगी) के लक्ष्य की परिकल्पना की थी जिसे वर्ष 2005 तक प्राप्त किया जाना था। राष्ट्रीय स्तर पर यह लक्ष्य दिसम्बर, 2005 में पूरा हो गया था।

अगस्त, 2010 में प्रकाशिंत विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अनुसार नए कुष्ठ रोगियों में से 55 प्रतिशत रोगी भारत में (विश्वभर में कुल 244,796 कुष्ठ रोगियों में से भारत में 133,717 रोगी) पाए गए थे। विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष में जून, 2011 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित नये कुष्ठ रोगियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

भारत में पिछले वर्षों से कुष्ठ रोग की व्याप्तता में कमी आ रही है। वर्ष 2001-02 में प्रति 1,00,000 लोगों पर 42 रोगियों के स्तर से घटकर वर्ष 2010-11 में प्रति 1,00,000 लोगों पर 7 रोगी हो गया है। तथापि, इस रोग को पनपने की बहुत लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, भारत में आने वाले कई वर्षो तक नए कुष्ठ रोगी होते रहेंगे।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई निधियों और सूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र कार्य ढांचे में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता देना जारी है। कुष्ठ रोग के निदान और उपचार सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में मिला दिया गया है तथा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे ग्राम स्तरीय कार्मिकों द्वारा कुष्ठ के संदेह वाले व्यक्तियों को कुष्ठ रोग का पता लगाने और समुचित उपचार करने के लिए उनको स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में लाया जाता है। भारत सरकार कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए जिला विशिष्ट प्रयास की हिमायत कर रही है जिसे 12वीं योजना अवधि के दौरान और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

विवरण I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचित नये कुष्ठ रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2001-12 (जून 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9546	9012	7448	1911
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	24	32	2
3.	असम	119.2	1176	1252	318
4.	बिहार	200086	21431	20547	4649
5.	छत्तीसगढ़	7994	7641	7383	2170
6.	गोवा	117	86	70	13
7.	गुजरात	7581	7373	7309	1846
8.	हरियाणा	451	365	321	125
9.	हिमाचल प्रदेश	207	164	214	56

1	2	3	4	5	6
10.	झारखंड	5181	5345	4448	1084
11.	जम्मू और कश्मीर	205	159	211	42
12.	कर्नाटक	4411	4408	3891	1030
13.	केरल	827	884	931	190
14.	मध्य प्रदेश	6309	5592	5708	1395
15.	महाराष्ट्र	14274	15071	15498	4284
16.	मणिपुर	38	31	26	9
17.	मेघालय	17	20	61	1
18.	मिजोरम	21	10	19	6
19.	नागालैंड	65	79	67	20
20.	ओडिशा	6381	6481	6742	3281
21.	पंजाब	933	824	819	819
22.	राजस्थान	1177	1200	1024	266
23.	सिक्किम	29	20	16	10
24.	तमिलनाडु	5022	5046	4617	1092
25.	त्रिपुरा	66	56	29	11
26.	उत्तर प्रदेश	27577	27473	25509	6662
27.	उत्तराखंड	667	587	532	129
28.	पश्चिम बंगाल	11891	11453	10321	2953
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	15	26	11
30.	चंडीगढ़	37	25	43	5
31.	दादरा और नगर हवेली	121	156	205	80
32.	दमन और दीव	10	2	2	0
33.	दिल्ली	1631	1448	1408	364
34.	लक्षद्वीप	0	2	0	0
35.	पुदुचेरी	57	58	71	12
	योग	134184	133717	126800	34846

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी और व्यय की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09 जारी (नकद+सामग्री)	2008-09 व्यय (नकद+सामग्री)	2009-10 जारी (नकद+सामग्री)	2009-10 व्यय (नकद+सामग्री)	2010-11 जारी (नकद+सामग्री)	2010-11 व्यय (नकद+सामग्री)	2011-12 जारी (नकद) 29.8.2011तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	231.01	253.27	239.53	238.41	259.91	236.18	46.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.35	78.03	73.95	66.67	59.62	54.11	22.79
3.	असम	129.20	59.65	90.02	87.99	87.06	34.68	-
4.	बिहार	150.80	163.58	93.01	154.35	128.84	183.21	-
5.	छत्तीसगढ़	196.38	186.33	62.91	131.08	136.29	38.06	-
6.	गोवा	11.29	8.39	9.51	11.22	12.66	9.05	6
7.	गुजरात	170.21	162.70	226.00	292.91	199.71	217.30	55.24
8.	हरियाणा	123.18	50.40	67.93	60.19	2.80	69.21	3.46
9.	हिमाचल प्रदेश	76.82	40.62	20.20	42.61	25.86	39.35	15.55
10.	झारखंड	190.05	139.18	12.69	89.07	108.98	123.94	74.02
11.	जम्मू और कश्मीर	28.96	37.20	32.96	78.69	48.85	38.73	
12.	कर्नाटक	158.19	190.26	166.16	177.92	168.50	178.88	60
13.	केरल	33.70	31.11	0.00	37.58	56.59	16.53	-
14.	मध्य प्रदेश	272.54	170.76	59.50	139.09	156.55	135.84	69.5
15.	महाराष्ट्र	346.07	358.68	296.25	255.88	292.77	340.74	92.82
16.	मणिपुर	42.17	45.00	46.23	37.74	24.23	37.93	24.67
17.	मेघालय	31.94	30.17	31.02	27.00	20.91	23.68	15.82
18.	मिजोरम	51.57	25.93	40.67	34.19	31.00	12.63	-
19.	नागालैंड	51.12	65.94	52.34	52.34	52.73	52.73	29.66
20.	ओडिशा	181.19	135.75	97.00	121.55	91.53	134.03	48.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	पंजाब	212.45	90.17	66.00	73.02	74.67	107.07	23.85
22.	राजस्थान	151.98	145.79	145.30	180.10	108.40	217.54	61.56
23.	सिक्किम	26.02	23.73	24.72	24.62	17.47	17.05	-
24.	तमिलनाडु	242.43	152.43	127.53	161.45	134.50	181.04	59.56
25.	त्रिपुरा	4.23	8.06	30.34	8.71	0.55	14.62	3.2
26.	उत्तर प्रदेश	750.98	651.78	634.06	521.00	425.51	413.29	-
27.	उत्तरांचल	48.42	39.97	50.58	44.51	25.26	50.77	20.37
28.	पश्चिम बंगाल	354.21	300.00	246.25	263.75	292.91	299.57	32.4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.53	7.09	0.03	6.57	8.17	6.32	-
30.	चंडीगढ़	7.62	9.57	13.00	11.61	11.75	12.44	3.83
31.	दादरा और नगर हवेली	10.58	10.98	13.55	11.30	13.59	12.25	7.18
32.	दमन और दीव	0.00	2.01	1.50	4.12	7.87	5.30	1.64
33.	दिल्ली	85.80	62.63	10.00	37.36	73.32	39.42	-
34.	लक्षद्वीप	0.00	3.00	0.14	2.14	शून्य	शून्य	-
35.	पुदुचेरी	6.47	6.35	31.91	9.79	10.24	10.44	-
	योग	4352.46	3746.51	3094.79	3496.53	3169.60	3363.93	777.44

विद्युत क्षेत्र हेतु धनराशि

***428 श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत धनराशि की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत कोष (ब्याज राजसहायता योजना) पारेषण एवं वितरण सुधारों के कर्यान्वयन में राज्यों एवं विद्युत कंपनियों की मदद करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बारहवीं योजना हेतु धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क), (ख) और (ङ) योजना आयोग ने सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु एक विद्युत कार्य समूह गठित किया है। इस कार्य समूह के अंतर्गत गठित नौ उप-समूहों में से एक उप-समूह वित्तीय मामलों के लिए है। इस उप-समूह के विचारार्थ विषयों में वित्तीय मामलों की समीक्षा, विद्युत क्षेत्र में 12वीं योजना हेतु निवेश संबंधी आवश्यकता का आकलन तथा विद्युत क्षेत्र हेतु निधियों के

प्रबंध से संबधित नीतिगत मामले शामिल हैं। इस उपसमूह की रिपोर्ट तथा कार्य समूह में किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर, विद्युत कार्य समूह बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र हेतु निधियों की आवश्यकता तथा ऐसे स्रोतों को जुटाने हेतु अपेक्षित उपायों के संबंध में सुझाव देगा जिन्हें बाद में बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) और (घ) वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन करने हेतु विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत कोष (ब्याज सब्सिडी स्कीम) की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह प्रस्तावित किया गया है कि वे राज्य जो विद्युत क्षेत्र में निश्चित मूलभूत सुधार करने का कार्य हाथ में लेते हैं, वे ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र होंगे तथा ब्याज सब्सिडी की मात्रा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी, सब्सिडी प्राप्त आधार पर आपूर्ति की वास्तविक लागत (एसीएस) तथा वसूले गए औसत राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर को कम करने, इक्विटी तथा बहु-वर्षीय प्रशुल्क पर वापसी के प्रावधान के संबंध में यूटिलिटी के निष्पादन से जोड़ी जाएगी।

बैंकों द्वारा लिए गए ऋण

***429. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणों में हुई वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋण में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बाजार हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने के लिए अपनी सांविधिक अपेक्षा के भाग के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में दैनिक चलनिधि को प्रबंधित करता है। इस सुविधा के अंतर्गत चलनिधि की कमी वाले बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को ऋणाधार के रूप में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिन के लिए रेपो रेट (वर्तमान में 8 प्रतिशत पर) पर उधार ले सकते हैं। यह उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार है।

(ख) बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से 'एलएएफ' के तहत लिए गए उधार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) तथा प्राथमिक डीलरों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से 'एलएएफ' के तहत लिया गया औसत निवल दैनिक उधार।
2008-09	(+) 4,212
2009-10	(+) 100,310
2010-11	(-) 46,946
2011-12 (29 अगस्त तक)	(-) 46,298

टिप्पणी: (+) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास निधियों का नियोजन दर्शाता है और (-) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार को दर्शाता है। आंकड़े वार्षिक औसत को दर्शाते हैं।

(ग) बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को ऋणाधार के रूप में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना बैंकों के लिए एक सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन है और यह तब होता है जब प्रणाली में समग्र चलनिधि की कमी हो जाती है।

(घ) हाल ही बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया निवल उधार घाटे की चलनिधि संबंधी स्थिति को दर्शाता है। इससे मौद्रिक संचलन तंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है और यह मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति निरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप है।

जल विद्युत परियोजनाएं

***430 श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री चार्ल्स डिएस:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में जल विद्युत क्षमता का पता लगाने के लिए कोई व्यवहार्यता/मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड सहित देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने, देश में जल-विद्युत संभाव्यता के, 1987 में पुन: आकलन अध्ययन किए थे। इन अध्ययनों के अनुसार, देश में संस्थापित क्षमता (आईसी) के संदर्भ में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट आकलित की गई है, जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की संभाव्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

झारखंड में, जल विद्युत संभाव्यता 753 मेगावाट आकलित की गई है, जिसमें से 582 मेगावाट की संभाव्यता में, 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली स्कीमें शामिल है।

(ग) 01.08.2011 की स्थिति के अनुसार, 15,530 मेगावाट क्षमता की पचास जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देश की इन परियोजनाओं के चालू होने की अनुसूची सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

इस समय, झारखंड में 25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की कोई जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

विवरण I

जल विद्युत संभाव्यता विकास की स्थिति

(25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में)

(1.8.2011 के अनुसार)

क्षेत्र/स्थिति	पुन:आकलन अध्ययन के अनुसार चिह्नित क्षमता		विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकसित क्षमता निर्माणाधीन		क्षमता जो अभी विकसित की जानी है	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से ऊपर (मेगावाट)	(मेगावाट)	%	(मेगावाट)	%	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी										
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	2340.0	17.28	1109.0	8.19	3449.0	25.47	10094.0	74.53
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	6693.0	36.10	4182.0	22.56	10875.0	58.66	7665.0	41.34
पंजाब	971	971	1206.3	100.00	0.0	0.00	1206.3	100.00	0.0	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	64.0	100.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	85.09	72.0	14.91
उत्तराखण्ड	18175	17998	3226.4	17.93	1825.0	10.14	5051.4	28.07	12946.7	71.93
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	162.4	24.46
उप जोड़ (उ. क्षे.)	53395	52263	14378.3	27.51	7116.0	13.62	21494.3	41.13	30768.8	58.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिमी										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100.00	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात	619	590	550.0	93.22	0.0	0.00	550.0	93.22	40.0	6.78
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उप जोड़ (प. क्षे.)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80
दक्षिणी										
आंध्र प्रदेश	4424	4360	2177.8	49.95	410.0	9.40	2587.8	59.35	1772.3	40.65
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1722.2	100.00	60.0	3.54	1782.2	100.00	0.0	0.00
उप जोड़ (द. क्षे.)	16458	15890	9366.9	58.95	570.0	3.59	9936.9	62.54	5953.2	37.46
पूर्व										
झारखंड	753	582	233.2	40.07	0.0	0.00	233.2	40.07	348.8	59.93
बिहार	70	40	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	40.0	100.00
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.5	31.99
पश्चिम बंगाल	2841	2829	77.0	2.72	292.0	10.32	369.0	13.04	2460.0	86.96
सिक्किम	4286	4248	570.0	13.42	2066.0	48.63	2636.0	62.05	1612.0	37.95
अंडमान व निकोबार	0	0	0.0					0.0	0.0	
उप जोड़ (पू. क्षे.)	10949	10680	2907.7	27.23	2358.0	22.08	5265.7	49.30	5414.3	50.70
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
मेघालय	2394	2298	156.0	6.79	166.0	7.22	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0.0		0.0	
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	50	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	4460.0	8.91	4865.0	9.72	45199.0	90.28
मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उप जोड़ (उ. पू. क्षे.)	58971	58356	1116.0	1.91	4686.0	8.03	5802.0	9.94	52554.0	90.06
अखिल भारत	148701	145320	33320.8	22.93	15130.0	10.41	48450.8	33.34	96869.2	66.66

टिप्पणी-उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1000 मेगावाट की पंप्ड स्टोरेज स्कीम (पीएसएस) निर्माणाधीन है तथा 4785.6 मेगावाट प्रचालनाधीन है।

विवरण II

निष्पादनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की परियोजनाओं को छोड़कर)

(1.8.2011 की स्थित)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	यूनिट सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे. वा.)	चालू होने का संभावित समय
1	2	3	4	5	6
1.	पार्बती चरण-2 4x200=800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800	2014-15
2.	चमेरा-3 3x77=231 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	231	2011-12
3.	पार्बती-3 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	520	2012-13
4.	कोलडैम 4x200=800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनटीपीसी	800	2012-14
5.	रामपुर 6x68.67=412 मेगावाट	यू-1 से यू-6	हिमाचल प्रदेश/एसजेवीएनएल	412	2013-14
6.	उड़ी-2 4x60=240 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	240	2011-12
7.	चुटक 4x11=44 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	44	2011-12
8.	निम्मू बाजगो 3x15=45 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	45	2012-13
9.	कोटेश्वर 4x100=400 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/टीएचडीसी	200	2011-12
10.	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/एनटीपीसी	520	2013-14
11.	तीस्ता लो डैम-3 4x33=132 मेगावाट	यू-1 से यू-4	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	132	2012-13
12.	तीस्ता लो डैम-4 4x40=160 मेगावाट	यू-1 से यू-4	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	160	2013-14
13.	सुबानसिरी लोअर 8x250=2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2000	2013-15
14.	कामेग 4x150=600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	600	2016-17
15.	उहल-3 3x33.33=100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लि. (बीवीपीसी)	100	2012-13
16.	स्वाराकुडु 3x36.6=110 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	110	2013-14

1	2	3	4	5	6
17.	नागार्जुन सागर टीआर 2x25=50 मेगावाट	यू-1 और यू-2	आंध्र प्रदेश/एपीजेएनको	50	2012-13
18.	लोअर जुराला 6x40=240 मेगावाट	यू-1 से यू-6	आंध्र प्रदेश/एपीजेएनको	240	2012-14
19.	पुलिचिंटाला 4x30=120 मेगावाट	यू-1 से यू-4	आंध्र प्रदेश/एपीजेएनको	120	2012-13
20.	पल्लीवसल 2x30=60 मेगावाट	यू-1 और यू-2	केरल/केएसईबी	60	2012-13
21.	भवानी बैराज-2 2x15=30 मेगावाट	यू-1 और यू-2	तमिलनाडु/टीएनईबी	30	2011-12
22.	भवानी बैराज-3 2x15=30 मेगावाट	यू-1 और यू-2	तमिलनाडु/टीएनईबी	30	2011-12
23.	मिंत्दू 3x42=126 मेगावाट	यू-1 और यू-2	मेघालय एमईएलईबी	126	2012-13
24.	न्यू उमत्रु 2x20=40 मेगावाट	यू-1 और यू-2	मेघालय/एमईएसईबी	40	2013-14
25.	करछाम वांग्टू 4x250=1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/जेकेएचसीएल	500	2011-12
26.	बुधिल 2x35=70 मेगावाट	यू-1 और यू-2	हिमाचल प्रदेश/लेनको	70	2011-12
27.	मलाना-2 2x50=100 मेगावाट	यू-1 और यू-2	हिमाचल प्रदेश/एवरेस्ट	100	2011-12
28.	सोरांग 2x50=100 मेगावाट	यू-1 और यू-4	हिमाचल प्रदेश/हिमाचल सोरांग पावर	100	2012-13
29.	श्रीनगर 4x82.5=330 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/मै. जीवीके इंडस्ट्रीज	330	2012-13
30.	महेश्वर 10x40=400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	मध्यप्रदेश/एसएमएचपीसीएल	400	2012-13
31.	चूजाछेन 2x49.5=99 मेगावाट	यू-1 और यू-2	सिक्किम/गति	99	2012-13
32.	तीस्ता-3 6x200=1200 मेगावाट	यू-1 से यू-6	सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि.	1200	2012-13
33.	टिहरी पीएसएस 4x250=1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/टीएचडीसी	1000	2015-16
34.	किशनगंगा 3x110=330 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	330	2015-16
35.	पारे 2x55=110 मेगावाट	यू-1 से यू-2	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	110	2013-14
36.	तुरियल 2x30=60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	मिजोरम/नीपको	60	2014-15
37.	बगलीहार-2* 3x150=450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जे एंड के/जेकेपीडीसी	450	2014-15
38.	कशांग-1 65 मेगावाट		हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	65	2012-13
39.	कशांग-2 और 3 1x65+1x65=130 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	130	2013-14
40.	सैंज 100 मेगावाट		हिमाचल प्रदेश-एचपीपीसीएल	100	2013-14
41.	थोट्टियार 1x+1x10=40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/केएसईबी	40	2013-14
42.	तिडेग-1 2x50=100 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/मै. नूजीवीडु सीड्स	100	2013-14
43.	तमगु रोमई-1 2x22=44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/तांगू रोमई पावर जेनरेशन	44	2014-15
44.	फाटा बियूंग 76 मेगावाट		उत्तराखंड/मै. लेनको	76	2013-14
45.	सिंगोली भटवारी 3x33=99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तरखंड/एसएंड टी हाईड्रो पावर लि.	99	2015-16
46.	तीस्ता-4 4x125=500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/लेनको	500	2013-14
47.	रंगित-4 3x40=120 मेगावाट		सिक्किम/जल पावर कारपोरेशन	120	2013-14

1	2	3	4	5	6
48.	जोरेथांग लूप 2x48=96 मेगावाट		सिक्किम/मै. डीएएनएस एनर्जी	96	2013-14
49.	भस्मी 3x17=51 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/गति इन्फ्रास्ट्रक्चर	51	2014-15
50.	डेम्वे लोअर 5x342+1x40=1750 मेगावाट	यू-1 से यू-6	अरुणाचल प्रदेश/एथेना डेम्वे पावर	1750	2014-16
	कुल: क्रियान्वयनाधीन			15530	

*बगलीहार-1 को आबंटित कार्य

टिप्पणी: उत्तराखंड में एनटीपीसी द्वारा लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) का निर्माण बंद किया जा चुका है।

तपेदिक रोग का पता लगाना

***431. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक रोग का पता लगाने हेतु सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति को अविश्वसनीय बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में तपेदिक का पता लगाने हेतु क्या पद्धति मौजूद है और सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपरोक्त रिपोर्ट के दृष्टिगत क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक का पता लगाने के लिए किसी अन्य जांच पद्धति का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में तपेदिक का निदान करने हेतु सस्ते विकल्पों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ)सीरमविज्ञानी जांचों (रक्त के नमूनों पर आधारित), जिनका निजी क्षेत्र द्वारा क्षयरोग (टीबी) के निदान के लिए आम-तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, को उनकी अनुरूपता तथा अस्पष्ट सुग्राहिता एवं विशिष्टता के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अविश्वसनीय बताया गया है।

क्षयरोग (टीबी) का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित कफ आलेप सूक्ष्मदर्शिकी (स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोप) निदान हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम साधन है और राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत इसका इस्तेमाल होता है।

मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत क्षयरोग प्रभाग ने सीरम विज्ञानी जांचों के इस्तेमाल के संबंध में डब्ल्यूएचओ की सलाह का समर्थन करते हुए राज्य सरकारों और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) सहित सभी संबंधितों को एडवाइजरी जारी की है।

कफ आलेप सूक्ष्मदर्शिकी (स्पुटम स्मीयर और माइक्रोस्कोपी) के अतिरिक्त, क्षयरोग के निदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कफ कल्चर (ठोस और तरल माध्यम) तथा रेखीय एषणी आमापन (लाइन प्रोब एस्से) (एलपीए) की अनुशंसा की गई है और इनका राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तथापि, क्षयरोग के निदान के लिए कफ सूक्ष्मदर्शिकी (स्पुटम माइक्रोस्कोपी) सर्वाधिक वहनीय, प्रयोक्ता अनुकूल और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जांच हैं। सरकारी और अन्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों/अस्पतालों में स्थित 13,000 नामोदिष्ट सूक्ष्मदर्शिकी केन्द्र (डीएमसी) के जरिए कफ सूक्ष्मदर्शिकी संबंधी सुविधाएं राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।

विदेशी सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार

***432. श्री सी. शिवासामी:**
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो से अप्रयुक्त प्रतिबद्ध विदेशी सहायता में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपर्याप्त आयोजना के परिणामस्वरूप प्रतिबद्धता प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क)और (ख) जी हां। सामान्यतया, विदेशी सहायता प्राप्त सरकारी परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि प्रारंभिक चरणों में कम योजनागत संवितरण के चलते 6 से 7 वर्ष होती है। सामान की अधिप्राप्ति, निर्माण कार्य और सेवाओं सहित भिन्न-भिन्न कार्यकलाप आवश्यकता अनुसार पूरी कार्यान्वयन अवधि में चलते हैं। इसलिए परियोजना कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां वचनबद्ध विदेशी सहायता का उपयोग चरणबद्ध तरीके से करती हैं। किसी वर्ष में नए करारों पर हस्ताक्षर करने से भी उस वर्ष में अप्रयुक्त वचनबद्ध विदेशी सहायता बढ़ जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान अप्रयुक्त वचनबद्ध विदेशी सहायता का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आर्थिक कार्य विभाग, परियोजनाओं की तैयारी और परियोजना शुरू करने में परियोजना कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों/राज्य सरकारों की तत्परता पर विचार करने के पश्चात ही, विदेशी दाता एजेंसियों के साथ संगत वित्तपोषण करार करता है विदेशी सहायता के अंतर्गत ऋणों की शर्त के भाग के रूप में अप्रयुक्त ऋण वचनबद्धताओं पर कुछ विदेशी दाता एजेसियों द्वारा वचनबद्ध प्रभार लगाए जाते हैं। चूंकि, केवल ऋण का संवितरित अंश दाता के लिए ब्याज प्रदान करता है, अतः असंवितरित निधि बिना ब्याज प्रदान किए पड़ी रहती है। दाता इन पड़ी हुई निधियों पर लागत वहन करते हैं, क्योंकि ये निधियां नकद परिसंपत्ति के रूप में संवितरण के लिए तैयार रखी जाती हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, असंवितरित ऋण शेष पर वचनबद्ध प्रभार लगाए जाते हैं। यह बहुपक्षीए और द्विपक्षीय ऋणों की शर्तों का अभिन्न अंग है और इस प्रकार अपरिहार्य है। आम तौर पर ब्याज दर का अंश होने के नाते यह वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम है।

क्योंकि औसत कार्यान्वयन अवधि 6 से 7 वर्ष की होती है, इसलिए परियोजनाएं, अप्रत्याशित आकस्मिकताओं, जो प्रायः परियोजना कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों/राज्य सरकारों के नियंत्रण से बाहर होती हैं, से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण विलंब हो जाती हैं और वचनबद्ध प्रभारों को अदा करने का कारण अनिवार्य रूप से यह हो सकता है कि मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्य सरकरों द्वारा पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई।

(ङ) वचनबद्ध विदेशी सहायता का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग, संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों और विदेशी उधार देने वाली एजेसियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं ताकि कार्यान्वयन की प्रगति मॉनीटर की जा सके और सुधारात्मक उपाय करने के लिए अड़चनों की पहचान की जा सके।

विवरण I

सरकारी परियोजनाओं में राज्यवार अप्रयुक्त विदेशी सहायता

(करोड़ रु.)

केन्द्र/राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (28.08.2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
केन्द्र सरकार	33,549.39	42,040.25	42,728.15	48,621.75
राज्य सरकार	71,562.65	63,319.01	67,681.32	75.693.61
आंध्र प्रदेश	10,559.97	12,063.03	13,076.63	14,170.42
असम	2,464,30	2,131.18	2,551,80	2,938.57

1	2	3	4	5
बिहार	2,844.22	1,777.93	3,387.40	3,834.52
छत्तीसगढ़	1,061.72	658.28	223.78	213.98
गोवा	1,178.16	1,089.27	1,198.74	1,271.61
गुजरात	1,301.79	726.58	644.82	700.68
हरियाणा	46.63	1,385.06	1,065.06	1,079.22
हिमाचल प्रदेश	2,591.45	2,013.86	2,725.47	2,528.59
झारखंड	0.00	0.00	810.89	827.23
जम्मू और कश्मीर	1,074.79	691.07	497.35	453.15
कर्नाटक	9,519.11	7,727.04	8,024.43	9,578.42
केरल	3,174.28	2,379.22	2,020.90	2,930.32
मेघालय	90.48	80.30	83.80	58.64
महाराष्ट्र	3,841.22	2,621.90	2,244.30	2119.37
मध्य प्रदेश	4,935.76	4,090.60	3,114.18	5,676.41
मिजोरम	107.32	250.81	270.53	243.91
ओडिशा	4,124.90	9,677.00	3,667.37	3,547.78
पुदुचेरी	160.89	161.91	149.39	136.20
पंजाब	1,816.74	1,544.06	1,433.62	1,384.95
राजस्थान	2,444.19	1,938.73	1,959.40	3,630.52
सिक्किम	0.00	261.61	382.70	411.07
तमिलनाडु	9,119.56	7,096.18	7,544.80	7,314.31
त्रिपुरा	369.31	315.63	322.08	339.16
उत्तर प्रदेश	2,889.68	3,222.59	2,870.01	2,943.04
उत्तराखंड	2,626.20	2,070.66	1,705.48	1,514.59
पश्चिम बंगाल	1,934.93	1,384.07	2,016.64	1,922.91
बहु राज्य	1,285.05	1,960.44	3,689.75	3,924.03
कुल जोड़	105,112.04	105,359.26	110,409.48	124,315.536

विवरण II

सरकारी परियोजनाओं में क्षेत्रवार अप्रयुक्त विदेशी सहायता

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (28.08.2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
कृषि	4,049.11	4,207.10	4,523.48	4,471.83
शिक्षा	2,821.20	865.47	4,242.07	4,147.52
ऊर्जा : परमाणु ऊर्जा	5,384.52	3,910.62	3,229.88	3,316.08
ऊर्जा : कोयला	0.52	0.46	0.48	0.50
ऊर्जा : सामान्य	469.74	1,475.82	1,447.80	1,480.16
ऊर्जा : विद्युत	7,643.69	7,958.87	7,882.55	10,583.71
पर्यावरण और वन	4,309.95	3,786.70	5,334.83	6,588.78
उर्वरक	129.19	-	-	-
वित्तीय क्षेत्र	-	-	57.50	57.34
स्वास्थ्य	6,756.96	4,864.68	4,705.77	4,491.28
उद्योग और वित्त	58.17	607.18	601.32	619.91
सूचना प्रौद्योगिकी	-	-	-	688.57
अवसंरचना : सामान्य	6,383.01	5,495.34	3,569.62	3,644.40
अवसंरचना : रेलवे	918.87	5,201.61	5,709.56	6,122.81
अवसंरचना : सड़क	14,420.30	11,617.47	16,651.35	18,330.13
विधि और न्याय तथा लोक प्रशासन	-	-	-	904.44
प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	-	-	1,161.67	1,158.61
ग्रामीण विकास	6,432.58	5,350.39	6,455.42	11,026.12
सामाजिक	1,041.63	709.00	1,171.93	1,137.85
संरचनात्मक समंजन	1,616.65	9,077.58	89.28	92.04

1	2	3	4	5
शहरी विकास	23,897.16	23,882.75	23,351.74	24,618.83
जल संसाधन	9,363.51	7,329.55	9,788.95	9,836.93
जलापूर्ति और स्वच्छता	9,193.65	8,810.24	9,235.77	9,781.43
जल स्वच्छता और बाढ़ संरक्षण	-	-	964.15	960.68
अन्य	221.62	208.45	234.36	255.38
कुल योग	105,112.04	105,359.26	110,409.48	124,315.36

राज्यों को अनाबंटित विद्युत का आवंटन

***433. श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों, जिनका केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों की अनावंटित विद्युत का हिस्सा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कम कर दिया गया था, ने केन्द्र सरकार से इस निर्णय पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कोटा, राजस्थान स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र से वर्ष 2003 में आवंटित किए गए 143 मेगावाट के विशेष कोटे को रद्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों को अनावंटित कोटे से आवंटन का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) और (ख) चूंकि अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं अतएव राज्य सरकारों से समय-समय पर केंद्रीय विद्युत उत्पादक केंन्द्रों (सीजीएस) की अनाबंटित विद्युत में अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं ताकि वे अपने राज्यों में कमी की स्थिति पर काबू पा सकें। अनाबंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने और प्रत्येक समय किसी न किसी को पूर्णत: आबंटित होने की वजह से किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटन में बढ़ोत्तरी/विपथन अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में समान कटौती के जरिए ही व्यवहार्य होता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई चिन्हित नहीं है। वे राज्य जहां कभी-कभी आबंटन कम प्राप्त होता है, तो वे पुनर्विचार का अनुरोध करते है।

(ग) और (घ) उत्तरी क्षेत्र के एक घटक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मौजूदा आबंटन में कटौती के अनुरोध और मध्य प्रदेश में चल रही विद्युत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान के 143 मेगावाट (राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट-3 से 220 मेगावाट का 65%) का आबंटन 18 दिसम्बर, 2003 को मध्य प्रदेश को किया गया था। उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की बढ़ी हुई मांग और आरएपीपी, यूनिट-3 से विद्युत के आबंटन हेतु उत्तरी क्षेत्र के संघटकों से लगातार अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह आबंटन 21 सितम्बर, 2004 को वापस ले लिया गया था।

(ङ) और (च) केरल और आंध्र प्रदेश सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सीजीएस के अनाबंटित कोटे से विद्युत के अतिरिक्त आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनके अनुरोधों की जांच की गई और गैर आवंटन की मात्रा, आबंटित विद्युत और विद्युत आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए इन राज्यों को अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना व्यवहार्य नहीं था।

मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीजीएस की अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त आबंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

एचआईवी/एड्स रोगी

*434. **श्री जगदानंद सिंहः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में एचआईवी/एड्स से संक्रमित लोगों की परिचर्या, सहायता और उपचार से संबंधित कतिपय नीतियां तैयार की हैं और निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त नीतियां और निदेश देश में एचआईवी/एड्स संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव, उन पर लांछन लगाने और उनका बहिष्कार करने संबंधी मुद्दों का समाधान करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल के वर्षों में एचआईवी/एड्स संक्रमित लोगों के साथ प्राधिकारियों द्वारा अनुचित व्यवहार और भेदभाव बरते जाने के कारण उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) भारत सरकार देश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठनों (नाको) के जरिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) कार्यान्वित कर रही है। एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों की परिचर्या एवं सहायता राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (1999-2007) के चरण-2 का एक अभिन्न घटक था। चरण-2 के बाद के भाग के दौरान शुरू में देश के 6 उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में 8 एंटिरिट्रोवाइरल उपचार (एआरटी) केन्द्रों में 1 अप्रैल, 2004 से "निःशुल्क एंटिरिट्रोवाइरल उपचार (एआरटी) कार्यक्रम शुरू किया गया। एनएसीपी-3 (2007-2012) के दौरान इसका और अधिक विस्तार किया गया और जून, 2011 तक की स्थिति के अनुसार फिलहाल 313 एआरटी केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें एचआईवी परिचर्या के लिए कुल 13,20,797 एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति पंजीकृत हैं तथा कुल 4,26,195 रोगी निःशुल्क एआरटी प्राप्त कर रहे हैं।

एआरटी संबंधी रोगियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण पर है।

एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों को उनके निवास स्थान के निकट उपचार प्रदान करने के लिए 641 संपर्क एआरटी केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों (पीएलएचआईवी) को परिचर्या एवं सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 259 सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की भी स्थापना की गई है।

'एआरटी केन्द्रों में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए व्यापक परिचर्या' के संबंध में दिनांक 26 अगस्त, 2008 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा एक निर्देशक जारी किया गया था। इस निर्देश में एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों को दिए जाने वाले उपचार की सीमा एवं प्रभावकारिता का उन्नयन करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए है। सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (एसएसीएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि "सभी डाक्टर, नर्स, अस्पताल स्टाफ एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों का इज्जत एवं देखरेख के साथ व्यावसायिक एवं मानवोचित तरीके से उपचार करेंगे।" इसके अतिरिक्त, यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अथवा अन्यथा स्थानों में कोई 'स्टिगमा' या 'भेदभाव' नहीं किया जाता है। एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों को सेवाएं से 'इनकार करने' के मामलों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए तथा ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई शुरू की जाए। इस निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने स्टिगमा, भेदभाव तथा सेवा से इनकार सहित परिचर्या, सहायता तथा उपचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए "राज्य शिकायत निवारण समितियां" गठित की हैं।

एसएसीएस से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल के वर्षों में अस्पताल के प्राधिकारियों के अनुचित व्यवहार एवं भेदभाव के कारण एचआईवी ग्रस्त रोगियों द्वारा आत्महत्या करने के मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

विवरण

एआरटी केन्द्रों तथा एचआईवी एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों जो जीवित हैं तथा एआरटी पर हैं, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	एआरटी केन्द्रों की संख्या	पुरुष	महिला	ट्रांसजेन्डर	बच्चे	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	43	46187	39889	74	4394	90544
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	24	9	0	1	34
3.	असम	3	897	438	0	60	1395
4.	बिहार	6	5717	2831	1	435	8984
5.	चंडीगढ़	1	1099	587	5	187	1878
6.	छत्तीसगढ़	4	1343	747	1	166	2257
7.	दिल्ली	9	5707	2503	98	659	8967
8.	गोवा	1	724	479	0	87	1290
9.	गुजरात	22	12760	7081	76	1157	21074
10.	हरियाणा	1	1333	821	2	138	2294
11.	हिमाचल प्रदेश	3	640	582	0	123	1345
12.	जम्मू और कश्मीर	2	396	241	0	46	683
13.	झारखंड	4	1529	889	1	166	2.585
14.	कर्नाटक	44	28845	26661	103	4029	59638
15.	केरल	8	3330	2047	0	294	5671
16.	मध्य प्रदेश	10	3182	1812	13	343	5350
17.	महाराष्ट्र	51	54795	40215	141	6567	101718
18.	मणिपुर	7	3688	2697	34	497	6916
19.	मेघालय	1	76	73	0	4	153
20.	मिजोरम	3	539	533	0	72	1144
21.	नागालैंड	5	1297	1153	1	112	2563
22.	ओडिशा	5	2004	1138	2	126	3270
23.	पुदुचेरी	1	397	303	2	69	771
24.	पंजाब	6	3889	2782	11	398	7080
25.	राजस्थान	6	5740	3840	5	596	10145

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	सिक्किम	1	30	26	0	1	57
27.	तमिलनाडु	41	27207	22008	126	2932	52273
28.	त्रिपुरा	1	118	34	0	3	155
29.	उत्तर प्रदेश	12	9208	5937	19	876	16040
30.	उत्तरांचल	2	491	378	0	72	941
31.	प. बंगाल	9	5651	2837	16	440	8944
	योग	313	228807	171571	731	25050	426159

मेडिकल और नर्सिंग कालेज

***435. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में मेडिकल और नर्सिंग कालेजों के साथ-साथ उनमें अध्यापकों की भी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी तथा निजी मेडिकल और नर्सिंग कालेजों की और उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) नए मेडिकल और नर्सिंग कालेज खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं और सरकार द्वारा नए मेडिकल और नर्सिंग कालेजों की स्थापना करने और उनमें अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में सागर में ऐसे एक कालेज सहित राज्यों में नए मेडिकल और नर्सिंग कालेज और संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकारों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों तथा संकाय की कमी के प्रश्न को डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य मानव संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता एवं वितरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वर्तमान डाक्टर-जनसंख्या अनुपात करीब 1:2000 है। 1:1000 के वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश में 15.4 लाख डॉक्टरों की और अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इस प्रकार कॉलेजों को विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है। क्योंकि यह संख्या छात्रों की दाखिला क्षमता पर निर्भर करेगी। तथापि, और अधिक मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को सुसाध्य बनाने तथा मेडिकल कॉलेजों में संकाय की संख्या को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार ने शिक्षक-छात्र अनुपात, भूमि की आवश्यकता, बिस्तर संख्या, बिस्तर धारिता, अधिकतम दाखिला क्षमता तथा शिक्षण संकाय की उम्र में वृद्धि इत्यादि से संबंधित मानदंडों को तर्कसंगत बनाया है। मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों में स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर सीटों की स्वीकृत संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II पर है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षो के दौरान नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए प्राप्त 165 प्रस्तावों में से, वर्ष 2009-10 में सागर में एक मेडिकल कॉलेज सहित 46 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। वर्तमान सत्र 2012-13 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है।

जहां तक नर्सिंग कॉलेजों का संबंध है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं के स्थलों पर 6 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

आज की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कॉलेजों, एमबीबीएस एवं पी जी सीटों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कॉलेजों की संख्या			एमबीबी एस सीटों की कुल संख्य			पीजी सीटें
		सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	14	23	37	1875	2950	4825	2392
2.	असम	4	0	4	526	-	526	363
3.	बिहार	7	3	10	540	220	760	425
4.	चंडीगढ़	1	-	1	50	-	50	38
5.	छत्तीसगढ़	3	-	3	300	-	300	79
6.	दिल्ली	5	1	6	700	100	800	938
7.	गोवा	1	-	1	100	-	100	71
8.	गुजरात	8	11	19	1280	1450	2730	1537
9.	हरियाणा	1	4	5	200	400	600	273
10.	हिमाचल प्रदेश	2	-	2	200	-	200	121
11.	जम्मू और कश्मीर	3	1	4	250	100	350	331
12.	झारखंड	3	-	3	250	-	250	174
13.	कर्नाटक	10	31	41	1250	4375	5625	2833
14.	केरल	6	17	23	1000	1800	2800	920
15.	मध्य प्रदेश	6	6	12	720	850	1570	557
16.	महाराष्ट्र	19	22	41	2200	2710	4910	2382
17.	मणिपुर	2	-	2	200	-	200	72
18.	ओडिशा	3	3	6	464	300	764	368
19.	पुदुचेरी	2	7	9	250	900	1150	301
20.	पंजाब	3	7	10	350	795	1145	960
21.	राजस्थान	6	4	10	800	550	1350	806
22.	सिक्किम	-	1	1	-	100	100	14
23.	तमिलनाडु	18	22	40	1945	3170	5115	2119
24.	त्रिपुरा	2	-	2	200	-	200	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	उत्तर प्रदेश	11	14	25	1349	1550	2899	1119
26.	उत्तराखंड	2	2	4	200	200	400	119
27.	प. बंगाल	12	2	14	1600	250	1850	1092
	महायोग	154	181	335	18799	22770	41569	20868

विवरण II

वर्ष 2011 में नर्सिंग संस्थाओं का राज्यवार वितरण तथा प्रवेश क्षमता

राज्य का नाम	बी.एस.सी. (एन)						एम.एस.सी.					
	सरकारी	सीटें	निजी	सीटें	कुल		सरकारी	सीटें	निजी	सीटें	कुल	
					संस्थाएं	सीटें					संस्थाएं	सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार					0	0				0	0	
आंध्र प्रदेश	7	421	234	12085	241	12506	2	30	55	1011	57	1041
अरुणाचल प्रदेश						0	0				0	0
असम	2	120	6	290	8	410	3	62	1	10	4	72
बिहार	1	40			1	40					0	0
चंडीगढ़	1	60			1	60	1	20			1	20
छत्तीसगढ़	6	290	40	1880	46	2170	1	20	11	186	12	206
दादर और नगर हवेली					0	0					0	0
दिल्ली	7	415	9	460	16	875	2	30	2	50	4	80
गोवा	1	50	2	80	3	130					0	0
गुजरात	7	350	30	1385	37	1735	1	25	3	50	4	75
हरियाणा	1	75	23	1010	24	1085	1	10	2	40	3	50
हिमाचल प्रदेश	2	120	11	500	13	620					0	0
जम्मू और कश्मीर	2	100	4	180	6	280			4	66	4	66
झारखंड	1	50	4	180	5	230					0	0
कर्नाटक	6	410	342	18293	348	18703	3	44	180	3437	183	3481
केरल	7	465	114	6215	121	6680	4	50	53	1061	57	1111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य प्रदेश	3	170	103	5075	106	5245	1	10	24	381	25	391
महाराष्ट्र	7	350	81	3590	88	3940	3	60	26	416	29	476
मणिपुर			4	160	4	160					0	0
मेघालय	1	50	1	40	2	90					0	0
मिजोरम	2	63			2	63					0	0
नागालैंड					0	0					0	0
ओडिशा	1	20	13	650	14	670	1	20	5	69	6	89
पुदुचेरी			12	875	12	875	1	17	4	85	5	102
पंजाब	3	200	83	3960	86	4160	1	20	26	390	27	410
राजस्थान	5	256	140	5970	145	6226	1	25	6	65	7	90
सिक्किम	1	100	1	60	2	160					0	0
तमिलनाडु	4	200	159	8860	163	9060	2	65	58	1322	60	1387
त्रिपुरा			1	60	1	60					0	0
उत्तर प्रदेश			38	1770	38	1770			5	95	5	95
उत्तरांचल	1	60	9	420	10	480			3	50	3	50
पश्चिम बंगाल	6	260	11	495	17	755	3	50	3	57	6	107
महायोग	85	4695	1475	74543	1560	79238	31	558	471	8841	502	9399

विवरण III

विगत तीन वर्षों के दौरान मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या					
		शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए 2008 में		शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए 2009 में		शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए 2010 में	
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5	-	4	3	10	1
2.	असम	0	-	0	1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	5	–	2	–	3	1
4.	छत्तीसगढ़	2	–	2	–	2	–
5.	दिल्ली	1	–	1	–	3	–
6.	गुजरात	5	3	5	–	6	3
7.	हिमाचल प्रदेश	3	–	2	–	–	–
8.	हरियाणा	0	–	1	1	4	1
9.	जम्मू और कश्मीर	0	–	1	–	1	–
10.	झारखंड	2	–	0	–	2	–
11.	कर्नाटक	3	–	0	1	5	2
12.	केरल	3	2	2	–	5	2
13.	मध्य प्रदेश	3	2	0	–	2	1
14.	महाराष्ट्र	1	–	1	–	7	–
15.	मणिपुर	1	–	0	1	–	–
16.	उड़ीसा	1	–	0	–	4	–
17.	पुदुचेरी	0	–	0	1	–	–
18.	पंजाब	0	–	1	–	2	2
19.	राजस्थान	0	–	0	–	2	–
20.	तमिलनाडु	8	2	11	5	13	3
21.	उत्तर प्रदेश	3	2	1	–	8	4
22.	उत्तराखंड	2	–	1	–	–	–
23.	पश्चिम बंगाल	2	–	2	1	5	3
	कुल	50	11	37	14	85	21

प्राप्त कुल प्रस्ताव : 43+37+85=165

विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव* : 11+14+21=46

एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी इन्सेफलाइटिस के विरुद्ध प्रतिरक्षण

*436. **श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी इन्सेफलाइटिस के विरुद्ध प्रतिरक्षण/टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रयोजनार्थ स्थापित की गई समन्वयकारी और निगरानी एजेंसियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और प्रतिरक्षण कार्यक्रम से देश में विशेषरूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन रोगों की पुनरावृत्ति की रोकथाम में कितनी सहायता मिली है;

(घ) क्या सरकार को एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी इन्सेफलाइटिस के विरूद्ध टीकाकरण/प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित कतिपय राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। भारत सरकार ने सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू आई पी) के अंतर्गत वर्ष 2006 से जापानी एन्कीफालाइटिस (जे ई) वैक्सीनेशन की शुरुआत की है।

(ख) 15 राज्यों के जे ई स्थानिकमारी वाले 112 जिलों में जापानी एन्कीफालाइटिस (जे ई) वेक्सीनेशन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय तथा प्रतिरक्षण प्रभाग द्वारा केन्द्रीय स्तर पर इस वेक्सीन कार्यक्रम अधिकारीगण राज्य स्तर पर समन्वय और निगरानी करते हैं।

(ग) 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान 704.02 लाख बच्चों को वेक्सीनेशन दिया गया है जो लक्षित जनसंख्या के 79.92% कवरेज के बराबर है।

वर्ष 2010-11 में, कम कवरेज की वजह से व्यापक स्तर पर पुन: वेक्सीनेशन के लिए नौ जिलों (उत्तर प्रदेश के 7 और असम के 2) को चुना गया था जिनमें 97.85% कवरेज के साथ 74.95 लाख बच्चों को वेक्सीनेशन दिया गया था।

स्थानिकमारी वालों राज्यों में जेई वैक्सीनेशन से जेई के रोगियों की संख्या में कमी होने में मदद मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2005 (जे ई वेक्सीनेशन की शुरुआत होने से पहले) के दौरान सूचित 35.8% सीरो-पॉजिटिव मामलों के मुकाबले वर्ष 2010 के दौरान कुल 11.9% मामलों की ही सूचना प्राप्त हुई।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जिन 9 राज्यों ने चुनिंदा जिलों में जे ई वेक्सीन शुरुआत करने हेतु अनुरोध किया है, उनकी सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है। किसी जिले में जेई वेक्सीनेशन शुरू करने संबंधी निर्णय उस जिले में व्याप्त रोगी भार पर निर्भर करता है जिसमें, तत्पश्चात् वैज्ञानिक साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण निहित होता है।

विवरण I

क्र. सं.	राज्य	जिलों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश (10 जिले)	वारंगल, कुर्नूल, आदिलाबाद, नेल्लौर, मेढक, कृष्णा, खम्मम, नालगोंडा, महबूबनगर, निजामाबाद
2.	अरुणाचल प्रदेश (1 जिला)	लोहित
3.	असम (11 जिले)	डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, दीमाजी, तिनसुकिया, कामरूप, लखीमपुर, सोनितपुर, नागांव, ऊदलगिरि

1	2	3
4.	बिहार (6 जिले)	मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारन, गया, गोपालगंज, नवादा, सिवान,
5.	गोवा (2 जिले)	गोवा उत्तरी, गोवा दक्षिणी
6.	हरियाणा (6 जिले)	कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत, यमुनानगर
7.	कर्नाटक* (8 जिले)	बेल्लारी, कौलार, रायचूर, कोप्पल, मांड्या, बीजापुर, धारवाड़, चिकवल्लापुर
8.	केरल (2 जिले)	अल्लेपी, तिरुवनंतपुरम
9.	महाराष्ट्र (8 जिले)	अमरावती, (जिला एवं कार्प), भंदारा, नागपुर (ग्रामीण), यवतमाल, गढ़चिरौली, वाशिम, बीड, लातूर
10.	मणिपुर (5 जिले)	इम्फाल पूर्वी, इम्फाल पश्चिमी, थूबल, विष्णपुर, चंदेल
11.	नागालैंड (2 जिले)	दीमापुर, मोकोंगचुंग
12.	तमिलनाडु* (9 जिले)	कोडाल्लोर, विल्लूपुरम, विरुद्ध नगर, बदुरई, पैराम्बलूर, तिरूवरूर, त्रिचि, तंजावुर, तिरूवंतमाला, छायार
13.	उत्तर प्रदेश* (35 जिले)	लखीमपुर खीरी, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर, बालमपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, मऊ, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, बरेली, फैजाबाद, हरदोई, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, शाहजहांनपुर, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर
14.	उत्तराखण्ड (1 जिला)	ऊधम सिंह नगर
15.	पश्चिम बंगाल (5 जिले)	बुर्द्धवान, बीरभूमि, पश्चिम मिदनापुर, हुगली, हावड़ा
	कुल	112

* कर्नाटक में स्थित कोल्लार जिले को एक और जिला- चिकबल्लापुर बनाने हुतु द्विविभाजित किया गया था।

\- तमिलनाडु में स्थित तिरुवन्नमलाई जिले को एक और जिला-छायार बनाने हेतु द्विविभाजित किया गया था।

\- उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली जिले को एक और जिला-शाहूजी महाराज जिला बनाने हेतु द्विविभाजित किया गया था; अत: 109+3 जिले = कुल 112 जिले।

विवरण II

जेई वेक्सीनेशन के अंतर्गत कवर किए जाने वाले नए जिले

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिलों की कुल संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	चित्तूर करीमनगर	2

1	2	3	4
2	असम	बारपेटा	5
		मोरीगांव	
		दारंग	
		नलबाड़ी	
		गोपालपाड़ा	
3	बिहार	अररिया	3
		मोतिहारी	
		समस्तीपुर	
4	झारखंड	पाकुर	1
5	कर्नाटक	तुंकुर	1
6	तमिलनाडु	करूर	1
7	मेघालय	पश्चिमी खासी हिल्स	3
		पूर्वी खासी हिल्स	
		आरआई भोई	
8	महाराष्ट्र	गोंडिया	1
9	मणिपुर	चूडाचंदपुर	3
		सेनापति	
		कांगपोकपी	
	कुल		20

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा का संवर्धन

***437. श्री धर्मेंद्र यादवः**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रकाश व्यवस्था तथा तापन व्यवस्था दोनों के लिए सौर ऊर्जा का दोहन करने की योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उनके द्वारा कितनी धनराशि उपयोग की गई है; और

(घ) सौर ऊर्जा के माध्यम से गैर-विद्युतीकृत ग्रामों/बस्तियों के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों में सौर रोशनी प्रणालियों हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत अधिकतम 81/-रु. प्रति डब्ल्यूपी के अध्यधीन संस्थापना लागत की 30% और विशेष श्रेणी के राज्यों, संघ शासित द्वीप समूहों और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के माध्यम से सौर रोशनी प्रणालियों हेतु 30% सब्सिडी और 300/- रु. प्रति डब्ल्यूपी की बैंचमार्क लागत का 50% पुनर्वित्तपोषिण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ अविद्युतीकरण जनगणना गांवों और विद्युतीकृत गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों, जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार व्यवहार्य नहीं पाया गया है और इसलिए इन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, में प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत विद्युतीकरण के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम (आरवीई) के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पूर्व/निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन प्रणालियों की लागत के 90% तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मंत्रालय द्वारा शून्यीकृत आधारित सौर जल तापकों के लिए 300/-रु. प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र और फ्लैट प्लेट संग्राहकों आधारित प्रणालियों हेतु 3300/-रु. प्रति वर्गमीटर की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय द्वारा कुछ बैंचमार्कों के अध्यधीन सौर वायु तापकों, सौर कुकर और सौर स्टीम प्रणालियों के लिए लागत के 30% पर सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऑफ-ग्रिड एसपीवी प्रणाली कार्यक्रम, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम और सौर तापीय कार्यक्रम के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश निधियों का उपयोग कर लिया गया है। सामान्यतया परियोजनाओं को पूर्ण होने में एक वर्ष का समय लगता है। आगे और निधियां उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने और परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की मॉनीटरिंग के बाद ही जारी की जाती हैं।

(घ) इन गांवों में सौर का प्रयोग करके विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। तथापि, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार 8846 दूरस्थ गांवों/बस्तियों में प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 (दिनांक 30.08.2011 तक) के दौरान एसपीवी कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई राज्य वार निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान जारी की गई निधि लाख रु. में			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	39.38	240.02	631.00	3.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.45	1.33.00	372.67	250.00
3.	असम	44.40	38.19	651.22	50.00
4.	बिहार	9.75	0	2.25	45.80
5.	छत्तीसगढ़	235.50	1086.26	2891.53	657.56
6.	दिल्ली	0	52.03	0	0

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	0	35.80	2.95	0
8.	गुजरात	100.00	113.57	13.75	38.42
9.	हरियाणा	509.54	387.44	603.07	318.85
10.	हिमाचल प्रदेश	598.12	148.50	440.00	100.00
11.	जम्मू और कश्मीर	671.56	384.21	2145.58	3191.76
12.	झारखंड	636.31	12.00	206.70	53.00
13.	कर्नाटक	0	456.93	95.75	58.46
14.	केरल	0	28.85	4.50	38.00
15.	लक्षद्वीप	11.33	0	1387.00	0
16.	मध्य प्रदेश	0	150.88	1071.91	476.27
17.	महाराष्ट्र	196.14	1148.68	115.35	61.08
18.	मणिपुर	201.85	53.69	265.98	179.00
19.	मेघालय	88.65	0	618.98	0
20	मिजोरम	0	0	246.40	0
21.	नागालैंड	0	0	14.86	136.02
22.	ओडिशा	1.88	3.84	12.50	12.00
23.	पुदुचेरी	0	11.54	0	0
24.	पंजाब	189.50	421.23	489.57	150.00
25.	राजस्थान	0	666.99	3097.37	1667.70
26.	सिक्किम	11.68	91.68	223.20	0
27.	तमिलनाडु	0	88.80	45.08	319.27
28.	त्रिपुरा	0	571.11	91.23	0
29.	उत्तराखंड	1054.76	482.74	2064.67	172.90
30.	उत्तर प्रदेश	370.05	743.04	1753.53	1245.25
31.	पश्चिम बंगाल	324.00	1178.61	1247.02	61.95
32.	अन्य (सेल, आरईआईएल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर-सरकारी संगठन आदि)	155.13	233.61	4417.21	507.16
	कुल	5849.98	8963.23	25449.60	9793.99

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 (दिनांक 30.08.2011 तक) के दौरान आरवीई कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/इरेडा/बैंक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17.94	6.13	0	
2.	अरुणाचल प्रदेश	278.57		0	
3.	असम	2025.79	1185.43	444.86	217.07
4.	बिहार				0
5.	छत्तीसगढ़	820.01	510.83	0	
6.	दिल्ली			14.96	
7.	गोवा			9.74	
8.	गुजरात				0
9.	हरियाणा	55.69	12.86	0	
10.	हिमाचल प्रदेश			0	
11.	जम्मू और कश्मीर	1107.89	366.83	2923.74	
12.	झारखंड	1036.62	576.38	1.70	342.00
13.	कर्नाटक	10.13		0.42	
14.	केरल	330.96		0	
15.	मध्य प्रदेश	515.05	704.84	1085.83	
16.	महाराष्ट्र	593.35		337.99	163.26
17.	मणिपुर	409.02		0	
18.	मेघालय	8.08	117.86	0	
19.	मिजोरम			0	
20.	नागालैंड			52.89	
21.	ओडिशा	313.49	1750.65	185.08	2353.20
22.	राजस्थान		449.15	817.85	
23.	सिक्किम		8.04	0	

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु		66.76	0	
25.	त्रिपुरा	1159.61	588.65	0	
26.	उत्तराखंड	184.11	55.23	8.39	22.01
27.	उत्तर प्रदेश		545.05	797.78	
28.	पश्चिम बंगाल		1340.63	1135.76	308.85
29.	अन्य (टेरी)	15.04		0	
	कुल	8881.43	8285.32	7816.99	3406.39

विवरण III

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 (दिनांक 30.08.2011 तक) के लिए सौर तापीय कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी राज्य-वार व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/इरेडा/बैंक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	48.67	29.23	626.28	-
2.	असम	-	15.55	-	-
3.	बिहार	-	-	3.45	-
4.	चंडीगढ़	-	4.88	3.98	-
5.	चंडीगढ़	2.27	36.84	93.43	-
6.	दिल्ली	0.55	0.55	31.55	-
7.	गुजरात	35.85	131.72	181.08	-
8.	गोवा	-	4.05	-	-
9.	हरियाणा	32.29	59.97	164.37	27.04
10.	हिमाचल प्रदेश	8.60	12.13	69.20	111.12
11.	जम्मू और कश्मीर	-	16.00	103.00	438.74
12.	कर्नाटक	8.23	16.6	113.73	75.00
13.	केरल	17.40	5.12	4.96	8.07

1	2	3	4	5	6
14.	मेघालय	–	1.44	25.00	–
15.	लक्षद्वीप	4.31	–	–	–
16.	मध्य प्रदेश	0.38	8.82	55.41	8.56
17.	महाराष्ट्र	13.83	157.22	117.17	39.98
18.	मणिपुर		4.27	25.00	1.00
19.	मिजोरम	0.72	–	–	–
20.	नागालैंड	–	3.48	25.00	–
21.	पुदुचेरी	–	2.03	1.81	–
22.	पंजाब	6.60	15.30	50.92	1.40
23.	राजस्थान	5.93	6.00	29.53	2.25
24.	सिक्किम	1.79	5.37	2.88	–
25.	तमिलनाडु	11.80	24.93	91.56	–
26.	उत्तर प्रदेश	58.98	33.46	59.46	–
27.	उत्तराखंड	8.18	28.05	132.80	0.99
28.	पश्चिम बंगाल	10.50	15.92	0.46	–
29.	त्रिपुरा	–	2.88	54.44	–
30.	इरेडा/बैंक/अन्य	1311.10	671.4	1193.00	349.50
31.	एआईडब्ल्यूसी/डब्ल्यूईसी	–	2.40	–	–
32.	सीपीडब्ल्यूडी/टेरी	–	27.08	–	–
	कुल	1587.98	1342.00	3259.47	1063.65

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे जनजातीय लोग

*438. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जनजातीय लोगों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कोई विशेष योजना/कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इससे राज्य-वार कितने जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) भारत में नोडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएस) द्वारा संचालित "घरेलू उपभोक्ता व्यय" पर बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सामाजिक समूहवार, गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है। जिस आधार पर गरीबी रेखा तैयार की गई है, ऐसा अंतिम सर्वेक्षण जुलाई, 2004 से जून 2005 की अवधि के दौरान किया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से जनजातियों सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का पता लगाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जनगणना करता है। पिछली जनगणना 2002 में हुई थी और सामाजिक श्रेणीकरण सहित बीपीएल ग्रामीण परिवारों की ब्यौरेवार सूची राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है।

योजना आयोग के अनुसार 2004-05 के लिए गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातियों के उत्थान के लिए राज्यों और अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को अनुपूरित करता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत राज्यों में जनजातियों के और अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए राज्य योजना को एक योजक के रूप में लाने के लिए राज्यों को इस मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जाता है। टीएसपी को एससीए का उद्देश्य बीपीएल अनुसूचित जनजाति परिवारों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) समुदायों की रोजगार-व-आय सृजनकारी कार्यकलापों को कवर करना है। लाभार्थियों के रूप में सुपुर्दगी आउटपुट का परिमाणन व्यवहार्य नहीं हैं, चूंकि योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित अनेक लाभार्थी प्राथमिक रूप से परिवारोन्मुख होते हैं और योजनाएं राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के संयोजन से कार्यान्वित की जानी होती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीएसपी को एससीए के अंतर्गत राज्य सरकरों को निर्मुक्त निधि संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण I

गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत (एनएसएस-2004-05 पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का %	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	50.0
2.	असम	14.1	4.8
3.	बिहार	53.3	57.2
4.	छत्तीसगढ़	54.7	41.0
5.	दिल्ली	0.0	9.4
6.	गुजरात	34.7	21.4
7.	हरियाणा	0.0	4.6
8.	हिमाचल प्रदेश	14.9	2.4
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	0.0

1	2	3	4
10.	झारखंड	54.2	45.1
11.	कर्नाटक	23.5	58.3
12.	केरल	44.3	19.2
13.	मध्य प्रदेश	58.6	44.7
14.	महाराष्ट्र	56.6	40.4
15.	ओडिशा	75.6	61.8
16.	पंजाब	30.7	2.1
17.	राजस्थान	32.6	24.1
18.	तमिलनाडु	32.1	32.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	37.4
20.	उत्तराखंड	43.2	64.4
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	25.7
	अखिल भारत	47.3	33.3

लीजेंड अ.ज.जा.=अनुसूचित जनजातियां, एनएसएस=राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

स्रोत: योजना आयोग

विवरण II

2008-09 से 2011-12 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	निर्मुक्ति			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (01.09.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4176.75	1930.00	5746.50	2543.00
2.	असम	3755.65	2883.00	3500.00	0.00
3.	बिहार	0.00	870.94	650.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	6829.2	6322.88	8453.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	4571.435	5635.53	8126.00	2400.00

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1276.00	1179.40	1506.00	750.00
8.	जम्मू और कश्मीर	676.00	263.79	489.57	0.00
9.	झारखंड	2198.25	0.00	9481.55	0.00
10.	कर्नाटक	1544.00	1647.96	2053.00	0.00
11.	केरल	396.25	366.10	440.00	240.00
12.	मध्य प्रदेश	12644.25	8722.00	15214.00	7700.00
13.	महाराष्ट्र	2500.00	895.91	6696.00	0.00
14.	मणिपुर	989.00	527.795	1187.00	0.00
15.	ओडिशा	10110.5	8885.55	12393.00	5864.00
16.	राजस्थान	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00
17.	सिक्किम	315.00	291.38	369.00	0.00
18.	तमिलनाडु	469.00	108.00	393.05	0.00
19.	त्रिपुरा	1548.00	1431.29	1879.00	950.00
20.	उत्तराखंड	0.00	108.135	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	644.25	0.00	0.00	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	3255.75	2654.34	3384.00	2000.00
	कुल योग	63135.29	48124.00	90169.67	24287.00

वन ग्रामों के विकास के लिए निर्मुक्त निधियों के अलावा।

[हिन्दी]

पर्यटक केन्द्रों के रूप में राष्ट्रीय उद्यान

***439. श्री जफर अली नकवी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) ने राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरणों को मूलभूत शिष्टाचार तथा व्यवहार के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 2010-11 में 'बाघ बचाओं अभियान' आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चयनित राष्ट्रीय उद्यानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राष्ट्रीय उद्यान-वार कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सहित राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के साथ संबद्ध विभिन्न होटल प्रबंध संस्थानों के छात्रों के माध्यम से देश में चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में जमीनी स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन

करवाया। यह मूल्यांकन दिसंबर, 2009 से जून, 2010 के दौरान छह राष्ट्रीय उद्यानों में होटलों, लॉजों, रिजार्टों, कैम्पों एवं अतिथि गृहों के लिए किया गया। इन मूल्यांकन सर्वेक्षणों के परिणामों से संबंधति प्रशासनिक मंत्रालय नामत: वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अवगत कराया गया है। इन सर्वेक्षणों के संचालन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहन किए गए उद्यान-वार व्यय इस प्रकार से हैं- जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड (2.37 लाख रुपए), काजीरंगा, असम (3.32 लाख रुपए), मुदुमलाई तमिलनाडु (0.82 लाख रुपए), बांध वगढ़ एवं कान्हा, मध्य प्रदेश (5.42 लाख रुपए) और पेंच (1.30 लाख रुपए), मध्य प्रदेश।

(घ) और (ङ) पर्यटक स्थलों के रूप में राष्ट्रीय उद्यानों सहित पर्यटन के विकास एवं संबंर्धन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकरों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर राष्ट्रीय उद्यानों के विकास सहित पर्यटन परियोजनाओं के विकास एवं संवर्धन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005-06 में दुधवा-कटेरनियां घाट पर्यटक परिपथ के अंतर्गत जिला खेरी, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में अवसंरचना एवं गंतव्य विकास की एक परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 312.60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। इस परियोजना को उसके बाद राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जा चुका है।

[अनुवाद]

यौनकर्मियों का पुनर्वास

***440. श्री अरुण यादव:**
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ितों के दुर्व्यापार को रोकने, उन्हें बचाने, उनका पुनर्वास तथा पुन:एकीकरण करने के लिए कौन-सी योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या उक्त योजना देश में यौनकर्मियों के पुनर्वास के मुद्दे का समाधान करती है;

(ग) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने यौनकर्मियों का पुनर्वास किया गया है तथा देश में यौनकर्मियों राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार से यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है तथा उनके लिए पुनर्वास उपायों की सिफारिश करने के लिए कोई पैनल नियुक्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 की वर्तमान तिथि क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) सरकार अनैतिक व्यापार के निवारण और व्यावसायिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले अनैतिक व्यापार की पीड़ितों के उद्धार, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में वापसी के लिए दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 से 'उज्ज्वला' नामक व्यापक स्कीम चला रही है। एह स्कीम अनैतिक व्यापार से पीड़ित होने की संभावना वाली महिलाओं और बच्चों तथा व्यावसायिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले अनैतिक व्यापार से पीड़ित हो चुकी महिलाओं और बच्चों के लिए तैयार की गई है। तथापि, जो यौन कर्मी अपनी इच्छा से इस व्यवसाय में आगे आईं हैं किन्तु अब चाहती हैं कि उनका पुनर्वास हो जाए, वे यौन कर्मी भी उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं।

इस स्कीम से अंतर्गत देशभर में 76 संरक्षणात्मक और पुनर्वास गुह संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें अधिकतम 3800 लाभार्थियों को रखा जा सकता है। इन पुनर्वास गृहों में रहने वाली लाभार्थियों को भोजन, वस्त्र, आश्रय चिकित्सीय देखरेख, कनूनी सहायता, यदि पीड़ित बच्चियां हों तो शिक्षा और पीड़ितों को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आय अर्जन कार्यकलाप के लिए इन गृहों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

'वेश्यावृत्ति में बालिकाएं और महिलाएं' शीर्षक से एक व्यापक अध्ययन वर्ष 2004 में किया गया था, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रायोजित किया था। इस अध्ययन के अनुसार, देशभर में वेश्याओं की अनुमानित संख्या लगभग 28 लाख है, जिनमें से 36% बच्चियां हैं। उक्त अध्ययन के अनुसार वेश्यावृत्ति में लिप्त बालिकाओं/महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.02.2011 के अपने आदेश में राज्य और केन्द्र सरकारों को भारत से सभी शहरों में यौन कर्मियों को तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके इनके पुनर्वास की स्कीमें तैयार करने के लिए कहा था। इसके बाद

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.07.2011 के अपने अवदेश द्वारा एक पैनल गठित किया, जो देह व्यापार को छोड़ने की इच्छुक यौन कर्मियों के पुनर्वास सहित विभिन्न पहलुओं पर न्यायालय को उपयुक्त सुझाव देगा। न्यायालय ने उक्त पैनल से कहा है कि वे सबसे पहले दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई नामक चार महानगरों में यौन कार्मियों की समस्याओं पर विचार करें। इस पैनल ने अपने समक्ष लंबित मुद्दों पर विचार करने के लिए तीन बैठकें की हैं।

(च) अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 लोक सभा में वर्ष 2006 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2009 में लोक सभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में अधिनियम के कार्यक्षेत्र में विस्तार, अनैतिक व्यापारियों के लिए सजा में वृद्धि, पीड़ितों के पुन: उत्पीड़न के निवारण और अधिनियम के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित संशोधन शामिल थे। इन प्रस्तावित संशोधनों में और अधिक सुधार के लिए परामर्श किए जा रहे हैं।

विवरण

भारत में वेश्यावृत्ति लिप्त बालिकाओं/महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वेश्यावृत्ति में लिप्त बालिकाओं/महिलाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	320024
2.	अरुणाचल प्रदेश	2750
3	असम	52625
4.	बिहार	161321
5	छत्तीसगढ़	12500
6.	गोवा	5375
7.	गुजरात	146950
8.	हरियाणा	15500
9.	हिमाचल प्रदेश	5375
10	झारखंड	20000
11.	जम्मू और कश्मीर	15500
12.	कर्नाटक	200701
13.	केरल	68750
14.	मध्य प्रदेश	144338
15.	महाराष्ट्र	401300
16.	मणिपुर	4875
17.	मेघालय	4250
18.	नागालैंड	6000
19.	ओडिशा	45066
20.	पंजाब	45000
21.	राजस्थान	167305
22.	सिक्किम	425
23.	तमिलनाडु	303750
24.	त्रिपुरा	1375
25.	उत्तर प्रदेश	271868
26.	उत्तराखंड	8125
27.	पश्चिम बंगाल	367058
28.	चंडीगढ़	10750
29.	दिल्ली	16785
30.	पुदुचेरी	1400
31.	दमन और दीव	493
	भारत	2827534

इनमें मिजोरम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के लिए पृथक प्रकोष्ठ

4831. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के सेवा हितों की देख-रेख के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अ.जा./अ.ज.जा. के हितों की रक्षा के प्रयोजन से सरकार का प्रत्येक राज्य में ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की देखरेख के लिए इस मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्थित सभी विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

(घ) इस विषय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो कि नोडल विभाग है, द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुपालन किया जाता है।

प्रधानमंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम

4832. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनजातीय वर्गों हेतु प्रधानमंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम में केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम आयोग, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय ही आते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण कंपनियों का लेखापरीक्षण

4833. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वर्गों से इस आशय के सुझाव/अनुरोध प्राप्त हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों का लेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) से कराया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है; और

(घ) विद्युत वितरण कंपनियों का लेखा परीक्षक कब शुरू होने तथा कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने वर्ष 2007-08 से एमवाईटी अवधि के दौरान डिस्कॉम्स की सीएजी लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सिफारिश की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

जनजातीय वर्गों के विद्यार्थियों का परस्पर विनिमय

4834. श्री पी. करुणाकरन: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय वर्गों के विद्यार्थियों के परस्पर अंतर-राज्यीय विनिमय के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना से कितने जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

4835. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के उद्‌देश्य और लक्ष्य क्या-क्या हैं तथा आज की स्थिति में इस निधि में कितनी धनराशि है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस निधि के उपयोग के मार्ग निदेश बनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) राष्ट्रीय ऊर्जा निधि की स्थापना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं अभिनव परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए की गई है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एक विश्वसनीय रणनीति के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाया जा सके।

इस निधि का सृजन इसी वर्ष किया गया है और मौजूदा वर्ष के दौरान 1066.46 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में डालने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के तहत वित्तपोषण हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों के मूल्यांकन एवं अनुमोदन हेतु 18.04.2011 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वस्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान तथा विकास को अपनाने के लिए अभिनव पद्धतियों वाली परियोजना/स्कीम राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के अंतर्गत निधियन हेतु पात्र होगी। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी समूह निधियन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान विकास को अपनाने के लिए अभिनव पद्धतियों वाली निम्नलिखित विशिष्ट परियोजनाओं हेतु निधियां उपलब्ध होंगी:

(1) किसी मंत्रालय/सरकारी विभाग द्वारा प्रायोजित; और

(2) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र में वैयक्तिक/संगठनों के संघ द्वारा ऋण अथवा व्यवहार्य अंतर निधियन के रूप में प्रस्तुत। तथापि, भाग लेने वाले संगठनों को कम से कम 40 प्रतिशत राशि की जिम्मेवारी लेनी होगी। इस निधि से सरकारी सहायता किसी भी हालत में कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

एटीएम मशीनों पर तत्काल चैक भुगतान

4836. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंकों ने एटीएम मशीनों पर तत्काल चैक भुगतान की सुविधा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि भारत के कुछ बैंक एक ऐसी प्रौद्योगिकी का परीक्षण कर रहे हैं जिससे स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) द्वारा चेक का तत्काल नकदीकरण किया जा सकेगा। अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए, बैंक विभिन्न कारकों जैसे प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, अपनाने का लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ऐसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में स्वयं ही निर्णय लेते हैं।

एकीकृत बाल विकास योजना

4837. श्री पी. लिंगम:
चौधरी लाल सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली तथा पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बचचों तथा गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई जिन्हें पोषक आहार तथा स्वस्थ्यचर्या सुविधाएं मुहैया कराने के उद्‌देश्य से एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य

प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में शामिल बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के बारे में केन्द्र सरकार कोई आंकड़े नहीं रखती है।

महामारी अधिनियम का सहारा

4838. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने 'स्वाइन फ्लू' जैसी कतिपय बीमारियों से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने हेतु महामारी अधिनियम का सहारा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने स्वाइन फ्लू जैसे संचारी रोगों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हाल ही में महामारी रोग अधिनियम, 1897 का सहारा किया है।

(ग) स्वास्थ्य राज्य सरकार का एक विषय होने के कारण, महामारी रोग अधिनियम, 1897 का सहारा करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का विशेष अधिकार है।

[हिन्दी]

चिरंजीवी योजना का कार्यान्वयन

4839. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में चिरंजीवी योजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार कितने लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सहित योजना के तहत आवंटित धन राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) भारत सरकार, देश के सभी राज्यों में जननी सुरक्षा योजना को कार्यान्वित कर रही है। नकद प्रोत्साहन के प्रावधान के जरिए गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ तथा शिशु मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य सहित जेएसवाई एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। गुजरात के मामले में राज्य, सरकार चिरंजीवी नाम की एक योजना को कार्यान्वित कर रही है जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों/ट्रस्ट अस्पतालों सहित सार्वजनिक निजी सहभागिता है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जेएसवाई के अंतर्गत सहायता प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं। जेएसवाई के अंतर्गत निर्धारित की गई राशि और उपर्युक्त अवधि के दौरान इसके उपयोग के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। गुजरात में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत सहायता मुहैया कराए गए व्यक्तियों की संख्या और विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में इसके उपयोग सहित आबंटित राशि के ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-2012 (जुलाई तक)
चिरंजीवी योजना के लाभार्थी*	1,35,706	1,55,721	1,50,979	42,491
आबंटित निधि की राशि (लाख रु. में)	3100.00	4500.00	3500.00	4500.00
उपयोग लाख रुपए में	2400.84	2919.74	2478.97	277.83

* लाभार्थी को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है, लेकिन उन्हें मुफ्त मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण I

अत्यधिक ध्यान दिए जा रहे राज्य जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12**
1	2	3	4	5	6
(क) उच्च वर्णित राज्य					
1.	बिहार	1144000	1246566	1383000	171039
2.	छत्तीसगढ़	225612	249488	376000	12261
3.	झारखंड	268661	215617	345000	14360
4.	जम्मू और कश्मीर	7771	91887	112210	11618
5.	मध्य प्रदेश	1152115	1123729	1140000	199684
6.	ओडिशा	506879	587158	533000	98504
7.	राजस्थान	941145	978615	911000	17896
8.	उत्तर प्रदेश	1548598	2082285	2339000	380673
9.	उत्तराखंड	71285	79460	75000	
10.	हिमाचल प्रदेश	8215	16851	21000	1274
	उपयोग	5874281	6071656	7235210	1068009
(ख) अन्य राज्य					
11.	आंध्र प्रदेश	551206	318927	1439000	
12.	गोवा	688	650	1000	302
13.	गुजरात	213391	356263	340000	8888
14.	हरियाणा	0	63326	63000	5017
15.	कर्नाटक	400349	475193	340000	39887
16.	केरल	136393	134974	180000	
17.	महाराष्ट्र	224375	347799	249000	107375
18.	पंजाब	67911	97089	108000	12159
19.	तमिलनाडु	386688	389320	350000	43812
20.	पश्चिम बंगाल	748343	724804	535000	26704
	उपयोग	2737559	2908342	3605000	244144

1	2	3	4	5	6
(ग) संघ राज्य क्षेत्र					
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	197	498	132	
22.	चंडीगढ़	467	199	213	41
23.	दादरा और नागर हवेली	157	594	1273	64
24.	दमन और दीव	NA	0	0	
25.	दिल्ली	23829	21564	19000	2347
26.	लक्षद्वीप	288	899	548	
27.	पुदुचेरी	4807	4932	5000	867
	उपयोग	29745	28686	26166	3319
(घ) पूर्वोत्तर राज्य					
28.	अरुणाचल प्रदेश	10180	10257	9000	838
29.	असम	327894	366433	390000	52312
30.	मणिपुर	11096	17375	20000	1693
31.	मेघालय	5329	14738	12000	2665
32.	मिजोरम	15482	14265	14000	141
33.	नागालैंड	9790	22728	9000	2552
34.	सिक्किम	3606	3292	4000	
35.	त्रिपुरा	20166	20500	14000	3970
	उपयोग	75649	469588	472000	64171
	महाउपयोग	9036913	10078275	11338376	1379643

आंकड़े अनंतिम हैं।

एच एम आई एस, स्वा. परिवार कल्याण मंत्रालय: अप्रैल-जून, 2011 की अवधि की रिपोर्ट।

विवरण II

जे एस वाई के अंतर्गत आबंटन और व्यय के ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य								
1.	बिहार	173.6	161.81	230	236.9	250	241.85	250.85
2.	छत्तीसगढ़	34.87	21.46	57.4	32.08	74.67	65.54	68.85
3.	हिमाचल प्रदेश	1.03	0.79	1.01	1.03	2.18	1.31	1.9
4.	जम्मू और कश्मीर	28.07	2.64	27.81	12.61	26.25	15.46	21.93
5.	झारखंड	50	49.85	57.69	26.05	70.22	56.55	69.7
6.	मध्य प्रदेश	160	203.62	248.3	208.75	200.8	202.49	188.08
7.	ओडिशा	105.5	82.73	104.4	96.31	121.2	100.73	108.31
8.	राजस्थान	150	150.8	140	162.73	143	180.04	184.06
9.	उत्तर प्रदेश	260.9	277.5	310.3	380.63	399.4	450.18	475.33
10.	उत्तराखंड	13.02	12.78	13.5	13.64	20.31	14.04	15.12
पूर्वोत्तर राज्य								
11.	अरुणाचल प्रदेश	1.7	1.08	1.6	1.27	1.64	0.99	1.41
12.	असम	88.95	63.79	92.83	74.56	101.5	77.96	93.39
13.	मणिपुर	1.15	0.88	1.18	1.04	1.32	1.22	2.2
14.	मेघालय	1.81	0.92	1.96	1.07	2.28	1.34	1.28
15.	मिजोरम	1.33	1.36	1.47	1.42	1.66	1.29	1.78
16.	नागालैंड	4.02	2.29	2.36	1.21	3.66	1	2.73
17.	सिक्किम	0.2	0.38	0.22	0.23	0.53	0.41	0.59
18.	त्रिपुरा	1.8	1.42	2.29	1.98	3.17	2.39	3.36
अधिक ध्यान नहीं दिए जा रहे राज्य								
19.	आंध्र प्रदेश	47.88	50.35	45.5	40.86	50.36	17.45	32.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	गोवा	0.15	0.04	0.08	0.04	0.1	0.09	0.1
21.	गुजरात	18.08	13.64	16.1	21.28	22.38	16.65	21
22.	हरियाणा	5	3.14	6	4.28	6.99	4.29	6.6
23.	कर्नाटक	30	29.31	27.4	35.06	46.03	33.48	38.54
24.	केरल	9.36	12.82	14.79	11.61	9.66	9.2	13.55
25.	महाराष्ट्र	20	23.77	28.9	26.26	22.59	31.82	35.28
26.	पंजाब	1.86	3.85	4.9	5.65	6.12	5.61	6.46
27.	तमिलनाडु	29.18	27.01	31.68	29.32	35.3	26.71	34.52
28.	पश्चिम बंगाल	40	30.67	43.39	43.84	43.3	56.64	58.37
छोटे राज्य								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.02	0.11	0.06	0.12	0.02	0.06
30.	चंडीगढ़	0.51	0.08	0.08	0.05	0.08	0.01	0.08
31.	दादरा और नागर हवेली	0.4	0	0.14	0	0.14	0.08	0.15
32.	दमन और दीव	0.02	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0.72	1.43	1.69	1.5	3.18	1.18	2.18
34.	लक्षद्वीप	0	0.06	0.09	0.12	0.05	0.06	0.07
35.	पुदुचेरी	0.3	0.32	0.23	0.33	0.33	0.31	0.34
36.	मुख्यालय व्यय							
कुल		1281	1241.33	1515	1473.77	1670	1618.39	1741.05

आंकड़े अनंतिम नहीं हैं।

एनसीएचएमसीटी दल

4840. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के एक दल ने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (डीआईएचएम) का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) एन सी एच एम सी टी द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है अथवा क्या है और किस आधार पर सिफारिशें दी गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) दिल्ली होटल प्रबंध संस्थान (डीआईएचएम) के शासक मंडल (बीओजी) की अध्यक्षता सचिव पर्यटन, दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है और इसमें दिल्ली सरकार के चार अन्य प्रतिनिधि, केन्द्र

सरकार के तीन प्रतिनिधि तथा होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

डीआईएचएम के शासक मंडल ने 16.09.2010 को हुई अपनी बैठक में एनसीएचएमसीटी के समक्ष शैक्षणिक सत्र 2011-12 से बी.एससी. आतिथ्य प्रशासन पाठ्यक्रम की प्रवेश संख्या को 60 से बढ़ाकर 120 करने का प्रस्ताव रखा है। शासक मंडल की सिफारिश के आधार पर एनसीएचएमसीटी द्वारा 2011-12 से प्रवेश की संख्या को 60 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, संस्थान की सिफारिश पर एनसीएचएमसीटी के साथ उपकरणों की सूची पर पूर्व परामर्श के पश्चात नए कैंपस के लिए अतिरिक्त आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए पर्यटन मंत्रालय ने डीआईएचएम के लिए 1.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विदेशों से ऋण

4841. श्री जोस के. मणि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का दिसम्बर, 2011 तक विदेशी ऋण के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंक ने हाल तक अपनी लाभार्जकता बनाए रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारमूलक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि उनके पास दिसम्बर 2011 तक विदेशी ऋणों के माध्यम से 5 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बैंक आवश्यकता के आधार पर, चालू वित्त वर्ष की तीसरी अथवा चौथी तिमाही के दौरान कभी भी बाण्ड जारी कर विदेशी मुद्रा निधियों को बढ़ाने के बारे में विचार कर सकता है।

(ग) और (घ) एसबीआई ने सूचित किया है कि बैंक का निवल लाभ वर्ष 2008-09 में 9121 करोड़ रुपए, वर्ष 2009-10 में 9167 करोड़ रुपए और वर्ष 2010-11 में 8265 करोड़ रुपए था। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में निवल लाभ 9.84% तक कम है और इसके मुख्य कारण हैं:- उच्चतर पेंशन, उपादान, ऋण हानि प्रावधानों, उच्चतर निवेश अवमूल्यन और विशेष आवास ऋण योजनाओं पर मानक आस्ति प्रावधानों को लागू करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

मेडिकल कॉलेजों में दवाओं का सेवन

4842. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ मेडिकल कॉलेजों के छात्रों द्वारा अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु एम्फीटेमिन (यूएसएएम) जैसी कतिपय दवाओं के सेवन की खबर मिली है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रों द्वारा औषधियों का सेवन रोकने तथा उन्हें चिकित्सा और व्यवहार संबंध चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय नोडल औषधि व्यसन निमुक्ति उपचार केन्द्र राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ने विद्यार्थियों के बीच औषधि एम्फीटेमिन के इस प्रकार के सेवन की रिपोर्ट का खंडन किया है।

देश में अल्कोहल और औषध के सेवन से संबंधित विभिन्न मांग में कमी और पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। वह मंत्रालय औषधि व्यसनियों की पहचान, परामर्श सेवा, उपचार और उनके पुनर्वास के लिए अल्कोहलवाद और मादक पदार्थ (औषधि) निवारण, दुरूपयोग और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन करता है। योजना के अन्तर्गत, व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों का संचालन किए जाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है जिसके अंतर्गत अनेक घटकों में से एक घटक विद्यार्थियों सहित सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए जागरुकता सृजन करना है।

उस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन के सहयोग से 12-16 वर्ष आयु-समूह के बच्चों के मध्य एक जागरुकता सृजन कार्यक्रम ,शुरु किया है। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा अपने 155 संबद्ध बाल भवनों और 77 बाल केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है। स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के क्रिया कलापों यथा पोस्टर बनाने, रचनात्मक लेखन, व्याख्यान, रैली, नुक्कड़नाटक आदि के जरिए औषधियों के सेवन के बारे में जागरुकता सृजित की जाएगी इस परियोजना की लागत 1.0 करोड़ रुपए है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी सेवन पश्चात उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों, केन्द्र सरकार के अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों और जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं का वित्तीय रूप से संवर्धन करने के रूप में भी एक सीमित औषधि निर्मुक्ति कार्यक्रम का संचालन करती है। मंत्रालय ने समूचे देश में 122 औषधि निर्मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करने में भी सहायता की है जिनमें से 43 केन्द्रों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इनमें एनडीडीटीसी (एम्स) और निम्हांस (बंगलौर), पीजीआईएमईआर (चंडीगढ़), जिपमेंर (पुदुचेरी) डा. आरएमएल अस्पताल, (नई दिल्ली) और श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) अस्पताल भी शामिल हैं। इन सरकारी अस्पतालों में औषधि निर्मुक्ति केन्द्र न केवल मरीजों को नशा-निर्मुक्ति और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वे औषध निर्मुक्ति के क्षेत्र में कार्यशालाएं, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा साथ ही जागरुकता सृजन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

विद्युत क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाएं

4843. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विद्युत उत्पादन में सुधार करने हेतु कतिपय प्रायोगिक परियोजनाओं की रूपरेखा बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) वर्तमान विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, बेहतर प्रचालन एवं रख-रखाव प्रयासों को अपनाना, कोयले की आवश्यकता और घरेलू स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच की कमी को दूर करने के लिए कोयले के आयात पर बल देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, देश में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए बड़े आकार वाली उत्पादन यूनिटों, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीएस) की भी परिकल्पना की गयी है।

(ग) और (घ) सरकार विद्युत उत्पादन में सुधार लाने अथवा सामान्य रूप से विद्युत उत्पादन में सुधर लाने के लिए पायलट परियोजनाओं हेतु कोई निधि प्रदान नहीं करती है, इन परियोजनाओं के लिए निधियां विकासकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

लघु वन उत्पाद

4844. **श्री के.डी. देशमुख:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार लघु वन उत्पादों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लघु वन उत्पाद में वृद्धि हेतु राज्य सरकरों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ लघु वन उत्पाद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगी।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि 14 मुख्य लघु वन उत्पादों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया जाना चाहिए। इसने मूल्यवर्धन, विपणन, एकाधिकार को बदलने और लोगों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन ग्राम सभा और पंचायतों द्वारा निरीक्षण, संपोषीयता और पुनर्सृजन, लघु वन उत्पाद के बारे में जानकारी आधार का विस्तार करने और राज्य कानून और भारतीय वन अधिकार अधिनियम में संशोधन आदि के संबंध में भी सिफारिश की है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय लघु वन उत्पाद की मात्रा को बढ़ाने, वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने, मूल्यवर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने और अनुसंधान तथा

विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी) प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	158.00	158.00
2.	असम	46.00	65.00	-
3.	छत्तीसगढ़	2349.00	87.00	-
4.	गुजरात	130.00	146.00	130.00
5.	हिमाचल प्रदेश	33.00	5.00	33.00
6.	केरल	-	7.00	58.00
7.	मध्य प्रदेश	372.00	-	312.00
8.	महराष्ट्र	270.00	168.00	234.00
9.	मेघालय	-	39.00	92.00
10.	ओडिशा	100.00	219.00	225.00
11.	त्रिपुरा	150.00	20.00	71.00
12	पश्चिम बंगाल	-	86.00	145.00
13	राजस्थान	-	-	42.00
	कुल	1600.00	1000.00	1500.00

[अनुवाद]

सांप्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ हुए बच्चे

4845. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान व चालू वर्ष के दौरान सांप्रदायिक हिंसा या दंगों में अनाथ व बेसहारा हो गये बच्चों के बारे में राज्य-वार तथा घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में विदेशों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे बेसहारा अनाथ बच्चों के पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) सरकार के पास ऐसे बच्चों के आंकड़े नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी, जो गृह मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, विभिन्न सामुदायिक, जातीयता या आतंकवादी हिंसा में निस्सहाय हुए बच्चों की देखरेख, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों की सिफारिशों पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 'क' और 'ख' श्रेणी के शहरों में प्रति-बच्चा 800 रुपये और अन्य स्थानों में प्रतिमाह प्रति बच्चा 750 रुपये की दर से वित्तीय सहायता देता है। साधारणत: जन्म से 18 वर्ष की आयु तक सहायता उपलब्ध होती है और विशिष्ट मामलों में 21 वर्ष की आयु तक यह सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

विनिवेश संबंधी अनियमितताएं

4846. श्री भाउसाहेब राजराम वाकचौरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के निजीकरण/विनिवेश की प्रक्रिया में तथाकथित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विनिवेश प्रक्रिया को त्रुटिमुक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने मार्च 2004 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट, संघ सरकार सौदा लेखापरीक्षा टीक-टिप्पणी संख्या 2005 की 2 (मई, 2005 में सांसद के पटल पर रखी गई), जिसमें होटल जुहू, संतूर, मुम्बई और होटल एयरपोर्ट संतूर, मुम्बई के बिक्री सौदे सम्मिलित हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ टीका-टिप्पणी की है कि इन सम्पत्तियों के मूल्यनिर्धारण, मंत्रालय द्वारा अन्य मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थे। सीएजी द्वारा की गई टीका-टिप्पणी के आलोक में इन होटलों के सौदे जांच के लिए जुलाई, 2005 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को संदर्भित किए गए थे। सीबीआई जांच में यह स्थापित नहीं हुआ कि निर्णय बदनीयती से किया गया था। तथापि, मामला राय के लिए भारत के महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) को संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने, वर्ष 1999 और 2003 के बीच सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेशित 9 सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, जिनमें वीएसएनएल भी शामिल है, की लेखापरीक्षा जांच आयोजित की थी। वर्ष 1999-2003 के दौरान चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता के विनिवेश की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (सिविल), कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संख्या 2006 की धारा 17) 25 अगस्त, 2006 को संसद में रखी गई थी। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य निर्धारण के संबंध में टीका-टिप्पणी भी शामिल हैं। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वर्ष 2006-07 के दौरान विस्तृत जांच के लिए इस रिपोर्ट का चयन किया था। आगे की कार्रवाई पीएसी की सिफारिशें, यदि कोई हां, प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

(घ) सरकार ने, विनिवेश की प्रक्रिया और क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाया है और इसे सार्वजनिक कर दिया है।

'नालको' में उत्पादन

4847. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी (नालको) द्वारा कितने मीट्रिक टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया और इसमें से कितने प्रतिशत का उसने इस्तेमाल किया तथा किस प्रक्रिया के तहत शेष एल्युमिनियम का विक्रय किया गया;

(ख) क्या इसके व्यापार के लिए कतिपय चुनिंदा कंपनियों/संस्थाओं को अधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन कंपनियों/संस्थाओं को एल्युमिनियम का विक्रय किया गया तथा उन्हें यह किस मूल्य पर व कितनी मात्रा में बेचा गया;

(ङ) क्या 'नालको' द्वारा एल्युमिनियम के निर्धारित विक्रय मूल्य (यू.एस.डी./मी. टन) तथा खुले बाजार में इसके घरेलू क्रय मूल्य (यूएसडी/मी. टन) में अंतर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्य में अंतर होने के कारण 'नालको' को कितना घाटा हुआ है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने गत तीन वर्षों के दौरान हुए एल्युमिनियम उत्पादन और उसके आंतरिक उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार दिया है:-

[इकाई मीट्रिक टन में (एम टी)]

वर्ष	कास्ट धातु उत्पादन	आंतरिक खपत
2008-09	3,61,262	4,590
2009-10	4,31,488	3,785
2010-11	4,43,597	8,302

आंतरिक उपयोग की पूर्ति, जो कुल उत्पादन का 1 से 2 प्रतिशत है, के उपरांत अधिकांश शेष काष्ट धातु उत्पादन को प्रेषण की तारीख में चल रही मूल्य दरों पर घेरलू बाजार में बेच दिया जाता है और इसी प्रकार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्यात कर दिया जाता है।

(ख) जी नहीं, नालको द्वारा व्यापार करने के लिए किसी कंपनी/संस्थान को अधिकृत नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नालको ने वाणिज्यिक गोपनीयता के आधार पर अपने खरीददारों के नाम और उनके अन्य ब्यौरे देने से इन्कार किया है। तथापि, गत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान नालको ने प्रतिवर्ष लगभग 200 ग्राहकों को निम्नलिखित औसत घरेलू प्राप्ति के अनुसार विक्रय किया:-

वर्ष	विक्रय मूल्य (रुपए/एमटी)
2008-09	1,08,624
2009-10	95,851
2010-11	1,12,553

(ङ) नालको ने सूचित किया है कि कंपनी की घरेलू विक्रय दरें/मीट्रिक टनों में हैं न कि अमरीकी डालरों में। खुले बाजार में भी घरेलू विक्रय दरें रुपयों/मीट्रिक टनों में हैं। कंपनी की घरेलू विक्रय दरों की तुलना हेतु नालको में दैनिक आधार पर खुले बाजार की घरेलू विक्रय दरें उपलब्ध नहीं रहती हैं। तथापि, घरेलू विक्रय दरें नालको द्वारा बाजार स्थिति, मांग-आपूर्ति प्रवृत्तियां, उपलब्ध भंडार, डालर एक्सचेंज दरें, एलएमई मूल्य पर प्रवृत्ति आदि के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

(च) नालको ने सूचित किया है कि चूंकि कंपनी के मूल्य कुल मिलाकर बाजार दरों पर आधारित होते हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई हानि प्रतीत नहीं होती।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में आंगनवाड़ी केन्द्र

4848. श्री विष्णुपद रायः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत साकार ने मार्गनिदेशानुसार, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को प्री-स्कूल शिक्षा-किट हेतु प्रतिवर्ष 1000 रुपए औषधि-किट हेतु 600 रुपए आकस्मिक निधि के बतौर प्रतिवर्ष 1000 रुपए अनियत मद की धनराशि के बतौर 1250 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में आवास भाड़े हेतु 750 रुपए व ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए देने का विधान है;

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उक्त भुगतान मानक कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को प्रशिक्षणार्थ भारत सरकार द्वारा नियत 75 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मानदेय राशि प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कार्यकर्ताओं को निर्धारित लाभ कब तक प्रदान किए जाएंगे?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। आंगनवाड़ी केन्द्र चलाने की कार्यात्मक और प्रशासनिक लागत के लिए अनुमोदित स्कीमगत मानदण्डों के अनुसार सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) के अंतर्गत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 90:10 के अनुपात में निधियां जारी की जाती हैं। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मानदण्डों के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित पूरे देश में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को स्कूल पूर्व शिक्षा किटों के लिए प्रतिवर्ष 1000 रुपए, चिकित्सा किटों के लिए प्रतिवर्ष 600 रुपए, आकस्मिक एवं प्रचालन व्यय पूरा करने के लिए 600 रुपए, नम्य निधि के रूप में प्रतिवर्ष 1000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह 750 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 रुपए किराए के रूप में दिए जाते हैं।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए संघ राज्य प्रशासनों को दो या अधिक किस्तों में निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार

अण्डमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा किट और चिकित्सा किटें प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने आकस्मिकता, नम्य निधियों और किराये पर भी व्यय किया है।

समेकित बाल विकास सेवा के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के एक माह के मानदेय के बराबर एक माह की अवधि का रोजगार प्रशिक्षण पठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को वजीफा दिया जाता है। इसके साथ-साथ सफलता पूर्वक रोजगार प्रशिक्षण पूरा करने हेतु प्रत्येक प्रशिक्षु को 500 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है (दिनांक 01.04.2009 से)। राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना (स्ट्रेप) के अनुमोदन से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने प्रशिक्षण पर 2.40 लाख रुपये व्यय किए जाने की सूचना दी है।

कृषक परिवार पर बकाया ऋण

4849. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण राशि इसके राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे राज्यों में कृषकों की ऋणग्रस्तता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किसानों की स्थिति का आकलन करने के संबंध में वर्ष 2003 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख राज्यों के संबंध में वर्ष 2003 में प्रति परिवार औसत ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के जरिए किसानों (लघु एवं सीमांत किसानों सहित) को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

* भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना, वर्ष 2006-07 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से, तत्परता से समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज सहायता वर्ष 2009-10 में 1% और वर्ष 2010-11 में 2% थी। इसे वर्ष 2011-12 में बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।
* किसानों पर ऋण के भार के कारण ऋण का जो मार्ग (लाईन्स) बन्द हो गया था अब वह मार्ग कृषि ऋण माफी और ऋण सहायता स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 से माध्यम से खोल दिया गया है।
* बैंक को सलाह दी गई है कि वे छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इसी प्रकार के किसानों को दिए जाने वाले 50,000 रुपए तक के लघु ऋणों के संबंध में "बेबाकी" संबंधी प्रमाण पत्रों की अपेक्षा को समाप्त कर दें और इसके बजाए वे कर्जदार से उनके द्वारा स्वयं दिए गए घोषणापत्र को प्राप्त करें।
* भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/सुरक्षा अपेक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है।

विवरण

प्रमुख राज्यों में ऋणग्रस्तता के दृष्टांत : 2013

राज्य	ऋणग्रस्त किसान परिवारों की प्राक्कलित संख्या	ऋणग्रस्त किसान परिवारों का प्रतिशत	प्रति परिवार औसत ऋण, रुपए
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	49493	82.0	23965
तमिलनाडु	28954	74.5	23963

1	2	3	4
पंजाब	12069	65.4	41576
केरल	14126	64.4	33907
कर्नाटक	24897	61.6	18135
महाराष्ट्र	36098	54.8	16973
हरियाणा	10330	53.1	26007
राजस्थान	27828	52.4	18372
गुजरात	19644	51.9	15526
मध्य प्रदेश	32110	50.8	142.18
पश्चिम बंगाल	34696	50.1	10931
ओडिशा	20250	47.8	5871
उत्तर प्रदेश	69199	40.3	7425
हिमाचल प्रदेश	3030	33.4	9618
बिहार	23383	33.0	4476
जम्मू और कश्मीर	3003	31.8	1903
असम	4536	18.1	813
अखिल भारत	434242	48.6	12585

स्रोतः नाबार्ड

चिकित्सा व्यवसायी

4850. श्री सुखदेव सिंहः
श्री सी. शिवासामीः
श्री असाद्दीन ओवेसीः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री हंसराज गं. अहीरः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः
श्री पदमसिंह बाजीराव पाटीलः
श्री राधे मोहन सिंहः
श्री पी. कुमारः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री ध्रुवनारायणः
श्री रेवती रमण सिंहः
श्री रंजन प्रसाद यादवः
श्री आर. थामराईसेलवनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व औसत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) बेंचमार्क की तुलना में देश में कुल पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों की कुल संख्या कितनी है और देश की जनसंख्या की तुलना में इनका वर्तमान अनुपात कितना है;

(ख) वर्तमान में देश में पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों की अनुमानित कमी कितनी है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एम सी आई) ने एक दस्तावेज अर्थात् विजन 2015 तैयार किया है जिसमें वर्ष 2031 तक 1:1000 डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात प्राप्त करने की संकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अब तक बनाई गई और कार्यान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 31 जुलाई, 2011 तक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों (एलोपैथी) की कुल संख्या 8,56,065 है जिसमें से लगभग 6 लाख इस समय सक्रिय व्यावसायिक हैं। मौजूदा में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:2000 होने की गणना की गई है।

भारत में, मौजूदा डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात कम है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने चिकित्सा व्यावसायियों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात को तुलनीय रूप से विकसित देशों के अनुपात के बराबर लाने के लिए मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु अपेक्षित एमसीआई मापदण्डों में छूट देते हुए पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में डाक्टरों, विशेषज्ञों और संकाय की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए गए हैं।

1. मेडिकाल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि, संकाय सदस्य, स्टॉफ, बिस्तरों की संख्या, अन्य अवसंरचना आदि से संबंधित मानदंडों में छूट दी गई है।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर सीटें बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र के अनुपात में छूट दी गई है।

3. डीएनबी अर्हताओं को विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्ति के लिए मान्यता दी गई है।

4. एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

5. संकाय की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है।

6. वर्ष 2009-11 के बीच 46 नए मेडिकल कालेजों को स्थापित किया गया है।

7. राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन संबंधी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने या नए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों में 'फेमा' का उल्लंघन

4851. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) का उल्लंघन किए जाने के उदाहरण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत 2 वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले दायर हुए तथा कितने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उक्त कानून के उल्लंघन के जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी तक की गई जांचों से प्रथम दृष्ट्या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन का पता चलता है। इस मामले में जांच चल रही है।

पवन ऊर्जा में निवेश

4852. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन ऊर्जा में विदेशी निवेश नाम मात्र का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पवन ऊर्जा के स्रोतों के आकलन के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पवन ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेश नीति में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी नहीं। पवन ऊर्जा देश में शीघ्रता से बढ़ने वाला अक्षय ऊर्जा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवाह उल्लेखनीय है। गत तीन वर्षो और चालू वर्ष (जून, 2011 तक) के दौरान पवन ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में लगभग 1510 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) द्वारा मध्य प्रदेश सहित देश में पवन संसाधन मूल्यांकन किए जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 627 स्थानों को शामिल किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश में 37 स्थल शामिल हैं।

(ङ) से (छ) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अध्यध्धीन पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) अनुमत है। विद्युत अधिनियम के तहत विद्यमान नीति समर्थकों के अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु हाल में की गई अन्य मुख्य पहलों में त्वरित मूल्यह्रास प्राप्त न करने वाली पवन विद्युत परियोजनाओं हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम का प्रारंभ करना शामिल है।

[अनुवाद]

बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ

4853. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार सभी राज्यों में बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य में बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि निर्धारित की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में प्रत्येक राज्य में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने के उपबंध हैं परंतु यह राज्य सरकारों के लिए इसकी स्थापना करना अनिवार्य नहीं बनाता है। राज्य सरकारों से समय-समय पर लिखित रूप में और राज्य मंत्रियों और राज्य सचिवों के साथ चर्चा के दौरान इसकी स्थापना करने के लिए कहा गया है।

राज्य आयोग की स्थापना कर चुके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं:

(1) असम (2) बिहार (3) दिल्ली (4) गोवा (5) ओडिशा (6) सिक्किम (7) कर्नाटक (8) मध्य प्रदेश (9) राजस्थान (10) छत्तीसगढ़ (11) पंजाब।

[हिन्दी]

नेपाल में विद्युत परियोजनाएं

4854. श्री कमल किशोर "कमांडो": क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का विचार नेपाल में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएनएल) नेपाल के शंकुवासाभा जिले में अरुण-III जल विद्युत परियोजना (900 मेगावाट) को लगाने का प्रस्ताव कर रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत मई, 2010 के मूल्य स्तर पर 5,139.88 करोड़ रुपए है, जिसमें 929.86 करोड़ रुपए (आईडीसी) के निर्माण के दौरान ब्याज शामिल हैं। इस परियोजना के 7.5 वर्षों में पूरा होने की संभावना है, जिसमें अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 2.5 वर्ष शामिल है।

किसानों को ब्याज पर छूट

4855. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान किए जाने पर किसानों को दो प्रतिशत की छूट नहीं दिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा किसानों को 7 प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से, तत्परता से समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज सहायता वर्ष 2009-10 में 1% और वर्ष 2010-11 में 2% थी। इसे वर्ष 2011-12 में बढ़ाकर 3% किया जाता है। अत: तत्परता से ऋण चुकाने को वर्ष 2011-12 में, 4% की वार्षिक दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्राप्त शिकायतों के संबंधी में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है। ऐसी शिकायतों का निवारण बैंकिंग लोकपाल द्वारा भी किया जा रहा है। सरकार को भी कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन्हें निवारण हेतु संबंधित बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा बैंकिंग लोकपाल को अग्रेषित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में निपटाए गए मामलों की निगरानी की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली में शिकायतों के बैंक-वार तथा क्षेत्र-वार निपटाए जाने की सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

मंदी से अ.जा./अ.ज.जा. का संरक्षण

4856. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहाण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकोषीय मंदी ने भारत को वास्तव में उतना प्रभावित नहीं किया है जितना कि इसने अन्य औद्योगिक रूप से उन्नत और विकसित देशों को नुकसान पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए जन सामान्य विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों के लिए भविष्य में इस प्रकार की राजकोषीय मंदी से संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) 2008-09 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

(ख) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि पिछले तीन वर्षों के 9 प्रतिशत से अधिक के स्तर से कम होकर 2008-09 में 6.8 प्रतिशत रह गई। हालांकि कई अन्य देशों की तुलना में मंदी का यह स्तर भारत में अपेक्षाकृत कम था। इसके अतिरिक्त, भारत 2009-10 में 8.0 प्रतिशत की वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि के साथ उन कुछेक देशों में शामिल था जिन्होंने पहले-पहल पुनरुत्थान किया था।

(ग) वैश्विक संकट के प्रति अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता और तेजी से हुए पुनरुत्थान का श्रेय उन विवेकपूर्ण बृहत आर्थिक तथा क्षेत्रक नीतियों को जाता है जिनमें वैश्विक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय भी शामिल हैं। सरकार समाज के कमजोर वर्गों तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के संरक्षण पर विशेष तौर पर बल देते हुए सतत् आधार पर बृहत् आर्थिक और क्षेत्रीय नीतियां बनाना जारी रखे हुए है।

[हिन्दी]

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

4857. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में विशेषकर झारखंड में सभी बैंकों को कब तक कम्प्यूटरीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) देश में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की लगभग 98%

शाखाएं कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफार्म पर कम्प्यूटरीकृत हैं। झारखंड राज्य में, वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत हैं।

अ.ज.जा के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास

4858. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्थापना/निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के पास प्राप्त, संस्वीकृत और लंबित प्रस्तावों की राज्य-वार, वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी निधि संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) "अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत ऐसे छात्रावासों की अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) योजना के तहत निधियों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों की ओर से प्रस्ताव की प्राप्ति एक चल रही और सतत् प्रक्रिया है। निधियां केवल तभी निर्मुक्त की जाती हैं यदि पूर्व निर्मुक्त निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट सहित प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण हों तथा विशिष्ट वर्ष में निधियों की उपलब्धता के अधीन है। विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अंत में उस विशिष्ट वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रस्ताव व्यपगत हो जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय को अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव अभिपुट कराने होते हैं। प्रस्ताव जो विगत तीन वर्षों के दौरान सभी प्रकार से पूर्ण थे तथा निधियां जो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत निधियों की उपलब्धता के अनुसार निर्मुक्त की गई थी (राज्यवार), के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत तथा निर्मुक्त निधियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविघलयों द्वारा उनके उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (29.8.2011 तक)		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	75.09	6	121	0	0	0
2.	असम	601.39	9	750	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	803.83	40	2050	830.83	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	0.00	0	0	646.10	44	4400	1296.43	बकाया	0	0	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	2	131	236.04	बकाया	0	*180.47	1	88	0	0	0
6.	झारखंड	128.69	11	600	259.17	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
7.	कर्नाटक	125.01	0	0	250.00	10	700	105.38	बकाया		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	146.79	3	160	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	255.00	बकाया	0	1300.00	60	3000	0	0	0	0	0	0
10.	महाराष्ट्र	889.56	15	2375	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	मणिपुर	0.00	0	0	0.00	0	0	1372.54	19	899	0	0	0
12.	नागालैंड	87.50	1	100	0.00	0	0				0	0	0
13.	ओडिशा	87.60	30	1200	0.00	0	0	1000.00	65	6500	0	0	0
14.	राजस्थान	1240.53	41	1850	1503.83	13	975	3123.87	62	3100	0	0	0
15.	तमिलनाडु	0.00	0	0	200.00	8	400	0	0	0	0	0	0
16.	त्रिपुरा	1380.90	11	650	664.00	12	1200	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तराखंड	100.00	2	200	0.00	0	0	0	0	0	37.48	बकाया	0
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	10.03	1	20	179.90	2	200	0	0	
19.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	73.73	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	दिल्ली विश्वविद्यालय	0.00	0	0	500.00	बकाया	0	173.20	बकाया		0	0	0
21.	दी इंगलिश एंड फारेन यूनिवर्सिटी (शिलांग कैंपस), हैदराबाद, आं.प्र.	526.27	2	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत, गुजरात	0	0	0	0	0	0	100.00	1	100	0	0	0
23.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, यू.पी.	0	0	0	0	0	0	46.33	1	80	0	0	0
	कुल	6500.00	164	10326	6400.00	148	10695	7800.00	160	11248	37.48	0	0

*हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को निर्मुक्त

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांगी गई राशि	प्रस्तावित छात्रावासों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	860.00	13(8 लड़कियां + 5 लड़के) जिन सीटों की संख्या नहीं बताई गई है।
2.	उत्तराखंड	76.75	2 (1 लड़की + 1 लड़का) प्रत्येक के लिए 16 सीटें 37.475 वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत 2 छात्रावासों के लिए अंतिम किस्त

1	2	3	4
4.	मध्य प्रदेश	2775.50	33 नए (20 लड़कियां+13 लड़के)+60 छात्रावासों का बकाया जिसे 2009-10 के दौरान स्वीकृत किया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश	420.64	5 छात्रावास(3 लड़कियां+2 लड़के) प्रत्येक एलडब्ल्यूई में एक लड़का और लड़कियां
6.	राजस्थान	7356.21	73 लड़कियों के छात्रावास
7	नागालैंड	395.25	3(1 लड़की+2 लड़के)
8.	त्रिपुरा	2088.73	11 छात्रावास (7 लड़कियां+4 लड़के)
9.	छत्तीसगढ़	11526.20	नक्सल प्रभावित जिलों में 100 छात्रावास (लड़के और लड़कियां)
विश्वविद्यालय			
1.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	304.20 2	2 छात्रावास (1 लड़का 100 सीटें +1 लड़की 50 सीटें)
2.	असम विश्वविद्यालय	956.02	2 छात्रावास (1 लड़का+1 लड़की) प्रत्येक में 100 सीटें
3.	नेशनल लों स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंग्लोर	100.00	1 लड़की छात्रावास (19 सीटें)
4	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश	148.00	वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत दो छात्रावासों को पूरा करने के लिए अंतिम किस्त (1 लड़की+1 लड़का)

विवरण III

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-10 से 2010-11 और चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान छात्रावासों और स्वीकृत सीटों सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (29.8.2011 तक)		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	75.09	6	121	0	0	0
2.	असम	601.39	9	750	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	803.83	40	2050	830.83	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	0.00	0	0	646.10	44	4400	1296.43	बकाया	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	2	131	236.04	बकाया	0	*180.47	1	88	0	0	0
6.	झारखंड	128.69	11	600	259.17	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
7.	कर्नाटक	125.01	0	0	250.00	10	700	105.38	बकाया		0	0	0
8.	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	146.79	3	160	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	255.00	बकाया	0	1300.00	60	3000	0	0	0	0	0	0
10.	महाराष्ट्र	889.56	15	2375	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	मणिपुर	0.00	0	0	0.00	0	0	1372.54	19	899	0	0	0
12.	नागालैंड	87.50	1	100	0.00	0	0				0	0	0
13.	ओडिशा	87.60	30	1200	0.00	0	0	1000.00	65	6500	0	0	0
14.	राजस्थान	1240.53	41	1850	1503.03	13	975	3123.87	62	3100	0	0	0
15.	तमिलनाडु	0.00	0	0	200.00	8	400	0	0	0	0	0	0
16.	त्रिपुरा	1380.90	11	650	664.00	12	1200	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तराखंड	100.00	2	200	0.00	0	0	0	0	0	37.48	बकाया	0
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	10.03	1	20	179.90	2	200	0	0	
19.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	73.73	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	दिल्ली विश्वविद्यालय	0.00	0	0	500.00	बकाया	0	173.20	बकाया	-	0	0	0
21.	द इंगलिश एंड फारेन यूनिर्सिटी (शिलांग कैंपस), हैदराबाद, आं. प्र.	526.27	2	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत, गुजरात	0	0	0	0	0	0	100.00	1	100	0	0	0
23.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, यू.पी.	0	0	0	0	0	0	46.33	1	80	0	0	0
	कुल	6500.00	164	10326	6400.00	148	10695	7800.00	160	11248	37.48	0	0

*हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को निर्मुक्त

आपातकालीन सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता

4859. श्री प्रेमचन्द गुड्डू:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 108 नम्बर की आपातकालीन सेवा को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन दस राज्यों में एम्बुलेंस तथा आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए निजी पक्षों को ठेका दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें ठेका दिया गया है और इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रो में अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार 108 आपातकालीन रेफरल सेवाओं सहित अनुमोदित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) देश में 108 प्रकार की आपात सेवाओं सहित रेफरल यातायात हेतु वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) महसूस की गई अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं हेतु अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपने वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना में प्रस्तुत करती हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृति के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा क्रियान्वयन के लिए उन्हें शुरू किया जाता है। किसी विशेष कार्यकलाप के क्रियान्वयन के नमूने का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है जो कि इसकी आवश्यकता एवं उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

विवरण

देश में 108 प्रकार की आपातकालीन सेवाओं सहित रेफरल यातायात के लिए वित्तीय आबंटन

राज्य	2012 अनुमोदित धनराशि (रुपए लाख में)
1	2
अरुणाचल प्रदेश	37.60
असम	795.64
मणिपुर	77.95
मेघालय	174.70
मिजोरम	85.12
नागालैंड	60.25
सिक्किम	0
त्रिपुरा	80
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11
दमन और दीव	3.12
लक्षद्वीप	0
चंडीगढ़	73.66
बिहार	1953.68
छत्तीसगढ़	3162.27
हिमाचल प्रदेश	1179.81
जम्मू और कश्मीर	118.64
मध्य प्रदेश	2854.78
राजस्थान	5425.85
उत्तर प्रदेश	5311.5
उत्तराखंड	486.40
आंध्र प्रदेश	2052.50
गोवा	391
गुजरात	591.84

1	2
हरियाणा	1513.43
कर्नाटक	3182.40
केरल	300
महाराष्ट्र	4900.02
पंजाब	3217.98
तमिलनाडु	1574.26
दादरा और नगर हवेली	0
पश्चिम बंगाल	4393.57
ओडिशा	840.04
पुदुचेरी	156.75
दिल्ली	7.85
झारखंड	553.20

[अनुवाद]

यौन व्यापार में बच्चे

4860. श्री उदय सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में यौन व्यापार में बच्चों की भागीदारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बंचरा जनजाति में बाल यौन व्यापार बड़े पैमाने पर विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जिन मामले की जांच की गई उनका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस प्रथा को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित "भारत में वेश्यावृत्ति में शामिल बालिकाएं और महिलाएं" विषय पर वर्ष 2004 में कराए गए एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार यह आकलन किया गया था कि देश में लगभग 2.8 मिलियन वेश्याएं थीं, जिनमें 36 प्रतिशत बालिकाएं थीं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बंचरा जनजाति में बाल देह व्यापार की तहकीकात पूरी हो गयी है। बंचरा जनजाति में बाल देह व्यापार की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु उपायों के भाग के रूप में जनजाति रिहायशी स्थानों में राज्य सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, जहां नाबालिग बालिकाओं के आने पर कड़ी निगरानी रखी गयी। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 25 नाबालिग बालिकाओं को बचाया गया और गृह भेजा गया, जहां उन्हें शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ङ) देश में व्यावसायिक यौन शोषण हेतु होने वाले अनैतिक व्यापार और इसका सामना करने के लिए भारत सरकार अनेक उपाय कर रही है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता बच्चों सहित मानव अनैतिक व्यापार का प्रतिषेध करता है और उनमें अनैतिक व्यापार हेतु दंड निर्धारित किए गए हैं। भारत में मानव अवैध व्यापार की रोकथाम और उसका सामना करने संबंधी एक विष्तृत सलाह भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.09.2009 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय "उज्ज्वला" स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक सतर्कता समूह/किशोर दलों का गठन करके, संचेतना और जागरुकता विकास कार्यशालाओं का आयोजन और जागरुकता विकास सामग्री तैयार करके अनैतिक व्यापार रोकने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

बैंकों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई पी ओ)

4861. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक इस राजकोषीय वर्ष में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई पी आ) के माध्यम से धन जुटाने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बैंकों के नाम क्या हैं और आई पी ओ या जमा प्रमाणपत्रों (सी डी) के द्वारा कितनी धनराशि जुटाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त बैंकों में से कुछ ने गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि दर्शायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस बी आई की वैश्विक उपस्थिति

4862. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों का अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश वार ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के विस्तार से कितना राजस्व सृजित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के नीतिगत ढांचे के अंतर्गत भारतीय बैंक विदेशों में अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। बैंक, विदेशों में अपनी शाखाएं वाणिज्यिक पहलुओं, मेजबान देश के विनियमों, भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी, पारस्परिकता और स्थान-विशेष की व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खोल रहे हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (1) (ख) के अंतर्गत भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर भारत से बाहर व्यवसाय करने के लिए कोई नया केन्द्र नहीं खोलेगी।

कार्यालयों को खोलने के लिए अनुमोदन देते समय भारतीय रिजव बैंक/भारत सरकार का यह मत होता है कि केवल उन्हीं बैंकों को विदेश में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए जिनके पास प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में टिके रहने की क्षमता हो।

बैंक बाहर के देशों में अपना विस्तार करने के लिए प्रस्ताव बनाते समय, सामान्य तौर पर, वाणिज्यिक पहलुओं और ऐसी भावी व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हैं जो उनकी समझ में आती है।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक का बहरीन, बंग्लादेश, चीन, जर्मनी, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में अतिरिक्त शाखएं/कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण योजनाओं के अधीन निधियों का आवंटन

4863. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों को परिवार कल्याण योजनाओं हेतु राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गई और उन्होंने कितना उपयोग किया;

(ख) क्या राजस्थान सहित कुछ राज्य उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आवंटित निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान में उक्त योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए आवंटित निधियों के कथित दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2008-09 से 2011-12 (30.6.2011 तक) में किए गए आबंटन, रिलीज एवं व्यय को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग) उपबंध में दिए गए विवरण से यह देखा गया है कि राज्यों में इस अवधि के दौरान अधिकांश निधियों का प्रयोग कर लिया है। निधियों के उपयोग की गति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आरंभिक वर्षों के दौरान धीमी थी किन्तु उसके बाद इसमें सुधार आया खर्च न की गई शेष निधियों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित कर दिया जाता है और इनका उपयोग अनुमोदित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है। चूंकि राज्यों में अवशोषक क्षमताएं बढ़ी हैं इसलिए निधियों के उपयोग में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटित निधियों के गलत उपयोग के बारे में राजस्थान राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सांविधिक वार्षिक लेखा परीक्षा सभी राज्यों के लिए की जाती है। मंत्रालय में लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच की जाती है और पाई गई कमियों एवं उन पर प्रेक्षणों के बारे में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु राज्यों को सूचित कर दिया जाता है।

विवरण

एनआरएच के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 (30.6.2011 तक) राज्य-वार आबंटन, रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12	
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.71	12.56	12.76	16.82	8.23	20.11	20.28	15.84	18.65	22.64	3.09
2.	आंध्र प्रदेश	663.37	638.73	700.13	717.30	708.32	774.92	816.11	810.23	673.31	931.81	242.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	365.1	57.69	51.14	57.32	66.16	66.67	73.76	80.79	56.02	20.78
4.	असम	638.94	606.89	698.32	906.72	813.93	763.71	894.01	736.45	945.55	851.35	304.63
5.	बिहार	777.70	821.18	783.19	860.29	649.71	826.20	977.40	1035.18	1434.84	1122.10	226.67
6.	चंडीगढ़	8.04	5.31	6.47	9.86	7.59	8.25	11.20	6.91	9.81	11.72	0.61
7.	छत्तीसगढ़	259.35	249.72	162.12	292.01	261.65	240.41	345.76	327.24	306.89	392.54	111.17
8.	दादर और नगर हवेली	3.45	3.28	3.86	4.27	3.27	4.62	4.77	6.30	5.77	5.92	0.99
9.	दमन और दीव	3.07	2.60	2.41	3.51	2.33	3.46	3.92	3.06	3.97	4.98	0.50
10.	दिल्ली	100.37	99.62	55.68	121.25	83.03	75.82	136.74	108.48	89.77	145.37	8.10
11.	गोवा	13.52	14.09	8.89	12.90	12.43	18.59	16.68	17.21	19.07	20.47	5.84
12.	गुजरात	414.07	342.81	495.43	464.90	500.55	634.27	528.69	556.79	757.88	600.61	164.86
13.	हरियाणा	166.20	165.02	187.73	179.72	206.17	336.78	203.94	219.69	263.82	233.52	62.27
14.	हिमाचल प्रदेश	77.74	64.21	94.84	97.07	115.41	167.81	110.68	113.22	164.79	123.89	31.21
15.	जम्मू और कश्मीर	102.24	76.48	111.94	134.94	130.34	155.59	153.87	173.80	209.97	175.54	47.69
16.	झारखंड	294.00	247.27	299.30	349.39	179.34	195.45	398.78	356.90	348.50	458.88	106.56
17.	कर्नाटक	461.83	437.84	428.94	505.17	436.86	680.64	551.80	586.38	752.43	612.69	246.31
18.	केरल	253.61	222.88	331.20	284.34	237.62	385.19	308.59	253.41	420.48	345.37	160.10
19.	लक्षद्वीप	2.13	1.22	2.18	2.09	1.09	2.86	2.28	2.54	2.57	3.99	0.39
20.	मध्य प्रदेश	609.02	707.88	686.97	705.88	604.79	741.28	766.66	784.40	956.56	870.83	203.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	महाराष्ट्र	779.15	587.43	873.15	86039	959.72	1044.71	981.28	903.36	1229.62	1078.51	289.28
22.	मणिपुर	66.34	56.58	62.06	90.09	81.45	64.11	98.67	67.98	73.76	88.49	6.94
23.	मेघालय	65.48	44.76	51.27	85.75	79.78	75.13	88.95	52.50	86.35	94.25	3.59
24.	मिजोरम	40.24	37.44	54.26	50.72	49.87	58.66	62.15	70.49	54.04	63.46	18.79
25.	नागालैंड	57.96	56.23	57.65	78.30	73.87	64.26	82.47	66.40	81.84	83.31	46.86
26.	ओडिशा	392.88	388.05	334.05	457.57	470.18	646.74	494.09	549.44	661.58	568.53	210.09
27.	पुदुचेरी	11.31	5.12	7.29	11.32	12.04	13.34	13.94	16.32	17.36	15.17	4.68
28.	पंजाब	185.89	183.03	190.08	209.58	359.53	241.41	246.77	252.81	335.95	276.56	69.52
29.	राजस्थान	596.53	798.15	909.16	633.19	748.96	1001.74	743.41	863.97	1164.51	824.17	327.34
30.	सिक्किम	21.44	19.88	50.62	26.73	25.80	35.73	35.54	32.94	33.37	34.01	4.25
31.	तमिलनाडु	515.70	501.60	534.42	568.68	639.10	691.93	659.92	702.09	931.11	765.42	286.62
32.	त्रिपुरा	88.32	77.58	68.73	125.20	111.98	81.10	116.91	85.47	106.12	117.46	6.27
33.	उत्तर प्रदेश	1727.59	1474.91	1546.06	1867.65	1965.82	2230.74	2079.73	2191.36	2677.69	2224.00	554.39
34.	उत्तराखंड	100.16	98.44	132.48	117.75	130.85	144.00	129.18	147.39	203.21	169.95	62.98
35.	पश्चिम बंगाल	639.93	539.79	563.75	678.81	741.25	730.24	771.41	680.79	922.54	870.31	254.97
	कुल योग	10192.23	9625.09	10565.10	11581.30	11470.18	13225.99	12923.25	12871.11	16044.48	14263.72	4094.13

टिप्पणी: 1. 2009-10 और 2010-11 के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं है।
3. विवरण आंकड़ों में सामग्रियों, आई, ई सी, आर सी एच औषधों तथा उपस्कारों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं है।
4. रिलीज आंकड़ों में 15 प्रतिशत राज्य का अंशदन शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू रोधी अभियानों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

4864. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू रोधी अभियानों को चला रहे कई गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी स्रोतों से निधिया प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गैर-सरकारी संगठनों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने गैर-सरकारी संगठनों को तम्बाकू रोधी अभियानों के लिए सरकार से सहयोग और निधियां प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वे केवल उन गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकृत करने अथवा पूर्व अनुमति देने से सरोकार रखते हैं जो विदेशी अंशदान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी

अंशदान की प्राप्ति तथा उपयोग किए जाने पर निगरानी रखते हैं तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं जो विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तम्बाकू रोधी अभियान को चला रहे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति से संबंधित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एल.आई.सी. एजेंटों को सुविधाएं

4865. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जीवन बीमा एजेंटों को साठ वर्ष की आयु के बाद पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाएं देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त सुविधाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया है कि एलआईसी एजेंट निगम के कर्मचारी नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) एलआईसी ने यह सूचित किया है कि वे सरकार द्वारा गैर-क्लब एजेटों के लिए प्रारम्भ की गई 'स्वावलम्बन योजना' में अभियान करने के लिए 1,000 रुपए का एकबारगी ब्याज-रहित तदर्थ अग्रिम उन एजेटों को प्रदान करते हैं जिनका वार्षिक कमीशन 1.00 लाख रुपए से कम है। एलआईसी क्लब के सदस्य एजेंटों को उनके पात्रता स्तर के अनुसार समूह चिकित्सा बीमा योजना भी प्रदान करती है। इसके लिए, 50% प्रीमियम एलआईसी द्वारा वहन किया जाता है तथा 50% एजेंट की कमीशन में से वसूल किया जाता है।

अस्पतालों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता

4866. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जिला स्तर पर अस्पतालों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की भारत सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला अस्पतालों के उन्नयन का कार्य शुरू करने की अनुमति है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर जिला अस्पतालों के अनुमति सहित विभिन्न कार्यकलापों का प्रस्ताव करती हैं और वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में अपनी आवश्यकताओं को शामिल करती हैं। इसका मूल्यांकन मंत्रालय में किया जाता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 2011-12 के लिए निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदन किया गया है।

क. अस्पताल सुदृढ़ीकरण-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानक में उन्नयन

1. 15 जिला अस्पतालों के लिए-1945.50 लाख रुपए
2. 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए-298.38 लाख रुपए
3. 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए-236.10 लाख रुपए

ख. नए निर्माण/जीर्णोद्धार

1. दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण-300 लाख रुपए
2. दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण-500 लाख रुपए

3. पैंसठ (65) उपकेन्द्र भवनों का निर्माण-200 लाख रु.

4. भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुसार उपकेन्द्रों का जीर्णोद्धार/उन्नयन-10 लाख रु.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए गुजरात के लिए अवसंरचना के उन्नयन एवं निर्माण हेतु कुल 3489.98 लाख रु. का अनुमोदन किया गया है।

[अनुवाद]

वन पर्यटन

4867. श्री पी.के. बिजू: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन, वन्य जीव तथा बागान पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के लिए निर्धारित/को जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों में पर्यटन की संभावनाओं के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) वन, वन्यजीव और बागान पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के तहत उनके परामर्श से पहचान किए गए प्रस्तावों के आधार पर निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में वन, वन्यजीव और बागान परियोजनाओं सहित 720 पर्यटन परियोजनाओं के लिए 2405.59 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई।

(घ) देश में वन, वन्यजीव और बागान पर्यटन सहित पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ अतुल्य भारत अभियान, संवर्धनात्मक सामग्री जैसे ब्रोशर, सी.डी. फिल्मों का निर्माण और ट्रेवल मार्ट और रोड शोज में भाग लेना शामिल है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए पैनलबद्ध निजी अस्पताल

4868. श्रीमती जे. शांता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अधीन किन्हीं नए हुए बहु-विशेषज्ञता निजी अस्पतलों को पैनलबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस स्कीम के अधीन इस प्रकार के और अस्पतालों को पैनल में शामिल करने हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। सीजीएचएस के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली में कुल 70 निजी अस्पतालों को पैनल में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीजीएचएस के अंतर्गत 10 निजी अस्पतालों को विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सीजीएचएस दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) के अन्तर्गत हाल ही में पैनल सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादों के छद्म विज्ञापन

4869. डॉ. निलेश नारायण राणे:
श्री जोस के. मणि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय अध्ययनों/सर्वेक्षणों की ओर ध्यान दिया है जिसमें सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के प्रति किशोरों को अधिक ग्रहणशील पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के लिए छद्म (सरोगेट) विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या कुछ अध्ययनों में यह भी अनुमान लगाया गया है कि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों का पांचवां हिस्सा भारत में है और तम्बाकू से होने वाली मुत्यु दर 1990 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 13.3 प्रतिशत होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) युवाओं पर तम्बाकू के प्रत्यक्ष विज्ञापन के प्रभाव के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न अध्ययनों और ब्रिटिस मेडिकल जर्नल (तम्बाकू नियंत्रण) को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों से किशोरों के एक्सपोजर को कम करने के लिए कदम उठा रही है।

तम्बाकू उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन से युवाओं को बचाने के लिए, भारत सरकार ने पहले ही "सिगरेट और अन्य तम्बाकू (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" पहले ही अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की धारा 5 सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों, संवर्धन और प्रयोजन का निषेध करती है।

कोटपा, 2003 की धारा 5 को प्रभावी बनाने और फिल्मों एवं दूरदर्शन कार्यक्रम में धूम्रपान दृश्य के चित्रण को विनियमित करने के लिए इस मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से दिनांक 20.10.2006 को "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006" अधिसूचित की। यह नियमावली अभी प्रभावी नहीं हुई है क्योंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

इसके अतिरिक्त, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी 27 फरववरी, 2009 की अधिसूचना में तम्बाकू उत्पादों के "वास्तविक ब्रांड विस्तार" की अनुमति दी गई है। यह नियमावली लागू नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका जोरदार ढंग से विरोध किया है।

(घ) भारत में तम्बाकू नियंत्रण रिपोर्ट, 2004 के अनुसार तम्बाकू के कारण होने वाली अनुमानित मौतें वर्ष 1990 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में 13.3 प्रतिशत हो जाएगी।

(ङ) भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 बनाया है जिसमें विभिन्न विनियामक उपाय लागू करके उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को बिना चाहे भी तम्बाकू के धुएं के प्रभाव में आने से बचाने और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. सार्वजिनक क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिबंध (धारा-4)।

2. तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन संवर्धन एवं प्रयोजन पर प्रतिबंध (धारा-5)।

3. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध (धारा-6)।

4. सभी तम्बाकू उत्पादों पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां अनिवार्य रूप से दर्शाना (धारा-7)।

कोटपा, 2003 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करने, तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से और एफसीटीसी के प्रति दायित्व के रूप में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया। इस समय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यों के 42 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:-

राष्ट्रीय स्तर

(1) जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जनजागरूकता/मास मीडिया अभियान।

(2) कोट्पा 2003 के अंतर्गत यथाअपेक्षित विनियामक क्षमता निर्मित करने के लिए तम्बाकू उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(3) एनआरएचएम कार्यढांचे के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रदानगी तंत्र के भार के रूप में कार्यक्रम के घटकों को मुख्य धारा में लाना।

(4) अन्य नोडल मंत्रालय के साथ वैकल्पिक फसलों और जीविकाओं के बारे में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को मुख्यधारा में लाना।

(5) निगरानी सहित मानीटरिंग एवं मूल्यांकन अर्थात् वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण।

राज्य स्तर

(1) तम्बाकू रोधी अभियानों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग के लिए समर्पित तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ।

जिला स्तर

(1) स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्कूल शिक्षकों आदि का प्रशिक्षण।

(2) स्थानीय, सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप।

(3) स्कूल कार्यक्रम।

(4) तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना।

(5) तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की मानीटरिंग।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4870. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग (एनसीएसटी) को कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का निधियों का आवंटन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनसीएसटी के समक्ष निपटान के लिए लंबित शिकायत/उत्पीड़न के मामलों की संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनसीएसटी को किया गया बजटीय आबंटन नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2008-09 से 2010-11	13.92	15.38
2011-12 (चालू वर्ष)	6.09	-

(ख) और (ग) इस समय आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 31 जुलाई, 2011 को एनसीएसटी में निपटान के लिए लंबित शिकायतों/उत्पीड़न मामलों की कुल संख्या 2790 है और 2008-09 से 2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक) निपटाए गए मामलों की संख्या 7269 है।

[हिन्दी]

बैंकों के सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता

4871. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवम्बर, 2002 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सेवानिवृत्त पेंशनधारक को महंगाई भत्ते (डीए) का शत-प्रतिशत निष्प्रभावन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए का उक्त निष्प्रभाव कब तक प्रदान कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से नवम्बर 2002 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारकों को 100% महंगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ग) बीमा कर्मचारियों को, निपटान/संयुक्त टिप्पणी पर आधारित संरचित/संशोधित बैंक कर्मचारी पेंशन नियमावली के उपबंधों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिसमें नवम्बर 2002 के पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई का 100% निष्प्रभावीकरण राहत का प्रावधान नहीं है।

रूरल बिजनेस हब स्कीम

4872. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रूरल बीजनेस हब स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कितनी पंचायतों का चयन किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवंटित धनराशि/जारी की गई धनराशि तथा किया गया खर्च कितना-कितना है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनको प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये गये/किये जाने का विचार है; और

(ङ) अब तक इस योजना में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है तथा इसके संशोधित दिशानिर्देश क्या हैं?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) से (घ) पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्ची सामग्री और दक्षता का प्रयोग करते हुए उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रूरल बीजनेस हब स्कीम की एक केन्द्रीय सेक्टर योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना चार 'प' (पब्लिक प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप) मॉडल पर कार्य करती है तथा सभी बीआरजीएफ जिलों के तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से सभी जिलों में चलाई जा रही है। रूरल बीजनेस हब स्कीम की स्थापना प्रमुखतः विभिन्न कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से की जाती है। आरबीएच योजना के अंतर्गत सहायता व्यावसायिक सेवाओं में सहायता, प्रशिक्षण/दक्षता विकास तथा लघु उपस्करों की खरीद के लिए उपलब्ध है। आरबीएच एक मांग आधारित योजना है, अतः योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। इसके अन्तर्गत राज्यवार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा जारी निधियों के उचित सदुपयोग के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन एजेंसी को दो किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में जारी अनुमानित राशि दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(ङ) 17.3.2011 तक संशोधित आर बीएच योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.panchayat.gov.in) पर उपलब्ध हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में नवीनतम संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसियां अपने प्रस्ताव संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग अथवा संबंधित जिला कलक्टर अथवा संबंधित जिले की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिश से भेजें।

विवरण

रूरल बिजेनस हब स्कीम

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या					कुल परियोजनाएं	जारी राशि (रुपये लाख में)					कुल निर्मुक्ति (रुपये लाख में)
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2	1		3	0.00	0.00	13.95	6.38	0.00	20.33
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1		1	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60
3.	असम	2	0	2	0		4	14.49	0.00	14.18	2.46	2.27	31.13
4.	बिहार	1	0	0	0		1	3.49	0.00	1.16	0.00	0.00	4.46
5.	छत्तीसगढ़	6	2	0	0		8	37.63	16.47	13.13	0.00	0.00	67.22
6.	हरियाणा	0	0	0	1		1	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	10.94
7.	हिमाचल प्रदेश	0	4	0	0		4	0.00	24.00	7.09	0.00	0.00	31.09
8.	झारखंड	1	7	0	0		8	7.50	42.08	8.34	0.00	0.00	57.91
9.	कर्नाटक	1	0	1	0		2	12.49	0.00	2.256	0.00	0.00	15.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	केरल	0	1	2	0		3	0.00	7.50	12.63	0.00	0.00	20.13
11.	मध्य प्रदेश	0	0	0	1		1	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	6.62
12.	महाराष्ट्र	0	1	4	0		5	0.00	2.56	30.78	0.00	0.00	33.34
13.	मणिपुर	1	0	1	1		3	7.34	1.22	7.89	13.8	0.00	30.34
14	मेघालय	0	0	1	0		1	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	9.29
15.	ओडिशा	0	0	0	1		1	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	7.05
16.	राजस्थान	3	5	0	0		8	19.00	36.63	3.85	0.00	0.00	59.47
17.	तमिलनाडु	1	2	0	0		3	2.25	13.80	0.69	4.60	0.00	21.33
18.	त्रिपुरा	1	0	0	0		1	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
19.	उत्तर प्रदेश	2	2	1	2	1	8	6.71	15.20	11.02	21.92	11.05	54.86
20.	उत्तराखंड	0	1	0	0		1	0.00	7.13	0.00	2.38	0.00	9.50
21.	पश्चिम बंगाल	1	1	3	0		5	4.26	8.24	20.25	3.36	0.00	36.11
	कुल	20	26	17	8	1	72	122.65	174.82	156.81	86.17	13.32	540.45

[अनुवाद]

बैंकों को अनुदेश

4873. श्री जी. एम सिद्देश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लेने की बजाए अपनी जमा पर निर्भर रहने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बैंकिंग क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) सरकार ने बैंकों को ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मिट्टी का खनन

4874. श्री के. सुगुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातियों ने देश के अनेक भागों में मिट्टी खनन का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातियों ने अपनी बसावटों के आस-पास किये जा रहे खनन कार्यो का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्याज राजसहायता

4875. श्री रवनीत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को ऋण का समय से भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के लिए ब्याज सहायता मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2010-11 के दौरान कितना कृषि ऋण वितरित किया गया तथा इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये; और

(ग) वर्ष 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित किये गये कृषि ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तुरंत अदायगी करने वाले उन किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है जो अपने ऋण समय से अदा करते हैं। यह अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है। अत: तुरंत अदा करने वाले किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण वर्ष 2011-12 में 4% वार्षिक की दर पर मिलेंगे।

भारत सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर रही है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि क्षेत्र को कुल ऋण उपलब्धता 446,778.98 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य का 119.14% है।

ऋण उपलब्धता के सजेंसी-वार आंकड़े निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

एजेंसी	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %
वाणिज्यिक बैंक	280,000	332,705.98	118.82
सहकारी बैंक	55,000	70,105.30	127.46
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40,000	43,967.70	109.02
योग	375,000	446,778.98	119.14

मोबाइल रक्त बैंक

4876. श्री एस. एस रामासुब्बू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लाइसेंस प्राप्त बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में और अधिक संख्या में रक्त बैंकों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाईल रक्त बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) देश में 2477 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैक हैं। लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-III की आयोजना के दौरान किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में 39 जिलों के सार्वजनिक क्षेत्र में कोई रक्त बैंक नहीं था। अत:, इन 39 जिलों में राज्य सरकार द्वारा रक्त बैंकों को स्थापित करने में सहयता की गई थी। तब से 18 रक्त बैंकों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार सहायता के अनुमोदित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को, शेष बचे 21 जिलों में रक्त बैंकों को स्थापना करने के लिए एक मुश्त उपकरण तथा एक लैब तकनीशियन की तनख्वाह के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान और किट व उपभोज्य सामग्रियों इत्यादि के लिए निधियां प्रदान कर सहायता कर रही है।

39 जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची विवरण-III पर तथा उन जिलों की सूची जिनमें रक्त बैंकों को स्थापित किया गया है विवरण-III पर संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	286
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	69
5.	बिहार	67
6.	चंडीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	43
8.	दादर और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	63
11.	गोवा	6
12.	गुजरात	152
13.	हरियाणा	67
14.	हिमाचल प्रदेश	20
15.	जम्मू और कश्मीर	25
16.	झारखंड	41
17.	कर्नाटक	171
18.	केरल	153
19.	मध्य प्रदेश	132
20	महाराष्ट्र	289
21.	मणिपुर	3
22.	मेघालय	6
23.	मिजोरम	10
24.	नागालैंड	4
25.	ओडिशा	41
26.	पुदुचेरी	15
27.	पंजाब	99
28.	राजस्थान	90
29.	सिक्किम	3
30.	तमिलनाडु	268
31.	त्रिपुरा	7
32.	उत्तर प्रदेश	201
33.	उत्तराखंड	23
34.	पश्चिम बंगाल	111
	कुल	2477

स्रोतः डीसीजी (1), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनएसीपी-3 के लिए लक्ष्य
1	बिहार	1
2	छत्तीसगढ़	3
3	झारखंड	11
4	कर्नाटक	4
5	केरल	1
6	मिजोरम	2
7	उत्तर प्रदेश	14
8	उत्तराखंड	3
	कुल	39

विवरण III

क्र.सं.	राज्य	रक्त बैंक का नाम
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	सरकारी अस्पताल, बस्तर

1	2	3
2.		सरकारी अस्पताल, सरगुजा
3.		सरकारी अस्पताल, कोर्डिया
4.	झाररखंड	सरकारी अस्पताल, गढ़वा
5.		सरकारी अस्पताल, दुमका
6.		सरकारी अस्पताल, गुमला
7.		सरकारी अस्पताल, सिमडेगा
8.		सरकारी अस्पताल, साहिबगंज
9.	केरल	सरकारी अस्पताल, पैनवू, इदुक्की
10.	कर्नाटक	सरकारी अस्पताल, हावेरी
11.		पंडित जनरल अस्पताल, सिरासी, उत्तर कन्नड
12.	उत्तर प्रदेश	सरकारी अस्पताल, हाथरस (महामाया नगर)
13.		सरकारी अस्पताल, कुशीनगर
14.		सरकारी अस्पताल, सिद्धार्थ नगर
15.		सरकारी अस्पताल, सोनभद्र
16.		संत कबीर नगर
17.	मिजोरम	जिला अस्पताल लोन्तलाई
18.		जिला अस्पताल मामीत

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का निर्माण

4877. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त आयुष के औषधालयों के निर्माण तथा इन औषधालयों में दवाओं की खरीद एवं आकस्मिक व्यय के अनुदान सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने तथा धनराशि को जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आकस्मिक व्यय सहित 100 आयुष औषधालयों के उन्नयन हेतु वर्ष 2010-11 के दौरान एक प्रस्ताव भेजा था। ये औषधालय किराये के परिसरों में चलाए जा रहे थे और इसलिए यह प्रस्ताव स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था। राज्य सरकार से कहा गया था कि अपने/पंचायत भवन में चलाए जा रहे आयुष औषधालयों के उन्नयन हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त पिछले सहायतानुदान के सम्बन्ध में 2745.85 लाख रुपए के लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के बाद संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाएगा। आयुष औषधालयों हेतु दवाइयों की खरीद के लिए सहायतानुदान दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

खनिजों पर दोगुना अधिभार लागाना

4878. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य खनिजों पर उत्पाद एवं बिक्री शुल्क लगाने तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिभार लगाने संबंधी उस नीति पर पुनर्विचार करने का है जिससे खनन कंपनियों पर कर भार दोगुना हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रथम अनुसूची में सम्मिलित प्रमुख खनिजों को गैर-महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में औद्योगिक प्रक्रिया के विकास के लिए सभी खनिज महत्वपूर्ण हैं और इसलिए किसी भी खनिज को गैर-महत्वपूर्ण घोषित करने का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय योग संस्थान

4879. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोरारजी देसाई योग संस्थान में कुछ अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा अवधि से अधिक समय तक सेवा जारी रखने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिए पूर्व में अनुमति प्राप्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) से (घ) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के कारगर संचालन के लिए आयुष विभाग ने वर्ष 2002 में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि संस्थान के निदेशक के पद का 12,000-16,500/-रुपये के वेतनमान से 14,300-18,300/-रुपये के वेतनमान में उन्नयन किया जाए और तीन तकनीकी पदों, अर्थात कार्यक्रम अधिकारी (योग शिक्षा एवं प्रशिक्षण), कार्यक्रम अधिकारी (योग थिरेपी) तथा संप्रेषण और प्रलेखन अधिकारी, का सृजन किया जाए। व्यय विभाग ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया कि पदों पर चयन तीन वर्षों की अवधि के लिए संविदा आधार पर भर्ती नियमावली के अनुसार किया जाए।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में निदेशक के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए जनवरी, 2003 में विज्ञापन दिया गया, लेकिन 32 आवेदकों में से किसी आवेदक को भी पात्र नहीं पाया गया। इसलिए, भर्ती नियमावली में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का प्रावधान करते हुए संस्थान की शासी परिषद् के अनुमोदन से नियमावली में छूट दी गई। अत:, 08.05.2004 को इस पद के लिए दुबारा विज्ञापन दिया गया। इस बार भी 24 आवेदकों में से किसी को भी पात्र नहीं पाया गया। चूंकि इन दो विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए मुद्दे के समाधान के लिए इस पद की भर्ती नियमावली में और छूट दी गई और सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति के तरीके को निवमावली में शामिल किया गया। चयन समिति ने सात्क्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों की अर्हताओं और उनके वास्तविक कार्य-निष्पादन पर विचार करते हुए गुणवत्ता के आधार पर दो उम्मीदवारों के नाम संस्तुत किए। इसलिए, डा. आई.वी. बसवरड्डी, जो सूची में पहले नंबर पर थे, को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के साथ आगामी आदेश होने तक, निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

डॉ. ईश्वर एन. आचार्य को डॉ. बसवरड्डी पर लागू शर्तों के ही अनुसार कार्यक्रम अधिकारी (योग थिरेपी) नियुक्त किया गया। इस प्रकार, डॉ. बसवरड्डी और डॉ. आचार्य दोनों मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में कार्यरत हैं और अब उनका अपने पिछले कार्यालयों में लियन नहीं है।

विभाग के सभी प्रयासों के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो पाने के कारण एमडीएनआईवाई में निदेशक और एक कार्यक्रम अधिकारी (योग थिरेपी) के पदों को आगामी आदेश होने तक भर लिया गया।

(ङ) आयुष विभाग ने इन नियुक्तियों के नियमितीकरण हेतु वित्त मंत्रालय का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

4880. मोहम्मद अजहरूद्दीन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वर्ष 2010-11 में अपने ऋण का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को संवितरित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख)सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2007-08 में निदेश दिया था कि वे अपने अल्पसंख्यक समुदाय उधार को अगले तीन वर्षों में अर्थात 2009-10 तक अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार को 15% तक बढ़ाएं।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को उधार के तहत समग्र उपलब्धि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार की 14.16% थी।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अल्पसंख्क समुदायों को उधार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अल्पसंख्यकों को ऋण के हिस्से में सतत वृद्धि रही है और ऋण में उनका हिस्सा 2008-09 में 11.42% से बढ़कर 2009-10 में 13.14% हो गया तथा 2010-11 में यह और बढ़कर 14.16% हो गया। सरकार द्वारा नियमित आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे शीघ्र ही 15% लक्ष्य प्राप्त करें।

विवरण

31, मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को उधार का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार	अल्पसंख्यक हिस्सा	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों को उधार का %
1	2	3	4	5
1.	आईडीबीआई बैंक लि.	42200.00	464.48	1.10
2.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	15949.50	665.88	4.17
3.	कॉरपोशन बैंक	23441.56	1186.72	5.06
4.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	15150.45	989.13	6.63
5.	देना बैंक	15149.66	1400.37	9.24
6.	विजया बैंक	14671.00	1411.22	9.62
7.	आन्ध्रा बैंक	23082.42	2610.25	11.31
8.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	11789.47	1337.93	11.35
9.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	50967.04	5836.17	11.45
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	57363.60	7195.10	12.54
11.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	35475.51	4522.11	12.75
12.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	23639.45	3427.61	14.50
13.	यूको बैंक	27963.48	4106.56	14.69

1	2	3	4	5
14.	बैंक ऑफ इंडिया	60909.00	9148.17	15.02
15.	इलाहाबाद बैंक	30819.42	4629.08	15.02
16.	पंजाब नेशनल बैंक	75652.44	11392.03	15.06
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	17751.16	2678.62	15.09
18.	इंडियन बैंक	25915.84	3915.15	15.11
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	32648.15	4952.72	15.17
20.	सिंडिकेट बैंक	36605.73	5569.30	15.21
21.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	40075.00	6135.53	15.31
22.	भारतीय स्टेट बैंक	216050.78	34266.09	15.86
23.	केनरा बैंक	70757.28	11718.03	16.56
24.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	19786.00	4153.97	20.99
25.	पंजाब एंड सिंध बैंक	11867.00	3776.48	31.82
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	17353.00	5908.00	34.05
	कुल	1013033.94	143396.70	14.16

स्रोत: पीएसबी

आई.टी.डी.सी. में अनियमितताएं

4881. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ज्ञात हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.टी.डी.सी. के कर्मचारियों द्वारा फर्जी पत्र प्रस्तुत किए जाने संबंधी शिकायतें भी सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अनुशासनात्मक मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2008-09	16
2009-10	14
2010-11	12
2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	03

आईटीडीसी में कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण सहित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का निपटारा मौजूदा नियमों, विनियमों एवं प्रभावी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण

4882. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से नाबार्ड द्वारा सहकारी समितियों को कृषि से संबंधित कार्यों हेतु ऋण का पुनर्वित्तपोषण 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से फसल ऋण परिचालनों के लिए पुनर्वित्त की प्रमात्रा 45% (वर्तमान) से बढ़ाकर 70% करने का अनुरोध किया था।

नाबार्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को यह सूचित किया गया था कि वर्ष 2011-12 के लिए अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन [एसटी (एसएओ)] पुनर्वित्त नीति बैंकों द्वारा संभावित फसल ऋण संवितरण तथा बैंकों की उपलब्ध चलनिधि के आधार पर तैयार की गई है। इसके अलावा, मुख्य रूप से बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण कुछ क्षेत्रों को अतिरिक्त पुनर्वित्त हेतु क्षेत्र विशिष्ट रियायत प्रदान की जाती है।

वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट

4883. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट' के अनुसार विश्व की 50 प्रतिशत हेरोइन भारत में पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन नशीले पदार्थों के व्यापक पैमाने पर उत्पादन किये जाने पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2009 में विश्व के हेरोइन के वास्तविक उत्पादन का मात्र 3% भारत में हुआ है।

(ख) और (ग) स्वापक औषधि और मादक पदार्थ (एन डी पी एस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हेरोइन के उत्पादन और व्यापार जैसे विभिन्न अपराधों के लिए सख्त दंड के प्रावधान किये गये हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों की कई प्रवर्त्तन एजेंसियों को इस अधिनियम के अतर्गत कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये एजेंसियां प्रवर्त्तनकारी उपाय कर रही हैं जिसमें हेरोइन के विनिर्माण के लिए लगाई गई इस प्रायोगशालाओं का खुलासा करना और हेरोइन के अवैध उत्पादन में लगे व्यक्तियों को अभियोजित करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड

4884. श्री भरत राम मेघवाल:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री बद्री राम जाखड़:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के मौजूदा सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या राजस्थान को इसमें शुरू से ही उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार बी.बी.एम.बी. में राजस्थान का कोई सदस्य सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 (2) के अनुसार, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में केन्द्र सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से एक-एक प्रतिनिधि और केन्द्र सरकार के दो प्रतिनिधि भी बीबीएमबी में सदस्य होते हैं।

परम्परा के अनुसार, बीबीएमबी के अध्यक्ष को हमेशा ही सदस्य राज्यों के बाहर से नियुक्त किया गया है और दो पूर्णकालिक सदस्य हरियाणा और पंजाब से नियुक्त किए जाते हैं और तब से यह व्यवस्था चली आ रही है।

(ग) और (घ) विभिन्न मंचों पर राजस्थान सरकार द्वारा की गई निरंतर मांग पर विद्युत मंत्रालय ने गृहमंत्रालय (एमएचए) को एक प्रस्ताव भेजा, जोकि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अधिनियम के प्रशासन से संबंधित है, कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966

की संगत धारा अर्थात धारा 79 (2) (क) को बीबीएमबी में तीसरे सदस्य के लिए प्रावधान करने हेतु संशोधित किया जाए ताकि उस राज्य से बीबीएमबी में नियुक्त किए जा रहे पूर्णकालिक सदस्य के लिए राजस्थान राज्य की मांग को पूरा किया जा सके। गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा सरकारों के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 (2) के संशोधन द्वारा कोई लाभदायक प्रयोजन हल नहीं होगा।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों का कल्याण

4885. श्री भक्त चरण दासः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजनाओं के अंतर्गत कार्यों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदायों की महिलाओं एवं बच्चों के लाभ हेतु जनजातीय उपयोजना का वित्तपोषण करने हेतु विशेष मानदंड बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए कार्यकलापों का निधियन करने हेतु महिला एवं महिला बाल विकास मंत्रालय ने कोई विशेष मानदंड निर्धारित नहीं किया है। तथापि, योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के लिए अपने परिव्यय में क्रमश: अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत निर्धारित किया है।

स्वास्थ्य विधेयक

4886. श्री रेवती रमण सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष पारित स्वास्थ्य से संबंधित केन्द्रीय कानून इनके हिन्दी संस्करणों की अनुपलब्धता सहित विभिन्न कारणों से अनेक राज्यों में कार्यान्वित नहीं किये जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये या किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) पिछले वर्ष 3 विधेयक अर्थात (1) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010, (2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 और (3) नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन), विधेयक, 2010 पारित किए गए थे।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 के लागू होने से पहले कुछ क्रियाविधियों को किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसे राज्यों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां सोवा रिगपा का अभ्यास किया जा रहा है, से तदनुसार अनुरोध किया गया है कि सोवा रिगपा (आमची) कार्यकर्ताओं, वंशानुगत और साथ ही संस्थागत रूप से योग्य, की संख्या, सोवा रिगपा/तिब्बती चिकित्सा में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों और पाठ्यक्रम आदि के ब्यौरे भी प्रदान किए जाएं।

जहां तक नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2010 का संबंध है, इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और 19 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। तथापि, इस अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर 17 फरवरी, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन), विधेयक 2010 के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इसे अपनाने के अनुरोध के साथ पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं। यह अधिनियम (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में) जनसूचना के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने हिन्दी रूपान्तार की अनुपलब्धता के कारण अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपर्युक्त केन्द्रीय कानूनों के क्रियान्वयन में देरी के संबंध में इस मंत्रालय को सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

बरेठी में विद्युत परियोजना

4887. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के फलस्वरूप विस्थापित हुए किसानों के परिवारों को रोजगार/कार्य प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजनाओं की शुरुआत कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-4 के अंतर्गत 1000 मेगावाट की क्षमता कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के चरण-5 के अंतर्गत 500 मेगावाट यूनिट संयंत्र के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज हेतु बोलियां आमंत्रित की गई है।

एनटीपीसी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले में बरेठी में 3960 मेगावाट (6x660 मेगावाट) की स्थापना के लिए कार्रवाई भी शुरू की है। परियोजना के लिए विभिन्न स्थल विशेष अध्ययन तथा स्वीकृतियां प्रगति पर हैं।

(ख) और (ग) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-4 और -5 के कार्यान्वयन के लिए संयंत्र और नगर के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। गाद निपटान क्षेत्र के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 30.7.2010 को धारा 9 लगाई गई है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत बरेठी विद्युत परियोजना के संबंध में अधिसूचना 15.7.2011 को प्रकाशित की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एनटीपीसी, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति, 2007 में निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों की मांग, उपयुक्तता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर अपनी परियोजनाओं में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए किसानों के परिवारों को रोजगार प्रदान करने की नीति का अनुपालन करती है।

(च) वर्ष 2012-13 के दौरान विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-4 को शुरू किए जाने की संभावना है। इस परियोजना का चरण-5 तथा बरेठी सुपर ताप विद्युत परियोजना के 12वीं योजना के दौरान शुरू किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

लोवर सुबनसीरी जल विद्युत परियोजना

4888. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में सक्रिय कुछ उग्रवादी गुटों द्वारा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) की क्रियान्वित की जा रही लोवर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना हेतु वर्ष 2011 के दौरान विश्वनाथ चैरीअली के तारीपल घाट से जलयान से ले जाए जा रहे टरबाइन रनर्स एवं अन्य लाजिस्टिक आपूर्ति की उतराई को बलपूर्वक रोके जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इन जलयानों को राज्य में अगस्त 2010 में ही बीच रास्ते में रोक लिया गया था तथा वे परियोजना हेतु मशीनरी/उपकरणों को उतार नहीं पाए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संकट को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सुबनसीरी लोअर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (2000 मेगावाट) के लिए उपकरण हल्दिया बंदरगाह (पश्चिमी बंगाल) से बंग्लादेश के रास्ते बांग्लादेशी नावों से असम में अगस्त, 2010 में लाए थे। ये उपकरण स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण या तो तेजपुर में जहाज घाट पर अथवा गुवाहाटी या उसके आसपास किसी भी जगह पर उतारे नहीं जा सके। हाल ही में, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आई डब्ल्यू ए आई) ने अपने 18.08.2011 के पत्र के माध्यम से इन उपकरण को जोगीघोपा बंदरगाह पर उतारने के लिए अनुमति प्रदान की है। असम सरकार ने उपकरण को उतारने और ढुलाई के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजामों का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंक

4889. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लखनऊ क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उदार वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जिला बैंकों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। एनसीडीसी ने फिरोजाबाद सहकारी बैंक तथा लखीमपुर सहकारी बैंक को क्रमश: 5 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये संस्वीकृत एवं जारी कर दिए हैं। एनसीडीसी ने सूचित किया है कि लखनऊ स्थित जिला सहकारी बैंक ने एनसीडीसी से सहायता के लिए सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

4890. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक को सिंगापुर में अपनी शाखाएं खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जबकि भारत सरकार सिंगापुरीयन बैंक को भारत में शाखायें खोलने की मंजूरी आसानी से दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के अंतर्गत इस संबंध में सरकार द्वारा सिंगापुर सरकार के साथ क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) भारत और सिंगापुर ने समेकित आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) किया है जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र को कवर किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने 4 वर्षों की अवधि के दौरान सिंगापुर बैंकों की 15 शाखायें खोलने की अनुमति देने के लिए वचन दिया है जबकि सिंगापुर ने भारतीय बैंकों को तीन विशेषज्ञ पूंजी बैंकिंग (क्यूएफबी) लाइसेंस देने के लिए अपनी सहमति दी थी। सीईसीए के लागू होने के समय से भारत ने सिंगापुर स्थित बैंकों को 11 अनुमोदन (डीबीएस बैंक को 10 अनुमोदन और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक को 1 अनुमोदन) दिए हैं। सिंगापुर की ओर से भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को क्यूएफबी लाइसेंस दिए गए हैं।

अलकनंदा जल विद्युत परियोजना

4891. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तराखंड के श्रीनगर में 330 मेगावाट की अलकनंदा जलविद्युत परियोजना के निर्माण के बारे में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों/शिकायतों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) उत्तराखंड में श्रीनगर के निकट मैसर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लि. (एएचपीसीएल) द्वारा अलकनंदा नदी पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) कार्यान्वित की जा रही है।

कई अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं, जो मुख्यत: पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने, पूरा होने में विलंब तथा इसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में वृद्धि, बांध की ऊंचाई में वृद्धि, धारी देवी मंदिर के डूबने इत्यादि के संबंध में हैं। अभ्यावेदनों तथा इन पर की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	प्रतिवेदन/शिकायत	की गई कर्रवाई
1.	धारीदेवी, वीपीओ कालीभासौर जिला-रूद्रप्रयाग, उत्तराखंड से प्राप्त दिनांक 20.05.2009 के पत्र में आरोप लगाया है कि सीईए ने वैद्य पर्यावरण स्वीकृति के बिना श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति जारी की।	सीईए ने स्पष्ट किया है कि जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृति सीईए द्वारा प्रदान की जाती है जबकि पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा प्रदान की जा रही है। ये दोनों अनुमोदन एक दूसरे से अलग हैं और एमओईएफ से पर्यावरण स्वीकृति की प्राप्ति सीईए द्वारा सहमति के लिए पूर्व-अपेक्षा नहीं है।
2.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की लागत में बढ़ोत्तरी एवं परियोजना में देरी हाने की संभावना के संबंध में दो पत्र दिनांक 5.08.2009 एवं 12.10.2009 जो श्री संतोष कुमार ममगाई, सोसायटी फॉर रिवोल्यूशन एगेंस्ट करप्शन, कांति भवन, शिव विहार, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड-246174 के है।	सीईए ने स्पष्ट किया है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) के लिए स्वीकृति 14.06.2000 के प्रदान की गयी थी जो बाद में उसी नियम एवं शर्तों पर 14.07.2004 को मैसर्स एएचपीसीएल के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के पश्चात, सीईए की स्वीकृति केवल अपेक्षित होती है। और स्वीकृति में उल्लिखित लागत केवल संकेतात्मक होती है।
3.	अलकनंदा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. द्वारा बढ़ोत्तरी एवं 330 मेगावाट से 440 मेगावाट तक क्षमता में बढ़ोत्तरी के संबंध में श्री संतोष कुमार ममगाई, सोसायटी फॉर रिवोल्यूशन एगेंस्ट करप्शन, कांति भावन, शिव विहार, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड-246174 से प्राप्त दिनांक 24.08.2010 का एक पत्र है।	सीईए ने पुष्टि की है कि उन्होंने विकासकर्ता को न ही बांध की ऊंचाई बढ़ाने और न ही इस परियोजना की संस्थापित क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, इस प्ररियोजना का पूर्ण जलाशय स्तर अर्थात 605.5 मी. में परिवर्तन नहीं हुआ है।
4.	2009 में मातु जन संगठन से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों तथा 2011 में सुश्री उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से धारी देवी मंदिर के जलमग्न होने के संबंध में है।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्य-स्थलों के दौरे शुरू किये गये थे तथा इनकी रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 2011 के पत्र के अनुसार विकासकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यावरण स्थल पर निष्पादित किया जाना चाहिए तथा 200 के. वाट तक के विद्युत आपूर्ति कामों को सुरक्षा के अलावा अलकनंदा नदी में प्रदूषण के कारणों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून, 2011 को निदेश भी जारी किए हैं तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर समयबद्ध कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता के साथ 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के लिए कहा गया है। परियोजना प्रस्तावकों ने अपेक्षित प्रतिबद्धताओं तथा बैंक गारंटी को प्रस्तुत किया है।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों का निपटान नहीं किये जाने के कारण लंबित पदोन्नतियां

4892. श्री पी. आर. नटराजनः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति के समुदाय प्रमाणपत्रों का निपटान नहीं किये जाने के कारण अनेक अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नतियां/नियुक्तियां लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले पाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए तमिलनाडु की राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति के समक्ष लंबित मामलों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की सं.
1	2008	145
2	2009	112
3	2010	95
4	2011	109
	कुल	461

उपरोक्त मामलों में से 15 मामले हैं जिनमें राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा सत्यापन के लिए पदोन्नति/नियुक्तियां लंबित हैं। शेष मामलों में, नियुक्तियां पहले ही कर दी गई हैं।

(ग) यह मंत्रालय शीघ्रता से सत्यापन करने के लिए राज्य सरकार को लिखेगा।

[हिन्दी]

आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले

4893. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री रमा देवीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न संस्थाओं से आईसीआईसीआई बैंक के विभिन्न धोखाधड़ी में संलिप्त होने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य उपचारात्मक उपाय किये/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, सरकार को माइक्रो फायनांस इन्स्टीच्यूशन से एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसे आरबीआई की राय जानने के लिए उसे (आरबीआई) अग्रेषित कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

4894. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में पूर्व शामिल समुदायों की तुलना में इस सूची में शामिल की गई नई जनजातियों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सूची में शामिल प्रत्येक समुदाय को आरक्षण के लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) इस संबंध में मंत्रालय ने कोई आकलन नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन लागू नीति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल समुदायों के लिए आरक्षण के लाभों को सुनिश्चित करते हैं।

एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाएं

4895. श्री के.डी. देशमुख: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आए है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्यों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में कोई कार्रवाई शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने मामलों में कार्रवाई शुरू और पूरी की गई है तथा उक्त अवधि के दौरान दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) एनटीपीसी लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य अभिकथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I में यथाउल्लिखित परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जैसा कि अनुबंध-I में स्पष्ट किया गया है केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने दिनांक 7.3.08 के मामला संख्या सीवीसी संदर्भ 008/पीएमआर/018 में कार्रवाई की है और 1.6.10 को इस मामले को बंद कर दिया है। दिनांक 07.12.10 के मामला संख्या एमओपी संदर्भ सी 13011/74/2010 वी एंड एस के संबंध में सीवीसी को एक रिपोर्ट भेजी गई है। एनटीपीसी ने दिनांक 2.2.2011 को मामला संख्या सीवीसी संदर्भ 007/पी डब्ल्यू आर/041-64187 के संबंध में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं।

विवरण I

पंजीकरण की तारीख	द्वारा विनिर्दिष्ट	परियोजना का नाम	संक्षेप में आरोप	कार्रवाई
1	2	3	4	5
10-दिसम्बर 10	एमओपी संदर्भ सी-13011/74/20 10-वी एवं एस दिनांक 7.12.10	कोलडैम	श्री के.बी. दूबे, पूर्व निदेशक (परियोजना), एनटीपीसी लि. के विरूद्ध शिकायत	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने रिपोर्ट की अनुरोध करते हुए शिकायत को आगे भेज दिया। सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 6.4.2011 के पत्र के माध्यम से शिकायत को बंद करने की सिफारिश की थी क्योंकि शिकायत में वर्णित आरोप वास्तविक नहीं थे। मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनटीपीसी की रिपोर्ट की जांच के पश्चात सीवीओ एनटीपीसी की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए 30.5.2011 को सीवीसी को उत्तर भेजा है।

1	2	3	4	5
21-सितम्बर-10	आंतरिक	सिपत	मौदा परियोजना में मैसर्स ईआरए द्वारा व्यापक सभी जोखिम बीमा पर बीम कवरेज (कोई उचित बीमा नहीं के अंतर्गत)	63,71,537 रुपए की वसूली की गई थी और प्राणाली के सुधार के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।
27-जनवरी-10	आंतरिक	कोलडैम	एनटीपीसी कोलडैम के डाइवर्जन टनल के मरम्मत कार्य में अनियमितताएं	श्री एम. के. अग्रवाल डीजीएम (सिविल) तथा आर-पी अहीरवार, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल) कोलडैम को रिकार्ड योग्य चेतावनी जारी की गई।
27-मार्च-08	सीवीसी संदर्भ.008/ पीडब्ल्यूआर/018 दिनांक 07.03.08	सिपत	सिपत चरण-1 (3x 660 मेगावाट) के लिए स्टीम जेनेटर (एसजी) क्षेत्र सिविल कार्य के पैकेज में अनियमितताएं। एसजी क्षेत्र सिविल कार्य पैकेज में कोई उचित बीमा कवरेज नहीं।	श्री बी.सी. मुखर्जी, वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल) और श्री आर कन्नान डीजीएम (सिविल) को रिकार्ड योग्य चेतावनी ज्ञापन जारी किया गया और 47.62 लाख रुपए की वसूली की गई। सीवीसी ने 1.6.2010 को इस मामले को बंद कर दिया था।
9-जुलाई-10	आंतरिक	विंध्याचल एसटीपीपी	वीएसटीपीपी में गाद नियंत्रण प्रणाली पैकेज चरण-3 के अंतर्गत शामिल सड़क/नाली कार्यों में अनियमितताएं। वाटर वाऊंड मैकाडम (डब्ल्यूवीएम) तथा मूरम की मोटाई सड़क/नाली में कम थी।	श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ एई (सिविल) के विरुद्ध लघु दंड की कार्यवाही शुरू की गई और श्री ए के परामर्श ज्ञापन दिया गया।
28-जनवरी-10	सीवीसी संदर्भ-008/ पीडब्ल्यू-आर/038/ 700 60 दिनांक 11.01.10	कोलडैम	कोलडैम जल विद्युत परियोजना की डिसिल्ट व्यवस्था पैकेज प्रवर्तन अंतरालों का भुगतान संविदा के अनुसार स्वीकार्य नहीं था जबकि परियोजना प्राधिकारण ने भुगतान जारी कर दिया है।	सीवीसी ने दिनांक 30.5.2011 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि एक भागीदार अर्थात मैसर्स अफकान से वसूली को सरल बनाने के लिए लापरवाही के लिए दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
1-जनवरी-10	आंतरिक	मौदा	मौदा परियोजना पर निर्माण स्टील की टूट-फूट।	अनुमोदित मामले की पुलिस जांच पूरी होन तक स्थगित रखा जाएगा। सीवीओ ने जेएम जम्बुलकर, सहायक (मैट) तथा एस.पी. ठाकरे, उप प्रबंधक (सी एंड एम) के स्थानांतरण को अनुमोदन प्रदान किया और मैसर्स ईरा से 44 लाख रुपये की वसूली से संबंधित कार्रवाई महाप्रबंधक, प्रभारी, मौदा को भेज दी गई थी।
1-मई-08	आंतरिक	सिपत	भूमिगत पाइप लाइनों को लपेटने में घटिया गुणवत्ता के टेपों का उपयोग	मैसर्स आईवीआरसीएल से 174.35 लाख रुपए की वसूली की गई।
1-मार्च-11	सीवीसी संदर्भ-007/ पीडब्ल्यूआर/041-64187 पत्र दिनांक 2.2.2011	फिरोज गांधी उंचाहार टीपीएस	ऊंचाहार एसटीपीपी चरण-3 के लिए मुख्य संयंत्र क्षेत्र सिविल कार्य। समिति ने संविदा में किए गए प्रावधान के अनुसार लिक्विडेटिड डैमेज लगाने के बजाय टोकन पेनाल्टी लगाई थी।	इस मामले के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को परामर्श ज्ञापन।

विवरण II

एनटीपीसी की निर्माणधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता (मे.वा.) निर्माणधीन	ईंधन	चालू होने की संभावित तारीख (पूर्ण भार)
एनटीपीसी परियोजनाएं					
1.	सिपत-1	छत्तीसगढ़	1320 (2x660) 3 यूनिट में से (3x660) यू#1 जून 2011 में चालू)	कोयला	2011-12
2.	मौदा-1	महाराष्ट्र	1000 (2x500)	कोयला	2012-13
3.	विंध्याचल-4	मध्य प्रदेश	1000 (2x500)	कोयला	2012-13
4.	कोल डेम एचईपी	हिमाचल प्रदेश	800 (4x200)	हाइड्रो	2012-13

अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

4896. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों, निराश्रितों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए विद्यमान सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करने तथा निर्धन, असहाय रोगियों को समुचित उपचार मुहैया कराने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) फिलहाल समूचे देश में निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त 154 सरकारी मेडिकल कालेजों, 635 जिला अस्पतालों, उप-जिला स्तर पर 944 अस्पतालों, 4535 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 23673 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 147069 उप केन्द्रों के जरिए स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराई जा रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का प्रबंध किया जाता है।

(ङ) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की अवसंरचना, औषधियों और उपकरणों के प्रापण, संविदात्मक आधार पर मानव संसाधन में वृद्धि और रेफर किया गया परिवहन आदि सहित स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

[अनुवाद]

जनजातियों का विकास

4897. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन के संकेतकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जनजातियों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), साक्षरता दर के संबांध में सूचना भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा रखी जाती है जो दर्शाती है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई है। समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्यवार एमपीसीई, बीपीएल प्रतिशत, साक्षरता दर दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है।

(ख) इस संबंध में मंत्रालय ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जनजातीय जनसंख्या सहित समाज के पिछड़े वर्गों के रोजगार अवसरों, अवसंरचना और शैक्षिक विकास इत्सादि में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करके केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों के ऐसे प्रयासों को संपूर्णता प्रदान करता है।

विवरण I

सामाजिक समूहों में एमपीसीई का अखिल भारतीय औसत

राज्य	ग्रामीण					शहरी				
	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	सभी	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	430.01	495.06	580.98	721.72	585.55	697.61	829.37	908.33	1244.46	1018.55
असम	560.27	511.06	572.77	533.15	543.18	829.62	811.15	1111.34	1124.56	1057.99
बिहार	394.60	344.68	419.58	511.73	417.11	937.65	639.10	614.96	856.08	606.27
छत्तीसगढ़	361.67	489.61	444.16	506.44	425.10	819.42	696.68	869.26	1364.88	989.97
गुजरात	483.59	521.58	546.46	822.93	596.09	920.12	942.95	845.35	1288.88	1115.20
हरियाणा	986.69	572.90	755.22	1155.34	862.89	1554.30	700.41	896.20	1394.86	1142.35
झारखंड	389.14	382.81	441.60	503.56	425.30	653.68	718.46	807.79	1357.89	985.43
कर्नाटक	426.80	417.75	494.28	602.94	508.46	638.27	680.59	832.18	1331.38	1033.21
केरल	518.05	753.11	995.62	1191.32	1013.15	1515.74	756.19	1187.79	1671.81	1290.89
मध्य प्रदेश	342.71	383.77	463.93	595.85	439.06	717.64	585.06	677.98	1246.21	903.68
महाराष्ट्र	418.13	457.22	578.70	659.37	567.76	880.59	866.63	967.89	1326.78	1148.27
उड़ीसा	283.97	362.93	434.97	523.24	398.89	548.68	500.55	679.84	923.15	757.31
पंजाब	640.64	651.86	828.48	1063.88	846.75	846.56	809.82	988.20	1704.07	1326.09
राजस्थान	464.20	527.25	636.30	666.94	590.83	861.05	739.17	789.76	1259.17	964.02
तमिलनाडु	497.80	476.27	640.49	1010.95	602.17	951.84	748.58	1027.28	1952.13	1079.65
उत्तर प्रदेश	479.04	454.55	528.36	648.56	532.63	960.25	637.45	702.31	1103.13	857.05
पश्चिम बंगाल	442.08	529.55	635.68	587.34	562.11	867.87	766.89	984.57	1234.40	1123.61
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	761.75	1071.34	1069.08	1758.19	–	–	1803.38	1802.39
अरुणाचल प्रदेश	783.68	1103.85	590.71	735.77	771.53	858.84	740.07	1069.03	888.77	881.10
चंडीगढ़	–	986.23	728.94	872.38	862.75	963.17	1042.62	1305.67	2069.27	1769.52
दादरा व नगर हवेली	478.53	1466.54	1078.67	1306.93	569.80	1013.77	587.63	1651.75	1577.04	1407.50
दमन व दीव	936.62	2453.22	891.64	1489.08	1160.89	1078.41	1274.39	917.37	1104.68	1079.59
दिल्ली	–	722.28	710.95	1028.62	918.50	1096.96	796.29	918.75	1606.60	1319.31
गोवा	1948.59	804.60	608.33	992.26	985.49	–	766.28	940.43	1638.01	1431.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिमाचल प्रदेश	786.81	635.69	752.45	896.19	798.11	1282.45	1022.33	994.57	1546.69	1390.07
जम्मू और कश्मीर	719.55	744.37	757.18	812.04	793.16	2201.40	875.94	893.82	1085.20	1070.12
लक्षद्वीप	1316.91	670.00	1093.90	2045.95	1312.55	1405.50	1834.00	1109.10	2054.61	1421.22
मणिपुर	552.80	583.71	669.92	654.47	614.20	756.26	773.83	721.83	706.65	726.38
मिजोरम	779.85	1252.90	688.29	632.75	778.35	1201.22	1284.57	800.23	1569.86	1200.51
नागालैंड	1019.99	-	588.53	1328.68	1010.81	1552.92	1068.15	1218.95	1400.75	1498.47
पुदुचेरी	-	480.15	868.82	1645.60	735.31	1004.38	562.10	1028.49	1334.23	1022.53
सिक्किम	655.36	753.25	700.56	740.31	688.53	12 33.21	838.51	1145.65	1048.75	1106.79
त्रिपुरा	435.67	480.48	513.59	519.23	487.63	1142.77	700.42	836.58	1166.51	1000.54
उत्तरांचल	568.68	553.94	618.70	705.34	647.15	826.90	714.61	765.11	1111.37	978.26
अखिल भारत	426.19	474.72	556.72	685.31	558.78	857.46	758.38	870.93	1306.10	1052.36

स्रोत-सामाजिक आर्थिक समूहों में घरेलू उपभोगता व्यय: 2004-2005, एनएसएसओ

विवरण II

गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत (सामाजिक समूहवार) 2004-05

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	15.4	9.5	4.1	50.0	39.9	28.9	20.6
2.	असम	14.1	27.7	18.8	25.4	4.8	8.6	8.6	4.2
3.	बिहार	53.3	64	37.8	26.6	57.2	67.2	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	33.9	29.2	41.0	52.0	52.7	21.4
5.	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	10.6	9.4	35.8	18.3	6.4
6.	गुजरात	34.7	21.8	19.1	4.8	21.4	16.0	22.9	7.0
7.	हरियाणा	0.0	26.8	13.9	4.2	4.6	33.4	22.5	5.9
8.	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	9.1	6.4	2.4	5.6	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	5.2	10.0	3.3	0.0	13.7	4.8	7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	झारखंड	54.2	57.9	40.2	37.1	45.1	47.2	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	20.9	13.8	58.3	50.6	39.1	20.3
12.	केरल	44.3	21.6	13.7	6.6	19.2	32.5	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	58.6	42.8	29.6	13.4	44.7	67.3	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	23.9	18.9	40.4	43.2	35.6	26.8
15.	उड़ीसा	75.6	50.2	36.9	23.4	61.8	72.6	50.2	28.9
16.	पंजाब	30.7	14.6	10.6	2.2	2.1	16.1	8.4	2.9
17.	राजस्थान	32.6	28.7	13.1	8.2	24.1	52.1	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	32.1	31.2	19.8	19.1	32.5	40.2	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	32.9	19.7	37.4	44.9	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	44.8	33.5	64.4	65.7	46.6	25.5
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	29.5	18.3	27.5	25.7	28.5	10.4	13.0
	अखिल भारत	47.3	36.8	26.7	16.1	33.3	39.9	31.4	16.0

लिजेंड अ.जा.=अनुसूचित जातियां, अ.ज.जा.=अनुसूचित जनजातियां, अ.पि.व.=अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत: योजना आयोग

विवरण III

कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की साक्षरता दर तथा साक्षरता दर में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: 1991 से 2001

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्र.सं.	भारत/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य	साक्षरता दर-1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर-2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.ज.जा.		कुल	अ.ज.जा	
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	52.2	29.6	22.6	64.8	47.1	17.7
1.	आंध्र प्रदेश	44.1	17.2	26.9	60.5	37.0	23.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	34.4	7.2	54.3	49.6	4.7
3.	असम	52.9	49.2	3.7	63.3	62.5	0.7
4.	बिहार	37.5	18.9	18.6	47.0	28.2	18.8
5.	छत्तीसगढ़	42.9	26.7	16.2	64.7	52.1	12.6

1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	गोवा	75.5	42.9	32.6	82.0	55.9	26.1	
7.	गुजरात	61.3	36.4	24.9	69.1	47.7	21.4	
8.	हरियाणा	55.8	एनएसटी	-	67.9	एनएसटी	-	
9.	हिमाचल प्रदेश	63.9	47.1	16.8	76.5	65.5	11.0	
10.	जम्मू और कश्मीर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	55.5	37.5	18.1	
11.	झारखंड	41.4	27.5	13.9	53.6	40.7	12.9	
12.	कर्नाटक	56.0	36.0	20.0	66.6	48.3	18.4	
13.	केरल	89.8	57.2	32.6	90.9	64.4	26.5	
14.	मध्य प्रदेश	44.7	184	26.3	63.7	41.2	22.6	
15.	महाराष्ट्र	64.9	36.8	28.1	76.9	55.2	21.7	
16.	मणिपुर	59.9	53.6	6.3	70.5	65.9	4.7	
17.	मेघालय	49.1	46.7	2.4	62.6	61.3	1.2	
18.	मिजोरम	82.3	82.7	0.4	88.8	89.3	0.5	
19.	नागालैंड	61.6	60.6	1.0	66.6	65.9	0.6	
20.	उड़ीसा	49.1	22.3	26.8	63.1	37.4	25.7	
21.	पंजाब	58.8	एनएसटी	-	69.7	एनएसटी	-	
22.	राजस्थान	38.6	19.4	19.2	60.4	44.7	15.8	
23.	सिक्किम	56.9	59.0	2.1	68.8	67.1	1.7	
24.	तमिलनाडु	62.7	27.9	34.8	73.5	41.5	31.9	
25.	त्रिपुरा	60.4	40.4	20.0	73.2	56.5	16.7	
26.	उत्तराखंड	57.8	41.2	16.6	71.6	63.2	8.4	
27.	उत्तर प्रदेश	40.7	20.0	20.7	56.3	35.1	21.1	
28.	पश्चिम बंगाल	57.7	27.8	29.9	68.6	43.4	25.2	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#		73.0	56.6	16.4	81.3	66.8	14.5

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़#	77.8	एनएसटी	–	81.9	एनएसटी	–
31.	दादरा व नगर हवेली	40.7	28.2	12.5	57.6	41.2	16.4
32.	दमन और दीव	71.2	52.9	18.3	78.2	63.4	14.8
33.	दिल्ली#	75.3	एनएसटी	–	81.7	एनएसटी	–
34.	लक्षद्वीप	81.8	80.6	1.2	86.7	86.1	0.5
35.	पुदुचेरी#	74.7	एनएसटी	–	81.2	एनएसटी	–

स्रोत: जनगणना 2001

आंगनवाड़ी केन्द्र

4898. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:** क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों की मांग पर आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की मांग के अधिकार के बारे में उनके बीच जागरुकता पैदा करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में दायर रिट याचिका संख्या 196/2001 में दिनांक 13.12.2006 को पारित अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि जिन मामलों में किसी बस्ती में 6 वर्ष से कम आयु के कम से कम 40 बच्चे हों और कोई आंगनवाड़ी केन्द्र न हो, उन मामलों में ग्रामीण समुदायों और झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों को मांग पर आंगनवाड़ी का हक होना चाहिए। भारत सरकार ने वर्ष 2008 में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम को विस्तार के तीसरे चरण के अंतर्गत इस स्कीम के सर्वव्यापीकरण को अनुमोदित करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या को बढ़ाकर 14 लाख कर दिया, जिसमें मांग पर 20,000 आंगनवाड़ियों का अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल है। मांग पर आंगनवाड़ियों की स्थापना के दिशानिर्देश मंत्रालय के दिनांक 29 मई, 2009 के पत्र द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे। तत्पश्चात ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर भी डाल दिए गए हैं।

क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल)

4899. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल) द्वारा विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए किसी उधारकर्ता को चूककर्ता घोषित करने हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिबिल उधारकर्ता को सुने बिना किसी बैंक विशेष की सूचना के आधार पर उधारकर्ता को चूककर्ता घोषित करने का एक पक्षीय निर्णय ले सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सिबिल को उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 भारत सरकार द्वारा इसके तहत नियमों एवं विनियमों के अधिसूचित किए जाने के बाद 14 दिसम्बर, 2006 से लागू किया गया है। ऋण

सूचना का 'बिजनेस' शुरू करने/निष्पादित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ऋण सूचना कंपनियां अपनी सदस्य ऋण संस्थाओं से सभी प्रकार की ऋण सूचना (सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक) संग्रहित करने और उनका ऋण रिपोर्टों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रायोक्ताओं/व्यक्ति-विशेषों में प्रचार करने में सक्षम हो पाएंगी। वर्तमान में, सीआईबीआईएल 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, 1 करोड़ रुपये और अधिक के चूककर्ताओं (वाद-दायर खातों) की सूची और 25 लाख रुपये और अधिक के इरादतन चूककर्ताओं (वाद-दायर खातों) की सूची अपनी वेबसाइट (www.cibil.com) पर रख रहा है।

उच्च जोखिम समूहों में एचआईवी संक्रमण

4900. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश के ट्रक चालकों, महिला यौन कर्मियों, पुरुष से यौन संबंध बनाने वाले पुरुष, इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों तथा निराश्रित बच्चों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों में एचआईवी/एड्स की अधिक व्याप्तता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक उपर्युक्त उच्च जोखिम समूहों में एचआइवी/एड्स के संक्रमण से राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार पृथक-पृथक कितने लोग पीड़ित हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस समूहों में एड्स के कारण राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक-पृथक कितनी मौतें हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) जी, हां। नार्को देश में एचआईवी महामारी के रुझानों की मानीटरिंग करने के लिए उच्च जोखिम वाले समूहों-महिला यौन कर्मी, पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले पुरुषों, इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों और ब्रिज जनसंख्या-अकेले पुरुष प्रवासियों एवं लम्बी दूरी यात्रा करने वाले ट्रकर्स में एचआईवी प्रहरी निगरानी करता है। एचआईवी प्रहरी निगरानी 2008-09 के अनुसार, महिला यौनकर्मियों, पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले पुरुषों, इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों, लम्बी दूरी यात्रा करने वाले ट्रकर्स-में एचआईवी व्याप्तता क्रमशः 4.94 प्रतिशत, 7.30 प्रतिशत, 9.19 और 1.62 प्रतिशत है।

स्ट्रीट चिल्ड्रन को एचआईवी/एड्स के लिए उच्च जोखिम वाले समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और समूह के लिए अलग से कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। प्रस्तुत की गई सूचना संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर आधारित है।

(घ) इन वर्गों में एड्स के कारण होने वाली मौतों की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

विवरण

2011-12 (जुलाई, 2011 तक) उच्च जोखिम समूहों के बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसडब्लयू	एमएसएस	आईडीयू	ट्रकर्स
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	504	77	9	29
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	10	4	5	2
बिहार	30	7	15	0
चंडीगढ़	2	2	0	0
छत्तीसगढ़	21	4	0	1

1	2	3	4	5
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	–			
दिल्ली	8	8	12	0
गोवा	52	2	1	2
गुजरात	47	72	2	18
हरियाणा	6	18	35	0
हिमाचल प्रदेश	0	1	4	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	9	4	0	4
कर्नाटक	225	111	1	13
केरल	92	1	3	5
मध्य प्रदेश	28	25	109	2
महाराष्ट्र	280	146	15	4
मणिपुर	16	2	94	2
मेघालय	12	0	1	0
मिजोरम	15	4	70	0
नागालैंड	17	5	22	0
ओडिशा	22	18	5	0
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	6	12	91	3
राजस्थान	18	14	3	2
सिक्किम	1	0	0	0
तमिलनाडु	167	97	2	11
त्रिपुरा	2	0	0	0
उत्तर प्रदेश	100	41	124	5
उत्तराखंड	4	9	3	0
पश्चिम बंगाल	74	17	13	10
भारत	1,768	701	639	113

2010-11 उच्च जोखिम समूहोंके बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसडब्लयू	एमएसएस	आईडीयू	ट्रकर्स
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	380	134	27	54
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	35	4	12	5
बिहार	21	10	44	3
चंडीगढ़	6	11	17	0
छत्तीसगढ़	26	20	5	21
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	92	154	225	11
गोवा	11	14	4	4
गुजरात	154	285	15	71
हरियाणा	75	32	108	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	4	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	32	0	0	18
कर्नाटक	1,144	289	1	34
केरल	32	10	28	1
मध्य प्रदेश	91	60	88	5
महाराष्ट्र	1,296	576	123	136
मणिपुर	81	54	673	0
मेघालय	2	1	0	0
मिजोरम	47	4	200	0
नागालैंड	57	31	56	1
ओडिशा	69	56	21	0
पुदुचेरी	4	3	0	0
पंजाब	41	22	408	10
राजस्थान	152	36	17	5

1	2	3	4	5
सिक्किम	0	0	2	0
तमिलनाडु	804	615	5	138
त्रिपुरा	10	1	0	0
उत्तर प्रदेश	97	75	182	13
उत्तराखंड	9	7	23	0
पश्चिम बंगाल	158	55	48	59
भारत	4,917	2,559	2,336	589

2009-10 उच्च जोखिम समूहों के बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसडब्लयू	एमएसएस	आईडीयू	ट्रकर्स
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1213	424	47	112
अरुणाचल प्रदेश	4	0	3	0
असम	29	1	14	7
बिहार	39	15	0	0
चंडीगढ़	52	9	22	0
छत्तीसगढ़	43	17	7	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	आंकड़े उपलब्ध नहीं			
दिल्ली	135	408	244	0
गोवा	58	15	1	2
गुजरात	220	374	16	47
हरियाणा	369	29	10	0
हिमाचल प्रदेश	10	2	2	0
जम्मू और कश्मीर	5	0	0	1
झारखंड	34	6	0	3
कर्नाटक	1,033	173	51	13

1	2	3	4	5
केरल	13	239	37	0
मध्य प्रदेश	98	87	185	0
महाराष्ट्र	1,630	464	26	70
मणिपुर	112	9	651	4
मेघालय	4	0	0	0
मिजोरम	29	2	152	3
नागालैंड	48	10	107	3
ओडिशा	130	103	30	0
पुदुचेरी	8	0	0	0
पंजाब	77	22	388	0
राजस्थान	103	4	10	7
सिक्किम	0	0	58	0
तमिलनाडु	199	180	16	29
त्रिपुरा	19	9	0	0
उत्तर प्रदेश	638	422	743	2
उत्तराखंड	28	8	35	0
पश्चिम बंगाल	253	434	36	17
भारत	6,633	3,466	2,891	320

2008-09 उच्च जोखिम समूहों के बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफएसडब्लयू	एमएसएस	आईडीयू	ट्रकर्स
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	759	266	5	11
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	110	5	3	13
बिहार	32	3	6	8
चंडीगढ़	7	13	10	0

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	आंकड़े उपलब्ध नहीं			
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	आंकड़े उपलब्ध नहीं			
दिल्ली	204	207	122	0
गोवा	60	23	2	0
गुजरात	256	557	0	4
हरियाणा	180	40	73	0
हिमाचल प्रदेश	21	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	2	0	1	0
झारखंड	260	4	5	0
कर्नाटक	198	214	0	0
केरल	119	752	14	0
मध्य प्रदेश	75	11	0	0
महाराष्ट्र	613	174	64	1
मणिपुर	14	4	149	0
मेघालय	2	0	0	0
मिजोरम	22	3	111	1
नागालैंड	43	9	69	1
ओडिशा	16	22	8	0
पुदुचेरी	आंकड़े उपलब्ध नहीं			
पंजाब	26	15	257	1
राजस्थान	163	3	1	0
सिक्किम	0	0	2	0
तमिलनाडु	6	15	5	3
त्रिपुरा	13	0	1	0
उत्तर प्रदेश	200	143	249	2
उत्तराखंड	7	5	1	0
पश्चिम बंगाल	164	33	38	29
भारत	3,578	2,526	1,196	74

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

4901. श्री दारा सिंह चौहानः
श्री जगदीश सिंह राणाः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोयला मंत्रालय के पास उत्तर प्रदेश राज्य में 600 मेगावाट वाले निजी ताप विद्युत संयंत्र के लिए 2011-12 के दौरान कोयला आबंटन का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत संयंत्र के लिए कोयला ब्लॉक कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा ऋण

4902. डॉ. बलीरामः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े व्यापारिक घरानों को संवितरित किए गए ऋणों का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उक्त व्यापारिक घरानों को संवितरित ऐसे ऋणों में से वसूल की गई तथा वसूल की जाने वाली धनराशि का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) बैंकों में प्रचलित कार्यप्रणाली और प्रथा के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को प्रशासित करने वाले विधिक प्रावधानों के अनुपालन में उधारकर्ताओं के नाम से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। तथापि, बड़े उधारकर्ताओं (100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश) के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बकाया राशि मार्च, 2009, 2010 और 2011 के अंत में क्रमशः 4,17,179 करोड़ रुपये, 5,04,372 करोड़ रुपये और 5,80,476 करोड़ रुपये थे।

(ग) बैंकों से अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी करना और वसूली/अन्य माध्यमों के जरिए इसे कम करने के लिए कार्रवाई करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक भी सभी क्षेत्रों की एनपीए की निगरानी करता है। वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के दौरान इस पहलू की जांच की जाती है और बैंकों द्वारा प्रस्तुत विनियामकीय विवरणों के जरिए वसूली माध्यमों में वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 ऋण वसूली अधिकरण और लोक अदालत इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

आत्मनिर्भर शहर

4903. डॉ. संजय जायसवालः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे आत्मनिर्भर शहरों को प्रोत्साहन देने का है जो नवीकरणीय ऊर्जा से ज्यादा विद्युत का उत्पादन और उसका उपयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के प्रत्येक महानगर और राज्य की राजधानियों में और उनके आस-पास उपलब्ध सौर, पवन तथा निगम के कचरे आदि जैसे सभी नवीकरणीय स्रोतों का संपूर्ण मानचित्रण तथा प्रयोग करने के लिए तैयार की गई योजना तथा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा "सौर शहरों का विकास" पर एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा संस्थापनाओं और ऊर्जा दक्ष उपायों के माध्यम से शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित मांग को न्यूनतम 10% तक कम करना है। चार मॉडल सौर शहरों और 10 प्रायोगिक सौर शहरों सहित 11वीं योजना अवधि के दौरान सौर शहरों के रूप में साठ शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है। सौर, पवन म्यूनिसिपल अपशिष्ट आदि सहित विभिन्न अक्षय स्रोतों का और उपयोग करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक सौर शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा मास्टर प्लान की तैयारी, मास्टर प्लान के कर्यान्वयन हेतु संस्थान व्यवस्थाएं करने, जागरुकता सृजन और क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए संबंधित शहर की सरकार को प्रत्येक सौर शहर हेतु 50 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक, देश में राज्य की राजधानियों सहित 36 सौर शहरों के विकास हेतु मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, अन्य राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के अंतर्गत शहरों में राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से सौर तथा म्यूनिसिपल अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करना

4904. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस और रोगियों को नैदानिक जांच और परीक्षणों के लिए निजी प्रयोगशालाओं के पास भेजने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जहां से उन्हें प्रतिफल मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में विशेषकर दिल्ली में कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई; और

(ग) इस अनैतिक प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात डॉ. आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा एलएचएमसी तथा संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कार संग्रहालय

4905. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास "कार संग्रहालय" बनाने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह नीति कब लागू होगी;

(ग) सरकार द्वारा उक्त नीति के अंतर्गत संग्रहालय की स्थापना के लिए प्रदत्त की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हरियाणा में "हैरिटेज ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट" को इसके लिए 6 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके चयन के लिए किन मानदंडों का पालन किया गया है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) की योजना के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु शामिल किए गए कुछ घटक निम्न हैं:-

(क) गंतव्यों के परिवेश का सुधार

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज प्रबंधन, जन सुविधाओं आदि में सुधार

(ग) मार्गस्थ जन सुविधाओं का सृजन

(घ) स्मारकों का जीर्णोद्धार

(ङ) पर्यटक स्वागत केन्द्र

"कार संग्रहालय" के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष नीति नहीं है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने हरियाणा में "विरासत परिवहन ट्रस्ट" के लिए कोई भी वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की है।

नकदीरहित स्वास्थ्य बीमा योजना

4906. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों द्वारा नकदीरहित स्वास्थ्य बीमा योजना सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त दुरुपयोग के कारण बीमा कंपनियां बीमाधारकों से मुंह मोड़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि आईआरडीए के बीमा सूचना ब्यूरो द्वारा किए गए वर्ष 2008-09 और 2009-10 के अध्ययन के अनुसार, यह पाया गया था कि 'नकदीरहित' आधार पर होने वाले निपटान में अधिक लागत आती है।

(ग) और (घ) बीमाकर्ता, संविदा के अंतर्गत दावा निपटान प्रक्रिया में एक प्रकार के रूप में अपने सहयोगी अस्पताल नेटवर्क में नकदीरहित सुविधा का प्रस्ताव करते हैं। यह नेटवर्क गतिशील है और समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन है। उनके दावे अनुभवों के आधार पर और विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं, जैसा कि निपटाए गए दावों से स्पष्ट है, कि लागतों की जांच के पश्चात बीमा कंपनियां कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं का दर तय करते हैं और सामान्यत: नेटवर्क उन्हीं अस्पतालों को शामिल करते हैं, जो उस दर पर सेवा देने के लिए सहमत होते हैं। बीमाकर्ताओं द्वारा सूचीबद्ध सहयोगी नेटवर्क के सभी अस्पताल में नकदीरहित सुविध उपलब्ध होती रहेगी।

(ङ) जब कभी बीमाकर्ता द्वारा नेटवर्क में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीधारकों का हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसने (आईआडीए) चिकित्सा बीमा के अंतर्गत नकदी रहित सुविधाओं का प्रस्ताव करने वाले सभी बीमाकर्ताओं को यथा संभव निकटतम अस्पताल, जहां नकदी रहित सुविधा उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध हो, के बारे में सूचित करने का निदेश दिया है।

वाहन तथा गृह ऋण के रिकार्ड

4907. श्री हरीश चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित वाहन और गृह-ऋण के रिकार्ड उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त ऋणों के समय पर वितरण और उनकी वसूली के लिए कोई कार्यनीति/नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (जून, 2011 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का खुदरा आवास और वाहन ऋणों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस ऋणों के संवितरण हेतु आरबीआई द्वारा दिए गए निदेशानुसार प्रत्येक बैंकों का बोर्ड ऋण नीति तैयार करने के लिए प्राधिकृत है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का खुदरा वाहन और आवास ऋण का बैंक-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	निम्न की समाप्ति पर बकाया खुदरा वाहन ऋण				निम्न की समाप्ति पर बकाया खुदरा आवास ऋण			
	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	जून 2011	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	जून 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इलाहाबाद बैंक	309	477	607	1,108	3,225	3,198	3,253	3,321
आन्ध्रा बैंक	137	275	347	348	2,232	3,480	4,478	4,621

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैंक ऑफ बड़ौदा	888	1,371	1,963	2,109	8,264	10,306	12,510	12,911
बैंक ऑफ इंडिया	860	1,218	1,408	1,435	6,937	7,880	7,057	7,088
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	514	464	433	428	2,959	3,639	4,280	4,380
केनरा बैंक	1,112	1,391	1,497	1,501	7,896	10,117	15,219	15,241
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	444	557	858	863	4,535	5,438	6,424	5,961
कारपोरेशन बैंक	749	812	1,416	1,486	4,594	5,280	6,025	6,177
देना बैंक	378	511	493	513	2,866	3,595	4,016	4,296
आईडीबीआई बैंक लि.	10	77	190	188	11,877	16,354	22,833	22,342
इंडियन बैंक	220	248	301	321	4,751	4,991	5,225	5,266
इंडियन ओवरसीज बैंक	444	627	582	848	3,530	2,921	2,594	2,849
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	463	705	954	991	3,376	3,856	4,450	4,588
पंजाब एंड सिंध बैंक	314	279	253	231	1,181	1,319	1,580	1660
पंजाब नैशनल बैंक	1,172	1,309	1,626	1,816	8,394	9,538	11,816	11,835
सिंडिकेट बैंक	276	452	457	463	6,310	7,399	10,531	10,592
यूको बैंक	182	211	232	324	3,626	4,043	4,205	4,204
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,011	1,189	1,230	1,229	6,621	8,115	9,211	9,423
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	540	602	546	629	4,131	4,806	5,429	5,422
विजया बैंक	425	370	842	767	4,428	4,453	4,213	4,168
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	255	513	591	576	2,146	2,415	2,835	2,854
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	476	865	1,189	1,191	3,859	5,106	6,501	6,790
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7,828	14,161	20,910	21,545	46,028	71,418	86,769	89,881
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	278	381			1,347	1,387		
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	291	398	481	608	2,186	2,595	3,155	3,172
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	940	127	1,538	1,531	3,198	3,443	3,946	3,907
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	984	1,324	1,419	1,397	4,858	6,144	6,714	7,609
कुल पीएसबीएस	21,499	30,913	42,363	44,445	165,356	213,238	255,272	260,558

स्रोत: अद्यतन ओएसएमओएस डाटा बेस (घरेलू परिचालन)

[अनुवाद]

4908. श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री एस. अलागिरी:
श्री सज्जन वर्मा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 143 और 149 के अंतर्गत कुछ विद्युत वितरण कंपनियों के अकर्मण्य होने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 143 और 149 के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के अकर्मण्य होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत की आपूर्ति

4909. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंधार और कावास गैस आधारित विद्युत संयंत्र से मध्य प्रदेश को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की दरें बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दरों को तर्क-संगत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 2009-14 की अवधि के लिए गांधार और कवास गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की टैरिफ को अनंतिम रूप से अनुमति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश सहित लाभार्थी राज्यों को वर्ष 2010-11 के लिए इन विद्युत संयंत्रों से विद्युत आपूर्ति की लागत क्रमश: 3.39 रु. प्रति केडब्ल्यूएच और 3.30 रु. प्रति केडब्ल्यूएच है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनी में और एक से अधिक राज्य में उत्पादन और बिक्री की मिश्रित स्कीम वाली केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में न आने वाली उत्पादन कंपनी के टैरिफ को विनियमित करने के लिए सीईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 के साथ पठित धारा 79 (1) के अंतर्गत उपयुक्त आयोग है।

विद्युत अधिनियम की धारा 61 में टेरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय नियामक आयोगों द्वारा विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने का प्रावधान है। इन कारकों में अन्य कारकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा साथ ही और उचित ढंग से विद्युत की लागत की वसूली और निष्पादन आदि में रिवार्डिंग कार्य-कुशलता का सिद्धांत शामिल है।

केन्द्रीय आयोग ने उत्पादन कंपनियों के लिए टैरिफ निर्धारण और आयोग द्वारा विनियमित अंतरराज्य पारेषण कंपनियों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के साथ पठित धारा 178 (2) (एस) के अंतर्गत अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निबंधन एवं शर्तों को अधिसूचित किया है।

[अनुवाद]

एचआईवी संक्रमित सुइयां

4910. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागपुर में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल परिसर में एचआईवी संक्रमित सुइयां पाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) नागपुर में इंदिरा गांधी कॉलेज तथा अस्पताल में एचआईवी संक्रमित सुइयों के किसी भी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) एचआईवी परीक्षण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश के जरिए मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रिपोर्टों के अनुसार, न तो मेडिकल कॉलेजों और ना ही अस्पतालों ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठनों के मानकों का उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सम विकास योजना

4911. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है एवं इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि अब भी जारी की जानी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) और (ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना वर्ष 2003-04 में आरंभ की गई थी जिसका लक्ष्य केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयासों से देश के 147 चुने हुए पिछड़े जिलों में उन कार्यक्रमों तथा नीतियों को कार्यान्वित करना था जिससे उन्नति में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सके, विकास प्रक्रिया को गति मिले तथा जनजीवन की गुणता में सुधार लाया जा सके। योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है जिससे असंतुलनों में कमी करने में सहायता मिले तथा विकास कार्य की गति बढ़े। आरएसवीवाई के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ग) से (च) आरम्भ में आरएसवीवाई योजना का कार्यान्वयन योजना आयोग द्वारा किया गया था। तदुपरांत वर्ष 2006-07 में पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीफ) कार्यक्रम कार्यान्वित करने और आरएसवीवाई को बीआरजीएफ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। आर एस वी वाई के तहत प्रत्येक जिले को 7.50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 45 करोड़ रुपये दिए जाने थे। निधियों का एक भाग योजना आयोग द्वारा तथा शेष पात्रतानुसार बी आर जी एफ से जारी किया जाना था। आरएसवीवाई के अंतर्गत कवर किये गय सभी 147 जिलों को दिसम्बर, 2009 तक प्रत्येक को 45 लाख रुपए प्रति जिला की पूर्ण आबंटन राशि जारी कर दी गई थी। आरएसवीवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की रिपोर्ट का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य जिला	क्र.सं.	जिला	क्र.सं.	जिला
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1	अदीलाबाद	2	चित्तूर	3	करीमनगर
4	खम्मम	5	महबूबनगर	6	मेंडक

1	2	3	4	5	6
7	नालगौंडा	8	निजामाबाद	9	विजयनगरम
10	वारांगल				
अरुणाचल प्रदेश					
1	अपर सूबांसरी				
असम					
1	धीमाजी	2	कर्बी आंगलोग	3	कोकराझार
4	एन.सी. हिल्स	5	नार्थ लखीमपुर		
बिहार					
1	अररिया	2	औरंगाबाद	3	भोजपुर
4	दरभंगा	5	गया	6	जम्मुई
7	जेहानाबाद	8	कैमूर	9	कटिहार
10	लखीसराय	11	मधुबनी	12	मुजफ्फरपुर
13	नालंदा	14	नवादा	15	पटना
16	पुर्णिया	17	रोहताश	18	समस्तिपुर
19	शियोहर	20	सुपाल	21	वैशाली
छत्तीसगढ़					
1	बस्तर	2	बिलासपुर	3	दांतेवाड़ा
4	जसपुर	5	कनकेर	6	कवर्दा/कबीरधाम
7	राजनंदगांव	8	सरगुजा		
गुजरात					
1	दहोड़	2	डांग	3	पंचमहल
हरियाणा					
1	सिरसा				
हिमाचल प्रदेश					
1	चम्बा	2	सिरमौर		
जम्मू और कश्मीर					
1	डोडा	2	कुपवाड़ा	3	पूंछ

1	2	3	4	5	6
झारखंड					
1	बोकारो	2	छातरा	3	धनबाद
4	गढ़वा	5	गिरिडीह	6	गौडा
7	गुमला	8	हजारीबाग	9	कोडरमा
10	लातेहर	11	लोहारडागा	12	पलामू
13	रांची	14	सरायकेला	15	सिमडेगा
16	पश्चिम सिंहभूमि				
कर्नाटक					
1	बीदर	2	चित्रदुर्ग	3	दावणगेरे
4	गुलबर्ग				
केरल					
1	पलक्कड़	2	व्यानाड़		
मध्य प्रदेश					
1	बालाघाट	2	बरौनी	3	डिंडोरी
4	खारगांव	5	मंडला	6	सतना
7	सियोनी	8	शहडौल	9	सिधि
10	उमरिया				
महाराष्ट्र					
1	अहमदनगर	2	भंडारा	3	चंद्रपुर
4	धूले	5	गढ़चिरौली	6	गोंडिया
7	हिंगोली	8	नांदेड़	9	नंदूरबाड़
मणिपुर					
1	तमंगलंग				
मेघालय					
1	पश्चिम गारो हिल्स				
मिजोरम					
1	लवांगतल्लई				

1	2	3	4	5	6
नागालैण्ड					
1	मॉन				
ओडिशा					
1	गजपति	2	गंजम	3	क्योंझर
4	मयूरभंज	5	सुन्दरगढ़		
पंजाब					
1	होशियारपुर				
राजस्थान					
1	बांसवाड़ा	2	डूंगरपुर	3	झालावाड़
सिक्किम					
1	उत्तरी सिक्किम				
तमिलनाडु					
1	कुडलोर	2	डिंडीगुल	3	नागापट्टनम
4	शिवगंगा	5	तिरूवन्नामलाई		
त्रिपुरा					
1	धालई				
उत्तरांचल					
1	चमोली	2	चंपावत	3	टिहरी गढ़वाल
उत्तर प्रदेश					
1	आजमगढ़	2	बांदा	3	बाराबंकी
4	चंदोली	5	चित्रकूट	6	फतेहपुर
7	गोरखपुर	8	हमीरपुर	9	हरदोई
10	जालौन	11	जौनपुर	12	कौशांबी
13	कुशीनगर	14	ललितपुर	15	महोबा
16	मिर्जापुर	17	प्रतापगढ़	18	रायबरेली
19	सीतापुर	20	सोनभद्र	21	उन्नाव

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल					
1	24 द. परगना	2	बांकुरा	3	वीरभूमि
4	जलपाईगुड़ी	5	प. मिदनापुर	6	उ. दिनाजपुर
7	पुरूलिया	8	द. दिनाजपुर		

विवरण II

दिनांक 31.7.2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अंतर्गत जारी निधियां और उनके उपयोग की रिपोर्ट

(राशि करोड़ों में)

क्रम. सं.	रज्य	जिलों की संख्या	जारी की जाने वाली कुल राशि	2003-04 में जारी राशि	2004-05 में जारी राशि	2005-06 में जारी राशि	2006-07 में जारी राशि	2007-08 में जारी राशि	2008-09 में जारी राशि	2009-10 में जारी राशि	कुल जारी राशि राशि	उपयोग की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	10	450.00	40.00	72.50	37.50	82.50	105.00	105.00	7.50	450.00	378.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	45.00	36.31
3.	असम	5	225.00	10.00	27.50	7.50	52.50	52.50	75.00	0.00	225.00	212.68
4.	बिहार	21	945.00	0.00	157.50	135.00	232.50	97.50	300.00	22.50	945.00	757.47
5.	छत्तीसगढ़	8	360.00	40.00	57.50	90.00	127.50	45.00	0.00	0.00	360.00	348.67
6.	गुजरात	3	135.00	17.50	20.00	15.00	37.50	7.00	30.00	7.50	135.00	104.63
7.	हरियाणा	1	45.00	0.00	7.50	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2	90.00	5.00	25.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00	90.00	86.88
9.	जम्मू और कश्मीर	3	135.00	5.00	25.00	22.50	22.50	15.00	22.50	22.50	135.00	106.15
10.	झारखंड	16	720.00	37.50	120.00	142.50	315.00	82.50	22.50	0.00	720.00	610.56
11.	कर्नाटक	4	180.00	12.50	25.00	15.00	37.50	45.00	45.00	0.00	180.00	145.26
12.	केरल	2	90.00	20.00	17.50	15.00	15.00	7.50	7.50	7.50	90.00	77.38
13.	मध्य प्रदेश	10	450.00	22.50	142.50	150.00	135.00	0.00	0.00	0.00	450.00	449.78
14.	महाराष्ट्र	9	405.00	15.00	67.50	60.00	90.00	107.00	58.00	7.50	405.00	396.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	मणिपुर	1	450.00	7.50	7.50	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
16.	मेघालय	1	45.00	0.00	7.50	0.00	15.00	7.00	15.00	0.00	45.00	45.00
17.	मिजोरम	1	45.00	0.00	7.50	7.50	15.00	15.00	0.00	0.00	45.00	45.00
18.	नागालैंड	1	45.00	0.00	15.00	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
19.	ओडिशा	5	225.00	10.00	42.50	45.00	45.00	52.50	30.00	0.00	225.00	219.83
20.	पंजाब	1	45.00	0.00	7.50	7.50	15.00	7.50	7.50	0.00	45.00	44.35
21.	राजस्थान	3	135.00	35.00	47.50	37.50	15.00	0.00	0.00	0.00	135.00	131.60
22.	सिक्किम	1	45.00	0.00	7.50	7.50	22.50	7.50	0.00	0.00	45.00	44.69
23.	तमिलनाडु	5	225.00	20.00	77.50	75.00	30.00	22.50	0.00	0.00	225.00	211.69
24.	त्रिपुरा	1	45.00	7.50	7.50	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	45.00	40.34
25.	उत्तर प्रदेश	21	945.00	62.50	162.50	202.50	300.00	135.00	30.00	52.50	945.00	840.78
26	उत्तराखंड	3	135.00	0.00	22.50	22.50	37.50	30.00	22.50	0.00	135.00	110.84
27.	पश्चिम बंगाल	8	360.00	35.00	55.00	45.00	60.00	82.50	82.50	0.00	360.00	333.37
	कुल	147	6615.00	402.50	1240.00	1207.50	1815.00	954.50	860.50	135.00	6615.00	5914.00

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4912. **श्री देवराज सिंह पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किए जा रहे विद्युतीकरण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री अर्थात तारों, केबल आदि की गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कर्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में इस काम में लगी कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनी की दरों की तुलना में दो गुनी दरों का भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत बड़ी सामग्रियों अर्थात केबल, कडक्टर, मीटर, पोल, ट्रांसफार्मर इत्यादि मध्य प्रदेश सहित समस्त राज्यों में विनिर्माणकर्ताओं के परिसरों में यादृच्छिक नमूने में लॉटों में चयनित सामग्रियों की विहित सामग्री गुणवत्ता योजना और अनुमोदित तकनीकी मानकों के अनुसार जांच कर दी गई है और तदनुसार आरजीजीवीवाई के निष्पादन के लिए क्षेत्रों को वितरित कर दी गई है। गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षकों के द्वारा सामग्रियों का अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप न होने के कारण स्वीकृत नहीं किए हैं और विनिर्माणकत्ताओं के द्वारा नए सामग्रियों को देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 11वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) कार्यों एवं सामग्रियों त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के द्वारा निरीक्षण किए जाने के अधीन हैं।

(ग) और (घ) आरजीजीवीवाई के तहत मध्य प्रदेश में आरई टर्नकी आधार एवं कार्य दिशानिर्देशों पर कार्यान्वित की जा रही हैं संविदाएं प्रतिस्पर्द्धि बोली प्रक्रिया के आधार पर एल-1 बोलीदाताओं को अवार्ड की जा रही हैं।

[अनुवाद]

आवास ऋण

4913. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन क्षेत्र में गृह-क्रेताओं को आवास ऋण प्रदान किया है, को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भू-अर्जन को अवैध घोषित करने संबंधी इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के हाल के आदेश के आलोक में अपने ऋण के ब्याज को माफ करने के निदेश जारी करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वाले क्रेताओं को वित्तीय राहत प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) क्या बिल्डरों द्वारा धनराशि वापस करने के मामले में एलआईसी और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा धनराशि तथा सेवा कर विभाग द्वारा बिल्डरों के माध्यम से लिए सेवाकर को भी वापस किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; ताकि घर खरीदने वालों की मेहनत की कमाई उनकी बिना किसी गलती के बेकार न चली जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

निधियों का वितरण

4914. श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को निधियों के वितरण के क्या मानदंड हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन निधियों के आधार पर राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करने हेतु किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय सड़क निर्माण, पुलों, सिंचाई सुविधाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि जैसी महत्वपूर्ण अवसंचरना में अंतराल को दूर करने के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन और अनुपूर्ति हेतु, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

(ख) अनुदान पिछले वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति के अधीन देश में कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर किए गए राज्यवार वार्षिक आबंटनों के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है।

(ग) मध्य प्रदेश सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त राज्यवार/वर्षवार निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) मंत्रालय योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है:-

1. उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए आग्रह किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिप्रेत प्रयोजन के लिए निधियां उपयोग में लाई जाती हैं
2. राज्यों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में वास्तविक/वित्तीय प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के दौरान भी केन्द्र सरकार के अधिकारी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाते हैं।
4. वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के उचित और शीघ्र कर्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु जनजातीय कल्याण विकास विभागों के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठकें बुलाई जाती हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों की राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.8.2011 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	1863.44	1946.20	5187.70	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	308.68	35.20	772.00	0.00
3.	असम	1444.88	1240.77	3717.96	0.00
4.	बिहार	0.00	95.00	838.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3211.43	2834.80	7786.00	0.00
6.	गोवा	7.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2372.77	4783.00	8302.00	3855.18
8.	हिमाचल प्रदेश	148.32	360.00	377.00	215.50
9.	जम्मू और कश्मीर	193.66	282.74	607.00	0.00
10.	झारखंड	1852.43	3730.00	8004.00	0.00
11.	कर्नाटक	1496.37	1823.00	3813.00	1826.00
12.	केरल	159.42	387.00	405.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	6466.80	6435.00	17311.31	7772.00
14.	महाराष्ट्र	2441.46	2000.00	9442.00	0.00
15.	मणिपुर	324.44	352.50	819.00	0.00
16.	मेघालय	155.33	0.00	2100.00	0.00
17.	मिजोरम	403.57	441.00	922.96	0.00
18.	नागालैंड	200.00	576.59	2047.42	0.00
19.	ओडिशा	4129.73	7026.00	11144.33	5845.00
20.	राजस्थान	3107.04	1500.00	8351.00	3500.00
21.	सिक्किम	65.00	149.20	226.00	0.00
22.	तमिलनाडु	291.39	342.00	358.00	0.00
23.	त्रिपुरा	434.88	780.00	1358.73	927.10
24.	उत्तर प्रदेश	391.28	350.00	1200.00	127.60
25.	उत्तराखंड	20.00	120.00	250.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	2489.09	2320.00	4848.00	2774.00
	कुल योग	33978.41	39910.00	99988.41	26842.38

[अनुवाद]

दाइयों का अभाव

4915. डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की प्रथम 'वर्ल्ड्स मिडवाईफरी रिपोर्ट' की ओर गया है, जिसमें भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में योग्य और कुशल दाइयों की संख्या की कमी के बारे में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान आवश्यकता की तुलना में उपलब्ध योग्य और कुशल दाइयों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उपरोक्त रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि भारत जैसे देश में 95% तक कवरेज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रति हजार जन्म पर कम-से-कम छह कुशल दाइयों की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में योग्य और कुशल दाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) वर्ल्ड्स मिडवाईफरी रिपोर्ट भारत सहित 58 देशों की सूचना देती है। भारत के अध्याय में यह कहा गया है कि देश की मिडवाईफरी कार्यबल जनशक्ति में नर्स-मिडवाईफों सहित 324624 मिडवाइफ हैं।

विभिन्न राज्य परिचर्या परिषदों में 9.30 लाख नर्सों के पंजीकृत होने की सूचना है। इस समय 71608 की प्रशिक्षण क्षमता सहित सरकारी एवं निजी क्षेत्र सहित कुल 1842 सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाईफरी स्कूल हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में मिडवाईफरी समाविष्ट होती हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकीय, 2010 के अनुसार देश में उप केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 191457 सहायक नर्सधात्रियां कार्यरत हैं।

भारत सरकार ने देश में नर्सों और सहायक नर्सधात्रियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऐसे क्षेत्रों जहां सहायक नर्सधात्री और सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालय नहीं हैं, 132 सहायक नर्सधात्री और 137 सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाईफरी विद्यालय खोलने की अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त, नर्सों/सहायक नर्सधात्रियों की कुशलताओं में वृद्धि करने के लिए उन्हें कुशल जन्म परिचर का 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

एनआरएचएम के अंतर्गत निधियों का आवंटन

4916. श्री मनीष तिवारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपने आरंभ से लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(ख) एनआरएचएम के अंतर्गत वितरित धनराशि के उपयोग की लेखापरीक्षा तथा निगरानी हेतु मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक एनआरएचएम निधि के उपयोग के मूल्यांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनआरएचएम के निष्पादन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के दुराचार की जांच के लिए मंत्रालय में कोई तंत्र मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय को एनआरएचएम निधि के शुरू होने से इसके दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ज) क्या मंत्रालय ने एनआरएचएम निधि का उत्तर प्रदेश और पंजाब में दुरूपयोग के आरोपों को संज्ञान में लिया है; और

(झ) यदि हां, तो इन संगत रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2011-12 (30.6.2011 तक) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए आबंटन, जारी धनराशि और व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराए गए सहायता अनुदान की वार्षिक लेखा परीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खुली टेंडर प्रणाली के माध्यम से चुने हुए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्मों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय व्यय (डीजीएसीई),

नई दिल्ली द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए केन्द्रीय, राज्य और नमूना जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य निष्पादन की लेखा परीक्षा की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यह रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 में सदन के पटल पर रखी गई थी।

(ग) यह मंत्रालय तिमाही वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों और वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों के विश्लेषण के माध्यम से निधियों की उपयोगिता की नियमित रूप से निगरानी करता है और राज्य में की जा रही समवर्ती लेखा परीक्षाओं पर भी बल देता है। यह मंत्रालय वार्षिक साझा पुनरीक्षा मिशन (सीआरएम), संयुक्त पुनरीक्षा मिशन (जेआरएम) और पुनरीक्षा बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मिशन के अंतर्गत निधियों के प्रबंधन की पुनरीक्षा करने के लिए राज्यों में समय-समय पर दल भी भेजे जाते हैं। सुधारात्मक उपाय करने के लिए इन रिपोर्टों के बारे में राज्यों को बताया जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्र प्रायोजित एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं और समुचित वित्तीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और स्टॉफ के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य का है। केन्द्र सरकार मिशन हेतु राज्य के प्रभावशाली क्रियान्वयन को सहयोग देती है और वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के क्रियान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने की तारीख से इसके अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है जिसकी जांच मंत्रालय में की जाती है और समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्यों को कमियां एवं निष्कर्ष संप्रेषित किए जाते हैं।

(ज) और (झ) पंजाब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

एक केन्द्रीय दल ने मई, 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अंतर्गत निधि प्रबंधन की पुनरीक्षा की और इसके मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

(1) आपातकालीन चिकित्सा यातायात सेवाओं एवं सचल चिकित्सा एककों की खरीद, अस्पताल की सफाई एवं बागवानी का प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल एवं आर.ओ. प्रणाली आदि के प्रापण हेतु संविदायें देने में अनियमितताएं।

(2) सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण/व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण की खराब गुणवत्ता वाली सामग्री और खराब गुणवत्ता की औषधियों एवं उपभोज्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति।

(3) सिविल निर्माण कार्यों के संदर्भ में बिना किसी औपचारिक संविदा और प्रणाली के विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों को निधियों का स्थानांतरण किया गया।

(4) सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की खराब निगरानी और कनिष्ठ अभियंताओं/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में बताई गई खामियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(5) 779 एंबुलेसों की खारीद के बाद भी आपातकालीन यातायात सेवाओं को संचालित नहीं किया गया।

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट एवं निष्कर्षो को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई और आगे की जांचों के लिए राज्य सरकार को संप्रेषित कर दिया गया था।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2011-12 (30.6.11) तक एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन, रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान निकोबार द्वीप	5.96	9.11	5.32	8.26	9.90	8.28	5.60	13.01	9.01	10.71	12.56	12.76.
2.	आंध्र प्रदेश	309.93	302.84	216.44	424.83	383.97	405.91	628.43	608.94	505.18	663.37	638.73	700.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	19.03	29.35	17.57	30.78	49.88	31.27	47.99	44.50	47.62	43.95	36.51	57.69
4.	असम	234.67	137.79	84.60	513.21	346.69	212.53	637.84	602.15	547.47	638.94	606.89	698.32
5.	बिहार	382.89	225.51	186.69	556.65	361.89	235.64	590.66	350.24	423.25	777.70	821.18	783.19
6.	चंडीगढ़	3.79	4.27	3.14	5.68	4.50	3.48	6.48	6.45	4.11	8.04	5.31	6.47
7.	छत्तीसगढ़	119.22	94.13	107.37	174.21	149.11	187.69	222.60	190.85	197.77	259.35	249.72	162.12
8.	दादरा और नगर हवेली	2.86	2.13	1.46	2.72	2.71	1.71	3.08	2.36	2.85	3.45	3.28	3.86
9.	दमन और दीव	2.22	2.24	1.64	2.63	3.48	1.86	2.79	1.98	2.43	3.07	2.60	2.41
10.	दिल्ली	30.21	24.92	24.99	53.51	37.12	31.95	77.73	55.31	51.06	100.37	99.62	55.68
11.	गोवा	5.88	5.65	3.00	9.08	3.32	4.17	11.71	5.07	6.92	13.52	14.09	8.89
12.	गुजरात	210.69	214.71	132.55	299.08	255.83	225.40	369.20	394.93	306.81	414.07	342.81	495.47
13.	हरियाणा	79.12	83.13	54.61	117.96	114.84	76.96	137.25	115.79	98.57	166.20	165.02	187.73
14.	हिमाचल प्रदेश	47.01	58.57	39.47	56.02	70.99	57.04	67.32	52.41	56.55	77.74	64.21	94.84
15.	जम्मू और कश्मीर	74.82	69.36	17.52	66.18	49.14	51.42	87.02	160.45	75.27	102.24	76.48	111.94
16.	झारखंड	114.48	129.00	135.35	216.20	158.64	91.89	266.54	159.15	124.99	294.00	247.27	299.30
17.	कर्नाटक	213.74	197.45	153.50	302.74	253.80	194.34	393.94	297.32	275.29	461.83	437.84	428.94
18.	केरल	119.23	110.08	102.62	173.98	151.40	39.50	236.40	293.86	144.03	253.61	222.88	331.20
19.	लक्षद्वीप	1.28	1.72	0.77	1.69	1.71	0.93	1.79	1.08	0.62	2.13	1.22	2.18
20.	मध्य प्रदेश	292.94	256.87	181.55	413.20	410.89	353.36	689.95	617.09	645.70	609.02	707.88	686.97
21.	महाराष्ट्र	348.28	328.92	230.17	522.24	304.74	229.25	603.58	672.52	550.76	779.15	587.43	873.15
22.	मणिपुर	31.83	29.99	14.99	52.98	37.26	20.40	65.91	49.27	40.99	66.34	56.58	62.06
23.	मेघालय	26.62	20.52	10.26	52.34	35.42	19.48	61.26	43.04	32.70	65.48	44.76	51.27
24.	मिजोरम	27.84	25.17	17.00	26.28	50.31	28.78	37.46	32.67	56.22	40.24	73.44	54.26
25.	नागालैंड	25.21	30.41	17.72	45.95	41.69	36.23	55.20	44.75	43.45	57.96	56.23	57.65
26.	ओडिशा	198.29	206.43	135.39	284.88	220.18	199.19	383.52	387.16	295.07	392.88	388.05	334.05
27.	पुदुचेरी	2.32	3.81	3.50	4.24	5.66	8.66	9.41	4.71	7.14	11.31	5.12	7.29
28.	पंजाब	81.88	90.71	65.45	130.42	138.93	86.62	161.59	107.84	111.64	185.89	183.03	190.08
29.	राजस्थान	281.32	293.41	201.24	398.52	406.45	299.48	571.89	660.90	537.65	596.53	798.15	909.16
30.	सिक्किम	7.66	9.12	7.84	12.76	24.15	9.87	17.49	34.27	13.39	21.44	19.88	50.62
31.	तमिलनाडु	328.52	251.22	206.17	336.87	332.64	321.48	430.31	546.56	392.74	515.70	501.60	534.42
32.	त्रिपुरा	32.49	29.09	20.34	67.52	38.40	29.85	85.62	79.04	38.28	88.32	77.58	68.73
33.	उत्तर प्रदेश	726.07	793.97	573.24	1130.39	894.56	703.82	1325.09	1258.77	156.47	1727.59	1474.91	1546.06
34.	उतराखंड	48.83	50.29	46.63	66.20	44.31	46.99	91.33	89.20	72.74	100.16	98.44	132.48
35.	पश्चिम बंगाल	286.24	281.86	190.05	436.86	379.52	263.30	544.73	525.23	335.33	639.93	539.79	563.75
	कुल योग	4633.39	4433.75	3204.17	6997.05	5774.30	4518.68	8928.85	8508.87	7010.07	10192.23	9625.09	10565.10

टिप्पणी:

1. 2009-10 और 2010-11 के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं हैं।
3. विवरण आंकड़ों में सामग्रियां, आई ई सी, आर सी एस औषधों तथा उपस्करों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं हैं।
4. रिलीज आंकडों में 15 प्रतिशत राज्य का आबंटन शामिल नहीं है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2011-12 (30.6.11) तक एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन, रिलीज एवं व्यय

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12		कुल (रुपये करोड़ में)		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.82	8.23	20.11	20.28	15.84	18.65	22.64	3.09	90.28	71.74	74.13
2.	आंध्र प्रदेश	717.30	708.32	774.92	816.11	810.23	673.31	931.81	242.02	4491.47	3695.06	3275.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	51.14	57.32	66.16	66.67	73.76	80.79	56.02	20.78	315.58	312.10	301.09
4.	असम	906.72	813.93	763.71	894.01	736.45	945.55	851.35	304.63	4676.73	3548.79	3252.17
5.	बिहार	860.29	649.71	826.20	977.40	1035.18	1434.84	1122.10	226.67	5267.68	3700.39	3889.81
6.	चंडीगढ़	9.86	7.59	8.25	11.20	6.91	9.81	11.72	0.61	56.79	35.62	35.25
7.	छत्तीसगढ़	292.01	261.65	240.41	345.76	327.24	306.89	392.54	111.17	1805.69	1383.87	1202.25
8.	दादरा और नगर हवेली	4.27	3.27	4.62	4.77	6.30	5.77	5.92	0.99	27.06	21.03	20.26
9.	दमन और दीव	3.51	2.33	3.46	3.92	3.06	3.97	4.98	0.50	23.12	16.21	15.78
10.	दिल्ली	121.25	83.03	75.82	136.74	108.48	89.77	145.27	8.10	665.09	416.58	329076
11.	गोवा	12.90	12.43	18.59	16.68	17.21	19.07	20.47	5.84	90.23	63.61	60.63
12.	गुजरात	464.90	500.55	634.27	528.69	556.79	757.88	600.61	164.86	2887.25	2430.48	2552.34
13.	हरियाणा	179.72	206.17	336.78	203.94	219.69	263.82	233.52	62.27	1117.71	966.91	1018.46
14.	हिमाचल प्रदेश	97.07	115.41	167.81	110.68	113.22	164.79	123.89	31.21	579.72	506.02	580.51
15.	जम्मू और कश्मीर	134.94	130.34	155.59	153.87	173.80	209.97	175.54	47.69	794.61	707.27	621.72
16.	झारखंड	349.39	179.34	195.45	398.78	356.90	348.50	458.88	106.56	2098.29	1336.86	1195.49
17.	कर्नाटक	505.17	436.86	680.64	551.80	586.38	752.43	612.69	246.31	3041.91	2455.96	2485.15
18.	केरल	284.34	237.62	385.19	308.59	253.41	420.48	345.37	160.10	1721.52	1430.16	1423.03
19.	लक्षद्वीप	2.09	1.09	2.86	2.28	2.54	2.57	3.99	0.39	15.26	9.74	9.94
20.	मध्य प्रदेश	705.88	604.79	741.28	766.66	784.40	956.56	870.83	203.00	4348.48	3584.92	3565.42
21.	महाराष्ट्र	860.39	959.72	1044.71	981.28	903.36	1229.62	1078.51	289.28	5173.43	4045.98	4157.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	मणिपुर	90.09	81.45	64.11	98.67	67.98	73.76	88.49	6.94	494.31	329.49	276.31
23.	मेघालय	85.75	79.78	75.13	88.95	52.50	86.35	94.25	3.59	474.65	279.63	275.18
24.	मिजोरम	50.72	49.87	58.66	62.15	70.49	54.4	63.46	18.79	308.15	284.72	268.97
25.	नागालैंड	78.30	73.87	64.26	82.47	66.40	81.84	83.31	46.86	428.41	360.19	301.15
26.	उड़ीसा	457.57	470.18	646.74	494.09	549.44	661.58	568.53	210.09	2779.77	2431.51	2272.02
27.	पुदुचेरी	11.32	12.4	13.34	13.94	16.32	17.36	15.17	4.68	67.72	52.34	57.30
28.	पंजाब	209.58	359.53	241.41	246.77	252.81	335.95	276.56	69.52	1292.78	1202.38	1031.16
29.	राजस्थान	633.19	748.96	1001.74	743.41	863.97	1164.51	824.17	327.34	4049.03	4099.17	4113.78
30.	सिक्किम	26.73	25.80	35.73	35.54	32.94	33.37	34.01	4.25	155.64	150.41	150.83
31.	तमिलनाडु	568.68	639.10	691.93	659.92	702.09	931.11	765.42	286.62	3515.41	3259.82	3077.85
32.	त्रिपुरा	125.20	111.98	81.10	116.91	85.47	106.12	117.46	6.27	633.52	427.83	344.42
33.	उत्तर प्रदेश	1867.65	1965.82	2230.74	2079.73	2191.36	2677.69	2224.00	554.39	11080.53	9133.77	8688.03
34.	उतराखंड	117.75	130.85	144.00	129.18	147.39	203.21	169.95	62.98	723.39	623.45	640.06
35.	पश्चिम बंगाल	678.81	741.25	730.24	771.41	680.79	922.54	870.31	254.97	4228.29	3403.42	300.19
	कुल योग	11581.30	11470.18	13225.99	12923.25	12871.11	16044.48	14263.72	4094.13	69519.79	56777.42	54568.50

टिप्पणी:
1. 2009-10 और 2010-11 के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।
2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं हैं।
3. विवरण आंकड़ों में सामग्रियां, आई ई सी, आर सी एस औषधों तथा उपस्करों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं हैं।
4. रिलीज आंकडों में 15 प्रतिशत राज्य का आबंटन शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा शिक्षा

4917. श्री रमाशंकर राजभर:
योगी आदित्यनाथ:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही के वर्षों में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाये जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के दिशा-निर्देशों में क्या संशोधन किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कम आय वर्ग से संबंधित छात्रों के विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, लिए चिकित्सा प्रवेश परीक्षा हेतु मुफ्त कोचिंग देने हेतु कोई योजना शुरू की है/शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमसीआई का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कुछेक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से देश में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों की समीक्षा की है और निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

1. मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि, संकाय सदस्य, स्टॉफ, बिस्तरों की संख्या, अन्य अवसंरचना आदि से संबंधित मानदंडों में छूट दी गई है।
2. एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।
3. संकाय की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है।
4. डीएनबी अर्हताओं को विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्ति के लिए मान्यता दी गई है।
5. स्नातक स्तर पर सीटें बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र के अनुपात को बढ़ाया गया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन संबंधी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने या नए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने निम्नानुसार एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को पुन: तैयार करने का प्रस्ताव किया है:

फाउंडेशन पाठ्यक्रम	2 माह
प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम	12 माह
द्वितीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम	12 माह
अंतिम एमबीबीएस और चयन किए गए पाठ्यक्रम	28 माह
इंटर्नशिप	1 माह

[अनुवाद]

स्वाभिमान योजना

4918. श्री वरुण गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन किया है कि स्वाभिमान योजना के तहत कितने लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के अनुसार) रिहाइशी स्थानों में उचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें। ये सेवाएं उचित प्रौद्योगिकी सहायता सहित कारोबार सम्पर्की और अन्य माडलों का प्रयोग करते हुए प्रदान की जाती हैं। इस अभियान को "स्वाभिमान" नाम दिया गया है। बैंकों ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तंत्र के जरिए वित्तीय समावेश हेतु अपनी रूप-रेखा तैयार की हैं और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले लगभग 73,000 रिहाइशी स्थानों की पहचान की है। इन रिहाइशी स्थानों को मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को आवंटित किया गया है। बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 29,569 ऐसे गांवों को कवर किया गया है तथा 1.01 करोड़ खाते खोल गए हैं।

[हिन्दी]

वन ग्राम

4919. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन ग्रामों के उत्थान हेतु कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदान से निधियन के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 में वन ग्रामों के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम के तहत, आधारभूत सेवाओं और सुविधाओं अर्थात सम्पर्क मार्ग, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल संदोहन, पेय जल, स्वच्छता, सामुदायिक हाल इत्यादि से संबंधित आजीविका एवं अवसंरचना कार्य से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाता है। देश में 2474 वन ग्राम हैं जो 12 राज्यों में फले हुए हैं। इन 12 राज्यों में 2423 वन ग्रामों को अब तक 63879.36 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। निधिपोषित वन ग्रामों तथा वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक निर्मुक्त राज्यवार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

निर्मुक्त निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वन ग्रामों की कुल संख्या	उन वन ग्रामों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित हो गई हैं	*निर्मुक्त निधि*				
				2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
1.	असम	499	498	4059.00	1817.42	0.00	4696.05	-
2.	छत्तीसगढ़	425	422	4359.00	4161.37	1034.00	-	1500.00
3.	गुजरात	199	199	1979.00	1434.38	593.62	-	1351.96
4.	झारखंड	24	24	129.71	173.87	-	-	-
5.	मध्य प्रदेश	893	867	6190.65	10472.42	2829.00	6502.50	-
6.	मेघालय	23	23	0.00	390.71	-	-	-
7.	मिजोरम	85	85	202.50	1317.50	190.00	435.00	-
8.	ओडिशा	20	20	157.14	133.46	-	180.00	-
9.	त्रिपुरा	62	62	-	930.00	-	558	-
10.	उत्तराखंड	61	41	-	566.96	-		-
11.	उत्तर प्रदेश	13	12	-	-	-	30.00	151.14
12	पश्चिम बंगाल	170	170	2104.00	699.00	-	2550.00	-
	कुल	2474	2423	19181.00	22097.09	4646.62	14951.55	3003.10

टिप्पणी: 2009-10 और 2011-12 (अब तक) के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

[अनुवाद]

भू-विज्ञान

4920. श्री के. शिवकुमार *उर्फ* **जे.के. रितीश: क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-विज्ञान के क्षेत्र में विगत दो वर्षो में विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन करारों पर हस्ताक्षर करने से देश की खनिजों की मांग पूरी करने में किस प्रकार मदद मिलेगी; और

(घ) उक्त प्रत्येक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां, खान मंत्रालय ने 1 सितम्बर, 2009 से 31 अगस्त, 2011 तक सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इन देशों के साथ हैं:-नामीबिया (31.10.2009 को), कनाडा (27.6.2010 को), कनाडा के ओंटारियों प्रोविंस (8.7.2010 को) मोजांबीक (30.10.2010 को), मालावी (3.11.2010 को), कनाडा के सस्काचेवन प्रोविंस (15.3.2010 को) और कोलंबिया (4.5.2010 को)। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने भूमिविज्ञान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए दिनांक 14.10.2009 को अर्जेंटिना के सर्विसियों जिओलोजिको माइनेरी अरजेंटीनों (एसईजीईएमएआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। जीएसआई ने तकनीकी सहयोग के लिए सऊदी ज्येलोजिकल सर्वे (एसजीएस) के साथ भी 2.3.2011 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया।

(ग) समझौता ज्ञापन सामान्यत: भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में इन देशों/प्रोविन्सों के साथ सहयोग के लिए संयुक्त कार्यदल समूह अथवा संचालन समितियों आदि के लिए सांस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराते हैं। ये संयुक्त कार्यदल समूह अथवा संचालन समिति, इन समझौता ज्ञापनों के अधीन सहयोग क्षेत्रों के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने हेतु बैठकों की तिथि आदि का निर्धारण देशों की आवश्यकतानुसार पारस्परिक सहमति से होता है।

(घ) नामीबिया के साथ संयुक्त कार्यदल समूह बनाया गया है और इसकी बैठक 27-28 अक्तूबर, 2009 को हुई थी। ओंटारिया प्रोविन्स के साथ भी संयुक्त कार्यदल समूह बनाया गया है और इसकी अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। वहां की खनिज क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी कार्यदल फरवरी, 2011 में मोजांबीक गया। मालावी के साथ संयुक्त कार्यदल समूह की और कनाडा के साथ संचालन समिति की बैठकें क्रमश: अक्तूबर, 2011 और नवंबर, 2011 में होनी निश्चित हुई हैं। जीएसआई और एसजीएस के भूवैज्ञानिकों के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने का अनुरोध किया गया है।

ग्रुप चिकित्सा बीमा

4921. श्री एम.के. राघवन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाभार्थियों को ग्रुप चिकित्सा बीमा योजना के तहत अपनी बीमा कवर बढ़ाने हेतु छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत लाभार्थियों को सेवा निवृत्ति/नौकरी छोड़ने के बाद भी बीमा कवर प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि जिन मामलों में नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए सेवालाभ के रूप में समूह बीमा पॉलिसी खरीदता है और प्रीमियम का भुगतान करता है तो उन मामलों में नियोक्ता को पॉलिसीधारक माना जाता है और कर्मचारियों को लाभार्थी। इसलिए, बीमा सुरक्षा बढ़ाने अथवा इसके निबंधन एवं शर्तों को शिथिल करने की छूट संपूर्ण समूह पर भी लागू होगी जैसा पॉलिसीधारक चाहता है परंतु यह छूट व्यक्तिगत आधार पर लागू नहीं होगी।

(ग) और (घ) आईआरडीए ने सूचित किया है कि, यह नियोक्ताओं पर निर्भर करता है कि वे अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी बीमा स्कीम के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं या नहीं। अन्यथा, समूह बीमा सुरक्षा, सदस्य के समूह छोड़ते ही बंद हो जाता है।

(ङ) आईआरडीए ने दिनांक 14.7.2005 के अपने परिपत्र द्वारा समूह बीमा कारोबार पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, दर्ज और उपयोग के अंतर्गत बीमा पॉलिसी उत्पादों के दर्ज

किए जाते समय मंजूरी देते समय कि जहां कहीं भी बीमा पॉलिसी, एक समूह को बेची जाती है, आईआरडीए इस बात पर जोर देता है विवरण पुस्तिका और बीमा दस्तावेजों में, समूह बीमा के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान किए गए व्यक्ति सदस्यों को बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा-निरंतरता तंत्र के संबंध में कुछ निश्चित प्रकटन (अफ्रन्ट डिस्क्लोजर) होने चाहिए।

[हिन्दी]

ओपन एक्सेस

4922. श्रीमती रमा देवी:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओपन एक्सेस का उद्देश्य देश में बिजली वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में एक विशेष क्षेत्र में एक ही कंपनी को बिजली वितरण का कार्य सौंपा गया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को उसी कंपनी से मजबूरन बिजली लेनी पड़ती है और परिणामस्वरूप उस कंपनी का एकाधिकार कायम हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम 2003 में उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनिमन के अनुसार किसी लाइसेंसी अथवा उपभोक्ता अथवा उत्पादन में संलग्न व्यक्ति द्वारा पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या सम्बद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए गैर भेदभाव वाली खुली पहुंच का उपबंध है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अंतर राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच संबंधी विनियम विनिर्दिष्ट किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अंतर राज्यीय स्तर पर खुली पहुंच के संबंध में खुली पहुंच के अंतर्गत लेनदेनों की कुल संख्या 2004-05 में 778 की तुलना में 18128 थी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) ने 1,62,898 मेगावाट तक की दीर्घावधि खुली पहुंच के लिए निजी विकास कर्त्ताओं से 225 आवेदन प्राप्त किए हैं।

राज्य स्तर पर विनियामक फारम सचिवालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 एसईआरसी ने खुली पहुंच विनियमों की निबंधनों एवं शर्तों को अधिसूचित किया है, 20 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने क्रास सब्सिडी शुल्क निर्धारित किया है, 25 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने 1 मेगावाट और उससे अधिक तक खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की है, 22 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने पारेषण शुल्क निर्धारित किए हैं और 18 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने व्हीलिंग शुल्क निर्धारित किए हैं।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम 2003 में अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति के विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए वितरण लाइसेंसी को लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 14 में बताया गया है कि उपयुक्त आयोग, धारा 15 के अंतर्गत उसके समक्ष किए गए आवेदन पर किसा भी व्यक्ति को

(क) पारेषण लाइसेंसी के रूप में विद्युत स्थानांतरित करने, या।

(ख) वितरण लाइसेंसी के रूप में विद्युत वितरित करने, या।

(ग) किसी भी क्षेत्र जो लाइसेंस में विनिर्दिष्ट हो में विद्युत व्यवसायी के रूप में विद्युत में व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, की धारा 2 (3) में "आपूर्ति के क्षेत्र" को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वितरण लाइसेंसी विद्युत की आपूर्ति के लिए अपने लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में आपूर्ति के इसी क्षेत्र में बहु लाइसेंसी की धारणा की व्यवस्था भी की गई है। अधिनियम की धारा 14 का 6 परन्तु क में बताया गया है कि-

> "परंतु यह भी कि उपर्युक्त आयोग इन शर्तों के अधीन इसी क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण हेतु दो या अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान कर सकता है कि इसी क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य शर्तों और मांगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट योग्यता या आचार संहिता जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की

जाए, से संबंधित अतिरिक्त मांगों का अनुपालन करेगा और कोई भी आवेदक, जो लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी मांगों का अनुपालन करता है, को इस आधार पर लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृत किया जा सकता है कि इस उद्देश्य के लिए उसी क्षेत्र में एक लाइसेंसी पहले से ही विद्यमान है।"

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विद्युत का संबंध है तो इसके लिए दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों की स्थापना की गई है और इस अधिनियम के प्रावधानों को इस शर्त के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा व्यवहृत किया गया है कि ये प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003 के साथ संगत नहीं है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खुली पहुंच के प्रावधान का संबंध है तो इसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच के लिए एवं निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005 अधिसूचित किए हैं और पारेषण और व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण, क्रास सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा खुली पहुंच के अंतर्गत अन्य लागू शुल्क के मामले में दिनांक 29.8.2008 का डीईआरसी आदेश भी जारी किया है। इन विनियमों के अनुसार, 1 मेगावाट और उससे अधिक के भार वाले उपभोक्ताओं को खुली पहुंच उपलब्ध है।

लाभार्थियों को सीजीएचएस कार्ड सुविधा

4923. श्री तूफानी सरोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बीकानेर हाउस के अलावा अन्य केन्द्र पर पेंशन धारियों और स्थायी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या बीकानेर हाउस में कार्ड धारकों के लिए पीने के पानी और शैड जैसी मामूली सुविधाएं भी प्रदान नहीं की गई हैं और उन्हें घंटों खुले में कतार में खड़े रहना पड़ता है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जाने हेतु प्रास्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सीजीएचएस कार्ड जारी करवाने के लिए आवेदन जमा करने हेतु इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए सन शेड की सुविधा उपलब्ध है जो सामान्यत: आवेदकों को समायोजित कर लेती है। सीजीएचएस (मुख्यालय), बीकानेर हाउस में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। कार्ड अनुभाग के बेहतर प्रबंधन के लिए सीजीएचएस (मुख्यालय) को सीजीएचएस भवन, सेक्टर-12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

समूह 'ग' और 'घ' की भर्ती

4924. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में समूह 'ग' और 'घ' की भर्ती संबंधी नीति बदल दी है और इसीलिए अब अस्पतालों को ऐसे कर्मचारी निजी एजेंसियों से ठेके पर लेने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों के समूह 'ग' और 'घ' के संगठनों ने ठेके के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती का विरोध किया है, क्योंकि ठेके पर लिए गए कर्मचारियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होते और उनके ठेके को नवीकृत न करने का डर बना रहता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, समय-समय पर जारी किए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा निर्धारित नीति और दिशा निर्देशों का अनुपालन नियमित आधार पर भर्ती अथवा संविदा आधार पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी एवं कार्यकर्ता संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चूंकि उनके अभ्यावेदन में सरकार की नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

महासागरीय खनन

4925. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महासागरीय खनन की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में इस संबंध में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई), जो खान मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और भारत की प्रादेशिक जल सीमा (टीडब्ल्यू) के अंतर्गत आर्थिक खनिजधारी क्षेत्रों का आकलन करने के लिए अध्ययन किए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में गवेषण पर किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2007-08	24.04 रुपए
2008-09	56.85 रुपए
2009-10	27.66 रुपए
2010-11	38.71 रुपए

विवरण

जीएसआई ने भारत की सामुद्रिक जल सीमा सहित अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंतर्गत आर्थिक खनिज धारित क्षेत्रों का पता लगाया है। इन सर्वेक्षणों के परिणाम निम्न अनुसार हैं:-

* पूर्वी तटीय भागों (उड़ीसा और आंध्र प्रदेश) में इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकन, सिलीमेनाइट, मोनाजाइट और गारनेट भारी खनिज बालूरेत पाई गई है।
* पश्चिमी समुद्रतटीय भागें (केरल और तमिलनाडु) में भी इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकन, सिलीमेनाइट, मोनाजाइट और गारनेट भारी खनिज बालूरेत पाई गई है।
* पश्चिमी समुद्र तट में रत्नागिरि तट पर भी इल्मेनाइट और मेग्नेटाइट युक्त भारी खनिज बालू रेत पाई गई है।
* आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्रतटों की महाद्वीपीय शैल्फ में आयोलाइट और केल्केरियस (चूनेदार) बालूरेत पाई गई है।
* आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में 100-200 मीटर जल गहराई में उच्च श्रेणी की चूना पंक (लाइम मड) पाई गई है।
* गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में 180-1200 मीटर की जल गहराई में उच्च श्रेणी की चूनापंक (लाइम मड) पाई गई है।
* चेन्नई के दक्षिण पूर्वी समुद्रतटीय में क्षेत्र में 100-1200 मीटर की जल गहराई में फॉसफेटिक अवसाद (17-19 प्रतिशत (P_2O_5) पाई गई है।
* गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र में 200-1000 मीटर की जल गहराई में फॉसफेटिक अवसाद अवसाद (15-20 प्रतिशत (P_2O_5) पाई गई है।
* अंडमान और निकोबार द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) के लिए सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए टोही सर्वेक्षण और निर्माण श्रेणी की बालूरेत का पता लगाया गया।
* केरल समुद्रतटीय क्षेत्रों में निर्माण श्रेणी की बालूरेत के सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया गया।
* लक्षद्वीप के चौड़े पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत 2800 मीटर से 4300 मीटर की जल गहराई में माइक्रोमैंगनीज पिंडो के होने का पता चला है। इन पिंडो के रासायनिक यौगिक निम्न हैं: मैंगनीज: 5 प्रतिशत-41 प्रतिशत, लौह: 0.3-5.3 प्रतिशत, तांबा: 530-900 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम), सीसा: 230-1600 पीपीएम, जिंक: 790-4800 पीपीएम, निकिल: 700-1000 पीपीएम, कोबाल्ट: 80-300 पीपीएस, अंडमान समुद्र के बत्ती मालवा तटों पर लौहमय मैंगनीज की पपड़ी भी जमी हुई पाई गई है।

अस्पतालों में संविदा पर कर्मचारी

4926. श्री प्रबोध पांडा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों द्वारा संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संविदा के इन कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की ही तरह भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न कर्मचारी संघों ने इस चलन के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस असंतुष्टि के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नियमित पदाधिकारियों को नियुक्त किए जाने तक, तत्काल आवश्यकता की स्थिति में, संविदात्मक आधार पर कार्मिकों को नियुक्त करता है। संविदात्मक स्टॉफ को संविदात्मक नियुक्ति के लिए श्रम कानूनों एवं नियमावली के अध्यधीन संविदा की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार संविदा आधार पर नियुक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई अभ्यावेदन उपरोक्त अस्पतालों से संबद्ध किसी भी एसोसिएशन/फेडरेशन से प्राप्त नहीं हुआ है।

बाल पोषण

4927. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को राष्ट्रीय सलाकार परिषद की विशेष रूप से बाल पोषण पर की गई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार की जरूरत को स्वीकारते हुए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अनेक सिफारिशें की हैं, जिनमें समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम की सेवा प्रदायगी में मौजूद संस्थागत, कार्यक्रम संबंधी और प्रबंधकीय कमी को दूर करने के लिए नई कार्यनीतियों और सुधारों की मांग की गई है। बच्चों के पोषण से संबंधित सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ समुचित भोजन और ताजा पके हुए आहार सहित संतुलित एवं पौष्टिक आहार; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास; विकास मानीटरन; गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की देखरेख; शिक्षा और परामर्श; सूचना, शिक्षा एवं संचार; ग्राम स्तर पर निर्धारित स्वास्थ्य और पोषण दिवसों के माध्यम से संकेन्द्रण; समुदाय द्वारा संचालित स्वास्थ्य, पोषण एवं दिवस देखभाल केन्द्रों के माध्यम से संक्रेन्द्रण की सिफारिशें शामिल हैं।

ये कार्य आई.सी.डी.एस. में कार्यक्रम संबंधी, प्रबंधकीय और संस्थागत सुधारों के माध्यम से किए जाने हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अलग से पात्रता के रूप में मातृ एवं बाल पोषण की सिफारिश भी की है।

आईसीडीएस के सुधार और पुनर्गठन के विषय में अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय राष्ट्रीय सलाहकार की परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

रेड क्रॉस सोसाइटी में नियमों का उल्लंघन

4928. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेड क्रॉस सोसाइटी में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें भारतीय

रेडक्रास सोसाइटी के पास भेजी जाती हैं जो भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी अधिनियम 1920 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उसे कुछ राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी की शाखाओं तथा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के खिलाफ अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी अधिनियम, 1920 (वर्ष 1992 में यथा संशोधित) की धारा 12 के अनुसार भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की सभी शाखा समितियां स्वतंत्र अस्तित्व वाली संस्थाएं हैं जिन्हें अधिनियम की प्रथम अनुसूची (खंड 7) के अनुसार, सभी प्रकार के धन को प्राप्त करने, धारित करने और खर्च करने के लिए अधिकार सम्पन्न किया गया है। राष्ट्रीय मुख्यालय का उन पर कोई प्रशासनिक अथवा वित्तीय नियंत्रण नहीं है। सभी मामलों में प्राप्त की गई शिकयतों को संबंधित राज्य शाखाओं में भेज दिया गया है। पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य शाखाओं ने सूचित किया है कि न्यायालयों में मामले दायर कर दिए गए हैं और वे न्याय-निर्णयाधीन हैं।

[अनुवाद]

कन्या बचाओ

4929. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) "सेव द चिल्ड्रन" द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक 5 बच्चों में से एक कूड़ा बीनने वाला है;

(ख) क्या उक्त एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में इन बच्चों को मानव अधिकार प्राप्त न होने के कतिपय संकेत दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस गंभीर मुद्दे के समाधान हेतु मंत्रालय की कार्ययोजना क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) जी, हां। गैर-सरकारी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि निराश्रित बच्चों को आश्रय, स्वास्थ्य और साफ-सफाई की सुविधाएं, शिक्षा आदि प्राप्त करने में कठिनाईयां होती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है।

इस संबंध में अध्ययन हेतु अपनाई गई प्रविधि और निष्कर्षों की उपयुक्तता पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। तथापि, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात समेकित बालक संरक्षण स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त मुक्त आश्रयों, आश्रय गृहों और बाल गृहों में देख-रेख और पुनर्वास की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति

4930. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति से संबंधित नियम लम्बे समय से संशोधित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उक्त नियमों की प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी, हां। सफदरजंग अस्पताल, डॉ. आर. एम.एल. अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तथा संबद्ध अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्टों के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को प्रशासनिक कारणों, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों से परामर्श शामिल है, के कारण संशोधित नहीं किया गया है। भारत सरकार के अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार भर्ती नियमों में समय-समय पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

दहेज के कारण मौतें

4931. श्री एस. सेम्मलई: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दहेज के कारण हुई मौतों से संबंधित कितने मामले देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं; और

(ख) दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अतिरिक्त उनके मंत्रालय द्वारा अन्य कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के आंकड़ों का संग्रहण राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो नहीं करता है। यह निचले न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिए लंबित मामलों का संग्रहण करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः वर्ष 2007, वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख (दहेज मृत्यु) के अंतर्गत कुल 25250, 26009 और 27148 मामलों पर मुकदमा चलाया जाना लंबित है।

(ख) दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत शामिल है। संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। अतः महिलाओं के विरुद्ध अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, जांच पड़ताल, दर्ज करना, जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की होती है तथापि सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण और नियंत्रण के विषय को महत्व देती है और यह महिलाओं का संरक्षण करने और विशेष रूप से उनके विरुद्ध अपराधों की घटनाओं को रोकने हेतु बेहतर उपाय करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती आ रही है। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने पर बल देना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच करने में होने वाले विलंब को कम करना और जांच की गुणवत्ता बढ़ाना तथा जहां नहीं हैं, उन जिलों में "महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ" की स्थापना करना है। राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को यह भी सलाह दी गई है कि महिलाओं को और अधिक उत्पीड़न से बचाने के लिए दहेज संबंधी मामलों पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना है। हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सामुदायिक मानीटरन प्रणाली विकसित करने हेतु भी सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा के लिए 'मिरर' प्रौद्योगिकी

4932. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधीः**
श्री देवजी एम. पटेलः

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए मिरर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव या योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (ग) मिरर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के साथ-साथ ग्रिड विद्युत का उत्पादन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सौर तापीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अत्यधिक परावर्तक मिरर का प्रयोग करने वाली प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में त्रुटियां

4933. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या त्रिपुरा मेडिकल कालेज सहित देश में कतिपय मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में कुछ खामियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा की गई/की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, झारखंड सम्मिलित प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा बोर्ड के आधार पर झारखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति से संबद्ध 32 छात्रों के प्रवेश से संबंधित केवल एक मामला केन्द्र सरकार के नोटिस में आया है। तथापि, अभी तक, झारखंड राज्य सरकार से विवरण प्राप्त न होने की वजह से मामले को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ उठाया नहीं जा सका है।

[हिन्दी]

लड़कियों के लिए रूबेला टीका

4934. **श्री सज्जन वर्माः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारत में 14 वर्ष से अधिक आयु की और अविवाहित लड़कियों को रूबेला टीका लगाने का है; ताकि अपंग बच्चे पैदा न हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अपंग बच्चों के जन्म को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) इस समय 14 वर्ष से अधिक की आयु की सभी लड़कियों के लिए टीकाकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह (एमटीएजीआई) ने गर्भावस्था के दौरान इस संक्रमण से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए 10-15 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों हेतु रूबेला वैक्सीन शुरू करने के पक्ष में अनुशंसा की है।

(ग) विकलांग शिशुओं के जन्म की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* न्यूरल ट्यूब विकारों की रोकथाम के लिए गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताहों के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला को फॉलिक अम्ल (400 माइक्रोग्राम) प्रदान करना।
* शिशु के शारीरिक/मानसिक मंदता को रोकने के लिए रोग निरोधक उपायों के रूप में गर्भवती महिलाओं को आयोडीनयुक्त नमक लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
* जन्मजात विकास की इतिहास वाली गर्भवती महिलाओं को मेडिकल अधिकारी/प्रसूति विज्ञानी के पर्यवेक्षण में आगे की प्रसव-पूर्व जांच हेतु उच्चतर सुविधा वाले केन्द्र में रेफर करना।

नदी तटों पर गैर-कानूनी खनन

4935. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषरूप से हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में यमुना और गंगा नदी के किनारों पर अवैध खनन का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार को, उत्तराखंड के हरिद्वारा जिले में गंगा नदी के किनारों पर बालू और पत्थरों की अवैध खनन पर कुछ मीडिया रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ग) गौण खनिजों के मामले पर, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार संसद द्वारा सारा विनियमन राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किया गया है। यद्यपि ये खनिज गौण खनिज हैं, जिसे विनियमित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) द्वारा किए गए निरीक्षण के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुसार रेत, बजरी और बौल्डरों के गौण खनिजों के लिए क्रमशः राज्य पीएसयू, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखंड वन विकास निगम के पक्ष में खनन पट्टे अप्रैल, 2001 और नवम्बर, 2002 में प्रदान किए गए थे।

(2) खनन स्थल अजीतपुर, मिश्रापुर गांव और कुम्भ मेला के अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले गंगा श्यामपुर के भाग (पश्चिम भाग में हरिद्वार से 10 कि.मी.) में स्थित है और खनन 17.6.2011 तक जारी था।

(3) गंगा नदी अथवा गंगा नदी की सहायक नदियों (गंगा नदी के जलग्रहण-क्षेत्र) के क्षेत्र में खनन गतिविधियां विगत में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के प्राप्त किए बिना की गई हैं, तथापि, हाल ही का साक्ष्य भारी वर्षा के कारण धुल गया है।

(4) 17.6.2011 को जिला मजिस्ट्रेट ने जल्दी मानसून और बाढ़ों के कारण क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे. और निरीक्षण के समय कोई खनन गतिविधि नहीं पाई गई।

(5) राज्य सरकार ने पहले जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को 10 दिसम्बर, 2010 को कुम्भ मेला अधिसूचित क्षेत्र में सभी खनन और क्रशिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निदेश दिया था और जिला मजिस्ट्रेट ने 14 दिसम्बर, 2010 को ऐसे निदेश जारी किए। इस आदेश के विरुद्ध मै. हिमालयन स्टोन क्रशर ने 29.12.2010

को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल से स्थगन आदेश (याचिक सं. 2010 की 2137/एमएस) प्राप्त किया है। उसके पश्चात जनवरी, 2010 के महीने में स्वामी निगमानंद ने दिनांक 29.12.2010 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध रिट याचिक दाखिल की।

(6) तब से दिनांक 26.5.2011 के माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय के अनुपालन में मै. हिमालयन स्टोन क्रशर यूनिट में प्रचालन बंद है, तथापि पहले से क्रश की गई सामग्री को उठाने का कार्य जारी था (स्टॉक में लगभग 6,000 टन क्रश सामग्री और 1.35 लाख टन बिना क्रश की गई सामग्री देखी गई थी।)

[अनुवाद]

चीनी पटाखों की तस्करी

4936. श्री मानिक टैगोर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में बने पटाखों की भारत में बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन चैनलों के माध्यम से पटाखे भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी अवैध तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं। सीमाशुल्क विभाग द्वारा दर्ज कि गए मामलों की संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त मूल्य/सीमाशुल्क ज्यादा नहीं है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2011 तक) के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे और उसमें जानकारी में आई कार्य-प्रणाली विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) ऐसी तस्करी में शामिल अपराधियों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है। सीमाशुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को देश में चीन में बने पटाखों की ऐसी तस्करी को रोकने के लिए सुग्राही बनाया गया है और सतर्क भी किया गया है।

विवरण

(ख), (ग) और (घ)

(लाख रुपये में)

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त माल का मूल्य	अंतर्ग्रस्त शुल्क	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्ती का स्थान	जानकारी में आई कार्य-प्रणाली
2008-2009	-	-	-	-	-	-
2009-2010	1	15.26	4.10	2	सीएफएस न्हावा शेवा पत्तन	आयात प्रेषण में छिपाव और गलत घोषणा
2010-2011	1	44.21	11.87	3	आईसीडी तुगलकाबाद	आयात प्रेषण में छिपाव और गलत घोषणा
2011-2012(जुलाई 2011 तक)	-	-	-	-	-	- -

[हिन्दी]

विद्युत आपूर्ति

4937. श्री मधुसूदन यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरबा स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. की 500 मेगावाट विद्युत परियोजना में से छत्तीसगढ़ को 175 मेगावाट विद्युत देने हेतु विद्युत बंटवारे संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस राज्य को 100 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कम कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को कब तक विद्युत की पूरी आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) जब इस परियोजना को आरंभ में मर्चेंट पावर प्लांट के रूप में तैयार किया जा रहा था तो एनटीपीसी द्वारा एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर कोरबा-2 विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) से छत्तीसगढ़ को 175 मेगावाट की आपूर्ति हेतु हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) से (ङ) इस यूनिट को क्षेत्रीय स्टेशन घोषित करने के बाद, इस यूनिट से विद्युत का आबंटन केन्द्रीय थर्मल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की लागू विद्युत के प्रचालित दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को 75 मेगावाट का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने सीईआरसी टैरिफ पर एकमुश्त निपटारे के रूप में लघु अवधि के पीपीए के माध्यम से 75 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, राज्य को इस परियोजना से कुल 150 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होगी।

कृषकों को राजसहायता

4938. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय किसानों को दी गई राजसहायता अमेरिका और अन्य विकसित देशों के किसानों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय किसानों को विकसित देशों के किसानों के बराबर राजसहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) भारतीय किसानों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार उन्हें अल्पावधि फसल ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित सहायता प्राप्त कृषि ऋणों की प्रमात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	संवितरित सहायता प्राप्त ऋणों की राशि (करोड़ रुपये में)		
2008-09	94,147.87	62,642.72	156,790.59
2009-10	128,164.75	86,748.05	214,932.80
2010-11	74,344.21*	102,335.49	176,679.70

*(अनंतिम, आंकड़ों को अभी संकलित किया जा रहा है।)

[अनुवाद]

बौद्ध पर्यटन

4939. श्री संजय भोई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बौद्ध विरासत स्थलों एवं परिपथों को शामिल करते हुए विभिन्न पर्यटन उत्पादों एवं गंतव्यों के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों में विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध पर्यटन के संवर्धन के लिए संचालित की गई कुछ विशेष गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

1. फरवरी 2004 में नई दिल्ली में और फरवरी 2010 में नालंदा, बिहार में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए गए।
2. घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों के लिए अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं में प्रचार सामग्री और सह सामग्री तैयार की गई।
3. घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियान चलाए गए।
4. विदेश में प्रमुख स्रोत मार्किटों में बौद्ध पर्यटन पर प्रस्तुतीकरण किए गए और रोड शोज आयोजित किए गए। बौद्ध पर्यटन के संवर्धन के लिए मंत्रालय ने मई, 2011 में थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम में बौद्ध पर्यटन पर प्रस्तुतीकरण किया गया और रोड शोज आयोजित किए।
5. विदेश से व्यवसाय एवं मीडिया से जुड़े लोगों तथा राय निर्माताओं के लिए मंत्रालय की आतिथ्य योजना के अंतर्गत देश के बौद्ध स्थलों एवं परिपथों में और विशेष महापरिनिर्वाण बौद्ध पर्यटक ट्रेन में परिचायक दौरों का आयोजन किया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र

4940. श्री समीर भुजबल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य में सधार के लिए "सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र" खोलने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों के खोलने के लिए निधियन पैटर्न क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी बजटीय सहायता दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विकसित देशों में वित्तीय समस्याएं

4941. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री एम. आई. शानवास:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री डी. वेणुगोपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका और अन्य विकसित देशों में वित्तीय/ऋण संकट पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को कम किए जाने पर भी गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरो जोन में घटित हाल के घटनाक्रमों के कारण वैश्विक बाजारों में व्याप्त अनिश्चितता का भारत में पूंजी बाजारों पर कुछ असर रहा है। तथापि, यह अर्थव्यवस्था मूलत: घरेलू मांग से प्रेरित है क्योंकि इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत घरेलू अर्थव्यवस्था से प्राप्त होता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रति नपा-तुला दृष्टिकोण अपनाने से ऋण सृजित करने वाले पूंजी प्रवाहों में तेजी और उनके प्रतिवर्तन पर रोक लगी है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभरने के चलते, इसका निर्यात समूह उत्पाद और गंतव्य के संदर्भ में लगातार विविधता भरा होता जा रहा है। इसलिए भारतीय विकास गाथा के कुल मिलाकर अप्रभावित रहने की संभावना है क्योंकि इसकी बुनियादी मजबूत है।

लेकिन, सरकार वैश्विक घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है और उभरती वैश्विक स्थिति के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) भारत की क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की गई है। इसलिए, कोई सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

4942. श्री महाबल मिश्रा:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनन्द प्रकाश परांजपे:
श्रीमती दीपा दास मुंशी:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गुटखा, पान मसाला और खैनी सहित धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के प्रयोग के कारण अब तक प्रभावित व्यक्तियों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं/उपाय सुझाए हैं;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें देश में कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से प्राप्त डाटा के अनुसार जीभ, मुंह और अधोग्रसनी (हाईपोफेरिंक्स) कैंसर की अनुमानित संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष 2008	-	66,129
वर्ष 2009	-	68,160
वर्ष 2010	-	70,261

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संयुक्त सहयोग से धुआंरहित तंबाकू सेवन की समस्या की व्यापकता और भारत में इसके सेवन को विनियमित/नियंत्रित करने हेतु संभावित नीतियों को उजागर करने के लिए दिनांक 4-5 अप्रैल, 2011 को धुआंरहित तंबाकू संबंधी राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। राष्ट्रीय परामर्श की सिफारिशें संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) सभी तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने हेतु केरल राज्य सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अंकुर गुटखा बनाम भारत अस्थमा सोसाइटी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एनआईएचएफडब्ल्यू) से परामर्श करके गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और देश में विनिर्मित ऐसी ही वस्तुओं के अवयवों तथा ऐसी वस्तुओं के सेवन के हानिकरक प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दिनांक 1 अगस्त, 2011 की अधिसूचना फा. नं.-15015/30/2010 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिषेध और बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 अधिसूचित किया। उक्त अधिसूचना 5 अगस्त, 2011 से प्रभावी हो गई है और यह किसी भी खाद्य उत्पाद अवयव के रूप में तम्बाकू और निकोटिन के प्रयोग को निषिद्ध करती है।

विवरण

धुआंरहित तंबाकू संबंधी राष्ट्रीय परामर्श की सिफारिशें

4-5 अप्रैल, 2011 विज्ञान भवन, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संयुक्त सहयोग से धुआंरहित तंबाकू सेवन की समस्या की व्यापकता और भारत में इसके सेवन को विनियमित/नियंत्रित करने हेतु संभावित नीतियों को उजागर करने के लिए धुआंरहित तंबाकू संबंधी राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। पूरे देश से 80 से ज्यादा तंबाकू नियंत्रण विशेषज्ञ तथा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने धुआंरहित और तंबाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों और अवयवों के संबंध में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य तथा भारत में इसके उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने संबंधी विनियम अथवा संभाव्यता के औचित्य के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु परामर्श (प्रतिनिधियों की सूची संलग्न) में भाग लिया।

विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित संस्तुतियां की गई:

1. धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना:

धुआंरहित तंबाकू के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों के संबंध में मौजूदा वैज्ञानिक साक्ष्य, भारत में इसके सेवन (धूम्रपान की तुलना में बहुत ज्यादा) की उच्च व्याप्तता के आधार पर तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के दिशानिर्देशों के आलोक में यह समूह धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में पक्ष में था। इस समूह ने मौजूदा कानूनों के अंतर्गत देश में धुआंरहित तंबाकू के विनिर्माण, विपणन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया। निम्नलिखित विशेष कार्य बिन्दुओं की सिफारिश की गई:

(क) चबाने वाले तंबाकू के सभी रूपों को "खाद्य पदार्थ" मानना-चूंकि सभी उत्पादों को मुंह में रखना होता है और मानव सेवन के लिए उनके विपणन और बिक्री को प्रतिषेध करने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पीएफए), 1954 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के अंतर्गत 'खाद्य' की विधिक परिभाषा को पूरा करते हैं। इस संबंध में यह सिफारिश की गई थी कि सरकार को नियम 44 जे पर स्थगन को रद्द करवा देना चाहिए जिसमें यह अधिदेश है, "ऐसे उत्पाद जिनमें ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों: तंबाकू और निकोटिन, उनमें किसी भी खाद्य पदार्थ में अवयवों के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु इसे शीघ्रातिशीघ्र किया जा सकता है।

(ख) इसके साथ-साथ औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (डीसीए), 1940 को अन्य प्रकार के ऐसे धुआंरहित तंबाकू उत्पादों उदाहरणार्थ क्रीम से बनी नसवार, दंतमंजन मिश्री, गुल, गुराखु पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता और इसलिए इन्हें सीसीए के अंतर्गत 'प्रसाधन सामग्री' की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) कीटनाशक अधिनियम, 1968 को भी प्रवर्जित किया जाना चाहिए क्योंकि तंबाकू का एकमात्र ज्ञात गैर-मानवीय इस्तेमाल कृषि के पेस्टीसाइड (निकोटिन सल्फेट) के रूप में तथा विष अधि नियम, 1919 का उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि निकोटिन मनुष्यों को ज्ञात सर्वाधिक विषाक्त पदार्थों में से एक है और इसलिए इस अधिनियम के तहत यह सूचीबद्ध है। तम्बाकू उत्पादों के व्यसनकारी गुणधर्मो को देखते हुए स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत 'मन: प्राभावी पदार्थ' के रूप में तम्बाकू को श्रेणीबद्ध करने की संभावना बनती है और इसके इस्तेमाल को प्रतिषिद्ध कर दिया जाना चाहिए।

(घ) यदि मौजूदा कानूनों के तहत पूर्ण प्रतिबंध तत्काल व्यवहार्य नहीं हो तो देश में धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण, विपणन एवं बिक्री पर एक क्रमिक प्रतिबंध लगाने के लिए उपर्युक्त कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की विवक्षाओं से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार एवं कार्यान्वित करना:

इस समूह ने स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य से धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण एवं बिक्री पर संभावित प्रतिबंध लगाने के प्रभावों पर चर्चा की तथा सिफारिश की कि:

(क) धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अर्थ तम्बाकू पर निर्भरता से उपचार तथा तंबाकू मुक्ति केन्द्रो की मांग में असाधारण वृद्धि होगा जिसके लिए पर्याप्त एवं उपस्करों से सज्जित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य व्यावसायिक अपेक्षित होंगे। अत: तंबाकू के सेवन की स्थिति के बारे में जांच करने तथा तम्बाकू सेवन छोड़ने के लिए समुचित सलाह एवं सहायता देने हेतु क्षमता निर्माण करना तथा स्वास्थ्य कार्यदल को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

(ख) चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग एवं पराचिकित्सा पाठ्यक्रमों में तंबाकू पर निर्भरता का उपचार शामिल करना। तंबाकू मुक्ति के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार किए जाएं।

(ग) धूम्ररहित तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में सतत व्यापक जागरुकता अभियान व्यवहार परिवर्तन के लिए अपेक्षित हैं।

(घ) धूम्ररहित तंबाकू सेवन को छोड़ने की नई एवं प्रभावी विधियों पर शोध शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) सहक्रिया एवं प्रभावी आउटपुट के लिए तंबाकू मुक्ति एवं नियंत्रण को अन्य चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समाकलित किए जाने की आवश्यकता है।

(च) अन्य विभागों से सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक "भारत में धूम्ररहित तंबाकू संबंधी रिपोर्ट" जारी की जानी चाहिए जिससे कि उन कार्यकलापों के लिए संसाधन भंडार के रूप में कार्य किया जा सके जो धूम्ररहित तंबाकू के प्रति अंतर-क्षेत्रीय एवं अंतर-विषयक कार्ययोजना को एक साक्ष्य-आधार प्रदान करने हेतु हमारे देश के लिए प्रभावी व्यवहार्य हों।

3. राजस्व की हानि, आजीविका की हानि एवं अवैध व्यापार के अवबोध सहित धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध की वित्तीय विवक्षाओं से निपटने के लिए योजना तैयार करना:

(क) तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दों पर दृष्टिपात करते हुए जो स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से परे हैं, विभिन्न पणधारी मंत्रालयों जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, सूचना एवं प्रसारण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास द्वारा देश में तंबाकू की मांग और साथ ही पूर्ति में कमी करने से संबंधित उपायों पर नजर रखने के लिए कार्यनीतियां और नीतियां बनाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वयन एवं सहयोजित प्रयास अपेक्षित हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, वे हैं-तम्बाकू उत्पादों पर तथा तंबाकू उत्पादों के व्यापार पर करों को बढ़ाना। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराना तथा तंबाकू के कृषकों/उगाने वालों तथा कर्मचारियों को आजीविका के अन्य अवसर मुहैया कराना।

(ख) तंबाकू कृषकों तथा तम्बाकू उगाने वालों को आर्थिक रूप से जीवनक्षम वैकल्पिक फसलों और स्थापित तंत्र तथा ऐसी वैकल्पिक फसल के विपणन के लिए आश्वासन के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

(ग) तम्बाकू कर्मचारियों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के अधीन वैकल्पिक आजीविका विकल्पों के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए तथा आर्थिक रूप से जीवनक्षम एवं सुरक्षित आजीविका विकल्पों को अपनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए।

4. जब तक धुआंरहित तम्बाकू उत्पादों पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू नहीं हो जाता तब तक इनकी मांग में कमी करने के लिए प्रभावी वित्तीय उपाय करना:

(क) खुदरा विक्रेताओं को तम्बाकू उत्पादों की लाइसेंसशुदा बिक्री द्वारा तथा लाइसेंस शुल्क व अन्य निगम करों को आरोपित करते हुए कराधान के बिंदु बनाना।

(ख) स्वास्थ्य बीमा के लिए तम्बाकू उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम की उच्चतर दरों को अनिवार्य बनाना।

(ग) धुआंरहित तम्बाकू की उत्पादकता और मजदूरी हानि अथवा वैकल्पिक आजीविका, वैकल्पिक फसलों तथा अवैध व्यापार के आर्थिक बोझ के संबंध में साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान करना ताकि प्रभावी नीतिगत परिवर्तन सूचित किए जा सकें

(घ) तम्बाकू कर राजस्व को तम्बाकू नियंत्रण क्रियाकलापों के लिए अलग से निर्धारित करना।

(ङ) तम्बाकू उपयोग के स्वास्थ्य पर प्रभावों को विशिष्ट कर प्रणाली सहित भारत के योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के एप्रोच में शामिल करने के लिए सिफारिश की जानी चाहिए।

(च) "भारत में धुआंरहित तंबाकू संबंधी रिपोर्ट" विश्व स्वास्थ्य संगठन एफसीटीसी सीओपी 5 को भेजी जाए।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों के लिए गर्म भोजन

4943. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स युक्त पूरक आहार के रूप में गर्म भोजन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) पूरक पोषण समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम की छह सेवाओं में से एक है। पोषण एवं आहार मानकों के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 24.02.2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए निर्धारित पूरक पोषण इस प्रकार है:

(1) छह माह से तीन वर्ष तक की आयु के बच्चे: प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन घर ले जाने वाले राशन के रूप में 500 कैलोरी ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन वाले खाद्य अनुपूरक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य तथा/या ऊर्जा सघन आहार 'आईसीडीएस खाद्य अनुपूरक' के रूप में चिन्हित।

(2) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे: प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन 500 कैलोरी ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन वाले खाद्य अनुपूरक। चूंकि इस आयु वर्ग का बच्च उक ही बार में 500 कैलोरी वाला आहार नहीं खा सकता है, इसलिए इन दिशानिर्देशों में दूध/केले/मौसमी फल/सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त आहार इत्यादि सुबह के नाश्ते के रूप में और गर्म पकाया हुआ भोजन दिए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

(3) गंभीर रूप से अल्पोषित बच्चे: प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन घर ले जाने वाले राशन के रूप में 800 कैलोरी ऊर्जा और 20-25 ग्राम प्रोटीन वाले खाद्य अनुपूरक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य तथा/या ऊर्जा सघन आहार।

(4) गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताएं: प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रतिदिन घर ले जाने वाले राशन के रूप में 600 कैलोरी ऊर्जा और 18-20 ग्राम प्रोटीन वाले खाद्य अनुपूरक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य तथा/या ऊर्जा सघन आहार।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 22.4.2009 के अपने आदेश में इन दिशानिर्देशों का समर्थन किया है।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

4944. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) तथा वित्तीय सरिता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग/परिषद के विचारार्थ विषयों तथा संघटन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की समकालिक जरूरतों का समाधान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विधानों नियमों और विनियमों को पुन: तैयार करने और उनमें तालमेल लाने की दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया है। एफएसएलआरसी को अधिसूचित करने वाला संकल्प 24 मार्च, 2011 को जारी किया गया था।

इस आयोग के अध्यक्ष उच्चततम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्ण हैं और इसके 10 सदस्य हैं जिन्हें वित्त, अर्थशास्त्र, विधि और अन्य संगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। यह आयोग वित्तीय क्षेत्र संबंधी विधानों की जांच करेगा, जिनमें अधीनस्थ विधान भी शामिल होंगे।

एफएसएलआरसी के विचारार्थ विषयों और संघटक का ब्यौरा वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in/fslrc/fslrc-setup.pdf पर उपलब्ध है।

बजट 2009-10 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार ने वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास और अंतर विनियमनकारी समन्वय हेतु तंत्र की स्थापना करने और उसे सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से 30 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन किया है।

इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के विनियमनकारी निकायों के अध्यक्ष, वित्त सचिव तथा/अथवा सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सचिव, वित्तीय सेवा और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।

एफएसडीसी के विचारार्थ विषयों और संघटन का ब्यौरा वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in/the-ministry/dept-eco-affairs/capital-market-div/financial-stability.pdf. पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षण

4945. श्री सुदर्शन भगत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व चिकित्सा संगठन (डब्ल्यूएमए) द्वारा चिकित्सा समुदाय हेतु विकसित मानव प्रयोग के संबंध में हेलसिंकी घोषणा को मान्यता दी तथा स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया एवं मानदंड तथा उपर्युक्त घोषणा में मानवों पर उनके अनुप्रयोग क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दी है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनमें रिपोर्ट की गई मृत्यु की संख्या तथा ऐसे मामलों में से प्रत्येक में दिया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मुआवजा कितना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद (आईसीएमआर) ने मानव सहभागियों के संबंध में जैवचिकित्सीय

अनुसंधाान हेतु नीतिशास्त्र दिशानिर्देश वर्ष 2000 में तैयार किए और वर्ष 2006 में इन्हें अद्यतन किया जो जैवचिकित्सीय अनुसंधान संबंधी अन्य अंतरराष्ट्रीय अनुदेशों (न्यूरेमबर्ग संहिता, वैश्विक मानव अधिकार घोषणा, सीआईओएमएस दिशानिर्देश, बेल्मोंट रिपोर्ट, जैवनीतिशास्त्र संबंधी न्यूफील्ड परिषद, डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश इत्यादि) के साथ-साथ हेलसिंकी घोषण पत्र में यथावर्णित प्लेसिबों के प्रयोग पर चर्चा चल है तथा यह घोषणा इस मुद्दे में स्पष्टतया प्रदान करने में सहायक नहीं रही है। आईसीएमआर दिशानिर्देशों में यह और बताया गया है कि "प्लेसिबो का इस्तेमाल करने वाले ऐसे प्रत्येक प्रोटोकॉल को अनुमोदन से पहले सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता होती है। रोगी के नियंत्रण (प्लेसिबो) समूह को उपलब्ध उपचार से इंकर करना अनैतिक है।"

(ग) हेलसिंकी घोषणा, 2000 और इसके उत्तरवर्ती संशोधन के अनुसार, नए कार्यकलाप के लाभ, जोखिम, भार और प्रभावकारिता की जांच निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर मौजूदा सर्वोत्तम सिद्ध कार्यकलाप के मुकाबले की जानी चाहिए:

1. प्लेसिबो का इस्तेमाल, अथवा, उपचार न करना (नोट्रीटमेंट) ऐसे अध्ययनों में स्वीकार्य है जहां कोई भी मौजूदा सिद्ध कार्यकलाप विद्यमान न हो; अथवा
2. जहां कोई भी बाध्यकारी और वैज्ञानिक रूप से ठोस कार्य प्रणालीगत कारणों की वजह से किसी कार्यकलाप की प्रभावकारिता और सुरक्षा निर्धारित करने के लिए प्लेसिबो का प्रयोग आवश्यक हो और प्लेसिबो लेने वाला और उपचार प्राप्त न करने वाला रोगी किसी भी गंभीर खतरे अथवा अनुत्क्रमणीय नुकसान के अध्यधीन नहीं होगा। इस विकल्प के दुरुपयोग से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

(घ) और (ङ) अब सभी नैदानिक जांचों को www.ctri.in पर आईसीएमआर नैदानिक जांच रजिष्ट्री (सीटीआरआई) में पंजीकृत होना अपेक्षित है। सीटीआरआई डाटा बेस के अनुसार, पंजीकृत प्लेसिबो नियंत्रण परीक्षण की संख्या नीचे दी गई है।

(1) जनवरी, 2008 से दिसंबर, 2010 के बीच : 468

(2) जनवरी, 2011 से 30.8.2011 के बीच : 136

(च) नैदानिक परीक्षणों के दौरान विभिन्न कारणों की वजह से मौत की गंभीर प्रतिकूल घटनाएं (एसएई) घट सकती हैं। ये रोग संबद्ध मौतें जैसे कैंसर इत्यादि अथवा गहन रूप अथवा टर्मिनल रूप से बीमार रोगियों को दवा देना अथवा प्रतिकूल प्रभाव अथवा असंबद्ध कारण हो सकते हैं ऐसे मौतों की अन्वेषण द्वारा और प्रायोजक के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कारणात्मक संबंध हेतु जांच की जाती है।

उपलब्ध डाटा के अनुसार विगत तीन वर्षों अर्थात 2008, 2009, 2010 के दौरान सूचित सभी नैदानिक परीक्षणों में मौतों की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या क्रमशः 288, 637 और 668 थीं इसके अतिरिक्त, प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठनों द्वारा उपलब्ध कार्रवाई गई सूचना के अनुसार उन 22 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया है जो वर्ष 2010 में परीक्षण संबंधी मौतें थीं।

कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए प्रावधान

4946. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिब्बत से सटे भारतीय प्रदेश में तीव्र एवं सुचारू परिवहन तथा संचार एवं सुविधा प्रदान करने के मद्देनजर सरकार का विचार उक्त क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें बनाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों तथा सीमा सड़क संगठन को धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालाय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) सरकार ने सीमा सड़क विकास (बीआरडीबी) द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे सामरिक महत्व की कतिपय सड़कों के निर्माण तथा साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गो के ऐसे विस्तारों के विकास कार्य, जो बीआरडीबी को सौंपे जाते हैं, के लिए राज्यों को सहायता हेतु प्रावधान किए गए हैं। ब.अ. 2011-12 में किए गए प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

मद	राशि करोड़ रुपए में
बीआरडीबी द्वारा संचालित निर्माण कार्य	3165.19
सामरकि महत्व की सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	105.00

[अनुवाद]

बच्चों का यौन उत्पीड़न

4947. श्री ए. सम्पतः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं और बच्चों में आत्मरक्षा हेतु जागरुकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न श्रेणी के अपराध बढ़ रहे हैं। वर्ष 2007, वर्ष 2008 वर्ष 2009 के आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न संबंधी आंकड़ों का अलग से कोई संकलन नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी) ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की अपने पाठ्य पुस्तक में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1989 में निहित बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया है। इस प्रयास के माध्यम से बच्चों को इस बात के लिए जागरुक किया जाता है कि उन्हें बुराई एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

बच्चों के संरक्षण के मुद्दे पर मंत्रालय भी समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से बच्चों को जागरुक करता है।

विवरण

देश में बच्चों के प्रति अपराध

क्र.सं.	अपराध के नाम	वर्ष		
		2007	2008	2009
1.	हत्या	1377	1296	1488
2.	शिशु हत्या	134	140	63
3.	बलात्कार	5045	5446	5368
4.	अपहरण और अगवा करना	6377	7650	8945
5.	भ्रूण हत्या	96	73	123
6.	आत्म हत्या हेतु प्रेरित करना	26	29	46
7.	परित्याग	923	864	857
8.	नाबालिग लड़कियों की प्राप्ति	253	224	237
9.	वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद	40	30	32
10	वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की बिक्री	69	49	57
11.	अन्य अपराध	6070	6699	6985
	कुल योग	20410	22500	24201

स्रोत: भारत में अपराध, 2009, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि संबंधी समिति

4948. श्री एंटो एंटोनी:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय लघु बचत निधि संबंधी समिति की रिपोर्ट में महिला प्रधान एजेंटों का विशेष उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लघु बचत योजना को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने यह देखा कि महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) के तहत 4 प्रतिशत का कमीशन बहुत अधिक है और यह राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की व्यवहार्यता को प्रभावित कर रहा है। समिति ने यह स्वीकार किया है कि आवर्ती जमा योजना के लिए मासिक जमाराशि जुटाने में एजेटों की ओर से पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, 4 प्रतिशत कमीशन मिथ्या और बड़ी लागत वाला है। समिति ने सिफारिश की है कि इसे 3 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ष 1 प्रतिशत घटाकर 1 प्रतिशत पर ले आना चाहिए।

समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दी गई हैं।

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और साथ ही साथ सेमिनारों, बैठकों के आयोजन से तथा इन योजनाओं के तहत जमाराशि जुटाने में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न उपाय करती हैं।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेबसाइट भी जारी की गई है जिससे कि लघु बचतों संबंधी सूचना का व्यापक प्रसार और ऑनलाइन पंजीकरण से लोगों से संपर्क साधना तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान किया जा सके। वेबसाइट का पता nsiindia.gov.in है।

[हिन्दी]

रियायतों एवं संग्रहण

4949. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री अर्जुन राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क में सरकार द्वारा दी गयी रियायतों तथा उक्त शीर्षों के अंतर्गत संग्रहण का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या रियायतों के रूप में त्याग दी गयी राशि संग्रहण से अधिक है तथा यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अनेक छूटें प्रदान की गई हैं। इन छूटों को दिए जाने के उद्देश्य कतिपय क्षेत्रों/इलाकों के औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्द्धन, महत्वपूर्ण उद्योगों का संवर्द्धन, सुरक्षा, लघु औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों, जैसे कि स्वास्थ्य, पेय जल आपूर्ति आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। इन छूटों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क (1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। उन अधिसूचनाओं को, जिनके द्वारा ये छूटें दी गई हैं, संसद के दोनों सदनों के पटल पर विधिवत रख दिया गया है। विगत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क से जोन वार राजस्व संग्रहण संलग्न विवरण-I और II के रूप में दिया गया है।

(ख) जा हां। इन छटों की वार्षिक समीक्षा सरकार की नीतियों की तर्ज पर ही बजट तैयार करते समय की जाती है। जिससे कि इन छूटों को कम किया जा सके और कर के आधार को बढ़ाया जा सके। बजट 2011-12 में 130 मदों पर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट को वापस ले लिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन्न जोनों द्वारा सीमा शुल्क से किया गया राजस्व संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	जोन	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई, सी.शु.-I	6647	5278	9169
2.	मुम्बई, सी.शु.-II	21010	18222	27977
3.	मुम्बई, सी.शु.-III	6008	5255	6908
4.	मुम्बई, एक्स-I	8	7	12
5.	मुम्बई, एक्स-II	16	1	3
6.	पुणे	1043	935	2403
7.	नागपुर एक्स	347	387	540
8.	अहमदाबाद, सी.शु.	13748	9032	20820
9.	अहमदाबाद, सी.एक्स.	241	542	1030
10.	बड़ोदरा, एक्स.	237	295	107
11.	बंगलोर सी.शु.	3667	2947	4153
12.	मैसूर, सी.शु.	11	35	13
13.	कोचिन, एक्स	1306	1632	3010
14.	हैदराबाद, एक्स	886	973	1301
15.	विजाग, एक्स.	3355	2404	5286
16.	चेन्नई सी.शु.	17332	14994	22593
17.	चेन्नई (निवारक)	1552	1579	2666
18.	चेन्नई, एक्स.	376	338	560
19.	कोयम्बटूर एक्स.	-51	34	101
20.	लखनऊ, एक्स.	28	-21	20
21.	मेरठ, एक्स.	1972	1332	1896
22.	पटना (निवारक)	147	98	145
23.	रांची, एक्स.	4	0	0

1	2	3	4	5
24.	दिल्ली (सी.शु.)	11477	9874	9407
25.	दिल्ली (पी)	100	143	151
26.	दिल्ली, एक्स.	1005	1091	1643
27.	चंडीगढ़, एक्स	717	573	692
28.	जयपुर, एक्स.	39	29	22
29.	भोपाल, एक्स.	241	193	378
30.	कोलकाता सी.शु.	5209	4928	7165
31.	भुवनेश्वर, एक्स.	1366	1119	3231
32.	शिलांग	25	39	57
	कुल	100072	84288	133456

स्रोत: डीओडीएम

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन्न जोनों द्वारा सीमा शुल्क से किया गया राजस्व संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	जोन	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई-I	4692	11513	14971
2.	मुम्बई-II	8746	8898	10494
3.	पुणे	1978	1986	3616
4.	नागपुर	2359	2325	3139
5.	बड़ोदरा	10152	8759	10866
6.	अहमदाबाद	6503	6440	7252
7.	बंगलोर	4130	4231	5101
8.	मंगलोर	6696	6052	7907
9.	कोचिन	4220	3847	4989
10.	हैदराबाद	2520	2240	3126

1	2	3	4	5
11.	विजाग	6251	5449	7036
12.	चेन्नई	5974	5143	7815
13.	कोयम्बटूर	1577	1129	1469
14.	लखनऊ	6320	5815	7173
15.	मेरठ	4564	4839	5367
16.	रांची	7260	6233	8084
17.	दिल्ली	7726	8053	11217
18.	चंडीगढ़	915	623	808
19.	जयपुर	1950	1661	3259
20.	भोपाल	6567	4290	6320
21.	कोलकाता	6363	5114	6494
22.	भुवनेश्वर	2106	1293	2568
23.	शिलांग	3212	3191	3329
	अखिल भारत	112782	109126	142400
	कस्टम हाऊसों द्वारा भुगतान की गई प्रति अदायगी	8086	6284	5879
	निवल राजस्व	104696	102841	136520

स्रोत: डीओडीएम

सौर ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम

4950. श्री राम सुन्दर दास: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौर ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) किन राज्यों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक संस्थापित सौर कुकरों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा कितना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी, 2008 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) उपलब्ध करवाने के लिए की गई। यह स्कीम सौर पीवी और सौर तापीय परियोजनाओं हेतु क्रमश: 12 रु. और 10 रु. प्रति किलोवाट के अधिकतम दर पर ग्रिड को दी गई बिजली के लिए है। कार्यक्रम का अधिकतम आकार 50 मेगावाट था और प्रत्येक परियोजना की क्षमता 1 से 5 मेगावाट हो सकती है। जीबीआई की अवधि परियोजना प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष की है। इस कार्यक्रम के तहत जीबीआई प्राप्त करने की पात्रता के लिए परियोजनाओं का दिनांक 31 मार्च, 2012 तक पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ख) प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत ग्रिड इंटरऐक्टिव सौर विद्युत हेतु कुल 10 परियोजनाएं पात्र हैं जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रिकृत सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम के तहत सौर कुकरों की संस्थापना को सहायता दी गई है। देश में अब तक 6.63 लाख से भी अधिक सौर कुकर संस्थापित किए गए हैं।

प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की जाती है। विभिन्न ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों हेतु सरकार बैंचमार्क लागत के 30% तक की सहायता उपलब्ध कराती है। विशेष श्रेणी के राज्यों में संस्थागत और घरेलू सौर तापीय अनुप्रयोगों हेतु सहायता 60% तक है।

विदेशी बैंक

4951. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में कई विदेशी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में आज की तिथि तक कार्यरत लाइसेंस प्राप्त विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने उक्त बैंकों में कार्यकरण के संबंध में कोई टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) 29.08.2011 की स्थिति के अनुसार भारत में 38 विदेशी बैंक कार्यरत हैं, इन बैंकों की 321 शाखाएं काम कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2010 और 2011 के दौरान प्रथम शाखा खोलने/शाखा विस्तार के लिए निम्नलिखित अनुमोदन दिए हैं:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	2010 में दिए गए अनुमोदन	2011में दिए गए अनुमोदन
1.	डीबीएस बैंक	2	
2.	शिनहन बैंक	1	
3.	बार्कलेज बैंक	2	
4.	एएनजैड बैंक आस्ट्रेलिया	1	
5.	क्रेडिट सूइसे एजी, स्विटजरलैण्ड	1	
6.	नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक	1	
7.	इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लि.		1
8.	राबोबैंक इंटरनेशनल		1
9.	वूरी बैंक		1

(ग) और (घ) आरबीआई ने सूचित किया है कि उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

कुपोषित बच्चों को बचाने हेतु सुविधाएं

4952. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुपोषित बच्चों को मरने से बचाने के लिए विशेष सुविधायुक्त वार्डों तथा अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुपोषित बच्चों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों से राय मांगी गयी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के अनुपात के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की देखरेख हेतु विशेष सुविधाओं से सज्जित अस्पतालों (पोषण पुनर्वास केन्द्रों) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां। इस मंत्रालय ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों के प्रबंध हेतु प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों सहित उपचार दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों समेत प्रमुख पेशेवरों के विशेषज्ञ समूह के साथ विस्तृत सलाह-मशविरा किया है।

(ग) देश के समग्र राज्यों में संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के कुपोषित बच्चों के अनुपात का आकलन दर्शाया गया है। एनएफएचएस-3 (2005-06 के अनुसार भारत में कुपोषण का ग्रामीण-शहरी वितरण संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत प्रजननात्मक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:
   * शिशु व छोटे बच्चे को समुचित आहार देने पर बल।
   * सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) के माध्यम से गंभीर कुपोषण का उपचार ।
   * विटामिन ए, आयरन एवं फॉलिक एसिड की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों की रोकथाम करने व इनसे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों को विटामिन ए सम्पूरण, 6 माह से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सीरप, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को भी आयरन एवं फॉलिक एसिड सम्पूरण।
2. घरेलू स्तर पर आयोडीकृत नमक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) को क्रियान्वित किया गया है।
3. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) दोनों के अंतर्गत स्तनपान एवं आहार संबंधी विविधीकरण के संवर्धन सहित जागरुकता बढ़ाने एवं आहार संबंधी पद्धतियों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है।
4. पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लक्ष्य वाली अन्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(क) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)

(ख) राजीव गांधी किशोर कन्या सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)-(सबला)।

(ग) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)।

(घ) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (मिड डे मील कार्यक्रम)।

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित आय उपार्जन करने वाली विभिन्न स्कीमों के माध्यम से लोगों की क्रय क्षमता में सुधार करना।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की रियायती लागत पर उपलब्धता।

विवरण I

राज्यवार पोषण पुनर्वास केन्द्र

1.	बिहार	2
2.	छत्तीसगढ़	20
3.	हिमाचल प्रदेश	0
4.	जम्मू एवं कश्मीर	0
5.	झारखंड	48
6.	मध्य प्रदेश	240
7.	ओडिशा	3
8.	राजस्थान	39
9.	उत्तर प्रदेश	21

10.	उत्तराखंड	0
11.	अरुणाचल प्रदेश	0
12.	असम	3
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	0
15.	मिजोरम	0
16.	नागालैंड	0
17	सिक्किम	0
18.	त्रिपुरा	0
19.	आंध्र प्रदेश	5
20.	गोवा	0
21.	गुजरात	52
22.	हरियाणा	0
23.	कर्नाटक	2
24.	केरल	0
25.	महाराष्ट्र	854
26.	पंजाब	0
27.	तमिलनाडु	0
28.	पश्चिम बंगाल	6
29.	अंडमान और निकोबार	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	0
	कुल	1295

विवरण-II

तालिका: भारत में कुपोषण का ग्रामीण-शहरी वितरण (एनएफएचएस-3, 2005-06)

कुपोषण संकेतक	ग्रामीण	शहरी	कुल
बौने बच्चों का प्रतिशत	50.7	39.6	48.0
दुर्बल बच्चों का प्रतिशत	20.7	16.9	19.8
कम भार वाले बच्चों का प्रतिशत	45.6	32.7	42.5

[अनुवाद]

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली

4953. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री उदय सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादक कंपनियों ने ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से अप्रभावित नहीं रहने पर प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के अंतर्गत प्राप्त अनुबंधों का कार्य करने में अपनी असमर्थतता जतायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों ने सरकार से ईंधन के बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर मौजूदा अनुबंधों पर पुनर्विचर करने हेतु तंत्र विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत क्षेत्र में प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रणाली को पूरी तरह अपनाने के लिए जनवरी, 2011 की समय-सीमा को नहीं बढ़ाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या 14 विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत तृलना से पता चला था कि प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निर्धारित विद्युत दरें लागत सहित प्रशुल्क से कम हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिस्पद्धी मार्ग को पूरी तरह अपनाने में राज्यों की तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न कंपनियों ने ईंधन मूल्य में वृद्धि किए जाने के कारण विद्युत परियोजनाओं द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के संबंध में उल्लेख किया है। विद्युत उत्पादक संघ ने इस मंत्रालय से, पणधारियों के हित में मौजूदा संविदा को संशोधित करने तथा मामले का समाधान किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किए जाने का अनुरोध किया है। प्रापकों, जिनमें से अधिकतर राज्य यूटिलिटियां हैं तथा विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता के बीच हस्ताक्षरित मौजूदा संविदाएं, उक्त संविदाओं के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित की जानी होती है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने सरकार को सलाह दी थी कि प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के प्रापण का परिवर्तन करने की जनवरी, 2011 की समय-सीमा, विशालकाय बहुउद्देशीय भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं तथा व्यस्ततमकालीन केन्द्रों के मामलों को छोड़कर, न बढ़ाया जाए।

भारत सरकार ने, दिनांक 8.7.2011 के संकल्प द्वारा प्रशुल्क नीति, 2006 में संशोधन किया तथा सभी जल विद्युत परियोजनाओं को, कुछ शर्तों को पूरा करने पर अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रशुल्क आधारित बोली से छूट दे दी थी। विशिष्ट पारेषण परियोजनाओं को भी प्रशुल्क आधारित बोली से छूट प्रदान की गई है।

(ङ) सीईआरसी ने इन निष्कर्षों की जांच करने के लिए कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निकाले जा रहे प्रशुल्क लागत आधिक्य प्रशुल्क है से कम हैं, 14 परियोजनाओं को शामिल करते हुए विस्तृत कार्य किया था। अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि 14 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं के संबंध में लागत आधिक्य प्रणाली के अंतर्गत परिकल्पित मूल्यों प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत निकाले गए लेवलाइज्ड प्रशुल्कों से ज्यादा होते हैं। तुलन-तालिका विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) सभी राज्यों को सलाह दी जा चुकी है कि वे प्रतिस्पधर्तिमक बोली प्रणाली को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

विवरण

तालिका-1 लागत आधिक्य प्रणाली के परिकल्पित लेवलाइज्ड प्रशुल्क की प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत निकाले गए लेवलाइज्ड प्रशुल्क के साथ तुलना-1

क्रम. सं.	परियोजना	आकार	स्थिति	राज्य	विकासकर्ता	सीओडी तारीख-1 यूनिट	प्रतिस्पर्धी बोली वे अनुसार लेबलाइज्ड टैरिफ (रु./कि.वा.घं.)	एमओयू के मार्ग के अंतर्गत लेवलाइज्ड टैरिफ की गणना (रु./कि.वा.घं.)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	तलवंडी साबो	3X660 मेगावाट	टैरिफ अनुमोदित	पंजाब/केस-2	स्टरलाईट	अगस्त 2012	2.8643	3.0703	
2.	राजपुरा	2X660 मेगावाट	टैरिफ अनुमोदित	पंजाब/केस-1	एल एंड टी	जनवरी 2014	2.89	3.4822	
3.	कमलांगा	3X350 मेगावाट	टैरिफ अनुमोदित	हरियाणा/केस-1	पीटीसी/जीएमआर	अक्तूबर 2011	2.54, बसबार#	2.6237	2.86 प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत डिलीवर्ड मूल्य है।
4.	बांबध	4X660 मेगावाट	अनुमोदित	हरियाणा/केस-1	लेनको	जुलाई 2012	2.075, बसबार#	2.5695	2.355 प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत डिलीवर्ड मूल्य है।
5.	झज्जर	2X660	मेगावाट अनुमोदित	हरियाणा/केस-2	सीएलपी पावर	नवंबर-दिसंबर 2012	2.996	3.3027	
6.	मांडवा	2X660	मेगावाट अनुमोदित	महाराष्ट्र/केस-1	लेनको महानदी	अक्तूबर 2012*	2.70	3.0062	
7.	तिरोडा फेज-1	2X660	मेगावाट अनुमोदित	महाराष्ट्र/केस-1	अडानी महाराष्ट्र	अगस्त 2012	2.642	2.9703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	चितरंगी फेज-1	2X660 मेगावाट	मेगावाट याचिका	महाराष्ट्र/केस-1	रिलायंस	जून, 2012	2.45	2.5652	
9.	माहन	2X660 मेगावाट	मेगावाट याचिका	मध्य प्रदेश,केस-1	एस्सार	मई, 2011*	2.45	2.3119	
10.	नन्दगांवपेठ	2X660 मेगावाट	मेगावाट याचिका	मध्य प्रदेश, केस-1	इंडिया बुल्स	मार्च, 2014	3.26	3.2958	
11.	तिरोडा फेज-	2X660 मेगावाट	मेगावाट याचिका	महाराष्ट्र केस-1	अडानी महाराष्ट्र पावर		सितंबर, 2014	3.28	2.8752
12.	महानदी	3X600 मेगावाट	मेगावाट याचिका	महाराष्ट्र केस-1	केएसके एनर्जी	मार्च, 2015	2345	2.5137**	** गुजरात परिसर की पारेषण लागत शामिल नहीं है।
13.	प्रयागराज	3X660 मेगावाट	मेगावाट याचिका	उत्तर प्रदेश केस-2	जेपी एसोसियेट्स	जुलाई, 2014	3.02	3.4673	
14.	संगम	2X660 मेगावाट	मेगावाट याचिका	उत्तर प्रदेश केस-2	जेपी एसोसियेट्स	जनवरी, 2014	2.97	3.3045	

* = वास्तविक सीओडी तिथि की स्पष्टता नहीं, सीईए आंकड़े से प्राप्त को मान लिया गया।

@ =कोयले की परिवहन लागत में वृद्धि नहीं।

= पारेषण प्रभार के रु. 0.28/कि.वा.घं. को घटाने के पश्चात प्राप्त।

चालू खाता घाटे में वृद्धि

4954. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजीगत प्रवाह को छोड़कर देश से आय के शुद्ध प्रवाह का सूचक भारत का चालू खाता घाटा गत वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में तीन गुणा बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान तत्संबंधी पूर्ण एवं तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके वास्तविक कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) भुगतान शेष संबंधी आंकड़े एक तिमाही के अंतराल पर त्रैमासिक आधार पर प्रचारित-प्रसारित किए जाते हैं नवीनतम चालू खाता घाटे संबंधी आंकड़े जनवरी-मार्च 2011 की तिमाही के हैं, जो वित्त वर्ष 2009-10 की तदनुरूप अवधि के 13.0 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 5.4 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे को दर्शाते हैं।

पिछले पांच वर्षों में चालू खाता घाटा और पूंजी खाता अधिशेष नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	चालू खाता घाटा		पूंजी खाता अधिशेष	
	बिलियन अमरीकी डालर	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में	बिलियन अमरीकी डालर	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में
2006-07	9.6	1.0	45.2	4.8
2007-08	15.7	1.3	106.6	8.7
2008-09	27.7	2.3	6.8	0.6
2009-10	38.4	2.8	53.4	3.9
2010-11	44.3	2.6	59.7	3.5

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा नियन्त्रणीय स्थिति में रहा और 2008-09 के संकट वर्ष को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में पूंजी खाता अधिशेष मूलत: चालू खाता घाटों को वित्तपोषित कर रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय कम्पनियों के कर संबंधी विवाद

4955. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार कर संबंधी विवादों के संबंध में विदेश स्थित भारतीय कम्पनियों के एन्टिक्स पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार, कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) महोदया, आयकर विभाग कर संबंधी विवादों के संबंध में विदेश स्थित भारतीय कम्पनियों की गतिविधियों पर सतत् आधार पर निगरानी रखने हेतु कोई स्थापित तंत्र नहीं रखता है। हालांकि चूंकि भारतीय कम्पनियां अपनी आयकर विवरणियां भारत में अपने कर-निर्धारण अधिकारी के पास दाखिल करती हैं इसलिए नीति के अनुसार इनकी संवीक्षा की जा सकती है। संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान, यदि कर-निर्धारण अधिकारी के ध्यान में कोई तथ्य सामने आता है जिसके लिए विदेश से संबंधित पूछताछ की जरूरत पड़े तो कर-निर्धारण अधिकारी सूचना विनिमय तंत्र के अंतर्गत विदेश से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एफ टी एवं टी आर प्रभाग के पास संदर्भ भेज सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कम्पनियां जो उन विदेशी देशों में अपने अधीनस्थ निवासी के माध्यम से कारोबारिक गतिविधियां चला रही हैं। वे सामान्यत: पात्र लेन-देनों के संबंध में 'अंतरण मूल्यन' विधायन के अलावा भारतीय कर कनूनों ('निवास' के सिद्धांत पर आधारित) के अधीन नहीं होंगी।

अत: आयकर विभाग सामान्यत: कर संबंधित विवाद के संबंध में विदेश स्थित भारतीय कम्पनियों की गतिविधियों पर केवल विशिष्ट पूछताछ और जांच ही करता है यदि उनकी जरूरत घरेलू कराधान के लिए पड़ती है।

(ख) देश-वार तथा कम्पनी-वार ऐसा कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

ऋण चूककर्ता कंपनियां

4956. श्री अशोक अर्गल:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लेने वाली ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) ऐसे ऋणों की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है।?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्रत्येक वर्ष मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 1 करोड़ रुपए और अधिक की धनराशि वाले कुल बकाया राशि वाले गैर-वाद-दायर (नान-सूट-फाइल्ड) उधारकर्ताओं की सूची को अपने गोपनीय उपयोग के लिए परिचालित करता है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) 1 करोड़ रुपए और अधिक के वाद-दायर खातों संबंधी आधारभूत आंकड़े भी रख रहा है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बाकीदारों की संख्या नीचे दी गई है:

	गैर-वाद दायर खाते (आरबीआई को रिपोर्ट की गई स्थिति के अनुसार) 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार)		वाद-दायर खाते (सीआईबीआईएल वेबसाइट) 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार)	
	खातों की सं.	धनराशि (करोड़ रु.में)	खातों की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1628	17,363	4043	34,558

(ख) वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने, एनपीए को कम करने, बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने और बेहतर वसूली माहौल का निमार्ण करने के लिए आरबीआई और बैंकों ने कालांतर में पहले से ही कई प्रकार के कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-निष्पादन कारी परिसंपत्तियों के प्रावधानीकरण और वर्गीकरण के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित करना, चूक रोकने के लिए दिशा-निर्देश देना, कारपोरेट ऋण का पुनर्निधारण और अन्य पुनर्निधारण स्कीमें, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधि नियम (सरफासी), 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधि नियम, 2005 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियमन, 1993 आदि का अधिनियमन शामिल हैं।

8 विद्युत कंपनियों को कोयला आपूर्ति

4957. श्री हर्ष वर्धन:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की विद्युत उत्पादन कंपनियां विश्व के अनेक कोयला निर्यातक देशों के द्वारा कोयले के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण कठिनाई का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों की कोयला खानों के स्वामित्व में पहले से ही हिस्सेदारी है;

(घ) क्या सरकार का कोयला आपूर्ति के संकट के मद्देनजर देश में विद्युत उत्पादन के संबंध में वर्तमान नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) कुछ भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों ने सूचित किया है कि वे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कोयला निर्यात करने वाले देशों में कोयले के निर्यात पर नये विनियम/करों के कारण आयातित कोयले के मूल्य में वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं-

(1) चीन द्वारा कोयले के निर्यात पर कर की छूट हटाना।

(2) इंडोनेशिया सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए विनियम जो निर्धारित मूल्य से कम पर संबंधित कंपनियों को विक्रय सहित कोयले के विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हैं। उक्त विनियम में यह अपेक्षा की गई है कि नये कोयला मूल्य निर्धारण विनियम के अनुसार कार्य करने के लिए सितम्बर, 2011 तक सभी वर्तमान अनुबंधों को संशोधित किया जाए।

(ग) कुछ भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों तथा उनकी ग्रुप कंपनियों के कोयला खानों के स्वामित्व में हिस्से है अथवा इंडोनेशिया, ऑट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में कोयला खाने अधिगृहीत की हैं।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्तमान यूनिटों के निष्पादन और उनके रखरखाव कार्यक्रम, शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमानुसार नये उत्पादन यूनिटों से संभावित योगदान, ईंधन, जल आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अस्पतालों के विरुद्ध शिकायतें

4958. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों के विरुद्ध विभिन्न मुद्दों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अंतर्ग्रस्त मुद्दों का अस्पताल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, ऐसी जानकारी का रख-रखाव केन्द्र नहीं करता है।

तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 का अधिनियमन किया है जो राज्यों में नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नियमन हेतु 19.8.2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। एक बार राज्यों द्वारा अपनाए जाने पर, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करें तथा निजी अस्पतालों, उपचर्या गृहों और विशेष परिचर्या सुविधा-केन्द्रों में कदाचारों पर नजर रखें।

पारेषण लाइनें

4959. श्री सुरेन्द्र सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में नई विद्युत पारेषण बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) नई पारेषण लाइनें कब तक बिछाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) का देश में अपना पारेषण नेटवर्क का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पीजीसीआईएल द्वारा कितनी निधियां व्यय किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार राज्य सरकार राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) के रूप में बोर्ड अथवा कंपनी को अधिसूचित करती है और एसटीयू के कार्यों में से एक कार्य भार केन्द्रों को उत्पादन स्टेशन से बिजली के निर्बाध प्रवाह के लिए अंतरराज्यीय पारेषण लाइनों के कुशल समन्वित एवं आर्थिक प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना है। पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), जो कि देश की केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) और एक नवरत्न कंपनी है, विद्युत पारेषण के व्यवसाय में लगा हुआ है और इसे अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली पर आयोजना, समन्वय, निरीक्षण और नियंत्रण तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के प्रचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसने पहले से ही पारेषण नेटवर्क की स्थापना की है जिसमें लगभग 85000 सीकेएम अतिरिक्त हाई वोल्टेज एल्टरनेटिंग करेंट (ईएचवीएसी) तथा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) पारेषण लाइनें शामिल हैं और अगले 5 से 6 वर्षो में लगभग 55000 सी के एस और जोड़े जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम से पारेषण लाइनें बिछाने के लिए पहल भी की है, इसके अंतर्गत, 10,070/करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 6 परियोजनाएं पहले ही सौंपी जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं 12वीं योजना में शुरू की जानी निर्धारित है।

(घ) और (ङ) जी, हां। पीजीसीआईएल ने विद्युत मंत्रालय के कार्यनीति ब्लुप्रिंट दस्तावेज के अनुसार 75000 मेगावाट पर 12वीं योजना के दौरान सम्भावित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के अनुरूप देश में अपने पारेषण नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई है। चूंकि 12वीं योजना के दौरान देश में उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम और संगत पारेषण प्रणाली अभी भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है इसलिए पारेषण नेटवर्क अभिवृद्धि की निम्नलिखित के आधार पर परिकल्पना की गई है:-

(1) भारत में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा तैयार की जा रही विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी को सुगम बनाने के लिए उच्च क्षमता वाले पारेषण कॉरीडोरों (एचवीडीसी लिंकों/765 केवी अल्ट्रा हाईवोल्टेज एल्टरनेटिंग करेंट (यूएचवीएसी) लाइनों सहित) के निष्पादन के लिए पीजीसीआईएल को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियामक अनुमोदन प्रदान किया गया। इसकी अनुमानित लागत लगभग 58000 करोड़ रुपये है।

(2) 6 अत्यंत वृहत विद्युत परियोजनाओं अर्थात सासन, मुंद्रा, कृष्णापटनम, तिलैया, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में नई प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणालियां विद्युत मंत्रालय द्वारा पीजीसीआईएल को सौंपी गई थी।

(3) पारेषण नेटवर्क के निर्माण के लिए दीर्घावधि खुली पहुंच (एलटीओए) प्रदान करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों सहित अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं/उत्पादकों के साथ व्यापक विद्युत पारेषण करार (बीपीटीए)।

उपर्युक्त के आधार पर, पीजीसीआईएल ने उपरोक्त परियोजनाओं से संबद्ध पारेषण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया है। कुछ स्कीमें पहले ही कार्यान्वयन के लिए शुरू की जा चुकी हैं और अन्य प्रक्रिया में हैं जो कि 12वीं योजना के माध्यम से जारी रहेंगी।

प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना

4960. श्री प्रेमदासः
श्रीमती जे शांताः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन हेतु कालेजों/संस्थाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक कालेज/संस्थान तथा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक इस प्रयोजनार्थ निर्धारित और व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की वैज्ञानिक पद्धति के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए कतिपय कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 14 कॉलेज हैं, जो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साईंसिज (बीएनवाईएस) डिग्री पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत हैं:

आंध्र प्रदेश-03	छत्तीसगढ़-01
गुजरात-01	कर्नाटक-03
मध्य प्रदेश-02	तमिलनाडु-04

(ख) जी, हां।

(ग) आयुष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे द्वारा 100 बिस्तरों वाला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल एवं कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके लिए महाराष्ट्रसरकार से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एनआईएन, पुणे अनुसंधान कार्यविधि पर प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों; सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों तथा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। यह पूरे देश में एक दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग जागरुकता कार्यक्रमों और महिलाओं, आम जनता और विद्यार्थियों के लिए सात दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग जागरुकता-सह उपचार शिविरों का भी प्रयोजन करता है।

आयुष विभाग के अंतर्गत एक अन्य स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) विभिन्न रोग दशाओं में औषध रहित, दुष्प्रभाव रहित तथा आसानी से अपनाई जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य करता है। परिषद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की क्षमताओं के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय अभियानों का भी आयोजन करती रही है।

परिषद ने नागमंगल, जिला मंडया, कर्नाटक और देवरखाना, जिला झझर, हरियाणा में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के लिए अन्य राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। इसमें उड़ीसा, मणिपुर और असम राज्य शामिल हैं, जिन्होंने केन्द्रों की स्थापना हेतु क्रमशः 20, 10, 15 एकड़ भूमि देने की भी पेशकश की है।

विभाग भी शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों, विख्यात विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों तथा रोग विशिष्ट उपचार कार्यक्रमों के आयोजन और इन्हें सहायता प्रदान करके प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करता है/लोकप्रिय बनाता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

4961. श्री जयवंतराव आवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों के निर्माण/उन्यत हेतु विभिन्न राज्यों से वित्तीय सहायता मांगे जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का नया निर्माण/उन्नयन करने के लिए अनुमति दी जाती है। एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपनी अनुभूत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सरकारी अस्पतालों के नए निर्माण एवं उन्नयन के लिए अपने प्रस्तावों को शामिल करती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन जो संसाधन सहायता पर आधारित होता है, के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों के नए निर्माण एवं उन्नयन कार्य के लिए विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों की पीआईपी में आबंटित निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के लिए कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के उन्नयन एवं नए निर्माण के लिए आबंटित निधियों की राज्य वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	कार्यकलाप	आबंटित राशि (रुपए लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	उन्नयन	1392
		नया निर्माण	3433
2.	हरियाणा	उन्नयन	64.38
		नया निर्माण	0
3.	गुजरात	उन्नयन	2479.98
		नया निर्माण	0.00
4.	गोवा	उन्नयन	4.8
		नया निर्माण	54
5.	महाराष्ट्र	उन्नयन	15163.08
		नया निर्माण	9498.35
6.	बिहार	उन्नयन	1309.53
		नया निर्माण	489.02
7.	छत्तीसगढ़	उन्नयन	300
		नया निर्माण	8263.06
8.	हिमाचल प्रदेश	उन्नयन	0
		नया निर्माण	4.88
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उन्नयन	416
		नया निर्माण	3400
10.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उन्नयन	0.00
		नया निर्माण	0
11.	चंडीगढ़	उन्नयन	60.12
		नया निर्माण	0.00
12.	दादरा एवं नगर हवेली	उन्नयन	42.9
		नया निर्माण	0

1	2	3	4
13.	दमन एवं दीव	उन्नयन	0
		नया निर्माण	0
14.	दिल्ली	उन्नयन	892.76
		नया निर्माण	2854.17
15.	झारखंड	उन्नयन	301.76
		नया निर्माण	5029.58
16.	कर्नाटक	उन्नयन	1262
		नया निर्माण	6750
17.	केरल	उन्नयन	2684.92
		नया निर्माण	2026.85
18.	पंजाब	उन्नयन	1138.09
		नया निर्माण	0
19.	तमिलनाडु	उन्नयन	220.64
		नया निर्माण	3860.22
20.	पश्चिम बंगाल	उन्नयन	11242.08
		नया निर्माण	10382
21.	लक्षद्वीप	उन्नयन	0
		नया निर्माण	0
22.	पुदुचेरी	उन्नयन	0
		नया निर्माण	0
23.	मध्य प्रदेश	उन्नयन	1182
		नया निर्माण	1721.8
24.	ओडिशा	उन्नयन	5125.44
		नया निर्माण	378.0
25.	राजस्थान	उन्नयन	40
		नया निर्माण	450
26.	उत्तर प्रदेश	उन्नयन	4264.08

1	2	3	4
		नया निर्माण	12621.66
27.	उत्तराखंड	उन्नयन	145.7
		नया निर्माण	27
28.	अरुणाचल प्रदेश	उन्नयन	34
		नया निर्माण	444.2
29.	असम	उन्नयन	0
		नया निर्माण	14049.9
30.	मणिपुर	उन्नयन	770.25
		नया निर्माण	944.97
31.	मेघालय	उन्नयन	325.18
		नया निर्माण	50
32.	मिजोरम	उन्नयन	123
		नया निर्माण	0
33.	नागालैंड	उन्नयन	0
		नया निर्माण	55.00
34.	त्रिपुरा	उन्नयन	279.83
		नया निर्माण	2093.33
35.	सिक्किम	उन्नयन	98.18
		नया निर्माण	120

[अनुवाद]

जाली मुद्रा

4962. श्री धनंजय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिचालन में जाली मुद्रा नोटों की संख्या और इनका मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) देश में परिचलन में नकली नोटों का कोई अनुमान नहीं है।

(ख) और (ग) देश में नकली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में नकली नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाना; प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सुरक्षा विशेषताओं संबंधी सूचना का प्रसार करना और बैंकों के सभी प्रधान कार्यालयों में नकली नोट सतर्कता प्रकोष्ठों की स्थापना करना शामिल हैं। नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल करने के लिए वर्ष 2005 में बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं को शामिल

किया गया है। बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नवीनतम सुरक्षा विशेषताएं समाविष्ट करने की प्रक्रियाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। नकली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन की मानीटरी करने और उनका परिचालन रोकने के लिए एक व्यापक कार्यनीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्रीय एजेंसियों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। राज्यों में भी इसी तरह के निकास स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नकली करेंसी नोटों के मामलों की जांच पड़ताल की मानीटरी करने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नकली नोटों का पता लगाने के तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4963. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्माणधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उनके आरम्भ होने की तिथि, प्राप्त निधियां, की गई प्रगति, निर्धारित सीमा से अधिक लागत और समय लगने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुमोदन में हिस्सेदारी में वृद्धि करने का निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इसमें कोई व्यापक समेकित मानक पैकेज और मानदंड हैं जिसके इर्द-गिर्द अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का समस्त कारोबार घूमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो, क्या सरकार का और अधिक ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कोई विलंब न हो;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) हाल ही में विश्व द्वारा परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटकों को प्रोत्साहन

4964. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के पर्यटकों को कुछ प्रोत्साहन दिये हैं ताकि देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है साथ ही ऐसे देशों के नाम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों हेतु सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयास करता है। पर्यटन का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 11 देशों अर्थात जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्जमबर्ग, न्यजीलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपीन्स, म्यांमार और इंडोनेशिया के राष्ट्रिकों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) की शुरुआत की गई है। आगमन पर पर्यटक वीजा सुविधा प्रवेश के चार विमानपत्तनों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में उपलब्ध है।

डी.आर.आई. योजना

4965. श्री निशिकांत दुबे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीवी) देश में कम आय वर्ग समूहों को ब्याज की विभेदक दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या क्या है साथ ही गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का झारखंड सहित राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत योजना के अधीन बैंकों से ऋण लेने वाले लाभार्थियों की संख्या का झारखंड सहित राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कम आय वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उक्त योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंका विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं की वित्तीय

सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय पात्रता मानदण्ड 18,000/- रुपए प्रतिवर्ष तथा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह मानदण्ड 24,000/-रुपए प्रतिवर्ष है। इसके अलावा, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) उपलबध सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) डीआरआई स्कीम के तहत खाता-वार और राशि-वार दोनों के संदर्भ में राज्य-वार और बैंक-वार ऋण संवितरण का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खाता-वार और राशि-वार दोनों के संदर्भ में डीआरआई योजना के तहत इंदिरा आवास लाभार्थियों को संवितरित ऋण का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा भारतीय बैंक संघ को सलाह दी गई है कि वे दिशानिर्देशों में आशोधन का सुझाव दें ताकि और आकर्षण बनाया जा सके और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

विवरण I

वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत ऋण संवितरण का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक क नाम	2008-09 के दौरान किया गया संवितरण		2009-10 के दौरान किया गया संवितरण	
1	2	3	4	5
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक				
भारतीय स्टेट बैंक*	79866	95.67	21378	41.80
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	37856	37.24	7642	8.32
स्टेट बैंक ऑफ हैदाराबाद	8500	22.24	7550	33.87
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2729	10.48	एसबीआई के साथ विलयित	
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	12827	14.23	5438	6.60
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	997	1.35	926	1.15
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1767	1.02	1671	1.30
इलाहाबद बैंक	6721	8.25	8846	10.16
आंध्रा बैंक	896	1.61	4314	6.21
बैंक ऑफ बड़ौदा	2984	4.52	3420	9.91
बैंक ऑफ इंडिया	13051	19.57	4799	7.39
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	166	0.44	596	1.75

1	2	3	4	5
केनरा बैंक	5672	5.10	7142	9.38
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1525	3.01	5926	11.45
कार्पोरेशन बैंक	347	0.39	1790	1.70
देना बैंक	2794	3.22	2512	2.25
इंडियन बैंक	14838	14.04	23645	29.86
इंडियन ओवरसीज बैंक	24121	21.58	28361	73.23
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	386	0.42	696	1.08
पंजाब नैशनल बैंक	5460	30.86	13371	44.20
पंजाब एंड सिंध बैंक	231	0.29	52	0.07
सिंडिकेट बैंक	4493	21.59	3397	10.76
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3959	3.63	5672	7.83
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	593	0.49	2599	3.20
यूको बैंक	7517	10.58	16433	23.13
विजया बैंक	2797	2.71	1644	2.13
आईडीबीआई बैंक लि.	0	0.00	6	0.01
कुल (क)	243093	334.53	179826	348.78
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक				
एक्सिस बैंक लि.	233	0.12	298	0.223
आईसीआईसीआई बैंक लि.	155	0.25	95	0.096
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0	0.00	4	0.002
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	167	0.17	379	0.405
सिटी यूनियन बैंक लि.	69	0.10	244	0.338
करूर वैश्या बैंक लि.	38	0.04	103	0.108
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	4	0.00	80	151.560

1	2	3	4	5
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	1222	1.57	1187	1.643
फेडरल बैंक लि.	45	0.03	55	0.059
कर्नाटक बैंक लि.	32	0.03	104	0.127
नैनीताल बैंक लि.	110	0.17	39	0.016
साउथ इंडियन बैंक लि.	374	0.57	126	0.191
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	9	0.01	1	0.001
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	122	0.25	119	0.409
कुल (ख)	2580	3.29	2834	155.18
सकल योग (क)+(ख)	245673	337.82	182660	503.92

स्रोत: आर बी आई आंकड़े अनंतिम

विवरण II

डीआरआई योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 के दौरान किया गया संवितरण		2009-10 के दौरान किया गया संवितरण	
	खाता	राशि	खाता	राशि
1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र	45464	827538	41132	1146953
अंडमान व निकोबार	484	3520	59	956
बिहार	7987	106877	11268	142229
झारखंड	3517	37930	1883	38692
ओडिशा	15752	378049	18872	812440
सिक्किम	619	5114	25	975
पश्चिम बंगाल	17105	296048	9025	151661
दक्षिणी क्षेत्र	94450	1072405	86271	2900562
आंध्र प्रदेश	17101	242461	12871	254205
कर्नाटक	18915	209432	10553	165480

1	2	3	4	5
केरल	9961	89096	8085	88465
लक्षदीप	0	0	0	0
पुडुचेरी	609	4792	121	1267
तमिलनाडु	47864	526624	54641	2391145
पूर्वोत्तर क्षेत्र	6860	45846	3362	46318
अरुणाचल प्रदेश	289	1320	97	1232
असम	3063	20895	2711	36528
मणिपुर	119	698	54	1022
मेघालय	1849	16710	65	1013
मिजोरम	617	1726	39	640
नागालैंड	710	3693	175	2559
त्रिपुरा	213	804	221	3324
उत्तरी क्षेत्र	51707	534549	20562	243879
चंडीगढ़	1242	15279	1156	10337
दिल्ली	3537	49009	511	7498
हरियाणा	3098	36333	4005	47156
हिमाचल प्रदेश	2259	19202	1545	31389
जम्मू व कश्मीर	235	3888	376	6027
पंजाब	4409	51315	4287	43779
राजस्थान	36927	359523	8682	97693
मध्य क्षेत्र	29305	558576	20443	403256
छत्तीसगढ़	1611	29050	609	8677
मध्य प्रदेश	9371	192701	5395	71570
उत्तर प्रदेश	15865	320026	12778	299595
उत्तराखंड	2458	16799	1661	23414

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र	17887	339321	10890	298188
दादरा एवं नगर हवेली	1	7	0	0
दमन व दीव	0	0	0	0
गोवा	460	5818	169	1826
गुजरात	10863	191722	5471	109159
महाराष्ट्र	6563	141774	5250	177203
अखिल भारत	245673	3378235	182660	5039156

स्रोत: आरबीआई

विवरण III

वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को संवितरित बैंक-वार ऋण

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	बैंक नाम	वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को ऋण			
		2008-09		2009-10	
		खाता	राशि	खाता	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबद बैंक	0	0.00	0	0.00
2.	आंध्र बैंक	0	0.00	8	0.02
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	30	0.05	381	0.72
4.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4	0.0064	5	0.0019
5.	बैंक ऑफ इंडिया	6	0.01	437	0.88
6.	केनरा बैंक	1333	2.16	1767	3.35
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	149	0.26	357	0.64
8.	कर्पोरेशन बैंक	26	0.05	93	0.19
9.	देना बैंक	0	0.00	1	0.002
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6
11.	इंडियन बैंक	279	0.44	4552	8.09
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1004	2.01	1653	3.29
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	13	0.03	29	0.06
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0.00	6	0.01
15.	पंजाब नैशनल बैंक	34	0.07	341	0.67
16.	सिंडीकेट बैंक	18	0.03	21	0.03
17.	यूको बैंक	54	0.11	72	0.14
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	98	0.09	378	0.58
19.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0.00	57	0.1
20.	विजया बैंक	24	0.031	21	0.039
21.	भारतीय स्टेट बैंक*	7514	14.48	8214	15.99
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	85	0.17	8	0.01
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0.00	0	0.00
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4	0.008	130	0.2235
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	91	0.13	196	0.28
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	29	0.05	76	0.15
	कुल	10795	20.19	18803	35.47

स्रोत: पी एस वी* आंकड़े बकाया हैं।

[हिन्दी]

बीआरजीएफ के अंतर्गत जिलों की पहचान

4966. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिका जिलों की पहचान करने और शामिल करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जारी किए गए/किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों से योजना के अंतर्गत उनके राज्य में और अधिक जिलों को शामिल किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक जिलों की पहचान करने और शामिल करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) कुछ राज्यों ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत अपने राज्यों के कुछ और अधिक जिलों को सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बीआरजीएफ योजना मूलतः योजना आयोग के द्वारा अवधारित की तथा वर्ष 2005-06 में योजना आयोग द्वारा स्थापित,

बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों पर अंतर्मंत्रालय टास्क समूह की सिफारिशों के आधार पर आरंभिक तौर पर इस कार्यक्रम में 250 जिलों को कवर किया गया था। तदनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक जिलों को सम्मिलित किए जाने संबंधी मामले की जांच योजना आयोग के परमर्श से की गई तथा वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत नए जिलों को सम्मिलित न किए जाने का निर्णय लिया गया।

विवरण

बीआरजीएफ के अंतर्गत अतिरिक्त जिलों को सम्मिलित किए जाने के लिए राज्यों से पंचायती राज मंत्रालय को प्राप्त आवेदनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	हरियाणा	मेवात
2.	मध्य प्रदेश	दतिया, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, सिहोर, सागर
3.	असम	चिरांग, बाराक और उदलगिरि
4.	तमिलनाडु	धर्मपुरी, कृष्णागिरी, वेलोर, और धर्मपुरी
5.	पश्चिम बंगाल	कूच बेहार
6.	असम	सम्पूर्ण असम राज्य
7.	महाराष्ट्र	शोलापुर का तालूका, अकालकोट तथा नागपुर को छोड़कर विदर्भ एवं मराठावाड़ा के सभी जिले
8.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर और नवांशहर
9.	नागालैण्ड	पेरन
10.	राजस्थान	प्रतापगढ़
11.	मिजोरम	ममित
12.	जम्मू व कश्मीर	रामवन और किश्तवाड़
13.	मणिपुर	सेनापति

[अनुवाद]

धरोहर पर्यटन

4967. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में धरोहर पर्यटन को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो देश में धरोहर पर्यटन हेतु चिन्हित किए गए संभावित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) विरासत पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की

जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को गंतव्यों और परिपथों के विकास के लिए मंत्रालय की उत्पाद/अवसंरचना योजना के अंतर्गत उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ट्रैवेल शोज में भाग लेकर वैश्विक स्तर पर भारत का विरासत गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। पर्यटन मंत्रालय भारतीय विरासत पर प्रकाश डालते हुए थीमेटिक ब्रोशर भी तैयार करता है।

[हिन्दी]

कारागार में बंद महिलाओं के बच्चे

4968. श्री कीर्ति आजाद: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारागार में बंद महिलाओं के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और समाज में उनकी स्वाकार्यता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें यह कहा गया हो कि महिला कैदियों के बच्चों को रोजगार और सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल रही है। तथापि, महिला कैदियों के बच्चे भी देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे होते हैं और इसलिए वे इस मंत्रालय की समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित एवं संचालित बाल गृहों/आश्रय गृहों और मुक्त आश्रय केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे गृहों/आश्रय केंद्रों में बच्चों को आयु के अनुसार उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेतु शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम के साथ नेटवर्क, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं, जिनसे ऐसे बच्चों के पुनर्वास और समाज में वापसी में मदद मिलती है।

[अनुवाद]

खिलौनों में विषाक्तता स्तर

4969. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खिलौनों में विषाक्तता स्तर और हानिकारक तत्वों के परीक्षण हेतु किसी विशेष समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) खिलौनों में हानिकारक तत्वों की प्रधानता की जांच करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डा.वाई.के. गुप्ता, प्रोफेसर, औषध विज्ञान, एम्स की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति के मार्गदर्शन में, बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों में कुछ विकट धातु तथा क्षयरोग (फथालेट्स) की मौजूदगी की जांच करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। सभी विभिन्न घटकों के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा सात राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए वैधता संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय आहार संस्थान, हैदराबाद में कुल 400 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। प्रारंभिक परिणामों के आधार पर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक रूप से स्थानीय खिलौनों के कुछेक नमूनों में उच्च सीसा स्तर (लीड-लेवल) पाया गया है जो वैधता पार (क्रॉस-वेलीडेशन) के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

जनजातियों की प्रतिव्यक्ति आय

4970. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अन्य सामान्य जातियों के लोगों से कम है; और

(ख) यदि हां, तो जनजातीय व्यक्तियों की औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से प्राप्त सूचना के अनुसार, सामाजिक समूहवार प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (सामाजिक समूहवार) का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय में देश में जनजातियों के आर्थिक उत्थान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को अनुपूरित करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) अनुसूचित जनजातियों के रोजगार व आय सृजन कार्यकलापों के लिए "जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)" नामक एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य मांग आधारित आय सृजन को बढ़ावा देना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत (सामाजिक समूहवार)-2004-05

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.5	15.4	9.5	4.1	50.0	39.9	28.9	20.6
2.	असम	14.1	27.7	18.8	25.4	4.8	8.6	8.6	4.2
3.	बिहार	53.3	64	37.8	26.6	57.2	67.2	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	33.9	29.2	41.0	52.0	52.7	21.4
5.	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	10.6	9.4	35.8	18.3	6.4
6.	गुजरात	34.7	21.8	19.1	4.8	21.4	16.0	22.9	7.0
7.	हरियाणा	0.0	26.8	13.9	4.2	4.6	33.4	22.5	5.9
8.	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	9.1	6.4	2.4	5.6	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	5.2	10.0	3.3	0.0	13.7	4.8	7.8
10.	झारखंड	54.2	57.9	40.2	37.1	45.1	47.2	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	20.9	13.8	58.3	50.6	39.1	20.3
12.	केरल	44.3	21.6	13.7	6.6	19.2	32.5	24.3	7.8
13.	मध्यप्रदेश	58.6	42.8	29.6	13.4	44.7	67.3	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	23.9	18.9	40.4	43.2	35.6	26.8
15.	ओडिशा	75.6	50.2	36.9	23.4	61.8	72.6	50.2	28.9
16.	पंजाब	30.7	14.6	10.6	2.2	2.1	16.1	8.4	2.9
17.	राजस्थान	32.6	28.7	13.1	8.2	24.1	52.1	35.6	20.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	तमिलनाडु	32.1	31.2	19.8	19.1	32.5	40.2	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	32.9	19.7	37.4	44.9	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	44.8	33.5	64.4	65.7	46.5	25.5
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	29.5	18.3	27.5	25.7	28.5	10.4	13.0
	अखिल भारत	47.3	36.8	26.7	16.1	33.3	39.9	31.4	16.0

लीजेंड अ.जा. अनुसूचित जनजातियां, अ.पि.व. अन्य पिछड़ा वर्ग
स्रोत: योजना आयोग

बैंक सघनता का अनुपात

4971. श्री एस. अलागिरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण हेतु बैंक सघनता के अनुपात का केन्द्रीय अनुरक्षण अथवा निगरानी नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबाधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में उक्त अनुपात की गैर-अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अनुपात की उपलब्धता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के संवितरण हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार से नीति/रणनीति तैयार की जाती है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायनमीणा): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक घनत्व और ऋण संवितरण के अनुपात से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारत सरकार ने जून 2004 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को वर्ष 2004-05 में तीन वर्षों में वर्ष 2003-04 के दौरान किए गए ऋण को दोगुण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की। यह लक्ष्य दो वर्ष में प्राप्त हो गया था। तत्पश्चात, भारत सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर रही है। पिछले वर्षों के लक्ष्यों और प्राप्तियों का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति (राशि करोड़ रुपए में)
2008-09	2,80,000	3,01,907.80
2009-10	3,25,000	3,84,514.20
2010-11	3,75,000	4,46,778.98*

अनंतिम

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के माध्यम से (छोटे एवं सीमान्त किसानों सहित) को ऋण उपलब्धात सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

* भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार तत्परता से भुगतान करने वाले उन किसानों को वर्ष 2009-10 से अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है जो अपने ऋण समय से वापस करते हैं। ये अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1% थी और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

* कृषि ऋण माफी एवं ऋण योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 से बाधित ऋण व्यवस्था पुन: प्रारंभ हो गई है जो किसानों पर ऋण भार के कारण बंद हो गई थी।

* बैंकों को छोटे एवं सीमांत किसानों, बटाईदारों तथा ऐसे अन्य किसानों को 50,000 रुपये तक के छोटे ऋणों हेतु "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को समाप्त करने और इसके स्थान पर उधारकर्ता से एक स्व-घोषणापत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

* भारतीय रिजर्व बैंक को 1,00,000 रुपये तक के कृषि ऋणों हेतु मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षा से छूट देने की सलाह दी है।

निजी क्षेत्र में जनजातियों को आरक्षण

4972. श्री प्रभातसिंह पी. चौहानः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के संबंध में कोई विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन

4973. श्री प्रहलाद जोशीः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में औसतन अनियमित, अपर्याप्त और घटिया विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वितरण कंपनियों की कम वसूली पर दी जाने वाली सरकारी राजसहायता के भार को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रिडों के विकेन्द्रीकरण से समस्या को दूर करने में सहायता मिल सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीवीवाई) के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) कार्यक्रम आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या डीडीजी के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले छोटे ग्रिडों की संख्या समस्या की व्यापकता की तुलना में काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीडीजी कार्यक्रम का उन्नयन करने अथवा इसके स्थान पर और अधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होती है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण किसी राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य में विद्युत यूटिलिटी जो राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति हेतु प्राथमिकता को तय करती है, का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभ के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए विद्युत संयंत्रों और विशाल पारेषण प्रणाली की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों द्वारा आबंटित विद्युत राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों/उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(ख) विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) स्थानीय संसाधनों के आधार पर विद्युत की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। जहां पर लागत और तकनीकी बाधाओं के कारण वर्तमान में ग्रिड का विस्तार नहीं किया जा सकता वहां पर स्थानीय स्तर पर अपनाई गई डीडीजी परियोजनाएं लाभप्रद हैं क्योकि वे स्वयं वहन करने वाली यूनिटों का प्रचालन कर सकते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की थी। इस योजना को 11वीं योजना में जारी रखा गया और इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के लिए 540 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। पारंपरिक अथवा नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि बायोमास, बायोगैस, लघु हाइड्रो, सोलर आदि से डीडीजी ऐसे गांवों के लिए हैं जहां पर ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यावहारिक नहीं है अथवा किफायती नहीं है। ग्रिड कनेक्टिविटी की शर्तों को शिथिल करके डीडीजी स्कीम का बामपंथी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े हुए गांवों में विस्तार किया गया है जहां पर ग्रिड की आपूर्ति नहीं है/अपर्याप्त है। अब तक डीडीजी स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 129 सुदूरवर्ती गांवों/बस्तियों के विद्युतीकरण को कवर करके कुल 87 परियोजनाओं के लिए कुल 133.55 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

शैक्षिक ऋण

4974. श्री पी.टी. थॉमसः
श्री डी.वी. चन्द्रे गौडाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों को संवितरित शैक्षिक ऋणों का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा हाल ही में शैक्षिक ऋणों पर पूर्ण ब्याज राजसहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उक्त बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 2009, 2010 तथा 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल शैक्षिक ऋण बकाया में से एससी/एसटी के प्रति बकाया ऋण का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 31 मार्च 2008, 2009 तथा 2010 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया शैक्षिक ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय बैंक संघ ने 02 जुलाई, 2010 के परिपत्र संख्या एसबी/सीआईआर/10-12 के तहत सभी सदस्य बैंकों को भारत में तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्क्रमों का अध्ययन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन की अवधि हेतु ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की स्कीम के बारे में सलाह दी है।

विवरण

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंक-वार बकाया शैक्षिक ऋण

(खातों की संख्या लाख में राशि करोड़ रु. में)

बैंक का नाम	मार्च-09 बकाया राशि		मार्च-10 बकाया राशि		मार्च-11 बकाया राशि	
		एससी/एसटी	कुल	एससी/एसटी	कुल	एससी/एसटी
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
भारतीय स्टेट बैंक*	6182.00	163.00	8711.00	233.00	10367.00	238.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	279.52	13.92	367.89	18.33	435.04	22.70
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	835.53	15.59	1009.48	20.81	1055.94	23.60
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	165.29	8.62	210.03	10.34		
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	391.17	29.99	489.39	50.64	533.70	49.89
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	245.00	8.00	304.43	12.00	340.00	14.86
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1370.00	206.54	1682.00	117.74	1719.00	126.11
इलाहाबद बैंक	638.00	85.00	818.82	1.06	1030.64	1.32
आंध्रा बैंक	1390.83	81.55	1647.81	132.65	1629.34	146.08
बैंक ऑफ बड़ौदा	1165.09	81.72	1466.36	93.65	1685.11	150.55
बैंक ऑफ इंडिया	1324.00	80.00	1716.00	60.64	1917.64	76.05
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	314.68	18.36	379.21	23.47	409.41	25.50
केनरा बैंक	2301.00	261.00	2896.00	402.00	353.00	456.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	810.62	103.40	1161.69	166.18	1515.89	240.78
कार्पोरेशन बैंक	651.75	13.68	814.39	21.88	826.17	31.35
देना बैंक	240.96	17.72	288.56	20.90	286.02	29.98
इंडियन बैंक	1590.56	176.43	1260.98	383.66	2635.19	484.56

1	2	3	4	5	6	7
इंडियन ओवरसीज बैंक	1032.65	72.36	1447.45	81.63	1970.92	81.64
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	769.92	16.77	938.52	22.77	1070.96	28.68
पंजाब नैशनल बैंक	1611.25	40.44	,2131.69	98.84	2642.01	125.16
पंजाब एंड सिंध बैंक	179.15	4.82	204.23	7.15	218.28	7.78
सिंडिकेट बैंक	1150.27	58.27	1459.68	82.59	1889.03	109.47
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	956.57	83.86	1289.05	72.21	1536.76	65.64
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	343.70	26.85	421.80	16.21	457.19	23.67
यूको बैंक	490.00	52.00	659.00	67.00	856.79	88.58
विजया बैंक	431.02	12.95	534.47	31.40	602.90	43.11
आईडीबीआई बैंक लि.	52.20	0.49	82.18	0.84	109.88	0.85
कुल (क)	26912.73	1733.33	35292.11	2249.59	41343.81	2691.91
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक						
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	6.02	0.10	9.19	0.20		
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	51.52	0.67	63.44	0.87	80.41	1.01
सिटी यूनियन बैंक लि.	24.12	0.07	41.75	0.92	65.85	3.04
डवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.99	0.00	1.51	0.00	2.18	0.00
धनलक्ष्मी बैंक लि.	27.17	0.33	30.56	0.18	33.11	0.36
फेडरल बैंक लि.	183.82	1.55	222.67	2.38	265.40	3.58
एचडीएफसी बैंक लि.	145.71	1.02	246.54	1.69	279.50	1.58
आईसीआईसीआई बैंक लि.	6.14	0.12	5.85	0.11	348.18	0.57
इंडसइड बैंक लि.	0.13	0.00	0.44	0.00	0.63	0.00
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	15.38	0.21	11.42	0.00	9.69	0.00
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	83.20	0.18	99.17	0.21	116.92	0.26
कर्नाटक बैंक लि.	75.58	0.94	94.54	1.20	111.00	1.63
करुर वैश्य बैंक लि.	39.72	0.13	52.20	0.43	75.92	0.78
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	17.10	0.04	35.87	0.65	57.62	1.41
नैनीताल बैंक लि.	11.89	0.12	13.11	0.02	15.97	0.49

1	2	3	4	5	6	7
रत्नाकर बैंक लि.	0.98	0.03	1.40	0.04	1.88	0.05
एसबीआई कमं एण्ड इन्टर बैंक लि.	0.08	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
साउथ इंडियन बैंक लि.	35.06	0.34	50.72	0.64	69.6	0.91
तमिलनाड मर्केटाइल बैंक लि.	49.13	0.18	67.29	0.4473	92.8	1.2696
एक्सिस बैंक लि.	22.94	0.10	19.83	0.11	25.67	0.37
कुल (ख)	796.68	6.13	1067.56	10.10	1652.37	17.31
सकल योग (क)+(ख)	27709.41	1739.46	36359.67	2259.69	42996.18	2709.22

विवरण-II

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया शैक्षिक ऋण

(राशि हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया शैक्षिक ऋण			मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया शैक्षिक ऋण		
	2008 बकाया राशि	2009 बकाया राशि	2010 बकाया राशि	2008 बकाया राशि	2009 बकाया राशि	2010 बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1763603	2659347	3669422	3677	40462	12653
असम	1303634	1856046	2604257	2991	6323	11553
मेघालय	122553	165837	220091	77	130	605
मिजोरम	4862	119429	163653	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	19352	88266	98711	0	0	0
नागालैंड	33825	58443	63808	609	1535	495
मणिपुर	172232	222306	318643	0	32474	0
त्रिपुरा	107145	149020	200259	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	18794416	28178282	37557976	92141	185000	262751
झारखंड	3881636	6436966	9125266	1160	5404	11166

1 2	3	4	5	6	7	
पश्चिम बंगाल	3162421	4896225	6729767	15093	23558	31739
ओडिशा	6561467	9587869	11616783	59624	135563	190095
सिक्किम	5045559	7135842	9925865	14352	18189	27663
अंडमान और निकोबार	107567	74417	86562	1586	1421	1332
मध्य क्षेत्र	35766	46963	73733	326	865	756
उत्तर प्रदेश						
उत्तराखंड	19630317	29832334	40768951	127655	175378	246249
मध्य प्रदेश	11020099	15442367	22548388	57541	91432	144942
छत्तीसगढ़	2001876	2866466	3930961	42928	46644	54792
उत्तरी क्षेत्र	5372483	9860740	11787917	23411	22714	40390
दिल्ली	1235859	1662761	2501685	3775	4588	6125
पंजाब						
हरियाणा	22600876	31810580	39239593	563138	1387924	1901136
चंडीगढ़	6326054	9785297	11324374	136097	481589	724397
जम्मू और कश्मीर	4972341	6190630	7741727	19106	43739	71043
हिमाचल प्रदेश	3989240	5445928	6865756	18260	59215	116682
राजस्थान	1148956	1449529	1732121	7766	28746	44880
पश्चिम क्षेत्र	550200	690143	913040	340003	706579	842631
गुजरात	928464	1367096	1925362	2339	1930	1010
महाराष्ट्र	4685621	6881957	8737213	39567	66126	100493
दमन और दीव						
गोवा	24184274	31684065	40442208	306214	678383	1044655
दादरा और नगर हवेली	7543332	9323707	11612845	50047	101774	179481
दक्षिणी क्षेत्र	16243708	21488206	27854564	247211	567322	853781
आंध्र प्रदेश	5963	130765	135689	486	1340	2547
कर्नाटक	373784	644338	803891	8470	7138	7297
लक्षदीप	17487	97049	35219	0	809	1549
तमिलनाडु						

1 2	3	4	5	6	7	
केरल	104802921	137736465	191837426	3529319	5488241	7198472
पुदुचेरी	30791560	38035840	46940608	358577	630349	812177
पूर्वोत्तर क्षेत्र	16675193	22964070	27886279	523655	792258	1007669
असम	1900	1558	1606	1296	0	1459
मेघालय	34496762	48572760	69922880	878082	1633229	2397787
मिजोरम	22253660	27165536	45743402	1744559	2414667	2956450
अरुणाचल प्रदेश	583846	996701	1342651	23150	17738	22930
अखिल भारत	191776407	261901073	353515576	4622144	7955388	10665916

स्रोत: आर बी आई

अस्पतालों द्वारा भर्ती किए जाने से इन्कार

4975. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारी और चिकित्सक गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए भर्ती करने से इन्कार कर देते हैं जिसके कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामने आए ऐसे मामलों की कुल संख्या का अस्पताल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों, चिकित्सकों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

तथापि, जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामतः डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का संबंध है, प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से इन्कार करने पर नवजात बच्चों की मौत हो जाने के संबंध में कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

आशा कार्यकर्ता

4976. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत प्रात्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को राज्य सरकारों द्वारा कतिपय अतिरिक्त कार्य सौंपे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिशन के चरण-1 और चरण-2 को पूरा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत, आशा को राज्य द्वारा उनकी वार्षिक परियोजना क्रियान्वयन योजना (पी आई पी में) प्रस्तावित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों के अनुरूप कार्य सौंपे जाते हैं और प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ग) एन आर एच एम की 2005 में शुरुआत की गई थी और मिशन का मौजूदा चरण 31.3.2012 को पूरा होगा।

एनआरएचएम के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता

4977. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक परियोजना क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में अपनी अनुभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी अपेक्षाओं को प्रक्षिप्त करते हैं जिन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा विचार किया जाता है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता हैं विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए दिए गए वर्षवार अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2010-11 के दौरान राज्यों को दिए गए अनुमोदन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	15.72	30.94	32.26
2.	आंध्र प्रदेश	983.92	860.63	992.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	58.36	66.33	74.90
4.	असम	852.98	874.16	1221.49
5.	बिहार	978.62	1254.70	1273.88
6.	चंडीगढ़	9.88	11.14	15.53
7.	छत्तीसगढ़	336.26	400.36	526.35
8.	दादरा और नगर हवेली	5.10	6.27	8.93
9.	दमन और दीव	4.70	6.40	6.59
10.	दिल्ली	116.36	179.01	215.40
11.	गोवा	14.79	19.61	22.34
12.	गुजरात	561.84	619.30	728.83
13.	हरियाणा	218.21	284.48	286.53
14.	हिमाचल प्रदेश	135.83	143.30	147.15
15.	जम्मू और कश्मीर	208.88	215.30	251.18

1	2	3	4	5
16.	झारखंड	421.15	443.83	516.95
17.	कर्नाटक	619.47	776.58	856.94
18.	केरल	339.29	371.86	406.94
19.	लक्षद्वीप	3.28	4.57	6.15
20.	मध्य प्रदेश	846.96	962.36	1010.73
21.	महाराष्ट्र	1194.35	1255.55	1377.00
22.	मणिपुर	69.88	90.33	97.13
23.	मेघालय	81.50	103.72	123.26
24.	मिजोरम	58.40	67.63	69.63
25.	नागालैंड	71.59	86.52	98.97
26.	ओडिशा	573.06	695.56	735.63
27.	पुदुचेरी	12.03	16.63	23.60
28.	पंजाब	316.03	259.74	364.24
29.	राजस्थान	980.80	1010.03	1196.37
30.	सिक्किम	27.99	33.35	36.46
31.	तमिलनाडु	734.00	650.45	814.24
32.	त्रिपुरा	103.96	162.35	116.53
33.	उत्तर प्रदेश	1661.05	2900.48	2788.93
34.	उत्तराखंड	119.20	148.65	203.66
35.	पश्चिम बंगाल	685.80	883.75	1099.42
	महायोग	13421.24	15895.87	17746.69

व्यापार संवाददाता

4978. श्री एम.बी. राजेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वाभिमान योजना और वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत व्यापार संवाददाताओं (बीसी) के चयन तथा नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति तथा अर्हत मानदण्ड का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा नियुक्त किए गए व्यापार संवाददाताओं की संख्या का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एससीबी में उक्त व्यापार संवाददाताओं को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त व्यापार संवाददाताओं के कार्यकरण में सुधार लाने और उनकी उचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2006 से देश के बैंक रहित और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति के लिए कारोबार सम्पर्की (बीसी) और कारोबार सुविधा प्रदाता की सेवाएं लेने की अनुमति दी गई है। सेवानिवृत्ति बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्ति अध्यापक सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक, किराना/मेडिकल/उचित मूल्य की दुकान के अकेले मालिकों, पब्लिक काल आफिस (पीसीओ) चालक, भारत सरकार/बीमा कंपनियों के लघु बचत स्कीमों के एजेंट आदि जैसे विभिन्न कम्पनियों/व्यक्तियों को रिजर्व बैंक द्वारा बीसी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गई है। आरबीआई द्वारा बीसी नियुक्त करने संबंधी दिशानिर्देशों की सितम्बर 2010 में समीक्षा की गई और बैंकों को अनुमति दी गई कि वे परिचालित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, पूर्व में अनुमति प्राप्त व्यक्तियों/कंपनियों के अलावा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर, बड़ी और चारों ओर फैली खुदरा आउटलेट्स वाली ऐसी कम्पनियों को बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति के लिए बीसी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हों। बैंकों द्वारा नियुक्त बीसी की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सेवा प्रदाता टेण्डर प्रक्रिया के जरिए चुने जाते हैं बीसी को भुगतान सेवा प्रदाता और बैंकों के बीच संविदा के अनुसार किए जाते हैं।

विवरण

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा नियुक्त बीसी की संख्या

क्र.सं.	बैंक	नियुक्त बीसी की संख्या
1	2	3
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	
1.	इलाहाबाद बैंक	1031
2.	आंध्रा बैंक	559
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	931
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1811
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	421
6.	केनरा बैंक	626
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1761
8.	कारपोरेशन बैंक	321
9.	देना बैंक	303
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	55
11.	इंडियन बैंक	978
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	766
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	301
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	70
15.	पंजाब नैशनल बैंक	2071
17.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	277
18.	भारतीय स्टेट बैंक	6295
19.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	118
20.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	134
21.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर	27
22.	सिंडिकेट बैंक	615
23.	यूको बैंक	542
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2229
25.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	855
26.	विजया बैंक	113
	कुल	23530

स्रोत: पीएसबी

[हिन्दी]

डीजल पर नकद राजसहायता

4979. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसानों को डीजल पर नकद राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) किसानों पर नकद राजसहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

खननकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ का पता लगाने हेतु तंत्र

4980. श्री एम.आई. शानवास: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खननकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्य खनन करने वाले देशों से संदर्भ जानकारी प्राप्त करने और उनके लाभ निगरानी तंत्रों के बारे में सीखने की इच्छा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) सभी खनन कंपनियों को वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें राजस्व, व्यय और लाभ आदि संबंधी डाटा शामिल होते हैं तथा देश के कारपोरेट और कराधान कानूनों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित होता है। तथापि, जहां, खनन कार्यकलाप जहां बहुस्थानिक है अथवा धातु उत्पादन सहित डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धन के साथ एकीकृत हों, जैसे मामलों में यह हमेशा संभव नहीं होता कि खान स्तर पर कंपनी को होने वाले लाभ स्पष्ट रूप से वर्णित किए जा सके जब तक कि इस प्रायोजन के लिए खान स्तरीय लेखांकन केन्द्र विकसित न किया गया हो।

[हिन्दी]

डीवीसी द्वारा राख का निपटान

4981. श्री मधु कोड़ा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के ताप विद्युत केन्द्रों से निकलने वाले राख का निपटान किन स्थानों पर किया जाता है और इस संबंध में की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) राख को मापने की क्या प्रणाली है और इस प्रयोजनार्थ किस प्रकार भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या राख के निपटान के लिए किए जा रहे भुगतान की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डीवीसी के बोकारो ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली राख के निपटान के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के ताप विद्युत केन्द्रों से निकलने वाली राख के निपटान के स्थान तथा की गई व्यवस्था का विवरण नीचे दिया गया है:

(1) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस), 'ख' बोकारो: बेर्मो रेलवे स्टेशन के पीछे केन्द्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की बीरान पड़ी हुई खानें।

(2) चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र (सीटीपीएस), चन्द्रपुरा-करगली निकट सीसीएल की बीरान पड़ी हुई खानें।

(3) दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र (डीटीपीएच), दुर्गापुर-कजोरा के निकट ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की बीरान पडी हुई खानें।

(4) मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएच), मेजिया-पैरासिया पुरानी खदान तथा पोरास्कोल पुरानी खदान में ईसीएल की बीरान पड़ी हुई खानें।

सारे प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हुए राख कुंडों से राख की निकासी कर परिवहन करके वीरान पड़ी हुई खनों में डाली जाती है। खानों को भरने के पश्चात् इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा वृक्षारोपण कर दिया जाता है।

(ख) सबसे पहले कुंड से राख निकासी शुरू करने से पहले उस भरे हुए राख कुंड के स्तरों को रिकार्ड किया जाता है। उस कुंड से अपेक्षित गहराई तक राख की निकासी किए जाने के पश्चात स्तरों को पुनः मापा जाता है। किसी कुंड से निकाली गई राख की मात्रा की गणना करने के लिए उसके पूर्व-स्तर तथा बाद के स्तर के अंतर को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी निकाली गई तथा मापी गई मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाता है। मापन पुस्तिका (एम.बी) में आवश्यक प्रविष्टियां की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कनिष्ठ अभियंता (जे.ई) द्वारा मापन पुस्तिका (एम.बी.) में रिकार्ड किए गए तथा सहायक अभियंता (ए.ई) द्वारा उसके पश्चात वरिष्ठ प्रभागीय अभियंता (एस.डी.ई.)/अधिशासी अभियंता (ई.ई)-प्रभागीय प्रभारी द्वारा जांचे गए मापों के आधार पर भुगतान किया जाता है। भुगतान करने से पहले, लेखा कार्यालय द्वारा मापकी गणितीय जांच भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में बजट आबंटन तथा स्वीकृत राशि की सीमा में व्यय किया जाता है।

(ङ) बोकरो ताप विद्युत संयंत्र, डीवीसी से निकलने वाली राख के निपटान पर प्रतिमाह 1.9 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च होती है।

[अनुवाद]

घुमन्तु जनजातियों का कल्याण

4982. श्री नलिन कुमार कटीलः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक सहित देश में घुमन्तु जनजातियों के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार तथा योजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार का घुमन्तु जनजातियों को आश्रय स्थल प्रदान करने तथा अन्य सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेनामी संव्यवहार

4983. श्री प्रदीप माझीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में बेनामी पाई जाने वाली सम्पत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम रूप दी गई पद्धतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) इस प्रकार के संशोधनों से त्रुटियों को दूर कर देश में बेनामी संव्यवहार को बंद करने में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी हां।

(ख) लोक सभा में 18.8.2011 को पुरःस्थापित बेनामी संव्यवहार (निषेध) विधेयक, 2011 (विधेयक सं. 2011 का 56) में प्रस्ताव है कि कोई सम्पत्ति, जो बेनामी संव्यवहार की विषय वस्तु है, जो व्यष्टि के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा अपने (क) जीवन साथी; (ख) भाई या बहन; या (ग) किसी वंशागत पूर्वज या वंशज के नाम में दर्ज बेनामी संव्यवहार के रूप में नहीं है; केन्द्र सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित विस्तृत तौर तरीकों का उल्लेख उपर्युक्त विधेयक के अध्याय-4 में किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 को निरस्त करने का प्रस्ताव है तथा 18.8.2011 को लोक सभा में पुरःस्थापित बेनामी संव्यवहार (निषेध) विधेयक, 2011 (2011 का 56) के रूप में एक नया व्यापक विधायन अधिनियमित करने का इरादा है।

(च) प्रस्तावित विधेयक में बेनामी संव्यवहार करने के परिणामों तथा बेनामी कानून लागू करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं। निम्नलिखित का प्रस्ताव है:

(i) जिस व्यक्ति के नाम में सम्पत्ति है उसके विरुद्ध या किसी अन्य वयक्ति के विरुद्ध धारिता किसी बेनामी सम्पत्ति के संबंध में कोई वाद, दावा या कार्रवाई ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से की जाएगी;

(ii) निषिद्ध संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली बेनामी सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है;

(iii) जहां कोई व्यक्ति किसी कानून के प्रावधानों को मात देने या सांविधिक देयों के ुगतान से बचने या ऋणदाताओं, लाभग्राही स्वामी के भुगतान से बचने के लिए निषिद्ध बेनामी संव्यवहार करता है, बेनामीदार तथा ऐसा बेनामी संव्यहार करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करने या प्रलोभन देने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा सकता है (ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है जो 6 माह से कम नहीं होगी परन्तु जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्मानी भी लगाया जा सकता है)।

नए कानूनों के प्रख्यापन से, उम्मीद है कि बेनामी कानून में विद्यमान खामियां दूर हो जाएंगी तथा बेनामी संव्यवहार के विरुद्ध प्रभावी निवारण लागू होगा।

तपेदिक पर ब्रिटिश रिपोर्ट

4984. श्री वैजयंत पांडाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "ब्रिटिश मेडिकल जर्नल" में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत से अप्रवासी तपेदिक के वाहक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्टों का खण्डन करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) लान्सेट इन्फेक्शियस डिजिजेज, वॉल्यूम 11, इश्यू 6, जून, 2011 में प्रकाशित "स्क्रीनिंग ऑफ इमीग्रेन्टस् इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंपोर्टेड लेटेन्ट ट्यूबरक्लोसिस : मल्टी-सेंट्रिक कॉहोर्ट स्टडी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसेस" शीर्षकयुक्त एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है।

यह अध्ययन अप्रवासियों में अप्रकट टी बी संक्रमण से संबंधित है न कि टी बी के वाहकों से।

स्मार्ट सुपरग्रिड

4985. श्री जयंत चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारेषण लाइनों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम देश में विद्युत की बढती खपत और देश में विद्युत हानियों के विभिन्न प्रकारों में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ताल-मेल बिठाने में अब तक असमर्थ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सस्ती बिजली का उत्पादन करने वाले विद्युत स्टेशनों को जोड़ने वाले उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) पर आधारित स्मार्ट सुपरग्रिड जो उन स्थानों पर अवस्थित हों जहां स्रोत सर्वाधिक सस्ते हों, पारेषण और संवितरण हानियों की कमी करने में मदद करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी स्मार्ट सुपरग्रिड प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा की असीम संभाव्यता के पूर्ण उपयोग को भी समर्थन देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय एचवीडीसी स्मार्ट सुपरग्रिड की त्वरित स्थापना के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। कई नई प्रौद्योगिकियां विद्युत अंतरण आवश्यकता एवं हानियों में कमी लाने में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से उनकी पारेषण प्रणाली में समेकित की जा रही है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में हानियां उत्पादन एवं भार के मौसमी अंतर के आधार पर 4% (1% अधिक अथवा कम) से अलग होती हैं। ये अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय होती हैं। वितरण प्रणाली में हानियां अधिकतम होती हैं और वितरण हानियों में कमी लाने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है।

(ख) से (ङ) स्मार्ट ग्रिड एक विकसित अवधारणा है। देश में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों का एक रोड मैप और समन्वयन तैयार करने के लिए विद्युत मंत्रालय इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स (आईएसजीटीएफ) की स्थापना की गई थी। स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर फोकस देने हेतु भारत में पांच कार्यकारी समूहों का गठन किया गया है।

आई एसजीटीएफ का मुख्य कार्य स्मार्ट ग्रिड प्रोद्योगिकियों से संबंधित विविध गतिविधियों की जगरुकता, समन्वय एवं समेकन, स्मार्ट ग्रिड अनुसंधान एवं विकास के लिए अभ्यास एवं सेवाएं अन्य संबंधित अंतर-सरकारी गतिविधियों का समन्वय एवं समेकन, अंत: प्रचालनात्मक ढांचा पर सहयोग, स्मार्ट ग्रिड फोरम इत्यादि से सिफारिशों की समीक्षा एवं सत्यापन को सुनिश्चित करना है। आईएसजीटीएफ के गठन में स्मार्ट ग्रिड के भारतीय मॉडल के स्वादेशी विकास पर बल देना है। परियोजनाओं की पहचान एवं निवेश आवश्यकताओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष लाभ निम्नवत हैं-

(1) स्मार्ट ग्रिड संचार, आईटी एवं विद्युत प्रौद्योगिकियों के साथ सामंजस्य लाएगा एवं एक व्यापक विद्युत ढांचा स्थापित करेगा।

(2) मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।

(3) ऊर्जा कुशलता में सुधार।

(4) सभी उत्पादन और भंडारण विकल्पों को व्यवस्थित करना।

(5) ग्रिड की सैल्फ हीलिंग एवं एडोप्टिव आइजैडिंग।

(6) विश्वसनीयता सुधार।

(7) विद्युत गुणवत्ता निगरानी।

उच्च वोल्टता दिष्ट धारा (एचवीडीसी) पारेषण भी पारेषण हानियों को कम करने में सहायक होती है। पारेषण प्रणाली एक एकीकृत पद्धति के रूप में विकसित की गई है, जिसमें एचवीडीसी एवं अतिरिक्त उच्च वोल्टेज-वैकल्पिक करेंट (ईएचवी-एसी) पारेषण नेटवर्क, दोनों शामिल है, यह प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित सभी प्रकार की उत्पादन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाती है देश में वर्तमान एवं सुनियोजित एचवीडीसी पारेषण स्कीमों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्तमान एवं सुनियोजित एचवीडीसी पारेषण स्कीमों के ब्यौरे

एचवीडीसी ट्रांसमीशन लाइन्स (वर्तमान एवं नियोजित) मापदंड सीकेएम में)	वोल्टेज स्तर (केवी)	एजेंसी	12वीं के लिए नियोजित/13वीं योजना से पहले	12वीं के अंत तक प्रत्याशित/13वीं योजना से पहले
बिश्वनाथ चेरीयाली-आगरा	+- 800 केवी	पीजीसीआईएल	3600	3600
चंपा-वुरुक्षेत्र	+- 800 केवी	पीजीसीआईएल	3700	3700
रायगढ़ (कोटरा)-धुले	+- 600 केवी	पीजीसीआईएल	2000	2000
विश्वनाथ का लीलो -आगरा में अलीपुरदुअर	+- 800 केवी	पीजीसीआईएल	140	140
मुंद्रा-मोहिंदरगढ़	+- 500 केवी	अदानी		

एचवीडीसी टर्मिनल्स क्षमता (दो ध्रुवीय/बैक टू बैक, वर्तमान एवं नियोजित (मापदंड मेगावाट में)	प्रकार	एजेंसी	जैसाकि 10वीं योजना के अंत में	11वीं योजना के अंत में प्रत्याशित	12वीं के लिए नियोजित/ 13वीं योजना से पहले	12वीं के अंत तक प्रत्याशित /13वीं योजना से पहले	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
चंद्रपुर-पाडघे	दो ध्रवीय	एमएसईबी	1500	1500		1500	विद्यमान (ई)
रिहंद-दादरी	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल	1500	1500		1500	विद्यमान
तलचर-कोलार	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल	2000	2500		2500	विद्यमान
बलिया-भीवाड़ी	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल			2500	2500	1250 (ई) 1250 (यू/सी)
विश्वनाथ-चेरीयाली	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल			3000	3000	निर्माणाधीन (यू/सी)
चंपा कुरुक्षेत्र	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल			3000	3000	नियोजित
रायगढ़ (कोटरा)-धुले	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल			4000	4000	नियोजित
विश्वनाथ का लीलो-अपारा में अलीपुर	दो ध्रवीय	पीजीसीआईएल			3000	3000	आगरा में अलीपुरदुअर
मुंद्र-मोहिन्दरगढ़	दो ध्रवीय	अदानी		2500		2500	समर्पित पारेषण लाइनें (यू/सी)
उपजोड़ (दोध्रुवीय)			5000	10500	13000	23500	

1	2	3	4	5	6	7	8	
विंध्याचल		बी-टी-बी*	पीजीसीआईएल	500	500			विद्यमान
चंद्रपुर		बी-टी-बी*	पीजीसीआईएल	1000	1000			विद्यमान
गजुवाका		बी-टी-बी*	पीजीसीआईएल	1000	1000			विद्यमान
सासाराम		बी-टी-बी*	पीजीसीआईएल	500	500			विद्यमान
उपजोड़ (बी-टी-बी)				3000	3000	0	3000	
योग-एचवीडीसी टर्मिनल क्षमता (मेगावाट)				8000	13500	13000	26500	

टिप्पणी: (बी-टी-बी)- बैक टू बैक

विकासशील राष्ट्रों को निधियों का तीव्र प्रवाह

4986. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल में आयोजित 'बर्लिन मिनिस्टीरियल' में 'रिपोर्टिंग फॉर्मेट' का सुझाव दिया है जो 'फास्ट स्टार्ट फाइनेंस' पर स्पष्टता की भारी कमी को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा बहुपक्षीय निगरानी में सहायक होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर औद्योगिकृत देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विकासशील देशों की ओर से भारत द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित अनुवर्ती कदम तथा विकासशील देशों को निधियों का तीव्र प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बर्लिन में 3-4 जुलाई, 2011 को जलवायु परिवर्तन संबंधी अनौपचारिक मंत्रालयीय परामर्शों के रूप में आयोजित द्वितीय पीटर्सबर्ग जलवायु संबंधी वार्ता के दौरान भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में त्वरित वित्त पोषण के वास्तविक संवितरण के महत्व को विश्वास निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण उपाय के तौर पर रेखांकित किया है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि वचनबद्ध प्रवाहों और वास्तविक संवितरणों में व्याप्त अंतर के साथ-साथ निधियों के प्रवाह से संबंधित सूचना में पारदर्शिता की कमी के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु लक्षित कार्रवाईयों की प्रक्रिया और कारगरता में भरोसा डगमगा जाने की संभावना है। इस संदर्भ में शीघ्र ही ऐसा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया जो पारदर्शी तरीके से वास्तविक संवितरण सुनिश्चित और दर्ज कर सके।

(ग) जलवायु परिवर्तन का वित्तपोषण जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्र संरचना अभिसमय (यूएनएफसीसी) के तहत चल रही जलवायु वार्ता का प्रमुख मुद्दा है। यूएनएफसीसी के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान ऐसा दायित्व है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए विकसित देशों को अनिवार्यत: निभाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, भारत और अन्य विकासशील देश वार्ता में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विकासशील देशों को वित्तसाधनों की समय पर और पारदर्शितापूर्ण सुपुर्दगी जलवायु परिवर्तन की समस्या के निवारण की कुंजी है। भारत जी 77 के सदस्य देशों और चीन, जो यूएनएफसीसी के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता में विकासशील देशों का समूह है, के साथ मिलकर त्वरित वित्त, दीर्घावधिक वित्त, निधियों के प्रवाह के रिपोर्टिंग तंत्र और कैनकुन निर्णयों के अनुसार स्थापित किए जाने वाले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली विद्युत परियोजनाएं

4987. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोयले की कम मात्रा का उपयोग करने वाली सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विद्युत इकाई उत्पादन लागत क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रौद्योगिकी का छोटी परियोजनाओं में भी उपयोग किए जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां। देश में सुपर क्रिटिकल यूनिटों की बड़ी संख्या निर्माणाधीन हैं।

(ख) 11वीं योजना में सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से लगभग 4000 मे.वा. की क्षमता के जोड़े जाने की संभावना है जिसमें से अब तक लगभग 1980 मेगावाट पहले ही चालू कर दी गई है। 12वीं योजना में, सुपर क्रिटिकल यूनिटों से लगभग 50% से 60% तक कोयला प्रज्जवलित क्षमता की वृद्धि किए जाने की संभावना है।

जहां तक विद्युत के प्रति यूनिट उत्पादन की लागत का संबंध है, विद्युत की लागत कई कारकों यथा उपस्करों की लागत, वित्त लागत, परियोजना कार्यान्वयन अवधि, प्रचालन दक्षता, प्रचालन और अनुरक्षण खर्चे, ईंधन लागत इत्यादि पर निर्भर करता है। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, परम्परागत सब-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी की अपेक्षाकृत अधिक कुशल है और 565/593 डिग्री सेल्सियस के उच्च सुपर क्रिटिकल पैरामीटर जटिल 500 मे.वा. सब-क्रिटिकल यूनिटों की तुलना में ईंधन की खपत में लगभग 5% की बचत हो सकती है। तथापि, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी एक नई प्रौद्योगिकी होने के कारण इसमें प्रारंभिक यूनिटों के लिए अधिक पूंजी लागत शामिल हो सकती है और ईंधन में बचत के द्वारा उच्च पूंजी लागत के एक भाग की प्रतिपूर्ति हो सकती है। इसके अलावा, देश में नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जा रही है जिसमें आगे जाकर पूंजी लागत में कमी की जा सकती है।

(ग) सामान्यतः, परिमाणमूलक कुल किफायतें प्रौद्योगिकी का फर्म प्राप्त करने तथा तेजी से क्षमता अभिवृद्धि करने के लिए बड़े आकार के यूनिटों के लिए वर्तमान में आर्थिक तकनीकी अपनाई जा रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत कंपनियों को धनराशि

4988. श्री ताराचंद भगोराः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कंपनियों हेतु कम दारों पर 500 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के विद्युत उपकरणों का विदेशी वित्तयन विद्युत कंपनियों को किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) आदि जैसे देशी विद्युत उपकरण आपूर्तिकत्ताओं को गंभीर खतरा होने की आशंका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) राज्य/केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत कंपनियों को 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के विद्युत उपकरणों हेतु विदेश से वित्तपोषण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं को मुआवजा

4989. श्री संजय निरूपमः
डॉ. संजय सिंहः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा दिए गए विनिर्णयों वाले कुल मामलों में से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें विद्युत वितरण कंपनियों ने प्रभावित उपभोक्ताओं के मुआवजे का भुगतान कर दिया है;

(ख) उन प्रत्येक मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें मुआवजे का भुगतान किया गया; और

(ग) शेष मामलों में मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए लोकपाल (ओम्बड्समेंन) का प्रावधान किया गया है। सीजीआरएफ एवं लोकपाल राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसीएस) द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वाहन करते हैं

विनियामकों के फोरम के सचिवालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटान करने के लिए देश में विभिन्न सीजीआरएफएस द्वारा भुगतान किए गए मुआवजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या जिसमें वितरण कंपनियों द्वारा मुआवजा का भुगतान किया गया था	मामलों का ब्यौरा/प्रकार जिसमें मुआवजा प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान किया गया	भुगतान की गई मुआवजा की राशि	अब तक के आंकड़े
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली				
	बीआरपीएल	17	मीटर का परीक्षण	2125	
		15	जला हुआ मीटर	7750	
		3	भार में कमी	500	
		9	नए कनेक्शन और अतिरिक्त भार (वैद्युतीकृत)	6250	
		13	नए कनेक्शन और अतिरिक्त भार (अ-वैद्युतीकृत)	7383	
			कुल	24008	28.06.2010
	बीवाईपीएल	2	मीटर का परीक्षण	250	
		15	जला हुआ मीटर	2100	
		16	श्रेणी परिवर्तन	24250	
		1	भार में कमी	300	
		19	नए कनेक्शन	10920	
			कुल	37820	
	एनडीपीएल		एनडीपीएल ने अपनी ओर से उपभोक्ताओं को कोई मुआवजा नहीं दिया है।		

1	2	3	4	5	6
2.	मध्य प्रदेश	4	मीटर का शिकायत	115	25.06.2010
3.	उड़ीसा				
	सेसू	शून्य	लागू नहीं	शून्य	20.06.2010
	नेस्को	शून्य	लागू नहीं	शून्य	
	वेस्को	शून्य	लागू नहीं	शून्य	
	साऊथको	शून्य	लागू नहीं	शून्य	
4.	छत्तीसगढ़				
	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं.लि.	शून्य	कॉलम (3) की सूचना देखते हुए इस कॉलम की सूचना शून्य है।	शून्य	02.07.2010
	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	शून्य		शून्य	
	भिलाई स्टील प्लांट	शून्य	शून्य	शून्य	30.06.2010
5.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	उत्तर प्रदेश				
	एनपीसीएल	शून्य	शून्य	शून्य	30.06.2010
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.	74	वैद्युत दुर्घटना के कारण लागों की मृत्यु	5148000	13.07.2010
		18	वैद्युत दुर्घटना के कारण जानवरों की मृत्यु	90000	
		2	वैद्युत दुर्घटना के कारण हरित नुकसान	148000	
			कुल	5386000	
7.	मेघालय		कोई दावा नहीं		21.06.2010
8.	पंजाब	किसी प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा भुगतान योग्य नहीं हुआ था			22.06.2010
9.	पश्चिम बंगाल				
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	104	प्रभावी सेवा कनेक्शन में देरी	14108653	

1	2	3	4	5	6
		5	मीटर की समस्या	79000	
		1	गलती से कनेक्शन काटना	102500	
		2	प्रभावी सेवा कनेक्शन में देरी	21350	29.06.2010
		1	आपूर्ति बनाए रखने में देरी	4500	
	डीपीएल	शून्य		शून्य	
	डीपीएससी लि.	शून्य		शून्य	
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	तमिलनाडु	2	2009 की याचिका संख्या 19 में दिनांक 13.10.2009 में लोकपाल के आदेश के आधार पर मुआवजा उपभोक्ता की शिकायतों के जवाब में हुई देरी डीएसओपी की विनियम 17 के साथ पठित विनियम 21 (6) के अनुसार उपभोक्ता को भुगतान किया गया।	250	28.06.2010
			2009 की याचिका संख्या 30 में दिनांक 5.11.2009 के लोकपाल के आदेश के आधार पर नए सेवा कनेक्शन लगाने में हुई देरी के लिए उपभोक्ता को मुआवजे का भगतान किया गया	1000	
12.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	22.06.2010
13.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	12.07.2010
14.	कर्नाटक	2		11100	मार्च, 2010
15.	महाराष्ट्र	77		323949	जून, 2010
16.	उत्तराखंड	1023		216856.4	2009
17.	गुजरात	2		8000	2009
18	आंध्र प्रदेश	304		379420	2009

एंडोसल्फान के प्रभाव

4990. श्री वरुण गांधीः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में एंडोसल्फान के जहर के कारण जन्मजात दोषों के साथ जन्में शिशुओं की संख्या के संबंध में सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जन्मजात दोष वाले शिशुओं को जन्म देने से बचने के लिए महिलाओं द्वारा अपना गर्भपात कराने के मामलों से सरकार अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) जन्मजात दोषों को विशेष कारण विज्ञान जिसमें एंडोसल्फान शामिल है, के साथ संबद्ध करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) केरल सरकार ने एंडोसल्फान से पीड़ित लोगों के लिए राहत संबंधी उपायों की शुरुआत की है। ऐसे ही राहत संबंधी उपाय कर्नाटक सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपनाए गए थे जहां एंडोसल्फान का वायवी रूप से छिड़काव किया गया था। देश के शेष भागों में ऐसे समूह/लिंक उपलब्ध नहीं हैं और ऐसे किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

खनिज संसाधनों का समाप्त होना

4991. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बॉक्साईट, लौह-अयस्क, चूने, तांबे, मैंगनीज, तथा अन्य खनिजों की राज्य-वार ऐसी कितनी खाने हैं, जिनमें खनिज भंडार पूर्णतया समाप्त हो चुका है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम रूप से बंद की गई खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम रूप से बंद किए जाने हेतु प्रस्तावित तथा बंद होने की प्रक्रियाधीन खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, तांबा, मैंगनीज एवं अन्य खनिजों की ऐसी खानों की संख्या, जिनमें खनिजों की पूर्ण निकासी हो गई है, का राज्यवार विवरण निम्न हैः-

राज्य का नाम	बॉक्साइट	लौह अयस्क	चूना पत्थर	तांबा	मैंगनीज	अन्य खनिज	कुल
तमिलनाडु	0	0	8	0	0	23	31
झारखंड	2	0	0	0	0	0	2
राजस्थान	0	0	0	0	0	4	4
उड़ीसा	0	0	0	0	0	1	1
गुजरात	0	0	3	0	0	0	3
आंध्र प्रदेश	0	0	5	0	1	11	17
गोवा	0	2	0	0	0	0	2
छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	1
कुल	3	2	16	0	1	39	61

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान अंतिम रूप से बंद किए गए खानों का राज्यवार विवरण निम्न है:-

राज्य का नाम	खानों की संख्या
झारखंड	1
राजस्थान	3
गुजरात	3
मध्य प्रदेश	1
तमिलनाडु	4
कुल	12

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अंतिम रूप से बंद होने वाले प्रस्तावित खानों का विवरण निम्न है:-

अंतिम रूप से बंद होने वाले प्रस्तावित खानों का राज्यवार

विवरण

राज्य का नाम	खानों की बंख्या
1	2
झारखंड	2
केरल	2
महाराष्ट्र	5
गोवा	2
गुजरात	3
तमिलनाडु	7
राजस्थान	8
कर्नाटक	12
ओडिशा	23
हिमाचल प्रदेश	4 (आंशिक सरेंडर)
छत्तीसगढ़	3
मध्य प्रदेश	2
आंध्र प्रदेश	4 (आंशिक सरेंडर)
कुल	77

प्रगामी खान बंदी योजना प्रत्येक खान योजना का अभिन्न भाग है जिसकी भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुपालन के लिए निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

एसएचजी का कार्यकरण

4992. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्व-सेवी समूहों (एसएचजी) के कार्यकरण में सुधार करने और ग्रामीण गरीबों के बेहतर सशक्तिकरण हेतु निधियां प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सहित इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों का पुनर्वास

4993. **श्री अशोक तंवर:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोष बनाने के मामले का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की वजह से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सरकार ने, देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए न तो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय निधि की स्थापना की है और न ही ऐसे राष्ट्रीय निधि के गठन संबंधी मामले का अध्ययन करने के लिए किसी समिति की स्थापना की है।

सरकार ने, अक्तूबर, 2007 में राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी) 2007 अधिसूचित की है। संबंधित राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों/एजेंसियों के द्वारा विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित सहित उन विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन एनआरआरपी अथवा उनकी अपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियों, जिससे बेहतर लाभ होता है के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

4994. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का महिलाओं और बच्चों विरुद्ध अत्याचार निरोधक मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और इस संबंध में नया कड़ा कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा बच्चों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007, 2008, 2009 में देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 185312, 195856 और 203804 मामले दर्ज किए गए, जो अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में भी वृद्धि हो रही थी, जैसा कि दर्ज किए गए मामलों की संख्या से देखा जा सकता है, जिनकी संख्या वर्ष 2007 में 20410, वर्ष 2008 में 22500 और वर्ष 2009 24201 थी।

कानूनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए और उनमें समय-समय पर यथावश्यक संशोधन करने हेतु कानूनों की समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

दिनांक 07.12.2010 को सरकार ने "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010" लोक सभा में प्रस्तुत की। इस विधेयक में सरकारी और निजी संगठित व असंगठित दोनों प्रकार के सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण होगा।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक, 2011 दिनांक 23.03.2011 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक से बच्चों से संबंधित अश्लील साहित्य सहित बच्चों के यौन दुर्व्यवहार और शोषण का समाधन होगा।

इसके अलावा, सरकार ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करना है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का एक मुख्य कार्य बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सहित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकयतों की जांच करना है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को बच्चों के अध्किारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने तथा निम्नलिखित के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने का भी अधिकार प्राप्त है: (1) बच्चों के अधिकारों का वंचन और उल्लंघन (2) बच्चों के संरक्षण और विकास हेतु उपबंध करने वाले कानूनों का क्रियान्वयन न करना और (3) बच्चों की कठिनाइयां कम करने तथा बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना और ऐसे बच्चों को राहत देने के लिए लक्षित नीतिगत निर्णयों, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का पालन न करना।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ितों पर आईसीएमआर अध्ययन

4995. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भोपाल के मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) प्रभावित और अप्रभावित क्षेत्रों में कैंसर के पैटर्न पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या भोपाल के उपरोक्त प्रभावित क्षेत्रों में पुरुषों में कैंसर के मामले तीन गुणा हो गये हैं और महिलाओं में दो गुणा हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों की चिकित्सा देख-भाल और उपचार के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) एक विस्तृत रिपोर्ट "भोपाल में कैंसर : एमआईसी प्रभावित एवं अप्रभावित क्षेत्रों में कैंसर प्रतिरूपों की तुलना (1988-2007)" नवम्बर, 2010 में तैयार की गई थी। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष अग्रलिखित हैं: पुरुषों और महिलाओं दोनों में शरीर में कैंसर के सभी स्थानों के लिए, समग्र आयु समायोजित दर प्रभावित क्षेत्र में उच्चतर थी। पुरुषों में, तम्बाकू के उपयोग से संबद्ध शारीरिक जगहों के कैंसर के होने की दर अप्रभावित क्षेत्र की तुलना में प्रभावित क्षेत्रों में उच्चतर दर्शाई गयी है। अतएव जीभ, मुख, अधोग्रसनी, सेसोफेगस तथा फेफड़ों में एम आई सी अप्रभावित क्षेत्र की तुलना में प्रभावित क्षेत्र में उच्चतर प्रभाव देखा गया। तथापि, जब दो क्षेत्रों के लोगों की तम्बाकू संबंधी आदतों पर गौर किया गया तो एमआईसी प्रभावित क्षेत्र में अनिवार्य रूप से निष्प्रभावित के तौर पर उच्चतर दर देखी गई। महिलाओं में, प्रभावित क्षेत्र में ग्रीवा के कैंसर का उच्चतर प्रभाव देखा गया और अप्रभावित क्षेत्र में वक्षस्थल के कैंसर का उच्चतर प्रभाव देखा गया था।

(ग) से (घ) जी नहीं। वर्ष 2007 में हुई बढ़ोत्तरी 1988 की तुलना में 2.15 (पुरुष) व 2.66 (महिलाएं) गुणा थी।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार सभी गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को पूर्णतया निःशुल्क उपचार मुहैया कराती आ रही है। राज्य सरकार के गैस राहत विभाग के अधीन कार्य करने वाले अस्पतालों के स्तर पर अनंतिम जांच हाने पर, ऐसे मामलों को जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल (राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक निजी अस्पताल) को रैफर किया जाता है। ऐसे रोगियों के उपचार के लिए अपेक्षित व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

होटल प्रबंधन संस्थान

4996. श्रीमती दीपा दासमुंशीः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी परिषद् से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थानों में संविदा आधार पर कार्यरत संकाय की परिश्रामिक की मौजूदा दर क्या है;

(ख) क्या सरकार का मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि की मौजूदा प्रवृत्ति के मद्देनजर संविदा आधार पर कार्यरत संकाय को प्रदान की जा रही पारिश्रमिक की दरों को संशोधित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा होटल प्रबंधन संस्थानों में संविदा आधार पर कार्यरत संकाय की पारिश्रमिक दरों के संशोधन और उसकी आवधिक समीक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी परिषद् (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों में संविदात्मक फेकल्टी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की वर्तमान दर 18,000/- रुपए प्रतिमाह है। यह दर वर्ष 2009 से प्रभावी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ) चूंकि परिश्रमिक को केवल दो वर्ष पहले पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 12,000/- रुपए प्रतिमाह से 18,000/- रुपए प्रतिमाह किया गया था। वर्तमान में इसे और अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खनिज बहुल जनजातीय क्षेत्रों को अतिरिक्त निधियां

4997. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का खनिज बहुल जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। खान मंत्रालय में खनिज सम्पन्न जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि देने के लिए कोई प्रस्ताव अथवा स्कीम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में अंतराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों पर आधारित स्टेक होल्डर हित के मॉडल विकसित करके स्थानिक और मूल आबादी के स्टेक होल्डर अधिकारों के सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। नीति को आधार देने के लिए उपयुक्त कानून सरकार के विचाराधीन है।

खनन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन

4988. **डा. किरोड़ी लाल मीणाः**
श्री यशवंत लागुरीः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री हेमानन्द बिसवालः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आदिवासियों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा कोयला परियोजनाओं सहित खनन हेतु अर्जित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस संविधि के तहत भू-अर्जन किया गया है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में भू-अर्जन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और ग्रामसभा ने सहमति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो स्वीकृति देने वाले उन अधिकारियों/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो बिना समुचित विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किए इस प्रकार भू-अर्जन करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए अथवा किए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) खनन के लिए ली गई भूमि में या तो भूमि के स्वामी और खनिकों के बीच किया गया स्वैच्छिक करारनामा शामिल है या भूमि रखने वाले निकायों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से अर्जित की गई भूमि शामिल है। खान मंत्रालय द्वारा खनन क्रियाकलापों के लिए अर्जित की गई भूमि संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है, चूंकि राज्य सरकार खनिजों की स्वामी होने के कारण खनिज रियायत प्रदान करती है। और यदि खनन उद्देश्य के लिए भूमि अर्जित की जाती तो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा की है जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास के लिए देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग के लिए सुस्थिर ढांचा विकसित करना और साथ-ही-साथ देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित खनन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन में सुधार करना है। नई खनिज नीति में यह भी घोषित किया गया है कि सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस पर आधारित, पणधारी के हित संबंधी विकसित मॉडल के माध्यम से परपोषी और देशज (जनजातीय) आबादी के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य करेगी। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापना नीति के अनुरूप व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेजों के माध्यम से सुरक्षा की जाएगी।

कैंसर केन्द्र और संस्थान

4999. **श्री एस.आर. जेयदुरईः**
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान कैंसर केन्द्रों और संस्थानों में देश में बढ़ते कैंसर के मामलों से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण और दवाइयां उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि उनकी कोई कमी है, तो उसे पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को देश में कैंसर के रोगियों के निदान और उपचार के आधुनिक उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा विद्यमान कैंसर केन्द्रों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की गई प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पूरे देश में कैंसर केन्द्रों और संस्थानों को खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(च) असंचारी रोग केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए अभी तक चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) की संख्या कितनी है तथा इसमें क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) मंत्रालय ने तत्कालीन राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आर.सी.सी.) को मान्यता प्रदान की है। ये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र आधुनिक सुविधाओं से भली-भांति सज्जित हैं तथा ये लागत-प्रभावी तथा विस्तृत कैंसर परिचर्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह हृदयवाहिका (कार्डियोवस्कुलर) रोग तथा आघात की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम" नामक नई योजना आरंभ करने से, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को मान्यता देने की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है। "तृतीयक कैंसर केन्द्र" (टी.सी.सी.) नामक एक नई संकल्पना को नई योजना में समाविष्ट किया गया है।

इस नई योजना के तहत, तत्कालीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों सहित 65 सरकारी मेडिकल कालेजों को कैंसर परिचर्या सुविधाओं के उन्नयन तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6.00 करोड़ रु. (4.80 करोड़ रु. केन्द्रीय सरकार से तथा 1.20 करोड़ रु. राज्य सरकार से) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एन.पी.सी.डी.सी.एस. के तृतीयक कैंसर केन्द्र (टी.सी.सी.) घटक के तहत वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए प्रस्ताव अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। तथापि, प्राप्त हुए अधिकांश प्रस्ताव अपूर्ण थे और संबंधित संस्थानों/अस्पतालों को कमियों में सुधार करने के लिए पहले ही कह दिया गया है।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कैंसर नियंत्रण के लिए बजट-आबंटन (योजनागत) क्रमशः 180.00 करोड़ रु. और 200.00 करोड़ रु. है।

(च) एन.पी.सी.डी.सी.एस. में देश के 700 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) में कार्यक्रम घटकों के क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) पर संभावित रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा-पैकेजों/सुविधाओं में ये शामिल हैं:- परामर्शी-सेवाओं सहित निवारक तथा स्वास्थ्य-संवर्धन; नैदानिक तथा प्रयोगशाला जांचों के माध्यम से प्रारंभिक निदान; आम सी.वी.डी. का प्रबंधन; मधुमेह तथा आघात-मामले (बहिरंग रोगी तथा अंतरंग रोगी); रुग्ण जीर्ण मामलों के लिए गृह आधारित परिचर्या तथा दु:साध्य मामलों को जिला अस्पताल/उच्चतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा के लिए भेजना।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5000. **श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री पूर्णमासी राम:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री अर्जुन राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ग्रामीण बैंकों विशेष रूप से उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर द्वारा हाल ही में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग तथा नाबार्ड द्वारा अधिकारी स्तर पर स्केल-2 में स्केल-1 में लोक पदोन्नति को चयन प्रकिया हेतु बनाए गए नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) स्वतंत्र सांविधिक निकाय हैं, जिनका स्वयं का निदेशक मंडल है और उनसे यह अपेक्षित है कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियमावली (अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति और प्रोन्नति) का अनुपालन करें। आरआरबी निदेशक मंडल से यह भी अपेक्षित है कि वे आरआरबी नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली के उल्लंघन संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करें।

सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान

5001. **श्री अर्जुन राय:**
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अकेला सबसे बड़ा योगदान करने वाला सेवा क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, उद्योग और सेवाओं का हिस्सा बढ़ता जाता है और अंततः सेवा क्षेत्र उपादान लागत तथा स्थिर (2004-05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे बड़ा योगदान करने वाला क्षेत्र बन जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) हाल के वर्षों में उपादान लागत और स्थिर (2004-05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद सेवा में क्षेत्र के हिस्से से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2008-09	2009-10	2010-11 (सं.अ.)
स.घ.न. में सेवाओं का हिस्सा (प्रतिशत)	56.2	57.3	57.7

सं.अ. संशोधित अनुमान।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की कमी

5002. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का खनन क्षेत्र में योगदान कितना है;

(घ) क्या दक्ष पेशेवरों की कमी ने खनन क्षेत्र के जीडीपी को प्रभावित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खनन क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) "भारत में खनन उद्योग के लिए मानव संसाधन एवं कौशल का मानचित्रण" से संबंधित भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि खनन एवं गवेषण क्षेत्र में 2009-2017 की अवधि में निम्नलिखित दक्ष पेशेवर की आवश्यकता होगी:-

शैक्षणिक योगयता	खनन में दक्षता की आवश्यकता
भूविज्ञान	436
अभियांत्रिक	21,510
बीएससी/बीकॉम/स्नातक	14,011
आईटीआई प्रशिक्षित/12वीं स्तर/10वीं स्तर तक शिक्षित	130,891

भारतीय उद्योग संघ अध्ययन के अनुसार उल्लिखित अवधि में भूविज्ञान शाखा में 1600 पेशेवरों एवं अभियांत्रिक (खनन) शाखा में 3000 कार्मिकों की कमी की संभावना है।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खनन क्षेत्र का योगदान निम्न है:-

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
जीडीपी में भारतीय खान क्षेत्र का योगदान	2.62%	2.52%	2.62%

(घ) खनन क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2010-11 के सूचकांक में 7.43% वृद्धि दर्शाई गई है और इसके अनुसार यह स्पष्टत: स्थापित नहीं किया जा सकता है कि खनन क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की कमी का जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

(च) खनन एवं गवेषण क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित वार्षिक भूवैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से पिछले दो वर्षों में भूवैज्ञानिकों की भर्ती में वृद्धि की है।

क्षय रोग से निपटने के लिए दवाइयां

5003. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र (टीआरसी) ने एक रासायनिक घटक का पता लगाया है जिसे क्षय रोग से लड़ने के लिए दवा के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टीआरसी ने उक्त संभावना को फलीभूत करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से पशुओं और मानव पर परीक्षण के लिए निधि देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है तथा इस पर आईसीएमआर की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्षय रोग से ग्रस्त मरीजों को कब तक दवा के उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। मोलिक्यूल टर्नासिटमाइसिन को रामेश्वरम के तट की प्रवाल निक्षेप के नवीन समुद्री स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पे. से वियोजित और अभिलक्षित किया गया है। इसमें औषध सुग्राहिता, एम डी आर और एक्स डी आर स्ट्रेंस के प्रति तथा निष्क्रिय टी बी बैसिली के प्रति क्षय रोग रोधी एक्टिविटी की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, यह एच आई वी के औषध प्रतिरोध रूपों सहित सभी के प्रति एच आई वी रोधी एक्टिविटी के गुण दर्शाए है। एह कैंसर रोधी एक्टिविटी भी दर्शाता है।

(ग) राष्ट्रीय क्षयरोग अनुसंधान संस्थान (एन आई आर टी), चेन्नई (पहले इसका नाम टी आर सी था) ने इस पहलू पर अनुसंधान करने के लिए आई सी एम आर मुख्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) इस प्रस्ताव की जांच ट्रांसलेशनल अनुसंधान के एक भाग के रूप में की जाएगी।

(ङ) यदि परंपरागत पद्धतियों का अनुसरण किया जाए तो मानव प्रयोग हेतु औषध उपलब्ध होने के लिए औषध अणु पर अनुसंधान में सामान्यतया 8 से 10 वर्ष लगते है।

औषधीय पौध संबंधी राष्ट्रीय मिशन

5004. **श्री नारायण सिंह अमलाबे:**
श्री वरुण गांधी:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधीय और सुगंधित पौधों की देश में अनुमानित संख्या कितनी है तथा विश्व जड़ी-बूटी व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार पूरे देश में औषधीय पौध संबंधी राष्ट्रीय मिशन का क्रियान्वयन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मध्य प्रदेश में रायगढ़ सहित इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हुई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से आयुर्वेद और जड़ी-बूटी उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ङ) क्या सरकार का पूरे देश में जड़ी-बूटी औषधि प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा पुनरुत्थान

प्रतिष्ठान (एफआरएलएचटी), बैंगलोर द्वारा विकसित और अनुरक्षित भारतीय औषधीय पादपों पर डाटाबेस के अनुसार लोक चिकित्सा सहित विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में 7267 वानस्पतिक नाम अभिलेखित हैं। पर्यायवाची नामों के वर्गीकरण के पश्चात यह अनुमान है कि देश में औषधीय रूप से महत्वपूर्ण 6198 पादप प्रजातियां हैं, जिसमें सुगंधित पादप भी शामिल हैं। फॉर्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल (फार्मेक्ससिल) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009 के लिए वैश्विक जड़ी-बूटीय निर्यात में भारत की भागीदारी 5.22% है। स्रोत-यूएन कॉमट्रेड (6 अंक स्तर में यथा उपलब्ध)

(ख) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) वर्ष 2008-09 से "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चला रहा है। स्कीम का उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की विपणन संचालित कृषि को सहायता देना है और इसे पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संबंधों के साथ काश्तकारों, किसानों, कृषकों, उत्पादन संघों, परिसंघों, स्वयं-सहायता समूहों, कॉरपोरेटों और काश्तकार सहकारिताओं के माध्यम से समूहों में चिन्हित औषधीय पादपों की कृषि हेतु एक मिशन के तौर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 26 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता दी गई है।, ताकि स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं, मुख्यतः सहायक क्रियाकलापों जैसे पौधशालाओं की स्थापना, औषधीय पादपों की कृषि हेतु आर्थिक सहायता, पश्चात फसल कटाई प्रबंधन आदि का कार्यान्वयन किया जा सके। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को संस्वीकृत क्रियाकलापों सहित प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में 52,367.55 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि हेतु सहायता दी गई है, ताकि आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषध उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने इन क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 19 राज्यों की कार्य योजनाएं भी अनुमोदित की हैं। अभी तक मध्य प्रदेश मिशन द्वारा राजगढ़ क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) आयुष समूह विकास स्कीम को समूह-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति पर आयुष उद्योग समूहों के विकास के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। आयुष क्षेत्र के उद्यमियों के समूह द्वारा गठित विशेष प्रयोजन इकाइयों (एसपीवी) को अनुदान के रूप में आयुष विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार आठ (8) राज्यों में अभी तक कुल नौ (9) समूह अनुमोदित किए गए है। इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत चिन्हित समूहों/क्षेत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय पादपों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन तथा फसल कटाई पश्चात प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

विवरण-I

"राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों और संस्वीकृत क्रियाकलापों का राज्य-वार ब्यौरा (2008-09 से 2010-11 के दौरान)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधि (रुपये लाखों में)	संस्वीकृत क्रियाकलाप
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1600.00	पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण
2.	अरुणाचल प्रदेश	340.41	पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन
3.	असम	449.79	पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण इकाई
4.	बिहार	258.94	पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन, बीमा
5.	छत्तीसगढ़	350.00	पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन

1	2	3	4
6.	गुजरात	161.35	पौधशालाएं, कृषि,
7.	हरियाणा	175.70	पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण
8.	हिमाचल प्रदेश	106.11	पौधशालाएं, कृषि,
9.	जम्मू व कश्मीर	294.40	पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण
10.	झारखंड	728.51	पौधशालाएं, कृषि,
11.	कर्नाटक	853.47	पौधशालाएं, कृषि, प्रसंस्करण, प्रमाणन
12.	केरल	466.06	पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन
13.	मध्य प्रदेश	1280.96	पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन
14.	महाराष्ट्र	482.53	पौधशालाएं, कृषि,
15.	मणिपुर	494.24	पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन, परीक्षण
16.	मेघालय	375.10	पौधशालाएं, कृषि,
17.	मिजोरम	439.65	पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन
18.	नागालैंड	575.90	पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन विपणन संवर्धन
19.	ओडिशा	402.79	पौधशालाएं, कृषि,
20.	पंजाब	96.00	पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात परीक्षण
21.	राजस्थान	269.80	पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन
22.	सिक्किम	370.27	पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण प्रमाणन
23.	तमिलनाडु	1817.58	पौधशालाएं, कृषि,
24.	उत्तर प्रदेश	760.00	पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण
25.	उत्तराखंड	695.09	पौधशालाएं, कृषि,
26.	पश्चिम बंगाल	792.14	पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण प्रमाणन

विवरण-II

आयुष उद्योग समूहों के लिए साझा सुविधाओं का विकास केन्द्र क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत स्थापित विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) के ब्यौरे (2008-09 से 31 जुलाई, 2011 तक) (रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसपीवी का नाम	एसपीवी की कुल लागत	संस्वीकृत सहायतानुदान की कुल राशि	किस्त की संस्वीकृत राशि	निर्मुक्त सहायतानुदान की राशि
1.	केरल	कन्फेडरेशन फॉर आयुर्वेदिक रिनेसां-केरलम, त्रिशूर (सीएल-1)	1677.00	1000.00	900.00	900.00
2.	पंजाब	हर्बल हेल्थ रिसर्च कन्सोर्टियम (प्रा.) लि. अमृतसर (सीएल-2)	1679.00	1000.00	750.00	750.00
3.	महाराष्ट्र	कोंकण अयूर फार्मा (प्रा.) लि., संगेश्वर, रत्नागिरि (सीएल-3)	1582.00	949.00	600.00	600.00
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र आयुवर्द सेंटर (प्रा.) लि. पुणे (सीएल-4)	1247.00	748.00	450.00	450.00
5.	कर्नाटक	अयूरपार्क हेल्थकेयर लि. बैंगलोर (सीएल-5)	1736.00	1000.00	600.00	600.00
6.	तमिलनाडु	ट्रेडिशनल आयुष क्लस्टर ऑफ तमिलनाडु प्रा. लि., चेन्नई तमिलनाडु (सीएल-6)	1659.00	965.00	200.00	200.00
7.	आंध्र प्रदेश	लिपाक्षी अयूरपार्क हेल्थकेयर लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (सीएल-8)	1801.00	1000.00	200.00	200.00
8.	ओडिशा	ऋषिकुल आयुर्वेदिक क्लस्टर प्रा. लि., गंजम, ओडिशा (सीएल-10)	999.00	599.40	120.00	120.00
9.	राजस्थान	आयुषराज एंटरप्राइजेज प्रा. लि., राजस्थान (सीएल-11)	1620.00	970.00	194.00	194.00

खनन के लाभ में स्थानीय लागों की हिस्सेदारी

5005. चौधरी लाल सिंहः
श्री एम.के. राघवनः
श्रीमती डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री बिभू प्रसाद तराईः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खनन क्षेत्र में खनन कंपनियों द्वारा खनन से अर्जित लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा लागों विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित जनजातीय लोगों को देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो खनन कंपनियों द्वारा अर्जित ऐसे लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विस्थापित लोगों के पुनर्वास और खनन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य-वार कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या कुछ खनन कंपनियों ने अपने लाभ को स्थानीय लोगों के साथ बांटने में आपत्तियां दर्ज की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) खनन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ को स्थानीय लोगों के साथ बांटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारी उपाय किए गए/किया जाना है;

(च) क्या सरकार खनिकों के लाभ को स्थानीय लोगों के साथ बांटने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में यह प्रावधान है कि श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों पर आधारित स्टेकहोल्डरों हित के मॉडल विकसित करके

स्थानिक और मूल आबादी के हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नीति के निबंधनों के अनुसार सरकार ने उद्योग सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप विधान तैयार किया है और यह विचाराधीन है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोने की कीमत

5006. श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:
श्री विट्ठल भाई हंसराज भाई रादड़िया:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री डी. वेणुगोपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोने के निर्यात पर कोई शुल्क लगता है;

(ख) यदि हां, तो ग्रेडवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या असामान्य रूप से बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी हां।

(ख) ग्रेड क्रम में सोने पर आयात शुल्क निम्न प्रकार है:

* सोने का अयस्क, सान्द्र और सोने का डोर-140 रु. प्रति 10 ग्राम सोने की मात्रा (सीवीडी)
* तोला छड़ों को छोड़कर सोने की छड़ें जिन उत्पादक अथवा रिफाईनर की क्रम संख्या उत्कीर्ण हो और मिट्रिक यूनिटों में वजन उल्लिखित हो तथा सोने की गिन्नियां-300 रु. प्रति 10 ग्राम (बीसीडी)
* तरल सोना और तोला बार सहित किसी भी रूप में सोना (ऊपर विनिर्दिष्ट सोने को छोड़कर)-750 रु. प्रति 10 ग्राम (बीसीडी)
* इसके अलावा 2% शिक्षा उपकर तथा 1% माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर भी उद्ग्राह्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सोने के मूल्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

	सोने का मूल्य (प्रति 10 ग्राम)	सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (प्रति ट्राय आउंस अमरीकी डॉलर)
2008-09	12,905	867.2
2009-10	15,755	1023.0
2010-11	19,238	1293.5
2010-11 (अगस्त तक)	27230	1792.9

सोने के मूल्य में तीव्र वृद्धि बाजार की मांग और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उछाल के कारण है।

(ङ) जी, नहीं। चूंकि सोने का मूल्य बाजार द्वारा तय होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत में उछाल पर भी निर्भर करता है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

5007. श्री संजय धोत्रे:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि ऋण या राजसहायता के रूप में आवंटित/जारी की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने उन्हें दी गई राशि क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त कुछ प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक लंबित मामलों को मंजूरी मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरक्षण शामिल हैं, को ग्रामीण जनसंख्या विशेषतौर पर जनसंख्या के संवेदनशील वर्गो को सुगम, वहनीय एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान वर्ष तथा विगत तीन वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश, सहित राज्यवार आबंटित, निर्मुक्त एवं व्ययित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। राज्य इस अवधि के दौरान अधिकांश निधियों का उपयोग करने में समर्थ रहे हैं। एन आरएच एम के कार्यान्वयन के आरंभिक वर्षो के दौरान उपयोग की गति धीमी थी किन्तु बाद में इसमें सुधार हुआ। निधियों के अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया जाता है तथा अनुमोदित कार्यकलापों को कर्ज़ार्यान्वित वरने के लिए इन्हें उपयोग में लाया जाता है। चूंकि राज्यों में अवशेषी क्षमताओं में सुधार हुआ है, इसलिए निधियों के उपयोग में भी आनुपातिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(घ) और (ङ) राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी आई पी) में राज्यों द्वारा प्रक्षिप्त आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं जिन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कार्यकलाप किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को उनके साथ परामर्श करके शीघ्रतापूर्वक प्रोसेस किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2011-12 (30-6-2011) तक एन आर एच एम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12	
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10.71	12.56	12.76	16.82	8.23	20.11	20.28	15.84	18.65	22.64	3.09
2.	आन्ध्र प्रदेश	663.37	638.73	700.13	717.30	708.32	774.92	816.11	810.23	673.31	931.81	242.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	36.51	57.69	51.14	57.32	66.16	66.67	73.76	80.79	56.02	20.78
4.	असम	638.94	606.89	698.32	906.72	813.93	763.71	894.01	736.45	945.55	851.35	304.63
5.	बिहार	777.70	821.18	783.19	860.29	649.71	826.20	977.40	1035.18	1434.84	1122.10	226.67
6.	चंडीगढ़	8.04	5.31	6.47	9.86	7.59	8.25	11.20	6.91	9.81	11.72	0.61
7.	छत्तीसगढ़	259.35	249.72	162.12	292.01	261.65	240.41	345.76	327.24	306.89	392.54	111.17
8.	दादरा एवं नगर हवेली	3.45	3.28	3.86	4.27	3.27	4.62	4.77	6.30	5.77	5.92	0.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	दमन व दीव	3.07	2.60	2.41	3.51	2.33	3.46	3.92	3.06	3.97	4.98	0.50
10.	दिल्ली	100.37	99.62	55.68	121.25	83.03	75.82	136.74	108.48	89.77	145.27	8.10
11.	गोवा	13.52	14.09	8.89	12.90	12.43	18.59	16.68	17.21	19.07	20.47	5.84
12.	गुजरात	414.07	342.81	495.43	464.90	500.55	634.27	528.69	556.79	757.88	600.61	164.86
13.	हरियाणा	166.20	165.02	187.73	179.72	206.17	336.78	203.94	219.69	263.82	233.52	62.27
14.	हिमाचल प्रदेश	77.74	64.21	94.84	97.07	115.41	167.81	110.68	113.22	164.79	123.89	31.21
15.	जम्मू व कश्मीर	102.24	76.48	111.94	134.94	130.34	155.59	153.87	173.80	209.97	175.54	47.69
16.	झारखंड	294.00	247.27	299.30	349.39	179.34	195.45	398.78	356.90	348.50	458.88	106.56
17.	कर्नाटक	461.83	437.84	428.94	505.17	436.86	680.64	551.80	586.38	752.43	612.69	246.31
18.	केरल	253.61	222.88	331.20	284.34	237.62	385.19	308.59	253.41	420.48	345.37	160.90
19.	लक्षदीप	2.13	1.22	2.18	2.09	1.09	2.86	2.28	2.54	2.57	3.99	0.39
20.	मध्य प्रदेश	609.02	707.88	686.97	705.88	604.79	741.28	766.66	784.40	956.56	870.83	203.00
21.	महाराष्ट्र	779.15	587.43	873.15	860.39	959.72	1044.71	981.29	903.36	1229.62	1078.51	289.28
22.	मणिपुर	66.34	56.58	62.06	90.09	81.45	64.11	98.67	67.98	73.76	88.49	6.94
23.	मेघालय	65.48	44.76	51.27	85.75	79.78	75.13	88.95	52.50	86.35	94.25	3.59
24.	मिजोरम	40.24	37.44	54.26	50.72	49.87	58.66	62.15	70.49	54.04	63.46	18.79
25.	नागालैंड	57.96	56.23	57.65	78.30	73.87	64.26	82.47	66.40	81.84	83.31	46.86
26.	ओडिशा	392.88	388.05	334.05	457.57	470.18	646.74	494.09	549.44	661.58	568.53	210.09
27.	पुदुचेरी	11.31	5.12	7.29	11.32	12.04	13.34	13.94	16.32	17.36	15.17	4.68
28.	पंजाब	185.89	183.03	190.08	209.58	359.53	241.41	246.77	252.81	335.95	276.56	69.52
29.	राजस्थान	596.53	798.15	909.16	633.19	748.96	1001.74	743.41	863.97	1164.51	824.17	327.34
30.	सिक्किम	21.44	19.88	50.62	26.73	25.80	35.73	35.54	32.94	33.37	34.01	4.25
31.	तमिलनाडु	515.70	501.60	534.42	568.68	639.10	691.93	659.92	702.09	931.11	765.42	286.62
32.	त्रिपुरा	88.32	77.58	68.73	125.20	111.98	81.10	116.91	85.47	106.12	117.46	66.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	उत्तर प्रदेश	1727.59	1474.91	1546.06	1867.65	1965.82	2230.74	2079.73	2191.36	2677.69	2224.00	554.39
34.	उत्तराखंड	100.16	98.44	132.48	117.75	130.85	144.00	129.18	147.39	203.21	169.95	62.98
35.	पश्चिम बंगाल	639.93	539.79	563.75	678.81	741.25	730.24	771.41	680.79	922.54	870.31	254.97
	महायोग	10192.23	9625.09	10565.10	11581.30	11470.18	13225.99	12923.25	12871.11	16044.48	14263.72	4094.13

1. 2009-10 एवं 2010-11 के लिए व्यय संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं
2. निर्मुक्ति के आंकड़ों में "अन्य" अर्थात "मुख्यालय व्यय" शामिल नहीं है।
3. विवरण के आंकड़ों में वस्तुओं, आईईसी, आरसीएच औषधों एवं उपस्करों इत्यादि की आपूर्ति शामिल नहीं है।
4. निमुक्ति के आंकड़ों में राज्यों वा 15% अंशदन शामिल है।

5008. **श्रीमती मीना सिंह:**
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन अभियान में प्राप्त सफलता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों में पोलियो के मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किस हद तक गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया पोलियो उन्मूलन अभियान अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उन्मूलन के लिए अपनाई गई/प्रस्तावित रणनीतियां क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पोलियो और मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(च) देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति का नियमित रूप से अनुवीक्षण करने तथा अगली कार्रवाई का सुझाव देने के लिए पोलियो उन्मूलन के लिए भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह (आई ई ए जी) का गठन किया है। आई ई ए जी की पिछली बैठक में पोलियो उन्मूलन की 13-14 जुलाई, 2011 की स्थिति की समीक्षा की गई। वर्ष 2009, 2010, तथा 2011 में पोलियो के क्रमश: 741,42 तथा 1 (26 अगस्त, 2011 की स्थिति के अनुसार) मामले की सूचना प्राप्त हुई । पोलियो मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I पर दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार अभियान में पोलियो उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास में सफलता के संकेत मिले हैं। पल्स पोलियो चरणों की कवरेज में खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जहां पोलियो मामलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, में तीव्र वृद्धि हुई है। बिहार में अक्तूबर, 2010 से किसी पोलियो मामले की सूचना नहीं मिली है और उत्तर प्रदेश में मई, 2010 से किसी पोलियो मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) पोलियो और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें मलेरिया शामिल है, के लिए आबंटित निर्मुक्त एवं प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमश: विवरण-II तथा विवरण-III पर दर्शाया गया है।

(च) देश से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वर्ष 2010 में द्विसंयोजी पोलियो वैक्सीन की शुरुआत।

(2) उत्तर प्रदेश और बिहार के 107 उच्च जोखिम वाले खंडों में स्वच्छता, स्वास्थ्य में सुधार लाने, पेयजल की उपलब्धता और अतिसार के नियंत्रण के लिए बहुआयामी कार्यनीति।

(3) मोबाइल (जंगम) एवं प्रवासी जनसंख्याओं को शामिल करने के लिए विशेष सूक्ष्म योजनायें तथा नेमी प्रतिरक्षण का तीव्रीकरण।

(4) आपातकालीन तत्परता एवं वाइल्ड पोलियो वायरस का पता लगाने की स्थिति में अनुक्रिया योजना।

विवरण- I

2008 से 2011 तक राज्यवार पोलियो मामले (26 अगस्त, 2011 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009		2010		2011*	
	मामले	मामले	%परिवर्तन	मामले	% परिवर्तन	मामले	% परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश		0		0	-	0	-
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0		0	-	0	-
चंडीगढ़		0		0	-	0	-
छत्तीसगढ़		0		0	-	0	-
दादरा और नगर हवेली		0		0	-	0	-
दमन और दीव		0		0	-	0	-
गोवा		0		0	-	0	-
गुजरात		0		0	-	0	-
कर्नाटक		0		0	-	0	-
केरल		0		0	-	0	-
लक्षद्वीप		0		0	-	0	-
मणिपुर		0		0	-	0	-
मेघालय		0		0	-	0	-
मिजोरम		0		0	-	0	-
नागालैंड		0		0	-	0	-
पुदुचेरी		0		0	-	0	-
सिक्किम		0		0	-	0	-
तमिलनाडु		0		0	-	0	-
आंध्र प्रदेश	1	0	(-) 100	0	-	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	1	0	(-) 100	0	-	0	-
मध्य प्रदेश	1	0	(-) 100	0	-	0	-
ओडिशा	2	0	(-) 100	0	-	0	-
उत्तराखंड	1	4	(+) 300	0	(-) 100	0	-
राजस्थान	2	3	(+) 50	0	(-) 100	0	-
पंजाब	2	4	(+) 100	0	(-) 100	0	-
दिल्ली	5	4	(-) 20	0	(-) 100	0	-
हिमाचल प्रदेश	0	1	(+) 100	0	(-) 100	0	
जम्मू और कश्मीर	0	0	(-)	1	(+) 100	0	(-)100
झारखंड	0	2	(+) 100	8	(+)300	0	(-)100
महाराष्ट्र	2	0	(-) 100	5	(-)5100	0	(-) 100
पश्चिम बंगाल	2	0	(-) 100	8	(+) 800	1	(-)87.5
हरियाणा	2	4	(+)100	1	(-)75	0	(-)100
बिहार	233	117	(-)50	9	(-)92.3	0	(-)100
उत्तर प्रदेश	305	602	(+)100	10	(-)98.3	0	(-)100
योग	559	741	(+)32.56	42	(-)94.3	1	(-)97.60

(+)' % पिछले वर्ष से की गई तुलना के अनुसार पोलियो के मामलों में वृद्धि का प्रतिशत

(-)' % पिछले वर्ष से की गई तुलना के अनुसार पोलियो के मामलों में कमी का प्रतिशत

विवरण- II

पोलियो के उन्मूलन के लिए आबंटित, निर्मुक्त एवं प्रयुक्त निधियों का प्रत्येक राज्य वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

		2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.00	27.15	33.18	27.16	71.68	33.18	33.18	73.70	148.00	73.70	0	
2.	आंध्र प्रदेश	2050.00	2996.13	2169.26	2069.70	1897.78	2169.26	1825.68	1917.01	1930.00	1917.01	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	82.00	87.50	77.54	87.50	80.95	77.54	80.95	84.10	78.00	84.10	0	
4.	असम	750.00	1928.71	1575.48	2621.42	1066.99	1575.48	1066.95	893.23	893.00	893.23	0	
5.	बिहार	7136.00	7560.68	3771.37	7697.74	9667.84	3771.37	7087.06	8027.26	6595.00	6087.06	0	
6.	चंडीगढ़	16.00	34.92	41.87	17.36	60.01	41.87	43.92	37.41	36.00	17.55	0	
7.	छत्तीसगढ़	438.00	671.79	630.71	671.80	458.71	630.71	458.71	558.89	483.00	463.88	0	
8.	दादरा और नगर हवेली	6.00	5.31	5.23	5.31	5.51	5.23	5.51	5.51	5.00	5.51	0	
9.	दमन और दीव	4.00	3.57	3.07	3.57	3.89	3.07	3.89	3.89	3.00	3.89	0	
10.	दिल्ली	1360.00	2151.06	1175.15	1491.70	2152.21	1175.15	1860.70	1835.37	1141.00	1496.06	0	
11.	गोवा	17.00	17.98	15.70	17.98	18.00	15.70	18.00	18.05	17.00	18.05	0	
12.	गुजरात	1032.00	1127.01	838.93	1218.91	1277.84	838.93	1250.00	1299.29	856.00	1102.64	0	
13.	हरियाणा	1499.00	1802.12	1804.51	1333.54	1407.22	1804.51	1086.54	1438.85	927.00	1086.54	0	
14.	हिमाचल प्रदेश	192.00	192.51	140.28	328.94	233.97	140.28	219.19	188.72	194.00	188.72	0	
15.	जम्मू और कश्मीर	338.00	338.03	286.26	500.10	409.30	286.26	360.42	523.81	440.00	360.42	0	
16.	झारखंड	1847.00	676.87	840.10	676.87	919.20	840.10	753.57	1356.55	313.00	753.57	0	
17.	कर्नाटक	999.00	999.13	1014.05	1478.04	991.01	1014.05	991.01	991.01	970.00	991.01	0	
18.	केरल	383.00	383.46	383.46	383.46	372.42	383.46	372.42	372.82	131.00	372.82	0	
19.	लक्षद्वीप	5.00	5.04	4.53	5.04	4.28	4.53	4.28	4.28	2.00	4.28	0	
20.	मध्य प्रदेश	4280.00	1957.32	1878.41	5519.75	1471.73	1878.41	1471.73	1500.08	494.00	1499.68	0	
21.	महाराष्ट्र	3576.00	4233.23	3130.99	3673.96	4238.36	3130.99	3798.01	6415.10	3981.00	2798.01	0	
22.	मणिपुर	117.00	117.73	120.71	117.73	117.81	120.71	117.85	120.37	107.00	120.37	0	
23.	मेघालय	109.00	282.71	136.62	144.53	147.55	136.62	147.55	155.78	102.00	155.78	0	
24.	मिजोरम	40.00	43.21	43.21	43.21	44.84	43.21	44.84	45.52	23.00	45.52	0	
25.	नागालैंड	92.00	141.61	141.61	96.58	87.81	141.61	87.81	90.61	94.00	90.61	0	
26.	ओडिशा	611.00	1190.93	1083.25	1545.53	602.54	1083.25	628.54	607.99	625.00	607.99	0	
27.	पुदुचेरी	15.00	16.48	14.77	14.94	14.31	14.77	14.31	14.42	13.00	14.42	0	
28.	पंजाब	1008.00	724.39	746.75	726.30	1184.05	746.75	1016.58	759.68	464.00	750.17	0	
29.	राजस्थान	1806.00	2596.48	1676.64	1904.70	2118.86	1676.64	1963.12	1678.35	1179.00	1458.46	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	सिक्किम	25.00	24.88	33.59	24.88	23.13	33.59	23.13	23.13	10.00	23.13	0	
31.	तमिलनाडु	960.00	969.70	331.09	969.70	936.19	331.09	936.19	936.99	936.00	936.19	0	
32.	त्रिपुरा	125.00	139.96	148.36	139.97	140.13	148.36	140.13	140.13	128.00	140.13	0	
33.	उत्तर प्रदेश	19301.00	24927.62	18907.52	21922.30	23420.48	18907.52	17858.38	0.00	12866.00	3028.52	0	
34.	उत्तराखंड	1215.00	1188.55	897.69	1068.86	1501.33	897.69	844.52	965.39	639.00	844.52	0	
35.	पश्चिम बंगाल	5020.00	2239.45	3012.93	1541.92	2197.58	3012.93	1904.83	3899.09	2821.00	1500.46	0	
	अन्य	0.00	487.91	487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	516.53	0.00	0.00	0.87	
	योग	56481.00	62291.13	47602.73	60094.00	59345.51	47114.82	48557.00	37498.91	39544.00	29,934.00	0.87	

नोटः- (1) वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं।

(2) शून्य व्यय दर्शाता है कि राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों ने उपयोग प्रमाण-पत्र/एस ओ ई प्रस्तुत नहीं किए हैं।

विवरण III

एन वी बी डी सी पी के 2008-09 से किए गए आबंटन, निर्मुक्तियां एवं उपयोग (नकद+वस्तुगत)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आबंटन	निर्मुक्ति	प्रयुक्त	आबंटन	निर्मुक्ति	प्रयुक्त	आबंटन	निर्मुक्ति	प्रयुक्त	आबंटन	निर्मुक्ति	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2277.79	1172.30	693.28	1416.19	1048.06	1694.79	1302.61	1159.24	791.16	3189.96	532.35	0.00
2.	अरुणालच प्रदेश	1284.60	884.57	971.66	858.93	963.24	837.43	758.92	880.69	822.22	1101.85	264.55	0.00
3.	असम	3755.69	3635.08	4074.19	6616.03	3206.06	3389.40	4394.61	4910.03	4666.02	3883.71		622.27
4.	बिहार	3447.91	2681.21	2507.81	3307.70	2231.78	2484.30	3436.05	4213.38	4481.77	4637.38		0.00
5.	छत्तीसगढ़	2405.16	2054.90	2070.58	1956.33	1922.97	1929.25	3099.98	2117.94	1847.34	4094.31	756.38	0.00
6.	गोवा	107.81	16.91	45.97	57.57	35.81	80.19	63.21	61.08	28.03	78.00	3.46	0.00
7.	गुजरात	1324.39	483.29	854.50	698.46	1116.15	380.93	530.85	267.00	319.93	683.44		15.62
8.	हरियाणा	221.58	47.93	50.16	146.44	260.46	124.34	173.88	0.00	0.00	202.82		0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	14.80	11.13	11.13	26.10	9.55	4.43	27.30	7.74	0.00	36.00		0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	34.78	17.97	10.59	21.21	27.42	6.76	25.82	15.54	0.37	42.00		0.00
11.	झारखंड	3448.43	3438.25	2878.76	3433.18	1906.27	2434.09	3579.74	3586.13	2593.96	5069.40	1359.40	0.00
12.	कर्नाटक	841.34	681.46	573.65	470.22	403.41	380.86	469.66	443.88	222.08	823.92		0.00
13.	केरल	520.82	307.59	345.56	329.79	439.15	443.19	354.44	305.75	358.60	503.38	196.18	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	2011.79	739.83	933.06	1444.44	1813.99	1346.22	2331.14	1824.64	1564.31	3428.98		176.77
15.	महाराष्ट्र	1680.83	1084.11	1033.88	978.41	706.37	711.25	1112.39	487.54	197.47	846.50		4.11
16.	मणिपुर	595.05	323.85	207.71	783.66	239.75	308.22	507.78	602.04	417.52	496.32	96.34	0.00
17.	मेघालय	960.01	497.63	577.28	1102.16	611.29	698.96	859.96	1089.04	972.39	901.96	103.84	0.00
18.	मिजोरम	739.63	418.78	424.57	664.19	627.12	583.04	676.63	774.11	673.38	801.72	138.64	0.00
19.	नागालैंड	838.17	610.04	605.40	913.10	975.57	662.89	794.16	1287.91	999.96	915.47	416.50	0.00
20.	ओडिशा	3863.83	2153.06	2437.52	5672.29	5360.88	8350.81	5143.79	4324.05	4756.34	6818.41	396.40	0.00
21.	पंजाब	212.39	92.71	87.16	143.40	254.69	35.99	120.36	98.07	263.80	184.89		0.00
22.	राजस्थान	1985.50	1033.16	1067.71	674.32	1262.96	1111.39	960.13	1310.26	1284.63	1239.14		0.00
23.	सिक्किम	20.01	10.77	10.90	28.68	11.83	10.61	21.35	137.71	127.56	18.26		0.00
24.	तमिलनाडु	923.94	289.55	530.02	627.11	681.58	506.63	450.49	372.50	42.88	764.95		0.00
25.	त्रिपुरा	1094.07	627.31	524.81	1358.22	765.15	820.39	1331.17	1430.54	1310.58	993.21	151.73	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3183.08	2007.84	1929.83	2742.96	1999.87	1510.07	2455.59	2730.95	2065.41	3341.09		0.00
27.	उत्तराखंड	57.47	40.93	40.93	39.28	56.98	60.93	71.92	77.53	61.90	102.39		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	5373.06	1439.47	1195.82	3176.03	1794.54	1572.03	2697.03	2964.01	2497.52	2326.29	1005.16	0.00
29.	दिल्ली	141.96	57.31	0.00	73.67	61.10	18.38	35.37	40.88	92.63	43.76		0.00
30.	पुदुचेरी	71.49	3.19	40.37	43.23	24.29	76.57	36.05	36.83	14.67	45.24		0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	315.78		287.47	232.70	434.29	464.05	339.22	349.58	271.64	428.50	204.87	0.00
32.	चंडीगढ़	94.16	57.86	53.29	55.66	60.02	30.82	24.51	23.13	31.09	33.25	15.46	0.00
33.	दादरा एवं नगर हवेली	69.16	45.55	27.38	64.52	43.77	46.25	46.48	69.60	29.75	56.50	27.14	0.00
34.	दमन एवं दीव	27.54	22.15	17.21	19.90	27.91	29.06	25.48	31.70	18.70	38.00	1345	6.20
35.	लक्षद्वीप	59.75	14.37	0.00	22.33	2.32	10.73	21.80	19.80	2.51	30.00		0.00
	योग	44003.77	27289.53	27156.39	40340.00	31116.36	30030.42	38276.26	38050.82	33828.12	48201.00	5681.85	824.97

बेसहारा/विधवा/अकेली महिलाएं

5009. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री निशिकांत दुबे:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय ने देश में विधवाओं/बेसहारा/अकेली महिलाओं की संख्या का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, योजना-वार और वर्ष-वार राज्य सरकार को स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में. विधवाएं 3,42,89,729 और तलाकशुदा/पति से अलग रह रही महिलाएं 23,42,930 हैं।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विधवाओं/बेसहारा/अकेली रहने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए कई स्कीमें चला रहा है, जो इस प्रकार है:

1. स्वाधार और अल्पावास गृह नामक दो आश्रय आधारित स्कीमें, जिनमें अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली ऐसी महिलाओं को आपात सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनके पास न तो समाज/परिवार का सहारा है और न ही आय/अर्जन का कोई स्वतंत्र साधन है;
2. कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला होस्टल स्कीम;
3. विधवाओं/बेसहारा/अकेली रहने वाली महिलाओं सहित परिसंपत्तिविहीन और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के कौशलों में सुधार के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप) स्कीम।

उपर्युक्त तीनों स्कीमों की पिछली तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में लाभार्थियों की राज्य-वार, स्कीम-वार और वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ङ) इन तीनों स्कीमों के अंतर्गत निधियां सीधे कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी की जाती हैं। विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी की गई निधियों का स्कीम-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

स्वाधार, अल्पावास गृह, स्टेप और कामकाजी महिला होस्टल स्कीमों के अंतर्गत देशभर में पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्रम.सं.	राज्य का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (30.08.2011 तक)		
		स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)	स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)	स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)	स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	5550	950	3182	5118	450	3182	5488	2450	3182	2240	-	3182
2.	अरुणाचल प्रदेश	72	125	441	72	375	441	65	238	441	-	-	441
3.	असम	1364	3635	799	1542	-	799	1581	11148	799	1120	-	799
4.	अंडमान और निकोबार	72	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	बिहार	1180	-	266	1036	-	266	916	-	266	180	-	266
6.	चंडीगढ़	72	-	736	72	-	736	40	-	736	30	-	736
7.	छत्तीसगढ़	316	-	426	388	-	426	380	-	486	290	-	486
8.	दिल्ली	144	125	3086	144	-	3086	120	-	3086	30	-	3086
9.	गुजरात	448	-	1218	304	-	1218	360	225	1218	240	50	1218
10.	गोवा	72	-	120	0	-	120	44	-	120	-	-	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	हरियाणा	660	500	1561	710	750	1561	661	600	1561	500	-	1561
12.	हिमाचल प्रदेश	-	-	477	-	-	477	-	125	477	-	-	477
13.	झारखंड	316	-	214	244	-	214	220	-	214	130	-	214
14.	जम्मू और कश्मीर	294	1000	360	294	830	360	230	200	360	210	-	360
15.	कर्नाटक	4054	6191	4665	3462	4570	4701	2970	8400	4701	2310	-	4701
16.	केरल	554	7371	13295	482	512	13295	525	368	14112	210	-	14112
17.	मध्य प्रदेश	1624	607	3438	1602	1195	3438	1596	635	3438	1030	-	3438
18.	महाराष्ट्र	4623	200	9692	4973	375	10117	4681	2900	10117	3195	-	10117
19.	मणिपुर	1232	1100	687	1232	925	942	1203	1275	942	1020	-	942
20.	मिजोरम	122	500	149	-	375	149	90	-	149	50	-	149
21.	मेघालय	-	-	214	-	-	214	-	-	214	-	-	214
22.	नागालैंड	422	1978	771	422	1810	888	412	1653	888	280	-	888
23.	ओडिशा	4539	-	1825	4801	685	1825	4149	500	1825	3265	-	1825
24.	पंजाब	144	4820	1417	288	1525	1417	200	2050	1417	-	-	1417
25.	पुदुचेरी	144	-	221	144	-	221	-		221	-	-	221
26.	राजस्थान	876	-	1868	682	200	1868	750	200	1868	610	-	1868
27.	सिक्किम	144	-	144	72	-	144	45	-	144	30	-	144
28.	तमिलनाडु	4046	1500	6400	3398	-	6400	3024	-	6900	1705	-	6900
29.	त्रिपुरा	360	-	50	360	-	50	253	-	50	90	-	50
30.	उत्तर प्रदेश	4980	405	3130	5111	5015	3190	5306	3135	3190	4085	-	3190
31.	उत्तराखंड	632	858	538	632	2181	538	646	650	538	430	-	538
32.	पश्चिम बंगाल	3636	-	2639	3492	190	3639	3186	300	2639	1645	-	2639
	कुल	42692	31865	63989	41077	21963	64922	38241	37052	66299	24925	50	66299

विवरण-II

स्वाधार, अल्पावास गृह, स्टेप और कामकाजी महिला होस्टल स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम.सं.	राज्य का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (30.08.2011 तक)		
		स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)	स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)	स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)	स्वाधार तथा अल्पापास गृह	स्टेप	कामकाजी महिला होस्टल (क्षमता)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	344.26	47.59	-	397.02	22.16	10.78	581.33	135.21	36.78	69.55	-	-
2.	अरुणालच प्रदेश	-	4.85	-	9.66	23.22	-	3.78	14.71	-	-	-	-
3.	असम	110.91	338.30	-	118.62	5.11	-	286.40	683.13	2.25	36.82	-	-
4.	अंडमान और निकोबार	3.34	-	-	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	बिहार	268.25	-	-	84.77	-	-	86.79	-	-	10.32	-	-
6.	चंडीगढ़	3.51	-	-	3.72	-	51.62	5.35	-	-	4.29	-	-
7.	छत्तीसगढ़	19.82	-	-	7.81-	-54.31	-	27.28	12.27	-	-		
8.	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	दमन एवं दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	दिल्ली	12.02	10.07	-	2.75	3.23	700.00	15.59	20.89	495.00	4.49	-	-
11.	गुजरात	27.50	-	-	15.08		-	63.57	25.47	-	4.09	3.38	-
12.	गोवा	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	हरियाणा	47.60	37.68	-	21.91	25.65	0.84	103.18	22.73	3.53	16.36	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	0.83	-	3.79	4.40	-	-	-
15.	झारखंड	18.28	-	-	16.57	-	-	36.87	-	-	4.09	-	-
16.	जम्मू एवं कश्मीर	13.84	27.56	-	22.59	54.22	-	34.67	17.43	-	15.84	-	-
17.	कर्नाटक	366.83	255.05	18.16	420.86	320.35	27.32	531.80	623.46	23.23	57.68	-	-
18.	केरल	34.34	180.11	21.42	41.51	14.06	4.92	62.75	18.18	324.69	8.38	-	-
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	128.08	44.18	-	162.55	75.45	-	283.24	46.21	15.28	36.36	-	-
21.	महाराष्ट्र	279.58	32.38	77.43	301.30	15.72	26.22	719.80	294.78	125.82	95.28	-	31.89
22.	मणिपुर	113.55	48.46	56.11	105.55	56.50	15.96	252.94	100.73	52.81	24.99	-	-
23.	मिजोरम	-	39.02	-	6.07	21.90	-	4.34	-	3.40	-	-	-
24.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	27.60	-	-	-
25.	नागालैंड	15.75	134.64	26.09	11.86	100.45	47.63	41.10	18.22	19.97	4.09	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	ओडिशा	422.93	1.04	-	388.65	35.15	-	775.73	36.38	-	105.37	-	-
27.	पंजाब	16.88	205.80	-	10.90	87.91	-	23.07	81.75	-	-	-	-
28.	पुदुचेरी	16.31	-	-	4.26	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	राजस्थान	67.55	-	-	4.20	4.20	-	78.26	3.22	-	23.60	-	-
30.	सिक्किम	5.08	-	-	3.55	-	-	5.16	-	-	4.09	-	-
31.	तमिलनाडु	271.68	95.27	2.47	348.72	-	36.00	513.38	-	253.50	102.67	-	3.02
32.	त्रिपुरा	13.24	1.65	-	17.12	1.57	-	27.97	1.57	-	12.27	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	262.73	24.05	20.73	398.43	294.46	-	826.84	129.61	-	147.81	-	-
34.	उत्तराखंड	45.75	66.27	-	47.44	57.07	-	102.70	27.90	-	24.55	-	-
35.	पश्चिम बंगाल	265.27	8.29	18.48	253.91	10.13	-	343.91	26.34	-	99.73	-	-
	कुल	3198.39	1602.26	240.89	3231.73	1228.51	922.12	5864.83	2431.12	1414.84	925.29	3.38	34.91

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों का वेतन और पेंशन

5010. श्री राकेश सिंह:
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्रमशः वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों के लिए सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।

(ग) और (घ) "उपदान भुगतान अधिनियम, 1972" के अंतर्गत उपदान के भुगतान की संशोधित उच्चतम सीमा (अधिकतम 10 लाख रुपए) उन कर्मचारियों के लिए जो इस अधिनियम के दायरे में आते हैं पहले ही दिनांक 24.05.2010 से बढ़ा दी गयी है।

[अनुवाद]

कन्या भ्रूण का चयनित गर्भपात

5011. श्रीमती हरसिमरन कौर बादल:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कन्या भ्रूण के चयनित गर्भपात को रोकने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (सीएसबी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को देश में कन्या भ्रूण के चयनित गर्भपात को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 2 से 5 वर्ष के बीच की प्रत्येक लड़की की मृत्यु पर रिपोर्ट देने और अन्त्य परीक्षण अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) का गठन किया गया है। सी एस बी के अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सह-अध्यक्ष महिला और बाल विकास के प्रभारी मंत्री है। इसके सदस्यों में तीन महिला सांसद, विधि और न्याय मंत्रालय, आयुष विभाग, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, विख्यात चिकित्सक जेनेटिसिस्ट, स्त्री रोग विज्ञानी, बाल चिकित्सा विज्ञानी, सिविल सोसाइटी तथा विशेष आमंत्रितों के रूप में व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि थे।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीसी एंड पीएन डीटी के क्रियान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टें मिलती हैं।

उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ङ) जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अंतर्गत मौतों के संबंध में सूचना देने और पंजीकरण संबंधी तंत्र का प्रावधान किया गया है और सरकार द्वारा अन्य किसी अलग तंत्र की परिकल्पना नहीं की गई है।

विवरण

पीसी और पी एन डी टी अधिनियम के उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर पंजीकरण	रिकार्ड का रख-रखाव न करना	भ्रूण का लिंग बताना	प्रसव/गर्भ-धारण पूर्व के बारे में विज्ञापन	अधिनियम/नियम का अन्य उल्लंघन	चल रहे कुल मामले	दोषसिद्ध की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	11	5	-	-	-	19	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	0	0	
3.	असम	-	-	-	-	-	0	0
4.	बिहार	6	-	3	-	1	10	0
5.	छत्तीसगढ़	5	-	-	-	-	5	0
6.	गोवा	1	-	-	-	-	1	0
7.	गुजरात	7	67	0	5	0	79	4
8.	हरियाणा	11	18	22	6	0	57	29
9.	हिमाचल प्रदेश	-	0	-	0	7	7	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	0	0
11.	झारखंड	-	-	0	-	-	0	0
12.	कर्नाटक	8	-	1	-	4	13	0
13.	केरल	-	-	-	-	-	0	0
14.	मध्य प्रदेश	3	5	1	2	-	18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	44	67	28	9	0	148	17
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	0	0
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	0	0
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	0	0
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	0	0
20.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	17	0
21.	पंजाब	15	36	30	6	26	113	23
22.	राजस्थान	–	–	–	–	–	117	0
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	0	0
24.	तमिलनाडु	67	3	1	1	5	77	0
25.	त्रिपुरा	–	0	–	–	–	0	0
26.	उत्तराखंड	1	5	2	1	–	9	0
27.	उत्तर प्रदेश	14	1	2	4	34	55	0
28.	पश्चिम बंगाल	7	–	–	–	–	7	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	0	0
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	2	2	1
31.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	0	0
32.	दमन और द्वीव	–	–	–	–	–	0	0
33.	दिल्ली	40	5	2	9	5	61	4
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	0	0
35.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	0	0
	योग	240	212	92	43	84	875	78

इमेजिंग सेंटर

5012. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कम्युनिटी मेडिसन विंग ने अपने सर्वेक्षण में बताया है कि देश के अधिकांश इमेजिंग सेंटर पुराने पड़ चुके हैं तथा उनकी खस्ताहाल मशीनें काफी मात्रा में हानिकारक विकिरण उत्सर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एम्स' द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार, अधिकांश निजी इमेजिंग सेंटर निर्धारित मार्ग निदेशों का पालन नहीं करते और उन्होंने अपने कर्मचारियों को विकिरण रोधी उपकरण भी मुहैया नहीं कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/करने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण प्रणाली

5013. श्री रामाकिशुन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत वितरण प्रणाली के सुधार के संबंध में शुंगलु समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में आपत्तियां की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या शुंगलु समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पश्चात विद्युत पर राजसहायता बंद किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सिफरिशों के कार्यान्वयन के संभावित प्रतिकूल प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) राज्य विद्युत बोर्डो (एसईबी) की वित्तीय समस्याओं की जांच करने और प्रणालीगत सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करने के लिए योजना आयोग द्वारा भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में "वितरण यूटिलिटयों की वित्तीय स्थिति" पर एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है।

उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कारों के आयात शुल्क में कमी

5014. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातित लग्जरी कारों पर आयात शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंगनवाड़ी कर्मियों को मानदेय

5015. श्री विष्णु पद राय: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मानदेय का नियमित (मासिक) भुगतान कब तक होने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय की बढ़ी दर अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को भुगतान किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं आईसीडीएस अधिकारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए दो या अधिक किस्तों में सहायतानुदान जारी करती है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान भी शामिल है। आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत उपर्युक्त प्रायोजन हेतु अण्डमान और निकोबार संघ राज्य प्रशासन को अब तक वर्ष 2011-12 के लिए 12.05.2011 के आदेश द्वारा 148.82 लाख रुपये और दिनांक 23.08.2011 को आदेश द्वारा 29.82 लाख रुपये पहली और दूसरी किस्त के रूप में जारी किया गया है और 60.85 लाख रुपये पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए जारी किया गया है।

जहां तक अण्डमान और निकोबार संघ राज्य प्रशासन का संबंध है यह सूचना मिली है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकओं को सामान्यत: समय पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। कभी-कभी ही एक या दो महीने का विलंब होता है। इसके अलावा संघ राज्य प्रशासन द्वारा बढ़े हुए मानदेय का आदेश जारी किया गया है, परंतु इसका भुगतान करना भारत सरकार द्वारा निधियां निर्मुक्त करने के बाद ही संभव होगा।

दूध में खतरनाक बैक्टीरिया

5016. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जानवरों के दूध में खतरनाक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफीलोकोकस और ई. कोली पाए गए हैं जिससे चमड़े, आंख और पेशाब की नली में संक्रमण होता है तथा इनसे स्कयलेर बुखार/न्यूमोनिया होता है;

(ख) यदि हां, तो सुसज्जित प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसे परीक्षणों के लिए राजधानी में स्थित ऐसी प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) संगत नियमों को ज्यादा कठोर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राज्य/संघ राज्य सरकारों, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के कार्यान्वयन के लिए तथा अधिनियम अथवा विनियमों के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होती हैं; द्वारा इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद-मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 की तालिका 2 के अंतर्गत दुग्ध और दुग्धत्पादों संबंधी सूक्ष्म जैविक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड 5-2-2012 से विनिर्माण एककों पर लागू होंगे।

बायोमीट्रिक पैन कार्ड्स

5017. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बायोमीट्रिक स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड्स के जारीकरण को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) बायोमीट्रिक पैन-कार्ड्स कब तक जारी किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को उनके बायोमीट्रिक लक्षणों के आधार पर अनोखी पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया है। इस कवायद से विभाग को यूआईडी संख्या को पैन के साथ जोड़ने पर पैन डाटाबेस को ठीक करने में मदद मिलेगी।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन का संवर्धन

5018. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन के संवर्धन हेतु मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित तथा जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, मेलों, उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) मेलों, उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू वर्ष 2011-12 (15.08.2011 तक) के दौरान मेलों, उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों का नाम	राज्य	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	अपातानी युवा उत्सव	अरुणाचल प्रदेश	15.00	15.00
2.	बेहदियनख्लाम उत्सव	मेघालय	25.00	25.00
3.	नकन्यू लेम उत्सव	नागालैंड	5.00	5.00
4.	खरची उत्सव	त्रिपुरा	14.90	14.90
5.	अखिल भारतीय पैका अखाड़ा	ओडिशा	5.35	5.35
6.	अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला उत्सव/संगोष्ठी	दिल्ली	4.00	4.00
7.	आम मेला 2011	हरियाणा	10.00	10.00
8.	कजरी महोत्सव (5.00 लाख रुपए) गंगा वाटर रैली (5.00 लाख रुपए) कपिलवस्तु बुद्ध महोत्सव (2.50 लाख रुपए)	उत्तर प्रदेश	12.50	12.50
9.	नोएडा शॉपिंग उत्सव (शिल्पोत्सव) 2011	उत्तर प्रदेश	30.00	15.00
10.	8वां अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव	उत्तराखंड	17.50	17.50
11.	अंतर्राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप	उत्तराखंड	6.78	6.78
12.	आइस स्केटिंग कार्निवाल	उत्तराखंड	25.00	25.00

राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी धन का उपयोग

5019. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मुख्य मंत्रियों और अन्य राजनीतिज्ञों द्वारा सप्ताह के अंत के अवकाश हेतु और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकारी धन के उपयोग करने के बारे में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान अभियोजन चलाए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) सरकारी प्रयोजनों के लिए सरकारी धन का उपयोग संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। सरकारी निधियों से धन खर्च करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे ऐसा इस प्रकार के नियमों व अनुदेशों के अनुसार तथा व्यापक सार्वजनिक हित में करेंगे।

(ख) राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी धन के मामलों से संबंधित सूचना केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र

5020. श्रीमती कमला देवी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र की स्थापना करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राज्यों का ऋण भार

5021. डा. रतन सिंह अजनाला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में क्रियान्वित की जा रही अवसंरचना परियोजनाएं पर्याप्त आय प्राप्त नहीं कर पा रही हैं जिससे कि वे ब्याज घटक का भुगतान कर पाएं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) राज्यों में अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को या तो समग्र बजटीय सहायता, जुटाए गए ऋणों अथवा सरकारी निजी भागीदारी से पूरा किया जाता है। केन्द्र सरकार की कोई एजेन्सी राज्य स्तर पर अलग-अलग अवसंरचना परियोजनाओं के ब्याज घटक का केन्द्रीकृत विश्लेषण नहीं करती। अवसंरचना परियोजनाएं अर्थव्यवस्था में वित्तीय उत्प्रेरण तथा समग्र आर्थिक विकास के लिए सकरात्मक बाह्य कारकों का कार्य करती हैं। अत: केन्द्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेशों को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारी निजी भागीदारी परियोजना के ब्याज के घटक को उन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है जिन्हें परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं।

किसानों पर कर

5022. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किसानों पर लागू होने वाले केन्द्रीय करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव किसानों के ऋण भार को कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम के अनुसार, देश में किसानों के मामले में कृषीय आय अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार कराधान से छूट प्राप्त है। किसानों के मामले में, अन्य आय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार देश के अन्य नागरिकों की तरह कराधेय है। अधिनियम की धारा 2 (1क) निम्न आय को कृषि आय के रूप में परिभाषित करती है:-

- ऐसी भूमि से, जो भारत में स्थित है और कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है। से प्राप्त कोई लगान या आमदनी
- कोई ऐसी आय जो भूमि से-

(1) कृषि द्वारा; या

(2) खेतिहर द्वारा या लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसी प्रक्रिया करने से, जो उगाई या प्राप्त की गई उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने में उसके द्वारा आमतौर पर प्रयोग में लाई जाती है; या

(3) खेतिहर या लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई किसी ऐसी उपज के बेचने से जिसकी बाबत उपर्युक्त भाग (2) में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, प्राप्त हुई है।

- कोई ऐसी आय जो किसी भूमि के लगान या आमदनी के प्राप्तकर्ता के स्वामित्व तथा उसके अधिभोग के अथवा किसी भूमि के जिसकी या जिसकी उपज की बाबत उपज को बाजार ले जाने योग्य कोई प्रक्रिया की जाती है, खेतिहर या लगान के प्राप्तिकर्ता के अधिभोग के किसी भवन से प्राप्त हुई है, निर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन है।
- नर्सरी में उगे बालवृक्षों या पौधों से प्राप्त आय को कृषि आय माना जाएगा।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, अधिकांश मुख्य उत्पाद जैसे ताजा फल, सब्जियां, दूध, गन्ना, रूई इत्यादि या तो पूर्णत: छूट प्राप्त हैं या इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता। बालवृक्ष, बीज, जैव खाद, कृषि मशीनरी, टैक्टर, हस्त-औजार इत्यादि पर पहले ही शून्य उत्पाद शुल्क दर है। जबकि उर्वरक पर नाममात्र की 1% उत्पाद शुल्क है, डी जी पम्प सैट, पाइपों और ट्यूब पर 10% उत्पाद शुल्क है। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है, कृषि कार्यो जैसे बालवृक्षों, बीजों, उर्वरकों, पम्प सैट, पाइपों और ट्यूबों, सिंचाई प्रणाली के लिए अपेक्षित इनपुट्स 2.5% से 10% तक की दरों पर मूल सीमा-शुल्क प्रभार्य हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एमएनसी का स्टॉक एक्सचेंज से हटना

5023. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टॉक एक्सचेंज से पूंजी के अचानक पलायन को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विचार हाल के दिनों में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों से हटने का है; और

(ग) इस पर सरकार/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी संस्थागत निवेशों को मॉनीटर करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए तंत्र बनाए हैं। ये तंत्र सुरक्षित, पारदर्शी और कार्यदक्ष बाजारों का संवर्धन करने तथा बाजार अखंडता की संरक्षा करने में सहायता करते हैं। इन संस्थापित तंत्रों में उन्नत जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल हैं जिनमें ऑन लाईन मानीटरिंग और निगरानी, सर्किट फिल्टर, स्थितियों संबंधी सीमाओं का निर्धारण आदि सम्मिलित हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का भी सतत् आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इनका प्रयास ऐसी प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करना तथा बाजार को इतना गहन तथा विस्तृत करने का है जो पूंजी के पलायन के प्रभावों को सामना कर सके।

(ख) वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (29 अगस्त, 2011 तक) में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से कुल अठारह कंपनियां असूचीबद्ध हुई। इन कंपनियों में से केवल छ: कंपनियों की 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी प्रवर्तक शेयरधारिता थी। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण विदेशी धारिता वाली कोई बहुत अधिक कंपनियां भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध नहीं हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों को आरक्षण

5024. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे बच्चों जिनके पिता अनुसूचित जनजाति समुदाय से तथा माता अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय या अन्य जातियों से आते हैं को अनुसूचित जनजातियां(एसटी) का आरक्षण तथा अन्य लाभ प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में राजस्थान सहित ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय ऐसे आंकड़े नहीं रखता।

[अनुवाद]

अवसंरचना ऋण निधि

5025. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अवसंरचना ऋण निधि का विनियमन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना एक न्यास अथवा एक कंपनी के रूप में की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नामोनारायन मीणा): (क) से (घ) वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण में अवसंरचना ऋण निधियों (आईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की थी। आईडीएफ को एक न्यास अथवा कम्पनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यदि उसकी स्थापना न्यास के रूप में होगी तो वह म्यूचुअल फंड के रूप में स्थापित होगी तथा सेबी द्वारा विनियमित की जाएगी। यदि वह कम्पनी के रूप में स्थापित की जाएगी तो यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी होगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाएगी। म्यूचुअल फंड के रूप में स्थापित आईडीएफ सेबी तथा कम्पनी के रूप में स्थापित आईडीएफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमनों से शासित होंगी।

जमाकर्ताओं के लिए विधान

5026. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) ऐसे विधान के कब तक लागू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं में छोटे जमाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत ऐसी कंपनियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, (ख) अनधिकृत रूप से सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार करने वाले अनिगमित निकाय (यूआईबी)। एनबीएफसी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय III और V के तहत किया जाता है, यूआईबी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उल्लिखित संबंधियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से से जामराशियां स्वीकार करने से मना किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने पर, 14 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने तमिलनाडु जमाकर्ता (वित्तीय प्रतिष्ठनों में) हित सुरक्षा अधिनियम, 1997 की तरह विधान अधिनियमित किए हैं, जिनमें जमाराशियों और ब्याज की वापसी अदायगी में चूक करने वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों के प्रवर्तकों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों के साथ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के संस्थागत ढांचे के माध्यम से निकट समन्वय स्थापित करने के परिणामस्वरूप अधिक/बेहतर मानीटरिंग हुई है और एनबीएफसी और यूआईबी द्वारा अनधिकृत जमा को स्वीकार करने पर रोक लगी है।

लंबित खनन पट्टा आवेदन

5027. श्री रामसिंह राठवा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी लंबित खनन पट्टा आवेदनों के निपटान के संबंध में कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) खान मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव आरोग्यश्री योजना

5028. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी कल्याण राजीव आरोग्यश्री योजना के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभ के लिए राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएएस) के कार्यान्वयन के लिए 307 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को हुई सचिवों की समिति (सीओएस) की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई जिसमें योजना आयोग ने जानकरी दी कि आरोग्यश्री योजना की एक स्वतंत्र संगठन द्वारा व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति ने नोट किया कि भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) ने आरएएस सहित भारत में मौजूदा स्वास्थ्य बीमा प्रतिमानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन शुरू किया है तथा निर्णय लिया कि राज्य सरकार पीएचएफआई द्वारा कराए गए अध्ययन की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा योजना आयोग को भेजे। रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

इस मंत्रालय का विचार है कि चूंकि आरोग्यश्री योजना तृतीयक परिचर्या से संबंधित है तथा यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या पर बल दिया जाता है, के उद्देश्यों के समनुरूप नहीं है, इसलिए एनआरएचएम से वित्तपोषण संभव नहीं होगा। तथापि, इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार के अपने संसाधनों के जरिए पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए बीमा कवर

5029. श्री देवजी एम पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एचआईवी से ग्रस्त लोगों के लिए बीमा को समावेशी और सार्वभौमिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा कुछ अन्य बीमा कंपनियों के साथ हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) एचआईवी से ग्रस्त लोगों को उपचार हेतु कब तक सार्वभौमिक बीमा कवर प्राप्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) से (घ) एचआईवी से पीड़ित लोगों (पीएलएचआईवी) के लिए बीमा को समावेशी बनाने की संभावना का निश्चित पता लगाने के लिए, नाको द्वारा 'एचआईवी को मुख्य धारा में लाना: बीमा क्षेत्र की भूमिका' के संबंध में दानकर्त्ता सहभागियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था ताकि एचआईवी को बीमा जोखिम के तौर पर शामिल करने के लिए मांग को दर्शाया जाए और बाजार की संभाव्यता का पता लगाया जा सके। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा कुछ बीमा कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन के अनुगमन के तौर पर, आईआरडीए के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श किए गए हैं। तथापि अब तक कोई पुष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

एलआइसी एजेंट

5030. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंटों की संख्या कितनी है;

(ख) एलआईसी एजेंटों के कार्य क्या हैं तथा उन्हें कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है;

(ग) क्या ऐसे एजेंट एलआईसी पॉलिसी की संख्या को बढ़ाने में सहायता करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कमीशन को बंद करके एजेंटों को हटाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया है कि 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार देश में एलआईसी एजेंटों की संख्या 13,37,064 है।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियमावली 1972 के नियम 8 में एलआईसी एजेंटों के कार्य निर्धारित किए गए हैं और एलआईसी एजेंटों को अदा की गई कमीशन का प्रतिशत बीमा योजना तथा प्रीमियम अदायगी संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी हां, एलआईसी एजेंटों का प्रमुख कार्य पॉलिसियों की संख्या एवं प्रीमियम के रूप में निगम के लिए नया करोबार प्राप्त करना है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, एलआईसी एजेंटों ने 51,190.04 करोड़ रुपए के प्रथम वर्षीय प्रीमियम के साथ 3,33,43,756 पॉलिसियां की हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में डकैती/चोरी

5031. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों के लॉकर से रुपए और आभूषणों की डकैती तथा चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा बैंक-वार ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई तथा इनमें कितीन धनराशि शामिल थी और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; ओर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार/आरबीआई द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित की गई स्थिति के अनुसार वर्ष 2008-11 (30 जून, 2011 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लॉकर्स से चोरी, सेंधमारी, डकैती और बैंक डकैतियां होने की घटनाओं के राज्यवार एवं बैंकवार आंकड़े संलग्न विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। हालांकि, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग (डीबीओडी) ने "बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा का विस्तार करने और सुरक्षित जमा लॉकर तक पहुंचने/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं को लौटाने पर परिपत्र और ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र जारी किया है जिसमें सुरक्षित जमा कक्षों/लॉकरों के परिचालनों के लिए अनुदेश" दिए गए हैं आरबीआई ने सलाह दी है कि बैंकों को, ग्राहकों को प्रदान किए गए लॉकरों की सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी बरतनी चाहिए एवं आवश्यक पूर्वोपाय करने चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें अपनी शाखाओं में सरक्षित जमा कक्षों/लॉकर के परिचालन के लिए लागू प्रणाली की अनवरत आधार पर समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह भी सलाह दी गई है कि सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं का अच्छी तरह दस्तावेजीकरण किया जाए संबंधित स्टॉफ को प्रक्रिया का अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अनुदेशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि आंतरिक लेखा-परीक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

विवरण-I

*बैंक-वार आंकड़े (*अंतर्लिप्त राशि की सूचना लाख रु. में दी गई है)*

2008

क्र.सं.	बैंक का नाम	मामलों की संख्या	अंतर्लिप्त राशि
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2	0.47
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2	37.7
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2	
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	7.28
5.	आईसीआईसीआई	1	70.97
		8	116.42
	2009		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	4	0.42
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1	0
3.	बैंक ऑफ इंडिया	1	0
4.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1	0
5.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	1	11.77
		8	12.19
	2010		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1	0
2.	यूको बैंक	1	0
3.	देना बैंक	1	0
4.	केनरा बैंक	1	1.06
5.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	1	1
6.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1	0
		6	2.06

1	2	3	4
	2011 (जून 30, 2011 तक)		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	3	1.59
2.	बैंक ऑफ इंडिया	1	0
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1	0
4.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	1	0
5.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	0
		8	1.59

विवरण-II

*आंकड़े राज्य-वार (*अंतर्लिप्त राशि की सूचना लाख रु. में दी गई है)*

2008

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या	अंतर्लिप्त राशि
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	1	0
2.	उत्तरांचल	1	0.47
3.	महाराष्ट्र	2	0
4.	कर्नाटक	1	70.97
5.	राजस्थान	2	21.19
6.	दिल्ली	1	23.79
		8	116.42
	2009		
1.	जम्मू और कश्मीर	1	11.77
2.	उत्तर प्रदेश	2	0
3.	दिल्ली	2	0.42
4.	राजस्थान	1	0
5.	आंध्र प्रदेश	1	0
6.	झारखंड	1	0
		8	12.19

1	2	3	4
		2010	
1.	चण्डीगढ़	1	0
2.	पंजाब	1	0
3.	मध्य प्रदेश	1	1.06
4.	उत्तर प्रदेश	1	0
5.	जम्मू और कश्मीर	1	1
6.	गुजरात	1	0
		6	2.06
		2011 (जून 30, 2011 तक)	
1.	बिहार	1	0
2.	पंजाब	1	0
3.	महाराष्ट्र	1	0
4.	राजस्थान	1	0
5.	जम्मू और कश्मीर	2	0
6.	आंध्र प्रदेश	2	1.59
		8	1.59

[अनुवाद]

विदेशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना

5032. श्री सी. शिवासामी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिस्र सहित कुछ अफ्रीकी देशों में नवीकरणीय ऊर्जा पर कुछ प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। भारत अफ्रीका फोरम सम्मिट (आईएएफएस) के तत्वाधान में अफ्रीका देशों हेतु भारतीय सहयोग के एक भाग के रूप में बायोमास गैसीफायर प्रणालियां और सौरा चार्जिंग स्टेशन चुनिन्दा अफ्रीकी देशों में स्थापित की जाएंगी। यद्यपि वर्तमान में मिस्र में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

फेमा का उल्लंघन

5033. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के क्षेत्र में हो रहे उल्लंघन का कोई रिकार्ड उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किए गए अभियोजन तथा जारी किए गए कारण बताओं नोटिसों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) गत तीन वर्षों में किए गए अपराधों अथवा उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी हां।

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 मूल रूप से एक सिविल अधिनियम है व इस तरह अभियोजनों को प्रारंभ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। गत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को 990 कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जारी कारण बताओं नोटिसों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न है:-

क्षेत्र	जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों (एस सी एन) की संख्या
अहमदाबाद	39
बंगलौर	62
चंडीगढ़	102
चेन्नई	163
कोचीन	241
दिल्ली	20
हैदराबाद	55
लखनऊ	92
कोलकाता	84
मुम्बई	131

तेजाब से हमलों के मामले

5034. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेजाब से हमलों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा पीड़ितों को व्यापक उपचार प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पीड़ितों को मुफ्त उपचार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है तथा शल्य चिकित्सा की लागत को बीमा योजना में शामिल करने की योजना शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्लास्टिक सर्जनों की कमी का सामना कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो प्लास्टिक सर्जनों के खाली पड़े पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते केंद्रीय रूप से ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली में केंद्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, विगत वर्ष के दौरान तेजाब फेंक कर हमला करने के संबंध में सफदरजंग अस्पताल में केवल 2 मामलों और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 4 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसे रोगियों को इन अस्पतालों में किसी भी कार्वाई के बगैर निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

(घ) से (च) सफदरजंग और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्लास्टिक सर्जनों की कोई कमी नहीं है। रिक्ति होते ही पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बर्न्स विभाग (प्लास्टिक सर्जरी) उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए खेलकूद सामग्री

5035. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेलने और आमोद-प्रमोद के लिए खेलकूद सामग्री प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में खेलकूद सामग्री और आमोद-प्रमाद के साधनाों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के आमोद-प्रमोद के लिए इन वस्तुओं को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) आई.सी.डी.एस. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों में चलाई जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में छह माह से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें से 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह कार्यक्रम रोजाना दो घंटे चलाया जाता है और उसके अंतर्गत चलाए जाने वाले समेकित कार्यकलाप में शारीरिक, अंग संचालन, भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास संबंधी और रचनात्मक एवं सौंदर्यपरक कार्यकलाप शामिल हैं। शारीरिक एवं अंग संचालन संबंधी विकास और समन्वय के लिए वृत्त और सूक्ष्म, दोनों प्रकार के अंग संचाालन कार्यकलाप चलाए जाते हैं। बड़ी मास पेशियों के विकास के लिए दौड़ने, कूदने, उछलने, खेल खेलने आदि जैसे विकास कार्यकलाप चलाए जाते हैं। सूक्ष्म अंग संचाालन के विकास के लिए रेत में खेले जाने वाले, पानी में खेले जाने वाले खेल, कठपुतली के खेल, सामूहिक खेल और कार्यकलाप इत्यादि चलाए जात हैं।

इस आयु के बच्चे इतने विकसित नहीं होते हैं कि वे नियमों वाले संगठित और संरचनात्मक सामूहिक खेल-कूद में भाग ले सके। अतः, स्कूल-पूर्व शिक्षा किट के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में आयु के अनुसार उपयुक्त खेलकूद सामग्री ही प्रदान की जाती है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्र 1000/- रुपये प्रति वर्ष की दर पर स्कूल-पूर्व शिक्षा किट प्रदान की जाती है। स्कूल-पूर्व शिक्षा किट में शामिल वस्तुएं संभावित खेलों और संकल्पनाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ये वस्तुएं टिकाऊ, बचचों के लिए सुरक्षित (विषाणु रहित और बिना धारदार किनारों वाली) सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवेश के अनुरूप, किफायती, संभालने और भण्डार में रखने में आसान तथा रचनात्मकता और समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूल होती हैं। स्कूल-पूर्व शिक्षा किट में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं इस प्रकार हैं:

* कहानी सुनाने के लिए फ्लैश कार्ड
* जानवारों, फलों, सब्जियों, शरीर के अंगों की तस्वीरों पर मॉडल/तस्वीरों की किताबें
* प्लास्टिक या गत्ते या लकड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक
* नरम खिलौने
* खेलने के लिए गुडियाएं
* रंगों, संख्याओं, वर्णो संबंधी मिलान कार्ड
* स्टैकिंग रिंग/शेप टॉवर्स
* गेंदें
* थ्रैडिंग बोर्ड/मोती और तारें
* किचन सैट
* पहियों वाले खिलौने
* ढपली/छोटे ड्रम
* आसान पहेलियां इत्यादि

[अनुवाद]

सौर विद्युत प्रौद्योगिकी

5036. श्री जोस के मणि: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्सेन्ट्रेटिंग सोलर पावर (सीएसपी) प्रौद्योगिकी को हाल ही में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौरा मिशन को एक घटक के रूप में रखे जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में कन्सेन्ट्रेटिंग सोलर पावर (सीएसपी) प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु संदर्भ, कठिनाइयों एवं नीतिगत विकल्पों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लाभ क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान और गुजरात में स्थित परियोजनाओं में सीएसपी प्रौद्योगिकी की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां। कन्सेन्ट्रेटिंग सौर विद्युत (सीएसपी) प्रौद्योगिकियां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत देश में ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने हेतु पात्र हैं।

(ख) मिशन के चरण 1 में 1000 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं में से 50% क्षमता सौर तापीय से अनुमानित है जो सीएसपी प्रौद्योगिकियों से संबंधित है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश में सीएसपी प्रौद्योगिकियों सहित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ, कठिनाइयों तथा नीतिगत विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद जनवरी, 2010 में जेएनएनएसएम की घोषणा की गई। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20000 मेगावाट क्षमता की ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करना है और इस क्षमता का एक बड़ा भाग सीएसपी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिकल्पित है। सीएसपी प्रौद्योगिकियों के फायदों में बेहतर कार्य क्षमता, विद्युत की गुणवत्ता और हाइब्रिडीकरण की संभावनाएं शामिल हैं।

(ङ) और (च) जेएनएनएसएम के अंतर्गत सीएसपी तथा अन्य प्रौद्योगिकियों पर आधारित सौर परियोजनाएं देश के किसी भी भाग में संस्थापित की जा सकती हैं। प्रथम चरण में राजस्थान में 430 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाओं और गुजरात में 20 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना को संस्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीबों को ऋण

5037. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित कुल ऋण में से ग्रामीण गरीब परिवारों को वितरित ऋण का अनुपात क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त अनुपात में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) सरकारी वित्तीय संस्थाओं तथा स्व सहायता समूहों द्वारा विगत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित कुल ऋण की तुलना में छोटे एवं सीमांत किसानों को संवितरित ऋण के अनुपात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	कुल संवितरण	एसएफ/एमएफ को संवितरण	कुल संवितरण की तुलना में एसएफ/एमएफ का प्रतिशत
2009-10	384,514.2	118,277.11	30.76
2010-11 (अनंतिम)	446,778.98	163,189.65	36.53
2011-12 (31 मई 2011 तक की स्थिति)	60,724.78	23,256.79	38.3

संवितरित कुल कृषि ऋणों की तुलना में एसएफ/एमएफ को संवितरित ऋणों का अनुपात बढ़ रहा है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विगत दो वर्षों एवं 2010-11 के दौरान एसएचजी को संवितरित ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	ऋण सहबद्ध एसएचजी की संख्या (लाख में)	संवितरित ऋण (राशि करोड़ रुपए में)
2008-09	16.10	12253.51
2009-10	15.87	14453.30
2010-11 (अनंतिम)	12.23	14492.00

स्रोत: नाबार्ड प्रकाशन (2008-09, 2009-10 भारत में सूक्ष्म-वित्त की स्थिति)

[अनुवाद]

जनजातीय शिल्पकारों को रियायती दर पर ऋण

5038. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव जनजातीय कला में विकास हेतु जनजातीय लोगों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा ऐसे लोगों को कब तक इस प्रकार का ऋण प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास जनजाति कला के विकास के लिए जनजातियों को वित्तीय सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) ऋण देने की कोई स्कीम/प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नाबार्ड क्षमता निर्माण और विपणन पहलों, जिनमें जनजातीय कारीगर भी शामिल हैं, के लिए अनुदान सहायता देकर संवर्धनात्मक सहायता उपलब्ध कराता है।

बैंकों में भारी नकद जमा

5039. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की कुछ बैंक शाखाओं में किसी एक पार्टी द्वारा 1000 करोड़ रुपए के लगभग भारी नकद जमा का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन-निदेशालय (ईडी) ने इन मामलों की संभावित धन शोधन गतिविधि के रूप में जांच की है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन बैंकों ने भारी नकद जमा के बारे में ईडी को सूचित नहीं किया; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों और जमाकर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत का अंतरराज्यीय हिस्सा

5040. **श्री भरत राम मेघवाल:**
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से सृजित विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में केंद्र सरकार और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी पर अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केंद्रीय जल आयोग ने राजस्थान पंजाब स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु किए गए दावे के संबंध में कोई पृष्ठाधार टिप्पण तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों तथा भारत सरकार के बीच 10.5.1984 को एक समझौता हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियन जल विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना, यूबीडीसी स्टेज-1 और शाहपुर कंदी हाइडल स्कीम में बिजली की हिस्सेदारी के लिए हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार इस मामले को विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को भेजेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय इस विषय पर मांगी जानी थी कि क्या इन हाइडल स्कीमों से उत्पादित विद्युत में राजस्थान और हरियाणा के राज्यों की कोई हिस्सेदारी के पात्र

हैं और उनकी हिस्सेदारी होने की स्थिति में प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना होगा।

तथापि, इसके पश्चात् 29-30 जुलाई, 1992 और 6 अगस्त, 1992 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए विचार विमर्शों में, इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को न भेजे जाने पर सर्वसम्मति हुई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य आपसी विचार-विमर्शों के माध्यम से उचित समझौता करेंगे। इस मामले को सौहार्दपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए, कई औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श किए गए हैं। तथापि, स्टेकहोल्डर राज्यों के अलग-अलग विचारों के कारण अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है।

(ङ) और (च) पंजाब के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में विद्युत की हिस्सेदारी पर पृष्ठभूमि कागजात तैयार करने के लिए फरवरी, 1999 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस मामले में संबंधित राज्यों के विचार आमंत्रित किए। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों द्वारा उनके दावों के समर्थन में किए गए विभिन्न बिन्दुओं के विश्लेषण के पश्चात् और पंजाब सरकार की टिप्पणियां न होने की स्थिति में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह सभी संबंधित राज्यों के बेहतर हित में होगा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों तथा भारत सरकार के बीच 10.5.1984 को पहले से ही हो चुके समझौते का अनुसरण किया जाए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

5041. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली हमलों में घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नक्सल क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवा प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, एम्बुलेंस के प्रापण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। उच्च फोकस वाले जिलों, जिनमें नक्सलवाद से प्रभावित जिले भी शामिल हैं, को इन सेवाओं को प्रचालनात्मक बनाने में प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के जरिए घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय परिचर्या प्रदान करती है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सरकार बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में प्रत्येक में एम्स जैसी एक-एक संस्था की स्थापना कर रही है।

झारखंड राज्य में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची का उन्नयन अनुमोदित हो चुका है और इसमें 172 बिस्तर वाला सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और 68 बिस्तर वाला आंकोलॉजी ब्लॉक होगा।

बिहार में सरकारी चिकित्सा कॉलेज, दरभंगा और सरकारी चिकित्सा कॉलेज, मुजफ्फरपुर का उन्नयन अनुमोदित हो चुका है।

आंध्र प्रदेश राज्य में निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान (एनआईएमएस) और एसवीआईएमएस, तिरूपति का उन्नयन किया गया है। एनआईएमएस, हैदराबाद में 300 बिस्तर वाले एक सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और 200 बिस्तर वाले आपातकालीन और अभिघात केंन्द्र का निर्माण किया गया है।

(घ) और (ङ) अंतराल को भरने के लिए राज्यों को संविदात्मक आधार पर स्टाफ को नियुक्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दुर्गम और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों तथा कर्मचारियों को आकर्षित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

एनआरएचएम के अंतर्गत निधियों का आवंटन

5042. श्री उदय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ख) अब तक कितने बजट का उपयोग किया गया है;

(ग) पहिचान किए गए क्षेत्र कौन से हैं, जहां कमी अत्यधिक होने के कारण स्वास्थ्य असुरक्षित है; और

(घ) इस वित्तीय वर्ष जो कि योजना अवधि का अंतिम वर्ष है की समाप्ति तक कुल परिकल्पित आवंटन की उपयोगिता की प्रतिशतता क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए योजनागत निधियों का वस्तविक आबंटन 99,491 करोड़ रु. है।

(ख) ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (2007-08 से 2010-11) के दौरान उपयोग 66361.24 करोड़ रु. रहा है जो उसी अवधि के दौरान 72,731 करोड़ रु. के वास्तविक आबंटन के मुकाबले है।

(ग) इस योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई कुल निधियों को आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अबंटित किया गया है।

(घ) ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत निधियों के उपयोग की प्रतिशतता 91.2% थी। वर्ष 2011-12 के दौरान शत प्रतिशत उपयोग की परिकल्पना करते हुए, ग्यारहवीं योजना के अंत तक समग्र उपयोग के करीब 93.5% होने की संभावना है।

[हिन्दी]

जनश्री बीमा योजना

5043. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस) के तहत नियोजित कामगारों को जनश्री बीमा योजना में शामिल करने हेतु पात्रता मानदंड क्या है;

(ख) महाराष्ट्र से कितने एमएनआरईजीएस कामगारों को उक्त योजना में कवर किया गया है; और

(ग) एमएनआरईजीएस के सभी कामगारों को इस योजना के तहत कब तक कवर कर लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एमएनआरईजीएस) के अंतर्गत नियुक्त कर्मकारों को जनश्री बीमा योजना में शामिल करने के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(1) एमएनआरईजीए के तहत जॉब कार्ड के साथ पंजीकृत एक ग्रामीण परिवार का मुखिया, वर्ष में न्यूनतम 15 दिन की अवधि के लिए, बीमा सुरक्षा के लिए पात्र है। यह सुरक्षा उस तारीख से प्रारंभ होती है जब निधारित की गई न्यूनतम दिनों की संख्या पर काम कर लिया जाता है।

(2) बीमा सुरक्षा का नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यदि लाभार्थी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 15 दिन तक काम करता है, तो वह बीमा सुरक्षा के नवीकरण हेतु पात्र हो जाता हैं

(3) यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अन्य किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मृत्यु एवं निःशक्तता हेतु अन्य किसी बीमा के द्वारा पहले ही कवर किसा जा चुका है, वह व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

(ख) और (ग) एलआईसी ने यह भी सूचित किया है कि जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के तहत कवर किए गए एमएनआरईजीएस व्यक्तियों के लिए कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एलआईसी ने महाराष्ट्र राज्य में 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार जेबीवाई के तहत 11,26,137 जीवन कवर किए हैं।

[अनुवाद]

चर्म दान

5044. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में चर्म दान की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारत में अंगदान का विनियमन, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, (टीएचओए) 1994 एवं उसके अंतर्गत सृजित

नियमों के अंतर्गत किया जात है। अब तक, चर्म दान को टीएचओए, 1994 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अतएव, चर्मदान से संबंधित जानकारी का रख रखाव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों के वेतन में समानता

5045. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के उनके दो वर्ष कनिष्ठ अधिकारियों के समान वेतन देने के बारे में सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) राज्य संवर्ग पी.बी.-3, पी.बी.-4 और एचएजी वेतनमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति से संबद्ध तथा वेतन निर्धारण के संबंध में गैर-कार्यात्मक वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ देने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं।

आईपीएस और आई एफ एस अधिकारियों को संबंधित राज्य संवर्गों में, केन्द्र में किसी विशिष्ट बैच के आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति से संबद्ध वेतन समानता मौजूदा नियमों के अनुसार दी जाती है। ये प्रावधान उन अधिकारियों के वेतन निर्धारण के लिए भी हैं जो राज्य और केंद्र में तैनात होते हैं।

संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों की तुलना में आईपीएस/आईएफएस अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन देने में कोई भेदभाव नहीं है। अतः मौजूदा प्रावधानों में कोई संशोधन विचारात्मक नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत कंपनियों द्वारा हिन्दी का संवर्धन

5046. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा हिन्दी के संवर्धन हेतु विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कंपनी-वार क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा हिन्दी वेबसाइटें भी निर्मित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग विज्ञापनों पर कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा राजभाषा नीति के संवर्धन हेतु किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का पूर्णतया अनुपालन।
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देना।
3. पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभव प्रयास करना।
4. प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना।
5. हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा मनाना।
6. प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
7. हिन्दी की प्रगति की निगरानी करने के लिए निरीक्षण करना।
8. शब्दावली तैयार करना।
9. अधिकारियों/कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की निपुणता का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने हेतु रोस्टर तैयार करना।
10. विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन स्कीमों का कार्यान्वयन।
11. हिन्दी गुह पत्रिकाओं का प्रकाशन।
12. हिन्दी कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करना।
13. पृथक हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना।
14. हिन्दी में काम करने को सरल बनाने हेतु सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराना।

15. रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र, विजिटिंग काड्र्स, बैनर, साइन बोर्ड, स्टेशनरी, कोड, नियमावली, फार्म आदि द्विभाषी तैयार करना।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई समग्र उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। विद्युत क्षेत्र की सभी कंपनियों की वेबसाइट द्विभाषी हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग खर्च की गई राशि का कंपनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में राजभाषा हिन्दी के संवर्धन हेतु विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का कंपनीवार ब्यौरा-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	धारा 3(3) का अनुपालन	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिया जाना	हिन्दी में पत्राचार	कंप्यूटर पर द्विभाषी क्षमता	हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	निरीक्षण (लक्ष्य 25%)	कोड/मैनुअल फार्म, प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की स्थिति	हिन्दी कार्यशालाएं	सम्मेलन/ संगोष्ठियां	कंप्यूटर कार्यक्रम/ प्रशिक्षित कार्मिकों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	एनएचपीसी	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 85.59% ख क्षेत्र 82.84% ग क्षेत्र 81.13%	100% द्विभाषी	85%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	48	5	12/240
2.	पावरग्रिड	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 86.61% ख क्षेत्र 85.82% ग क्षेत्र 67.81%	100% द्विभाषी	50%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	36	15	18/540
3.	एनटीपीसी	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 80.27% ख क्षेत्र 70.37% ग क्षेत्र 57.73%	100% द्विभाषी	50%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	36	03	30/1500
4.	पीएफसी	शत-प्रतिशत	शत. प्रतिशत	क क्षेत्र 80.16% ख क्षेत्र 69.63% ग क्षेत्र 66.08%	100% द्विभाषी	55%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	12	03	6/120
5.	आरईसी	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 72.05% ख क्षेत्र 71.12% ग क्षेत्र 49.11%	100% द्विभाषी	25%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	08	शून्य	3/120
6.	एसजेवीएनएल	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 69.44% ख क्षेत्र 86.74% ग क्षेत्र 87.47%	100% द्विभाषी	54.11%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	39	04	6/180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	टीएचडीसी	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 91.78% ख क्षेत्र 100% ग क्षेत्र 81%	100% द्विभाषी	54.11%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	42	10	8/128
8.	नीपको	शत-प्रतिशत	शत प्रतिशत	क क्षेत्र 56.10% ख क्षेत्र 55.55% ग क्षेत्र 64.66%	100% द्विभाषी	44.58%	12	100%	शत-प्रतिशत द्विभाषी	10	शून्य	3/170

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग खर्च की गई कंपनीवार राशि नीचे दी गई है-

1. **एनएचपीसी लिमिटेड** (आंकड़े रुपए में)

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-9	9,79,583	4,59,068	-
2009-10	26,22,802	15,54,735	-
2010-11	42,04,475	4,80,000	-

2. **पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-9	3,90,52,559	3,95,76,328	30,54,594
2009-10	4,92,68,285	4,67,21,962	51,71,265
2010-11	7,54,02,605	6,57,49,044	1,26,90,729

3. **एनटीपीसी लिमिटेड**

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-09	1,34,65,000	2,02,39,000	58,61,000
2009-10	1,69,84,000	1,91,67,000	94,94,000
2010-11	1,50,87,000	87,10,000	51,63,000

4 पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-09	1,18,21,051	1,48,39,925	34,06,068
2009-10	1,70,06,285	1,84,91,350	92,268
2010-11	3,35,02,441	3,54,34,480	-

5. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-09	46,38,950	57,35,452	-
2009-10	40,25,465	51,98,480	-
2010-11	93,56,699	1,18,32,260	-

6. एसजेवीएन लिमिटेड

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-09	22,97,784	44,74,962	-
2009-10	35,87,884	68,98,474	-
2010-11	28,25,194	55,45,033	-

7. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-09	8,33,225	7,23,3000	23,41,496
2009-10	17,14,638	20,10,397	-
2010-11	10,11,400	9,76,080	-

8. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष	हिन्दी	अंग्रेजी	अन्य क्षेत्रीय भाषा
2008-09	-	64,09,312	2,76,297
2009-10	-	4,96,64,378	1,93,000
2010-11	-	1,19,31,856	6,36,400

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलन

5047. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु किसी विजन की रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) पश्चिमी क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन 20 जूलाई, 2011 को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ था। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया था।

(ख) भागीदारी करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अन्य बातों के साथ यह भी विचार किया था कि:-

1. विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पर्यटन मंत्रालय के साथ नजदीकी तालमेल से कार्य करना चाहिए।
2. लक्जरी ट्रेनों में ढुलाई प्रभारों को रेल मंत्रालय द्वारा युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए।
3. सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सतत तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
4. अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाया जाए।
5. स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार किया जाए।
6. ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
7. हुनर से राजगार योजना के आधार को व्यापक बनाया जाए।
8. भारतीय पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विदेश में जोरदार संवर्धन किया जाए।

(ग) मंत्रालय ने इन संस्तुतियों को नोट कर लिया है। विभिन्न पर्यटन गंतव्यों/उत्पादों/मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श से पहचान किए गए पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं/ मेलों/उत्सवों/ कार्यक्रमों के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

यह मंत्रालय पर्यटन विकास एवं संवर्धन के महत्व के विभिन्न मामलों पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ भी समन्वय करता है।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय का दृष्टिकोण भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ नजदीकी समन्वय से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन के एक प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन को स्थापित करना है।

एनटीपीसी की बंद विद्युत परियोजनाएं

5048. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री के. सुगुमार:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को मानकों के उल्लंघन के कारण ओडिशा सहित देश में अनेक संयंत्रों को बंद करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी ने स्थानीय कानूनों के उल्लंघन के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां, एनटीपीसी को पर्यावरण एवं गाद प्रबंधनों के मुद्दों से संबंधित ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएमपीसीबी) द्वारा उनको दिए गए बंद नोटिस के कारण ओडिशा में तालचेर सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन स्टेज-2 के 500 मेगावाट क्षमता के 4 यूनिटों को बंद करना पड़ा था।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

(ङ) बंद नोटिस की प्राप्ति के बाद, एनटीपीसी ने मामले को ओएसपीसीबी के साथ उठाया। उपचारात्मक उपायों वाली एक कार्य योजना एनटीपीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और ओएसपीसीबी द्वारा निगरानी की जा रही है। एनटीपीसी विभिन्न चरणों के शुरू होने के समय विद्यमान सभी पर्यावरणीय/प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों से संबंधित विभिन्न कार्यवाहियों का सझाव दिया है। इनमें से कई सुझाव एनटीपीसी द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

5049. श्री देवराज सिंह पटेल:
श्रीमती कैसर जहां:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण विद्युतीकरण पारेषण बैकबोन (आरआईडीबी) के अंतर्गत अनेक 33/11 केवी विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों से रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं कि आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर आवश्कताओं हेतु क्षमता से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार के संज्ञान में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से फीडरों को बांटने की रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पर्याप्त क्षमता के 33/11 केवी या 66/11 केवी उपकेन्द्रों तथा ब्लॉक में वे लाइनें जहां कोई भी 33/11 केवी या 66/11 केवी का उपकेन्द्र विद्यमान/स्थापित नहीं है, वहां पर ग्रामीण विद्युत वितरण बैक बोन (आरईडीबी) सृजित किए गए हैं। 10वीं योजना के अंतर्गत 33/11 केवी के 400 उपकेंद्र स्वीकृत किए गए थे तथा इनमें से 349 उपकेंद्र चालू किए गए हैं। 11वीं योजना के अंतर्गत 33/11 केवी के 266 तथा 66/11 केवी के 11 उपकेद्र स्वीकृत किए गए तथा इनमें से 33/11 केवी के 59 उपकेंद्र चालू किए गए हैं। 10वीं योजना के उपकेन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) बिहार की राज्य सरकार ने उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों (100 केवीए) के स्थान पर अपेक्षाकृत छोटे आकार के ट्रांसफार्मरों की स्थापना का मुद्दा उठाया है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) की परिकल्पना की गई है जिसमें बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मरों के स्थान पर कम क्षमता के ट्रांसफार्मर्स को बड़ी संख्या में स्थापित किया जाता है ताकि बिजली की चोरी तथा समग्र एटी एंड सी हानियों के अवसरों को कम किया जा सके। एचवीडीएस प्रणाली के मामले में, कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों की अधिक संख्या में आवश्यकता है। बिहार की सरकार से अतिरिक्त भार की व्यवस्था करने के लिए समयबद्ध अवसंरचना के साथ अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश सहित बहुत से राज्यों ने गांवों में बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए घरेलू एवं कृषि भार को पृथक करने के लिए फीडरों को अलग करने के साथ-साथ अपने स्रोतों के प्रयोग द्वारा तकनीकी हानियों को कम करने तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने का कार्य शुरू किया है।

विवरण I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10वीं योजना परियोजना में 33/11 केवी उपकेंद्रों के निर्माण की राज्यवार स्थिति

15-08-2011 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपकेंद्रों की संख्या	चालू किए गए उपकेन्द्रों की संख्या	निर्माणाधीन उपकेंद्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8	8	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1
3.	असम	6	3	3
4.	बिहार	86	77	9
5.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1
6.	जम्मू एवं कश्मीर	4	3	1
7.	झारखंड	61	43	18
8.	मध्य प्रदेश	4	4	0
9.	मणिपुर	2	0	2
10.	मिजोरम	1	0	1
11.	नागालैंड	2	0	2
12.	ओडिशा	1	1	0
13.	राजस्थान	2	2	0
14.	त्रिपुरा	1	1	0
15.	उत्तर प्रदेश	203	194	9
16.	उत्तराखंड	6	2	4
17.	पश्चिम बंगाल	10	10	0
	सकल योग	400	349	51

विवरण II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 11वीं योजना परियोजना में 33/11 केवी एवं 66/11 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण की राज्यवार स्थिति

15-08-2011 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपकेंद्रों की संख्या	चालू किए गए उपकेन्द्रों की संख्या	निर्माणाधीन उपकेंद्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	0	17
3.	असम	25	9	16
4.	बिहार	85	6	79
5.	हिमाचल प्रदेश	10	1	9
6.	जम्मू एवं कश्मीर	16*	0	16
7.	झारखंड	46	32	14
8.	मध्य प्रदेश	1	1	0
9.	मणिपुर	3	3	0
10.	मिजोरम	1	0	1
11.	नागालैंड	9	0	9
12.	ओडिशा	5	0	5
13.	राजस्थान	3	0	3
14.	त्रिपुरा	8	0	8
15.	उत्तर प्रदेश	29	3	26
16.	उत्तराखंड	7	0	7
17.	पश्चिम बंगाल	9	0	9
	सकल योग	277	59	218

*-इसमें 66/11 केवी के 11 उपकेंद्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

विवाह उपरांत लड़कियों को छोड़ना

5050. श्री पी. करुणाकरन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी विद्यार्थियों द्वारा विवाह उपरांत भारत छोड़ते समय भारतीय लड़कियों को छोड़ देने के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) विदेशी छात्रों द्वारा भारतीय लड़कियों के शोषण को रोकने

के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक या प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां

5051. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वित्तीय संस्थानों, विशेषकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अनेक अग्रणी औद्योगिक घरानों की विभिन्न कंपनियों में कई हजार करोड़ रुपयों का निवेश किया है और अब उक्त निवेश को गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के रूप में दर्शा कर व्यर्थ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक उच्चस्तरीय जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) आईडीबीआई बैंक लि. ने सूचित किया है कि बैंक ने शीर्ष औद्योगिक घरानों की कंपनियों सहित विभिन्न कंपनियों में निवेश किया है। ये निवेश इक्विटी शेयरों, बॉडों, ऋण पत्रों, वाणिज्यिक प्रपत्रों, अधिमानी शेयरों इत्यादि जैसे विभिन्न लिखितों के रूप में हैं। आईडीबीआई बैंक लि. ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन कंपनियों को सावधि ऋण के रूप में सहायता भी दी है। आईडीबीआई ने सूचित किया है कि, आज की तिथि में, आईडीबीआई बैंक का, बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त 20 शीर्ष औद्योगिक घरानों की किसी भी कंपनी में कोई अनुपोज्य निवेश/आस्ति नहीं है।

[अनुवाद]

धोबी घाटों के निर्माण हेतु नाबार्ड निधि

5052. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का ग्रामीण क्षेत्रों में 5640 धोबी घाटों के निर्माण हेतु ऋण संवितरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत निधि प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में धोबी घाटों का निर्माण आरआईडीएफ के तहत कोई पात्र कार्यकलाप नहीं है। अत: नाबार्ड द्वारा इसके लिए कोई मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

आपराधिक चोटों के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति

5053. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री संजय भोई:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का यह प्रस्ताव है कि क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई धनराशि उस व्यक्ति से वसूल की जाए जिसने पीड़ित को आपराधिक चोट पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार दुर्व्यापार पीड़ितों हेतु समान योजनाएं प्रारंभ करने का है और महिला एवं बच्चों के दुर्व्यापार करने वाले दलालों और प्रदाताओं के विरुद्ध ऐसी ही कड़ी कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू नौकर और मजदूरों के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं और बच्चों के प्रवसन को रोकने के लिए कोई विधान लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 357 में यह उपबंध है कि न्यायालय अपराधों से पीड़ितों को दंड के अंतर्गत वसूले गए जुर्माने में से मुआवजा दे सकते हैं।

वर्ष 2009 में दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357क जोड़ी गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को अपराधों से पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने की स्कीम केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए तैयार करना होगी। इसके अंतर्गत जिन मामलों में न्यायालय आवश्यक समझे, उन मामलों में पीड़ितों को पुनर्वास के लिए मुआवजा मिल सकता है। जिन मामलों में मुकदमें के बाद अभियुक्त दोषमुक्त या आरोप मुक्त हो गया हो, उन मामलों में भी मुआवजे की सिफारिश की जा सकती है, बशर्ते कि पीड़ितों को पुनर्वास की जरुरत हो। ऐसे मामलों में भी मुआवजा दिया जा सकता है, जहां अपराधी की पहचान न हो पाने या उसका पता न लग पाने के कारण मुकदमा शुरू न हुआ हो, किन्तु पीड़ितों को पुनर्वास की जरूरत हो। सभी अपराधों से पीड़ित व्यक्ति उपर्युक्त उपबंधों में शामिल हैं। राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375क के अंतर्गत स्कीमों का निरूपण कर रही हैं। सिक्किम सरकार ने ऐसी स्कीम तैयार की है जिसमें पीड़ित को अपराधिक चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति से पीड़ित या उसके आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की वसूली हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने के प्रावधान हैं। अनैतिक व्यापार पीड़ितों के लिए मुआवजे के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और भारतीय दंड संहिता में बच्चों सहित मानवों की अनैतिक व्यापार को निषिद्ध किया गया है और अनैतिक व्यापार के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में उनके लिए दंड के उपबंध हैं, जो वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से व्यक्ति की खरीद-फरोख्त करते हैं या ऐसा करने के प्रयास करते हैं या वेश्यावृत्ति जारी रखने या शुरू करने की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति को ले जाते या लेने का प्रयास करते हैं या इसका कारण बनते या व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं। अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति चलाना, इसका प्रबंधन करना, वेश्यालय चलाने या प्रबंधन में सहायता करना भी दंडनीय है।

(ङ) और (च) देश में घरेलू नौकरों मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए प्रवास करने वाली महिलाओं और बच्चों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कानून लाने का कोई प्रास्ताव नहीं है। किन्तु, वर्ष 1986 में अधिनियमित किए गए बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में काम करने को निषिद्ध किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनैतिक व्यापार पीड़ित प्रवासी बाल श्रमिकों के उद्धार, घर वापसी और पुनर्वास के विषय में प्रोटोकॉल तैयार किया है। यह प्रोटोकॉल देश में किसी भी प्रवासी या अनैतिक रूप से बेचे गए बाल श्रमिक पर लागू होता है, चाहे बच्चे का मूल राज्य, या जन्म का देश कोई भी हो, इसमें लिंग, जाति, भाषा, जातीयता, धर्म या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कारगर बालोनुकूल बचाव कार्य करने और बच्चे के लिए इस प्रक्रिया को कम संकटपूर्ण बनाने हेतु प्रोटोकॉल में प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें बच्चे के शैक्षक पुनर्वास तथा परिवार के आर्थिक पुनर्वास पर बल दिया गया है। प्रोटोकॉल में पुनर्वास के प्रयासों वा मानीटरन करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का प्रावधान है।

न्यायिक प्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

5054. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.एन. वूमेन द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट "प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वूमेन" के अनुसार न्यायिक प्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम अर्थात् 3 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) जी, नहीं। न्याय विभाग और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना जैसाकि "महिलाओं और पुरुषों की रिपोर्ट 2010" में दर्शायी गई है, तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है, में यह उल्लिखित है कि दिनांक 10.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कुल 649 न्यायाधीशों में से 51 महिला न्यायाधीश और 598 पुरुष न्यायाधीश हैं। पुरुष न्यायाधीशों की कुल संख्या के अनुपात में महिला न्यायाधीशों की सं. 7.85% है।

प्राचीन भवन

5055. श्री एन चेलुवरया स्वामी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्राचीन भवनों को मुख्य पर्यटन स्थलों में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन स्थलों में परिवर्तित ऐसे स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अवसंरचनाओं के विकास में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रयुक्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) प्राचीन भवनों के प्रमुख स्थलों के रूप में परिवर्तित सहित पर्यटन आसंरचना के संवर्धन एवं विकास की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि और परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय की निजी क्षेत्र के साथ पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं की सहायता की योजना है। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वीकार्य परियोजना को पर्यटक आकर्षक वाला और शुल्क अथवा यूजर चार्ज की उगाही के माध्यम से राजस्व पैदा करने वाला होना चाहिए।

विवरण

11वीं योजना के दौरान 31.03.2011 तक स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य के नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	40	193.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	51	143.57
3.	अंडमान एवं निकोबार	0	0.00
4.	असम	21	84.86
5.	बिहार	18	57.59
6.	चंडीगढ़	17	30.74
7.	छत्तीसगढ़	10	45.23
8.	दादरा एंव नगर हवेली	3	0.24
9.	दमन एवं दीव	1	0.12
10.	दिल्ली	23	75.57
11.	गोवा	7	72.92
12.	गुजरात	14	34.61
13.	हरियाणा	29	98.98
14.	हिमाचल प्रदेश	40	128.32
15.	जम्मू एवं कश्मीर	112	219.94
16.	झारखंड	15	19.12

1	2	3	4
17.	केरल	33	139.77
18.	कर्नाटक	25	118.53
19.	लक्षद्वीप	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	15	80.20
21.	मणिपुर	31	107.09
22.	मेघालय	25	61.14
23.	मिजोरम	26	65.68
24.	मध्य प्रदेश	51	162.76
25.	नागालैंड	56	111.51
26.	ओडिशा	34	116.00
27.	पुदुचेरी	16	74.45
28.	पंजाब	14	62.30
29.	राजस्थान	25	110.91
30.	सिक्किम	78	188.53
31.	तमिलनाडु	43	140.03
32.	त्रिपुरा	42	76.12
33.	उत्तर प्रदेश	33	117.39
34.	उत्तराखंड	17	96.02
35.	पश्चिम बंगाल	37	120.74
	कुल योग	1003	3162.65

बी.सी.जी. वैक्सीन की आपूर्ति

5056. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम समिति ने भारतीय सीरम संस्थान से बी.सी.जी. वैक्सीन खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि अनुसार देश के सरकारी औषध-भण्डार डिपा (जी.एम.एस.डी.) में उपलब्ध स्टॉक का ब्यौरा क्या है और इसके वर्ष 2010-11 हेतु आवश्यकता को किस हद तक पूरा करने की संभाव्यता है;

(घ) क्या मंत्रालय ने जी.एम.एस.डी. चेन्नई में उपलब्ध किसी बी.सी.जी. वैक्सीन स्टॉक की पहचान की है जो मियाद अवधि के समाप्त हो जाने के कारण जारी नहीं की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे स्टॉक की मात्रा और इसका मूल्य कितना है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए मैसर्ज भारतीय सीरम संस्थान से बी.सी.जी. वैक्सीन का प्रापण किया है।

(ख) चालू वर्ष सहित विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान मैसर्ज भारतीय सीरम सस्थान से किए गए बी.सी.जी. वैक्सीन के प्रापण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	मात्रा (लाख खुराकों में)	10 खुराकों वाली प्रति शीशी दर (रुपये में)	मैसर्ज भारतीय सीरम संस्थान, पुणे को दिए गए आर्डर की कुल लागत (करोड़ रुपये में)
2009-10	1011.09	27.85+कर	29.28
2010-11	311.30	28.6+कर	9.34
2011-12	अब तक कोई आपूर्ति ऑर्डर नहीं दिया गया है।		

(ग) 25.08.2011 तक जीएमएसडी में उपलब्ध बी.सी.जी. वैक्सीन के स्टॉक का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जीएमएसडी,	लाख खुराकों में मात्रा
जीएमएसडी, कोलकाता	0.79
जीएमएसडी, करनाल	0.00
जीएमएसडी, चेन्नई	0.00
जीएमएसडी, मुम्बई	0.25
कुल	1.04

जीएमएसडी में उपलब्ध बी.सी.जी. वैक्सीनों की मात्रा वर्ष 2011-12 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) जीएमएसडी, चेन्नई में बी.सी.जी. वैक्सीन का ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मियाद समाप्त हो जाने के कारण जारी नहीं किया गया था।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

एनआरएचएम के तहत प्राप्त लक्ष्य

5057. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियत लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना के अनुसार उक्त लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रयास 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को प्रति 100,00 जीवित जन्मों पर 100 शिशु मृत्यु दर (आईएसआर) को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 तथा कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को 2.1 तक कम करने का है।

(ख) से (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात जो 2004-06 में 254 था, 2007-09 में घटकर 212 हो गया है, शिशु मृत्यु दर में भी 8 अंकों की गिरावट प्रदर्शित हुई है, जो 2005 में 58 से घटकर 2009 में 50 हो गई है तथा कुल प्रजनन दर 2005 में 2.9 से 2009 में घटकर 2.6 हो गई है। हालांकि अत्यधिक प्रगति की गई है, फिर भी, वे लक्ष्यों से कम हैं।

प्रमुख चुनौतियों में राज्यों की अवशोषी क्षमता में व्यापक भिन्नता, राज्यों के बीच तथा राज्यों के भीतर स्वास्थ्य संकेतक की स्थिति में भिन्नता शामिल जिससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति भिन्न-भिन्न होती है। स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारकों में भिन्नता, जिलों के बीच अभिगम्यता तथा कठिनाइयों के अनुभूत

स्तर, राज्यों में विशेषज्ञों, डाक्टरों तथा पराचिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता, निचले स्तर पर नियोजन के लिए कमजोर क्षमता अतिरिक्त अड़चने हैं।

(ङ) प्रगति में तेजी लाने के लिए किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरचएम) के अंतर्गत हाल ही में शुरू की गई पहल, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जिसमें जनस्वास्थ्य संस्थाओं में जाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को बगैर किसी अतिरिक्त व्यय के निःशुल्क दवा सहित पूर्णतया निःशुल्क एवं कैशलेस प्रसवों की पात्रता दी जाती है।
2. विशिष्ट वित्तपोषण एवं संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए देश के 264 पिछड़े जिलों की पहचान की गई है।
3. विशेषज्ञों की कमी पर काबू पाने के लिए उपलब्ध डॉक्टरों को प्रशिक्षणों जैसे कि जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशलों (एलएसएएस), मूलभूत आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या (बीईएमओएनसी), व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या (सीईएमओएनसी) के जरिए बहुकौशलयुक्त बनाने का कार्य शुरू किया गया है।
4. दुष्कर एवं सुदूर क्षेत्रों में कार्मिकों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए ऐसे दुर्गम एवं अगम्य क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को आर्थिक एवं गैर-आर्थिक प्रोत्साहन प्रदन किए जाते हैं।
5. रिक्तस्थानों को तत्काल ही भरने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति की अनुमति प्रदान करना जिससे कि जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। करीब 1.48 लाख स्वास्थ्य कर्मियों जिनमें डॉक्टर, विशेषज्ञ, नर्स एवं पराचिकित्सक शामिल हैं, को एनआरएचएम के अंतर्गत नियोजित किया गया है।
6. समुदाय एवं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के बीच अंतराल को भरने के लिए 8.05 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को नियोजित किया गया है।
7. लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाप चलाने हेतु राज्यों को सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खनन विनियामक प्राधिकरण

5058. श्री सज्जन वर्मा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और खनन माफिया को दण्डित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अवैध खनन को रोकने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय खनन विनियामक प्राधिकरण (एन.एम.आर.ए.) स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर) के नियम 45 में संशोधन करके सभी खनिजों, व्यापारियों, अंतिम रूप में उपयोग करने वाले, स्टॉकिस्टों एवं निर्यातकों को पंजीयन कराने एवं खनिज उत्पादन से लेकर देश में अंतिम रूप से उपयोग होने तक एक छोर से दूसरे छोर तक के लेखा-जोखा के लिए खनिजों के सभी लेन-देन की रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया है। सरकार, अलग से, एक नये विधान के मसौदे पर भी विचार कर रही है, जिसमें अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर उपाय के प्रावधानें सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) प्रस्ताव नये विधान के मसौदे का हिस्सा हैं, जो विचाराधीन है।

[अनुवाद]

खनिजों हेतु रॉयल्टी दरों में संशोधन

5059. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को विभिन्न खनिजों पर रॉयल्टी दरों को संशोधित न करने और कतिपय मुख्य खनिजों हेतु यथामूल्य रॉयल्टी देने पर विचार करने, स्वीकार, से इन्कार करने के कारण पिछले कई वर्षों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस क्षति की प्रतिपूर्ति करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का देश में खनिज उत्खनन संबंधित रॉयल्टी मुद्दे की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस हेतु अपनाई जाने वाली कार्यविधि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2011-12 के दौरान पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) होदा समिति और मंत्रालय में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने मुख्य खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और सजावटी रेत को छोड़कर) की रॉयल्टी दरें 13.8.2009 से संशोधित कर दी हैं और 9 खनिजों के अतिरिक्त अन्य सभी खनिजों के लिए रायल्टी की दरों यथामूल्य आधार पर नियत की गई है। अगस्त, 2009 में रॉयल्टी की दरों में संशोधन होने से रॉयल्टी वसूली वर्ष 2008-09 में 2319.21 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2009-10 में बढ़कर 3997.42 करोड़ रुपये हो गई।

(ग) और (घ) खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) में रॉयल्टी संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकारों को मुआवजा (क्षतिपूर्ति) देने का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि रॉयल्टी दरों में संशोधन अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होता है।

(ङ) एमएमडीआर) अधिनियम की शर्तों के अनुसार रॉयल्टी की दरें तीन वर्षों में एक बार संशोधित कर बढ़ाई जा सकती हैं और तदनुसार, रॉयल्टी की दरों को बढ़ाने संबंधी कार्रवाई दिनांक 13.8.2009 की विगत अधिसूचना की तिथि के तीन वर्ष उपरांत की जा सकती है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद हेतु एम.एस.पी.

5060 श्री अब्दुल रहमानः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रारंभ करने के लिए अर्थशास्त्री टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर विचार करने के लिए डॉ. टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 14 लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से केन्द्रीय रूप से निर्धारित किया जाए।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और इन्हें स्वीकार करने के पश्चात आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): महोदय, हमारी बात सुनी जाए ...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

इस समय श्री उमाशंकर सिंह आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री राकेश सचान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सभापति महोदयः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्रीमती कृष्णा तीरथ

...*(व्यवधान)*

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के लिए अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5059/15/11

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पपुम-पारे

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5060/15/11]

(दो) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5061/15/11]

(तीन) बांगीया, ग्रामीण विकास बैंक मुर्शिदाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5062/15/11]

(चार) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5063/15/11]

(पांच) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5064/15/11]

(छह) चिकमगलूर काडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5065/15/11]

(सात) वैतरणी ग्राम्य बैंक मयूरभंज।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5066/15/11]

(आठ) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5067/15/11]

(नौ) पांडयन ग्राम बैंक, विरुधूनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5068/15/11]

(दस) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5069/15/11

(ग्यारह) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5070/15/11]

(बारह) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5071/15/11]

(तेरह) ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहमपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5072/15/11

(चौदह) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5073/15/11]

(पन्द्रह) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5074/15/11]

(सोलह) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5075/15/11]

(सत्रह) पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5076/15/11]

(अठारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5077/15/11]

(उन्नीस) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5078/15/11]

(बीस) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5079/15/11]

(इक्कीस) रेवा सीधी ग्रामीण बैंक, रेवा।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5080/15/11]

(2) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5081/15/11]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 9 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या सा.का.नि. 199 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार के अन्य स्थल की स्थापना) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 9 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 28 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5082/15/11]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/14/21219 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5083/15/11]

(5) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (4) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5084/15/11]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2010 जो जुलाई, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5085/15/11]

(दो) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 28 जनवरी, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4 में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाली विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5086/15/11]

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब और सिन्ध बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5087/15/11]

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5088/15/11]

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5089/15/11]

(चार) देना बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5090/15/11]

(पांच) कॉरपोरेशन बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5091/15/11]

(छह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5092/15/11]

(सात) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5093/15/11]

(आठ) विजय बैंक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5094/15/11]

(9) (1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5095/15/11]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): मैं श्री एस गांधीसेलवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5096/15/11]

(2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन) का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2011 जो 27 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2011 जो

26 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2011 जो 11 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5097/15/11]

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) संशोधन विनियम, 2011 जो 3 जून, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू-1/6-5/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5098/15/11]

...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5099/15/11]

अपराह्न 12.021/2बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक*

महासचिव: सभापति महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है।

"मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 30 अगस्त 2011 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 11 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है।

खण्ड 10

1. कि पृष्ठ 10 में, पंक्ति 1 से 3 का लोप किया जाए।

इसलिए मैं राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 128 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्द्वारा उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधन पर लोक सभा की सहमति से इस सभा को अवगत कराया जाए।"

2. सभापति महोदय, मैं 30 अगस्त, 2011 को राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011 को सभा पटल पर रखता हूं।

12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा के कार्य

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री पवन कुमार बंसल की ओर से वर्तमान सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य की मदों की घोषणा करता हूं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आज की कार्यसूची से आगे लाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।
2. लोक सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकृत करना

---

* सभा पटल पर रखा गया।

(क) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

(ख) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2011

(ग) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना-

(क) संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

(ख) संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

4. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना

(क) प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

(ख) उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2010

(ग) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सदस्यों द्वार निवेदन। राजकुमारी रत्ना सिंह।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. तरुण मंडल।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सूचना दें। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप इसे वहां देते हैं, तो मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप जो कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं। मैं आपको पुकारूंगा यदि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं सभा के आगामी सप्ताह में सभा की कार्य-सूची में चर्चा के लिए निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

1. पश्चिम बंगाल में दक्षिण तटीय जिलों सहित उत्तरी 24 परगना और मिदनापुर में निरंतर वर्षा और कई बांधों से पानी के छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति के कारण 75 से अधिक लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। लोगों विशेषकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत कार्य और मुआवजों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

2. ओडिशा सरकार द्वारा पोस्को इस्पात संयंत्र के लिए जगतसिंहपुर जिले के अधीन धिनकिया, नुआगांव और गदा दुर्जगा पंचायतों में जबर्दस्ती भूमि अधिग्रहण से 25000 से अधिक व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे और वन तथा उपजाऊ भूमि को नष्ट कर पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होगा। 6000 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र के लोग पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के बैनर तले 2005 से ही संघर्ष के पथ पर हैं।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटिल (नवसारी): महोदय, मैं गुजरात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

इस समय, श्री सी.आर. पाटिल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति महोदय, कृपया निम्न अति-महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:

1. खाद की कमी से किसान त्रस्त हैं, जल्द से जल्द किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

2. घाघरा नदी में बाढ़ के कारण बाराबंकी, सीतापुर, बहराईच, गोण्डा जनपदों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। आबादी के पास मजबूत ठोकर एवं पक्के बांध बनाए जाएं ताकि हर वर्ष हो रही तबाही से बचा जा सके।

3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कोर नेटवर्क में संशोधन कर नई सड़कों पर काम शुरू किया जाए। बाराबंकी जनपद के लिए फेज 8 की 104 सड़कों के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय श्री उमाशंकर सिंह, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री धनंजय सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गए।

[हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा हेतु विषय सूची में डालने की अनुमति प्रदान करें:

1. जम्मू कश्मीर राज्य में (परिसीमन) करवाने, 13 लाख शरणार्थियों को अधिकार व सुविधाएं प्रदान करने, पंचायती राज प्रणाली में सभी शक्तियों प्रदान करने, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू करने व बड़े उद्योग स्थापित करने के बारे में।

2. देश भर में विशेषत: हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर एवं अरूणाचल प्रदेश आदि पहाड़ी राज्यों में हाइड्रो पॉवर पोजेक्ट में रिलीफ एवं रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, लाडा व लीज रूल्स को सख्ती से लागू करवाने तथा ऐलान करने पर भ्रष्टचारियों को सख्त सजा दिलाने के बारे में।

3. केन्द्र सरकार द्वारा देश के ट्राइबल एरियाज व पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वन भूमि के पट्टे एलॉट करने के निर्णय को हिमाचल प्रदेश में भी लागू करवाने के बारे में।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्रवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत बैरगनिया एवं घोडासहन को आदर्श स्टेशन का दर्जा दिए जाने का कार्य।

मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रख्ण्ड अवकारी बाजार स्थित सीमा शुल्क कार्यालय का स्थानांतरण भारत नेपाल सीमा पर किए जाने हेतु। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री हुक्मदेव नारायण यादव।

...*(व्यवधान)*

शेख सैदुल हक (वर्द्धमान-दुर्गापुर): सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं।

(क) वर्द्धवान रेलवे जंक्शन पर इस स्थान के महत्व को देखते हुए राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। यह न केवल सीमावर्ती तीन जिलों को जोड़ता है बल्कि यह अध्ययन का केन्द्र भी है जहां एक विश्वविद्यालय, एक चिकित्सा महाविद्यालय और एक विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान है।

(ख) पश्चिम बंगाल के वर्द्धवान जिले में पूर्व रेलवे के बालगोना से कटवा के बीच अर्थात् बर्द्धवान-कटरा लाइन के शेष हिस्से में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदले जाने की आवश्यकता।

सभापति महोदय: जब आपके ही दल के सदस्य बोल रहे हों तो कृपया शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:

1. सैनिकों के लिए "वन रैंक वन पेंशन" राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित होने के पश्चात भी लागू नहीं होना भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीड़ा का विषय है। अत: इस विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

2. देश में प्रत्येक छोटे और बड़े शहर में यातायात का बोझ बढ़ता जा रहा है। पार्विंग की समस्या सबसे विकट समस्या होती जा रही है। अत: देश में सभी शहरों के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने से संबंधित विषय चर्चा में सम्मिलित किए जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, निम्नलिखित विषयों को सप्ताह की अगली कार्यसूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जाए:

1. कि यह सभा आग्रह करती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में स्थित चन्द्रपुरा जं. का समपार धनबाद डी. आर.एम. द्वारा बंद करा दिया गया है।इस पर लगभग 30 वर्षों से आम जनता का आवागमन था एवं इससे करीब 40 हजार जनता प्रभावित है। अत: इसे अतिशीघ्र चालू करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं।

2. कि यह सभा आग्रह करती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में स्थित पूर्व-मध्य रेलवे के फुसरो रेलवे क्रासिंग बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है एवं धनबाद रेलवे स्टेशन का वी.आई.पी. पार्विंग बंद है। इन दोनों को अतिशीघ्र चालू कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं।

अपराह्न 12.09 बजे

[हिन्दी]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे गए खद्यान्नों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण तथा स्टॉक-धारिता संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति

सभापति महोदय: अब सभा मद सं 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राजनाथ सिंह।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पी.सी. मोहन।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमती हरसिमरन कौर बादल।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरन कौर बादल (भटिंडा): महोदय, मैं उपरोक्त मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामलों की ओर आकृष्ट करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे तदनुसार वक्तव्य दें:

खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे गए खाद्यान्नों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण तथा स्टॉक-धारिता संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति"

...*(व्यवधान)*

महोदय, यदि सभा में व्यवस्था नहीं होगी तो मैं कैसे बोल सकती हूं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी, कृपया अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर वक्तव्य रखता हूं।

* भारत सरकार पंजाब तथा अन्य अधिशेष राज्यों से कमी वाले और उपभोक्ता राज्यों को खाद्यान्नों का स्टाक भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समय बीतने के साथ पंजाब में खाद्यान्नों की खरीदारी और वहां से बाहर भेजे जाने वाली इनकी मात्रा में वृद्धि हुई है। पंजाब से खाद्यान्नों का संचलन वर्ष 2008-09 में 119. 28 लाख टन की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान बढ़कर 165.88 लाख टन हो गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान (31 अगस्त तक अनंतिम आंकड़े) 67.67 लाख टन खाद्यान्न पंजाब से बाहर भेजे गए थे। जबकि 2010-11 की इसी अवधि के दौरान 63.78 लाख टन खाद्यान्न बाहर भेजे गए थे।

* रबी विपणन मौसम 2011-12 के दौरान गेहूं की खरीदारी सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच कर 281.44 लाख टन हो गई है।

* मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक खरीदारी हुई है। 2010-11 के दौरान इन 3 राज्यों में कुल मिलाकर 56.7 लाख टन खरीदारी हुई थी। 2011-12 में इन 3 राज्यों में खरीदारी कुल मिलाकर 96.56 लाख टन पर पहुंच गई है।

---

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की अधिक खरीदारी होने के परिणामस्वरूप पंजाब से गेहूं बाहर भेजने की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। पहले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख गेहूं उपभोक्ता राज्यों की जरूरत पंजाब से गेहूं भेजकर पूरी की जाती थी। तथापि, इस वर्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी अधिक खरीदारी होने के कारण इन राज्यों में पंजाब से भेजे गए गेहूं का भंडारण करने के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है। और इसलिए इन राज्यों को पंजाब से गेहूं भेजना कठिन है। वास्तव में जुलाई तक मध्य प्रदेश से 8.26 लाख टन गेहूं कमी वाले राज्यों को भेजा गया है।

इस वर्ष आंध्र प्रदेश में भी चावल का उत्पादन तथा खरीदारी अधिक हुई है जिसके कारण जुलाई तक लगभग 17.6 लाख टन चावल को आंध्र प्रदेश से बाहर कमी वाले राज्यों को भेजना आवश्यक हो गया।

तथापि, 2010-11 में पंजाब से गेहूं और चावल का समूचा संचलन पिछले वर्ष की तुलना में भी अधिक है। इस वर्ष भी भारत सरकार पंजाब से यथा संभव मात्रा में गेहूं और चावल बाहर भेजने के लगातार प्रयास कर रही है। 2011-2012 के दौरान अनुमान है कि सितम्बर के अंत तक राज्य से 84.47 लाख टन गेहूं और चावल बाहर भेजा जाएगा जबकि 2010-11 के दौरान इसी अवधि 78.42 लाख टन गेहूं और चावल राज्य से बाहर भेजा गया था।

इन बाधाओं के बावजूद पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का स्टॉक स्वीकार करने के संबंध में कोई समस्या नही है। 1-7-2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 8.1 लाख टन ढकी हुई भंडारण क्षमता रिक्त थी। जिसके प्रति पंजाब में मिल मालिकों द्वारा 3.35 लाख टन चावल की सुपुर्दगी दी गई थी। इसी प्रकार 1-8-2011 को भारतीय खाद्य निगम के पास 12 लाख टन ढकी हुई भंडारण क्षमता रिक्त थी जिसके प्रति पंजाब में मिल मालिकों द्वारा 3.97 लाख टन चावल की सुपुर्दगी दी गई थी। आशा है कि मिल मालिकों द्वारा चावल की नई फसल की सुपुर्दगी जनवरी, 2012 से देनी शुरू होगी। इस बीच की अवधि में भारतीय खाद्य निगम पंजाब से गेहूं और चावल का और स्टॉक खाली कर देगा जिससे खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के चावल को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त रिक्त भंडारण क्षमता सृजित होगी। जहां तक रबी विपणन मौसम 2012-13 में गेहूं स्वीकार करने का संबंध है, आशा है कि निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन स्वीकृत लगभग 30 लाख टन की पर्याप्त क्षमता तब तक तैयार हो जाएगी जिसमें पंजाब के लिए स्वीकृत 6 से 7 लाख टन क्षमता शामिल है। इससे पंजाब में न केवल खरीफ विपणन मौसम 2011-12 का मिलिंग किया हुआ चावल और रबी विपणन मौसम 2012-13 में खरीदा गया गेहूं रखने में सहायता मिलेगी। बल्कि उपभोक्ता राज्यों को अधिशेष गेहूं और चावल भेजने में भी सहायता मिलेगी जहां मौजूदा भंडारण क्षमता में और वृद्धि हो चुकी होगी।

अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए सरकार ने सरकारी-निजी प्रतिभागिता पद्धति के अधीन निजी उद्यमियों के जरिए खरीद और खपत वाले दोनों क्षेत्रों में ढके हुए गोदामों का निर्माण करके कैप (खुला भंडारण) पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम तैयार की है। निजी उद्यमियों और केन्द्रीय तथा राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में 152.97 लाख टन क्षमता सृजित करने की योजना बनाई गई है। केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमश: 5.31 और 15. 49 लाख टन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से लगभग 3.5 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। इस स्कीम के अधीन मार्च, 2012 तक 30 लाख टन नई क्षमता पूरी होने की संभावना है जबकि काफी मात्रा में नई क्षमताएं अगले वर्ष अथवा उसके बाद शामिल की जाएंगी।

तथापि, कमी वाले राज्यों को गेहूं भेजने से पहले पंजाब और हरियाणा जैसे अधिशेष वाले राज्यों में अस्थायी रूप से कवर और प्लिंथ (कैप) में भी गेहूं का भंडारण किया जाता है। तथापि, कैप एक वैज्ञानिक भंडारण है। कुछ गेहूं कच्चे प्लिंथों पर भी पड़ा हुआ है लेकिन यह गेहूं वहां से प्राथमिकता पर हटाया जा रहा है। सावधानियां बरतने के बावजूद गेहूं की कुछ मात्रा विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तथापि, क्षतिग्रस्त हुई यह मात्रा भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा हैंडल की गई समूची मात्रा की तुलना में बहुत कम है। भारतीय खाद्य निगम के पास पिछले कुछ वर्षों में क्षतिग्रस्त हुए स्टॉक की मात्रा निम्नानुसार है:-

2007-08	34,426 टन
2008-09	20,114 टन
2009-10	6,702 टन
2010-11	6,346 टन.
2011-12	541.33 टन

(1 जुलाई तक)

पंजाब में राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध 115.45 लाख टन भंडारण क्षमता के अलावा 31-3-2011 तक भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 76.29 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी। इसके प्रति 1-8-2011 की स्थिति के अनुसार पंजाब में केन्द्रीय पूल में 85.98 लाख टन चावल और 128 लाख टन

गेहूं उपलब्ध था। भारतीय खाद्य निगम की गारंटी स्कीम के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों और निजी उद्यमियों द्वारा सृजन करने हेतु पंजाब में 51.25 लाख टन क्षमता की मंजूरी दी गई है। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा पंजाब में 201 लाख टन क्षमता के सृजन को अंतिम रूप दे दिया गया है। 22 लाख टन क्षमता के सृजन के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 51.25 लाख टन की कुल स्वीकृत क्षमता में से केन्द्रीय भंडारण निगम और पंजाब राज्य भंडारण निगम के लिए कंमश: 0.782 लाख टन और 2.895 लाख टन क्षमता आबंटित की गई है। इसमें से 1.356 लाख टन क्षमता पहले ही सुपुर्द कर दी गई है जबकि शेष के मार्च, 2012 तक भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किए जाने की संभावना है।

सरकार उपभोक्ता राज्यों द्वारा अधिक उठान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कई अतिरिक्त आबंटन किए हैं। तथापि, कई राज्यों में उठान का कार्य कमजोर है। यदि उपभोक्ता राज्य अपने आबंटनों का उठान कर लेते हैं तो पंजाब तथा अन्य अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अधिक स्टॉक भेजना संभव हो सकेगा। उपभोक्ता राज्यों के साथ यह मामला नियमित रूप से उठाया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त आबंटनों के परिणामस्वरूप 2010-11 की तुलना में 2011-12 में अधिक उठान हुआ है। 2011-12 के दौरान जुलाई, 2011 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 180.42 लाख टन गेहूं और चावल का उठान हुआ था। जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 159.36 लाख टन का उठान हुआ था। दीर्घकालिक हल खरीद तथा उपभोक्ता राज्यों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करना है जिसके लिए हम पहले ही निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए और राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का अधिक उठान करने के लिए काम कर रहे हैं।*

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर एक मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे गए खाद्यान्नों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय खद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण तथा स्टॉक-धारिता संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति जारी खाद्य

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): ऐसे देश में जिसकी जनसंख्या 15 मिलियन से अधिक प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बात इसका खाद्यान्न उत्पादन है। एक राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब वहां के लोग भूखे न हों। खाद्यान्न उत्पादन के बाद इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खाद्यान्न का भंडारण कैसे किया जाए। क्योंकि यह खाद्यान्न है जो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

आज हमारे देश में एक किसान अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करता है। अपना खून-पानी एक करता है, और राष्ट्र के पालन के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक फसल के उत्पादन के लिए अपने सभी संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया में हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों अर्थात मिट्टी और पानी का भी उपयोग करते हैं जो अत्यधिक दोहन के कारण खत्म होते जा रहे है।

आज हमारे देश में जहां पिछले चार वर्षों से किसान की कृषि लागत में 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है सरकार गेहूं के लिए मात्र 20 रुपये और चावल के लिए 100 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है जो मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं है। इन सारे कार्यों के बावजूद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के किसानों ने देश में पूर्व के किसी भी वर्ष की तुलना में सर्वाधिक फसल का उत्पादन किया है, और आज हमारे केन्द्रीय पूल में 654 लाख टन गेहूं और चावल का भंडार है। मंत्रालय के अनुसार केन्द्रीय पूल के अपेक्षित फसल भंडार 319 लाख टन है। लेकिन आज देश में बफर स्टॉक में 654 लाख टन अनाज पड़ा है।

अब, मैं आपको बताना चाहती हूं कि देश में 654 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है जो अपेक्षित बफर स्टॉक की तुलना में दुगुना है ये किस हालात में देश का अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है। 654 लाख टन अनाज की तुलना में देश में भंडारण क्षमता केवल 446 लाख टन की है और शेष 210 लाख टन बाहर पड़ा हुआ है। जो बाहर गर्मी, बाढ़, वर्षा, कीट, जानवरों, चूहे और चोरी के खतरे का सामना कर रहा है।

[हिन्दी]

आप जो भी हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। रोज टेलीविजन और अखबारों में देखने को मिलता है कि बोरियों के ढेर खुले पड़े हैं जिनके बीच में जानवर और चूहे अपना पेट भर रहे हैं। जिस देश में 22 करोड़ आदमी भूखे सोते हैं। 25 लाख लोगों की मौत हमारे देश में भूख के कारण होती है। उधर यह सरकार दुगुना बफर स्टॉक होर्ड करके उन लोगों को भूखे मरने दे रही है और इस बात पर आपको हैरानी होगी कि इसी हाउस में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 319 लाख टन का जो बफर स्टॉक होता है, जिसको देश की सरकार बचा कर रखती है ताकि वह क्रॉप फेल्योर, फल्ड आ जाए, ड्राउट हो जाए या कोई नेचुरल कैलोमिटी हो तो सरकार के पास इतना अन्न हो कि देश भूखा न मरे। लेकिन इसका दुगुना अनाज उन्होंने होर्ड कर दिया आपको हैरानी होगी कि ये 300 लाख टन अतिरिक्त अनाज होर्ड कर रहे हैं। इन के मंत्री ने खुद बताया है कि होर्डिंग की कैरिंग कॉस्ट 27 करोड़ रुपये प्रतिदिन है। यह खर्च एक्स्ट्रा हार्डिंग करने के लिए है। 335 लाख टन सरकार का एक्स्ट्रा बफर स्टॉक है यह सरकार एक्स्ट्रा होर्डिंग करने के लिए 27 करोड़ के हिसाब से एक साल में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। इस सरकार के पास 259 लाख टन अनाज जो पड़ा है ये दोनों मिलाकर एक दिन का 27 करोड़ रुपये का हिसाब लगाकर पूरे 23000 करोड़ रुपये होते हैं सरकार अन्न के स्टॉक होर्डिंग करने के लिए 23000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आज 22 करोड़ आदमी रोज भूखे सो रहे है, एक साल में 25 लाख लोग भूख से मर रहे हैं और यह सरकार कह रही है कि स्टोरेज इम्प्रापर होने के कारण अन्न सड़ रहा है।

महोदय, यह सरकार की कौन सी नीति है? मैं पूछना चाहती हूं कि 23000 करोड़ रुपये आप होर्डिंग में बर्बाद कर रहे हैं और एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाने के लिए आप क्या खर्च कर रहे हैं? पिछले बजट में अतिरिक्त स्टोरेज बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और इस बजट में 87 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। कुल मिलाकर 127 करोड़ रुपये नये स्टोरेज बनाने के लिए और 23000 करोड़ रुपये फालतू का स्टॉक करने के लिए, होर्ड करने के लिए यह सरकार खर्च कर रही है।

मुझे समझ नहीं आता कि इस सरकार की सोच क्या है? आप एक्स्ट्रा स्टॉक गरीबों में बांटे। जिन तीन राज्यों में बाढ़ आई है, जिन राज्यों के लोगों को आप पेट भरने के लिए पूरे दिन भर का बीस रुपए बाढ़ सहायता/बाढ़ राहत देते हैं। आज वहां सूखा पड़ा है, बाढ़ आया हुआ है, आप एक्स्ट्रा स्टॉक उन्हें बांटे और अपने गो-डाउन खाली करें। आप 23000 करोड़ रुपऐ बचाएं। मैं यह जवाब मांगना चाहती हूं कि आप साइंटिफिक स्टोरेज को क्रिएट क्यों नहीं करते हैं? आज हमारे राज्य पंजाब में 190 लाख टन से कम स्टोरेज है, 200 लाख टन अनन भरा पड़ा है और पन्द्रह दिनों में 140 लाख टन चावल का और स्टॉक आ रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह 350 लाख टन अनाज हम कहां रखें, यह अन्न हम कहां रखें क्योंकि आपकी मूवमेंट हर चाल सिर्फ 14-15 लाख टन महीने की हो रही है।

महोदय, पन्द्रह दिनों में जो यह चावल का स्टॉक आ रहा है, इसे उठाने के लिए और रखने के लिए आज हमारे पास जगह नहीं है। जब किसान अपने अनाज मेडियों में ले जाता है और हम उसे उठा नहीं पाते तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब ये किसान दुखी होंगे कि उनकी फसल उठाई नहीं जा रही है, जब वे दंगा करेंगे, नाराजगी दिखायेंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं पूछना चाहती हूं कि इस सरकार की नीतियां क्या हैं? एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग पैसा खर्च करके अन्न को सड़ा रहे हैं। तीसरी तरफ किसानों को भी पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। होर्डिंग करके बाजारों में कीमतें बढ़ा रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं, और भुखमरी बढ़ा रहे हैं। मैं इस सरकार से जवाब चाहती हूं कि जो हमारे चावल का 110 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक आ रहा है तो आप पंद्रह दिनों में हमारे गोदाम खाली करके कितना लाख टन निकालेंगे ताकि मैं अपने किसानों को बता सकूं कि हमारे पास जगह नहीं है, आप अपना अन्न मंडियों में ले जाने के बजाए दिल्ली ले जा कर सरकार के दरवाजे पर फेंकिए और फिर उनसे पूछिए कि इनका क्या किया जाए।

महोदय, मैं यह उम्मीद करती हूं कि मंत्रीजी गोल मोल जवाब देने के बजाए मुझे ठोस जवाब दें कि अगले पंद्रह दिनों में कितने मीट्रिक टन अन्न उठाकर हमारे गो-डाउन खाली करके हमें दिए जाएंगे?

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में ऐसी स्थिति निर्माण हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय इस सदन को जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि गो-डाउन में अनाज ज्यादा है और अनाज रखने के लिए भंडार नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। आज 107 लाख मीट्रिक टन अनाज सड़ रहे हैं और एक-तिहाई अनाज के खराब होने की संभावना है। यहां आज एक तरफ अनाज गो-डाउन में पड़ा है और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। मंहगाई बढ़ी हुई है, लोग मार्केट से अनाज खरीद कर खा नहीं सकते हैं। इस समय गो-डाउन में पड़ा हुआ अनाज मुफ्त या कम कीमतों में जनता को देने का निर्णय क्या सरकार करने वाली है? सन् 2009, 2010, 2011 और 2012 इन चार सालों में लगभग 20 परसेंट अनाज, विशेषत: पंजाब और हरियाणा में 25 परसेंट अनाज गो-डाउन में नहीं है, वह बाहर भीग रहा है और सड़ रहा है। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? क्या आने वाले भविष्य में एफसीआई और सरकार मिलकर यह तय करेगी कि जितना

अनाज आ गया है, उसे गो-डाउन में रखना है या उसके लिए कोई नया गो-डाउन बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी? दूसरा मेरा कहना यह है कि हमारे गो-डाउन पुराने हो गये हैं, इस कारण से वहां अनाज जल्दी खराब हो जाता है तीन साल तक गो-डाउन में अनाज सुरक्षित रहे, ऐसी यंत्रणा का निर्माण करने के लिए क्या सरकार प्रयास करेगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है? यहां अनाज सड़ रहा है और लोगों को अनाज मिल नहीं रहा है? यह स्थिति गंभीर है, इसके बारे में सरकार जवाब दे।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एलूरु): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब से माननीय सदस्या का बोलने का लहजा सुना है। मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन जिस लहजे में वे बोल रही थीं यदि पंजाब के किसानों के प्रतिनिधियों का लोक सभा में ऐसे बोलना चाहिए हमारा लहजा ऐसा होना चाहिए कि छत हिल जाए। कारण यह है कि आंध्र प्रदेश के किसानों की दयनीय दशा का बयान नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। अंतर यह है कि पश्चिम बंगाल 155 लाख टन का उत्पादन कर रहा है। और आंध्र प्रदेश 145 लाख टन उत्पादन कर रहा है। और हमारे पास भंडारण क्षमता इतना कम है कि किसानों से धान खरीदने के बाद वे उसे खुले में रख रहे हैं या प्राथमिक विद्यालयों या सामुदायिक भवनों में रख रहे है। क्योंकि स्थान उपलब्ध नहीं है।

मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी अच्छे हैं जो इस संबंध में बहुत संवेदनशील हैं तथा उन्होंने सार्वजनिक, निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के अंतर्गत 151 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निर्माण के लिए अनुमति देकर इस दिशा में तटस्थ कार्रवाई की है। मुझे पंजाब से ईर्ष्या नहीं है। मैंने सदैव किसानों का समर्थन किया है। चिंता की बात यह है कि आंध्र प्रदेश में 5.56 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए अनुमति दी गई है। जबकि पंजाब को 70 लाख ...*(व्यवधान)* से अधिक के लिए अनुमति मिली है। मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। जहां कहीं किसान है उनकी मदद अवश्य की जानी चाहिए। मैं उनके पक्ष में हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बादल जी, आपने अभी जो बात कही है राव जी, आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव: पिछले छह माह से हम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न केवल कृषि मंत्री बल्कि माननीय मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री हम उनको यह कहते आ रहे हैं कि अप्रत्याशित भारी वर्षा के कारण धान का रंग बदल रहा है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पके हुए चावल को ही निर्यात करने की अनुमति दी जाए जिससे कि बदरंग हुए चावल को भी अर्ध पके रूप में बदला जा सके और उसे निर्यात किया जा सके। देश के बाहर इसकी मांग है। वे सभी लोग बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे थे। उन्होंने निर्यात के लिए अनुमति दी थी। छह माह का समय बीत चुका है और लगभग सारा धान किसानों के हाथों से निकल चुका है। यह चावल के मिल मालिकों के पास पहुंच गया है। अब 40 दिन पूर्व उन्होंने दस लाख मीट्रिक टन की निर्यात की अनुमति दी थी। इसके बावजूद दयनीय स्थिति ऐसी है कि विभिन्न मंत्रालयों के रोक टोक के कारण, विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय में, पूरा का पूरा दस लाख मीट्रिक टन की निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। यह कैसी दयनीय स्थिति है। हम आंध्र प्रदेश के किसानों को कोई जवाब नहीं दे पा रहे है। माननीय मंत्री ने कृपा करके हमें बताया कि और 20 लाख मीट्रिक टन की निर्यात की अनुमति दी जाएगी। चावल मिलों के मालिकों तथा आंध्र प्रदेश के किसानों के पास 50 लाख मीट्रिक टन चावल पड़ा था जब भंडारण क्षमता नहीं है तो उस चावल का क्या होगा? भारतीय खाद्य निगम इसको नहीं खरीदेगा और चावल मिल मालिक न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 200 रुपये कम पर किसानों से उसे खरीद लेंगे। कुल प्रभाव यह है कि इस मौसम में आंध्र प्रदेश के किसानों को 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने आत्म हत्या की। वहीं दूसरी ओर, ऐसे अवसर रहे हैं जब पंजाब में गोदामों को खाली करने मात्र के उद्देश्य से उन्होंने गेहूं पंजाब से आंध्र प्रदेश के गोदामों में भेजा, जहां गेहूं कोई खपत नहीं है। हमने अपनी आवाज उतनी ऊंची नहीं की है जितनी उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि इस सभा में एकमात्र समाधान जितना संभव हो आवाज ऊंची करना है और तभी जाकर कोई व्यक्ति अपनी बात मनवा सकता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछें।

डॉ. के.एस. राव: दूसरी दयनीय बात यह है कि पहले-आओ-पहले-पाओ के नाम पर यहां तक कि वह 10 लाख मीट्रिक टन भी आंध्र प्रदेश में धान मिल मालिकों अथवा व्यापारियों या किसानों को नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. के.एस. राव: महोदय, मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने इसे उन व्यापारियों को दिया है जिनका चावल निर्यात से संबंध नहीं है। और वे अब इसकी कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका भार कृषक समुदाय पर पड़ रहा हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश में गोदामों की क्षमता पांच लाख टन से बढ़ाकर कम से कम 25 लाख टन करें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राव कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. के.एस. राव: मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे पहले आओ-पहले-पाओ आधार के बजाए ओजीएल के अन्तर्गत 20 लाख मीट्रिक टन का निर्यात आदेश भी जारी करें। मैं माननीय मंत्री जी को जानता हूं, वे एक ईमानदार व्यक्ति है। कम-से-कम उनके जैसे लोगों को अवश्य आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए और भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओजीएल के अंतर्गत इस 20 लाख टन और 10 लाख टन को अनुमति मिल सके ताकि किसान लाभन्वित हो सके और आंध्र प्रदेश में गोदामों की क्षमता 25 लाख टन तक बढ़ सके।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): महोदय, आज की चर्चा में माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण विशेषकर पंजाब और आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाए हैं।

पंजाब सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न विशेषकर धान और गेहूं पैदा करने वाले राज्यों में से एक है। आंध्र प्रदेश में काफी मात्रा में धान पैदा होता है। हमने गोदामों का आवंटन करते समय पंजाब और हरियाणा के मामले में विशेष ध्यान दिया है। दो वर्ष पहले हमारे द्वारा शुरू की गई नई पी.ई.सी. योजना के अलावा, पंजाब के पास 70.88 लाख टन की कुल 'कवर्ड' क्षमता है। इसके पास 10.65 लाख टन की 'कैप्ड' क्षमता है। कुल क्षमता 81.53 लाख टन है। वर्तमान 'कवर्ड' और 'कैप्ड' दोनों प्रकार के गोदामों में 75.48 लाख टन खाद्यान्न भण्डार रखा हुआ है। पिछले वर्षो की तुलना में, हमें विशेष ध्यान दिया है ताकि और अधिक खाद्यान्न विशेषकर गेहूं पंजाब से बाहर उपभोक्ता का राज्य महाराष्ट्र और गुजरात को भेजा जा सके।

मेरे पास आंकड़े है। वर्ष 2008-09 में, पंजाब में, 184.97 लाख टन की खरीद हुई। 2008-09 में राज्य से बाहर भेजे गए खाद्यान्न की मात्रा 119.28 लाख टन थी। वर्ष 2009-10 में धान और गेहूं मिलाकर 200 लाख टन की खरीद की गई तथा 153.06 लाख टन खाद्यान्न अन्य राज्यों को भेजा गया। पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक खरीद हुई। यह खरीद 188.43 लाख टन की रही और हमने 165.88 लाख टन राज्य से बाहर भेजा है।

परन्तु अभी भी पंजाब को और अधिक खाद्यान्न अन्य राज्यों को भेजना है। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें इन राज्यों से भी गेहूं खरीदना है और उनका भी भण्डारण किया जाना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से काफी दबाव है। हम स्थिति को संतुलित करने का प्रयास कर रहे है। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी समस्या को समझता हूं। परन्तु पिछले वर्षो की तुलना में हमने पंजाब से कहीं अधिक खाद्यान्न बाहर भेजा है। ... *(व्यवधान)* मैंने स्वयं पंजाब के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री से चर्चा की है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: मैंने एक विशेष टीम पंजाब भेजी है। . ..*(व्यवधान)* महोदय, माननीय सदस्यों को कम से कम मुझे इतना समय देना चाहिए कि मैं वहां जो कुछ हो रहा है उसका बयान कर सकूं। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: हमने पंजाब का बहुत ही विशेष ख्याल रखा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी से मुलाकात की है और माननीय प्रधान मंत्री ने मुझे निर्देश दिया है। दो सप्ताह पहले, पंजाब के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मेरी चर्चा हुई थी। हमें पूरे देश को देखना है। सौभाग्य से, उत्पादन बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पांच वर्षो के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना हो गाया है, बोनस दे दिया गया है। यह भी एक कारण है कि प्रापण बढ़ा है।

माननीय सदस्य बफर मानदंडों के बारे में बोल रहे थे। अधिकतम बफर का कोई मानदंड नहीं है, सिर्फ न्यूनतम बफर मानदंड है। इसके अलावा इस संबंध में निर्णय मौसम पर और त्रैमासिक आधार पर उपलब्धता पर निर्भर करता है। जब उपलब्धता होती है तो खरीद किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा राज्यों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार बफर मानदंड मौसम पर मौसम और उत्पादकता पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि उच्च बफर मानदंड है। ऐसे भी मौसम रहे हैं, जब बफर मानदंड घटे हैं और ऐसे भी मौसम रह हैं, जब बफर मानदंड बढ़े हैं। यह भी एक कारण है।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मंत्री जी जवाब थोड़े दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। उसके बाद आपको जो पूछना है, पूछ लीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्रीजी के अलावा किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

[अनुवाद]

श्री के.वी. थॉमस: माननीय सदस्यों को सब्र से मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने भी उनकी बात धैर्य से सुनी है। मैं राज्य सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहा हूं। हाल ही में, पंजाब की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पांच दल भेजे गए थे। कार्यकारी निदेशक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को पंजाब में तैनात किया गया है। आज भी हमें पंजाब से चावल लेने में कोई समस्या नहीं है। 1.7.2011 की स्थिति के अनुसार एफसीआई के पास 8.1 लाख टन की रिक्त आबंटित भंडारण क्षमता थी जिसकी तुलना में पंजाब के मिल मालिकों ने केवल 3.35 लाख टन अन्न ही मुहैया कराया था। इसलिए हमें आज भी पंजाब से चावल स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं गेहूं के संबंध में उनकी समस्या को समझता हूं। पंजाब चाहता है कि उत्पादित सारा गेहूं पंजाब से बाहर जाना चाहिए परंतु हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा ऐसे अन्य राज्यों को भी देखना पड़ता जिन्होंने गेहूं का उत्पादन शुरू किया है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हरेक कदम उठाएंगे कि किसी भी राज्य में खाद्यान्न खराब न हो।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: खाद्यान्न की बर्बादी के संबंध में मैं सदन का ध्यान इस ओर (आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों के कारण बर्बादी में कमी हुई है। एफसीआई के मामले में 2005-06 में 95.075 टन की बर्बादी हुई थी जो 2006-07 में घटकर 25,253 टन रह गई। पिछले वर्ष यह बर्बादी 6,137 टन रही। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के अलावा किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

प्रो. के.वी. थॉमस: हमें मीडिया के दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुझे आंकड़े मिल गये हैं जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। एफसीआई गोदाम में होने वाली खाद्यान्न की क्षति जोकि पांच वर्ष पूर्व 2.5 प्रतिशत थी घटकर 0.07 प्रतिशत हो गई है। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और यदि हमें कोई संदेश हो तो हम उसका सत्यापन भी करा सकते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम सभी उपाय कर रहे हैं एफसीआई के सभी गोदाम कम्प्यूटरीकृत हैं और मुझे प्रतिदिन प्रत्येक गोदाम की स्टॉक की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्राप्त होते हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पीईसी स्कीम की बात करें तो हम 2013 तक 152.9 लाख टन सृजित करने का निर्णय ले चुके हैं कतिपय मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक राज्य को गोदाम आबंटित किए गए है। खरीदने वाले राज्य के मानदंड तीन वर्षो की खरीद और उपभोग करने वाले राज्यों के लिए मानदण्ड उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चार माह की आवश्यकता है। मेरे मित्र श्री के.एस. राव की शिकायत वाजिब है क्योंकि जब हमने पंजाब को पहली बार 70 लाख टन आबंटित किया था जो इसी मानदंड के आधार पर किया गया था। पंजाब में खरीद सरकारी एजेंसी द्वारा की जाती है और इसीलिए आंकड़े हमारे पास है। इसलिए हमने उन्हें 70 लाख टन का आबंटन किया। आंध्र प्रदेश में धान की खरीद मिल मालिकों द्वार की जाती है न कि सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश में सरकार और एफसीआई द्वारा सीधी खरीद बहुत कम मात्रा में की जाती है। आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की उपस्थिति में मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी और हमने आंध्र प्रदेश की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया।

डॉ. के.एस. राव: कम से कम 30 लाख टन तक।

प्रो. के.वी. थॉमस: मैं 30 लाख टन का आश्वासन नहीं दूंगा परंतु आंध्र प्रदेश को दो रुपयों में पर्याप्त मात्रा दी जाएगी। पीईसी योजना के अंतर्गत हमारे पास जो 153 लाख टन उपलब्ध है। उसमें से कुछ मात्रा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आबंटित की जाती है, आंध्र प्रदेश को भी आबंटित करेंगे, एक नई साईलो स्कीम आ रही है। मंत्रिमंडल और ईजीओएम देश में 2 मिलियन टन साईलो सृजित करने पर सहमत हो गए हैं। हम इसके लिए एक स्कीम तैयार कर रह हैं कि पंजाब; आंध्र प्रदेश और उस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितना साइलो होनी चाहिए योजना आयोग ने एक स्कीम तैयार की है और जल्द ही हमें इसे क्रियान्वित करेंगे। इस संबंध में प्रयोग चल रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं पंजाब में था और वहां मैंने साइलो देखे। यह सफल रहा है। पंजाब सरकार ने पहल की है। हम पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम पंजाब सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हैं। मैं चार क्षेत्रीय बैठकें में भाग ले चुक हूं। बाद में हम उत्पादन करने वाले राज्यों उपभोग करने वाले राज्यों को अलग-अलग बुलाया। समाधान ढूंढने के लिए इन राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं।

जहां तक आने वाले मौसम में पंजाब में उत्पादित होने वाले चावल का प्रश्न है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि एफसीआई इसे खरीद सकेगी और देश के अन्य राज्यों में भेज सकेगी।

जहां तक आंध्र प्रदेश का प्रश्न है, उसकी समस्या वास्तविक है। वहां चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है। हम इस बात पर आंध्र प्रदेश के साथ चर्चा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहां उपस्थित मेरे साथियों ने यह बताया है कि खाद्यान्न की कुछ मात्रा आंध्र प्रदेश से बाहर भेजी जानी चाहिए। हम अभी तक न तो सेला चावल और न ही गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं। हम केवल बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से आए कुछ अभ्यावेदनों पर हमने 10 लाख टन गैर-बासमती चावलों का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। दुर्भाग्य से, मैं कानूनी लड़ाई में फंस गया। हम पता लगा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है।

डॉ. के.एस. राव: बासमती चावल के बारे में क्या किया?

प्रो. के.वी. थॉमस: मैं गैर-बासमती चावल की बात कर रहा हूं, बासमती चावल की नहीं। इस पर कानूनी लड़ाई चल रही है। हम वाणिज्य मंत्रालय पर मामले को निपटाने का दबाव डाल रहे हैं?

इसके बाद एक और प्रस्ताव है जो कि पंजाब और हरियाणा से आया है कि गेहूं की कुछ मात्रा बाहर भेजी जाए। हम पूरे वितरण की जांच कर रहे हैं। भारत जैसे देश के साथ दो समस्याएं हैं। एक तो हमं पीडीएस के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न की आपूर्ति करनी पड़ती है। सौभाग्य से पीडीएस में खाद्यान्नों की लिवाली 95% तक बढ़ गयी है। दो वर्ष पूर्व यह केवल 95 प्रतिशत थी। अब राज्यों में लक्षित सर्वाधिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत लिवाली बढ़कर 95% तक हो गयी है। परंतु विशेष योजना के अन्तर्गत हमने राज्यों को 150 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए हैं।

हमने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्यों को 50 लाख टन दिया है। हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने 170 निर्धनतम जिलों को 50 लाख टन आबंटित करने की इच्छा व्यक्त थी। हमने उच्चतम न्यायालय को कहा है कि 50 लाख टन आपके पास है लेकिन अभी तक केवल 9 लाख टन को उठाया गया है। इसलिए हम पहले से ही राज्यों को 150 लाख टन जारी कर रहे हैं। यह स्थिति है।

हम सभी एहतियात बरत रहे हैं ताकि हमारे किसानों जिन्होंने अच्छा उत्पादन किया है, को अच्छा मुल्य मिले। उनके सभी उत्पादनों की खरीद होनी चाहिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को कार्यान्वित करने के मामले में इसे कार्यान्वित करना राज्य सरकार का दायित्व है। अच्छी बात यह है कि मैं पंजाब में एक मंडी का दौरा किया वहीं मैंने पाया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है। मुझे इसके

बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं आंध्र प्रदेश गया तो वहां शिकायतें थी। मैंने राज्य सरकार के साथ इसकी चर्चा की है। अधिक भंडारण के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। राज्य 2000 करोड़ का उपयोग तथा गांव स्तर से तालुका स्तर तक गोदामों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं सभी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि किसी भी तरह खाद्यान्न की बर्बादी न हो।

निर्यात पर आगे चर्चा करने के संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि राज्यों ने यह अनुरोध किया है कि कुछ मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जाना चाहिए तथा कुछ मात्रा में गैर-बासमती चावल का भी निर्यात किया जाना चाहिए। यह उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह के समक्ष है और हम उचित निर्णय लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 5700/15/11]

अपराह्नः 2.35 बजे

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011-जारी

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आइटम नं. 9, श्री वीरेन्द्र कश्यप।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, सबसे पहले मुझे यहां से बोलने की इजाजत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2001 पर जब चर्चा हो रही थी, तो वह बीच में रोक दी गई थी। उसे मैं अब कन्टीन्यू करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हम जो गरीबों और अमीरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसे एजूकेशन सिस्टम को पहले बराबर करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में अमीर बच्चों, गरीब बच्चों, शहरों या गावों में पढ़ते हैं सबके लिए एक समान एजूकेशन सिस्टम होना चाहिए और सब को एक जैसी शिक्षा मिले। इस कम्पीटिशन के युग में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान ठीक होना चाहिए। वह तब ही हो सकता है जब हमारे पास अच्छे और वैल क्वालिफाइड टीचर्स हों।

सन् 1964 में एजूकेशन कमीशन बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट में एक अच्छी बात यह थी, जिसमें यह कहा गया था।

[अनुवाद]

भारत के भविष्य को अब उनकी कक्षाओं में तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

यानि हमारे देश का भविष्य क्लास रूम में बनेगा। उस समय 1964 में हमारे शिक्षा निर्माताओं ने कल्पना की थी, उन्होंने यह सपना देखा था, जो आज भी हम देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी शिक्षा का प्रसार हुआ है और स्कूल्स की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन एजूकेशन के प्रसार को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि जहां हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, वहीं हमारे पास बच्चों को बैठने के लिए क्लास रूम्स नहीं हैं। अगर क्लास रूम्स हैं तो टाट पट्टी नहीं है। अगर टाटा पट्टी है तो वहां पर टीचर्स नहीं हैं। अगर टीचर्स हैं तो शिक्षिक नहीं हैं, ट्रेन्ड नहीं हैं। नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन बिल में जो यह संशोधन लाया गया है, उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि इन बातों पर गौर किया जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे अध्यापक हों।

[अनुवाद]

एक अध्यापक को यह स्पष्ट रखना चाहिए कि न केवल छात्रों बल्कि सभी दावेदारों द्वारा उस पर पैनी नजर रखी जाती है। उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत जीवन भी बहुत मायने रखता है। यदि अपने निजी जीवन में वह भद्रजन और नैतिक मूल्यों के अनुपालक नहीं हैं तो वह बमुश्किल प्रभावी अध्यापक हो सकता है।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छा अध्यापक,

[अनुवाद]

यदि हम एक अच्छा शिक्षक पैदा करना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर रहे, जो कल के नागरिक हैं और देश

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का भविष्य हैं और यह बात योग्य टीचर के माध्यम से बेहतर हो सकता है। इसीलिए टीचिंग को हम प्रोफेशन तक ही सीमित न रखें।

[अनुवाद]

यह केवल पेशकश ही नहीं होना चाहिए। यह एक पेशा, एक आह्वान, एक मिशन है। सर्वाधिक प्रशस्ति शिक्षक वे नहीं हैं जो खाली मस्तिष्क को भरते हैं बल्कि वे हैं जो सोचने की क्षमता है और सीखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं।

[हिन्दी]

यानि बच्चों में एक ऐसी भावना भरें ताकि उस टीचर की मोरल वैल्यू को देखते हुए, उसके मोराल को देखते हुए, जिसे हम प्रोड्यस करना चाहते हैं बच्चों का उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। आज हमने कांट्रेक्ट पर टीचर्स को रखना शुरू कर दिया है। कही पर विद्या पाठक रखे गए हैं, कही कहा गया कि विद्यार्थी मित्र हैं और कहीं पर पैरा-टीचर्स हैं। इस प्रकार से उन टीचर्स के लिए जो वैल क्वालीफाइड हैं, उन्हें लो पे दे रह हैं और जो इतने शिक्षित नहीं हैं, जेबीटी हैं, उन्हें गांवों में 20,00, 25,000 रूपये तक मिल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कई जगह पर प्रॉक्सी टीचर्स की बात हो रही है। हमारे दूर-दराज के देहाती क्षेत्रों में, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियज हैं, वहां पर प्रॉक्सी टीचर्स हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो टीचर 20-25,000 रुपया ले रहा है, वह पांच-छ: हजार रुपए में अपनी जगह किसी को भेज देता है और खुद अन्य जगह कोई दूसरा काम करके अपना धंधा चला रहा है। यह बात हमें देखने को मिली है। इसका सीधा-सीधा नुकसान देश में रहने वाले उन 70 प्रतिशत देहात के बच्चों का हो रहा है, जो दलित परिवार के हैं, ट्राइबल्स हैं।

बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी-टीचर्स काम कर रहे हैं। प्रॉक्सी टीचर का मतलब है कि टीचर 20-25 हजार रुपया महीना ले रहा है वह 5-6 हजार रुपये महीने में वहां पर किसी और को अपनी जगह पढ़ाने के लिए लगा देता है और खुद अपना दूसरा धंधा चलाता है। इसका सीधा असर हमारे बच्चों की शिक्षा पी पढ़ रहा है। हमारे 70 प्रतिशत बच्चे देहातों में रहते हैं, जो दलित है।, ट्राबल्स हैं, उन्हें हम ठीक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे टीचर्स अच्छे हों, उनका प्रशिक्षण अच्छा हो। ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान में आज 7.72 लाख टीचर्स अप्रशिक्षित हैं, उनमें 5.47 लाख मिडिल और 2.25 लाख प्राइमरी टीचर्स है। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित टीचर्स हैं तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? यह सोचने वाली बात है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो प्राइम-मिनिस्टर एडवाइजरी पैनल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सी बातें रखी गई। आप लोगों ने यह निर्णय बहुत अच्छा लिया, जिसमें आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए टीचिंग को अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि

[अनुवाद]

हमें शिक्षकों को समाज में सम्माननीय स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है जहां प्रत्येक शिक्षक स्वयं सृजनात्मक और जिज्ञासु दृष्टिकोण प्रोन्नति करे और आयाम सोचे।

[हिन्दी]

इसमें आपका निर्णय आया है कि आप 15 लाख ग्रेजूएट साइंटिस्ट, 3 लाख पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट और 30 हजार पीएचडीज साइंटिस्ट वर्ष 2025 तक चाला चाहते है। यह बहुत अच्छी बात है। इसे आप बेहतर तरीके से करेंगे, तो मैं समझता हूं कि साइंस टीचर्स और साइंटिस्टों की जो कमी है वह पूरी हो सकेगी।...(व्यवधान)

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने वर्ष 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय देश के हर जिले में खोले। वहां हमें जाने का मौका मिला, वहां, हमें टीचर्स घेर लेते हैं और कहते हैं कि 1.1.2004 से पहले जिन लोगों ने अपाइंटमेंट स्कीम ली, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उन्हें पेंशन दीजिए। जिन लोगों ने वर्ष 1985 में सेंट्रल स्कूल में ...*(व्यवधान)* सर, मैं एक मिनट और चाहता हूं। सर, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय के टीचर्स की समस्याओं को सरकार हल करें।

आप जो एनसीटीई में अमेंडमेंट्स लाए हैं बिल्कुल सही अमेंडमेंट्स हैं और इन अमेंडमेंट्स के लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि एनसीटीई की जो एक्टिविटीज हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसमें आप पारदर्शिता लाएं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बंगलिंग होती है। एनसीटीई के बहुत से केसेज जब हमारे प्रदेश से यहां आते हैं तो उन्हें लटकाया जाता है, कई-कई साल तक लटकाया जाता है और यहां जो लोग बैठे हैं वे उसमें कुछ-न-कुछ गड़बड़ी करने

का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। एनसीटीई अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो हमारी शिक्षा में अच्छा सुधार होगा और अच्छे टीचर्स हमें मिल पाएंगे।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए अमेडमेंट बिल नेशनल काउंसिल फार एजुकेशन, जो कि राज्य सभा द्वारा पारित हुआ है, इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज के संदर्भ में जबकि हम एक नए विश्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में जब एक ज्ञान आधारित समाज हम बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान आधारित समाज तभी बनेगा, जबकि हमारे नौजवानों की शिक्षा की नींव मजबूत हो। इसके लिए आपने अध्यापकों के शिक्षण परिषद के बारे में बात कही, इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। मै आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहती हूं कि बहुत समय तक "टीचर ट्रेनिंग" शब्द का प्रयोग होता था और जो "प्रशिक्षण" शब्द है, उससे कई बार ऐसा लगता है कि यह रोजबर्रा के कामकाज को लेकर एक तरह के स्किल के प्रशिक्षण की बात हो रही है। आपने एक कदम आगे बढ़ कर एजुकेशन की बात कही, इससे लगता है कि न केवल रोजमर्रा के कामकाज बल्कि एक तरह से पूरे शिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ोत्तरी के लिए और गुणात्मक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। इसके साथ मैं यह भी जोड़ना चाहती हूं कि क्या यह अच्छा होता, अगर हम टीचर लर्निंग की बात करते। जैसा एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि

[अनुवाद]

केवल एक ही चीज जो मेरे शिक्षण को प्रभावित करती है, वह शिक्षा है।

[हिन्दी]

क्योंकि लगातार जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि वह शिक्षा जो हमें छोटे दायरे में बांधती है, उससे नुकसान होता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा एनसीटीई का काम वर्ष 1993 से चल रहा था और जैसा कि उस दिन मंत्री जी ने कहा कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश वर्सिस उपेन्द्रा राय एंड अदर्स के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके बाद यह बेहद जरूरी था कि हम इस तरह का संशोधन विधेयक पेश करें। और पुन: परिभाषित करें जो नेशनल काउंसिल फार टीचर एजूकेशन है, उसकी भूमिका क्या होगी और किस तरह से हम उसके काम को आगे ले कर जाएंगे।

मैंने इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेन्सस का भी अध्ययन किया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हालांकि मंत्री जी ने उस दिन बहुत विस्तार से बताया कि इन्होंने विभिन्न तरह के जितने भी स्कूल्स हैं, उनको अपने इस एक्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बिल में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने उस दिन ऐडेड स्कूल, अनऐडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल आदि सब तरह के स्कूल का अपने उद्बोधन का उल्लेख किया था। यह बेहतर होता कि जो परिभाषा की सूची है, जिसमें उन्होंने अलग अलग चीजों को परिभाषित किया है, वहां अगर इसे स्थान मिलता तो यह और अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद भी आपने काफी हद तक के स्कूल से आपके क्या मायने हैं और आप किन चीजों को इसमें जोड़ना चाहते हैं, आपने इसमें स्पष्ट किया है। हमारा जो पुराना कानून था, उसका जो सेक्शन 12 (डी) है, और उसके बाद सेक्शन 32 (डी-1) है, उसे अब आपने नये ढंग से जो परिभाषित किया है, उसमें अब वह सेक्शन 12 (ए) और 32-2 (डीडी) कालेज में आया है। आपने उसमें न्यूनतम अहर्ताएं और योग्यताएं क्या होंगी और स्पष्टत: आप किसी शिक्षक से क्या योग्यता चाहते हैं, इसे आपने चिह्नित किया है। मेरा आपसे इसमें विशेषत: दो चीजों का अनुरोध है। एक- जब से राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पल्सरी ऐजूकेशन एक्ट 2009 आप लेकर आऐ हैं, उसके सेक्शन 23 में आपने यह प्रावधान दिया है कि जो मौजूदा शिक्षक है जाहिर है कि उनमें से बहुत सारे होंगे, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो कि आपके एनसीटीईई के नार्मस के मुताबिक होना चाहिए, तो आरटीआई के अन्तर्गत आपने सेक्शन 23 में प्रावधान किया है और पांच साल की अवधि निश्चित की है कि जिसके अन्तर्गत वह अपने आपको दोबारा शिक्षित कर ले, प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। लेकिन इस बिल में एनसीटीईई को जो संशोधन आप लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आपने कोई अवधि निर्धारित नहीं की है। इस बात का मैं स्वागत करती हूं। जो वर्तमान में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको अगर आप बिना किसी तरह का समय दिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अगर आप उस काम को आगे बढ़ाते तो यह संभव नहीं था लेकिन मेरा अनुरोध है कि दोनों के बीच में कोई कांट्रेडिक्शन नहीं हो, इसलिए इसको देखते हुए दोनों अपने आप में काम्प्लीमेंट करें, जैसा कि आपने स्थायी समिति की रिकमेंडेशन के जवाब में दिया है, तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर हम उसके लिए एक समय सीमा तय कर लें और अध्यापकों के शिक्षण के लिए और रोजमर्रा के काम काजसे जुड़ने के लिए हम उन्हें तैयार करें तो यह बेहतर होगा। यह मेरा पहला सुझाव है।

मेरा इस संबध में दूसरा सुझाव है कि यह जो अध्यापकों का शिक्षण कार्य जिन संस्थानों में होगा, उनमें जो अध्यापक ये कार्य सम्पादित करेंगे, उनकी क्या न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए, ये इसमें कहीं पर निश्चित नहीं किया गया है, जिसके बारे में भी मेरा अनुरोध है कि एक स्पष्ट विचारधारा तय कर लेनी चाहिए। तीसरा

मेरा अनुरोध है चूंकि शिक्षण का जो कार्य है, वह हमारे समवर्ती सूची का काम है और आपको राज्यों को विश्वास में लेकर ही इसका क्रियान्वयन करना होता है और हम सबने देखा है कि शिक्षा के अधिकार कानून में जिन-जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख रहा है, उन राज्यों में बेहतर काम हुआ और जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख नहीं रहा, वहां पर वैसा कार्य नहीं हो पाया। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर नियम भी नहीं बन पाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें मैंने यह भी देखा कि बहुत सारे राज्य हैं जिनमें असम से लेकर पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मध्य प्रदेश इन सब में आज शिक्षित अध्यापकों की बेहद कमी है और कुल मिलाकर जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी भी कमी है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम पूरे देश में यूनिफार्मली गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि हम सारी राज्य सरकारों के साथ बैठकर इसके लिए अपनी ओर से भी प्रयास करें। मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि यूनेस्को ने 1996 में एक स्टडी की और उसके बाद कहा कि

[अनुवाद]

"शिक्षण को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए यह एक प्रकार की लोक सेवा है जिसमें सतत और गंभीर अध्ययन के माध्यम से अर्जित शिक्षक की विशेष जानकारी और दक्षतापूर्ण कौशल शामिल है।"

[हिन्दी]

यानि उन्होंने यह माना कि जो शिक्षण का काम है, उसको सतत करते रहने की आवश्यकता है और यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में अध्यापकों के शिक्षण को लेकर एक अध्ययन किया और उनका निचोड़ भी यही निकल कर आया कि लगातार उसमें अध्ययन और अध्यापन का सिलसिला जारी रहेगा तब जाकर बेहतर शिक्षण व्यवस्था होगी। ऐसा देखने में आया है मेरे पूर्ण वक्ता ने भी इसका जिक्र किया कि हम यह पाते हैं कि कई जगहों पर शिक्षण का कार्य उस तरह से नहीं हो पाता।

यह देखने में मिलता है। कि कई स्कूल्स में क्योंकि स्कूल्स और अध्यापक सीधे-सीधे विचारधारा के वाहक होते हैं और कई बार यह महसूस किया जाता है कि हमारे जो शिक्षण गण हैं, वे समक्ष की बजाए याद्दाश्त पर ज्यादा बल देते हैं और समझ की बजाए यदि याद्दाश्त पर ज्यादा बल शिक्षण व्यवस्था में होगा तो उस पीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। फक्र के साथ कह सकें कि हमने किस चीज का अनुसंधान किया, किस चीज का अन्वेषण किया। फिर वो मनोज कुमार की प्रसिद्ध पिक्चर का गाना है, "जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनियां को तब गिनती आई" उसकी बजाए आज की थ्री इडियट्स फिल्म में गाना आया "कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।" ऐसे एक वातावरण का निर्माण होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विद्यार्थियों को क्या सोचें ये नहीं सिखाएं बल्कि कैसे सोचें, यह सिखाएं। ऐसे अध्यापकों की हमें जरूरत है।

अंत में, मै। यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि जैसे मेरे अध्यापक गण हैं, वे विचारधारा के वाहक हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, उन्होंने अपने खुद के बचपन के किस्से का अपनी किताब अग्निपंख में जिक्र किया जबकि उन्होंने महसूस किया कि एक विशेष अध्यापक जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझती, उनकी ओर से जब भी शिक्षा का कार्य संपादित होता था, तब वो कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था और गैर बराबरी पनपती थी। ऐसे में जरूरी है कि लगातार समाज, धर्म और जाति के भेदभाव को अलग हटाकर शिक्षकों को शिक्षित करने की सुविधा मिले, ऐसा वातावरण बने जिसमें सभी छात्रों को एक नजर से देखा जाए, बैक बैंचर्स को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे आगे बढ़कर देश के नवनिर्माण में साथ दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर पीछे भी व्यावधान की वजह से बहस नहीं हो पाई थी और आज जल्दबाजी में इसे पास किया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, इसमें माननीय सदस्यों के विचार आ जाते तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय: यह जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी को ही पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में 10,31,000 शिक्षकों की जरूरत है। मैं इस बिल में विस्तार से देख रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड और जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों का समावेश किया है। जहां तक रेश्यो की बात है, एक कक्ष में 25-30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक होना चाहिए। यह हमारा मानक है लेकिन आज बैलेंस नहीं है। यहां तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्लास में 40, 50 या 60 बच्चे बैठते हैं और अध्यापकों की कमी है। जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां अध्यापक नहीं हैं और जहां ज्यादा हैं वहां बच्चे कम हैं। इस बैलेंस को देखना पड़ेगा

[अनुवाद]

अपराह्न 2.57 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

महोदय, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण बनाना होगा। हमें विशेष तौर पर प्राइमरी विद्यालयों की तरफ ध्यान देना होगा। अच्छा वातावरण इसलिए बनाना होगा क्योंकि बहुत से विद्यालयों में पेड़ के नीचे या मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां धूल भी उड़ रही होती है और गंदगी भी होती है। कई प्राइमरी विद्यालयों में गाय भैंस घूमती हैं क्योंकि बाउंड्री नहीं होती है। हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना होगा, बाउंड्री बहुत आवश्यक है। इसकी व्यवस्था करनी होगी। वहां बाथरूम नहीं है, अगर बने हैं तो हालत बहुत खराब है। अतिरिक्त भवनों और कक्षों की जरूरत है जो अब तक नहीं बना है। हम शिक्षकों की बात कहते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। हम चाहते हैं कि योग्य शिक्षक आएं। पहले शिक्षकों का सम्मान होता था। समाज में शिक्षकों को आदरपूर्ण तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार शिक्षकों के सम्मान की तरफ विशेष ध्यान दें। बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बैठने के लिए घरों से खाद की प्लास्टिक की बोरियां ले जाते हैं क्योंकि टाट पट्टी नहीं होती है। बच्चों के लिए प्रापर यूनिफार्म की व्यवस्था करानी चाहिए। कुछ राज्यों ने व्यवस्था की है। जिस प्रकार केन्द्र सरकार मिड-डे-मील योजना चला रही है उसी प्रकार से यूनिफार्म भी मुहैया करानी चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए।

योग्य शिक्षकों की बात कही गई है। इनमें बीएड, बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी की व्यवस्था की गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

एलटी के भी हमारे तमाम अध्यापक हैं, जो बड़े योग्य और शिक्षित हैं। लेकिन उनके प्रशिक्षण के बारे में आपने जो कहा कि वे पढ़-लिखकर आते हैं एक से लेकर बीए, एमए, तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद बीटीसी, एलटी, विशिष्ट बीटीसी की अलग परीक्षा देते हैं और यदि उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें चयनित करें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। आप उनकी दोबारा परीक्षा न लें।

महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है। आज भी हम लोग जब वहां जाते हैं तो शिक्षामित्र ही एक ऐसा अध्यापक होता है, जिसे मानदेय पर रखा गया है। उसे हम पूरा वेतन भी नहीं देते हैं, केवल मानदेय देते है। लेकिन पूरे स्कूल का वातावरण, पूरी शिक्षा की व्यवस्था केवल उसी पर डिपैन्ड करती है और जो वहां रेगुलर अध्यापक होते हैं, वे थोड़ा उससे विरक्त रहते हैं, वे कहीं न कहीं चले जाते हैं तथा स्कूल को शिक्षामित्रों के भरोसे छोड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, वह उसे रेगुलर करे, ताकि उन्हें भी सही तरह से मौका मिले। ये लोग रेगुलर अध्यापकों से ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि इन शिक्षामित्रों को रेगुलर किया जाए।

महोदय, हम विदेशी शिक्षा की नकल की बात करते है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उस परिसर में प्रोपर वे में शिक्षा का माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे घरों में पढ़ते हैं तो वहां शिक्षा का एक माहौल होता है, उस प्रकार का वातारण हमें प्राइमरी पाठशालाओं में देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा हो, उसमें प्राइमरी शिक्षा पर हमें ठोस ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि इन्हीं बच्चों के कंधों पर हमारे देश का भविष्य है। इनके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी शिक्षा में कोई कमी न आये और प्राइमरी स्तर से हमारी यह देखने की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे छात्रों का ध्यान किस रोजगार, किस ट्रेड की तरफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए।

अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है और इस बिल को पास भी करना है। इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। 12 फरवरी, 2008 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिसमें टैक्निकल टीचर्स को ही टीचर्स माना है, इसलिये इसमें अमेंडमेंट आवश्यक है। इस अमेंडमेंट का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है कि जो टीचर्स हैं, अगर टीचर्स में ही टीचर्स की काबलिएत नहीं है तो वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, आज सवाल इस बात का है। सैक्शन 12 (ए) में टीचर्स का स्टैंडर्ड का रूल फॉर केटेगरी लेड आउट है। अखबारों में छपा है कि इस समय 14 लाख 60 हजार टीचर्स की आवश्यकता है। लेकिन टीचर्स कोई फैक्टरी नहीं है या कोई अनाज और फूड ग्रेन

नहीं है कि यूरिया डाल दो और प्रोडक्शन बढ़ा दो। यदि टीचर्स ही ट्रेन्ड नहीं हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी?

अब आप उनकी हालत को देखिए। पहले आप यह देखें कि इनकी इंस्पैक्शन फीस चालीस हजार रुपये है। यूनिवर्सिटी में उस स्कूल को चालीस हजार रुपये जमा करने पड़ते हैं, ताकि इंस्पैक्शन टीम आये और चालीस हजार रुपये जमा करने के बाद, माननीय एचआरडी मिनिस्टर को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि वह बहुत हायर स्टैंडर्ड में पढ़ हैं, हार्वर्ड के स्टूडेंन्ट रहे है। लेकिन मैं उन्हें बता देता हूं। ...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं बताना चाहता हूं कि आज बी. एड. की परमीशन लेने में इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है और भ्रष्टाचार के बाद यदि किसी कालेज को कोई बीएड की परमीशन मिलती है तो आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में सोच लीजिए। यदि यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो फिर कैसे होगा। ...*(व्यवधान)*

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सैन्टर बंद कर दिया ...*(व्यवधान)* सैन्टर के रीजनल ऑफिसेज चल रहे हैं। जहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां हो गया, लेकिन अब यहां फैल गया है। इसके अलावा जब भ्रष्टाचार है तो इनके स्टैंडर्डाइजेशन जैसे डा. के.सी. पांडे कमेटी की रिपोर्ट मैं कल रात को देख रहा था। उन्होंने कहा था कि इनकी भी पॉइन्ट्स रेटिंग होनी चाहिए। कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी जिले में 50 कालेजों को बी.एड. की अनुमति दी है लेकिन कोई चेकिंग नहीं होती है कि यहा कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन टीचर पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है और क्या हो रहा है। सिर्फ आप उनसे व्यावसायिक संबंध रख लीजिए तो आप उनको नकल करा कर किसी तरह से टीचर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर व्यापारिक काम ही है तो वह शिक्षा नहीं हो सकती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल से ही शिक्षा की नींव डाली जाती है। मैंने माननीय एचआरडी मिनिस्टर को सुना कि हायर एजुकेशन हॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से इम्पोर्ट करो। लेकिन आज आठवीं का बच्चा हिन्दी भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। वह एक पेज की दरख्वास्त नहीं लिख पाता है तो आगे चल कर क्या होगा। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सर्व शिक्षा अभियान की नींव एकदम गलत साबित होगी और सब अनपढ़ लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे। मेरा कहना यह है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिंग सिस्टम, वह टीचर्स पर भी लागू होना चाहिए। एक बार किसी ने सन् 1940 में या सन् 1980 में कुछ पढ़ लिया, उसके बाद उसका ज्ञान बढ़ाने का या उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स का कोई प्रोविजन नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसे एनसीटी कर सकती है, या जो बिल बनाते हैं वे करें। डॉ. के.सी. पाण्डेय जी की रिपोर्ट में भी कहा है कि रेटिंग सिस्टम इन एजुकेशन, बी.एड. कक्षाओं में होना चाहिए।

आज इसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अब क्या हो रहा है एडहॉक टीचर्स, शिक्षा मित्र टीचर्स, कांट्रेक्ट टीचर्स आदि जितने किस्म के भ्रष्टाचार के पॉसिबल एवेन्यूज हैं, वे सब चल रहे हैं। छठे वेतन आयोग के बाद प्राइमरी शिक्षकों की सेलरी 18000 रुपये हो गई है। इसमें 25 से 35 प्रतिशत टीचर्स को यह मालूम नहीं कि वह पोस्ट किसी दूसरी जगह में है, और वे कांट्रेक्ट में काम करा रहे हैं। उस कांट्रेक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि लोगों की नेक्सस है और पढ़ाई हो रही है। इसकी चेकिंग होनी चाहिए।

जैसे उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें वितरण करती है, बच्चों की इन्फिरीऑरिटी काम्पलैक्स न हो इसके लिए उनको ड्रेस देती है, जिसमें यूनिफार्म है। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा में खासकर प्राइमरी एजुकेशन, उसके ऊपर प्राइमरी एजुकेशन में पूरी तरह से सहयोग कर रही है। लेकिन उसकी बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए, इसके बहुत नियम बनने चाहिए।

[अनुवाद]

केवल मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है।

[हिन्दी]

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुन: समर्थन करता हूं।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् विधेयक 2010 जिसे माननीय मंत्री जी ने कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया है, उस पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे इस विधेयक में बहुत ही अच्छा संशोधन लेकर आए हैं।

महोदय, आदिकाल से शिक्षक ही राष्ट्र-निर्माण की नींव रखते आये हैं। मैं आशा करती हूं कि इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सचमुच में ऐसे शिक्षक तैयार होंगे, जिनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे राष्ट्र की नींव मंजबूत होगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पहले के नियम के अनुसार 1995 से सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय इस सन्दर्भ में 2008 में आया, तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था।

महोदय, मेरी समझ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व भी हमारे देश के सभी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी थी। सिर्फ कानून बना देने से, सिर्फ कानून में संशोधन कर देने से स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। महोदय, कानून को लागू करने के लिए सरकार की नीयत और नीति की जरुरत पड़ती है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। हमारे देश में बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून है। परन्तु सच्चाई क्या है-क्या हम सभी को शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या हम सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे पा रहे हैं? महोदय, मैंने इन बातों का जिक्र इसलिए किया है कि यह संशोधन विधेयक बहुत ही अच्छा है, पर इस पर अमल किया जाये, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।

महोदय, आज भी हमारे देश में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था है। शहरों के लिए अलग शिक्षा, गांवों के लिए अलग शिक्षा, अमीर के लिए शिक्षा की अलग नीति है और गरीब के लिए अलग। महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसी शिक्षा नीति बने, जिससे अमीर-गरीब, गांव शहर सभी के बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिले।

महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहद कमी है। वहां एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त मात्र 57 शिक्षण संस्थान हैं, जिनसे प्रतिवर्ष मात्र 5500 शिक्षक तैयार हो पाते हैं। मंत्री जी इससे सहमत होंगे कि दस करोड़ की आबादी के लिए यह संख्या बहुत ही कम है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि बिहार में बी.एड. संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ बिहार के मानव संसाधन विकास विभाग ने बिहार के सभी 245 अंगीभूत महाविद्यालयों में बी.एड. की पढ़ाई शुरू करने की जो अनुमति मांगी है, उसे स्वीकार किया जाऐ ताकि बिहार में भी प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किए जा सकें।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): सभापति महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक मुख्य रूप से दिनांक 12 फरवरी 2008 के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आधारित सभी श्रेणियों के विद्यालयों में अध्यापक की शिक्षा और योग्यता का मानक निर्धारित करने के बारे में है।

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और एनसीटीई ऐसे क्षेत्र में लागू हुई है विधान की कार्य के बाहर है और यह राय विशेषकर तिहतरवां संशोधन के विधान के विपरीत है जो पंचायतों को शक्ति प्रदान करता है और वे उनकी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए केन्द्र को ऐसे संशोधन के पहले राज्यों के साथ परामर्श करना चाहिए।

दूसरे, शिक्षकों के प्रशिक्षण का हमारा क्या अनुभव रहा है? मेरा अनुभव यह है कि पश्चिम बंगाल में इस एनसीबीई ने विशेषकर हजारों छात्रों के भविष्य को संकट में डालकर अनेक समस्याएं खड़ी की हैं मैं स्कूल बोर्ड का चेयरमैन था और मैं एक शिक्षक भी था। इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वे किस तरह से एक के बाद दूसरी शर्त थोप रहे हैं। इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कैसे सभी अभ्यर्थियों को नियमित करें और मान्यता प्रदान करें जिन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन 2009 के पहले अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त का लिया है। साथ ही, हमारा क्या अनुभव है? एनसीटीई निरीक्षण करते समय बहुत रिश्वत दे रही है। उन्होंने ऐसे निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान की है जिसके पास कोई बुनियादी ढांचा यहां तक कि योग्य शिक्षक संकाय भी नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छानबीन में भी यह पाया गया और उन्होंने इसे एनसीटीई के उत्तरदायी केन्द्र का उल्लेख किया है। यही कारण है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब छह महीने के लिए एसटीई को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि एनसीटीई होनी ही नही चाहिए शिक्षक का सभी प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों के पास निहित होना चाहिए। विश्वविद्यालय इस प्रकार का कार्य करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। इसलिए विद्यालयों को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। एनसीटीई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोठारी आयोग ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि "भारत का भविष्य अब उसकी कक्षाओं में करवट ले रहा है।"

इसलिए कक्षा का प्रबंधन, कक्षा का माहौल और कक्षा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरे देश में काफी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक है। इसलिए उन्हें एक समयावधि दी जानी चाहिए। लेकिन इस प्रयोजनार्थ सरकार निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र के शिक्षा प्रदाताओं व्यक्तियों प्रोत्साहित कर रही है। वे क्या कर रहे हैं? वे सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इससे नाम अर्जित करना है। वे शिक्षा को एक प्रकार की

वस्तु बना रहे हैं और उपाधि प्रदान करने वाली चीज बना रहे हैं। इसलिए इसके लिए कुछ सीमा होनी चाहिए। निजी क्षेत्र की संख्याओं पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। वे शिक्षकों को नियुक्त करते समय आरक्षण नीति का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वे निजी संस्थानों में शिक्षकों को उचित वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। वे ट्यूशन शुल्क अगर कैपिटेशन शुल्क के रूप में भारी भरकम राशि वसूल रहे हैं। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात शिक्षक छात्र का अनुपात भी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए समान मानदंड बनाए जाने चाहिए और केवल मेरिट को ही मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि अध्यापक योग्य नहीं है और उन्हें अपने विषयों का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में स्कूल-सेवा-आयोग अध्यापकों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार का सेवा आयोग यहां होना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात अध्यापकों की अनुपस्थिति है। इसकी जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों को गैर-अकादमिक कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार में भी यह कहा गया है कि शिक्षकों को जनगणना कार्यो या मतदाता सूची के संशोधन में शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? यदि वे ऐसा करते हैं तो यह शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया को बाधित करेगा। ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण वृत्ति की ओर बेहतर छात्रों को आकर्षित करने के लिए उचित वेतन दिया जाना चाहिए और आय तथा सुविधाएं दी जाए। यह मुख्य रूप से राज्यों का दायित्व है। लेकिन केन्द्र को विशेषकर निजी संस्थानों हेतु एक आदर्श आचार संहिता भी बनानी चाहिए। अर्धशिक्षकों और ठेका शिखकों का क्या हुआ? उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

मेरी तीसरी बात यह है कि शिक्षक शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है और इसकी पूर्व सेवा और सेवा के दौरान घटक अलग नहीं है। सिद्धांत और प्रक्रिया के बीच एक संपर्क है। इस प्रकार मौजूदा बी.एड. और बी.एड. के पाठ्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु इसका पुनर्गठन उन्नयन और अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। एनसीआईआरटी, एससीईआरटी और डीआईईटी के विशेषज्ञों की एक समिति को आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु यह कार्य करना चाहिए।

सभापति महोदयः श्री महताब केवल तीन मिनट ही बोलें। आप अंतिम वक्ता हैं। अन्य सभी लोग जो बोलना चाहते हैं वे मंत्रीजी को अपना भाषण दे दें ताकि वे बाद में उत्तर दे सकें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, शिक्षक शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करने का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में गुणवान शिक्षकों की नियुक्ति करना है। उपेन्द्र राय और अन्य 2001 बनाम प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए परिषद द्वारा निर्धारित विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता अप्रयोज्य हो गई है। इसलिए एह स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन आया है कि यह अधिनियम विद्यालय के शिक्षकों विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नयुनतम योग्यता पर लागू होता है ताकि देश में विद्यालयों में शिक्षण का एक समान मानक हो।

शिक्षा समवर्ती सूची में होन के कारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर राज्य सरकार के साथ परामर्श का मुद्दा अनिवार्य था और मंत्रीजी ने परामर्श किया है। लेकिन यहां मुख्य प्रश्न जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार न्यायालय गई थी वही है। मूल प्रश्न जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या आप एक मानक तैयार करने जा रहे हैं या निधारित नियमों लागू करने जो रहे हैं?

जैसाकि मैं संशोधनों को पढ़ रहा था जिसकी राज्य सभा में मांग की गई और सरकार पहले ही विद्यालय की परिभाषा को समाविष्ट कर चुकी है और कुछ अन्य मुद्दे जो वहां थे, विद्यालय की परिभाषा और स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। खंड -4 में विद्यालय में या योग्य शब्दों को इन संशोधनों के माध्यम से विलोम किया गया प्रथम परंतुक में उल्लिखित एक हजार संशोधन एक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता को प्रथम इस अधिनियम में विहित अवधि में अधिग्रहित किया जाएगा।

इस प्रकार, ये कुछेक ऐसे संशोधन हैं जिन्हें राज्य सभा में विचार-विमर्श के बाद समाविष्ट किया गया है। मैं यह कहूंगा कि लोक सभा के लिए जोड़ने हेतु कुछ भी नहीं है।

मूल प्रश्न यह है कि योग्य शिक्षकों की कमी चिंता का विषय है। न केवल मेरे राज्य या दक्षिणी राज्य में बल्कि यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। योग्य शिक्षकों का अभाव एक दूसरी चिंता है। क्या आप अधिक सघन प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करेंगे?

क्या आप राज्य सरकारों और निजी पक्षों को और अधिक संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संख्या संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेंगे?

मेरे विचार से प्रारंभिक स्तर पर लगभग 1.2 मिलियन शिक्षकों की कमी है। नवीं और दसवीं कक्षा के लिए दो लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। मैं यहां पर यह उद्धृत करना चाहता हूं:-

"इसलिए एनसीटीई अपने स्वयं को केवल विनियामक की भूमिका तक ही सीमित न रखें। इसे स्वयं को एक सुविधा-प्रदाता, विकासात्मक मार्गदर्शक संगठन के रूप में बदलने की आवश्यकता है।"

यह मेरे शब्द नहीं हैं। यह माननीय मंत्री जी के शब्द हैं।

सभापति महोदयः कृपया अपनी शेष बातें माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दें। अब समय नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, मैं समझता हूं। माननीय मंत्री को भी उत्तर देना है। परंतु यदि यह माननीय मंत्री तक अपने विचारों को पहुंचाने का तरीका हो जाएगा तो इस पर यहां सदन में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है।

सभापति महोदयः अधिकांश माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों पर बोला है।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, यह कोई निजी मामला नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री भर्तृहरि महताबः जी, हां महोदय।

मेरे पास इतना कुछ सुझाव हैं। मैंने पहले ही दो सुझाव दिये हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा जैसाकि मीनाक्षी जी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संबंध में उल्लेख किया था मैं नहीं समझता कि किसी अन्य सदस्य ने इस मुद्दे पर बोला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रारंभिक स्तर पर 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक का मानक निर्धारित किया गया है। आप यह गणना कर सकेते हैं कि कितने छात्र इन प्रारंभिक विद्यालयों में आ रहे हैं और शिक्षकों की कितनी कमी है और किन राज्यों में यह कमी हैं क्या इस प्रकार के शिक्षक इन संस्थानों में बाहर आ रहे हैं जो वहां पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है? ऐसा नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारें शिक्षित शिक्षकों की सीधे भर्ती कर रही है और तत्पश्चात उन्हें प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाती है।

मैं केवल माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस महत्पूर्ण पहलू पर विचार करे ताकि एनसीटीई देश की बेहतर तरीके से सेवा कर सके।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बलः सर्वप्रथम, मैं सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

जिन माननीय सदस्यों से संशोधन का समर्थन किया है, मैं धन्यवाद करता हूं और आपका आभारी हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि चर्चा से साफ जाहिर है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है, उनके टीचर अच्छे थे क्योंकि अगर उनके टीचर अच्छे नहीं होते तो वे अपनी भावनाओं को कैसे आपके सामने रख पाते? इसका मतलब यह है कि टीचर तो अच्छे है। हां, कुछ कमियां तो है। उन कमियों को हम पूरा करेंगे और जो सुझाव आपने दिए हैं, उनकों हम सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): देश के बारह राज्यों में टीचर की कमी आप रखे हुए हैं। बारह राज्यों में शिक्षा नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, हरेक बात का ध्यान रखा गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है किः

"कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है कि

"खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कपिल सिब्बलः मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अपरानः 3.26 बजे

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम मद संख्या 11 को लेते हैं- श्री विजयबहादुर सिंह।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 30 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 30 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लेंगे पुर: स्थापित किए जाने के लिए विधेयक मद संख्या 12-श्रीमती सुप्रिया सुले।

अपराह्न 3.27 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) बालिका (नि:शुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2010*

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं प्रस्तवा करती हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे माता-पिता की प्रत्येक बालिका को शि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-2, दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे माता-पिता की प्रत्येक बालिका को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सुले: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 13/ श्री डी.वी. सदानंद गौडा: उपस्थित नहीं।

मद संख्या 14-श्री सी.आर पाटिल।

अपराह्न $3.27^{1}/_{2}$ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011** (नए अनुच्छेद 21ख, 21ग और 212घ का अंत: स्थापन)

[हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटिल (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटिल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.28 बजे

(तीन) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011***

(धारा 126 का संशोधन)

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

** भारत के राजपत्र असाधारण मांग-2, खंड-2, दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

*** भारत के राजपत्र असाधारण मांग-2, खंड-2, दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनीष तिवारी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: मद संख्या 16/ श्री एल राजगोपाल-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 17/ श्री एल. राजगोपाल-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 18/ श्री पन्नालाल पुनिया।

अपराह्न 3.28½ बजे

(चार) वृहद परियोजनाएं (समय पर पूर्ण करना) विधेयक, 2011*

श्री पन्नालाल पुनिया (बाराबंकी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी वृहद परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सभी वृहद परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने तथा उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पन्नालाल पुनिया: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.29 बजे

(पांच) गुजरात राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010**

[हिन्दी]

श्री सी.आर पाटिल (नवसारी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिकाओं के कल्याण के संवर्धन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बालिकाओं के कल्याण के संवर्धन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटिल: सभापति महोदय, मै। विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.29 1/2 बजे

(छह) कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2011*

श्री भक्त चरणदास (कालाहांडी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: कि उपेक्षित, बेघर, निस्सहाय, शारीरिक और मानसिक रूप से नि:शक्त कुपोषित बालकों और गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे परिवारों के सदस्यों, जो पोषण आहार के लिए समर्थ नहीं हो सकते, को पोषण आहार की पूर्ति के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि उपेक्षित, बेघर, निस्सहाय, शारीरिक और मानसिक रूप से नि:शक्त कुपोषित बालकों और गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे परिवारों के सदस्यों, जो पोषण आहार के लिए समर्थ नहीं हो सकते, को पोषण आहार की पूर्ति के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भक्त चरण दास: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

(सात) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011***

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय , मैं प्रस्ताव करता हूं: कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

*** भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-2, दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.30 1/2 बजे

(आठ) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2011*

(अध्याय 4 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पाषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.31 बजे

[हिन्दी]

(नौ) कृषक (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण तथा कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2011*

श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों तथा उससे संशक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों तथा उससे संशक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 24- डा. संजीव गणेश नाईक-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 25- श्रीमती विजया चक्रवर्ती-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 26- श्री मोहन जेना।

(दस) सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011(धारा 3, आदि का संशोधन)**

श्री मोहन जेना (जाजपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

***भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन जेना: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(ग्यारह) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011* (धारा 28 का लोप)**

[अनुवाद]

श्री मोहन जेना (जाजपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन जेना: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(बारह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011* (नई धारा 376 ड. का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.के. राघवन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.33 1/2 बजे

(तेरह) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011* (धारा 26, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एस.के. राघवन (कोझिकोंड): महोदय में प्रस्ताव करता हूं कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.के राघवन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03. 34 बजे

(चौदह) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

कि "कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।
*** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.34 1/2 बजे

(पंद्रह) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011*
(धारा 6 से 8 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

कि: "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(सोलह) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बीड़ी के कर्मकारों के कल्याण के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का गठन करने और निधि को प्रशासित भी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है कि: "देश में बीड़ी के कर्मकारों के कल्याण के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का गठन करने और निधि को प्रशासित भी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.36 बजे

(सत्रह) विस्थापित व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

कि: "विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. सेम्मलई: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.30 1/2 बजे

[अनुवाद]

(अठारह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011* (अनुसूची 2 का संशोधन)

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. सेम्मलई: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.11 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.37 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010-जारी

आठवीं अनुसूची का (संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा 19 अगस्त, 2011 को श्री सतपाल महाराज द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी: "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सतपाल महाराज अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आठवीं अनुसूची में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को सम्मिलित करने की मांग है। यह मांग उत्तराखंड से आती है जहां गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। पिछली बार मैं ढोल सागर का जिक्र कर रहा था। ढोल सागर एक ऐसा ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग अपने देवताओं से वार्तालाप करते हैं। ढोल सागर के जरिए नरसिंह, नाग राजा, कोरेल, छेदवा, विदवा, भाषर, पांडव, नरंकार और इसमें बीर भड़ों की गाथाएं जागरों के जरिए गाई जाती हैं। आप अगर किसी शादी को लौटता देखते हैं तो उसमें ढोल बजाने वाले ढोल सागर के माध्यम से ऐसी तरंगे निकालते हैं जो मोरिस कोड की तरह समझी जा सकती हैं। उन तरंगों के जरिए लोगों को पता चल जाता है कि बारात जा रही है या बारात लौट रही है। बारात में दो ध्वज होते हैं- एक सफेद रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है। जब लाल रंग का होता है तो यह पता चलता है कि बारात जा रही है, जब सफेद रंग का आगे आ जाता है तो पता चलता है कि बारात लौट रही है। इस प्रकार के ढोल सागर में शब्द बजाए जाते हैं जिससे लोगों को यह ज्ञान हो जाता है कि बारात चढ़ रही है या उतर रही है। इसी ढोल सागर में इस प्रकार का विज्ञान है कि चौरास बजाने वाला जब चौरास बजाता है तो पूरे मकान को ढा देता है, मकान गिर जाता है। गांवों में अगर बाघ आ जाता है तो लोग ढोल बजाकार यह सूचना दे देते हैं कि उनके गांव में बाघ आ गया है और अड़ोस-पड़ोस के गांवा से लोग बचाने के लिए चलकर आ जाते हैं। गढ़वाली भाषा के अंदर अनेक जागर लगते हैं, कुमाऊनी भाषा में जागर लगते हैं। जिन जागरों के सामने देवी, देवता प्रकट होते हैं, ऐसी यह भाषा है।

सभापति महोदय, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं, जिसमें उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को एक समृद्धशाली, विकसित भाषा के रूप में कुमाऊनी भाषा को एक विकसित भाष के रूप में आपको देखने का अनुभव प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, मैं पांडवों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे उत्तराखंड में पांडवों की संस्कृति रही है और पांडवों का विचरण होता रहा है। ये पांडव जब कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि- हे कृष्ण, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ, अगर तम्हें शिव के दर्शन हो जायेंगे, तो तम्हें मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए पांडव केदार खंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करके शिव की तलाश करने लगे। उस वक्त शिव ने कहा कि मैं इतनी जल्दी इन्हें दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी हत्याएं की हैं। जहां-जहां पांडव जाते थे, शिव भगवान अंतर्ध्यान हो जाते थे। शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। पांडव चलते-चलते केदार घाटी में आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी चीजें पाने के लिए बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। महान चीजें महान कुर्बानी के बाद ही प्राप्त होती हैं और शिवचाहते थे कि पांडव कुर्बानी करें, पांडव तपस्या करेें, पांडव कर्म करें। जब पांडव तपस्या करते-करते केदार घाटी में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिये। वे अनेक बैल बनकर निकले। भीम ने घाटी में दोनो पैर रख दिये और कहा कि जो शिव रूपी बैल होगा,

वह मेरे नीचे से नहीं जायेगा। सारे बैल चले गये, लेकिन एक बैल उलटा दौड़ता है और दौड़ते-दौड़ते जहां पर केदारनाथ जी का मंदिर है, वहां अपना सिर जमीन में धंसा देता है। वह सिर नेपाल में निकलता है, जिसे पशुपति नाथ जी के नाम से जानते हैं औश्र बैल का पिछला हिस्सा भारत में है। यह एक कितनी सुंदर कल्पना है कि एक शिव जिनका चेहरा नेपाल में निकलता है और पशुपतिनाथ के रूप में पूजित होता है और बैल का पिछला हिस्सा भारत में है। एक आराध्य देव के कारण दोनों देश जुड़े हैं। दोनों अलग-अलग देश हैं, लेकिन उनकी आत्मा, जो शिव है, वह एक है। आपको ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन भी करुंगा कि उसके बाद केदार खंड में जगद्गुरू शंकराचार्य जा आते है। आप यह देखें कि जहां पांच केदार माने जाते हैं, उनमें मद-महेश्वर भी आता है। मद-महेश्वर की डोली चलती है और रांचसी गांव में आती है। रांसी के लोग रोते हैं। डोली आगे जाती है फिर पीछे जाती है। वह फिर आगे जाती है, पीछे जाती है। माताएं क्रंदन करते हुए, आंसू बहाते हुए रोती हैं और देवता से

वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि जा-जा फिर चले आना अगले साल। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संवाद और किसी भाषा में नहीं होता है। यह गढ़वाली भाषा में ही सम्भव है, इसलिए ऐसी भाषा को राज भाषा का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कालिदास ने बड़े काव्य लिखे। उनका पहला काव्य मेंघदूत था, जिसमें कालिदास जी लिखते हैं कि वे रामगिरि आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय आसमान से मेघ जा रहे थे और मेघों को जाता हुआ देखकर कालिदास को अपने उत्तराखंड की याद आती है। कालिदास यह सोचते हैं कि ये मेघ अब यहां से जाते-जाते हिमालय की पहाडियों से टकरायंगे और टकरा कर शिव का जो स्थान कैलाश पर्वत है, वहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने मेघदूत की रचना की। मेघदूत के अंदर वे सारे स्थान जहां-जहां से कालिदास जी गये होंगे, वहां के सारे स्थानों का वर्णन किया। वे उज्जैन में भी मेघों को लाते हैं, और उसके बाद वे केदार खंड में आते हैं और केदार खंड के अंदर वे-वे बातें कालिदास जी लिखते हैं, जो उत्तराखंड का व्यक्ति ही लिख सकता है। कालीमठ से आगे 6 किलोमीटर दूर एक स्थान है, जिसे कबिल्ठा कहा जाता है। कबिल्ठा अपभ्रंश शब्द है, जिसका असली शब्द कबीठा और संस्कृत में इसे कविस्थानम्, यानि कवि का स्थान कहते हैं कुछ लोग यह मानते है कि कालीदास वहां पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उनका प्रेम गुप्त काशी नरेश की पुत्री विद्योत्मा से हो गया और राजा ने कालिदास को निष्कासित कर दिया। वह मेघदूत के अंदर यक्ष के यहां न पहुंचने के कारण यक्ष उसको निष्कासित कर देता है, ऐसा लिखता है। कालिदास ने उत्तराखंड की गोधूलि के बारे में लिखा है। गोधूलि एक ऐसा समय होता है

जब गउएं लौटती रहती हैं और सूर्यास्त होता रहता है, इसको धूलि अर्घ्य कहते हैं। जो उत्तराखंड की आत्मा होगी, उत्तराखंड में जो व्यक्ति पैदा होगा, वही धूलि अर्घ्य के महत्व को समझता है। इसको बड़ा प्रभावशाली समय माना जाता है। कुमारसंभव के अंदर कालिदास जी गोधूलि का जिक्र करते हैं कि गोधूलि के समय शंकर जी पार्वती जी का वरण करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की उत्तराखंड की जो निटी-ग्रिटी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बाते हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, वे सब बातें लिखी गयीं और मैं समझता हूं कि ऐसा विरासत में मिला उत्तराखंड का इतिहास हमारे सामने है। इसी प्रकार से गुरू गोविन्द सिंह जी अपने पिछले जन्म के अंदर, विचित्र नाटक में लिखते हैं:

अब मैं अपनी कथा बखानूं, तब साधत जिय बिधि मुहं आनू।

हेमकुण्ड पर्वत है जहां, सप्तसिंह सोअत है तहां, सप्तसिंह तिहं नाम कहावा।

पाण्डु राज जहां जोग कमावा, तहं हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका अराधी।

एह विधि करत तपस्या भयो देव ते एकरूप हो गयो।

गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक के अंदर पिछले जन्म के वृत्तांत को बताया है कि पिछले जन्म में दुष्टों का दमन करने के लिए दुष्टदमन सिंह के नाम से प्रख्यात हुए। हम भी, सनातन लोग भी यह मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी लक्ष्मण के अवतार थे और लक्षमण जी शेषनाग के अवतार थे। इस प्रकार से इसके अंदर यह बात आती है कि जहां पर सात मुख वाला पर्वत है, सप्तसिंह पर्वत है तहां हेमकुण्ड पर्वत है तहां और वहां पाण्डुकेश्वर आपको उत्तराखंड में मिलेगा। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में पाण्डुकेश्वर है जहां पाण्डु राजा ने योग कमाया था। विचित्र नाटक में इन सारी बातों को गुरू गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ऐसा उत्तराखंड है जहां तमाम तपस्वियों ने साधना की और साधना करने के बाद वह कहते है कि उन्होंने महाकाल और कालिका की आराधना की, जिसके प्रताप से वह एक रूप हो गए, यूनिफिकेशन उनका हो गया, तो ऐसे उत्तराखंड के अंदर जो भाषा है, वह देवभाषा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अंदर गागर में सागर उत्तराखंड के कवि लोग भर देते हैं। मैं आपके सामने जनकवि गिरीश चन्द्र तिवाड़ी, जिनको गिरदा के नाम से जाना जाता था, उनकी एक कविता का अंश आपके सामने रखूंगा और बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से कवि गागर में सागर भर देता है। गिरदा लिखते हैं:

त तुक नी लगा उ देख, घुनन-मुनन नी टेक। जैंता एक दिन तो आलो, उ दिन यो दुनि में।

चाहे हम नी लै सकों, चाहे तुम नी लै सकों, मगर क्वे न क्वे तो लालो, उ दिन यो दुनि में।

ज्या दिन ननु ठुलो नि रौलो, ज्या दिन त्या-म्यारा नि होलो, जैंता एक दिन तो आलो।

उ दिन या दुनि में।

गिरिदा लिखते हैं कि ऐसा एक न एक दिन आएगा जब छोटे-बड़े, तेरे-मेरे का भेदभाव नहीं रहेगा, वह दिन चाहे हम न ला सकें, वह दिन चाहे तुम न ला सको, पर कोई न कोई तो आएगा, उस दिन को इस दुनिया में लाने वाला। ऐसे गागर में सागर भरने वाले कवि हमारे गिरिदा थे। मैं लोककवि नरेन्द्र सिंह नेगी को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने एक बहुत सुन्दर गीत लिखा है:

कमीशन की मीठ भात, रिश्वत को रैलो, बस कर भंड्या न सपोड़, अब कदगा खैलो।

नयो-नयो राज उत्तराखंड आसमाछन लोभ, ब्यापणांछन डाम यख लैंडोको तैरो जोग।

कुंभ नहोयोको भोलू, अब अबदा नही रो रे, नियुक्यिों की रस मलाई, ट्रांसफरों को हलवा।

मालदार विभाग में, तेरे चेलों को जलवा।

इसी कविता में आगे कहा गया है:

बारामाचाछन, बारवां चुनाव छन्न, खुल्यो कि हंस ल्यो कि रोल्यो रे।

इसमें कवि इतना प्रभावशाली है कि वह सरकारों को गिरा देता है, सत्ता से लोगों को नीचे गिरा देता है।

अपराह्न 03.49 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

ऐसा सशक्त कवि है और हमारे लोक कवि नरेन्द्र सिंह नेगी लिख रहे हैं कि भाई, कितना खएगा। गढ़वाली भाषा के शब्दों के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

बसकर भंडया न सपोड़, सपोड़ एक ऐसा शब्द है जो बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है। कवि ने इसका उपयोग किया है कि यह नया-नया उत्तराखंड राज्य बना है, बहुत लोग इसमें आशान्वित हैं और कुम्भ भी नहा गया, आपदा भी नहा गया है, दीप्नियों का रसमलाई, ट्रांसफर्मर्स का हलवा, इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढत्रवा मिल रहा है। वह कहते हैं कि 2012 में चुनाव होंगे, फिर हंसोगे या रोओगे। इस प्रकार की गागर में सागर भरने की जो तरीका हमारे कवियों में यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड मुख्यत: दो मंडलों में विभक्त है, एक कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। इन दोनों मंडलों की दो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कुमाऊंनी एवं गढ़वाली। ये भाषाएं शब्द क्रमश: कुमाऊंनी भाषी और गढ़वाली भाषी का भी द्योतक है। बोली विभेद की दृष्टि से कुमाऊंनी को दो उपवर्गों में बांटा गया है, (क) पूर्वी कुमाऊंनी और (ख) पश्चिमी कुमाऊंनी। पूर्वी कुमाऊंनी को चार बोलियों में विभक्त किया गया है, 1. कुमय्यां, 2 सोर्याली, 3. अस्कोटी, 4. सिराली पश्चिमी कुमाऊंनी को छ: उप बोलियों में बांटा गया है, 1 खपर्जिया, 2 चौगर्खिया, 3. गंगोली, 4. पछाई, 5. दानपुरिया, 6. रौ चौमैसी। इस प्रकार कुमाऊंनी की कुल दस उप बोलियां है।

इसी प्रकार गढ़वाली भाषा में आठ उप बोलियां हैं 1. श्रीनगरी, 2. बधाणी, 3. दौसल्या, 4. माझ कुमैया, 5. नागपुरिया, 6. सलाणी, 7. राठी और 8 टिहरियाली। इस क्रम में टिहरी जिले की अनेक उप बोलियां है। तकनौरी-बाड़हटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवोल्टी, बड़ियारगड्डी, टिहरियाली। टिहरियाली के दो भेद माने गए है।, 1 गंगाड़ी तथा 2. जौनपुरी रवांल्टी।

कुमाऊं में चार प्रमुख जनजातियां रहती हैं, 1 राजी, 2. शौका, 3. थारू, और 4. बुक्सा। इन जनजातियों की बोलियां भी क्रमश: इन्हीं के नामों से जानी जाती हैं, शौका बोली भी दो तरह की होती है। 1. रड. बोली और 2. जोहारी बोली। पिथोरागढ़ जनपद में दारमा, ब्यांस और चौदाण पट्टी के लोगों की भाषा रड. कहलाती है तो मनुस्यारी के शौकाओं की बोली जोहारी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार गढ़वाल के जौनसार-भाबर की बोली जौंसारी के नाम से जानी जाती है।

सभापति महोदय, गढ़वाल में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो हिन्दी कोष को और बढ़ा सकते हैं। गढ़वाली में जैसे ऊनी, सूती और ऊन-सूती मिश्रित तीन कपड़ों के जलने को हम क्या कहते हैं अगर ऊनी वस्त्र जलता है तो हम कहते हैं कि क्रियान आ गई, अगर सूती वस्त्र जलता है तो हम कहते हैं कि क्रित्यान आ गई और अगर ऊनी-सूती मिश्रित वस्त्र जलता है तो कहते हैं कि विक्लयान आ गई। इस प्रकार से इसके अंदर बड़े सूक्ष्म भेद हैं। गढ़वाली में जैसे हम बोलते हैं दादा भोला यानि बड़ा भाई और छोटे भाई को। हिन्दी के अंदर हम बोलते हैं दीदी भुलि। इसी प्रकार अगर हम हिन्दी में बोलें तो बोलेंगे बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन। इसी प्रकार उसमें बड़ा-छोटा लगाने से थोड़ी समस्या पैदा होती है। अगर अग्रज और अनुज कहें तो इसका प्रयोग बोलचाल में बड़ा अटपटा लगता है। ऐसे ही हिन्दी में कल भूत और भविष्य दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गढ़वाली में हम बोल यानि आगामी दिन और बयाले यानि जो बीत गया। ये अलग-अलग शब्द हैं।

इसी प्रकार से गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषाओं का वैदिक संस्कृति प्राकृत एवम् पाली भाषाओं से काफी समबंध है। संस्कृत प्राकृत एवं पाली में काफी शब्द गढ़वाली एवं कुमाऊंनी से मिलते हैं। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत और इतिहासकार मैगस्थनीज ने 297 बी.सी. में लिखा था कि उस समय उत्तराखंड गढ़वाल के राजा नेपाल से अफगानिस्तान तक था और यहां दरिज जाति के लोग रहा करते थे। हमारे माननीय सदस्य श्री करण चन्द सिंह, जो केसी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, स्वयं उनके पूर्वजों में चन्द राजाओं के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। उस समय में अपने सारे आदेश कुमाऊंनी भाषा में ही दिए। जिनमें राजा सोमचन्द, राजा कीर्ति चन्द, राजा अभय चन्द, राजा दली चन्द,

राजा बाज बहादुर चन्द, राजा कल्याण चन्द, राजा दीप चन्द, राजा लक्ष्मी चन्द तथा राजा मोहन चन्द आदि सम्मिलित हैं।

सभापति महोदय: महाराज जी, क्या कुमाऊं भाषा की अपनी लिपि है?

श्री सतपाल महाराज: जी हां, इसकी अपनी लिपि और व्याकरण भी पूरी है।

सभापति महोदय, हमारे उत्तराखंड में तिलू-रौतेली हुई, जिसने गढ़वाली भाषा के प्रोत्साहन के लिए बहुत काम किया। यह ऐसी नारी थी जो गुराडा में पैदा हुई और गुराड में पैदा होने के बाद इसने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। नारी होने के बावजूद यह पुरुषों के वेश में रहती थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर जब लड़के नाचते हैं तो लकड़ी लेकर सराई खेलते हैं। सराई तलवार चलाने का, सीखने का एक तरीका है। इसने सराई-खेत के अंदर इस तिलू-रौतेली ने अपने दांतों से लगाम को पकड़ा और दोनों हाथों से तलवार लेकर के दुश्मनों को काट डाला। उस स्थान का नाम सराई-खेत है और मैं तिलू-रौतेली को प्रणाम करना चाहूंगा, जिसने गढ़वाल की संस्कृति के लिए, गढ़वाल की भाषा के लिए, गढ़वाल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये गुराड में पैदा हुई थी। हमारी उत्तराखंड की पहले मंत्री रही हैं, अमृता रावत जी, उन्होंने जणदा-देवी में और भैरो-खाल के अंदर तिलू-रौतेली की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया।

यह ऐसी वीरांगना थी जिसके बारे में लोगों ने कहा कि झांसी की रानी की तो फौज थी, पर जो तिलू-रौतेली हुई, इसकी कोई फौज नहीं थी। इसने अपनी सहेलियों को लेकर, लुहार को लेकर के, जन-मानस को लेकर के, एक सेना बनाई और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिये। आज उत्तराखंड ऐसी वीरबाला को प्रणाम करता है।

सभापति महोदय: लाल सिंह जी, आपको भी कश्मीर पर ऐसे ही बोलना होगा।

श्री सतपाल महाराज: हां, ये बोलेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हमारे सभी सम्मानित सदस्य अपने विचार व्यक्त करें और एक गुलदस्ता पेश करें। हमारी भाषाएं जो लुप्त होने जा रही हैं, इन सब भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि भारत सुदृढ़ हो सके। मैं तो कहना चाहूंगा कि-

"जब एक कड़ी से बावस्ता एक और कड़ी हो जाती है

तो रस्मे मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है

हम तो क्या हैं दोस्त एक इंसां हैं

पत्थर भी अगर मिल जाते हैं

तो दीवार खड़ी हो जाती है"।

आइये, सब भाषाओं को जोड़ करके एक दीवार बनाएं और अपने देश को और मजबूत करें और सशक्त करें- यह हमारा संकल्प और अभियान होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पांडवों का उत्तराखंड में प्रवेश हुआ। शंकर के दर्शन करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया और स्वर्गारोहण के लिए वे बदरीनाथ की तरफ आते हैं। बदरीनाथ की आगे बढ़ने लगे, जो-जो पीछे देखने लगा, डरने लगा। यह कथा हम सभी ने सुनी है। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज आगे जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग से एक विमान आता है, उनके साथ एक कुत्ता होता है। स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि महाराज आईये, विमान में बैठिए। जब वे बैठने लगे तो कुत्ता भी साथ जाने लगा। देवताओं ने कहा कि महाराज, स्वर्ग में कुत्ता साथ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने मेरा साथ दिया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं कुत्ता मुझे यहां तक लाया है, अगर यह नहीं जाएगा, तो मैं स्वर्ग नहीं जाता हूं। सारे देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और कहा कि ये कुत्ते नहीं हैं, ये धर्म हैं। इसी प्रकार से जो धर्म है, जो हमारी दूध बोली भाषा है उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि इसे सम्मान मिले, इसे गौरव प्राप्त हो। इसके अंदर ऐसे-ऐसे गाने हैं जिनसे देश को बड़ा प्रेम और प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक गाना है- "पेडू पाको बारा मासा"। जिसके अंदर काफल जो बड़ा विचित्र फल है, जो हमारे पहाड़ों में लगता है, बेरी की तरह है। काफल जब पकता है तो बोलते हैं कि "पेडू पाको बारा मासा" नरणा काफल पाम्यो चैता"। इस प्रकार के अनेक गानों से हमारे उत्तराखंड की धरती को बड़ा ही मंगलमय बनाया गया है और इसका बड़ा ही रिच-कल्चर है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस भाषा की अपनी लिपि और शैली है। देव-प्रयाग के 80 लाख से अधिक लोग गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा बोलते हैं। देव-प्रयाग मंदिर में महाराज जगतपाल के समय के सन् 1335 के दान-पात्र पर उत्कीर्ण लेख देखने को मिलते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

देवलगढ़ में अजयपाल का 15वीं शताब्दी का शिलालेख देखने को मिलता है। देवभूमि के उसी मंदिर में महाराज पृथ्वीशाह के सन् 1664 के ताम्रपत्र का लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार

यह देवताओं की राजभाषा रही है और गढ़वाल के राजा अपने जितने भी जजमेंट देते थे, वे गढ़वाली भाषा में दिया करते थे।

मैं कहना चाहूंगा कि कुमाऊंनी भाषा की लिपि देवनागारी है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक समय आया कि मलेशिया की राजभाषा क्या बनें। उन्होंने बहुत गहरा मंथन और चिंतन किया और एक टापू पर बोली जाने वाली बहुत अल्पसंख्यक भाषा को लिया और रोमन एल्फाबेट्स को चुना तथा कहा कि यह हमारी राजभाषा बनेगी। वहां की लैंग्वेज को भाषा कहा जाता है। उन्होंने यह काम इसलिए किया कि एक छोटी सी अल्पसंख्यक भाषा अगर देश की भाषा बनती है, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि एक बहुसंख्यक भाषा को देश पर लाद दिया गया है। इसी प्रकार से छोटी-छोटी भाषाओं को अगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कुमाऊंनी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसके बड़े प्राचीनतम नमूने देखने को मिलते है। कुमाऊंनी भाषा चन्द्र शासनकाल में कुमाऊ की राजभाषा रही है। उस काल में सभी शासकीय कार्य कुमाऊंनी भाषा में ही होते थे, जिसकी पुष्टि तत्कालीन ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सरकारी दस्तावेजों एवं संदनों में होती है, जिनमें महाराजाधिराज अभयचन्द्र का शक 1296 का अल्मोड़ा में मिला ताम्रपत्र, महाराजाधिराज कीर्तिचन्द्र का शक 1427 में मिला ताम्रपत्र, महाराजाधिराज ध्रुवचंद्र का शक 1590 में मिला ताम्रपत्र, महाराजाधिराज बाज बहादुर चन्द्र के चम्पावत में मिलें ताम्रपत्र इसके प्रमाण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये भाषाएं अपने आप में बहुत ही समृद्ध और सशक्त है।

आपसे मेरा निवेदन है कि इन भाषाओं को सम्मान मिले। आज जब हम अपने पुरातत्व की दृष्टि से अपने पुराने मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, बाघों की रक्षा कर रहे हैं, टाइगर्स की रक्षा कर रहे हैं, शेरों की रक्षा कर रहे हैं, तो यह भाषा जो 80 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, ऐसी भाषा की निश्चित रूप से रक्षा होनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो हमारी छोटी भाषाएं हैं, जो लुप्त होने जा रही हैं, यूनेस्को ने जिन्हें अपनी सूची में रखा हुआ है कि ये लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए, उनको राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए।

मुझे आशा है कि सभी सम्मानित सदस्यगण इसमें मेरा समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले

विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हुक्मदेव नारायण यादव। आपको उत्तराखंड पर ही बोलना है, बिहार पर नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, आपने मुझे खड़ा होते ही निर्देश दिया कि उत्तराखंड पर ही बोलना है। सवाल केवल गढ़वाली और कुमाऊं भाषा का ही नहीं है, सवाल लोक भाषा का ही नहीं है, सवाल लोक भाषा का है। मैं जिस आंदोलन और क्रांति से निकल कर आया हूं, उसमें मेरा नारा ही था-गांधी/लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। हम उसी आंदोलन को लडत्ते आ रहे हैं कि चले देश में देशी भाषा। देसी भाषा का मतलब है- लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक आचार, लोक व्यवहार, लोक-लाज और तब आएगा राम राज। सतपाल महाराज जी कथा वाचक हैं, उन्होंने पशुपति नाथ की कथा कही। दशरथ नंदन श्री राम राजमहल को छोड़ते हैं, वनवासी का वेश बनाते हैं और देश की जो लोक भाषा है, लोक संस्कृति है, लोक भूषा है, लोक भोजन है, लोक व्यवहार है, लोक आचार है और उसमें जब अपने को रमाते हैं तो विशाल शक्ति पाकर रावण के साम्राज्यवाद का नाश करने में सफल हो जाते हैं। न उनका कोई कुटुम्ब था, न दया था, न जाति थी, न बंधु था, न समाज था और न ही उनके कोई रिश्तेदार थे, किसी ने साथ नहीं दिया था। यदि दिया था तो लोग जन ने साथ दिया था। इसलिए जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वह भी केवल इसलिए नहीं कि गढ़वाली और कुमाऊं ही नहीं, आप जिस प्रदेश से आते हैं, वहां जो झारखंड के जंगल में हमारे वनवासी भाई हैं और आपस में जब मिलते हैं और एक दूसरे से बाते करते हैं तो उनको वहां की भाषा में ही रस आता है। यदि उनके बीच में कोई जाकर अंग्रेजी, फारसी, विलायती भाषा बोलने लगे तो कहेंगे

कि देसी मुर्गी विलायती बोली। हम तो तुम्हारी बात समझते नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देशी भाषा, लोक भाषा को सम्मानित नहीं किया गया है। हम अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवानी जी को मिथिलांचल के कोटि कोटि लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए सदन में अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर मिथिलांचल की मैथिली भाषा को सम्मानित किया था। हमारी मैथिली भाषा की लिपि अलग है लेकिन देवनागरी में ही ज्यादातर मैथिली भाषा लिखी जाती है। देवनागरी एक लिपि है जिसमें मिलती जुलती जितनी भाषाएं हैं, वे देवनागरी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं।

यह जो हमारी भाषा है, उसमें जितने संत हुए, चाहे गुरुनानक जी हुए, कबीर हुए और तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी की भाषा क्या है? लोक भाषा है जिसमें सभी लोक भाषा जो अवधी है, भोजपुरी है, मगधी है तथा जितनी देश की लोकभाषा हैं, उन सबको मिला दिया। सतपाल महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब केवट के संवाद आते हैं तो उसका व्याकरण में अर्थ निकालने वाले को अर्थ ही नहीं मिलेगा। "सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन" लोग सोचेंगे कि यह अटपटा क्या है, लटपटा क्या है? लेकिन वह लोक भाषा है और लोक भाषा का अपनी ही आनंद है। जब भोजपुरी में लोग अपनी भाषा में गीत गाते हैं, तो उनको अपना ही आनंद आता है और जब मैथिली भाषा में कोई गाने लगे तो लाख कोई डमडमा बजाइए, डिस्को डांस करिए, चाहे सिनेमा के बड़े बड़े हीरो-हिरोइन से गाना गवा दीजिए, मेरे कान में अगर कहीं मैथिली भाषा का स्वर आ जाए तो मैं सब काम छोड़ कर मैथिली के गीत की तरफ दौड़ पडूंगा क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा रस मिलता है और उसमें ज्यादा आत्मा में आनंद आता है। लोक भाषा की वह कीमत है।

मैं केवल एक उदाहरण देन चाहूंगा। अंग्रेजी में किसी चीज के एक ही शब्द होते हैं, लेकिन मैथिली के हम उस इलाके से आए हैं जहां हम बांस का अनेक प्रकार का सामान बनाते हैं और हमारे बिहार और झारखंड में बांस से बनने वाली जो टोकरी है, उसके कितने शब्द हैं, वह मैं आपको बताता हूं। सबसे छोटा मौनी, उससे बड़ा पौती, उससे बड़ा डलिया, उससे बड़ी चंगेजी, उससे बड़ा चंगेजा, उससे बड़ा पथिया, उससे बड़ा छिक्का, उससे बड़ा ढ़किया, उससे बड़ा ढ़ाक। अब अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक या दो शब्द होंगे लेकिन ये हमारी मैथिली की लोक भाषा के शब्द हैं। जब आम फलते हैं तो आम को कहते हैं पका या कच्चा केवल इतनी ही है। लेकिन मैथिली भाषा में और झारखंड में लोग इसे बोलते हैं तो जब आम शुरू होता है, मंजर देने के समय में तो उससे पहले गुज्जर, उसके बाद मंजर, उसके बाद किरैया, फिर टिकौला, फिर कोसाइल और तब कहते हैं ज्वाइल और उसके बाद डम्हक तथा उसके बाद पाकल और उसके बाद मधुआई कहते हैं। ...*(व्यवधान)* एक ही आम के लिए हमारी लोक भाषा में इतने शब्द हैं।

सभापति महोदय: हुक्मदेवजी मिथिला के लोग आम के ज्यादा शौकीन होते है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जी, आम और मखान हमारे हैं लेकिन हम कहते हैं कि पांच में से मिथिला बना है- मांछ, मखान, मधु और महा महोपाध्याय। इसी से तो हमारे यहां विद्वानों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि जितनी देश की भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को संग्रहीत किया जाए। उन सभी को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। उन सभी भाषाओं में पढ़ाई की जाए और उन सभी भाषाओं को सरकारी विद्यालयों में तथा सरकारी नौकरियों में सम्मान दिया जाए जिससे कि वे अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर सके। मोरारजी देसाई जी की सरकार में चौधरी चरण सिंह 1977 में गृह मंत्री बने थे, उस समय 14 भाषाएं थीं और कहा गया था कि 14 भाषाएं संविधान की अष्टम अनुसूची में है इसलिए संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षार्थी चाहे तो किसी भाषा में उत्तर दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लोगों ने लोकभाषा में उत्तर देना शुरू किरूा है और आज इसका परिणाम है कि मधुबनी जिले से पांच-छः बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, आईएएस कम्पीट करते हैं। ये कोई बड़े घर के बच्चे नहीं हैं, साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। उन्हें अपनी भाषा के मार्ग पर अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला जिसके कारण वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। कबीर जी कहां पढ़ते थे, उन्होंने कहा- कबीरा बाचे आंखन देखा, पंडित बाचे पोथिन लेखा। कबीर दास जी ने कहा-हम जो कहते हैं सो आंख से देखा कहते हैं और पंडित जो बात कहता है वह पोथी लेखा पढ़कर कहता है।

मेरी विनम्र विनती है कि भारत सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर देशी भाषा के लिए आयोग का गठन करें। संपूर्ण देश में चाहे बाहर के लोग हों, चाहे जंगल में बसने वाले लोग हों, चाहे थोड़े बोलने वाले हों या ज्यादा बोलने वाले हों, उन भाषाओं, लिपियों और शब्दों को संगहित करें और उसके आधार पर व्यापक भारतीय लोक भाषाओं का कोष बनाया जाए। आज के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे भारतवर्ष के लोग जान सकें कि लोकभाषा में कितनी ताकत थी, हम कितने संपन्न थे।

मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सतपाल महाराज कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषा में बारहमासा की बात कह रहे थे। मिथिलांचल में बारहमासा गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में भादों और सावन के वर्णन में एक गरीब लड़की अपने बिरहा की कहानी गाती है। इस गीत में बताया गया है कि उसका पति परदेस में कमा रहा है, भादों का महीनी है, घूप अंधेरी रात है, कीचड़ है, बिजली चमक रही है, मेंढक बोल रहे हैं, उस समय वह अकेली सोई है, उसे जब अपने पति की याद आती है तो वह कैसे अनुराग और हृदय से गाती है। इस तरह की बिरहा का वर्णन किसी और साहित्य में नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय: हुक्मदेव जी, जैसे महाराज जी ने कालीदास जी का मेघदूत का उदाहरण दिया है। आप भी तो विद्यापति जी का कुछ उदाहरण दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, आपने विद्यापति जी के बारे में कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन विद्यापति जी द्वारा बाल विवाह पर बहुत रोचक गीत बनाया गया है, उसके बारे में बताउंगा। इस गीत में पति छोटा है, पत्नी बड़ी है, बेमेल ब्याह है, पत्नी पति को गोदी में लेकर जा रही है तो लोग रास्ते में पूछते हैं कि यह कौन हे तुम्हारा? इस पर विद्यापति जी ने कहा है-

पिया मोरा बालक, हम तरुणी हे,

कौन तप चूकलहूं, भेलहूं जननी हे,

पिया मोरा बालक।

इसका अर्थ है पिया मेरा बालक है, मैं जवान हूं, हम विधाता के घर में चूक गऐ कि हम औरत बन गए, जननी बन गए कि आज इतने छोटे बालक से हमारे माता-पिता और समाज ने शादी कराकर अन्याय किया है। तब वह लोगों के मार्फत संदेश भेजती है और कहती है-

बाट रे बटोहिया, कि तूं ही मोरा भैया, कि हमरो समाद नेने जा।

कही दीह बाबूजी से किनयी धेनु गाई,

दुधवा पिलाई के पोसथि जमाई।

सभापति महोदय: आज आपका भाषण आपके क्षेत्र में बहुत रुचि से सुना जाएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि आप बारहमासा की बात कहते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): इस हाउस की महिला मैम्बर चाहती है कि आप दो-चार लाइनें और सुनाएं।

सभापति महोदय: हरीश जी, महिला मैम्बर की भवना आप कैसे समझ गये?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति जी, हम इसलिए समझ गये कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने महादेव जी के द्वारा पार्वती जी को कहलवाया है-'खग जाने खग ही की भाषा'। सतपाल महाराज जी यहां महादेव जी की चर्चा कर रहे थे। महादेव तो अर्द्धनारीश्वर हैं, वह आधी नारी हैं, आधे पुरुष है। इसका मतलब यह है कि हम सब जिस दिन अपने को आधी नारी और आधा पुरुष मान लेंगे, उस दिन विश्व का कल्याण हो जाएगा। जिस दिन हम सब अपने आपको अर्द्धनारीश्वर मान लें तो हम उसका सम्मान करना सीख जाएंगे।

मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि सम्पूर्ण लोक भाषाओं, सम्पूर्ण देशी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहित किया जाए, संकलित किया जाए, उन्हें एक आधार बनाया जाए, उनका एक विश्वकोष बनाया जाए और उसे सब जगह प्रचारित किया जाए। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आपने बारहमासा कहा, बारहमासा में गरीब की बेटी गाती है, जिसका पिया परदेस गया हुआ है- भादों हे सखी, शब्द सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ हे, सबके बलम रामा घर-घर आएल हमरो बलम परदेस है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा की अपनी पीड़ा है, अपनी वेदना है और अपनी व्यथा है। पाणिनी ने कहा कि व्याकरण कुछ नहीं है, बल्कि जनता जिस बोली में बोलती है, वही व्याकरण है और जन भाषा के लिए न व्याकरण चाहिए, न जन भाषा को लिपि चाहिए। अब अवसर आया है कि हम उन जन भाषाओं को आकार दें, विचार दें, लिपि दें, व्याकरण दें और उन्हें प्रतिष्ठित करें और सम्पूर्ण विश्व को चुनौती देदें कि भारत में जितनी भाषाएं हैं, यदि सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं एक तरफ और भारत की लोक भाषा एक तरफ रहेंगी तो सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं हमारी भाषाओं के सामने 25 प्रतिशत भी नहीं ठहर पायेंगी। यह हमें स्वाभिमान के साथ खड़े होकर कहना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही मैं श्री सतपाल महाराज को धन्यवाद देते हुए उनके विधेयक का समर्थन करता हूं। उत्तराखंड देवलोक हैं, मैं उस देवलोक में बसने वाले सभी देवों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने पशुपति शब्द कहा, पशुपति में तो बैल का ही सिर है। पशुपति में जो सिर है, वह बैल का सिर है। इसलिए भारत की संस्कृति में कहा गया है कि बैल ही पशुओं का पति है, क्योंकि उसी से रोटी मिलती है, उसी से आर्थिक आधार बनता है। इसलिए उस गोवंश और पशुपति की भी रक्षा होनी चाहिए।, तभी देश में लोक भाषा की रक्षा होगी।

सभापति महोदय: हुक्मदेव जी, क्या आपने कभी बदरीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह तो वही हुआ कि रामायण पढ़ गये, लेकिन सीता कौन है, यह पता नहीं है। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, अब आप बोलिये। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आप भी सस्वर कुछ गाते हों तो आज सुना दीजिएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री सतपाल जी, जो इस सदन के बहुत माननीय सदस्य हैं, के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 2010 की आठवीं अनुसूची में संशोधन वाला बिल है और जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि

गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को, जो उनके राज्य की भाषा है, उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मेरे ख्याल से वह उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि देश-विदेश में जहां भी पहाड़ों के लोग रहते हैं, वे उस भाषा को बोलते हैं अभी बहुत विस्तार से श्री सतपाल महाराज जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने बताया और यादव जी ने तो बहुत ही राग-रागिनी के साथ अपनी बात रखी है।

महोदय, यह देश बहुभाषी है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे इलाहाबाद में हर 15-20 किलोमीटर के फासले पर आज जिस क्षेत्र में भी निकाल जाएं तो वहां भाषा अपने आप बदल जाती है। यदि आप इलाहाबाद में खड़े हैं और आप यमुना पार कर जाइये, जो मुश्किल से 10-15 किलोमीटर है, भाषा अपने आप बदल जाती है। आप गंगा पार कर जाइये, अपने आप वहां की भाषा बदल जाती है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः दस कोस पर भाषा बदले, बीस कोस पर पानी।

श्री शैलेन्द्र कुमारः यह बहुभाषी देश है और इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता सार्वभौम के बारे में विदेशों में भी बखान होते हैं। अपने यहां की संस्कृति की कोई मिसाल नहीं है। एकता में भी विभिन्नता है चाहे वह भाषा के नाम पर हो या वेशभूषा के नाम पर हो। अभी सतपाल महाराज जी और हुक्मदेव नारायण यादव जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन राजभाषा की मांग इस सदन में कई बार उठ चुकी है। मैं बिल की सूची देख रहा था, इसमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। पिछली बार इसी सदन में प्रभुनाथ सिंह ने एक रेजोल्यूशन द्वारा बहुत विस्तार से चर्चा की थी। गृहमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। जब शून्य प्रहर में आप पीठ पर थे तो मैंने भोजपुरी भाषा के बारे में अपनी बात कही थी। हमारे अर्जुन मेघवाल जी ने भी अपनी बात रखी थी। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का पुरजोर समर्थक हूं। व्यक्ति के सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यों का सृजन और विकास इन्हीं भाषाओं के इर्द-गिर्द होता है, जिससे देश के वासी चाहे वे किसी भी कोने में हों, वे उस रूप में जाने जाते हैं। आपने भी पीठ से कहा था कि मैं महुआ चैनल पर भोजपुरी गीत-संगीत और पिक्चरें आदि आती हैं। देश-विदेश में 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते है। इसी दिल्ली में वृहद रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हमारे महाबल जी यहां पर नहीं हैं, वे सदन में कहते हैं और हम लोगों से भी कहते हैं कि अगर हम आज इस सदन में चुन कर आए हैं तो इस देश में उत्तर भारत के जो लोग हैं खास कर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भोजपुरी भाषा बोलने वालों के वोटों द्वारा हम चुनकर आए हैं। उनकी भी बड़ी वेदना थी कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस सदन में आश्वासन मिलने के बावजूद और राज्यों से प्रस्ताव आने के बावजूद भी आज तक केंद्र सरकार ने कभी सोचा नहीं है। मेरे ख्याल से जो 22 भाषाएं हैं, किस स्थिति में यहां पर उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है? मैं तो आपके केंद्र सरकार माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सब को संविधान की 8वीं अनुसूची में रख देना चाहिए। यह मेरा पुरजोर समर्थन है और मैं सरकार से भी मांग करता हूं।

मैं यह मांग नहीं करता कि इलाहाबाद में 15-20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, उनको शामिल किया जाए। लेकिन वे भाषाएं लम्य-सम समझ में आती हैं और लगभग हिन्दी से मिलती जुलती है। हिन्दी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा और सम्मान दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुह मंत्रालय के द्वारा हिन्दी का प्रचार-प्रसार में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होते हैं। कमेटियां दौरे के लिए देश-विदेश में भी जाती हैं। जितने भी मंत्रालय हैं उनमें प्रचार-प्रसार के लिए मैगजीन मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसी विभाग में अगर हम जाते हैं, जिस दिन हिन्दी दिवस मनाया जाता है, उस दिन मेरे ख्याल से जो हिन्दी नहीं बोलता है, वह भी हिन्दी बोलता है। हिन्दी दिवस मनाने के बाद दूसरे दिन उस विभाग में जाइए तो सब अंग्रेजीमय हो जाता है। आज स्थिति यह है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शिक्षक हैं और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजी में नहीं बोला। डॉ. लोहिया जी ने कसम खिलाई थी। खरगे जी बैठे हैं, वे साउथ इण्डिया से हैं लेकिन बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं।

वे बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं, वे हिन्दी में जवाब भी देते हैं, इसलिए वे इंगित करते हैं कि हिन्दी में बात कीजिए।

सभापति महोदयः शैलेन्द्र कुमार जी, अंग्रेजी बोलना सिंबल बन गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः हां, महोदय, आपने सही कहा कि अंग्रेजी बोलना सिंबल बन गया है। आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाये तो ज्यादातर लोग हिन्दी बोलते हैं। हम लोग हिन्दुस्तान के बिल्कुल कोने पर गये जैसे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, कहीं भी बॉर्डर पर जाइये, लेह लद्दाख आदि हमारे मंत्री जी श्री वी. किशोर चन्द्र देव जी यहां बैठे हैं। हम लोग लेह, लद्दाख गये, वहां भी लोग हिन्दी बोल रहे थे। मैं वर्ष 1985 में विधायक था। एक रसिया का डेलीगेशन आया था, संस्कृति विभाग की मंत्री जी आयीं थीं। वे जहां भी गये, वे हमारे इलाहाबाद भी आये, एडवोकेट जनरल शान्ति स्वरूप भटनागर जी ने डेलीगेशन को खाने पर बुलाया। उसमें

एमपीज, थे, मिनिस्टर थे, वे सब रसियन भाषा में बोल रहे थे, जबकि वे अंग्रेजी जानते थे। उनकी भाषा को अंग्रेजी, हिन्दी में ट्रेंसलेट करने वाले लोग थे। हम विदेशों में जाते हैं, मैंने देखा है कि वहां पर बहुत से लोग अपनी भाषा बोलते हैं और हिन्दी और अंग्रेजी में वह ट्रांसलेट होता रहता है।

महोदय, जैसा आपने यह स्टेटस सिंबल है, उस हिसाब से लोग बोलते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोल लिये तो हम बहुत बड़े काबिल हो गये। यह स्टेटस सिंबल हो गया है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, यह सिर्फ स्टेटस सिंबल ही नहीं है, इससे सर्विस भी मिलती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, मै। शून्य काल में इस बात को उठाना भी चाह रहा था कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. में, जब हमारे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने कहा था कि अब हिन्दी में भी पी.सी.एस. का पर्चा होगा। पहले तो अंग्रेजी भाषा अनिवार्य थी, उन्होंने अंग्रजी की अनिवार्यता को समाप्त किया और अपनी भाषा में, हिन्दी भाषा में लोगों ने परीक्षा दी और बहुत पी.सी.एस. अधिकारी बने, जो बहुत काबिल हैं। आज वे प्रदेश की सेवाओं में हैं। यहां तक कि वे पी.सी.एस. से आई.ए.एस. तक बने है। आज फिर से आई.ए.एस. में एकछिक भाषा न करके उसमें अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आज स्थिति देख लीजिए कि जो रिजल्ट आया है, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमाम ऐसे हिन्दी भाषी राज्य हैं, जहां आई.ए.एस. अधिकारी बहुत कम संख्या में चयनित होकर आये हैं। क्या हम अंग्रेजीयत को एक बढ़ावा दे रहे हैं?

महोदय, इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चूंकि मैं विषय थोड़ा सा अलग हट रहा हूं, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि भारतवर्ष की जो संस्कृति, सभ्यता है, यहां की अनेकता में जो एकरूपता है, इसे कायम रखने के लिए हमें और गंभीरता से सोचना होगा। आज भी हमारे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने हिन्दी में आई.ए.एस. किया है और उनकी पोस्टिंग देश के अन्य कोने में है। आई.ए.एस. अधिकारी ऐसा होता है कि चाहे वह किसी भी विभाग में जाये, वे उसके ज्ञाता समझे जाते हैं। जब आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है तो कम से कम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बात सतपाल महाराज जी ने रखी है, हमें इसका समावेश करना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात उर्दू के बारे में कहना चाहूंगा। हिन्दी बोलते हैं तो उर्दू। जरूर आती है, कहीं न कहीं उर्दू शब्द का समावेश हिन्दी में जरूर है। इनका छोटी बहन और बड़ी बहन का रिश्ता है। अब स्टेटस सिंबल यह है कि अगर हिन्दी बोल रहे हैं तो उसमें अंग्रजी जरूरी भिड़ा देते हैं। यह बात आम भाषा में चल पड़ी है, इसे हमें देखना पड़ेगा और खासकर हमें विदेशों से सीख लेनी पड़ेगी कि वहां के लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए फिर एक बार भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

सभापति महोदय: श्री गोरखनाथ पाण्डेय।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी आप तो स्वयं शिक्षक रहे हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): जी, महोदय।

सभापति महोदय: क्या अभी भी शिक्षक हैं?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: जी महोदय।

सभापति महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम लक्ष्य पर बोलेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: जी, महोदय, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: हां बोलिये।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सतपाल महाराज जी द्वारा रखे गये बिल-उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषा को देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने का जो बिल है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय किसी भी देश की पहचान, किसी भी राष्ट की पहिचान, किसी प्रांत की पहिचान वहां के वेशभूषा, वहां की भाषा, वहां के आचरण, वहां के खान-पान, वहां की वनस्पतियों, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के वातावरण से होती है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश विधिताओं से भरा हुआ देश है। यहां विभिन्नता में एकता है। यहां के कवियों ने, यहां के संतों नें, यहां के सूफियों ने, यहां के मार्गदर्शकों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम उनकी एक-एक चौपाइयों पर शोध कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की बात कही। यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश की देव भूमि है। हमारे हिन्दू धर्म में लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं और उन चारों धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाकर लोग अपने आपको धन्य मानते हैं। इस जन्म और आगे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि मुझे अच्छा जन्म मिलेगा। वहां

की संस्कृति, व्यवस्था और प्राकृतिक दृश्य के साथ-साथ वहां की भाषा भी अतुलनीय है। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला है। इसी गर्मी के सीजन में मैंने चारों धाम की यात्रा की। मुझे गर्व हुआ कि बद्रीनाथ जाने के बाद मुझे महाराज जी के आश्रम में में रुकने का अवसर मिला। केदारनाथ, जहां के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि देवताओं ने पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान शिव जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, तपस्या की थी। उनका एक सिरा नेपाल में और दूसरा सिरा उत्तराखंड में केदारनाथ के रूप में स्थापित है। हम सभी भारत के लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में हर 10-15 किलोमीटर चलने के बाद हमारी भाषा बोली कुछ बदलने लगती है। उनमें वह मिठास, माधुर्य, ओजस्विता और मधुरिमा है कि उसको बोलने में लोग गौरव का अनुभव करते है। हम जब पठन-पाठन की तरफ जाते हैं तो ऐसे कवियों की रचनाएं, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान, संत रविदास और गुरुनानक जी हैं, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है, जो भारत की धरोहर हैं। अभी हुक्मदेव जी मैथिली की बात कर रहे थे। बड़ा अन्योन्याश्रयी संबंध है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। उनका संबंध अवधी एवं भोजपुरी से था। मां सीता जगत जननी का जन्म मिथिला में हुआ। बड़ा ही एक- दूसरे से अन्योन्याश्रयी संबंध है। जब यहां के लोग वहां जाते हैं, और महाराज जी ने एक बात रखी कि उत्तरांचल में एक ढोल सागर की वाद्य धुन निकलती है, उससे पता चलता है कि बारात जा रही है, बारात लौट रही है। लगभग हर प्रांत में, हर प्रदेश में ऐसी चीजें है। हर तरफ बारहमासी गीत गाये जाते हैं हर एरिया में अपनी भाषा की मधुरता है, लेकिन मिथिला और भोजपुरी का बड़ा संबंध है। हम एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, बहुत स्नेह रखते है।

सभापति महोदयः भोजपुरी इलाके का होने के नाते कुछ वर्चस्व मिथिला पर लगता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेयः मैं उधर की ही बात कर रहा हूं। जब हम लोग उन भाषाओं की मधुरिमा पर जाते हैं, तो लगता है कि ये देश की धरोहर हैं। आज जरूरत है कि देश में जो विभिन्नता में एकता देखने को मिलती हैं, आज यहां हम सभी एक हैं, यह धुन निकलती है और यह बात कहती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वे सारी यही बातें हैं, जो हम एक-दूसरे से मिलकर गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी है। हम विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। हम देश-विदेश की यात्राएं करते हैं। हम लोगों के बीच आते-जाते है। लोगों के रहन-सहन, वेश-भूषा से परिचित हैं, लेकिन यहां भी हमें हमारे पहनावे से जाना जाता है कि हम किस प्रांत के लोग हैं। हमारी भाषा से जाना जाता है कि हम किस प्रदेश के लोग हैं। हमारे आचरण से जाना जाता है कि हम वहां के रहने वाले लोग हैं। इसे सुरक्षित, संरक्षित रखने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सतपाल महाराज जी ने जो अपनी बात रखी है, यह बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, जिस भाषा में अनेक ग्रंथ, ग्रंथावलियां सुरक्षित हैं, जिसने देश को संस्कृति दी है, जिसने देश को सभ्यता दी है, जिसने देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे वीर पुरूष जहां पैदा हुए हैं, उन भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में रखने की जरूरत है। मैं सतपाल महाराज जी की बातों का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि भोजपुरी और मैथिली के साथ-साथ अन्य बारह भाषाओं को भी इसमें सुरक्षित रखा जाए ताकि देश में विविधता में एकता जो कही जाती है, उसका जीवन्त स्वरूप हमें देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदयः शैलेन्द्र जी, अब मुझे लगता है कि भोजपुरी को कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग हर एक में भोजपुरी को ठूंस दे रहे हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति महोदय, श्री सतपाल महाराज साहब ने जो कहा है।

सभापति महोदयः जब आपने महाराज कह ही दिया है तो फिर साहब कहने की क्या जरूरत है?

श्री मंगली लाल मंडलः असल में ये प्रवचन देते हैं और समाज के बीच सद्भावना पैदा करते हैं तो एक विशेषण इनके प्रति तो रहना ही चाहिए। इनके प्रति समाज में एक सम्मान है तो इसका प्रदर्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने महाराज और साहब दोनों कहा।

सभापति महोदयः महाराज के सामने साहब बहुत बौना शब्द है।

श्री मंगनी लाल मंडलः कबीरपंथ के बारे में हुक्मदेव जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग जब कबीरपंथियों के बीच जाते हैं तो कहा जाता है साहबबंदगी, मतलब साहब की बन्दगी।

मैं इस प्रस्ताव पर विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। महोदय, हम लोग यह जानते हैं कि भाषा और लिपि, दोनों के आविष्कार ने मानव सभ्यता को संस्कृति का आधार दिया, मानव समाज को स्वर दिया और मानव समाज को सांस्कृतिक और

शैक्षणिक क्रांति के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया। भाषा की बड़ी भूमिका है। समय-समय पर भाषा की भूमिका बदलती रहती है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। हम लोग जानते हैं कि भाषा का मतलब जिसका व्याकरण आधार हो, भाषा का मतलब जिसका ग्रामर हो, शब्दकोष हो। भाषा, जिसकी अपनी लिपि हो। जिसकी अपनी लिपि न हो, जिसका अपना व्याकरण न हो, जिसका अपना शब्दकोष न हो, ये बोलियां हैं। देश में ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं, जो भाषाओं से ज्यादा व्यापक हैं।

महोदय, आपके यहां झारखंड में विश्वविद्यालयों में "हो" और संथाली बोली पढ़ाई जाती है।

सभापति महोदयः मंडल जी, क्या आपको पता चला कि कल झारखंड ने दस क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीयक भाषा घोषित कर दिया?

श्री मंगनी लाल मंडलः यह बहुत अच्छा हुआ। झारखंड में हो रहा है या बिहार में हो रहा है, यह एक ही बात है। सरकार ने बोलियों को मान्यता दी है तो यह अच्छा काम किया है। यह होनी ही चाहिए। हो बोली विश्वविद्यालय स्तर में एम.ए. तक पढ़ाई जाती थी लेकिन हो और संथाली भाषा का व्यापक असर है और हमारे राज काज में इतनी बड़ी भूमिका है। इसका निर्धारण नहीं हुआ था। मैंने कहा कि भाषा की भूमिका रही है। हमारे देश में भाषा की भूमिका दरबारों में रही है, हमारे राजकाज में रही है, कवियों की वाणी और लेखनी में रही है, साहित्यकारों के साहित्य में रही है और जो मनीषी हैं देववाणी में रही हैं। यह भाषाओं की भूमिका रही है। लेकिन जो दरबार की भाषा रही है, वह कहीं विकसित हुई, कहीं राजकाज भाषा बनी।

आज अंग्रेजी के बारे में आपने कहा कि यह स्टेटस सिम्बल हो गया है। यह ठीक है कि स्टेटस सिम्बल के साथ-साथ यह सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक प्रमुख अंग बनता जा रहा है क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्रांति के आधार पर समाज की जो रचना होती है, उसमें भाषा की बड़ी भूमिका होती है। मानव जीवन का जो उत्थान और विकास हुआ है, उसमें भाषा और बोली का बड़ा महत्व रहा है। इसमें कहा गया है, इन्होंने अभी तक गढ़वाली और कुमाऊंनी, इन दो भाषाओं का 13वीं शताब्दी से उललेख किया है कि यह राजकाज की भाषा थी। इसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि उस समय तक हिन्दी संगठित नहीं हुई थी या प्रचलित नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि उस समय हिन्दी प्रचलित नहीं हुई, गढ़वाली और कुमाऊंनी राज-काज की भाषा थी। इन्होंने प्रारम्भ में नहीं कहा, जब आपने टोका तब इन्होंने कहा कि इसका व्याकरण एवं शब्दकोष है, लेकिन जनसंख्या के मामले में बहुत आधार नहीं है। यह उत्तराखंड तक सीमित है। हिन्दी आते-आते जब बहुत ज्यादा कवियों और मनिषियों के माध्यम से इसका फैलाव हुआ, इसका दरबार में संरक्षण नहीं किया तो एक समय ऐसा आया कि न सिर्फ महात्मा गांधी जी ने, बल्कि सुभाषचन्द्र बोस जी ने भी कहा कि इस देश को अखंड रखना है, आजाद करना है और इस देश के कोने-कोने में संवाद को फैलाना है तो एक ही भाषा हो सकती है और वह हिन्दी भाषा थी। आज अगर सुभाषचन्द्र बोस जी बंगाल में पैदा होते तो वे कहते कि हिन्दी नहीं, अंग्रेजी बोलो। क्योंकि वे गुलाम भारत में पैदा हुए थे और उस समय अंग्रेजी की भूमिका ऐसी निर्धारित नहीं की थी, हमारे आर्थिक जीवन में, रोजगार की भाषा अंग्रेजी नहीं बनी थी। आज अंग्रेजी रोजगार की भाषा हो गई, हमारे आर्थिक जीवन की संपूर्ण गतिविधियों पर अंग्रेजों ने कब्जा एवं एकाधिकार कर लिया है, इसलिए आज हिन्दी उपेक्षित है और इसीलिए हिन्दी के साथ जितनी बोलियां एवं भाषाएं हैं, वे सब उपेक्षित हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः सभी भाषाएं हिन्दी की बहनें हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मंगनी लाल मंडलः हां, सभी भाषाएं हिन्दी की बहनें हैं। इसलिए डॉ. राममनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अंग्रेजी तो कल की छोकरी है। इसने दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित कर लिया है। हिन्दी जितनी समृद्ध है, उतनी समृद्ध अंग्रेजी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी ने हमारे जीवन, देश और राज-काज पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इस देश का समुचित विकास होना चाहिए, जिसमें आज क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई दे रहा है। तटवर्ती इलाकों में अंग्रेजी आई, इन इलाकों का बड़ा विकास हुआ और मध्यवर्ती इलाकों में अंग्रेजी नहीं आई, इसलिए मध्यवर्ती इलाकों का विकास तटवर्ती इलाकों के मुकाबले में कम हुआ। इसीलिए डॉ. लोहिया ने कहा कि अंग्रेजी जिस रूप में आई थी, उसका काम खत्म हुआ। अगर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है और समाज में जो गैर-बराबरी है, उसे दूर करना है तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रिय बोली और राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करना होगा। इसलिए डॉ. लोहिया कहते थे कि तुम्हें अगर हिन्दी से प्रेम न हो, खरगे साहब जहां से आते हैं, ये बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन ये जिस प्रदेश से आते हैं, वहां अंग्रेजी का बोलबाला है, क्योंकि हिन्दी के खिलाफ एक घृणा पैदा की गई है। वहां यह कहा गया कि हिन्दी मत अपनाएं, ये कहें कि अंग्रेजी जाए, तमिल, तेलगू, मलयाली एवं बंग्ला आए, इसी में बोलो, डॉ. लोहिया जी ने यह कहा था। श्री सतपाल महाराज जी ने अपने भाषण में कहा कि आज हमारी भाषा क्यों नहीं समृद्ध हो रही है? आज हमारी जितनी बोलियां भाषाएं हैं, उससे भी ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन वैसी बोलियों

को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा रहा है, राज-काज का संरक्षण नहीं है। इसीलिए पहले अंग्रेजी में काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं जिस समय विद्यार्थी था, भारत सरकार ने जितने स्तर पर हिन्दी का प्रचलन था उतना आज नहीं है, जब हम हिन्दी में कोई पेटीशन भेजते हैं, तो हमें आम लोग कहने के लिए आते है कि इसे अंग्रेजी में लिख दीजिए तो हमने उनसे कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हिन्दी में पेटीशन देखते ही बाबू लोग उसे फेंक देते हैं, अनुवाद बाद में होता है, लेकिन पेटीशन को फेंक दिया जाता है। मंत्री जी उसे नहीं पढ़ते हैं और अगर वे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिन्दी को समझना मुश्किल है। यह उनका एक अहंकार भीतर से हो गया है कि हम अंग्रेजी को जानते हैं और हमें अंग्रेजी का ज्ञानी तभी समझा जाएगा, जब हम हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करेंगे। जो हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, वे क्षेत्री भाषा, क्षेत्रीय बोलियों के प्रति समादर और आदर का भाव प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने प्रस्ताव किया है, 22 भाषाओं को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। अभी शैलेन्द्र जी ने ठीक ही कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। हुक्मदेव बाबू ने इस मामले में बहुत ही रोचक तरीके से कहा, वे समाजवादी आन्दोलन से आये हैं और हम भी इनके पीछे-पीछे समाजवादी आन्दोलन में थे और समाजवादी आन्दोलन के माध्यम से ही महात्मा गांधी डॉ. राममनोहर लोहिया को और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को समझ पाये तो देश को समझ पाये, देश की सांस्कृतिक विरासत को समझ पाये और इसलिए उत्तराखंड की जो ये भाषाएं हैं, ये तो देवलोक की भाषाएं हैं। जैसा लोगों ने कहा कि सारे देश का हिन्दू धर्मावलम्बी, साष्टांग दण्डवत ये लोगों को कराते हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, इसलिए इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता तो मिलनी ही चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंडल जी, आप बद्रीनाथ-केदारनाथ के इलाके में गये हैं?

श्री मंगनीलाल मंडल: जैसा हुक्मदेव बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, वैसे ही मैं भी कहता हूं कि मैं हरिद्वार गया ऋषिकेश तक गया, लेकिन उसके आगे नहीं गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं इसलिए बता रहा था कि उसके आगे जाकर जहां पर लिखा है देवताओं की घाटी में आपका स्वागत है। जैसे ही हम लोग, जहां से हेमकुण्ड का रास्ता टूटता है . ..*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज: यह फूलों की घाटी है।

सभापति महोदय: वैली ऑफ फ्लावर तो उधर हो गयी। देवताओं की घाटी में आपका स्वागत है, कहा है कि देवताओं की घाटी में आपका स्वागत है। जैसे ही हम लोग श्रीनगर से आगे निकलते हैं तो वहां पर वह लिखा हुआ मिलता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि सतपाल महाराज जी सभी सम्मानित सदस्यों को वहां ले चलें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सतपाल महाराज जी, अगर आप स्वीकार करें तो कई माननीय सदस्य आपके निमंत्रण पर वहां जाने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज: हां-हां बिल्कुल। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वहां सब आतिथ्य सत्कार आपको ही करना पड़ेगा।

श्री सतपाल महाराज: हां-हां, मुझे हृदय से स्वीकार है। . ..*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: वहां महाराज की इतना बड़ा आश्रम है और इतनी शिष्य मंडली है कि वे तो सारी संसद को बद्री आश्रम में बुलवा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंडल जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री मंगनीलाल मंडल: ठीक है, महोदय हम कन्क्लूड करते हैं।

अब तक तो टी.वी. में ही महाराज साहब का प्रवचन सुनते थे। बहुत रोचक तरीके से ये बोलते भी हैं। अभी भी इन्होंने जो भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो ठीक ही सारे लोगों ने प्रस्ताव किया कि सब को वहां ले चलें, अपने आश्रम में रखें और वहां अपना प्रवचन भी सुनावें और हम लोग गदगद होकर हाथ जोड़कर कहें कि गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को निश्चित रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में रखना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सरकार सतपाल महाराज जी के इस विधेयक के साथ क्या व्यवहार करेगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर देश को बचाना है, देश को समृद्ध करना है, देश में अगर एक स्वस्थ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सामाजिक आधर की संरचना करनी है तो हिन्दी सहित उसकी जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका विकास करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ यह जो विधेयक है, कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान मिले, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता

हूं। और सरकार से भी अपील करता हूं कि इस विधेयक को मान लिया जाये।

सभापति महोदयः अगर हरीश जी को जवाब देना होगा, तब तो वे आसानी से मान जाएंगे।

श्री बी. मेहताब लगता है कि आज आपको हिन्दी में बोलना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमारः आप हिन्दी में बोलिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मुश्किल है।

सभापति महोदयः आप किसी भी भाषा में बोलें आपका स्वागत है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताबः सभापति महोदय, मैं यहां इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं ...*(व्यवधान)* हां, ऐसा हो सकता था मैं उड़िया में अधिक बेहतर तरीके से बोल सकता था।

हमारी समस्या यह है कि गैर-हिन्दी भाषी राज्य से आते हैं और हमें अपनी मातृभाषा में विचार करके विदेशी भाषा में बोलना पड़ता है। परंतु मूल प्रश्न यह है कि यदि अंग्रेजी आज हमारे लिए विदेशी भाषा है तो जब सदस्य उस भाषा विशेषकर अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं तो मैं इस रिकार्ड को अपरिवर्तित रखना चाहूंगा। वर्ष 2011 में आज का रिकार्ड है कि इस देश में इंग्लैंड से भी अधिक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति भारत में हैं पूरे विश्व में अमरीका और इंग्लैण्ड से भी अधिक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं। यही इस भाषा की अच्छाई है परंतु फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ी मजेदार भाषा है। यह केवल 26 वर्णक्रमों वाली मजेदार भाषा है जब हम अपनी भाषाओं, उनकी अच्छाई की बात करते हैं, तो जिन भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी गई हैं। वे 22 के करीब हैं जो आरम्भ में राजभाषा अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद 14 थीं और तदुपरांत, विचार-विमर्श के बाद जब संविधान सभा वाद-विवाद के दौरान खंड को अंतः स्थापित किया गया था और जब सभी रुकावटें दूर हो गई थीं तो उस समय हमें 15 वर्षों के भीतर हिन्दी की राजभाषा के रूप में लागू कर देना चाहिए

थी सारी स्थिति बदल गई तब यह स्थित थी और इसीलिएवहां खड़े होकर, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे मानना पड़ा था कि हम एक भाषा को दूसरी भाषा पर थोप नहीं सकते हैं।

परंतु मैं सभी हिन्दी भाषी व्यक्तियों को इस बारे में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई बात वाले दिन से थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा। हिन्दी उस समय-मानक भाषा थी? आपकी चार विशिष्ट बोलियां थीं। आपकी ब्रज, खड़ी, अवधी बोलियां थी और वे सभी चार विशिष्ट बोलियां मानकीकृत थीं।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडलः महात्मा गांधी सौराष्ट्र, क्षेत्र गुजरात में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी न तो खड़ी बोली जानते थे, न अवधी बोली जानते थे और न कोई कबीर बोली जानते थे।

श्री भर्तृहरि महताबः वे हिन्दुस्तान के थे। ...*(व्यवधान)*

श्री मंगनी लाल मंडलः महात्मा गांधी ने कहा कि हिन्दू और हिन्दुस्तानी से ही इस देश को जगाया जा सकता है। इसलिए मैंने महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस का नाम लिया। दोनों की मदरलैंग्वेज हिन्दी नहीं थी, लेकिन दोनों ने हिन्दी के माध्यम से देश को आजाद कराने का आंदोलन चलाया था।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताबः जो कुछ श्री मंडल कह रहे हैं, मेरा उससे कोई विवाद नहीं है। मुझे इस पर कोई विवाद नहीं है। यहां मेरा एकमात्र सरोकार यही है या हिन्दी 19वीं सदी, 20वीं सदी के आरंभ में मानकीकृत भाषा थी कृपया हिन्दी साहित्य का अध्ययन करें। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैथिलीशरण गुप्त की पुस्तक का अनुवाद करते समय ये सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। तभी मुझे इस सब के बारे मे पता चला ऐसा नहीं है कि मैं हिन्दी नहीं पढ़ता हूं। मैं हिन्दी पढ़ता हूं परंतु मैं श्री मंडल, श्री हुक्मदेव नारायण की तरह धाराप्रवाह हिन्दी नहीं बोल सकता परंतु हिन्दी भाषा के राज्यभिषेक का इतिहास एक बात है और राष्ट्रीय उत्साह मन में लाना अलग बात है।

अतः जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए तब यह सब बाद के हिन्दी में हुआ परंतु तदुपरांत, ये वे मूल अंश है जिन्हें मैं यहां व्यक्त कर सकता हूं और यह उल्लेख किया गया था कि केवल देवनागरी लिपि ही होगी यह क्या दर्शाता है? इसकी विशिष्ट लिपि नहीं की राजस्थानी की अलग लिपि थी जैसा कि सतपाल जी यहां कह रहे हैं कि उनकी अलग लिपि होगी। बिहर में मैथिली और भोजपुरी

के लिए अलग-अलग लिपियां थी। जैसा कि हमारे यहां उड़िया के लिए दो अलग-अलग लिपियां थीं यह बिल्कुल अलग का था, मै। इस बात की चुनौती दे सकता हूं।

सभापति महोदय: मैथिली और भोजपरी के लिए कोई अलग लिपियां नहीं है। एक देवनागरी एकमात्र लिपि है।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल: लेकिन हमने देवनागरी को ऐडॉप्ट किया। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: ऐडॉप्ट किया है, मैं वही बता रहा हूं।

[अनुवाद]

भिन्न भाषाओं के लिए भिन्न लिपियां थीं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: गुजराती और मराठी के बहुत से शब्द देवनागरी से मिलते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: अब भी मराठी में एक ऐलफाबेट ऐसा है जो हिन्दी, देवनागरी में नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे बोलने दिया जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्लीज, महताब जी को बोलने दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: लेकिन बाकी सारे ऐलफाबेट्स देवनागरी स्क्रिप्ट से मिलते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इससे किसी भाषा का मेल नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मंगनी लाल मंडल: आप अभी हिन्दी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, गढ़वाली और कुमाऊंनी के बारे में भी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है। मंडल जी, यहां कोई डिबेट नहीं हो रही है। ये विचार हैं और महताब अपने विचार दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मेरे विचार से गत 12-13 वर्षों के दौरान पहली बार इस सभा में भाषा अथवा साहित्य के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है और जो भी अब तक बोला है उसने भाषा और साहित्य पर विस्तार से चर्चा की है। हमारे देश की यही विशेषता है।

जब मेरी बेटी छठी कक्षा में पढ़ रही थी तो एक शाम उसने एक प्रश्न पूछा प्रश्न यह था कि हमारे—हमारी भूमि के इस भाग को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, चीन के पास हमसे अधिक भूमि है, सोवियत संघ के पास हमसे अधिक भूमि थी। क्या इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अधिक व्यक्ति रहते हैं, और इसी कारण यह उपमहाद्वीप है? तब मैने बिटानिका और शब्दकोष का भी संदर्भ दिया और यह पता लगाना आरंभ किया कि महाद्वीप में क्या होता है ताकि हम अपने देश को यदि महाद्वीप नहीं तो उपद्वीप कह सकें। इसका कारण यह है कि हमारा देश बहु-भाषीय, बहु-जातीय है और यहां पर अनेक धर्म हैं जैसाकि चीन में नहीं है।

इस सभा में और उसके बाहर गत कई वर्षों तक यह कहा गया है कि हमारी भाषा एक होनी चाहिए तत्पश्चात क्या हम यह कहेंगे कि हमारा धर्म एक ही होना चाहिए? क्या हम यह भी कहेंगे कि हम सभी की एक जाति होनी चाहिए? यह संविधान जिसे हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाया गया है वह हमें एक दर्जा देता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म, अपनी भाषा अपनाने का अधिकार तथा स्वयं को सच्चा भारतीय होने का दावा करने का भी अधिकर देता है।

इस भूमि पर, यद्यपि यह कई बार विभाजित, उप-विभाजित हुई है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, यह भू-भाग उपमहाद्वीप हैं क्योंकि हम प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषा को मान्यता देते हैं और हम अनेक और बातें जोड़ सकते हैं। इसीलिए, यह उपमहाद्वीप है, जो कि रूस नहीं है। उन्होंने पूरे देश में एक भाषा लागू की और क्या हुआ। हर कोई जानता है कि एक निश्चित समयावधि के बाद वह राष्ट्र हम कह सकते हैं कि टूट गया। महाशक्ति धराशायी हो गई।

आज, तिब्बत में क्या हो रहा है? तिब्बत में बौद्धों अथवा तिब्बतियों पर एक विशेष भाषा, विशेष विचार को थोपा जा रहा है। उससे एक समस्या जैसा कहा जाता है उत्पन्न होंगी मैं उन पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूं। परंतु यहां मैं कहूंगा कि कुछ वर्षों पूर्व कई समाचारपत्रों में अति सनसनीखेज और रोचक समाचार प्रकाशित हुआ था कि उसमें विभिन्न सर्वेक्षण कर रहे हैं।

उन्होंने एक विशिष्ट भाषा पाई जो वर्ष-दर-वर्ष सिमटती जा रही थी और अब मुश्किल से हजार व्यक्ति उस भाषा को बोल रहे हैं। इसे मेरी भाषा कहा जाता है। संविधान उनको यह गारंटी देता है कि हमें उस भाषा की रक्षा करनी होगी।

जो व्यक्ति भाषा साहित्य में वास्तव में रुचि रखते हैं वहां हर कोई जब कभी विभिन्न संगोष्ठी में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आह्वान से अंग्रेजी भाषा पर अत्यंत भार होने से, हमारी भाषा सिमट जाएगी और वह पांच, दस अथवा 15 सदियों के बाद हमारी भाषा मिट जाएगी। भाषा जैसा मेरी समझ में आता है।

[हिन्दी]

जैसे हम एक स्रोतस्विनी नदी की तरह कहते हैं। मुझे आशा है कि अति संस्कृतनिष्ठ नहीं है। यह प्रवाह की तरह बहती रहती है।

सभापति महोदयः निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है।

श्री भर्तृहरि महताबः वह निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है। लेकिन लेंग्वेज, भाषा हमारी उड़िया भाषा में डेढ़ सौ साल पहले थी, वह अब नहीं है। वह बदलती रहती है। मैं अति नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमने हिन्दी भाषा को एक स्टैंडर्डाइज्ड भाषा के रूप में विकसित कर दिया है।

[अनुवाद]

क्या आज उस भाषा में और शब्दावली जोड़ रहे हैं? सतपाल जी का क्या सरोकार है? आज जब वह बोल रहे थे तो, उन्होंने तीन चार शब्दों का उल्लेख किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

एक प्रश्न था जब वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू किया गया था और तदुपरांत यह वर्ष 1965 में अस्तित्व में आया था, मै। गृह मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि वह यह पता लगाए कि अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी शब्दावली में कितने शब्द अपनाए गए थे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडलः महोदय, पहले विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान पढ़ता था, रसायन शास्त्र पढ़ता था। अभी मैट्रिक के विद्यार्थी से पूछा जाए कि पदार्थ विज्ञान किसे कहते हैं, तो वह नहीं समझेगा। लेकिन अगर फिजिक्स किसे कहते हैं, तो तुरंत समझ जाएगा। भाषा यही है। मैं मैट्रिक में जब गणित, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहा था और रसायन विज्ञान पढ़ रहा था, तो प्रयोगशाला की एक-एक चीज का हिन्दी नामकरण था कि बीकर किसको कहते हैं, परखनली किसको कहते हैं। अभी किसी से कहें कि रसायनशास्त्र की प्रयोगशाला में यह बीकर यह परखनली है तो वह नहीं समझेगा क्योंकि हमने उनका प्रचलन बंद कर दिया है। प्रचलन से उसे विज्ञान की भाषा नहीं बनने दिया। जब हिन्दी राज-काज की भाषा नहीं हो सकी, तो विज्ञान की भाषा कहां से हो सकेगी? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः महताब जी को बोलने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः हमने अपने मां-बाप को भुलाकर मम्मी-डैडी कर दिया। हमारे बच्चे चलकर पूछेंगे कि मां क्या होता है, बाप क्या होता है।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माताश्री पिताश्री कहना भूल गए।

महताब जी आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताबः वे केवल प्रतिस्थापन कर रहे हैं। मैं यहां केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उड़िया भाषा के मामले में संविधान ने क्या कहा है। इसमें कहा क्या कि यह भी हिन्दी की तरह भारतीय यूरोपियन परिवार से ही बनी है। यह भाषा इस देश की कुल जनसंख्या के 3.3 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। अब यह उड़ीसा की राज्य भाषा है। आज यह झारखंड की दूसरी भाषा है। उड़िया भाषा को असम में रहने वाले लोगों द्वारा भी बोला जाता है। आज मुझे पवन सिंह घाटोवन इस सभा में नजर नहीं आ रहे हैं परंतु अनेक व्यक्ति असम में उड़िया बोलते हैं इसलिए झारखंड के सिंहभूमि और रांची जिले में, छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायगढ़ और बस्तर जिलों में, पश्चिम बंगाल में मिरनीपुर जिले और वर्धमान के कुछ भाग में तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिलों में उड़िया बोलते हैं।

मैं इस सभा का ध्यान एक विचित्र बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा असम की लिपि थी, अपनी लिपि थी उड़िया की अपनी दो लिपियां थीं एक लिपि इस देश के दक्षिण भाग के साथ और दूसरी इस देश के उत्तरी भाग के साथ संप्रोषण करने के लिए थीं। अंततः स्वतंत्रता के पश्चात, हमने उत्तरी भाग की लिपि को अपनाया जैसा कि उड़िया को आज लिखा जा रहा है। इसका संविधान में वर्णन किया गया है। परंतु जैसा कि हम कहा करते थे, दक्षिण भाग की अलग लिपि थी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिण भाग की अलग लिपि थी इन भागों के संपेषण करने वाले व्यक्ति इस लिपि में लिख रहे थे। वह भाषा उड़िया थी परंतु लिपि थोड़ी अलग थी। वह आज पूरी तरह नष्ट हो चुकी है।

यहां मुझे उस समय का एक दृष्टांत याद आता है जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर-वर्ष 1938 में उड़ीसा के राजकीय अतिथि बने थे। वह अस्वस्थ थे। वह पुरी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। वह वहां पर 2-3 महीनों से अधिक समय तक रहे। उस समय, उन्होंने उड़ीसा प्रांत के नेताओं से बातचीत की उस समय उनके मन में बड़ा ही विचित्र विचार आया उन्होंने कहा: आप अलग लिपि का आयोग क्यों कर रहे हैं। आप बंगाली लिपि अपना सकते हैं। आप इस लिपि में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। बंगाल हम बंगाली लिपि अपना सकते हैं। आप इस लिपि को अपनाएं जैसा कि हमने असम में किया है। असमियां भाषा लिखने के लिए बंगाली लिपि का उपयोग किया जा रहा है। असम अपनी लिपि छोड़ चुका है।

यह वह विचार था जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रखा गया था जब वह उड़ीसा के राजकीय अतिथि थे। इस विचार का उड़ीसा के नेताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया था। हमने अपनी लिपि की रक्षा की। हमने एक लिपि को छोड़ दिया है परंतु एक लिपि जिसे हम उपयोग करते हैं, जो हमने रखी है, वह है लिपि उस लिपि में काफी साहित्य लिखा जा रहा है।

हमारी लिपि है। लिपि भाषा की नींव होती है और साहित्य उसके बाद आते हैं। आज की स्थिति के अनुसार हमारे देश में 4000 से अधिक भिन्न-भिन्न बोलियां हैं परंतु सभी बोलियों की लिपियां नहीं हैं। आज, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक समितियों का गठन किया गया है। डॉ. सीताकांत महाबल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने उन भाषाओं के बारे में कई सुझाव दिए हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुसार स्वीकार अथवा सम्मिलित किया जा सकता है। हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मान रखते हुए अपने संविधान में 14 भाषाओं को बढ़ाकर 22 कर दिया है। संविधान इस विधिका उपबंध करता है। हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता दी है। जितना अधिक हमें यह देगा उतना ही बेहतर होगा। हमने देख लिया कि सोवियत संघ और चीन में क्या हुआ?

महोदय, मुझे अन्य धरना की याद आती है। यह बिहार, झारखंड, और उड़ीसा से जुड़ी है। अंग्रेजी ने वेस्ट बंगाल प्रजिडेंट की तरह विभिन्न प्रेजिडेंसिज बनाई थीं। इन्हें विभाजित और उप विभाजित किया गया और अंततः वर्ष 1911 के पश्चात यह बिहार और उड़ीसा प्रांत बने। इनके बीच में अनेक सामंती राज्य थे। वहां अदालत की भाषा अंग्रेजी थी।

वे हिन्दी भाषा थोपे जाने के विरुद्ध थे। उड़ीसा की पश्चिमी भाग संबलपुर में सबसे पहले उन्होंने यह तर्क रखा कि अदालत की भाषा हिन्दी नहीं बल्कि उड़िया होनी चाहिए संबलपुर रामपुर के निकट है। यह वर्ष 1894 में हुआ ।

मेरे घर में भी कई मोहर हैं-मेरे परदादा ने ये मोहरें बनवाई थीं और उन्हें कतिपय अभिलेखों पर लगवाया करते थे वे पारसी में लिखी थीं। कुछ उर्दू में लिखी थीं क्योंकि वह अदालत की भाषा थी। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी अदालत की भाषा बन गई थी। यह अब भी अदालत की भाषा बनी हुई है। हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति को श्री विजयबहादुर सिंह जैसे वकीलों की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी में बहस कर सकता है, वह अंग्रेजी में न्याय दिलवा सकता है। कितने व्यक्ति यह कह रहे हैं कि इसे हटा देना चाहिए।

मैं केवल यह आग्रह करूंगा कि जब डॉ. सीताकांत महाजन की रिपोर्ट को सरकार के समक्ष रखा जाए तो हमें अपने देश की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देनी चाहिए। न केवल उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए बल्कि उनकी पहचान करके उन्हें बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। यदि हमें कतिपय भाषाओं का राज्य भाषाओं के रूप में विकास करना चाहते हैं तो उन राज्य की भाषाओं की अलग शब्दावली भी बनानी होगी। ताकि इसका उपयोग किया जा सके। इसका प्रायः उपयोग किया जा सकता है और साहित्य में तथा अपने उपयोग के विभिन्न भागों में इसे रखा जा सका है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री सतपाल महाराज जी ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 के नाम एक विधेयक पुरःस्थापित किया है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः रंजन जी, हिन्दी में बोलो, बंगाली हिन्दी में बोलो।

श्री शैलेन्द्र कुमारः चौधरी साहब, हिन्दी में बोलो।

श्री अधीर चौधरीः मैं श्री शैलेन्द्र जी से पूछूंगा, क्योंकि वे कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी इंग्लिश में नहीं बोला। सही बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनके जो बेटा-बेटी, पोते-पोती हैं वे कहां पढ़ते हैं? ...*(व्यवधान)* हम लोग मुंह से एक बात कहते हैं लेकिन काम दूसरा करते हैं, यह भी सही नहीं है। ये दो किस्म की बातें हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमारः सभापति जी, इस समय वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* व्यवस्था परिवर्तन की बात है, यह मैं कह रहा था।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः हमरे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो बैकवर्ड, शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को आई.ए.एस., आई. पी.एस. में कोई घुसने नहीं देगा। ...*(व्यवधान)* मजबूरी में पढ़ रहे हैं। हमें फोर्थ-ग्रेड में भी कोई नहीं रखेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अधीर चौधरी के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी: एक बात आप सुनिए। जब हमारा संविधान 1950 में बना था तो हिन्दी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था, लेकिन उसके साथ यह भी उसमें प्रॉविजन था कि 15 साल के अंदर, अगर संसद सोचे तो अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, केवल हिन्दी रहेगी। लेकिन हम लोग तय नहीं कर सके। उसके बाद 1963 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया तो हमने दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज में रख दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं उस भाषा में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, विधायी दस्तावेज में यह प्रस्ताव किया गया है कि गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा और सम्मान दिया जाए।

[हिन्दी]

सर, मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे देश में नेशनल बर्ड, नेशनल एनीबल, नेशनल फ्लैग हमें मालूम हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि हिन्दुस्तान एक हिट्रोजिनिअस सोसाईटी हैं, जहां मल्टी-लिग्वल, मल्टी-रिलीजिअस, मल्टी-कल्चरल, मल्टी-रेशिअल सोसाइटी है। अगर हम ब्रिटेन में जाएं तो 95 परसेंट लोग इंग्लिश में बात करते हैं, फिर भी इंग्लिश वहां ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरी तरफ आप अमरीका जाएं तो वहां इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज है, इंफोर्मल-वे में। लेकिन हिन्दुस्तान में हमें इंग्लिश और हिन्दी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज और साथ ही साथ 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि शैड्यूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। यहां बिल में मांगा गया है कि शैड्यूल्ड लैंग्वेज की तरह इसे दर्जा दिया जाए। महोदय, लैंग्वेल क्या होती है? लैंग्वेज मीडियम आफ एक्सप्रेशन होती है। जब कोई लैंग्वेज की बात आती है, तो साथ ही साथ एक जियोग्राफी, एक टैरिटरी सामने आती है। इसमें टेरिटोरियल लैंग्वेज हो सकती है, कोमेंट्री लैंग्वेज हो सकती है और सैंट्रल तथा रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। भारत में आज से पांच हजार साल पहले हम लोगों ने भाषा को ओरिजनेट होते देखा। पहले इसकी पचास विकटोरियल फार्म थीं। यह ट्रोसफार्म होकर फिक्टोरियल स्पीक आ गई। उसके बाद ओर्थोग्राफिक्स आ गया। यह बड़ा ट्रांजिशन है कि प्रोटो लैंग्वेज जमाने से हम लोग मार्डन लैंग्वेज जमाने में आ चुके हैं। अगर इस बीच देखा जाए तो तीन केटेगिरी में हम इन्हें बांट सकते हैं एक इंडो आर्यन, दूसरी तिब्बत वर्मन, तीसरी द्रविड़यन है। हिन्दुस्तान में 73 फीसदी लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज करते हैं। तीन फीसदी लोग दूसरी भाषाएं यूज कश्रते हैं, बाकि लोग द्रविड़यन लैंग्वेज यूज करते हैं। तीन फीसदी लोक दूसरी भाषाएं यूज करते हैं, बाकि लोग द्रविड़यन लैंग्वेज यूज करते हैं। द्रविड़यन लैंग्वेज के अंदर भी 73 किस्म की डायलेक्टस हैं, जैसे हिन्दी में 17 किस्म की डिस्ट्रक्ट डायलेक्स है। एक डायलेक्स से दूसरे डायलेक्स तक काफी अंतर भी है।

महोदय, इसमें जो मुद्दा रखा गया है कि गढ़वाल और कुमाऊंनी लैंग्वेज को शैड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसका समर्थन करने में मुझे कोई हिचक और सवाल नहीं है। गढ़वाल में हर घर से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए एक जवान गया हुआ है। गढ़वाल-कुमाऊं के बहादुर सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं और इसलिए गढ़वाल-कुमाऊं लैंग्वेज को आठवीं अनुसूची में शामिल करके उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में हिन्दू-आर्यन लैंग्वेज में भी काफी डिवीजन है। जैसे कि ओल्ड हिन्दू आर्यन, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसके बाद क्लासिकल संस्कृत, प्राकृत, जिसका आपने भी जिक्र किया था। इसके बाद अपभ्रंश है। हिन्दुस्तान में इन्दा, ब्राह्मी, नागरी, खरोष्ठी और गुप्त स्क्रिप्ट हैं। हिन्दुस्तान कैलेडियोस्कोप की तरह है, जिसमें बहुत किस्म के नजारे देखने को मिलते हैं। वर्ष 1961 में हिन्दुस्तान में जो सेंसैस हुई थी, उसमें देखा गया कि हिन्दुस्तान में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। वर्ष 1991 के सेसैस में यह देखा गया कि 1576 क्लैसीफाइड मदर लैंग्वेज हैं। इसमें 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 50 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि 114 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर 2001 में एक और सेंसैस हुई जिसमें यह निकलकर आया कि हिन्दुस्तान में 29 ऐसी भाषाएं हैं जो दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और 60 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 122 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने जिस बात से चर्चा शुरू की थी कि हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमारा जो संविधान है और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, इसमें कहीं नेशनल लैंग्वेज कहकर हम लोग नहीं बोल पातें हमारा आर्टिकल 343 है जिसमें यह कहा गया कि हिन्दी विद देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और आर्टिकल 354 में बताया गया कि:

[अनुवाद]

भारत राज्य किसी राज्य में प्रयोग होन वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को या हिन्दी/अंग्रेजी को उप राज्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भाषाओं के रूप में अंगीकृत कर सकता है।

1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-8 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, संसद के कार्य-संचालन के लिए और केन्द्र सरकार तथा राज्यों के बीच पत्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में नियम बना सकेगी।

1987 में यथा संशोधित नियम, 1976 शीर्षक के अधीन सा.का.नि. 105 की धारा 3 क में विनिर्दिष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय में क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई प्रत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

नियम 1976 शीर्षक के अधीन सा.का.नि. 105 क की धारा 3 के अनुसार बताया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्र सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

क्षेत्र 'ग' दक्षिण भारत में है जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने इलाके की डेमोग्राफी और वहां की आम जनता की भावना पर नजर रखते हुए, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार द्वारा गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है, जैसे कि बिहार में बंग्ला है, हिन्दी है, उर्दू है। इन सभी भाषाओं को बिहार सरकार ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे चुकी है। सिक्किम में चारों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सिर्फ नेपाली लैंग्वेज को शैड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, हमारे सूबे बंगाल में बंगाली। यानि कि हर सूबा अपने क्षेत्र के मद्देनजर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कि सूबों के हाथ में कोई पॉवर नहीं ह। हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ पावर्स सूबों को भी दी गई हैं कि आप भी अपनी तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। फिर भी जब शैड्यूल्ड लैंग्वेज के बारे में चर्चा होती है रहे और आम जनता की मांग बढ़ती रहे तो धीरे-धीरे आज तक 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शैड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। जहां तक गढ़वाल का सवाल है, सतपाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से गढ़वाल की चर्चा की है जिससे हम सब खुश हुए हैं। गढ़वाल एक पहाड़ी भाषा है, कमाऊंनी हिल की भाषा है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, उत्तराखंड, हरिद्वार, रूद्र प्रयाग की गढ़वाल सेंट्रल पहाड़ी भाषा है। यह इंडो आर्यन भाषा के नार्दर्न जोन में मिलती है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक गढ़वाल में जो राजा थे उनकी आफिशियल भाषा गढ़वाली थी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि देवप्रशग के इंस्क्रिप्शन में, ग्रैंटिंग की इंस्क्रिप्शन में राजा के दस्तखत हैं। न्यूमेसमेटिक्स, रायल सील्स में गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं। गढ़वाल ऐसा इलाका था जहां पनवा राजा राज करते थे जब गोरखा, तिब्बती और ब्रिटिश नहीं आये थे। इतने सालों तक जिस जगह इनका राज था वह इंडिपेंडेंट किंगडम था। रायल सील्स, न्यूमसमेटिक्स में एक भाषा को दर्जा देने के लिए वे सब सबूत हैं जो होने चाहिए। इसलिए गढ़वाली भाषा को शैड्यूल भाषा का दर्जा देना चाहिए। यूनेस्को दुनिया का एक एटलस बनाता है जिसे लैंग्वेज एटलस कहा जाता है। इंटरनेशनली यूनेस्को एटलस बनाकर बताता है कि कहां कौन सी भाषा खतरे में है। हम देख रहे हैं कि गढ़वाल डेंजर जोन में आ चुका है। गढ़वाल भाषा बहुत रेपिडली श्रिंक कर रही है। इसकी रक्षा राज्य सरकार का फर्ज है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे।

महोदय, इतिहास बताता है कि गढ़वाल भाषा खास लोगों की भाषा थी। बाद में आर्यन आए, अपने साथ वेदिक संस्कृत लाए, धीरे-धीरे गढ़वाल भाषा से जुड़ते गए। कई लोग कहते हैं कि शेरसेनी और राजस्थानी अपध्वंस ने इस पर काफी असर डाला है। गढ़वाल के लोग बाहर जाने लगे तो काफी भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि ने असर डालना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के बाद हिन्दी ने सबसे ऊपर स्थान बनाया। गढ़वाली भाषा का स्क्रिप्ट देवनागरी है। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि गढ़वाल में जो पहले भाषा थी वह फोक कल्चर के जरिए जनता तक पहुंचती थी। भाषा हमारी धरोहर है। जनरेशन से जनरेशन एक फोक लोर की तरह से वे जनता के दिलों में बैठी थी। यह उस समय भी उनकी एक संगठित लिटरेचर थी। 17वीं शताब्दी के बाद गढ़वाल भाषा एक लिटरेचर की हैसियत से उभरकर सामने आने लगी और एक के बाद एक गढ़वाल से निकली कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के बारे में हमें जानकारी होने लगी।

महोदय, मैं आपको एक ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताता हूं।

[अनुवाद]

जो सर्वाधिक प्राचीन पांडुलिपि पायी गयी है वह पंडित जयदेव बहुगुणा द्वारा रचित कविता "रंच जुड़या जुड़िगे घीमआन जी" है।

[हिन्दी]

1828 में महाराजा सुदर्शन साह ने सभा सार लिखा था। यह चौंकाने वाली बात है कि

[अनुवाद]

अमेरिकन मिथिनरियों 1830 ई. में ने गढ़वाली भाषा में न्यू टेस्टामेंन्ट प्रकाशित की।

[हिन्दी]

अमरीकन मिशनरी ने भी गढ़वाली में यह टेस्टामेंट लिखा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि महाभारत के जमाने से गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जो ढाई हजार साल पुराना अशोक स्तम्भ है, उस स्तम्भ पर भी गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं। गढ़वाल से बहुत सारी मैगजीन्स निकलती हैं, जैसे बदुली, हिलांस, चिट्ठी-पत्री और धाड आदि। ये सब चीजें गढ़वाली भाषा को डेवलप करती हैं।

महोदय, गढ़वाली भाषा के महत्व की जानकारी देने के लिए मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा,

[अनुवाद]

वर्ष 2010 में साहित्य अकादमी ने दो गढ़वाली लेखकों नामत: श्री सुदामा प्रसाद 'प्रेमी' और प्रेमलाल भट्ट को भाषा सम्मान प्रदान किया। जुलाई, 2010 में साहित्य अकादमी ने मेरठ साहित्य सम्मेलन के दौरान श्री बचन सिंह नेगी को गढ़वाली गौरव सम्मान प्रदान किया। साहित्य अकादमी ने जून, 2010 में पौरी गढ़वाल में गढ़वाली भाषा सम्मेलन भी आयोजित किया। उत्तराखंड, दिल्ली और मुम्बई के विभिन्न हिस्सों में कई गढ़वाली कवि सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं चहता हूं कि गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों के लोगों की भावना और उनकी वर्षो पुरानी मांग को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल और कुमाऊंनी भाषा को शेड्यूल भाषा का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदय, मैं जनाब सतपाल महाराज के जरिए रखे गये इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी की तकरीर के बाद मेरे लिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। मैं अपनी बात को पूरी तरह इनसे सम्बद्ध करते हुए ...(*व्यवधान*) जो जबान है, भाषा है, इस पर उस जबान के जानने वाले को अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने राज्य और अपने राष्ट्र पर फख्र होता है। लेकिन इस देश में यह परम्परा बन रही है कि एक विशेष भाषा को जानने वाले लोग ही अक्लमंद होते हैं। अगर उस भाषा को आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत बुद्धिमान नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि हां इनको भी कुछ आता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जाता है। अगर आप यूरोप में जाएं तो जैसे अपने यहां राज्य हैं, वहां उतने बड़े शहर हैं, वहां उतने बड़े देश हैं। इंग्लैंड में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, वे फ्रांस में जाएं और अगर इंग्लिश में कोई बात करें तो फ्रेंच के लोग जवाब नहीं देते हैं। मैं भी एक बार गया था तो मैंने इंग्लिश में किसी से बात की और जब उसने नहीं समझा तो मैंने कहा कि आप इंग्लैंड के इतने बगल में हैं आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वे बोले कि इंग्लैंड के लोग भी फ्रेंच नहीं जानते हैं। उनको अपनी-अपनी भाषा पर गर्व होता है। चौधरी साहब बोल रहे थे और कई बार मैं देखता हूं कि जो बंगाली भाषा जानने वाले हैं ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आपकी अनुमति हो तो हम वार्ता का समय एक घंटा बढ़ा रहे हैं

अनेक माननीय सदस्य: जी ठीक है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हिन्दुस्तान में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। कई जगह एक भाषा बोलने वाले हैं, उनके बोलने का अंदाज बदल जाता है। उर्दू बहुत जगह गोली जाती है और हिन्दी भी बहुत जगह बोली जाती है। बिहार में मैथिली और अंगीका बोली जाती है। लेकिन एक ही भाषा के बोलने वाले एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उनके बालने की टोन बदल जाती है। दिल्ली के लोग जिस टोन से चांदनी चौक में बोलते हैं, दिल्ली से आगे जाकर उत्तम नगर की तरफ चले जाएं और ककरौला और झड़ौदा की तरफ चले जाएं तो दिल्ली में उसी हिन्दी का अंदाज बदल जाता है। हरियाणा में चले जाएं तो उसी हिन्दी को बोलने का अंदाज बदल जाता है और अगर ज्योति मिर्धा जी के क्षेत्र में चले जाएं तो उसी हिन्दी को अलग तरह से बोला जाता है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): हरियाणा में ज्यादा मीठा बोलते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: जी हां, वह मीठा ही है। सभापति जी, मेरा ससुराल भी सोनीपत में है। मैं तो हरियाणा के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता हूं। वहां के लोग तो बहुत मीठा बोलते हैं, हम सुबह से शाम तक सुनते हैं। अपनी-अपनी जुबान पर फख्र करना और जुबान पर जिद करना अच्छी बात है। अगर कभी कोई व्यक्ति कहे कि हमारी भाषा में बोलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है, जहां एक मुल्क में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और एक राज्य में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। अष्ठम् सूची में कुछ भाषाओं का नाम है। सभापति जी, मुझे यह फक्र है कि जब मैं अटल बिहारी वाजपेई जी के साथ मंत्री था और हम लोग वाजपेइ जी को ले कर हुक्मदेव बाबू के क्षेत्र में एक महासेतु का उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहां पर हुक्मदेव बाबू ने उनको मखाने की माला पहनाई थी और पाग दिया था। मिथिला के बारे

में जो वर्णन उनकी जबान से हो सकती है, वह मेरी जुबान से नहीं हो सकती है। कार्यक्रम रेलवे के पुल का शिलान्यास करने का था लेकिन इन्होंने प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन किया। मिथिला को अष्ठम सूची में डालने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेई जी ने की थी। यह सरकार की इच्छाशक्ति पर होता है। कैबिनेट की उस बैठक में मैथिली जानने वाला मैं ही बैठा था। हमारे बिहार के कई नेता थे। कैबिनेट में मैंने कहा कि आपने वहां घोषणा की थी। हम लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आप निर्मली गये थे और आपने कहा था कि मैथिली को अष्ठम सूची में डालेंगे। बिना कैबिनेट नोट के कैबिनेट ने डिसीजन किया और मैथिली को अष्ठम सूची में हमारी सरकार ने डाला और इसका हमें सौभाग्य मिला क्योंकि हम उस कैबिनेट के सदस्य थे। हम भोजपुरी को डालने वाले थे, लेकिन वक्त से पहले चुनाव हो गया और आप लोग आ गये। आप तो अंग्रेजी वाले लोग ज्यादा आ गये, आपको भोजपुरी से क्या मतलब? भोजपुरी को भी अष्टम सूची में डाला जाये। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि इसे हम अष्टम सूची में डालें।

श्री हरीश रावत: जिस दिन आपने उन्हें मैथिली को डालने की याद दिलाई, उस दिन आपको भोजपुरी का ख्याल नहीं आया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: उसे आपके लिए छोड़ दिया था। आप क्या करते? सब कुछ हम ही कर जाते तो आप क्यों आते?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं कई बार इनसे बहस-मुबाहिसे में रहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि आपने नहीं किया। किसी मंत्री जी से पूछिए तो वे कहते हैं कि यह काम पहली बार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नेहरू जी ने जो किया, इंदिरा जी ने जो किया, राजीव जी ने जो किया वे कुछ नहीं कर पाये, आप कह रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं। कई बार जो काम हम करते हैं, आज आप लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, आप मनरेगा लेकर आये, आप आरटीआई लेकर आये, हम यह कहते कि आप इन्हें पहले दिन ही क्यों नहीं लाये? यह काम सिलसिलेवार होता है।

सभापति महोदय: आप विषय पर बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हम अपने कैबिनेट के अनुभव कह सकते हैं कि एक दिन की सत्ता नहीं मिलती है, काम सिलसिलेवार किया जाता है। इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर पाये और आप नहीं कर पाये हैं, यह प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। हम तो नहीं कर पाये, लेकिन सात साल से आ क्या कर रहे थे? जब मंत्री जी आप जवाब दें तो हम इस बात का जवाब आपसे जरूर चाहेंगे। भोजपुरी के जो लोग आज देख रहे होंगे, वे रावत साहब से उम्मीद करेंगे कि जवाब देते वक्त या वे जब बोलें तब वे इस बारे में बतायें कि भोजपुरी को सात साल से न्याय क्यों नहीं मिला? छह साल पहले जब हमारी हुकूमत रही, उससे पहले पचास साल न्याय क्यों नहीं मिला, इसका जवाब आपको देना चाहिए? इस देश में जुबान का बहुत महत्व है, जब हुक्मदेव बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी भाषा में बोलता है। मैं मुसलमान हूं और अरबी पढ़ता हूं। अरबी मेरी समझ में आये या न आये, लेकिन मैं अरबी पढ़ता हूं। अगर मैं कभी दुआ करने जाता हूं तो हाथ उठाते वक्त मैं अरबी में ही दुआ मागूंगा और मेरा ख़ुदा मेरे से राजी हो जाएगा। अगर यही अकीदा हो जाये कि अरबी में दुआ मांगने से ही खुदा राजी होगा, ऐसा नहीं है। जिसकी जो भाषा है, बंगाली, बंगला में दुआ मांगता है, जो उर्दू जानने वाले हैं, वे उर्दू में दुआ मांगते हैं,जो हिन्दी जानने वाले हैं, वे हिन्दी में प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला सबकी जुबान समझता है। जो जुबान आपकी समझ में आती है, वही जुबान आपकी अपनी जुबान है। मैं यह देखता हूं कि लोग कई जगह, जिस पर बहुत बड़ा अकीदा होता है, उस भाषा पर, उस किताब पर, तब भी उस किताब को लोग पढ़ते तो हैं। संस्कृत में कई किताबें हैं, लोग वेद पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं, लोग अपनी भाषा में वाईबिल पढ़ते हें लेकिन उसे समझाते हुए वे उस भाषा का उपयोग नहीं करते। जिस भाषा में लोग समझ जायें, वे उस भाषा का उपयोग करते हैं। हिन्दुस्तान में कई बार नारा लगता है, रावत साहब कल भी आप टेलीविजन पर नारा लगा रहे थे, मैं उसे यहां कोट नहीं करूंगा। मैं आपकी प्रेस कांफ्रेंस देख रहा था। कई बार जुबान के बारे में यहा डिबेट होती है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कह सकता हूं कि कौन हमारा राष्ट्रगान हो, इस पर भी देश में बहुत बड़ी बहस हुई, वोटिंग हुई। हमारी सरकारी जुबान कौन सी हो, हम कौन से नारे को लगायेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि यह जुबान हमारी है, यह जुबान तुम्हारी है, जो हिन्दुस्तानी जुबान है, वह सब हमारी है। हम अपनी जुबान प जिद कर सकते हैं कि हम अपनी जुबान में बोलेंगे, लेकिन हम दूसरे को उसकी जुबान में न बालने दें, यह भी बहुत अन्याय है। इसीलिए हम कह सकते हैं आज कई नारे हैं, इंकलाब जिन्दाबाद है, जिस व्यक्ति को उर्दू के बारे में कुद नहीं पता, वह भी कहता है कि इंकलाब जिन्दाबाद, यह तो उर्दू की बात हैं।

सभापति महोदय: आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, आपने समय भी बढ़या है और आप बहुत बड़े ह्रदय के व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय: चलिये ठीक है। आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं बचपन से आपको सुनता रहा हूं। मैं फिल्में नहीं देखता हूं, मैं गाने नहीं सुनता, लेकिन न्यूज देखने के बाद अगर मुझे समय मिलता है, तो मैं प्रवचन

सुनता हूं। आपका प्रवचन आता है, तो मैं कभी मिस नहीं करता हूं। ...(व्यवधान) महोदय, मैं सच बोलता हूं और उसकी सच्चाई वही समझ सकता है, जिसका स्वयं सच्चाई पर विश्वास हो। अगर सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं है, तो दूसरे को भी वह अपनी तरह का ही मानने लगता है। मैंने दिल से कहा है और मेरे मित्र निशिकांत जी जानते हैं कि मैं बहुत गौर से सुनता हूं, क्योकि जो बड़े व्यक्ति आ कर टीवी पर बोलते हैं, उससे हम लोगों को काफी लाभ होता है। हम लोग मंत्री रहे, तीन बार से सांसद हैं, लेकिन अपने को स्टूडेंट की तरह मानते हैं। अगर कहीं सांसद बोल रहा होता है, तो उसकी कही एक-एक बात कीमती होती है, इसलिए मैं हमेशा उनसे सुनकर सीखता हूं।

महोदय, मैं कह रहा था कि जुबान का अपना महत्व है। आज कल लोग फिल्मों में जाते हैं, तो उर्दू सीखते हैं। लोग उर्दू जानते हैं तो "ज" के नीचे बिंदी लगाते हैं। हिन्दी में भी अब लोग "ज" के नीचे बिंदी लगाते हैं और हिन्दी तथा उर्दू का जो रिश्ता है, वह गंगा-यमुनी तहजीब से झलकती है। उर्दू भाषा के लिए यह कह दिया जाता है कि मुसलमानों का भाषा है। ऐसा नहीं है, उर्दू प्योर हिंदुस्तानी जबान है। उर्दू पर कभी किसी दूसरे मुल्क का ठप्पा नहीं लग सकता है। ...(व्यवधान) उसका सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए। *...(व्यवधान)* महोदय, इस देश में मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वह हिंन्दुस्तानी है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वह हिंदुस्तानी ही है। कई लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। कि आप देशभक्त हो, आप भारतीय हो। कहीं भी रहें, जो इस मुल्क में पैदा हुआ, बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान नहीं गया। भारत को मादरेवतन माना, जननी मातृभूमि माना, वह हिंदुस्तानी ही है, उसे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसे न सर्टिफिकेट देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए।

महोदय, यह जो जबान है, हर क्षेत्र में इसके बोलने में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। दिल्ली में जैसे उर्दू और पंजाबी दूसरी जबान है। बिहार में उर्दू दूसरी जबान है, मैथिली दूसरी जबान है। अलग-अलग लोग अपनी जबान पर गर्व करते हैं। मैं अंग क्षेत्र का सांसद हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विक्रमशिला कज्ञ सांसद हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विक्रमशिला का सांसद हूं। बिहार में जिस प्रकार मैथिली बोली जाती है, उसी तरह भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अंगिका को अष्टम सूची में लाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पहले भी संसद में हमने इस विषय को उठाया था। जब विक्रमशिलाा में अंगिका भाषा का उपयोग होता था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के कई इलाकों में अंगिका बोली जाती है। और भागलपुर का जो नजदीकी क्षेत्र है।

सभापति महोदय: इसकी लिपि क्या है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इसकी लिपि देवनागरी है। इसका अलग शब्दकोष है और व्याकरण है। तिलकामाजी यूनीवर्सिटी में इस भाषा के लिए अलग से केन्द्र खुला हुआ है। अंगिका बहुत ही मीठी और प्यारी भाषा है। *...(व्यवधान)* जिस बात को आपने हुक्मदेव जी से सुन लिया है और वहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा। सभापति जी, यह आंदोलन बहुत दिनों से हो रहा है। महाभारत काल में यह क्षेत्र था, यह उतना पुराना है। महाभारत काल में अंगराज कर्ण का यह क्षेत्र है। उससे संबंधित मंदार पर्वत है, जो अब झारखंड क्षेत्र में आ गया है। यहां पर नालंदा की चर्चा होती है, पर विक्रमशिला की कभी कोई चर्चा नहीं हुई मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। हम बराबर यह कहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाइए। जिस तरह आप नालंदा में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसी तरह वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलें। लेकिन इस सरकार में तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिजवालों की ज्यादा चल रही है। नालंदा, विक्रमशिला वाले लोग सिर्फ बैठे-बैठे देखते रहते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की बात होती है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो अंगिका भाषा है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि सुश्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थीं तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी और एक बार अनुरोध किया उन्होंने भागलपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस का नाम बदलकर अंग एक्सप्रेस रख दिया। मैं अंग इलाके का सांसद हूं। वह तो दानवीर की भूमि है और मैं इस सरकार से पूछता हूं कि हम लोग कब तक दान करते रहेंगें? आप अपना हृदय थोड़ा बड़ा कीजिए। अंगिका को आठवीं अनुसूची में डालने की कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। आज बड़ी तादात में पूरा भागलपुर कमिश्नरी क्षेत्र, कोसी कमिश्नरी क्षेत्र, और झारखण्ड में गोड्डा के लोग अंगिका का बहुत उपयोग करते हैं। अंगिका भाषा के साथ मंजूषा, कला जुड़ी हुई है। मैं इस बिल पर समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि अंगिका भाषा को अष्टम सूची में डाले। सरकार आठ सालों से बैठी है, जिद पर अड़ी है कि किसी भाषा का नाम ही नहीं डालेंगे। जब वाजेपयी जी थे, उन्होंने कई भाषाओं का नाम अष्टम सूची में डाल दिया। आपको हम सारे सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिया कि भोजपुरी, राजस्थानी, अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए। अन्य कई सांसदों ने भी अपील की है।

सभापति महोदय, सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है, सरकार अंगिका को अष्टम सूची में डाले। लोगों की भावनाओं का समझना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि लोग सड़क पर आकर बात करें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमें चुनकर भेजती है। जनता हमें वोट देती है। एक क्षेत्र में करीब 15 लाख वोटर होते हैं। वह अपने प्यारे नुमाइंदे को श्रद्धा से चुनते हैं। हम अगर यहां अकेले खड़े हैं तो समझिए हमारे साथ 30 लाख जनता खड़ी है, हमारे 15 लाख मतदाता खड़े हैं। हम कभी अपने आपको अकेला, तन्हा नहीं मानते। संसद सदस्य कुछ नहीं होता, यह तो एक

इंस्टीट्यूशन है। हम कुछ नहीं हैं। जब देश में सांसदों पर टिप्पणियां कसी जाती हैं, हमारे जैसे लोग जिन पर कोई केस, मुकदमा, कभी कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई है तो हम समझते हैं कि हमारे जैसे लोग वह गाली क्यों सुने जो गाली सुनाई जाती है? हम लोग इससे आहत होते हैं।

यहां पर एक सांसद राजस्थान से आते हैं। मैं उन्हें हमेशा देखता हूं कि वे अपने घर से पैदल चलकर आते हैं। उनके पास गाड़ी नहीं देखता हूं। मैं खुद कई बार अपनी गाड़ी रोककर उनको अपने साथ बिठाता हूं। वे राजस्थान से कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। हम जब

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): چیرمین صاحب، میں جناب ستپال مہاراج جی کے زریعے رکھے گئے اس بل کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ جناب حکم دیو نارائن یادو جی تقریر کے بعد میرے لئے اس میں کچھ زیادہ بولنے کے لئے بچا نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو پوری طرح ان سے جوڑتے ہوئے ۔۔(مداخلت)۔۔ جو زبان ہے، بھاشا ہے، اس پر اس زبان کے جاننے والے کو اپنی بھاشا، اپنے لباس، اپنی ریاست اور اپنے ملک پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن اس ملک میں یہ روایت بن رہی ہے کہ ایک خاص زبان کو جاننے والے لوگ ہی عقلمند ہوتے ہیں۔ اگر اس زبان کو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو عقلمند نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہاں ان کو بھی کچھ آتا ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈینری نہیں مانا جاتا ہے۔ اگر آپ یوروپ میں جائیں تو جیسے اپنے یہاں ریاستیں ہیں وہاں اتنے بڑے ملک ہیں۔ انگلینڈ میں جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ فرانس میں جائیں اور اگر انگلش میں کوئی بات کرے تو فرانس کے لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ میں بھی ایک بار گیا تھا تو میں نے انگلش میں کسی سے بات کی اور جب اس نے نہیں سمجھا تو میں نے کہا کہ آپ انگلینڈ کے اتنے بغل میں ہے آپ انگلش نہیں جانتے ہیں تو وہ بولے کہ انگلینڈ کے لوگ بھی فرینچ نہیں جانتے ہیں۔ ان کو اپنی اپنی زبان پر فخر ہوتا ہے۔ چودھری صاحب بول رہے تھے اور کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ جو بنگالی زبان جاننے والے ہیں۔۔(مداخلت)۔۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): چیرمین صاحب، ہندوستان میں کئی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کئی جگہ ایک زبان بولنے والے ہیں، ان کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اردو بہت جگہ بولی جاتی ہے اور ہندی بھی بہت جگہ بولی جاتی ہے۔ بہار میں میتھلی اور انگکا بولی جاتی ہے۔ لیکن ایک ہی زبان کے بولنے والے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جاتے ہیں تو ان کے بولنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے۔ دہلی کے لوگ جس ٹون سے چاندنی چوک میں بولتے ہیں، دہلی سے آگے جا کر اتم نگر کی طرف چلے جائیں اور نکرولہ اور جھڑودا کی طرف چلے جائیں تو دہلی میں اسی ہندی کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہریانہ میں چلے جائیں تو اسی ہندی کو بولنے کا انداز بدل جاتا ہے اور اگر جیوتی مردھا جی کے حلقہ میں چلے جائیں تو اسی ہندی کو الگ طرح سے بولا جاتا ہے۔ جی ہریانہ میں زیادہ میٹھا بولتے ہیں، چیرمین صاحب، میرا سسرال بھی سونی پت میں ہے۔ میں تو ہریانہ کے خلاف بولنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہاں کے لوگ تو بہت میٹھا بولتے ہیں، ہم صبح سے شام تک سنتے ہیں۔ اپنی اپنی زبان پر فخر کرنا اور زبان پر ضد کرنا اچھی بات ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص کہے کہ ہماری زبان میں بولیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے، جہاں ایک ملک میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ایک ریاست میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ آٹھویں فہرست میں کچھ زبانوں کا نام ہے۔ چیرمین صاحب، مجھے یہ فخر ہے کہ جب میں اٹل بہاری باجپئی جی کے ساتھ وزیر تھا اور ہم لوگ باجپئی جی کو لے کر حکم دیو بابو کے حلقہ میں ایک مہاسیتو کا ادگھاٹن کرنے کے لئے گئے تھے۔ وہاں حکم دیو بابو نے ان کو مکھانے کی مالا پہنائی تھی اور

پاگ دیا تھا۔ متھیلا کے بارے میں جو تشریح ان کی زبان سے ہو سکتی ہے وہ میری زبان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ پروگرام ریلوے کے پل کا شلانیاس کرنے کا تھا لیکن انہوں نے وزیر اعظم کا ابھنندن کیا۔ متھیلا کو آٹھویں فہرست میں ڈالنے کا اعلان اٹل بہاری باجپئی نے کیا تھا۔ یہ سرکار کی نیت پر ہوتا ہے۔ کیبینٹ کی اس میٹنگ میں میتھلی جاننے والا میں ہی بیٹھا تھا۔ ہمارے بہار کے کئی نیتا تھے۔ کیبینٹ میں میں نے کہا کہ آپ نے وہاں اعلان کیا تھا۔

ہم لوگوں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ دربھنگہ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میتھلی کو آٹھویں فہرست میں ڈالیں گے۔ بنا کیبینٹ نوٹ کے کیبنٹ نے فیصلہ کیا اور میتھلی کو ہماری آٹھویں فہرست میں ہماری سرکار نے ڈالا اور یہ ہماری خوش قسمتی رہی کیوں کہ ہم اس کیبینٹ کے ممبر تھے۔ ہم بھوجپوری کو ڈالنے والے تھے۔ لیکن وقت سے پہلے الیکشن ہو گئے اور آپ لوگ آ گئے۔ آپ تو انگریزی والے لوگ زیادہ آ گئے، آپ کو بھوجپوری سے کیا مطلب؟ بھوجپوری کو بھی آٹھویں فہرست میں ڈالا جائے۔ اٹل بہاری باجپئی جی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اسے ہم آٹھویں فہرست میں ڈالیں۔

جناب عالی، میں کئی بار ان سے بحث و مباحثہ میں رہتا ہوں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا۔ کسی منتری جی سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہرو جی نے جو کیا، اندرا جی نے جو کیا، راجیو جی نے جو کیا وہ کچھ نہیں کر پائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کئی بار جو کام ہم کرتے ہیں آج آپ لوک پال بل کی بات کر رہے ہیں، آپ منریگا لے کر آئے۔ آپ آر۔ ٹی۔ آئی۔ لے کر آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں پہلے دن ہی کیوں نہیں لائے؟ یہ کام سلسلے وار ہوتا ہے۔

ہم اپنے کیبینٹ کے تجربہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن کی حکومت نہیں ملتی ہے، کام سلسلے وار کیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ ہم نہیں کر پائے اور آپ نہیں کر پائے ہیں یہ سوال بھی میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم تو نہیں کر پائے، لیکن 7 سال سے آپ کیا کر رہے تھے۔ جب منتری جی آپ جواب دیں تو ہم اس بات کا جواب آپ سے ضرور چاہیں گے۔ بھوجپوری کے جو لوگ آج دیکھ رہے ہوں گے وہ راوت صاحب سے امید کریں گے کہ جواب دیتے وقت یا وہ جب بولیں تب وہ اس بارے میں بتائیں کہ بھوجپوری کو 7 سال سے انصاف کیوں نہیں ملا۔ 6 سال پہلے جب ہماری حکومت رہی اس سے پہلے 50 سال انصاف کیوں نہیں ملا اس کا جواب آپ کو دینا چاہئے۔ اس ملک میں زبان کی بہت اہمیت ہے، جب حکم دیو بابو بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اپنی زبان میں بولتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں عربی پڑھتا ہوں، عربی میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن میں عربی پڑھتا ہوں۔ اگر میں کبھی دعا کرنے جاتا ہوں تو ہاتھ اٹھاتے وقت میں عربی میں ہی دعا مانگوں گا اور میرا خدا میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اگر یہی عقیدہ ہو جائے کہ عربی میں دعا مانگنے سے ہی خدا راضی ہوگا ایسا نہیں ہے۔ جس کی جو زبان ہے، بنگالی بنگلہ میں دعا مانگتا ہے، جو اردو جاننے والے ہیں وہ اردو میں دعا مانگتے ہیں، جو ہندی

جاننے والے ہیں وہ ہندی میں عبادت کرتے ہیں۔ او پر والا سب کی زبان سمجھتا ہے، جو زبان آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہی زبان آپ کی اپنی زبان ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کئی جگہ جس پر بہت زیادہ عقیدہ ہوتا ہے اس زبان پر اس کتاب پر، تب بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے تو ہیں، سنسکرت میں کئی کتابیں ہیں لوگ وید پڑھتے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ بائبل پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھاتے ہوئے اس زبان کا استعمال وہ لوگ نہیں کرتے جس زبان میں لوگ سمجھ جائے وہ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کئی بار نارہ لگتا ہے، راوت صاحب، کل بھی آپ ٹیلیوژن پر نارہ لگا رہے تھے میں اسے یہاں کوٹ نہیں کروں گا۔ میں آپ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، کئی بار زبان کے بارے میں یہاں بحث ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کونسا ہمارا راشٹر گان ہو اس پر بھی ملک میں بہت بڑی بحث ہوئی، ووٹنگ ہوئی، ہماری سرکاری زبان کونسی ہو، ہم کون سے نارے کو لگائیں گے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان ہماری ہے، یہ زبان تمہاری ہے، جو ہندوستانی زبان ہے وہ سب ہماری ہیں۔ ہم اپنی زبان پر ضد کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں بولیں گا لیکن ہم دوسرے کو اس کی زبان میں نہ بولنے دیں یہ بھی بہت ناانصافی ہے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کئی نارے ہیں انقلاب زندہ باد ہے۔ جس شخص کو اردو کے بارے میں کچھ نہیں پتہ وہ بھی کہتا ہے کہ انقلاب زندہ باد۔ یہ تو اردو کی بات ہے۔ میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں گانے نہیں سنتا، لیکن نیوز دیکھنے کے بعد اگر مجھے وقت ملتا ہے تو میں پروچن سنتا ہوں۔ آپ کا پروچن آتا ہے، تو میں کبھی مس نہیں کرتا ہوں۔۔ (مداخلت)۔۔ جناب، میں سچ بولتا ہوں اور اس کی سچائی وہی سمجھ سکتا ہے جس کا خود سچائی پر یقین ہو۔ اگر سچائی پر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح ہی سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے دل سے کہا اور میرے عزیز دوست ششی کانت جی جانتے ہیں کہ میں بہت غور سے سنتا ہوں، کیونکہ جو بڑے انسان ٹی۔وی۔ پر آکر بولتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ منتری رہے، تین بار سے سانسد ہیں، لیکن اپنے آپ کو آج بھی اسٹوڈینٹ، طالب علم کی طرح مانتے ہیں۔ اگر کہیں ممبر آف پارلیمنٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لئے میں ہمیشہ ان سے سن کر سیکھتا ہوں۔

جناب عالی، میں کہہ رہا تھا کہ زبان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ آج کل لوگ فلموں میں جاتے ہیں تو اردو سیکھتے ہیں۔ لوگ اردو جانتے ہیں تو ج کے نیچے بندی لگاتے ہیں۔ ہندی میں بھی اب لوگ ج کے نیچے بندی لگاتے ہیں۔ اور ہندی و اردو کا جو ایک رشتہ ہے، وہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کی جھلک دکھلاتا ہے۔ اردو زبان کے لئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ ایسا نہیں ہے، اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اردو پر کبھی کسی دوسرے ملک کا ٹھپہ نہیں لگ سکتا ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔ اس کا سرٹیفکیٹ ان سے نہیں چاہئے۔ (مداخلت)۔۔ جناب، اس ملک میں مسلمانوں کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ جو مسلمان ہندوستان میں پیدا ہوا وہ ہندوستانی ہی ہے۔ کئی لوگ

سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں کہ آپ دیش بھکت ہو، آپ ہندوستانی ہو، کہیں بھی رہے ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوا، تقسیم کے بعد جو پاکستان نہیں گیا، ہندوستان کو مادر وطن مانا، جننی، ماتر بھومی مانا، وہ ہندوستانی ہی ہے، اسے کسی طرح کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہ سرٹیفکیٹ دینا چاہئے اور نہ ہی کسی سے لینا چاہئے۔

جناب عالی، یہ جو زبان ہے، ہر علاقہ میں اس کے بولنے میں تھوڑا فرق آجاتا ہے۔ دہلی میں جیسے اردو اور پنجابی دوسری سرکار زبان ہے۔ بہار میں اردو دوسری زبان ہے، میتھلی دوسری زبان ہے۔ الگ الگ لوگ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں۔ میں انگ حلقہ سے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں وکرم شلہ کا ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ بہار میں جس طرح میتھلی بولی جاتی ہے، اسی طرح بھاگلپور میں انگیکا بولی جاتی ہے۔ میرے پارلیمانی حلقہ میں انگکا کو آٹھویں فہرست میں لایا جائے، اس کے لئے بہت بڑا آندولن چل رہا ہے۔ پہلے بھی ہاؤس میں ہم نے اس موضوع کو اٹھایا تھا۔ جب وکرم شلہ میں انگکا زبان کا استعمال ہوتا تھا، مغربی بنگال، آسام کے کئی علاقوں میں انگکا بولی جاتی ہے اور بھاگلپور کا جو نزدیکی علاقہ ہے۔۔ جناب، اس کی لپی دیوناگری ہے، اس کی الگ ڈکشنری ہے۔ حلکا ماجی یونیورسٹی میں اس زبان کے لئے الگ سے سینٹر کھلا ہوا ہے۔ انگکا بہت ہی میٹھی اور پیاری زبان ہے۔۔ (مداخلت)۔۔۔ جس بات کو آپ نے حکم دیو جی سے سن لیا ہے اور وہاں تک پہنچنے میں ہمیں بہت وقت لگے گا۔ چیرمین صاحب، یہ آندولن بہت دنوں سے ہو رہا ہے۔ مہابھارت میں یہ چھیتر تھا۔ یہ اتنا پرانا ہے۔ مہابھارت کال میں انگ راج کرن کا یہ حلقہ ہے۔ اس سے متعلق مندار پہاڑ ہے جو اب جھارکھنڈ علاقے میں آگیا ہے۔ یہاں پر نالندہ کی بحث ہوتی ہے، پر وکرم شلہ کی کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی۔ میں کئی بار اس مدے کو اٹھا چکا ہوں۔ ہم برابر یہ کہتے ہیں کہ وکرم شلہ یونیورسٹی بنائے۔ جس طرح آپ نالندہ میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس طرح وہاں ایک مرکزی یونیورسٹی کھولیں۔ لیکن اس سرکار میں تو آکسفورڈ، کیمبرج والوں کی زیادہ چل رہی ہے۔ نالندہ، وکرم شلہ والے لوگ صرف بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کے ذریعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انگکا زبان ہے اس پر سرکار نے سنگیان لیا ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا محترمہ ممتا بنرجی کا جب وہ ریل منتری تھیں تو میں نے ان کو خط لکھا تھا اور ایک بار گزارش کی۔ انہوں نے بھاگلپور، یشونت پور ایکسپریس کا نام بدل کر انگ ایکسپریس رکھ دیا۔ میں انگ حلقہ سے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ وہ تو دانویر کی سرزمین ہے۔ اور میں اس سرکار سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کب تک دان کرتے رہیں گے؟ آپ اپنا دل تھوڑا بڑا کیجئے۔ انگکا کو آٹھویں فہرست میں ڈالنے کی کوشش اس سرکار کو کرنی چاہئے۔ آج بڑی تعداد میں پورا بھاگلپور کمیشنری حلقہ، کوسی کمشنری حلقہ اور جھارکھنڈ میں گوڈا کے لوگ انگکا کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ انگکا زبان کے ساتھ منجوشا فن جڑا ہوا ہے۔ میں اس بل کی تائید کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انگکا زبان کو آٹھویں فہرست میں ڈالیں۔ سرکار 8 سالوں سے بیٹھی ہے۔ ضد پر اڑی ہے کہ کسی بھی زبان کا نام نہیں

ڈالیں گے۔ جب باجپئی جی تھے انہوں نے کئی زبانوں کا نام آٹھویں فہرست میں ڈال دیا۔ آپ کو ہم سارے ممبر آف پارلیمنٹ نے دستخط کر کے دیا کہ بھوجپوری، راجستھانی، انگیکا کو آٹھویں فہرست میں ڈالا جائے۔ دوسرے کئی ممبران نے بھی اپیل کی ہے۔

چیرمین صاحب، سرکار کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ سرکار کو انگیکا کو آٹھویں فہرست میں ڈالیں۔ لوگوں کے جذبات کو سمجھنا چاہئے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سڑک پر آکر بات کریں۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، وہ ہم کو چن کر بھیجتے ہیں۔ عوام ہم کو ووٹ دیتی ہے۔ ایک حلقہ میں قریب 15 لاکھ ووٹر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پیارے نمائندے کو بہت احترام اور عزت سے چنتے ہیں۔ ہم اگر یہاں اکیلے کھڑے ہیں تو سمجھئے کہ ہمارے ساتھ 30 لاکھ عوام کھڑے ہیں ہمارے 15 لاکھ ووٹر کھڑے ہیں۔ ہم کبھی اپنے آپ کو اکیلا اتنا نہیں مانتے۔ ممبر آف پالیمنٹ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک ادارہ ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں جب ملک میں ممبر آف پالیمنٹ پر کمینٹس کئے جاتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ جن پر کوئی کیس مقدمہ کبھی کوئی جانچ یا کاروائی نہیں ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ وہ گالی کیوں سنیں جو گالی سنائی جاتی ہے؟ ہم لوگ اس سے بہت دکھی ہوتے ہیں۔

یہاں پر ایک ممبر آف پارلیمنٹ راجستھان سے آتے ہیں۔ میں انہیں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے پیدل چل کر آتے ہیں۔ ان کے پاس گاڑی نہیں دیکھتا ہوں۔ میں خود کئی بار اپنی گاڑی روک کر ان کو اپنے ساتھ بیٹھاتا ہوں۔ وہ راجستھان سے کانگریس کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت میں لگادی۔ ہم جب ہاؤس میں بات کہیں تو ہم ممبر آف پارلیمنٹ کو ایسا گنا جائے کہ ان کے حلقہ میں 15 لاکھ لوگ یہ مانگ کرتے ہیں۔ 15 لاکھ لوگ پلس نشی کانت جی، جو وہاں کے رہنے والے ہیں یہ مانگ کرتے ہیں کہ انگیکا کو آٹھویں فہرست میں ڈالا جائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بہت بہت ۔۔۔۔۔ شکریہ

संसद में बात कहें तो हम संसद सदस्यों को ऐसा गिना जाए कि उनके क्षेत्र के 15 लाख लोग यह मांग करते हैं। 15 लाख लोग प्लस निशिकांत जी, जो वहां के सहने वाले हैं, यह मांग करते हैं कि अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए।

इसी के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ध्न्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात संविधान (संशोधन) विधेयक , 2010 पर बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: बाबा जी, आप हिन्दी में बोलिए।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': अभी अंग्रेजी में बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अंग्रेजी में बोलिए।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': आप कहें तो हम इलाहाबादी में भी बोल देवें। हम चार-पांच भाषा जानते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलिए।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह: आप गढ़वाली में बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': जब गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा राष्ट्रीय भाषा मानी जाएगी तो हम यहां पर गढ़वाली और कुमाऊंनी में भी बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलिए।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': यह विधेयक विशेषकर उत्तराखंड, गढ़वाली और कुमाऊंनी बोलने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है।

महोदय, संविधान की आठवीं अनुसूची नागरिकों द्वारा बोली और लिखी जाने वाली 22 राष्ट्रीय भाषाओं को मान्यता देती है। यह विश्वास किया जाता है कि इन भाषाओं के दायरे में ही शिक्षा, संस्कृति और बौद्धिक लक्ष्य सृजित किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गढ़वाली और कुमाऊंनी जैसी भाषायें लाखों लोगों द्वारा बोली और लिखी जाती है जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई है तथा हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं की गई है।

महोदय, गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा के रूप में प्राचीन काल से अस्तित्व में है। ग्यारहवीं शताब्दी के ताम्र पत्रों पर खुदे हुए कुमाऊं के चांद शासकों और गढ़वाल के परमार शासकों के अभिलेख क्रमश: कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषा में हैं। ताम्र-पत्रों पर खुदे हुए ये अभिलेख मुख्यत: मंदिरों के लिए भूमि के दान से संबंधित है। कुमाऊं और गढ़वाल के शासक वंशों के जो शिलालेख उपलब्ध हैं वे क्रमश: कमाऊंनी और गढ़वाली भाषा में हैं। उस समय जब हिन्दी का भाषा के रूप में अस्तित्व भी नहीं था, गढ़वाल और कुमाऊं राज्य के सभी शासकीय कार्य गढ़वाली और कुमाऊंनी में होते थे। ये दोनों भाषाएं अभिव्यक्ति में बहुत समृद्ध हैं, जैसा कि सतपाल महाराज जी ने विस्तार से बताया है और इस क्षेत्र के लोक गीत और नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है और यह इस भाषा के समृद्ध होने का प्रमाण है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हम भी इस पर यहां बोलने के लिए बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में लिखा हुआ है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': कुमाऊंनी और गढ़वाली में प्रसिद्ध मालूशाही दन्तकथाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्शित किया है। वर्ष 1955 में इसका मेरी टेरेस दत्ता द्वारा पहली बार फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया गया और 1970 के आखिरी वर्षों और 1980 के आरम्भ में जर्मन विद्वान डॉ. कोनार्ड मेस्सनर ने अपने डॉक्टोरल शोध - निबंध के लिए इसका अध्ययन किया जिसे 1985 में प्रकाशित किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, अगला नाम आप ही का है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': महोदय, मैं श्री एम.पी. जोशी के हाल में पोलैंड प्रकाशित यूरोप के सम्मानित और प्रतिष्ठित जर्नल "लिंगुआ पोसानानिनसिस" में छपे लेख को उधृत करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इनके बाद आपको ही बोलने दिया जाएगा, आप ही का नाम लिखा हुआ है। इनके बाद आपको ही बोलने का अवसर मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': मैं उधृत करता हूं:

> "कुमाऊंनी का उद्‌गम किया देहरादून में कलजी में पाए गए जो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख में देखा जा सकता है जिससे कुनिदा के सिक्के, अल्मोड़ा के सिक्के, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा तीसरी शताब्दी के सिक्के सम्मिलित हैं दो तलेशवर ताम्र प्लेटें मिले हैं, छठी से सातवीं शताब्दी ईसवी काल्यूरी अभिलेख, नौवीं-चौदहवीं शताब्दी ईसवी और अंत में चांद अभिलेख, 14वीं शताब्दी इसवी से 1790 की हैं।

अभिलेखात्मक साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सरकारी दस्तावेज 14वीं शताब्दी ईसवी में कुमाऊंनी में जारी किया गया था जबकि हिन्दी में उनके बाद सोलहवीं शताब्दी ईसवी से ज्यादा पूर्व की कोई तिथि नहीं है। राजस्व पंजिका कुमाऊंनी में लिखी गई तथा जिसका रख-रखाव राइका सम्राट बिल्कुल पश्चिमी नेपाल और पूर्व कुमाऊं के चांद राजवंश द्वारा किया गया। इस प्रकार की एक अन्य पंजिका में पूर्व ज्ञात तिथि का पाठ यह है कि इसे महाराज लक्ष्मी चंद के शासन के दौरान 1522 शक (1600 ईसवी) में पहले हस्ताक्षरित किया गया था

सायं 6.00 बजे

चौदहवीं शताब्दी से 1791 ईसवी तक ज्ञात अभिलेख के आधर पर कमाऊं के चांद राजवंश के शासन में कुमाऊंनी पूरे कुमाऊं में राजभाषा और मूल भाषा थी।

सबसे पहले का ज्ञात तिथिवार अभिलेख मूल कुमाऊंनी में (शक 1127 1250 ईसवी) दिगासर पिथौरागढ़) में पाया जाता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री के.सी. सिंह 'बाबा' जी अगली बार आप ही बोलेंगे। अब जीरो ऑवर शुरू हो रहा है।

[अनुवाद]

आप अगली बार बोलेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब शून्य काल प्रारम्भ हो रहा है।

श्री रामकिशुन। अगर आप लोग संक्षेप में बोलेंगे तो सब का नम्बर आ जायेगा।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति महोदय जी, मैं लोक महत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

भारतीय रेल हमारे जीवन की, पूरे देश के जीवन की आम जनता की जीवन रेखा है और काफी लम्बी लाइनों का निर्माण देश में हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर लाइनें बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, लेकिन मानव रहित रेलवे क्रासिंग नहीं रहने से आज बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले वर्षों में 16 हजार लोगों की मौत मानव रहित क्रासिंग पर हो चुकी हैं। मानव रहित रेलवे फाटक जहां बने हैं, उनको क्रॉस करने में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर हैं, आदमी आते-जाते हैं, बस की सवारियां हैं, ट्रैक्टर-जीप हैं, उनसे आने-जाने में ट्रेन से दुर्घटनाएं होती हैं और रेलवे को करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान होता है।

रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़कों का निर्माण हो गया है, लेकिन उन पर फाटक नहीं होने से पूरे देश में दुर्घटनाएं होती हैं। अब तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमं काफी जान-माल की क्षति हुई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में भारी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 30-40 लोगों की जानें गई। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में भी कई रेलवे लाइनें हैं, मुगलसराय-गया लाइन, मुगलसराय-पटना लाइन, मुगलसराय-बनारस लाइन हैं, जहां मानव रहित कई दर्जन रेलवे फाटक हैं। मुगलसराय से बनारस रेलवे लाइन पर हृदयपुर में जो मानव रहित रेलवे फाटक है, उस पर कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। वहां करीब-करीब बीसों गांव हैं, जो उस मानव रहित गेट से मार्केट में आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, मरीज मुगलसरय इलाज कराने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से मुगलसराय से पटना लाइन पर महादेवपुर है। वहां नहर की पटरी पर मानव रहित क्रासिंग के चलते आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आगे बढ़ेंगे तो मुगलसराय से जमनियां के बीच में कई ऐसे स्थान हैं, जहां सड़कें दोनों तरफ बन गई हैं, पर मानव रहित क्रासिंग है। रेलवे का गेट न होने से वहां दुर्घटनाएं होती हैं। यही हालत मुगलसराय-गया लाइन पर है, जहां करीब आधा दर्जन रेलवे मानव रहित गेट हैं। उनके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि देश में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इसके लिए बजट है, प्रावधान है, लाभ में रेलवे बजट होता है। इसके कारण हमारे देश की जनता को भारी जान-मान की क्षति उठानी पड़ रही है। रेल मंत्रालय यह कहता है कि राज्य सरकारें इसका प्रस्ताव भेजें, राज्य सरकारें सड़कें बनाती हैं और मानव रहित गेटों पर आधुनिक गेट बनाने के लिए उसका प्रावधान नहीं करते हैं, जिसके चलते भारी दुर्घटनाएं होती हैं।

मै आपके माध्यम से रेल मंत्री से और रेल विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप जब बजट बनाते हैं, जब नई सड़कें बन रही हैं और रेलवे लाइन के इस पार को उस पार से जोड़ने का काम हो रहा है तो उसी समय उन सड़कों के बजट में ही उसमें प्रावधान रखा जाये। जब सड़कों का निर्माण हो रहा है तो जहां मानव रहित क्रासिंग है, वहां आधुनिक रेलवे फाटक निर्माण कराने का काम किया जाए।

सभापति जी, आपने हमें इस विषय को उठाने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आज देश के समक्ष एक अत्यंत ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कदाचित इस विषय पर ठीक से चर्चा भी नहीं हो पायी जबकि देश के विभिन्न राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, पंजाब हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनका काफी बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ से प्रभावित है। इस समय देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बाढ़ है। उत्तर प्रदेश के ही राहत आयुक्त अनुसार लगभग तीस हजार जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग बीस लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है और 2,746 गांव मेरून्ड हैं, करीब 90 तहसील

प्रभावित हैं, अभी तक 125 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, चाहे वह आकाशीय बिजली के कारण या घर गिरने के कारण हो। मैं कल रात को 12 बजे अपने क्षेत्र सिद्धार्थनगर में था। मैं इसीलिए सुबह नहीं आ पाया कि एक महत्वपूर्ण नदी बूढ़ी राप्ती, घाघरा, आज सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती ककरही में खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे के निशान के ऊपर होने के कारण, एक गांव जिसका नाम रीवानानकार है और एक गांव संगलदीप, उमरिया ग्रामसभा में है, उसमें श्री रामायण यादव, राम मिलन साहनी, अंगद यादव, भगवान दास साहनी, चौथी साहनी, शंकर यादव, कमलेश यादव, सुदामा यादव, रामशंकर यादव, स्वामीनाथ यादव के घर हैं। रीवानानकार में राम ललित हरिजन, रामसबद हरिजन, मोहब्बत अली उर्फ सत्तन हरिजन, झिनकू, प्रकाश, रामनिवास पाल, के घर पूर्णतया नदी में विलीन हो गए। मैंने अपनी आंखों से खुले आकाश में मंजर देखा है। कल पन्नियां दी गई, हम लोगों ने, तो शायद रात में अपने बच्चों को लेकर जिस तरीके की जिंदगी वे जी रहे हैं।

सभापति महोदयः आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस बाढ़ के लिए जो घर गांव में थे और नदी में विलीन हो गए हैं, उनके पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाए, उन्हें इंदिरा आवास दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी)**:** भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पालः भारत सरकार तो कह सकती है, जिम्मेदारी तो आपकी है। फ्लड जो, है, वह स्टेट का सब्जेक्ट है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप केंद्र सरकार से अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पालः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो राज्य सरकार सोई पड़ी हुई है, इनका मिनिस्टर कहीं फ्लड के डिस्ट्रिक्ट में ...*(व्यवधान)* सोई तो पड़ी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप शून्य काल में बोल रहे हैं, केंद्र सरकार से अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पालः मैं केवल यह चाहता हूं कि जो घर गिर गये हैं, दारा सिंह चौहान जी कह दें कि इनकी कांस्टीच्युएंसी में घर गिराई मिल रहा हो, जिनके घर गिर गए, उनको अगर पैसा मिला हो, इंदिरा आवास मिला हो, आज यह विषय राजनीतिक विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)* चौहान साहब आपका नंबर बन गया, आप खड़े हो गये, आपने टोकाटाकी कर दी, लेकिन याह विषय राजनीति का नहीं है। इस विषय में पूर्णतया संवेदनशीलता है। ...*(व्यवधान)* मान्यवर, आप खुद इसके बारे में जानते होंगे। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट लूंगा आज घाघरा में जो अलगिन ब्रिज है, वहां भी वह खतरे के निशान से ऊपर है। बलिया के पूर्वी ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप संक्षिप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पालः वहां रामगंगा की भी यही स्थिति है।

सभापति महोदयः आप अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पालः मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं केवल तथ्य सामने ला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कई नदियों में, नौ जिले तो अति गंभीर स्थिति में हैं। बाढ़ तमाम जनपदों में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। इसकी वजह से भी बच्चे मर रहे हैं, उनको कालाजार हो रहा है या जिस तरीके से यह सब चीजें हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप संक्षिप्त करिए, अनुरोध करिए।

श्री जगदम्बिका पालः मैं समझता हूं कि तत्काल फौरी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। आदरणीय चौहान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने राहत आयुक्त से कहें कि टीमें भेजें, दवायें भेजें। ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदयः इनका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कोवासे जी, आप बोलें।

श्री मातोतराव सैनुकी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर)**:** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर शहर से चन्द्रपुर जिले के नागभीड कस्बे को जोड़ने वाली रेल लाइन अभी तक मीटरगेज लाइन है। यह रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कर इसे ब्रॉड गेज में बदलने का प्रस्ताव कई बार वर्षो से रेल मंत्रालय के द्वारा प्रलंबित रखा गया है। इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नागभीड मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और बहुत बड़ी जनसंख्या इस रेलवे लाइन से लाभ लेती है। नागभीड के आसपास कोयला तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं, जिनके वहन पर इस रेल लाइन

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के आमान परिवर्तन नहीं होने के कारण विपरीत परिणाम होता है। इसी तरह नागभीड जो चन्द्रपुर जिले का बड़ा कस्बा होने के कारण यहां से नागपुर आने-जाने वालों का तांता लगा रहता है। उन्हें भी इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन नहीं होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: ऐसी परिस्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस रेल मार्ग का आमान परिवर्तन का काम शीघ्रता से शुरू करें। इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन से रेल विभाग भी खासा लाभ में रहेगा क्योंकि इस मार्ग के आमान परिवर्तन से बल्लारशाह तथा नागपुर और नागपुर से गोंदिया के बीच पर्यायी एवं समान्तर ब्रॉड गेज लाइनें उपलब्ध हो जायेंगी जिससे दुर्घटना आदि जैसे आपात परिस्थिति में इस समान्तर लाइनों का प्रयोग रेल विभाग कर सकेगा।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, बरसात क समय आता है और बिहार राज्य बाढ़ में डूब जाता है। बाढ़ और सूखाढ़ बिहार की नियति बन चुकी है अभी बिहार सूखाड़ से प्रभावित था। देश के अन्य हिस्सों में जो वर्षा हुई उसका पानी बिहार में जाकर वहां के अधिकांश हिस्से को डूबा दिया। किसान अपनी मेहनत से जो भी भदई और खरीफ पैदा करने का प्रयास किया था, वे सभी फसलें नष्ट हो गई।

महोदय, इधर लगातार प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर नेपाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड में भारी वर्षा होने के कारण गंगा बेसिन की सभी नदियां उफान पर हैं जिससे बिहार राज्य का बड़ा भू-भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ है। नदियों के जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का विस्तार होता जा रहा है। किसान सूखाग्रस्त इलाके में भारी लागत लगा कर जो भी खेती कर पाये थे वह अधिकांश बर्बाद हो चुका है या हो रहा है। भदइ और खरीफ की खेती का बाढ़ से बच पाने की सम्भावना नहीं है।

गंगा नदी पर बने टिहरी जलाशय से भी अनियंत्रित पानी छोड़ने के कारण बाढ़ का दृश्य उपस्थित हुआ है। यदि टिहरी जलाशय में फ्लड क्यूसन की व्यवस्था होती तो वर्तमान भयावह स्थिति से बचा जा सकता था। गंगा के साथ गंगा बेसिन की नदियां सरजू, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, और महानंदा के उफान को बिना केन्द्रीय सरकार के सहयोग से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि इसमें नेपाल का सहयोग केन्द्रीय सरकार ही प्राप्त कर सकती है।

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री जगदानंद सिंह: भविष्य में बनने वाली सभी जलाशयों में फ्लड कुशन की व्यवस्था भी आवश्यक है। तत्कालिक रूप से आई बाढ़ से प्रभावित इलाके मुख्यत: बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पटना आदि जिले के साथ उत्तर बिहार के बाढ़ से प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को राहत देने तथा कृषि में हुई क्षति की आपूर्ति के साथ लगातार आगामी फसल तक जीविकोपार्जन के साधन की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को निर्देशित किया जाए। साथ ही, बाढ़ से भविष्य में बिहार की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार से सार्थक एवं सक्रिय भूमिका निभाने की मांग करता हूं। क्योंकि जब तक जलाशयों में फ्लड क्यूसन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इसके लिए भविष्य की योजना बनाए।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदय, आज की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान शून्य काल के अन्तर्गत अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो अनुमति दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी योजनाएं विफल हो रही हैं क्योंकि उसके पीछे सरकार की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से पड़ रहा है। देश की विकास दर मंहगाई के आगे झुलस गई है एवं यह विकास दर दो साल पहले 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी उसमे गिरावट होकर साढ़े सात प्रतिशत की दर से कम हो गई है। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उससे भी विकास दर में आगे भी गिरावट आना स्वाभाविक है। पहले हमारे विकास की दर 9 प्रतिशत थी। कई क्षेत्रों में यह विकास दर, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में 15 प्रतिशत के आसपास थी। कृषि विकास दर 1.1 प्रतिशत पर पहले भी थी और आज भी उसी पर स्थित है। महंगाई से पूंजी निवेश घटा है, और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया। इस मंहगाई ने छोटे और मध्यम उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी। लागत में बढ़ोत्तरी और उत्पादन में कमी से मंहगाई कम होने के बजाए और बढ़ेगी क्योंकि लागत और मंहगाई में एक कुचक्र हो गया है। लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लागत बढ़ रही है। सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ने के बजाए उपाय करने में लगी हुई है और महंगाई बढ़ने को आधारहीन कारण बताए जा रहे हैं। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे हैं कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मांग कीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि वर्ष 2010 तक कीमतें नियंत्रण में हो जायेंगी और प्रधान मंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात डंका ठोककर कही थी। वे बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अनुरोध कीजिये, अपनी मांग रखिए।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: इस बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग कराह रहा है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए मंहगाई को आवश्यक मानती हैं अगर देश में 9 प्रतिशत विकास होता है और महंगाई भी 9 प्रतिशत बढ़ी है, तो ऐसे विकास का क्या फायदा हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अनियंत्रित महंगाई विकास का कोई फायदा देश को नहीं मिल रहा है। महंगाई पर शीघ्र नियंत्रण लगाया जाए। सरकारी एवं प्रधान मंत्री जी के अर्थशास्त्र से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इस संबंध में सुधारवादी नीति अपनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): सभापति महादेय, मैं आपके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मेरा निजी जिला सेलम कायर उत्पाद में तमिलनाडु में एक अंग्रणी जिला है। वर्ष 1960 से 1980 के दैरान सेलम में एक शीर्ष विकास वाला 25 से अधिक कायर औद्योगिक सहकारी समितिया से अधिक थी। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में हजारों लोगों को लाभ मिल रहा था।

सेलम की रस्सी का व्यापार न केवल हमारे देश में होता था बल्कि निर्यात की भी संभावना थी। कायर विनिर्माण एककों का पंजीकृत होने के बाद नए एकका तमिलनाडु के विभिन्न भागों विशेषकर कोयम्बटूर जिले के पोल्लची क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। इस समय सलेम कायर उद्योग प्रतिदिन औसतन 200 मीट्रिक टन कॉयर से बनी रस्सी का उत्पादन कर रहा है और अन्य राज्यों के गद्दे के प्रमुख निर्यातक बाजार की संभावना का तलाश कर रहे हैं।

तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री मेरी नेता पुराची थैलनी डा. जयललिता ने तमिलनाडु में कॉयर और पटसन उद्योगों के विकास हेतु मौजूदा वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए आबंटित किया है। यदि केन्द्र विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उन्हें अपनी सहायता प्रदान करता है। तो इससे कायर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित सेलम के बेरोजगार युवकों को शिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र के साथ सेलम में कॉयर बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

श्री मोहन जेना (जाजपुर): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो उनके तटों में भारी मात्रा में रेत के जमा होने के कारण सूख गई है।

महोदय, ब्राह्माणी नदी ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दो शाखाओं अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जेनापुर के निकट ब्रह्माणी और खाराग्रोत में बंट जाती हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा दो बैराजों का निर्माण किया गया, एक ब्राह्मणी जल धारा में जेनापुर है और दूसरा खाराग्रोन जलधारा में जोकाडिया में है।

जेनापुर में बराज रेत से भर गया है। इस समय जेनापुर में बराज या बांध का कोई चिन्ह नहीं है। इस कारणवश जेनापुर से काईपाडा तक लगभग 180 कि.मी. लंबी दूरी वाला नदी स्थल रेत, छोटे पौधे और घास से भर गया है। यह अब पूरी तरह मृतप्राय है। इससे नदी के दोनों ओर की दो लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। नदी के दोनों ओर की निर्मित उदभव सिंचाई स्थान, नलकूप और हजारों तालाब सूख गए हैं। लोगों को जल की भारी कमी के कारण अपने कृषि भूमि की सिंचाई तथा अपने घरेलू खपत हेतु जल की न्यूनतम मात्रा प्राप्त नहीं हो रही है। बिरूपा नदी की स्थिति ब्राह्मणी नदी से अधिक खराब है। रेत जमा होने के कारण यह भी सूख गई है। बिरूपा नदी के भर जाने से कटक और जाजपुर नामक दो जिलों के लाखों लोग भी प्रभावित हो रहे हैं

जल संसाधन मंत्रालय की पिछली परामर्शदात्री समिति में मैंने समिति के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को एक तकनीकी पम के द्वारा बिरूपा और ब्राह्मणी नदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन यह खेद की बात है कि सरकार या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसलिये मैं ब्राह्मणी और बिरूपा नदियों को बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में बहने वाली जो मुख्य नदी होती है, वह उस प्रदेश की जीवनदायनी नदी कहलाती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायनी नदी नर्मदा है। ...*(व्यवधान)* जिसे मध्य प्रदेश की

जनता श्रद्धा से पवित्र नर्मदो मैया कहती है। परन्तु दुर्भाग्य से नर्मदा मैया का आशीर्वाद उसके पानी के रूप में मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। नर्मदा नदी की कुल लम्बाई लगभग 1213 कि.मी. है, जिसमें से वह लगभग 1077 कि.मी. मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का 98 हजार वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र है, जिसमें से 89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। परन्तु वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य- केन्द्र द्वारा तय नर्मदा के जल का मात्र लगभग 16-17 फीसदी ही इस्तेमाल कर पा रहा है। शेष जल में से लगभग 40 फीसदी जल का उपयोग गुजरात राज्य में हो रहा है व बचा हुआ जल यूं ही खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाता है।

इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सी कार्ययोजनाएं बनाकर केन्द्र को प्रेषित की हैं, जिसमें से कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं और कुछ गतिमान भी हैं। परन्तु यदि मध्य प्रदेश राज्य वर्ष 2024 तक केन्द्र सरकार द्वारा 1979 में नर्मदा नदी के जल के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार आवंटित हो जायेगी तथा मध्य प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा मैया परायी हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त कार्य योजनाएं व प्रस्तावों को तुरंत स्वीकृत कर राज्य सरकार को उन्हें अविलम्ब पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जायें। साथ ही नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से गुजरात की सीमा तक नर्मदा के समान्तर भानरेर पर्वत तथा विन्ध्याचल पर्वत मालाएं आती हैं। इस संबंध में मेरा विशेष अनुरोध है कि भारत सरकार एक ऐसी कार्य योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार से मंगवाये, जो भानरेर एवं विन्ध्याचल पर्वत से लिंक टनल अथवा लिफ्ट के माध्यम से बारहमासी नर्मदा का पानी केन, बेतवा, तवा, पार्वती, कालीसिंध व चंबल नदियों में तथा उक्त क्षेत्र में स्थित बांध व तालाबों में छोड़े जाने से संबंधित हो, जिससे मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जो कि इन नदियों के निकट है, वह स्वत: ही हरा-भरा हो सके।

महोदय, यह कार्य संभव है। जब चीन ब्रह्मपुत्र जैसी नदी का रास्ता बदल सकता है तथा फ्रांस से इंग्लैंड के मध्य समुद्र में रास्ता (इंगलिश चैनल) बन सकता है, तो नर्मदा का पानी भानरेर व विन्ध्याचल पर्वत मालाओं को क्यों नहीं पार करके उक्त नदियों में मिल सकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: जब आप दोबारा अपनी सीट की बजाए कहीं और से बोलें तो उसके लिए पहले अनुमति लें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी और इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि चालू खरीफ मौसम के दौरान उड़ीसा को रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति न केवल अपर्याप्त है लेकिन यह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है।

भारत सरकार कह रही है कि कूटनीतिक मामलों के कारण एम ओ पी का आयात नहीं सुलझ रहा है और ओडिशा के हमारे किसानों को पोटाशयुक्त मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग करने का परामर्श दिया जाता है।

हम एम ओ.पी. के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। हमारी चिंता यूरिया और डी.ए.वी. की कम आपूर्ति के बारे में है।

जहां तक यूरिया का संबंध है, 3.39 लाख मीट्रिक टन की हमारी जरूरत की तुलना में आज की तारीख के अनुसार, आपूर्ति मात्र 1.94 लाख एम.टी. है। आपूर्ति में 1.69 लाख मीट्रिक टन की कमी है। मात्रा में इस कमी में से 81,200 एम.टी. का आयात किया जाना है तथा इसे हमारे राज्य को भेजा जाना चाहिए। लेकिन आई.पी.एस. द्वारा आयातित और आपूर्ति की गई 5000 एम.टी. के अतिरिक्त शेष 76,200 एम.टी. की मात्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कि कौन इसका आयात करेगा और कौन इसकी आपूर्ति करेगा। हमारे राज्य में इस समय यूरिया की खपत बहुत ज्यादा होती है।

जहां तक डी.ए.पी. का संबंध है। इसका आयात 1.51 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 1.10 लाख एम.टी. है लेकिन आपूर्ति मात्र 0.89 लाख एम.टी. है।

सरकार ओडिशा में हमारे किसानों को यूरिया की आपूर्ति नहीं कर रही है और ओडिशा के एक हिस्से में सूखे का संकट छाया हुआ है जबकि दूसरे भाग में रासायनिक उर्वरक नहीं मिल रही है।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सितम्बर के महीने में हमारे लिए आबंटित कोटे की आपूर्ति निश्चित रूप से करें। सरकार यदि वास्तविक समस्या पर विचार करती है और शीघ्र कार्रवाई करती है तो हम उसकी सराहना करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं सर्वप्रथम इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: महोदय मैं आपके माध्यम से एवं आपकी अनुमति से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं आपने हिमाचल प्रदेश का

और खास करके पहाड़ी राज्यों का। जो मिड डे मील स्कूलों में दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में यह दिक्कत है कि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है। वैसे उत्तराखंड और नार्थ ईस्ट में भी स्थिति है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 90-10 की शेयरिंग किया जा रहा है, लेकिन नॉर्थ-इस्ट के जो आठ राज्य हें, उनमें यह शेयरिग 90-10 का है, लेकिन मील्स प्लस कुकिंग का जो खर्च है, उसमें यह शेयरिंग 90-10 की नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वह 75-25 प्रतिशत की है। शायद उत्तराखंड में भी वही पैटर्न पर दिया जा रहा है।

मैं आपसे यही मांग करना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह इसे किया जा रहा है, उसी पैटर्न पर हिमाचल प्रदेश को भी दिया जाए और हिली स्टेट्स की जो एक जैसी समस्याएं हैं, उनके अनुरूप यह सब काम होना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2008 और 2009 में 6 करोड़ 18 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश को इस हिसाब से कम मिले हैं वहां की सरकार ने भी इसे सेंटर के पास भेजा है कि यह पैसा हमें दिया जाय क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो डिफ्रेंस आ रहा है, वह 30 पैसे प्रति स्टूडेंट प्रतिदिन के हिसाब से आता है। वह भी केन्द्र सरकार हमको दे, यही मैं मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुनराम मेघवाल (बीकानेर): कृपया मुझे इस विषय से सम्बद्ध होन की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल को इस विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, सभा में सभापति तालिका का कोई सदस्य इस समय उपस्थित नहीं है और मेरा नाम 'शून्य काल' की सूची के लिए है। इसलिए, मैं श्री भर्तृहरि महताब, वरिष्ठ सदस्य, को सभा में पीठासीन करने के लिए, यदि हमारी सहमति हो, अनुरोध करता हूं।

अनेक माननीय सदस्यगणः जी, हां, महोदय।

सायं 6.29 बजे

[**श्री भर्तृहरि महताब** *पीठासीन हुए*]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): सभापति महोदय, बिहार राज्य की रष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 की हालत काफी दयनीय है। यह चार जिला खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को जोड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के जर्जर होने से और इसके 16वें किलोमीटर पर कोसी नदी के डुमरीघाट पर बने आरसीसी ब्रिज एवं 36वें किलोमीटर पर तिलावे नदी पर बने एक पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन एक साल से अवरुद्ध है।

इसी पथ पर 51वें किलोमीटर पर ऐसा पुल बना हुआ है, जो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वैसा दूसरा पुल नहीं होगा। यह पुल अंग्रेजों के जमाने का लोहे के खम्भों पर बना हुआ पुल है जो क्षतिग्रस्त है, उसी पर सारा आवागमन होता है। यह पुल किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। इसी सड़क के 51वें किलोमीटर से 67 किलोमीटर तक दस फीट की चौड़ी सड़क है, जो जर्जर अवस्था में है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जब इस सड़क को अधिग्रहित किया गया, तब से आज तक 10 फीट चौड़ी सड़क है। इसमें दुर्घटनाओं के कारण दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के 72वें किलोमीटर में जो सहरसा शहर में अवस्थि रेल रोड़ ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति 1997 में हुई थी, लेकिन आज तक उसके निर्माण की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे बंगाली बाजार में जाम लगने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। उस इलाके का आवागमन मध्य बिहार से कटा हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी पटना आने का एकमात्र रास्ता कोसी इलाके का है एन.एच. 107 ही है। इसलिए हम केंद्र सरकार से आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहते हैं। डुमरी घाट जो एनएच-107 के 16वें किलोमीटर पर आरसीसी ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी पथ के 36वें किलेमीटर में नदी पर जो स्क्रू पाइप ब्रिज था, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी पथ के 51वें किलोमीटर पर एक लोहे के खम्भे का पुल बना हुआ है, जिसका डीपीआर भारत सरकार में समर्पित है, उसकी स्वीकृति देकर उस पुल का निर्माण कराया जाए। उस पथ के 51वें किलोमीटर से 67 किलेमीटर तक जो दस फीट की चौड़ी सड़क है, उसका चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। उसके साथ उस पथ के 72वें किलोमीटर पर रेल ओवर ब्रिज जो 1997 से स्वीकृत है, निर्माण नहीं होने से वहां जाम से आवागमन अवरुद्ध रहता है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, इसलिए उस रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाए। यह हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करते हैं।

श्री दारा सिंह चौहानः धन्यवाद सभापति जी। आज पूरे देश में बुनकरों की हालत बहुत ही दयनीय तथा सोचनीय है। पूरे देश में बुनकर रहते हैं, वे मेहनतकश हैं और काम करते हैं। चाहे किसी भी प्रदेश के बुनकर हों, वे तबाही के कगार पर हैं। उसमें भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां काफी तादात में टांडा,

बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद में बुनकर रहते हैं, खासकर मैं जहां से आता हूं मऊ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, बड़े पैमाने पर बुनकर रहते हैं। तबाही का आलम यह है कि उनके विकास के लिए और उनके मुस्तकबिल भविष्य के लिए सदन में कई बार चर्चा हुई है। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया है।

श्री हरीश रावत: जो पैकेज अनाउंस किया है, उसका भी लाभ लें।

श्री दारा सिंह चौहान: मैं उस पर भी बात करूंगा जो मंत्री जी बता रहे हैं। सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि उसने इताना पैसा दिया है, लेकिन यह सिर्फ घोषणा ही है और कुछ नहीं। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि जो आपने ढिंढोरा पीटा है, उसका फायदा आम बुनकर, जो गरीब हैं, उस तक पहुंचने वाला नहीं है। कोई दस प्रतिशत बुनकर जो हथकरघा समिति के नाम पर झोले में लेकर हथकरघा समिति चलाते हैं, उन्हीं को फायदा होगा। बाकी जो 90 प्रतिशत बुनकर हैं, जो पांव से, पैडल मारकर काम करते हैं, उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल 10 प्रतिशत जो पुराने बुनकर हथकरघा की सोसाइटीज हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सोसाइटीज को अपने बेग में लेकर घूमते हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जो 90 फीसदी बुनकर है वह आज भी तबाह, लाचार और बेबस है। उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब बुनकर को तभी फायदा मिलेगा, जब उन्हें कच्चा माल, धागा सस्ता होकर मिले। तभी जाकर बुनकर को कुछ फायदा मिल सकता है, वरना आपकी घोषणा से कुछ होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय: दारा सिंह जी, प्लीज पाइंट पर आ जाइये, क्योंकि हमें हाउस 7 बजे एडजॉर्न करानी है, एक मीटिंग भी 7 बजे स्पीकर महोदया ने बुलाई है तथा और भी 4-5 सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री दारा सिंह चौहान: साथ ही धागा कंपनियों को यह हिदायत देनी चाहिए कि हर महीने जो वे दाम बढ़ा रहे हैं वे दाम न बढ़ाएं जाएं। जो बुनकर पहले से लूम चलाता है वह अपने हुनर और दम पर जो जकाट से साड़ी बनाता है, उसका फायदा उसे मिलना चाहिए।

सभापति महोदय मैं आपसे मांग करता हूं कि आम गरीब बुनकर जो पैडल-लूम पर अपनी कला-हुनर से लकड़ी वी जकाट लगाकर साड़ियां बुनते हैं, उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि बड़ी मिलों में जो लौह का जकाट लगता है और साड़ी बनती है, उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

देश में जहां भी बुनकर रहता है, वहां जोन बनाकर बुनकरों द्वारा बना हुआ जो कपड़ा है, उसे देश में बिक्री के साथ-साथ विदेशों में निर्यात की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। देश में जो गरीब बुनकर हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की भी व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य श्री दारा सिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं वे अपनी-अपनी पर्चियां सभा पटल को भेज दें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर, श्री वीरेन्द्र कश्यप और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को दारा सिंह चौहान जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री सतपाल महाराज: सभापति जी, उत्तराखंड में भारी वर्षा और बादल फट जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बादल फटने से 5 पुल व टिहरी में एक पुल बह गया है। राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बगोश्वर जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है। अब तक करीब 80 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हैं। कलियासौड़, सेराबगड़ में सुरंग न बनने के कारण वहां बार-बार पहाड़ गिरते हैं और मलबे से रास्ता बंद हो जाता है। नैनीताल जिले के रामनगर में बाढ़ से चुकूम, मालधन चौड़ तथा सुन्दरखाल क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। फूलताल से कोसी नदी तक यदि माइक्रो हाईडल की तरह अंडर ग्राउंड टनल बन जाये तो, भरतपुरी, पम्पापुरी आदि क्षेत्रों के डूबने क खतरा समाप्त हो जाएगा। मालधनचौड़ में पीपल पड़ाव की तरफ 3 चौक डेमों का निर्माण कर दिया जाये तथा जे.सी. बी. से नदी को बीच से खुदवा दिया जाये तो वहां भी बाढ़ से होने वाली तबाही को रोका जा सकता है।

जनपद पौड़ी के विकासखंड बीरोंखाल के भैंसवाड़ा गांव, विकासखंड पोखड़ा के धैड गांव में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अभाव हो गया है। राज्य के करीब 1171 मार्ग आज भी बंद पड़े हं। कीर्ति नगर ब्लॉक के सुपाणा गांव, देवप्रयाग विकस खंड का बुढ़कोट गांव के निवासियों का विस्थापन तत्काल आवश्यक है, ये गांव धंस रहे हैं पट्टी इसरियाखाल का सौदू गांव भी धंस रहा है। पाबौ में पहाड़ खिसक रहा है जिससे काफी नुकसान हो चुका है तथा हो रहा है।

कुश्यानी, कोलानी और लामबगढ़ में पिछले एक महीने से दूरसंचार सेवाएं एवं विद्युत व्यवस्था ठप्प पड़ी है। बरसात के मौसम में लोग खुले में जीवन जीने को मजबूर हैं, टेंटों तक का वितरण प्रभावित क्षेत्रों में शासन द्वारा नहीं करवाया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे राज्य में आपात स्थिति से निपटने के लिए तथा आपदा में फंसे हुए लोगों वो निकालने के लिए 3 हैलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाए तथा राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह प्रभावितों को समुचित सहायता एवं पुनर्वास शीघ्र सुनिश्चित करें तथा प्रभावितों को तत्काल समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करे।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं मैं सरकार, विशेषकर मानव संसाधन मंत्रालय का ध्यान वेल्लोर की जिसमें जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है, में स्थित है, में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। तमिलनाडु में वेल्लोर जिले की जनसंख्या 4.5 मिलियन है जिसमें औद्योगिक और कृषि क्षेत्र सम्मिलित हैं। कुल 4.5 मिलियन की जनसंख्या में से केवल 2.2 मिलियन लोग साक्षर हैं जिसका मतलब है कि 50 प्रतिशत से कम शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं इसका कारण जिले में शिक्षण सस्थाओं की अपर्याप्त संख्या है।

वेल्लोर जिले में 13 विधानसभा की सीटें हैं और तमिलनाडु के सबसे बड़े जिलों में से यह एक है। यद्यपि जिले में शिक्षण संस्थाओं की संख्या अपर्याप्त है। लोगों के समक्ष बड़ी समस्यायें हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले जिले के अधिकारियों को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग के अतिरिक्त, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, का भी एक प्रमुख यूनिट रानीपटे में चल रहा है इसमें अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का कार्यालय, नागर विमानन प्राधिकरण, रक्षा लेखा कार्यालय, दूरदर्शन, एल.पी.टी. कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, क्षेत्रीय सुधार प्रशासन संस्थान, कटपाडी अराकोन्न और जोरपारपेट स्थित रेलवे प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि जैसे कई कार्यालय भी स्थित है।

महोदय, यदि आप इन विभागों पर विचार करें तो हजारों केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां कार्यरत हैं और समय-समय पर उनका स्थानांतरण होता रहता है। उन्हें अपने बच्चों के प्रवेश में काफी मुश्किलें आती हैं इसलिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह मेरे चुनाव क्षेत्र वेल्लोर, तमिलनाडु में तत्काल केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कार्रवाई करें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया की ओर से एक स्पष्ट निर्देश है कि केवल चयनित नामों को पुकारा जाएगां इसलिए मैं इस बात पर क्षमा प्रार्थी हूं यदि कोई सदस्य इस मामले पर अलग विचार रखता है, मैं ऐसे किसी अन्य सदस्य को नहीं बुला सकता जिनका नाम इस सूची में नहीं है।

सभा सोमवार, 5 सितम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.43 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 5 सितम्बर, 2011 14 भाद्रपद, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अशोक कुमार रावत	421
2.	श्री नरहरि महतो	422
	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	
3.	श्री रामकिशुन	423
4.	श्री सुरेश अंगड़ी	
	श्री रामसिंह राठवा	424
5.	श्री यशवीर सिंह	425
6.	श्री आनंदराव अडसुल	
	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	426
7.	श्री सी. राजेन्द्रन	
	श्री ए. गणेशमूर्ति	427
8.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	428
9.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	429
10.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	
	श्री चार्ल्स डिएस	430
11.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	
	श्री अब्दुल रहमान	431
12.	श्री सी. शिवासामी	
	श्री विजय बहादुर सिंह	432
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार	
	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	433.
14.	श्री जगदानंद सिंह	434
15.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	
	श्री भूपेन्द्र सिंह	435
16.	श्री जगदम्बिाका पाल	436
17.	श्री धर्मेन्द्र यादव	
	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	437
18.	श्री पूर्णमासी राम	438
19.	श्री जफर अली नकवी	439
20.	श्री अरुण यादव	
	श्रीमती सुशीला सरोज	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री आनंदराव अडसुल	5057
2.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	4904
3.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4855
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	4850,5041
5.	श्री बदरूद्दीन अजमल	4888
6.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	4849,4942,5021
7.	श्री नारायण सिंह अमलावे	5004
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	4941,4957,4987
9.	श्री अशोक अर्गल	4956
10.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	4961
11.	श्री कीर्ति आजाद	4968
12.	श्री गजानन ध. बाबर	4853
13.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	5011
14.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	4884, 5040
15.	श्री प्रताव सिंह बाजवा	5022
16.	डॉ.बलीराम	4902
17.	श्री अंबिका बनर्जी	4890
18.	श्री कुंवरजीभाई मनमोहनभाई बावलिया	4866
19.	श्री सुदर्शन भगत	4945
20.	श्री ताराचंद भगोरा	4988
21.	श्री संजय भोई	4939, 5053
22.	श्री समीर भुजबल	4940
23	श्री पी.के. बिजू	4867
24.	श्री हेमानंद बिसवाल	4870, 4998, 5053

1	2	3
25.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	4887
26.	श्री सी. शिवासामी	4850, 5032
27.	श्री हरीश चौधरी	4907
28.	श्री जयंत चौधरी	4985
29.	डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	4832, 4958, 5006
30.	श्री दारा सिंह चौहान	4901
31.	श्री प्रभात सिंह पी. चौहान	4856, 4972
32.	श्री भूदेव चौधरी	5008
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4838, 5005, 5018
34.	श्री अधीर चौधरी	4899
35.	श्री डी. वेणुगोपाल	4941, 5006
36.	श्री भक्त चरण दास	4885
37.	श्री राम सुन्दर दास	4911, 4950
38.	श्री गुरुदास दास गुप्त	4924
39.	श्रीमती दीपा दास मुंशी	4942, 4996
40.	श्री के.डी. देशमुख	4844, 4895
41.	श्रीमती रमा देवी	4893, 4922, 4989
42.	श्री संजय धोत्रे	4963, 5007
43.	श्री आर. ध्रुव नारायण	4850
44.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	4919
45.	श्री निशिकांत दुबे	4965, 5009
46.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	4967
47.	श्री पी. सी. गद्दीगौदर	4969
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	4942, 4953, 5002, 5003
49.	श्री वरुण गांधी	4918, 4990, 5004
50.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	4932, 5043
51.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	4975

1	2	3
52.	श्री एल. राजा गोपाल	4835, 5017
53.	श्री डी.वी. चन्द्रे गौड़ा	4974, 4997, 5005
54.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	4925
55.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	4851
56.	श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव	4893, 4922
57.	डॉ. संजय जायसवाल	4903, 5045
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4839
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	4858, 4884, 5024, 5040
60.	श्री हरिभाऊ जावले	4952
61.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	4987
62.	श्री प्रहलाद जोशी	4973, 5011, 5053
63.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	4991
64.	डॉ ज्योति मिर्धा	4915
65.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	4920
66.	श्रीमती कैसर जहां	5049
67.	श्री पी. करुणाकरन	4834, 5050
68.	श्री कपिल मुनि करवारिया	4871, 5010
69.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	4956
70.	श्री राम सिंह कस्वां	4863
71.	श्री नलिन कुमार कटील	4982
72.	डॉ. कृपारानी किल्ली	4977, 5007
73.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4881, 4998, 5037
74.	श्री कमलकिशोर 'कमांडो'	4854
75.	श्री मधु कोड़ा	4981
76.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4894
77.	श्री पी. कुमार	4850
78.	श्रीमती चंद्रेश कुमारी	4976

1	2	3
79.	श्री यशवंत लागुरी	4998
80.	श्री सुखदेव सिंह	4850
81.	श्री पी लिंगम	4837
82.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4861, 5026.
83.	श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो	4913
84.	श्री प्रदीप माझी	4891, 4983
85.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	4943, 5059
86.	श्री मंगनीलाल मंडल	5000
87.	श्री जोश के. मणि	4841, 4869, 5036
88.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4878
89.	श्री भरत राम मेघवाल	4884, 5040
90.	श्री महावल मिश्रा	4942
91.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	4909
92.	मोहम्मद अजहरुद्दीन	4880
93.	श्री गोपीनाथ मुंडे	4930
94.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4959
95.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4883, 4898, 4927, 5008, 5048
96.	श्री नारनभाई कछाड़िया	4856
97.	श्री संजय निरूपम	4989
98.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	4905, 5046
99.	श्री आसादूद्दीन ओवसी	4850, 5039
100.	श्री पी.आर. नटराजन	4892, 5056
101.	श्री जगदम्बिका पाल	4896
102.	श्री वैजयंत पांडा	4929, 4984
103.	श्री प्रबोध पांडा	4926
104.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4941
105.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	4935
106.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	4942, 4953, 5002, 5003
107.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	4864
108.	श्री देवराज सिंह पटेल	4912, 5049
109.	श्री देवजी एम. पटेल	4872, 4932, 5029, 5043
110.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4928
111.	श्री बाल कुमार पटेल	4944
112.	श्री किसनभाई वी. पटेल	4891, 5047
113.	श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल	4865
114.	श्रीमती भावना पाटील गवली	4910
115.	श्री भाष्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	4942, 4953, 5002, 5003
116.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	4850, 4955
117.	श्रीमती कमला देवी पटले	4847, 5020
118.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4882, 5038
119.	श्री नित्यानंद प्रधान	4929
120.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	4859
121.	श्री प्रेमदास	4960
122.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4906, 4979
123.	श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ	4933
124.	श्री विट्ठलाभाई हंसराजभाई रादड़िया	5006
125.	श्री एम. के. राघवन	4921, 5005
126.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	4879
127.	श्री अब्दुल रहमान	5012, 5060
128.	श्री रमाशंकर राजभर	4917, 4948
129.	श्री एम.बी राजेश	4978
130.	श्री पूर्णमासी राम	5000

1	2	3
131.	श्री रामकिशुन	5013
132.	श्री जगदीश सिंह राणा	4901, 4938
133.	श्री निलेश नारायण राणे	4869
134.	श्री रायापति सांबासिवा राव	4986
135.	श्री रामसिंह राठवा	4948, 5027
136.	श्री अशोक कुमार रावत	5031
137.	श्री अर्जुन राय	4949, 5000, 5001
138.	श्री विष्णुपद राय	4848, 5015
139.	श्री रुद्रमाधव राय	4831, 5019
140.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4992
141.	श्री अनंत वेकटरामी रेड्डी	4850, 5028
142.	श्री के.जे. एस.पी. रेड्डी	4850, 4954
143.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	5005
144.	श्री एस. अलागिरि	4908, 4971
145.	श्री एस. सेम्मलई	4931
146.	श्री एस. पक्कीरप्पा	4836, 4859, 5033
147.	श्री एस.आर. जेयदुरई	4999
148.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4876, 4917, 5006, 5011, 5034
149.	श्री ए. सम्पत	4947
150.	श्रीमती सुशीला सरोज	5009
151.	श्री तूफानी सरोज	4923
152.	श्री हमदुल्लाह सईद	4842, 4935, 5016
153.	श्री एम.आई. शानवास	4941, 4980, 5049
154.	श्रीमती जे. शांता	4868, 4960
155.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	4840, 4850, 5052
156.	श्री एंटो एंटोनी	4948
157.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	4889

1	2	3
158.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4873, 5030
159.	श्री भूपेन्द्र सिंह	5035
160.	श्री दुष्यंत सिंह	4853
161.	श्री गणेश सिंह	4877
162.	श्रीमती मीना सिंह	5008
163.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4857
164.	श्री राधा मोहन सिंह	4994, 5008
165.	श्री राजेश नंदिनी सिंह	4914
166.	श्री राकेश सिंह	5010
167.	श्री रवनीत सिंह	4875
168.	श्री सुशील कुमार सिंह	4900
169.	श्री उदय सिंह	4860, 4953, 5042
170.	चौ. लाल सिंह	4837, 5005
171.	श्री धनंजय सिंह	4962
172.	श्री रेवती रमण सिंह	4850, 4886
173.	श्री राधे मोहन सिंह	4850, 4897
174.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4949
175.	राजकुमारी रत्नासिंह	4966
176.	श्री विजय बहादुर सिंह	5054
177.	डॉ. संजय सिंह	4839, 4907, 4958, 4989
178.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4862, 5048
179.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	4832
180.	श्री ई.जी. सुगावनम	4959, 4999
181.	श्री के. सुगुमार	4874, 5048
182.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4883, 5008, 5044
183.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	4999, 5012

1	2	3
184.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	4845, 5005
185.	श्री मानिक टैगोर	4936
186.	श्री अशोक तंवर	4993
187.	श्री बिभू प्रसाद तराई	4833, 49935, 5005, 5014
188	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	4896
189.	श्री मनीश तिवारी	4916
190.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	4946
191.	श्री आर. थामराईसेलवन	4843, 4850, 5025
192.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	4964, 5008
193.	श्री पी.टी. थॉमस	4974
194.	श्री मनोहर तिरकी	4943, 5059
195.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4911
196.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	4852
197.	श्री लक्ष्मण टुडु	4970
198.	श्री हर्षवर्धन	4941, 4951, 4957
199.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4922, 4970, 4971, 4998
200.	श्री सज्जन वर्मा	4908, 4934, 5058
201.	श्रीमती ऊषा वर्मा	5009
202.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4846, 5008, 5051
203.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	4963, 5007
204.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	4908, 4922
205.	श्री धर्मेन्द्र यादव	5023
206.	श्री दिनेश चंद्र यादव	4951, 5000, 5001
207.	श्री ओम प्रकाश यादव	5006
208.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4850, 4995, 5004
209.	श्री मधुसूदन यादव	4937
210.	योगी आदित्यनाथ	4917

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	425, 429, 432
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	424, 426, 427, 431, 434, 435, 436
खान	:	422
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	423, 437
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	428, 430, 433
पर्यटन	:	421, 439
जनजातीय कार्य	:	438
महिला और बाल विकास	:	440.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	4835, 4836, 4841, 4846, 4851, 4855, 4856, 4857, 4861, 4862, 4865, 4871, 4873, 4875, 4880, 4882, 4883, 4889, 4890, 4893, 4899, 4902, 4906, 4907, 4913, 4918, 4921, 4936, 4938, 4941, 4944, 4946, 4948, 4949, 4951, 4954, 4955, 4956, 4962, 4963, 4965, 4971, 4974, 4978, 4979, 4983, 4986, 4992, 5000, 5001, 5006, 5010, 5014, 5017, 5019, 5021, 5022, 5023, 5025, 5026, 5030, 5031, 5033, 5037, 5038, 5039, 5043, 5045, 5051, 5052
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4831, 4838, 4839, 4842, 4850, 4859, 4863, 4864, 4866, 4868, 4869, 4876, 4877, 4879, 4886, 4896, 4900, 4904, 4910, 4915, 4916, 4917, 4923, 4924, 4926, 4928, 4930, 4933, 4934, 4940, 4942, 4945, 4952, 4958, 4960, 4961, 4969, 4975, 4976, 4977, 4984, 4990, 4995, 4999, 5003, 5004, 5007, 5008, 5011, 5012, 5016, 5020, 5028, 5029, 5034, 5041, 5042, 5044, 5056, 5057
खान	:	4847, 4878, 4920, 4925, 4935, 4980, 4991, 4997, 4998, 5002, 5005, 5027, 5058, 5059
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	4852, 4903, 4932, 4950, 5032, 5036
पंचायती राज	:	4872, 4911, 4966
विद्युत	:	4833, 4843, 4854, 4884, 4887, 4888, 4891, 4895, 4901, 4908, 4909, 4912, 4922, 4937, 4953, 4957, 4959, 4973, 4981, 4985, 4987, 4988, 4989, 4993, 5013, 5040, 5046, 5048, 5049
पर्यटन	:	4840, 4867, 4881, 4905, 4939, 4964, 4967, 4996, 5018, 5047, 5055
जनजातीय कार्य	:	4832, 4834, 4844, 4858, 4870, 4874, 4892, 4894, 4897, 4914, 4919, 4970, 4972, 4982, 5024, 5060
महिला और बाल विकास	:	4837, 4845, 4848, 4853, 4860, 4885, 4898, 4927, 4929, 4931, 4943, 4947, 4968, 4994, 5009, 5015, 5035, 5050, 5053, 5054.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/19/22/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।